

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2026 सत्र

शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

फसल उत्पादन एवं परीक्षण कार्यक्रम में व्यय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

1. (*क्र. 747) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में वर्ष 2023 से दिनांक 04/02/2026 तक किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण, प्रौद्योगिकी, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनी, फसलों की नयी किस्म/ हाईब्रिड के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक, उन्नत कृषि करना/उपकरण/संसाधन संरक्षण, मशीनरी, जल संरक्षण आदि की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कहां-कहां आयोजित किये गये? आयोजन हेतु कितनी-कितनी राशि का व्यय किस-किस योजना/मद से किया गया? प्रशिक्षण में कितने किसान/हितग्राही सम्मिलित हुए? प्रशिक्षणवार प्रशिक्षण का प्रकार, प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वालों की संख्या की वर्षवार जानकारी देवें? किस-किस प्रशिक्षण पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? योजनावार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित विकासखण्ड मुंगेली एवं पथरिया में वर्ष 2023 से दिनांक 04/02/2026 तक किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण, प्रौद्योगिकी, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनी, फसलों की नयी किस्म/हाई ब्रीड के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक, उन्नत कृषि करना/उपकरण/संसाधन संरक्षण, मशीनरी, जल संरक्षण आदि की विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों की योजनावार वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।

राज्य में घुमन्तू पशुओं के रख-रखाव/संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं

[पशुधन विकास]

2. (*क्र. 797) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) घुमन्तू पशुओं के संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु राज्य शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं? जानकारी देवें ? वर्तमान में घुमन्तू पशुओं की अनुमानित संख्या कितनी है? जिलावार विवरण क्या है? जिला बालोद का विवरण विकासखण्डवार देवें ? (ख) प्रश्नांक 'क' के अनुसार राज्य में स्थापित गौठान/कांजी हाउस/पशु आश्रय स्थलों की संख्या कितनी है तथा उनकी वर्तमान क्षमता एवं उपयोग की स्थिति क्या है ? विगत तीन वर्षों में घुमन्तू पशुओं के रख-रखाव हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी राशि का व्यय, कहाँ-कहाँ किन-किन प्रयोजनों में किया गया है? जिलावार विस्तृत जानकारी देवें ? जिला बालोद

का विवरण विकासखण्डवार देवें ? (ग) क्या अनेक क्षेत्रों में घुमन्तू पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाएँ एवं फसल क्षति की घटनाएँ बढ़ी हैं? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इस समस्या के निराकरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) घुमन्तू पशुओं के संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु पशुधन विकास विभाग द्वारा गौधाम योजना संचालित की जा रही है। 20वीं पशु संगणना अनुसार राज्य में घुमन्तू पशुओं की कुल संख्या 1,84,993 है। जिलावार विवरण तथा जिला बालोद का विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार राज्य में घुमन्तू पशुओं के संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित गौधाम योजना अंतर्गत 11 गौठानों का गौधाम के रूप में पंजीयन किया गया है जिसकी कुल क्षमता 2200 पशु हैं। वर्तमान में 03 गौधाम संचालित है, जिसमें 620 पशुधन संरक्षित है। विभाग अंतर्गत कांजी हाऊस तथा पशु आश्रय स्थल स्थापित नहीं किया गया है। विगत तीन वर्षों में घुमन्तू पशुओं के रख-रखाव हेतु पशुधन विकास विभाग द्वारा स्वीकृत राशि निरंक है। (ग) गृह विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विगत दो वर्षों में घुमन्तू पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है एवं कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार फसल क्षति के संबंध में कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। यद्यपि घुमन्तू पशुओं के कारण सड़क दुर्घटना एवं फसल क्षति को रोकने के लिए पशुधन विकास विभाग द्वारा गौधाम योजना संचालित की जा रही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

संविधान के अनुच्छेद-275 (एक) के अंतर्गत कोंडागांव जिले के लिए प्राप्त आबंटन

[आदिम जाति विकास]

3. (*क्र. 928) श्री नीलकंठ टेकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) संविधान के अनुच्छेद-275 (एक) के अंतर्गत कोंडागांव जिले के लिए वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कितना आबंटन प्राप्त हुआ है? (ख) आबंटित राशि में केशकाल विधानसभा क्षेत्र को कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई है? स्वीकृत कार्य में कितने कार्य प्रारंभ, अप्रारम्भ, पूर्ण हैं? अप्रारम्भ कार्यों की कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें? (ग) पूंजीगत एवं राजस्व मद में केशकाल विधानसभा अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची मदवार पृथक से उपलब्ध करवाने का कष्ट करेंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) संविधान के अनुच्छेद 275 (एक) के अंतर्गत कोंडागांव जिले हेतु वर्ष 2023-24 में राशि रू. 1109.77212 लाख एवं वर्ष 2024-25 हेतु राशि रू. 189.00 लाख आवंटन प्राप्त हुआ है। (ख) **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है।** (ग) **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

बजट में सम्मिलित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति

[वित्त]

4. (*क्र. 925) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के बजट में सम्मिलित किन-किन कार्यों के लिए दिनांक 03 फरवरी, 2026 की स्थिति में कितनी-कितनी राशि की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है एवं कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के पास किन-किन कारणों से तथा कब से लंबित हैं एवं इन कार्यों को कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? जानकारी देवें? **वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :** विभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के

अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के बजट में सम्मिलित कार्यों की स्वीकृत राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। नवीन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभागों को वित्त निर्देश 25/2012 दिनांक 01 मई 2012 द्वारा रु. 3 करोड़ तक के प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार प्राप्त थे, जिसे स्थायी वित्त निर्देश 15/2025, दिनांक 14.05.2025 द्वारा बढ़ाकर रु. 5 करोड़ किया गया है ताकि कार्यों की स्वीकृति में गति आए। प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश संबंधित विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। दिनांक 03.02.2026 की स्थिति में वित्त विभाग में संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के कोई भी प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति पर सहमति हेतु लंबित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

बिलासपुर जिले में कालोनाईजरो द्वारा निर्मित आवासीय कालोनी/ व्यावसायिक परिसर

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (*क्र. 783) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 04/02/2026 तक किन-किन कालोनाईजर / कंपनी द्वारा कितनी आवासीय कालोनी / व्यावसायिक परिसर का निर्माण कहाँ-कहाँ किया गया ? कालोनाईजर के नाम पता सहित निर्मित कालोनी के नाम एवं निर्माण क्षेत्रफल सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" की निर्मित कालोनियों / व्यावसायिक परिसरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, रेरा से अनुमति प्राप्त नहीं करने अथवा निर्धारित मापदंड के अनुसार निर्माण नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुईं अथवा विभाग के संज्ञान में आयी ? यदि हां तो किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-1 अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "क" की निर्मित कालोनियों / व्यावसायिक परिसरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव से सम्बन्धी 21 शिकायत, रेरा से अनुमति प्राप्त नहीं करने सम्बन्धी 02 शिकायत, भू-सम्पदा की रकम वापसी से सम्बन्धी 15 शिकायत, भू-सम्पदा का अधिपत्य दिलाने संबंधी 11 शिकायत एवं क्षतिपूर्ति दिलाये जाने सम्बन्धी 01 शिकायत कुल 50 शिकायत प्राप्त हुई है जिनमे से 28 शिकायतों में आदेश पारित किया गया है, शेष 22 शिकायत प्रक्रियाधीन है। आवेदक/अनावेदक का नाम, प्रकरण क्रमांक, दिनांक, कार्यवाही सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-2, प्रपत्र-3, प्रपत्र-4, प्रपत्र-5, प्रपत्र-6, प्रपत्र -7 अनुसार** है।

प्रदेश में फ्लाईएश एवं कोलडस्ट की अवैध डंपिंग के प्रकरणों में कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

6. (*क्र. 663) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित उद्योगों में कितने-कितने उद्योगों से फ्लाईएश डंप किया जाता है ? वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 04/02/2026 तक अवैध फ्लाईएश डम्प किए जाने के कितने मामले प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या बिना अनुमति के फ्लाईएश डम्प करने का मामला प्राप्त हुआ है ? रायगढ़ जिला के फ्लाईएश एवं कोयला परिवहन के कारण दूषित पर्यावरण के सुधार हेतु क्या कार्ययोजना है ? उस पर कितना अमल हुआ है ? जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : रायगढ़ जिला के अंतर्गत वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 04.02.2026 तक की अवधि में 24 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का उपयोग भू-भराव/खदान भराव में किया गया/ किया जा रहा है। उक्त ताप विद्युत संयंत्रों में से 06 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा स्वयं के निर्मित ऐश डाईक में भी अस्थाई रूप से राख का भण्डारण किया जाता है। वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक

04.02.2026 तक राख के अवैध/बिना अनुमति डंपिंग के 49 मामले मंडल के संज्ञान में आये हैं तथा उन पर की गयी कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 26/06/2024 के माध्यम से उद्योगों से कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट के सड़क मार्ग से परिवहन के दौरान प्रदूषण के रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया गया है, जो कि दिनांक 01/08/2024 से प्रभावशील है तथा उद्योगों से जनित ठोस अपशिष्टों के अपवहन हेतु परिवहन की निगरानी बाबत औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (आईडब्ल्यूएमएमएस) संचालित की गई है, जो कि दिनांक 01/05/2025 से प्रभावशील है। परिवहन के दौरान एसओपी का उल्लंघन पाये जाने पर उद्योगों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। फ्लाई ऐश एवं कोयले के परिवहन दौरान पाई गई अनियमितताओं पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चार"\]](#)

छ.ग.संस्कृति परिषद् के अंतर्गत अकादमियाँ

[संस्कृति]

7. (*क्र. 879) श्री अजय चंद्राकर : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद् का गठन कब और किन उद्देश्यों के लिये किया गया? इनके अंतर्गत कौन-कौन सी अकादमी आती हैं और उनका उद्देश्य एवं कार्य क्या-क्या है? इस परिषद् में कितनी बार संशोधन किया गया एवं उसमें किन-किन विषयों पर क्या-क्या संशोधित किया गया तथा संशोधन का तात्पर्य एवं परिणाम क्या रहा? **(ख)** साहित्य अकादमी का उद्देश्य क्या है? उनके अध्यक्ष/सदस्य कौन हैं? उन्हें क्या-क्या शक्ति प्रदान की गयी है तथा उनका कार्यक्षेत्र क्या-क्या है तथा उद्देश्यों के अनुरूप लागू दिनांक से 31 जनवरी, 2026 तक क्या-क्या कार्य किये गये, वर्षवार बतायें? उन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय हुई?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"\]](#)

कृषि विभाग में “कृषि अभियांत्रिकी विभाग” के लिए पृथक निदेशालय की घोषणा का क्रियान्वयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

8. (*क्र. 848) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बजट वर्ष 2024-25 के बजट भाषण के दौरान दिनांक 09/02/2024 को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी द्वारा कृषि यांत्रिकी विभाग के लिए एक अलग निदेशालय (डायरेक्ट्रेट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग) की गठन की बात कही थी? यदि हां तो क्या इसका गठन पूर्ण कर लिया गया? यदि नहीं तो क्यों? कारण बतावें? **(ख)** वर्तमान में एग्रीकल्चर इंजीनियरों के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं? क्या कृषि के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकार के द्वारा इंजीनियरों की नवीन पदों पर भर्ती की कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हां तो कितने पदों पर एवं कब तक भर्ती की जावेगी? जानकारी प्रदान करें? **(ग)** राज्य में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कितने शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय स्थापित हैं? उक्त महाविद्यालयों में कितने-कितने सीट सृजित हैं? वर्तमान सत्र में स्वीकृत सीट के विरुद्ध कितने सीट भरे हुए एवं कितने रिक्त हैं? महाविद्यालयवार जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट भाषण दिनांक 09.02.2024 में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान किये जाने का उल्लेख किया गया था। कृषि संवर्ग एवं कृषि अभियांत्रिकी संवर्ग द्वारा निष्पादित की जाने वाली संवर्गवार गतिविधि/कार्य के निर्धारण हेतु विभागीय समिति का गठन किया गया है, इसकी अनुशंसा प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ख) प्रश्रंस्कित अवधि तक संचालनालय कृषि के अधीन कृषि यंत्री के 06 पद स्वीकृत हैं, जो सभी पदोन्नति के पद हैं, जिनमें से 03 पद भरे हुए हैं। सहायक कृषि यंत्री के कुल 12 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत पद (06 पद) सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पद (06 पद) पदोन्नति के पद हैं। सीधी भर्ती के सभी 06 पद वर्तमान में भरे हुए हैं। वर्तमान में कृषि अभियंताओं के पदों पर भर्ती की कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है अतः शेष जानकारी निरंक है। (ग) राज्य में कृषि अभियांत्रिकी के 02 शासकीय एवं 02 अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। इन महाविद्यालयों में बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) हेतु 296 सीट, एम.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) हेतु 50 सीट एवं पी.एच.डी. (कृषि अभियांत्रिकी) 16 सीट सृजित हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्वीकृत सीट के विरुद्ध भरे एवं रिक्त सीट की महाविद्यालयवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

जिला बस्तर में संचालित छात्रावास और आश्रम

[आदिम जाति विकास]

9. (*क्र. 903) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला - बस्तर में कितने आश्रम, छात्रावास, एकलव्य विद्यालय संचालित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? क्या उक्त आश्रम छात्रावास अपने मूल स्थान पर संचालित हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? मूल स्थान पर कब से संचालित किए जाएंगे ? (ख) प्रश्रंश"क" के अनुसार आश्रम, छात्रावासों में कितने-कितने नियमित, अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं ? कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने भरे हैं ? कितने रिक्त हैं ? कब से रिक्त हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ग) अनियमित कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ? वेतन भुगतान प्रक्रिया क्या है ? आश्रम एवं छात्रावासों के अनुसार विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बस्तर जिले में 102 आश्रम, 131 छात्रावास एवं 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ" अनुसार हैं। कुल 233 आश्रम छात्रावासों में से 231 संस्थाएं अपने मूल स्थान पर संचालित हैं। शेष 2 संस्थाओं में से 1 कन्या आश्रम कलेपाल जो तत्कालीन नक्सली परिस्थितियों के कारण भवन पखनार में निर्मित कर संचालित किया जा रहा है तथा दूसरा प्री मै. बालक छात्रावास लोहण्डगुडा में जमीन नहीं मिलने के कारण विद्यालय से 100 मीटर की दूरी पर स्थित धुरागांव में भवन निर्माण कर संचालित किया जा रहा है। 6 एकलव्य में से 2 स्वयं के भवन पर संचालित है एवं शेष 4 भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। निर्माण कार्य पूर्ण होने उपरांत मूल स्थान पर संचालित किये जायेंगे। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"ब" अनुसार है। छात्रावास/आश्रम अधीक्षकों के 233 स्वीकृत पद के विरुद्ध 43 अधीक्षक कार्यरत है शेष 190 पद वर्ष 2015 से रिक्त हैं जिस पर शिक्षा विभाग के शिक्षक प्रभारी अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध दैनिक वेतन भोगी कार्यरत हैं। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"स" अनुसार हैं। कार्यरत दैनिक वेतन भोगी को बजट उपलब्धता के आधार पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर मासिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

बलरामपुर जिला के अ.ज.जा. छात्रवासों के सीटों की संख्या वृद्धि

[आदिम जाति विकास]

10. (*क्र. 761) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बलरामपुर जिला के शासकीय छात्रावासों में प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के आवेदनों की संख्या छात्रावास सीटों की तुलना में अधिक रहती है? **(ख)** छात्रावास सीटों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु क्या कोई निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो जिले में कुल कितनी नई सीटें बढ़ाई जाएँगी एवं किन-किन छात्रावासों में? यदि नहीं, तो आवेदकों की अधिक संख्या को देखते हुए सीट वृद्धि हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी, हाँ, बलरामपुर जिला के शासकीय छात्रावासों में प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के आवेदनों की संख्या छात्रावास सीटों की तुलना में अधिक रहती है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** जी नहीं, प्रस्ताव मुख्य बजट में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सात" \]](#)

छ.ग. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण(रेरा) में पंजीयन बिना अवैध रूप से कालोनी/प्लॉट की बिक्री

[आवास एवं पर्यावरण]

11. (*क्र. 3) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण(रेरा) अंतर्गत किन-किन बिल्डरों/कालोनाईजर्स ने कितने-कितने क्षेत्र/भूभाग के लिये तथा किन-किन स्थानों/ ग्रामों पर कालोनी/भूमि/मकान बिक्री हेतु अपना पंजीयन कराया है? विवरण प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार रेरा में पंजीयन कराये बिना कालोनी/प्लॉट बेचे जाने की कितनी शिकायतें 2023 से जनवरी, 2026 तक विभाग को प्राप्त हुई हैं तथा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीयन कराये बिना अवैध रूप से कालोनी/प्लॉट की बिक्री किये जाने पर दण्ड/जुर्माने का क्या प्रावधान है? अवैध कालोनी निर्माण/प्लॉट बिक्री उपरांत किस प्रकार से कालोनी को वैध किया जा सकता है? विवरण प्रदान करें? **(घ)** रेरा में पंजीयन हेतु न्यूनतम कितने क्षेत्रफल भूभाग में कालोनी/प्लॉट होना आवश्यक है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में कुल 157 परियोजनाएँ पंजीकृत हुई हैं, जिनका कुल निर्माण क्षेत्रफल 90,05,706.99 वर्ग मीटर है, परियोजना/प्रमोटर का नाम एवं पता, पंजीयन क्रमांक, दिनांक, निर्माण क्षेत्रफल सहित जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-1 अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार रेरा में पंजीयन कराये बिना कालोनी/प्लॉट बेचे जाने हेतु 2023 से जनवरी, 2026 तक 03 शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं। अनावेदक का नाम एवं पता, प्रकरण क्रमांक, दिनांक, कार्यवाही सहित जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-2 अनुसार है। (ग)** यदि कोई संप्रवर्तक भू सम्पदा विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 की धारा 3 के अनुसार भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पास किसी परियोजना को पंजीयन कराये बिना किसी योजना क्षेत्र में यथास्थिति, किसी भू-खण्ड, अपार्टमेंट या भवन या उसके किसी भाग को किसी भी रीति में विज्ञापित, विपणित, बुक, उसका विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा क्रय के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करेगा. का उल्लंघन करता है तो अधिनियम की धारा-59 के तहत शास्ति का प्रावधान है। नगरीय निकाय क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के नियमितरण एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत अवैध कालोनियों के प्रबंधन का प्रावधान है। नगरीय निकाय क्षेत्र में नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 2013

के नियम 15-क के तहत 31 जुलाई 2019 तक अस्तित्व में आई अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण किये जाने का प्रावधान है। (घ) रेरा में पंजीयनहेतु भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के तहत प्रस्तावित भू-क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक या विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित अपार्टमेंटों की संख्या 8 से अधिक हो, रजिस्ट्रीकरण करना आवश्यक है।

आरडीए द्वारा बोरियाखुर्द में निर्माणाधीन एवं पूर्व में निर्मित आवासों की अद्यतन स्थिति

[आवास एवं पर्यावरण]

12. (*क्र. 875) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्मित आरडीए द्वारा बोरियाखुर्द में वर्तमान नवीन निर्माणाधीन स्वतंत्र आवास का कार्यदिश कब जारी किया गया तथा निर्माण की अंतिम तिथि क्या है और वर्तमान स्थिति में कार्य कब तक पूर्ण होगा? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार कितने आवासों का निर्माण किया जावेगा एवं कितने आवासों का आबंटन हो चुका है? पृथक-पृथक जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांक (ख) में विभाग को आवासों के लिये निर्धारित की गई राशि एवं प्राप्त की गई राशि तथा बकाया राशि की जानकारी देवें? (घ) आरडीए द्वारा पूर्व में निर्मित आवास (श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास) में ब्लॉक एवं फ्लैटों की संख्या, कितने का आबंटन हुआ है एवं कितने आबंटित फ्लैटों में अवैध तरीके से व्यक्ति निवासत हैं उनकी फ्लैटवार संख्या सहित जानकारी देवें? (च) पूर्व में निर्मित आवास (श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास) के निर्माण के समय से ही नाली का निर्माण नहीं होने से जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने से बचने के लिये नाली निर्माण कब किया जावेगा?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्मित रायपुर विकास प्राधिकरण की बोरियाखुर्द योजना में निर्माणाधीन 523 स्वतंत्र आवासों के निर्माण हेतु ठेकेदार को कार्यदिश 30.06.2018 को दिया गया था। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य अधूरा छोड़े जाने के फलस्वरूप पूर्व के ठेकेदार के अनुबंध को निरस्त कर नये ठेकेदार को कार्यदिश दिनांक 13.10.2022 को जारी किया गया। अनुबंध अनुसार निर्माण की अंतिम तिथि 13.04.2024 थी। वर्तमान स्थिति में कार्य 30.06.2026 तक पूर्ण होना संभावित है। (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार योजना में कुल 523 ई.डब्ल्यू.एस. (कमजोर आय वर्ग) आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 482 आवासों का आबंटन हो चुका है। शेष 41 रिक्त है। (ग) आबंटित आवासों के हितग्राहियों से विभाग को कुल राशि रूपये 31.68 करोड़ प्राप्त होनी है, जिसमें राशि रूपये 23.20 करोड़ विभाग को प्राप्त हो चुकी है तथा शेष राशि रूपये 8.48 करोड़ प्राप्त होना बकाया है। (घ) रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास योजना में कुल 19 ब्लॉक में 1800 फ्लैट है, जिसमें 1422 फ्लैट आबंटित है। अवैध तरीके से निवासरत व्यक्तियों की जानकारी संधारित नहीं है। (च) पूर्व में निर्मित आवास (श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास) के निर्माण के समय प्री-कास्ट नाली का निर्माण किया गया था। जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने से बचने के लिए नालीके पुनर्निर्माण योजना, रायपुर विकास प्राधिकरण अंतर्गत विचाराधीन है, निर्माण की समय-सीमा वर्तमानमे बताया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में वर्ष 2023 से 2025 तक पर्यटन संपत्ति का लीज अनुबंध

[पर्यटन]

13. (*क्र. 112) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2023 से 2025 तक छत्तीसगढ़ में कौन-कौन से पर्यटन संपत्ति का लीज अनुबंध किया गया है? स्थान, अनुबंधकर्ता का नाम, समयावधि एवं दर क्या है? (ख) कितने और कौन-कौन से पर्यटन संपत्ति की लीज समाप्त हो गयी है? उक्त की जिलेवार जानकारी क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।(ख) आज दिनांक की स्थिति में किसी भी पर्यटन संपत्ति की लीज अवधि समाप्त नहीं हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पर्यटन स्थल का विकास

[पर्यटन]

14. (*क्र. 859) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गढ़फूलझर को पर्यटन स्थल रूप में विकसित किया जा सकता है? (ख) यदि हाँ, तो क्या पूर्व में इसका कोई प्रस्ताव आया था, या नहीं? (ग) इसे पर्यटन स्थल में विकसित करने की क्या योजना है? कृपया जानकारी दें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) नवीन पर्यटन स्थलों के श्रेणी के आधार पर चिन्हांकन हेतु जिला प्रशासन से निर्धारित प्रारूपों में छ.ग.टूरिज्म बोर्ड के पत्र क्रमांक 5186 दिनांक 16.12.2025 द्वारा प्रस्ताव चाहा गया है। प्रश्रंक्षित स्थल के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत पर्यटन स्थल के रूप में चयनित होने पर विकसित करने हेतु निर्णय लिया जा सकेगा।(ख) स्थानीय जनों द्वारा मांग की गई है।(ग) श्री रणेश्वर रामचण्डी मंदिर, ग्राम गढ़फूलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु जिला प्रशासन महासमुंद से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव चाहा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जायेगी। साथ ही चिन्हांकित पर्यटन स्थल एवं उसके आस-पास पर्यटन विकास, अधोसंरचना एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु जिला प्रशासन से भूमि प्राप्त किया जा रहा है।

बीज विकास निगम द्वारा उर्वरक ,बीज, पेस्टिसाइड इत्यादि का क्रय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

15. (*क्र. 798) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अप्रैल, 2023 से जनवरी, 2026 तक बीज विकास निगम द्वारा उर्वरक, बीज, संकर बीज(हाईब्रीड), पेस्टीसाईड, माईक्रोन्यूट्रियेंट, बायो-फर्टिलाइजर का क्रय किया गया है? यदि हां तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है? क्या सामग्री की नोटिफाईड (अधिसूचित) प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण की शर्त रखी गई थी?वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) कंडिका "क" अनुसार कितनी सामग्रियों के क्रय पश्चात गुणवत्ता परीक्षण नोटिफाईड (अधिसूचित) प्रयोगशाला से नहीं कराया गया? वर्षवार सामग्रीवार, फर्मवार, राशिवार जानकारी दें? (ग) विभाग द्वारा किस-किस प्रयोगशाला को उपरोक्त सामग्रियों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु उक्त अवधि में अधिसूचित प्रयोगशाला निर्धारित किया गया? प्रयोगशालावार, सामग्रीवार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) अप्रैल, 2023 से जनवरी, 2026 तक छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु क्रय किये गये उर्वरक, बीज, पेस्टीसाईड, माईक्रोन्यूट्रियेंट की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** उक्त सामग्रियों के क्रय की अपनायी गयी प्रक्रिया का आदानवार विवरण निम्नानुसार है:-

(1) प्रजनक बीज का क्रय भारत सरकार के द्वारा आबंटित किये गये कृषि अनुसंधान केन्द्रों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर सीधे किया गया है। प्रजनक बीजों के गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी प्रावधान नहीं होने से गुणवत्ता नियंत्रण की शर्त नहीं रखी गयी।

(2) छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा मांग अनुसार प्रदेश के कृषकों को प्रमाणित बीज की आपूर्ति हेतु छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश क्रमांक 5467 दिनांक 20.12.2011 तथा आदेश क्रमांक 987 दिनांक 28.02.2025 के प्रावधानों के द्वारा भण्डार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में निविदा आमंत्रित करने की शर्तों में छूट प्रदान किये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में ईम्पैनल्ड सेन्ट्रल नोडल सीड एजेंसी, छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत बीज उत्पादक सहकारी समितियों, नाफेड, मध्य प्रदेश बीज महासंघ की समितियों से बीज निगम द्वारा जारी ऑफर लेटर में से न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था या एजेंसियों से क्रय किया गया है। प्रमाणित बीज के क्रय/भण्डारण उपरांत गुणवत्ता परीक्षण हेतु बीज निरीक्षकों द्वारा रेण्डम आधार पर नमूने लिया जाकर अधिसूचित प्रयोगशाला को प्रेषित किये जाते हैं। प्राप्त परिणाम अमानक होने पर संबंधित बीज प्रदायक संस्था को संबंधित अमानक लॉट का भुगतान नहीं किये जाने का प्रावधान रखा गया है। बीज निगम के स्तर पर पृथक से अधिसूचित प्रयोगशाला से परीक्षण की शर्त नहीं रखी गयी।

(3) नत्रजन, स्फूर एवं पोटेश उर्वरकों का क्रय निगम प्रक्षेत्रों में प्रजनक से आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत निगम के उपयोग हेतु प्राथमिक सेवा साख सहकारी समितियों से सीधे क्रय किया गया है। पेस्टिसाइड व माइक्रोन्यूट्रियेंट का क्रय अनुज्ञप्तिधारी निजी विक्रेताओं से भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार किया गया है। प्राथमिक साख सहकारी समितियों में भण्डारित उर्वरकों तथा अनुज्ञप्तिधारी निजी विक्रेताओं के परिसर में उपलब्ध पेस्टिसाइड, सूक्ष्म तत्व का गुणवत्ता नियंत्रण विभागीय उर्वरक कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। निगम प्रक्षेत्रों में कीटव्याधी का प्रकोप होने के उपरांत आवश्यकता अनुसार इन्हीं प्राथमिक साख सहकारी समितियों/ अनुज्ञप्तिधारी निजी विक्रेताओं से क्रय कर उपयोग किया गया है। अतः निगम स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण की शर्त निर्धारित नहीं की गयी है।

(4) प्रमाणित बीज के पैकिंग हेतु बीजोपचार दवा (थायरम) का क्रय भण्डार क्रय नियम, अंतर्गत निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। क्रय उपरांत कीटनाशी निरीक्षक के माध्यम से अधिसूचित प्रयोगशाला को भेजकर गुणवत्ता परीक्षण की शर्त निर्धारित है।

(ख) प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में सामग्रीवार विवरण निम्नानुसार है:-

(1) प्रजनक बीज के क्रय पश्चात् गुणवत्ता परीक्षण का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

(2) उल्लेखित उत्तर 'क' (2) के अनुक्रम में अन्य संस्थाओं से क्रय किये गये प्रमाणित बीज का परीक्षण बीज निगम द्वारा कराये जाने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता।

(3) प्रश्नांश 'क' के उत्तर 'क' (3) के अनुक्रम में रासायनिक उर्वरक, पेस्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट के क्रय पश्चात् गुणवत्ता नियंत्रण की शर्त निर्धारित नहीं होने से प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

(4) आधार/प्रमाणित बीज की पैकिंग हेतु बीजोपचार दवा (थायरम) का क्रय करने उपरांत, रेण्डम आधार पर कृषि विभाग के कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा नमूना लिया जाकर राज्य कीटनाशी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला राजनांदगांव (अधिसूचित प्रयोगशाला) को भेजकर विश्लेषण कराया गया है।

(ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सामग्रियों के लिये विभाग द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं का विवरण संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मछली पालन हेतु प्रदत्त प्रशिक्षण

[मछली पालन]

16. (*क्र. 772) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मछली पालकों/युवाओं को मछली पालन विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है? यदि

हाँ, तो वर्षवार प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, स्थान एवं व्यय की गई राशि की जानकारी देंगे? **(ख)** उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पश्चात कितने प्रशिक्षणार्थियों ने वास्तविक रूप से मछली पालन कार्य प्रारंभ किया है तथा इससे उनकी औसत वार्षिक आय में कितनी वृद्धि हुई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी हां, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मछली पालकों/युवाओं को मछली पालन विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, वर्षवार प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, स्थान एवं व्यय की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** मछली पालन कार्य में संलग्न 283 हितग्राहियों को कौशल उन्नयन एवं तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। विभाग द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के वार्षिक आय में वृद्धि के संबंध में आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं।

अंत्यावसायी विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

[आदिम जाति विकास]

17. (*क्र. 455) श्री देवेन्द्र यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** अंत्यावसायी विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं एवं कौन-कौन सी योजनाएं बंद हो गई हैं? **(ख)** प्रश्नानुसार पिछले 5 वर्षों में कौन-कौन सी योजनाओं अंतर्गत कितने हितग्राहियों को स्वावलंबी बनाए जाने हेतु शासन द्वारा ऋण (लोन) दिया गया है एवं कितनों ने लोन की राशि जमा कर दी है ? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी “संलग्न प्रपत्र अ” अनुसार है। **(ख)** जानकारी “संलग्न प्रपत्र ब एवं स” अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - दस" \]](#)

कोरबा जिले में कार्यशील बिजली संयंत्रों, कोयला खदानों, कोल वाशरी, पावर प्लांट का निरीक्षण

[आवास एवं पर्यावरण]

18. (*क्र. 120) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या वर्ष 2022 से 30 जनवरी, 2026 तक कोरबा जिला में कार्यशील बिजली संयंत्रों, कोयला खदानों, कोल वाशरी एवं पावर प्लांटों में समय-समय पर निरीक्षण किया गया है? यदि हां तो कब-कब किन-किन स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान नियम विरुद्ध/अवैध कार्य करते पाया गया है? यदि हां, तो किन-किन पर क्या-क्या प्रकरण दर्ज किया गया और क्या कार्यवाही की गयी है? दर्ज प्रकरणों की अद्यतन स्थिति क्या है? निरीक्षणकर्ता समस्त अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित जानकारी वर्षवार उपलब्ध करावें? **(ख)** यदि प्रश्नांक “क” के अनुसार उक्त संस्थाओं पर क्षेत्रीय प्रबंधक, पर्यावरण संरक्षण मंडल कार्यालय, कोरबा द्वारा किसी भी प्रकार का निरीक्षण एवं कार्यवाही नहीं की गयी है तो कारण बतावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी हाँ। जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2026 की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोरबा जिला में कार्यशील ताप विद्युत संयंत्रों, कोयला खदानों तथा कोलवाशरी इकाईयों के निरीक्षण में उल्लंघन की स्थिति पाये जाने पर की गयी कार्यवाही, निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के नाम व पदनाम तथा अद्यतन स्थिति की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांक “क” के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

निजी संस्थाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC)

[आवास एवं पर्यावरण]

19. (*क्र. 701) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या निजी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेज/शापिंग सेंटर को पर्यावरण स्वीकृति (EC) लिया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या नियम/निर्देश/आदेश हैं ? कितने क्षेत्रफल में निर्मित उक्तानुसार संस्थाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होती है? वर्ष 2020 से जनवरी, 2026 तक प्रदेश के रायपुर, दुर्ग व बिलासपुर जिले में उक्तानुसार निर्धारित या अधिक क्षेत्रफल में निर्मित निजी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेज/शापिंग सेंटर संस्था की नामवार, स्वामित्ववार जानकारी दें ? **(ख)** प्रदेश के रायपुर, दुर्ग व बिलासपुर जिले में उपरोक्त अवधि में उक्तानुसार निजी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेज/शापिंग सेंटर में कितनी संस्थाओं को निर्मित क्षेत्रफल के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) लिया जाना अनिवार्य था, कितनों ने लिया व कितनी संस्थाओं द्वारा बाध्यता होने के बाद भी नहीं लिया गया है? संस्थावार जानकारी दें ? **(ग)** विभाग द्वारा कंडिका ख अनुसार संस्थाओं को कब-कब पर्यावरण स्वीकृति (EC) न दिये जाने के संबंध में नोटिस जारी की गई व संस्थाओं द्वारा क्या जवाब दिया गया है? नोटिसवार जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी हाँ। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) दिनांक 14/09/2006 को जारी की गई है। जिसके अनुसार भवन एवं संनिर्माण परियोजनाएँ, जिनका कुल निर्मित क्षेत्र (बिल्टअप एरिया) 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक है, को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, जिनमें विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षिक संस्थाओं के छात्रावास भवन सम्मिलित नहीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05/08/2025 के तारतम्य में नवीन निर्मित किये जाने वाले अस्पताल भवन के अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्टल भवन को भी पर्यावरणीय स्वीकृति के दायरे में लाया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिला-रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में उक्तानुसार निर्धारित या अधिक क्षेत्रफल में निर्मित निजी अस्पताल (स्वतंत्र अस्पताल भवन अथवा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल भवन)/ शापिंग सेंटर संस्था की दिनांक 01/01/2020 से दिनांक 31/01/2026 तक की अवधि की नामवार एवं स्वामित्ववार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ग)** जी नहीं। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होती है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह" \]](#)

बालोद जिले के अंतर्गत पर्यटन स्थलों का विकास

[पर्यटन]

20. (*क्र. 884) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 तक बालोद जिले में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई? पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाओं, सड़क, रोशनी, विश्रामगृह आदि हेतु कितनी राशि व्यय की गई? **(ख)** मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है तथा कब तक पूर्ण होगा?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** प्रश्नांकित अवधि में बालोद जिले के अंतर्गत चिन्हांकित पर्यटन स्थल सियादेवी (नारागांव) में राशि रु. 5.09 लाख स्वीकृत है एवं अन्य स्थलों जैसे ग्राम जगन्नाथपुर बांध के प्राचीन शिव मंदिर तथा ओनाकोना के लिए कुल राशि रु. 15.86 लाख स्वीकृत है। उपरोक्त स्वीकृत राशि में से सियादेवी जलाशय (नारागांव) में ईको टूरिज्म सह बम्बू राफ्टिंग सेंटर का विकास एवं ओना-कोना में ईको-टूरिज्म कैम्पेनिंग कार्य प्रस्तावित है। उपरोक्त चिन्हांकित पर्यटन स्थलों एवं अन्य स्थलों में प्रश्नांकित अवधि में मूलभूत सुविधाओं, सड़क, रोशनी, विश्रामगृह आदि हेतु राशि व्यय नहीं की गई है। **(ख)** पर्यटन विकास कार्य हेतु निम्न कार्ययोजना

पर कार्यवाही की जा रही है:-1. नवीन पर्यटन स्थल चिन्हांकित करने एवं चिन्हांकन की श्रेणी के आधार पर विकास कार्य कराये जाने हेतु जिला प्रशासन से निर्धारित प्रारूपों में प्रस्ताव चाहा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त बजट उपलब्धतानुसार कार्यवाही की जायेगी। 2.चिन्हांकित पर्यटन स्थल एवं उसके आस-पास के दर्शनीय स्थलों के पर्यटन विकास,अधोसंरचना एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु भूमि बैंक की स्थापना हेतु जिला प्रशासन से विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव मांगा गया है। जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त होने उपरान्त बजट उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। 3.जिले के राजमार्गों एवं बाईपास मार्गों में वे साईड एमेनेटिस की स्थापना हेतु जिला प्रशासन से उपयुक्त भूमि की मांग की गई है। उपरोक्त कार्यवाहियों को पूर्ण होने का समय बताया जाना संभव नहीं है।

जिला केसीजी में केंद्र पोषित/ व राज्य पोषित योजना धरतीआबा के अंतर्गत आवेदनों की स्थिति

[मछली पालन]

21. (*क्र. 773) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र पोषित/ प्रवर्तित व राज्य पोषित मत्स्य विभाग के द्वारा संचालित विभागीय योजना व धरती आबा योजना के अंतर्गत मछली बीज उत्पादन, तालाब/जलाशय आधारित मछली पालन तथा केज कल्चर हेतु घटकवार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुआ था? दिनांक 04/02/2026 तक उपरोक्त योजनाओं से केंद्रपोषित, राज्यपोषित योजना लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि कितनी है? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार केंद्रपोषित, राज्यपोषित योजना व धरती आबा योजना के अंतर्गत जिले में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? योजनावार घटकवार, तथा वर्गवार अनुसूचितजाति/जनजाति/अन्य वर्गवार आवेदन सहित जानकारी प्रदान करें? **(ग)** केंद्रपोषित योजना, राज्यपोषित योजना व धरतीआबा के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए थे? कितने आवेदक/ हितग्राहियों के आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान की गई एवं कितने आवेदनों को अस्वीकृत/लंबित रखा गया है? उसका कारण, विवरण क्या है? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र पोषित/ प्रवर्तित व राज्य पोषित मत्स्य विभाग के द्वारा संचालित विभागीय योजना व धरती आबा योजना के अंतर्गत मछली बीज उत्पादन, तालाब/जलाशय आधारित मछली पालन तथा केज कल्चर हेतु घटकवार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं दिनांक 04.02.2026 की स्थिति में लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार केंद्रपोषित, राज्यपोषित योजना व धरती आबा योजना के अंतर्गत जिले में कुल 578 आवेदन प्राप्त हुए। योजनावार, घटकवार तथा वर्गवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांश 'ग' की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बारह" \]](#)

कांकेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना का क्रियान्वयन

[आदिम जाति विकास]

22. (*क्र. 754) श्री आशा राम नेताम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कांकेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धरती आबा योजना अंतर्गत जनजातीय चिन्हांकित ग्रामों में गैप के चिन्हांकन तथा विश्लेषण के आधार पर वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 योजना में संलग्न विभाग द्वारा जनजातीय परिवार के किन-किन हितग्राहियों को पक्का मकान, घरेलू गैस कनेक्शन, मोबाइल नेट क्लोरिन प्रणाली की उपस्थिति पाईप लाईन द्वारा जलापूर्ति, विद्युत कनेक्शन, बारहमासी संपर्क सड़क, जनजातीय

बहुउद्देशीय विपणन केंद्र, वन अधिकार अधिनियम, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, सिकलसेल रोग के उपचार आदि हेतु कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो अद्यतन जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : कांकेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत विकासखंड कांकेर में 44 एवं विकासखंड नरहरपुर में 73 इस प्रकार कुल चिन्हांकित ग्रामों की संख्या 117 है। गैप के चिन्हांकन तथा विश्लेषण के आधार पर वर्षवार तथा विभागवार, गतिविधिवार हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने संबंधी विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार** है।

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत पर्यटन स्थलों में उपलब्ध सुविधाएं

[पर्यटन]

23. (*क्र. 839) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत कितने पर्यटन स्थल हैं? ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार पर्यटन स्थल के नाम सहित जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार उक्त स्थल में पर्यटकों के लिए प्रमुख सड़कों के किनारे एवं अन्य प्रमुख स्थलों में कितने सामुदायिक शौचालय, बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था एवं स्थलों की सुरक्षा हेतु घेराव, साफ/सफाई की क्या व्यवस्था है? जानकारी बिंदुवार, स्थलवार प्रदान करें अगर नहीं तो कब तक उक्त सुविधाएं पूर्ण की जा सकेंगी? **(ग)** उक्त पर्यटन स्थलों की सुरक्षा हेतु क्या पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था की गई है? अगर हां, तो कौन-कौन से स्थल में कितने सुरक्षाकर्मी तैनात हैं? अगर नहीं तो सुरक्षा व्यवस्था कब तक दी जा सकेगी?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा 01 पर्यटन स्थल चिन्हांकित है। जिसके अंतर्गत स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार चिन्हांकित पर्यटन स्थल मैनापाट अंतर्गत स्थित स्थलों में विभिन्न सुविधाओं की बिन्दुवार, स्थलवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र -ब** में अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांक "क" में चिन्हांकित पर्यटन स्थल मैनापाट के दर्शनीय स्थलों की सुरक्षा हेतु पर्यटन विभाग द्वारा कोई सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था नहीं की गयी है, ग्राम कमलेश्वरपुर में स्थित पर्यटन विभाग के सैला रिसॉर्ट एवं करमा एथनिक रिसॉर्ट में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षागार्ड उपलब्ध है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नांक "क" में उल्लेखित दर्शनीय स्थलों की सुरक्षा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं समूहों के सदस्यों के द्वारा की जाती है। जिसका स्थलवार विवरण **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

पाँचवी अनुसूची क्षेत्र में शामिल होने हेतु पात्र तहसीलें

[आदिम जाति विकास]

24. (*क्र. 780) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छत्तीसगढ़ में ऐसी कितनी तहसीलें हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा होने के बावजूद पाँचवी अनुसूची क्षेत्र में शामिल नहीं हैं ? ऐसी तहसीलों के पाँचवी अनुसूची क्षेत्र में शामिल नहीं होने के क्या कारण हैं? उक्त क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने हेतु राज्य सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है और केंद्र सरकार को इस हेतु प्रस्ताव कब तक भेज दिया जाएगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : छत्तीसगढ़ में कबीरधारम जिला में ऐसी 02 तहसीलें

हैं, जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा होने के बावजूद पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में शामिल नहीं है। उक्त तहसीलों को पांचवी अनुसूची क्षेत्र में शामिल किये जाने हेतु प्रस्ताव जिले में तहसील स्तर पर प्रक्रियाधीन है। उक्त जिले से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षण उपरांत सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जावेगा। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जशपुर विधान सभा क्षेत्र में गौ-संरक्षण हेतु पंजीकृत संस्थाएं

[पशुधन विकास]

25. (*क्र. 821) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जशपुर विधान सभा क्षेत्र में गौ-संरक्षण हेतु कौन-कौन सी संस्थाएं संचालित हैं तथा गौ वंश के रख-रखाव हेतु कितनी संस्थाएं पंजीकृत हैं? वर्तमान में कौन-कौन सी पंजीकृत संस्था के पास कितने गोवंश हैं? **(ख)** जशपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में पशुपालकों को दी जा रही सब्सिडी, अनुदान योजना का लाभ कितने हितग्राहियों को दिया गया है? व्यक्तिवार, समूहवार, योजनावार ब्यौरा क्या है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जशपुर विधान सभा क्षेत्र में 02 अपंजीकृत गौशालाएं क्रमशः गोपाल कृष्ण गौशाला जशपुर नगर विकाखण्ड जशपुर एवं जय कृष्ण द्वारिकाधीश गौशाला सामरबार विकासखण्ड बगीचा द्वारा गौ-संरक्षण किया जा रहा है तथा छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं की जानकारी निरंक है। **(ख)** जशपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न अनुदान योजना अंतर्गत पशुपालकों को दी जा रही सब्सिडी का लाभ वर्ष 2023-24 में कुल 462 हितग्राही एवं वर्ष 2024-25 में कुल 227 हितग्राही को दिया गया है। व्यक्तिवार, योजनावार **जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र अनुसार है।** समूहवार जानकारी निरंक है।

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वायल हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत केमिकल खरीदी में भंडार क्रय नियम का उल्लंघन के दोषी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

1. (क्र. 53) श्री राजेश मूणत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) कैलेण्डर वर्ष 2021 से 2023 में कृषि विभाग के स्वायल हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत केमिकल खरीदी में भंडार क्रय नियम के उल्लंघन की प्रारंभिक जांच में दोषी पाये गये अधिकारीगणों के विरुद्ध कार्यवाही पिछले 2 वर्षों से प्रक्रियाधीन है क्यों? (ख) दोषी अधिकारीगणों के विरुद्ध कार्यवाही कब होगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रारंभिक जांच में तत्समय कुल 07 अधिकारी आरोपित किये गये थे। इनमें से 02 अधिकारियों का प्रकरण समाप्त किया जा चुका है तथा शेष 05 अधिकारियों के प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकरणों के प्रक्रियाधीन होने तथा निराकृत होने सम्बन्धी विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत संबंधितों का पक्ष प्राप्त होने, आवश्यक परीक्षण के उपरान्त गुण दोष के आधार पर कार्यवाही हेतु यथावश्यक निर्णय लिया जावेगा। निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

रायपुर नगर में मंडी बोर्ड के तहत स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

2. (क्र. 54) श्री राजेश मूणत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सत्य है कि रायपुर नगर में मंडी बोर्ड के कृषक कल्याण निधि से कार्यों की स्वीकृति हेतु कार्यवाही शासन स्तर पर मार्च, 2025 से प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो इस कार्यवाही को प्रक्रियाधीन होने के क्या कारण है विवरण देवें? (ख) कृपया प्रश्नांक "क" के संबंध में यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि इन कार्यों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किस आधार पर कौन सी तिथि को किसके पास भेजा गया था? आज की स्थिति में यह प्रस्ताव किसके पास विचाराधीन है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) रायपुर नगर में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 44 के खंड (बारह) तथा राज्य विपणन विकास निधि नियम 2018 के नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (झ) के अनुसार कृषक कल्याण निधि से 11 कार्यों हेतु कुल राशि रू. 137.75 लाख की अनुमति दी गई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांक "क" के संबंध में कार्यों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 6177 दिनांक 20.12.2024 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रेषित किया गया था, उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित स्थिति के परिपेक्ष्य में शेष जानकारी निरंक है।

कृषि भूमि के अवैध प्लॉटिंग पर नियंत्रण हेतु जारी दिशा-निर्देश

[वाणिज्यिक कर]

3. (क्र. 151) श्री ओंकार साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विगत दो वर्षों में कांकेर, धमतरी एवं बालोद जिलों में कृषि भूमि को छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर विभिन्न व्यक्तियों के नाम पंजीयन किए गए हैं? यदि हाँ, तो कितने पंजीयन किए गए हैं तथा संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों का विवरण क्या है? **(ख)** क्या कृषि भूमि का इस प्रकार विभाजन कर पंजीयन किया जाना, अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा देने की संभावना उत्पन्न करता है? यदि हाँ, तो इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण हेतु पंजीयन कार्यालयों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं? **(ग)** क्या विगत एक वर्ष में उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा प्रश्नांश 'क' अनुसार पंजीयनों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही तथा लंबित प्रकरणों के कारण सहित जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** विगत दो वर्षों में कांकेर, धमतरी एवं बालोद जिले में कृषि भूमि को छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर विभिन्न व्यक्तियों के नाम पंजीयन किए गए हैं, जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	जिले का नाम	उप पंजीयक कार्यालय	दस्तावेज संख्या
1	कांकेर	कांकेर	490
		भानुप्रतापपुर	98
		अंतागढ़	29
		पखान्जूर	40
2	धमतरी	धमतरी	796
		कुरूद	88
		नगरी	59
3	बालोद	बालोद	352
		गुण्डरदेही	175
		गुरूर	113
		डौण्डीलोहारा	138
		दल्लीराजहरा	32
कुल योग			2410

(ख) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 एवं रजिस्ट्रीकरण नियम 1939 के तहत वैध अथवा अवैध प्लॉटिंग का निर्धारण उप पंजीयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** कृषि भूमि को छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर पंजीयन किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र	जिले का नाम	उप पंजीयक कार्यालय	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निराकृत/लंबित
1	कांकेर	कांकेर	01	निराकृत
		भानुप्रतापपुर	निरंक	निरंक
		अंतागढ़	निरंक	निरंक
		पखान्जूर	निरंक	निरंक
2	धमतरी	धमतरी	निरंक	निरंक
		कुरूद	निरंक	निरंक
		नगरी	निरंक	निरंक
3	बालोद	बालोद	निरंक	निरंक
		गुण्डरदेही	निरंक	निरंक
		गुरूर	निरंक	निरंक
		डौण्डीलोहारा	निरंक	निरंक
		दल्लीराजहरा	निरंक	निरंक

जिला सूरजपुर में वनाधिकार पट्टा का प्रदाय

[आदिम जाति विकास]

4. (क्र. 292) श्री भूलन सिंह मराबी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- जिला सूरजपुर में वन अधिकार पट्टा नियम 2006 के तहत कितने हितग्राहियों को भू-अधिकार पट्टा प्रदाय किया जा चुका है तथा कितने प्रस्तावित हैं? नए नियम के तहत क्या प्रावधान है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जिला सूरजपुर में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत 29841 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 1712 सामुदायिक वन अधिकार पत्र एवं 184 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित/प्रदाय किये गये हैं। वर्तमान में जिला स्तरीय समिति के समक्ष व्यक्तिगत वन अधिकार का 01 दावा/प्रकरण प्रक्रियाधीन है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 वर्तमान में प्रभावशील है, जिसके अनुसार विभिन्न वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया/कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त कोई नए नियम नहीं बनाये गये हैं। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला कांकेर में संचालित बजरंग आयरन एंड इस्पात माइंस से प्रभावित कृषकों को मुआवजा

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (क्र. 320) श्री आशा राम नेताम : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला कांकेर के अन्तर्गत ग्राम चाहचड़ हाहालद्दी में संचालित बजरंग आयरन एंड इस्पात माइंस से निकलने वाले लालपानी से किन-किन किसानों की जमीन प्रभावित हुई ? किन-किन प्रभावित किसानों को मुआवजा की कितनी राशि प्रदान की गई ? **(ख)** क्या प्रदर्शनकारियों के द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव, रोजगार और मुआवजे की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया? किन-किन प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ? **(ग)** क्या बजरंग आयरन एंड इस्पात माइंस प्रबंधन के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :**(क)** मेसर्स बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड की चाहचड़ हाहालद्दी में संचालित खदान से लाल पानी निकलने के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 16/02/2026 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खदान से लाल पानी का निस्सारण नहीं होना पाया गया। साथ ही लाल पानी खेतों में जाने तथा कृषकों के फसल खराब होने जैसी स्थिति नहीं पाई गई है। खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला उत्तर बस्तर कांकेर से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला कांकेर अंतर्गत मेसर्स बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड को वन भूमि कम्पार्टमेंट नंबर 641, 642 के रकबा 75.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क हेतु खनिपट्टा स्वीकृत है, जिससे किसी भी किसान की जमीन प्रभावित नहीं हुई है। अतः मुआवजे की जानकारी निरंक है। **(ख)** खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला उत्तर बस्तर कांकेर से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में पर्यावरणीय प्रभाव, रोजगार और मुआवजे की मांगों को लेकर प्रदर्शन नहीं किया गया है। अतः प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरण की जानकारी निरंक है। साथ ही पुलिस अधीक्षक, उत्तर बस्तर कांकेर से प्राप्त जानकारी अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव, रोजगार और मुआवजे की मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरण की जानकारी निरंक है। **(ग)** खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला उत्तर बस्तर कांकेर से प्राप्त जानकारी अनुसार मेसर्स बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड के माइंस प्रबंधन के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। अतः जानकारी निरंक है। साथ ही पुलिस अधीक्षक, उत्तर बस्तर कांकेर से प्राप्त जानकारी अनुसार बजरंग आयरन एंड इस्पात माइंस प्रबंधन के खिलाफ पंजीबद्ध प्रकरण की जानकारी निरंक है।

अं.चौकी में संचालित केन्द्रीय एकलव्य आवासीय विद्यालय में छात्रा द्वारा आत्महत्या का प्रयास

[आदिम जाति विकास]

6. (क्र. 329) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों की अवधि में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अं.चौकी में संचालित केन्द्रीय एकलव्य आवासीय विद्यालय में अध्यनरत किसी नाबालिग आदिवासी छात्रा द्वारा खुदकुशी करने का प्रयास किया गया ? यदि हाँ तो इनके दोषी कौन-कौन हैं ? दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? **(ख)** क्या प्रश्नांक "क" प्रकरण में जांच टीम गठित की गई है ? यदि हाँ तो जांच प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया ? जांचकर्ता अधिकारियों के नाम पदनाम एवं जांच रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्ध कराने कष्ट करेंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी हां। विगत दो वर्षों की अवधि में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंबागढ़ चौकी में संचालित केन्द्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अध्यनरत 02 छात्राओं के द्वारा फिनाईल का सेवन किये जाने संबंधी प्रकरण संज्ञान में आया है। जांच समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार उक्त दोनों छात्राओं द्वारा निजी/पारिवारिक कारणों से फिनाईल का सेवन किया गया, इसलिये किसी को दोषी नहीं माना गया। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हां। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर जिला कलेक्टर द्वारा गठित समिति के द्वारा दिनांक 22.01.2026 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच रिपोर्ट की छायाप्रति **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह " \]](#)

प्रदेश में पशु चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद

[पशुधन विकास]

7. (क्र. 330) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में कितने पशु औषधालय संचालित हैं और पशु चिकित्सक के कितने पद स्वीकृत हैं? जिलेवार जानकारी देवें ? **(ख)** राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अं.चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले अंतर्गत पशु चिकित्सक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों में से कितने कार्यरत हैं, कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जावेगी ? कृपया विधानसभावार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रदेश में कुल 844 पशु औषधालय संचालित हैं तथा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के 785 पद स्वीकृत हैं! पशु औषधालय की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है** एवं पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के स्वीकृत पद की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।** **(ख)** राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले अंतर्गत पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की विधानसभावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है।** रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह" \]](#)

जिला धमतरी अन्तर्गत मंडी बोर्ड अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

8. (क्र. 352) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला धमतरी अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 04/02/2026 अवधि तक मंडी बोर्ड अन्तर्गत किस-किस प्रकार के कितनी लागत के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई ? इनमें कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? कार्य हेतु निर्माण एजेंसी किनको बनाया गया है? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी

देवें ? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" अवधि में सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर पूर्व सरकार के विभागीय मंत्री द्वारा मंडी बोर्ड अन्तर्गत निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा क्या विधिवत आदेश भी जारी हुआ था ? यदि हाँ, तो कार्यवार लागतवार बतावें ? यदि नहीं तो अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला धमतरी अन्तर्गत वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में दिनांक 04/02/2026 की अवधि तक मंडी अन्तर्गत सी.सी. रोड, शेड, सामुदायिक भवन, ऑक्शन हॉल तथा धान उपार्जन केन्द्रों में 200 मे.टन के गोदाम, पक्का फड़, किसान कुटीर, कवर्ड शेड, बोरवेल सह पंप, इस प्रकार कुल 145 कार्यों की निविदा दर सहित लागत राशि रू. 2206.32 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें से 55 कार्य पूर्ण हो तथा 90 कार्य अपूर्ण है। कार्य हेतु निर्माण एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड है। विधानसभा क्षेत्रवार, कार्यवार, ठेकेदार की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांश "क" की अवधि में स्वीकृति दिए जाने सम्बन्धी अधिकारिता के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह" \]](#)

आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु आबंटित बजट

[आदिम जाति विकास]

9. (क्र. 353) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के 85 आदिवासी विकासखण्ड, जहां आदिवासियों के सम्पूर्ण विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024 से 04/02/2026 तक विभिन्न मदों के कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया था? **(ख)** प्रश्नांश "क" यदि हाँ, तो किन-किन मदों से कितनी राशि स्वीकृत की गई है एवं उक्त राशि से कितने कार्य कराये गये हैं ? वर्षवार एवं मदवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ग)** प्रश्नांश "क" क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत आदिवासी संस्कृति भवनों का निर्माण 85 आदिवासी विकासखण्डों में होना था ? यदि हाँ, तो कितने भवनों का निर्माण हो चुका है, कितने भवनों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है ? यदि निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है तो स्वीकृत राशि को कहां और किन कार्यों में कब खर्च किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के 85 आदिवासी विकासखण्ड जहाँ आदिवासियों के सम्पूर्ण विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024 से 04 फरवरी 2026 तक विभिन्न मद अंतर्गत बजट प्रावधान एवं स्वीकृत कार्य की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ग)** जी नहीं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अठारह" \]](#)

प्रदेश में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

10. (क्र. 367) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** प्रदेश में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं? और कितने पद रिक्त हैं कृपया जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार रिक्त पदों पर कब से भर्ती बंद है और क्यों? जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांक "क" अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए विगत 04 वर्षों में कब-कब प्रस्ताव भेजा गया है? कब-कब स्वीकृति मिली है, और यदि स्वीकृति लंबित है तो इसके क्या कारण हैं? कृपया, जानकारी दें? भर्ती करने की कार्यवाही कब तक की जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 633 पद स्वीकृत है और 232 पद रिक्त है। (ख) शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन हेतु जारी वित्त निर्देश 12/2020 के प्रावधान अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होने के कारण वर्ष 2019 से रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हुई है। (ग) प्रश्नांश 'क' अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु दिनांक 06.09.2023, 20.08.2024, 03.01.2025, 27.02.2025, 21.05.2025, 29.08.2025 एवं 25.11.2025 को प्रस्ताव भेजा गया है। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पदों पर दिनांक 12.12.2025 को वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसकी निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

अभनपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत फसल बीमा की राशि का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

11. (क्र. 386) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खरीफ फसल वर्ष 2023, 2024 व 2025 के दौरान कितने किसानों को फसल क्षति हेतु RBC 6-4 के अंतर्गत कितना अनुदान प्रदान किया गया ? ग्राम पंचायतवार जानकारी दें। (ख) कंडिका (क) अनुसार किसानों में से कितने किसानों ने फसल बीमा कराया था ? क्या उन्हें फसल क्षति पर बीमा की राशि का भुगतान कर दिया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार अभनपुर विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध तहसीलों अभनपुर एवं गोबरा नवापारा अंतर्गत आर.बी.सी.6-4 के तहत खरीफ 2023 में 58 कृषकों को ₹3,85,490.00, खरीफ 2024 में 14 कृषकों को ₹1,18,565.00 एवं खरीफ 2025 में 366 कृषकों को राशि ₹13,81,992.00 का फसल क्षति का मुआवजा प्रदान किया गया। ग्राम पंचायतवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) कंडिका (क) में उल्लेखित कृषकों में से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2023 में 15 कृषकों एवं खरीफ 2025 में 44 कृषकों द्वारा फसल बीमा आवरण प्राप्त किया गया है जबकि खरीफ 2024 में किसी भी कृषक द्वारा फसलों की बीमा नहीं कराया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानानुसार फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज आंकड़े के आधार पर अंतिम दावा की गणना की जाती है, जिसके अंतर्गत अधिसूचित थ्रेसहोल्ड उपज से वास्तविक उपज अधिक होने के स्थिति में दावा भुगतान की पात्रता नहीं बनती है। प्रश्नांश "क" की अवधि में अभनपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित तहसीलों में फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों में थ्रेसहोल्ड उपज से वास्तविक उपज अधिक होने के कारण योजना के प्रावधानों के अध्याधीन बीमा दावा भुगतान नहीं किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]

छत्तीसगढ़ में भारत भवन का निर्माण

[संस्कृति]

12. (क्र. 395) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या छत्तीसगढ़ में भारत भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? भारत भवन का डीपीआर लागत निर्माण वर्ष क्या है? (ख) क्या भारत भवन का निर्माण रायपुर में किया जाना प्रस्तावित है? अगर हाँ तो भारत भवन का निर्माण रायपुर में ही क्यों किया जा रहा है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भारत भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। भारत भवन का डीपीआर लागत राशि रूपये 49,78,73,559 (उनचास करोड़ अठहत्तर लाख तिहत्तर हजार पांच सौ उन्सठ मात्र) एवं निर्माण स्वीकृति पश्चात् किया जायेगा। (ख) जी हाँ, भारत भवन का निर्माण नवा रायपुर

में किया जाना प्रस्तावित है। भारत भवन एक बहुआयामी कला केंद्र के रूप में 'भोपाल स्थित भारत भवन' की तर्ज पर निर्माण किये जाने की महात्वाकांक्षी परियोजना है जिससे प्रदेश भर के कलाकारों और कला-समूहों को समूचित मंच प्राप्त हो सके। यह राज्य स्तरीय संस्था होने के कारण राजधानी रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय के रिक्त भूमि पर इसका निर्माण प्रस्तावित किया गया है जिससे उक्त क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो सके।

RERA द्वारा अनुमत कालोनियों द्वारा EWS हेतु आरक्षित भूमि के आबंटन/ निस्तारण के नियम

[आवास एवं पर्यावरण]

13. (क्र. 405) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** RERA/ग्राम तथा नगर निवेश द्वारा अनुमत कालोनियों द्वारा EWS हेतु आरक्षित भूमि के आबंटन/निस्तारण का ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के क्या नियम हैं ? **(ख)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन स्थानों पर किन-किन बिल्डरों/व्यक्ति/संस्था को आवासीय कॉलोनी की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की गयी है? ग्रामवार, वर्षवार, खसरावार अनुमति प्राप्त कुल रकबे की जानकारी देवें ? **(ग)** कंडिका 2 अनुसार चिह्नांकित कॉलोनियों द्वारा EWS हेतु कितनी-कितनी भूमि सुरक्षित की गई है ? वर्षवार, ग्राम/नगरवार, परियोजनावार, सुरक्षित खसरा व रकबा की जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** रेरा/ नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमत कालोनियों द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. हेतु आरक्षित भूमि के आबंटन/निस्तारण के संबंध में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 2013 एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत आने वाले ग्रामों में छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन एवं शर्तों) नियम 1999 प्रभावशील है। **(ख)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 22 प्रकरणों पर आवासीय कालोनी की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी ग्रामवार, वर्षवार, खसरावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग)** कंडिका 2 अनुसार स्वीकृत कालोनियों द्वारा आरक्षित ई.डब्ल्यू.एस. हेतु आरक्षित भूमि का वर्षवार, ग्राम/नगरवार, परियोजनावार, सुरक्षित खसरा व रकबा की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बीस" \]](#)

महासमुंद जिले में औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित शिकायतों की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

14. (क्र. 531) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** महासमुंद जिले में स्थित करणी कृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड तथा नूतन इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के संबंध में वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? उक्त जानकारी वर्षवार, उद्योगवार बताएं? **(ख)** क्या उक्त उद्योगों के आसपास के क्षेत्रों से फसल खराब होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी देवें ? **(ग)** क्या उक्त उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित मापदंडों का पालन किया गया है? इस संबंध में कब-कब जांच की गई? जांच में क्या कमियां पाई गईं तथा कमियां पाए जाने पर उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रदेश में उद्योगों द्वारा प्रदूषण कम करने हेतु नियमों एवं मापदंडों के पालन, निरीक्षण में कसावट तथा दंडात्मक कार्यवाही से संबंधित क्या कार्ययोजना दिनांक 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में संचालित है? **वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :** **(क)** महासमुंद जिले में स्थापित एवं संचालित मेसर्स करणीकृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-खैरझीटी एवं कौवाझर द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के संबंध में वर्ष 2023 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2024 एवं 2025 में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की वर्षवार एवं उद्योगवार **जानकारी**

संलग्न प्रपत्र - अ अनुसार है। महासमुन्द जिले में मेसर्स नूतन इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड स्थापित एवं संचालित नहीं है। शेषांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) जी हाँ। फसल खराब होने के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को मेसर्स करणीकृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-खैरझीटी एवं कौवाझर, जिला-महासमुंद के विरुद्ध 02 शिकायतें प्राप्त हुई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र - अ के सरल क्रमांक 3 एवं 4 अनुसार** है। (ग) जी हाँ। मेसर्स करणीकृपा पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-खैरझीटी एवं कौवाझर, जिला-महासमुंद द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के तहत ई.एस.पी., बैग फ़िल्टर एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के तहत औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र तथा घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा किये गये निरीक्षण, पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र - ब अनुसार** है। (घ) प्रदेश में उद्योगों में जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार दूषित जल उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) एवं घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/ सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट स्थापित कराये जाते हैं। उपचारित दूषित जल का प्रक्रिया में पुनः चक्रीकरण / पुनः उपयोग कराए जाकर शून्य निस्सारण की स्थिति सुनिश्चित कराया जाता है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर/ बैग फ़िल्टर/ सायक्लोन डस्ट कलेक्टर/ वेट स्क़रबर/ जल छिड़काव की व्यवस्था कराया जाता है। निरीक्षण में कसावट लाने हेतु संचालित लाल श्रेणी के वृहद्/मध्यम उद्योगों का प्रत्येक 06 माह में एवं लघु उद्योगों का प्रत्येक 09 माह में, नारंगी श्रेणी के वृहद्/मध्यम उद्योगों का प्रत्येक 06 माह में एवं लघु श्रेणी उद्योगों का प्रत्येक 12 माह में तथा हरे श्रेणी के उद्योगों का प्रत्येक 24 माह में निरीक्षण का प्रावधान रखा गया है। उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के धारा 31क के तहत नोटिस/संचालन बंद के निर्देश दिए जाते हैं तथा नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। (1) क्रिटीकली पॉल्यूटेड एरिया (उरला, सिलतरा एवं बोरझरा औद्योगिक क्षेत्रों) में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रदूषण कम करने हेतु मैकेनिज्म तैयार की गयी है। (2) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उरला, सिलतरा एवं बोरझरा औद्योगिक क्षेत्रों में स्पंज आयरन एवं कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के नये उद्योगों की स्थापना, वर्तमान उद्योगों के विस्तार पर रोक लगाई गई है। साथ ही उरला, सिलतरा एवं बोरझरा औद्योगिक क्षेत्रों वर्तमान उद्योगों के उन शवलीकरण पर रोक लगाई गई है, जिनमे कोयले का कच्चे माल या ईंधन के रूप में उपयोग किया जाना हो। (3) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा तारपोलीन से ढके वाहनों से परिवहन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) दिनांक 26/06/2024 को जारी की गई है। उक्त दिशा-निर्देश वर्तमान में प्रभावशील है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

रेरा में शिकायतों की अद्यतन स्थिति एवं निराकरण

[आवास एवं पर्यावरण]

15. (क्र. 702) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2025 से रेरा में किस-किस के विरुद्ध कब, किसके द्वारा, क्यों, किसको शिकायत की गई तथा इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है और किन-किन शिकायतों पर कार्यवाही लंबित है? शिकायतवार जानकारी देवें ? **(ख)** रेरा में शिकायत उपरांत कितने दिनों में निराकरण करने के नियम हैं ? रेरा को कंडिका क अनुसार प्राप्त शिकायत अनुसार कितनी शिकायत समय सीमा में निराकृत हुई है और कितनी समय सीमा के पश्चात निराकृत/अनिराकृत हैं ? शिकायतवार जानकारी देवें ? **(ग)** क्या यह सही है कि रेरा द्वारा गोदरेज प्रापर्टी की खरीदी बिक्री पर रोक लगाई है ? जुर्माना किया गया है ? यदि हाँ तो क्या कारण है? विभागीय नियम/निर्देश सहित विवरण देवें ? इसके अतिरिक्त कंडिका क अवधि में किन-किन संस्थाओं पर रोक/जुर्माना की कार्यवाही की गई है? संस्थावार जानकारी देवें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :(क) छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के समक्ष जनवरी 2025 से अब तक कुल 353 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 150 प्रकरण निराकृत किया जा चुका है एवं 203 अनिराकृत है, जो प्राधिकरण के समक्ष प्रक्रियाधीन है। आवेदक/अनावेदक का नाम एवं पता, प्रकरण क्रमांक, दिनांक, कार्यवाही सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 अनुसार है।**(ख) भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा- 29 (4) के तहत उन प्रश्नों पर, जो प्राधिकरण के समक्ष आए, यथासंभव शीघ्रता के साथ, विचार किया जायेगा और प्राधिकरण उनका निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर करेगा: परन्तु जहाँ ऐसे किसी प्रश्न का निपटारा साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है वहाँ प्राधिकरण आवेदन का निपटारा उस अवधि के भीतर न किए जाने के कारण लेखबद्ध करेगा। का प्रावधान। प्रश्नांश 'क' अनुसार प्राप्त कुल 150 निराकृत शिकायतों में में 23 शिकायतें साठ दिन के भीतर निराकृत किया गया है, 127 शिकायतें साठ दिन के पश्चात् निराकृत किया गया है, कुल 203 अनिराकृत शिकायतों में में 144 शिकायतें साठ दिन के भीतर है, 59 शिकायतें साठ दिन के पश्चात् की है, निराकृत/अनिराकृत शिकायतें, आवेदक/अनावेदक का नाम एवं पता, प्रकरण क्रमांक, दिनांक, कार्यवाही सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-3, प्रपत्र-4, प्रपत्र-5, प्रपत्र-6 अनुसार है।**(ग)जी हाँ, यह सही है कि, छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा गोदरेज प्रॉपर्टी के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक एस.एम.-यू.आर.पी.-2025-03033 दर्ज कर क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई है। तथा गोदरेज प्रॉपर्टी से संबंधित विज्ञापन प्रसारित करने के कारण 04 एजेंड्स के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक एस.एम.- यू.एन.आर- 2025-03143 दर्ज कर दिनांक 21-01-2026 को आदेश पारित कर रेरा अधिनियम धारा-9 तथा 10 के उल्लघन के कारण एजेंड्स पर प्रतिदिवस की शास्ति (जब तक की सभी प्लेटफार्म से विज्ञापन आदि हटा लिए जाने सम्बन्धी शपथ पत्र जमा नहीं किया जाता है, अनावेदक पर प्रति दिवस रु. 10,000/- शास्ति अधिरोपित किया गया है, जो कि प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 17,71,00,000/- की 5 प्रतिशत राशि 88,55,000/- से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रश्न "क" अवधि में 14 शिकायतों में प्राधिकरण द्वारा रोक/जुर्माना की कार्यवाही की गई है। आवेदक/अनावेदक का नाम एवं पता, प्रकरण क्रमांक, दिनांक, कार्यवाही सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-7 अनुसार है।**

जिला मुंगेली में आश्रम/छात्रावासों का निर्माण/मरम्मत

[आदिम जाति विकास]

16. (क्र. 748) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला मुंगेली में कितने आश्रम/छात्रावास संचालित है? क्या सभी आश्रम/छात्रावास भवनयुक्त एवं मूलभूत सुविधा के साथ उपलब्ध हैं? आश्रम/छात्रावास का नाम सहित भवनयुक्त/विहीन एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध है/नहीं की जानकारी प्रदान करें? **(ख)** दिनांक 04/02/2026 तक केन्द्र/राज्य/जिला मद से क्या-क्या निर्माण/मरम्मत कार्य कराये गये? कार्यवार भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं कार्य एजेंसी/ठेकेदार का नाम सहित जानकारी प्रदान करें ? केन्द्र/राज्य/जिला मद से कितनी राशि की सामग्री क्रय की गई है? सामग्री क्रय की प्रक्रिया (टेन्डर/कोटेशन/जेम/सीएसआईडीसी) के तहत की गई? सामग्रीवार भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं आपूर्तिकर्ता के नाम सहित जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) जिला अंतर्गत 06 आश्रम तथा 31 छात्रावास इस प्रकार कुल 37 आश्रम छात्रावास संचालित है। जिसमें से 31 आश्रम/छात्रावास भवनयुक्त है एवं 06 छात्रावासों के लिए स्वयं का भवन उपलब्ध नहीं है। सभी 37 आश्रम/छात्रावासों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। भवनयुक्त एवं भवन विहीन संस्थाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-"अ"** अनुसार है। **(ख)** जिला मुंगेली अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल राज्य मद अंतर्गत प्राप्त आवंटन में से दिनांक 04.02.2026 तक 08 छात्रावासों

में मरम्मत/जीर्णोद्धार का कार्य कराये गये है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-“ब”** अनुसार है। केवल राज्य मद से राशि- 3393473.00 की सामग्री क्रय की गई है। सामग्री क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से की गई है। सामग्रीवार भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं आपूर्तिकर्ता के नाम सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र-“स”** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सोन नदी के तटीय क्षेत्रों में राखड़ की अवैध डंपिंग की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

17. (क्र. 763) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुजियाबोड़ जेन सहित सोन नदी के तटीय क्षेत्रों में आरकेएम पावर प्लांट द्वारा की जा रही राखड़ की अवैध एवं नियम विरुद्ध डंपिंग की जांच कर कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर सक्ती को शिकायत की गई है? कृपया जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार प्राप्त शिकायत के आधार पर क्या कार्यवाही कब तक की जाएगी? कृपया जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी हाँ। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला-सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुजियाबोड़ जेन सहित सोन नदी के तटीय क्षेत्रों में आरकेएम पावर प्लांट द्वारा की जा रही राखड़ की अवैध एवं नियम विरुद्ध डंपिंग की जाँच कर कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर सक्ती को शिकायत प्राप्त हुई है। **(ख)** कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला-सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के अनुमति दिनांक 09/01/2026 के द्वारा ग्राम- गुजियाबोड़ स्थित भूमि खसरा नंबर 435/1, 590, 1107/1 कुल रकबा 2.525 हे. भूमि में फ्लाई ऐश डंपिंग करने हेतु अनुमति जारी किया गया है। शिकायत दिनांक 01/02/2026 के संबंध में तहसीलदार हसौद द्वारा अंतरित जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम- गुजियाबोड़ प.ह.नं. 04 में आवेदित भूमि ख.नं. 435/1 एवं 1107/1 में राखड़ डंप होना पाया गया है। शिकायत के शेष बिंदु पर विस्तृत जाँच की आवश्यकता है। जाँच प्रक्रियाधीन है।

बीजापुर जिले में किसानों को प्रदाय किए गए कृषि यंत्रों के क्रय पर अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

18. (क्र. 777) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** बीजापुर जिले में वर्ष 2023-24 से 04 फरवरी, 2026 तक कौन-कौन से कृषि यंत्र किसानों को प्रदान किए गए? कृषि उपकरणों की खरीदी पर अनुदान के कितने प्रकरणों पर, कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई? विकासखण्डवार ब्यौरा देवें? **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार किन-किन कृषि यंत्रों के लिए किस दर पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? **(ग)** कंडिका 'क' के वर्षों के लिए कितने-कितने किसानों के लिए अनुदान दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था? क्या लक्ष्य पूरा किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बीजापुर जिले में वर्ष 2023-24 से 04 फरवरी 2026 तक विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 75 कृषकों को राशि रू. 185.95 लाख का अनुदान प्रदान किया गया है। अनुदान पर प्रदाय किये गये कृषि यंत्रों/उपकरणों तथा भुगतान की गई अनुदान राशि की वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार कृषि यंत्रों/उपकरणों पर देय अनुदान का योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** **(ग)** कंडिका 'क' में उल्लेखित वर्षों में बीजापुर जिले हेतु योजनावार निर्धारित लक्ष्य एवं प्रगति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

नवा रायपुर में निर्मित ट्राइबल म्यूजियम के निर्माण में व्यय राशि

[आदिम जाति विकास]

19. (क्र. 784) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** नवा रायपुर में ट्राइबल म्यूजियम निर्माण हेतु कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई ? कार्यों हेतु स्वीकृत राशि की मदवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" हेतु स्वीकृत राशि से अधिक राशि का व्यय / भुगतान किया गया ? यदि हाँ तो कितनी राशि का अधिक भुगतान किया गया ? अतिरिक्त भुगतान हेतु जारी प्रशासकीय / तकनीकी स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करावें ? **(ग)** क्या प्रश्नांश "क" के म्यूजियम में मूर्तियों का निर्माण / स्थापना किया गया ? यदि हाँ तो इस हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया ? **(घ)** क्या प्रश्नांश "ग" की मूर्तियों के निर्माण तथा डिजिटल कार्यों का भुगतान सिविल ठेकेदार को किया गया ? यदि हाँ तो कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा इस हेतु किस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त की गई ? अनुमति की प्रति उपलब्ध करावें ? **(ङ)** प्रश्नांश "घ" हेतु कार्य पूर्णता और उपयोगिता प्रमाण पत्र कब तथा किस अधिकारी द्वारा जारी किया गया ? प्रमाण पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** नवा रायपुर में छ.ग. जनजातीय संग्रहालय निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 909.58 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यों हेतु प्राप्त स्वीकृत राशि की मदवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** जी नहीं। स्वीकृत राशि से अधिक किसी प्रकार का व्यय/भुगतान नहीं किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हां। उक्त कार्य के लिए राशि रू. 236.30 लाख का भुगतान किया गया है। **(घ)** जी हां। प्रश्नांक "ग" के अंतर्गत मूर्तियों के निर्माण तथा डिजिटल कार्यों का भुगतान सिविल ठेकेदार को किया गया है। कुल राशि रू. 376.87 लाख का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत किया गया है। इस संबंध में मुख्य अभियंता (नोडल अधिकारी), आदिवासी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति की प्रति संलग्न है। **(ङ)** प्रश्नांक "घ" हेतु कार्य उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर द्वारा दिनांक 11.08.2025 को विधिवत जारी किया जा चुका है। उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। शेष कार्य प्रगति पर/मूल्यांकनाधीन होने के कारण पूर्णता प्रमाण पत्र अभी जारी नहीं किया गया है। शेष कार्यों का मूल्यांकन एवं सत्यापन पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस" \]](#)

कृषि उपकरण एवं सामग्री की खरीदी पर व्यय राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

20. (क्र. 787) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 दिनांक 04/02/2026 तक में, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद एवं रायपुर में किसानों को वितरण हेतु कृषि उपकरण एवं सामग्री की खरीदी पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ? क्या खरीदी से पूर्व हितग्राहियों से आवेदन/पंजीयन प्राप्त किए गए थे ? हितग्राहियों के चयन का आधार क्या था ? **(ख)** उक्त अवधि में कृषि उपकरण एवं सामग्री की खरीदी में क्या भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया ? यदि हाँ, तो कितनी मात्रा की खरीदी ई-टेंडर प्रक्रिया से तथा कितनी मात्रा की खरीदी मैनुअल अथवा बिना ई-टेंडर के की गई ? टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित समस्त आपूर्तिकर्ता संस्थाओं के नाम, प्रोपराइटर का नाम एवं चयनित आपूर्तिकर्ताओं का जिला-वार विवरण दें ? **(ग)** क्या यह सत्य है कि बाजार मूल्य की तुलना में अत्यधिक दरों पर कृषि उपकरण एवं सामग्री की खरीदी की गई, जिससे शासन

को आर्थिक क्षति हुई? यदि हाँ, तो बाजार दर एवं क्रय दर का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें? **(घ)** उक्त खरीदी पर किए गए व्यय में कुल कितनी राशि ऑडिट में आपत्तिजनक (ऑडिट आपत्ति योग्य) पाई गई है? कितनी ऑडिट आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है तथा शेष लंबित आपत्तियों के निराकरण न होने का मुख्य कारण क्या है? विस्तार से बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।

रायगढ़ जिले में किसानों को प्रदाय किए गए कृषि यंत्रों के क्रय पर अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

21. (क्र. 792) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायगढ़ जिले में वर्ष 2023-24 से 04 फरवरी, 2026 तक कौन-कौन से कृषि यंत्र किसानों को प्रदान किए गए? कृषि उपकरणों की खरीदी पर अनुदान के कितने प्रकरणों पर, कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई? विधानसभावार जानकारी दें? **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार किन-किन कृषि यंत्रों के लिए किस दर पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? **(ग)** कंडिका 'क' के वर्षों के लिए कितने-कितने किसानों के लिए अनुदान दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था? क्या लक्ष्य पूरा किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? कृपया सम्पूर्ण जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विभागीय योजनाओं की जानकारी विधानसभावार नहीं अपितु विकासखण्डवार संधारित की जाती है। रायगढ़ जिले में वर्ष 2023-24 से 04 फरवरी, 2026 तक 5193 किसानों को कुल 5366 कृषि यंत्र/उपकरणों का वितरण किया गया है। कृषि यंत्रों/उपकरणों के वितरण पर प्रदाय अनुदान की वर्षवार, विकासखण्डवार एवं योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार कृषि यंत्रों/उपकरणों पर देय अनुदान की योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** **(ग)** कंडिका 'क' में उल्लेखित वर्षों में रायगढ़ जिले हेतु योजनावार निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

जांजगीर-चांपा जिले में किसानों को प्रदाय किए गए कृषि यंत्रों के क्रय पर अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

22. (क्र. 794) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2023-24 से 04 फरवरी, 2026 तक कौन-कौन से कृषि यंत्र किसानों को प्रदान किए गए? कृषि उपकरणों की खरीदी पर अनुदान के कितने प्रकरणों पर, कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई? विधानसभावार ब्यौरा दें? **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार किन-किन कृषि यंत्रों के लिए किस दर पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? **(ग)** कंडिका 'क' के वर्षों के लिए कितने-कितने किसानों के लिए अनुदान दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था? क्या लक्ष्य पूरा किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? कृपया सम्पूर्ण जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विभागीय योजनाओं में जानकारी का संधारण विकासखण्डवार किया जाता है। जांजगीर-चांपा जिले में सम्मिलित विकासखण्डों में वर्ष 2023-24 से दिनांक 04 फरवरी, 2026 तक विभागीय योजनाओं के अंतर्गत कुल 11,376 कृषकों को अनुदान पर कुल 11,522 कृषि यंत्रों के वितरण पर राशि ₹2406.86 लाख अनुदान प्रदाय किया गया है। कृषि यंत्रों/उपकरणों की वर्षवार, विकासखण्डवार एवं योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार कृषि यंत्रों/उपकरणों पर योजनावार देय अनुदान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार**

है।(ग) कंडिका 'क' की अवधि में कृषि यंत्रों के वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य, उनके विरुद्ध पूर्ति तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने संबंधी की वर्षवार, योजनवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।**

मंडी बोर्ड के अंतर्गत जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के विकास कार्यों की स्वीकृति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

23. (क्र. 805) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य मंडी बोर्ड के अंतर्गत जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के विकास कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से कुल कितने विकास कार्य, कितनी राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए ? प्राप्त प्रस्तावों में से कितने कार्य स्वीकृत, कितने कार्य लंबित तथा कितने कार्य अस्वीकृत किए गए हैं ? स्वीकृत कार्यों एवं स्वीकृत राशि का विवरण उपलब्ध कराएं ? **(ख)** मंडी बोर्ड द्वारा कितनी-कितनी राशि के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है ? जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** राज्य मंडी बोर्ड के अंतर्गत जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के विकास कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से कुल 63 विकास कार्य, लागत राशि रु. 573.05 लाख के प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्राप्त प्रस्ताव में से 15 कार्य लंबित तथा 48 कार्य अस्वीकृत किए गए। स्वीकृत कार्यों एवं स्वीकृत राशि का विवरण निरंक है। लंबित एवं अस्वीकृत कार्यों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** मंडी बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के किसी भी कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। अतः जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अन्तर्गत संचालित छात्रावास/आश्रम/विशिष्ट संस्थाएं

[आदिम जाति विकास]

24. (क्र. 810) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अन्तर्गत कितने छात्रावास/आश्रम/विशिष्ट संस्थाएं संचालित हैं? संचालित छात्रावास/आश्रमों के लिये वर्ष जनवरी, 2024 से जनवरी, 2026 तक निर्माण/लघु मरम्मत/अनुरक्षण कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि का आबंटन प्रदाय किया गया? **(ख)** प्रश्न "क" अनुसार कौन-कौन से छात्रावास/आश्रम/विशिष्ट संस्थाओं में क्या-क्या निर्माण कार्य कराया गया है? क्या निर्माण कार्यों के लिये निविदा आनलाईन/आफलाइन आमंत्रित की गई थी? जानकारी देवें? **(ग)** कराए गए निर्माण कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण/अद्यतन स्थिति एवं गुणवत्ता परीक्षण की जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत 91 छात्रावास/आश्रम/विशिष्ट संस्थाएं संचालित है। जानकारी **संलग्न "प्रपत्र अ"** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न "प्रपत्र ब"** अनुसार है। हां, भवन निर्माण कार्यों के लिए निविदा ऑनलाईन तथा लघु मरम्मत/अनुरक्षण कार्य के लिए ऑफलाईन आमंत्रित की गई। **(ग)** जानकारी **संलग्न "प्रपत्र ब"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

मत्स्य विभाग के अंतर्गत केच कल्चर की स्थापना

[मछली पालन]

25. (क्र. 811) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अविभाजित राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-चौकी जिले में जनवरी,

2023 से 25-11-2025 तक कल्चर की स्थापना के लिये कौन-कौन सी जगहों पर कहां-कहां कितनी-कितनी राशि की निविदा की गई? वर्षवार बताएं? **(ख)** क्या मत्स्य पालन विभाग द्वारा लाईमस्टोन खदान में केज कल्चर की स्थापना मनगटा, जोरातराई में की गई? उसमें किन-किन मदों से राशि का उपयोग किया गया एवं किन-किन फर्म/एजेंसी को शामिल किया गया? **(ग)** किसी जलाशय/तालाब डबरी के अलावा क्या लाईमस्टोन खदान की गहराई में मछली पालन करने का कोई नियम है? क्या केज कल्चर की शिफ्टिंग की जाती है? यदि हां तो किस आधार पर कहा-कहां शिफ्टिंग की गई है? क्या इसमें कोई अनिमित्यता पाई गई है? यदि हां तो इसमें कौन-कौन अधिकारी लिप्त हैं? लिप्त अधिकारियों के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** अविभाजित राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-चौकी जिले में जनवरी 2023 से 25.11.2025 तक केज स्थापना की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** योजनांतर्गत केज स्थापना के लिए हितग्राही द्वारा भारत सरकार से जारी अधिकृत विक्रेताओं से केज सामग्री क्रय कर केज की स्थापना की जाती है, निविदा जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है। **(ख)** जी हां, मत्स्य पालन विभाग द्वारा लाईम स्टोन खदान में मनगटा एवं जोरातराई में केज स्थापना हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत अनुदान राशि हितग्राहियों को प्रदान की गई है। योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकृत फर्म/एजेंसी की जानकारी **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** **(ग)** जी हां, छ.ग. शासन द्वारा जारी नवीन मछली पालन नीति-2022 के बिन्दु क्रमांक 14 में राज्य में खदानों में मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने प्रावधानित किये गये हैं। विशेष परिस्थिति में सक्षम अधिकारी के स्वीकृति उपरांत केज की शिफ्टिंग की जाती है। उल्लेखित अवधि में जिले में किसी भी केज की शिफ्टिंग नहीं की गई है, इसलिए अनियमितता तथा कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

ई.एस.पी.और आनलाईन सतत् उत्सर्जन मापन प्रणाली अनुसार प्रदूषण के स्तर से उद्योगों की श्रेणी

[आवास एवं पर्यावरण]

26. (क्र. 814) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत स्थापित कितने उद्योगों को ई.एस.पी. (इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर) लगाने के निर्देश विभाग द्वारा कब-कब और किस आदेश के तहत दिये गये थे? **(ख)** ई.एस.पी.(इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर) स्थापना के पश्चात चिमनी में आनलाईन सतत् उत्सर्जन मापन प्रणाली (ओ.सी.ई.एम.एस.)की स्थापना कब-कब की गई? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' अनुसार क्या यह संभव है कि ई.एस.पी या आनलाईन सतत् उत्सर्जन मापन प्रणाली को भी छेड़छाड़ कर डाटा में फेरबदल किया जा सकता है ? यदि हां तो कैसे ? **(घ)** आनलाईन सतत् उत्सर्जन मापन प्रणाली(ओ.सी.ई.एम.एस.) से प्राप्त डाटा अनुसार प्रदूषण के स्तर के हिसाब से किन-किन उद्योगों को किस-किस श्रेणी में रखा गया है? विवरण प्रदान करें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत सम्मति जारी की जाती है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर स्थापित किये जाने की शर्त निहित की जाती है, जिसके अनुपालन में धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित कुल 38 उद्योगों द्वारा ई.एस.पी. (इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर) की स्थापना की गई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कालम 05 अनुसार है।** **(ग)** जी नहीं। अतः शेषांश उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** आनलाईन सतत् उत्सर्जन मापन प्रणाली (ओ.सी.ई.एम.एस.) से प्राप्त डाटा के

अनुसार प्रदूषण के स्तर के हिसाब से उद्योगों की श्रेणी का वर्गीकरण नहीं किया जाता है। अतः शेषांश उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

विशेष पिछड़ी जनजाति को पाँचवी अनुसूची क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया छूट

[आदिम जाति विकास]

27. (क्र. 825) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विशेष पिछड़ी जनजाति को पाँचवी अनुसूची क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया में दी गई छूट का लाभ दिसम्बर, 2023 से लेकर दिनांक 04.02.2026 तक कितने लोगों को मिला है और कितने लोगों की नियुक्ति इस छूट के अंतर्गत की गई है? पात्र लोगों को इस छूट के तहत नियुक्ति का लाभ मिल सके इस, हेतु सरकार क्या कदम उठाए गए हैं और पात्र लोगों को कैसे चिह्नित किया जा रहा है ? उसकी प्रक्रिया है बताएं? साथ ही ऐसी विशेष पिछड़ी जनजाति, जो पाँचवी अनुसूची क्षेत्र में नहीं रहते हैं उनको भी इस, प्रावधान का लाभ मिल सके इस हेतु सरकार क्या कर रही है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : प्रश्नाधीन अवधि में कुल 10 लोगों की नियुक्ति इस छूट अंतर्गत की गई है। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 20.02.2014 अनुसार तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण करते हो, उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्गों के रिक्त पदों पर भर्ती के समय चयन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही सीधे नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु 20 प्रतिशत की सीमा तक विशेष सुविधा प्रदान की गई है, जिसके अनुपालन में पात्र अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन की मेरिट क्रम अनुसार लोगों को चिह्नित किया जाता है। परिपत्र दिनांक 20.02.2014 के कंडिका 05 अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति जिनमें पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पंडो जनजाति शामिल है, के उम्मीदवारों को उनके निवास जिलों में ही जिला स्तरीय तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण करते हो तो उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्गों के रिक्त पदों पर भर्ती के समय चयन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही सीधे नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु उन्हें 20 प्रतिशत की सीमा तक विशेष सुविधा प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस"]

जिला जशपुर में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु किए जा रहे कार्य

[पर्यटन]

28. (क्र. 835) श्रीमती गोमती साय : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जशपुर में वर्ष 2023-24 में 2025-26 में 04.02.2026 तक किन-किन स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? जशपुर के किन-किन पर्यटन स्थलों में उनके उत्थान के लिए क्या-क्या निर्माण कार्य किये जा रहे हैं? विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" में स्वीकृत कार्यों में से किन-किन निर्माण कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है? कौन-कौन से निर्माण कार्य अधूरे हैं? अधूरे निर्माण कार्यों को कब तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है? **(ग)** जिला जशपुर में पर्यटन विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा प्रश्नांकित अवधि में जशपुर जिले के शारदा धाम मंदिर (ग्राम टेढ़ापहाड़, विकासखण्ड दुलदुला) को पर्यटन स्थल के रूप में चिह्नित किया गया है। जिला जशपुर के पर्यटन स्थलों के उत्थान हेतु किये जा रहे कार्यों की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार

है।(ख) प्रश्नांक "क" में स्वीकृत कार्यों में से कोसलापाठ (तमता पहाड़), पथलगॉव में स्वीकृत कार्य अपूर्ण है जिसे 30 मार्च 2026 तक तथा मयाली बगीचा, जिला जशपुर का विकास कार्य 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। शेष सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।(ग) जिला जशपुर में पर्यटन विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

जिला सरगुजा में पंजीकृत लोक कलाकार

[संस्कृति]

29. (क्र. 842) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सरगुजा के अंतर्गत कितने पंजीकृत लोक कलाकार हैं? पंजीकृत सांस्कृतिक दल का नाम, पता सहित कलाकारों की सूची प्रदान करें ? **(ख)** प्रश्नांक (क) अनुसार वर्ष 2021 से 2025 तक की स्थिति में कलाकारों द्वारा दी गयी सांस्कृतिक प्रस्तुति की संख्या कितनी है व कहाँ-कहाँ हुई है? जानकारी प्रदान करें? इनके भुगतान की स्थिति क्या है? अगर भुगतान शेष है तो अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया है? जानकारी प्रदान करें?**(ग)** क्या लोक कलाकारों के लिए पेंशन/आर्थिक सहायता योजना/बीमा सुविधा लागू है? अगर हाँ तो लाभार्थियों की संख्या कितनी है ? ब्लॉकवार जानकारी प्रदान करें ? अगर नहीं तो इस पर क्या कार्य योजना है ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** जिला सरगुजा के अंतर्गत 581 लोक कलाकार चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत हैं। पंजीकृत सांस्कृतिक दल के नाम, पता सहित सूची **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांक (क) अनुसार वर्ष 2021 से 2025 तक की स्थिति में कलाकार दलों को 379 सांस्कृतिक प्रस्तुति स्वीकृत की गई है। कार्यक्रम प्रस्तुति स्थलों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। उक्त कलाकार दलों राशि ₹ 1,57,69,496/- (एक करोड़ सतावन लाख उनहत्तर हजार चार सौ छयानवे) मात्र भुगतान की गई है तथा 2,10,000/- राशि की भुगतान प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2024-25 तक के कार्यक्रमों का भुगतान पूर्ण किया गया है एवं 2025-26 में स्वीकृत कार्यक्रमों की भुगतान प्रक्रियाधीन है। **(ग)** अर्थाभावाग्रस्त लोक कलाकार एवं साहित्यकारों के लिए पेंशन योजना एवं ईलाज हेतु आर्थिक सहायता एवं मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता योजना लागू है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2025 तक की स्थिति में सरगुजा जिले से लाभार्थियों की संख्या निरंक है। उक्त योजना के लाभ हेतु जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा चयन उपरांत सहायता प्रदान की जाती है। पेंशन एवं ईलाज/मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता की राजपत्र प्रकाशित छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

जिला रायगढ़ में कृषि विकास विभाग में संचालित योजनाएं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

30. (क्र. 843) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ में कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित है ? किसानों को क्या-क्या सब्सिडी प्रदान की जा रही है ? विगत 02 वर्षों में कितने किसानों को क्या-क्या उपकरण सब्सिडी के तहत प्रदाय किया गया है ? विकासखंडवार जानकारी दें ? **(ख)** क्या सामग्री वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला रायगढ़ में विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाओं की जानकारी, उक्त योजनाओं में प्रावधानित अनुदान की घटकवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र- स अनुसार** है। विगत दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25) में रायगढ़ जिले के किसानों को अनुदान पर प्रदाय उपकरणों की वर्षवार,

विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- द, प्रपत्र- ई एवं प्रपत्र-फ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित उपकरणों के वितरण में अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

जिला रायगढ़ अन्तर्गत भवन विहिन आश्रमशाला छात्रावास

[आदिम जाति विकास]

31. (क्र. 844) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला रायगढ़ अन्तर्गत कितने आश्रम शाला व छात्रावास, भवन विहिन हैं, कितने नवीन भवन हेतु स्वीकृत है कितने पूर्ण हैं कितने अपूर्ण है ? (ख) छात्रावास व आश्रम शाला का नाम सहित जानकारी देवें, कब तक भवन निर्माण पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत 01 आश्रम शाला व 28 छात्रावास, भवन विहीन है, 11 नवीन भवन हेतु स्वीकृत है जिसमें कोई पूर्ण नहीं है निर्माणाधीन है। 11 अपूर्ण है। (ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

जिला जांजगीर-चांपा में दुग्ध उत्पादन एवं नस्ल सुधार तथा पशुपालकों को अनुदान

[पशुधन विकास]

32. (क्र. 851) श्री ब्यास कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) जंजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कितने पशुओं का नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान किया गया? इसके परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? देशी नस्ल संरक्षण हेतु क्या विशेष योजना संचालित है? (ख) जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में कितने पशुपालकों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिया गया? ग्रामवार, विकासखंडवार जानकारी देवें? दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन एवं कुक्कुट पालन हेतु कितने प्रशिक्षण आयोजित किये गये? आगामी वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र में पशुओं के नस्ल सुधार हेतु वर्ष 2024-25 में 6966 एवं 2025-26 में 5591 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया। उक्त कृत्रिम गर्भाधान के फलस्वरूप प्राप्त मादा वत्स लगभग 03 से 3.5 वर्ष में प्रजनन योग्य होंगे तथा गर्भाधारण पश्चात संतति उत्पादन के बाद दुग्ध उत्पादन में आयेंगे। संतति उन्नत नस्ल की होने के कारण, उनके दुग्धोत्पादन में पिछली पीढ़ी की तुलना में आशातीत वृद्धि होती है। देशी नस्ल संरक्षण हेतु उन्नत भारतीय नस्ल के सांडों (साहीवाल, गिर, रेड सिंधी) के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कार्य तथा उन्नत भारतीय नस्ल के सांडों से नैसर्गिक गर्भाधान का कार्य संचालित है। (ख) जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में 71 पशुपालकों को विभिन्न विभागीय व्यक्तिमूलक योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। ग्रामवार, विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र हेतु विभाग अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन एवं कुक्कुट पालन हेतु पृथक से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, अपितु विभिन्न ग्रामों में आयोजित पशु चिकित्सा शिविरों के माध्यम से कृषको/पशुपालको को तकनीकी पशु पालन से संबंधी जानकारी दी गई है। साथ ही वर्ष 2024-25 में 10 कृषको को कृषक कौशल विकास योजना अंतर्गत आधुनिक तकनीकी पशुपालन का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया है। आगामी वर्ष में पशु चिकित्सा शिविरों एवं कृषक कौशल विकास योजना अंतर्गत पशु पालन संबंधी तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा। [संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

जिला जांजगीर-चांपा में मत्स्य तालाब निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा मत्स्य बीज उत्पादन, वितरण

[मछली पालन]

33. (क्र. 852) श्री ब्यास कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जांजगीर-चांपा जिले में कितने नवीन मत्स्य तालाबों का निर्माण तथा कितने तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया? इस मद में वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई? क्या सभी स्वीकृत कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए गए? यदि नहीं तो क्यों? **(ख)** बजट वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिले में मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए कितनी राशि आबंटित की गई? वर्षवार कितनी मात्रा में मत्स्य बीज का उत्पादन एवं वितरण किया गया? विस्तृत विवरण देवें? क्या स्थानीय बीज उत्पादन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जांजगीर-चांपा जिले में 01 नवीन तालाब का निर्माण किया गया है तथा तालाब जीर्णोद्धार की जानकारी निरंक है। इस मद में वर्षवार राशि व्यय की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। जी हां, सभी स्वीकृत कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए गए हैं। **(ख)** बजट वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिले में मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए आबंटित राशि तथा मत्स्य बीज का उत्पादन एवं वितरण की वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। जी नहीं, स्थानीय बीज उत्पादन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस" \]](#)

जिला सक्ती क्षेत्र अंतर्गत संचालित कृषि उपज मंडी के निधियों में उपलब्ध राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

34. (क्र. 855) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छत्तीसगढ़ में संचालित कृषि उपज मंडी के पास स्थानीय स्तर पर कौन-कौन सी निधियां होती हैं? उक्त निधियों से उपलब्ध राशियों को किन-किन उद्देश्यों के लिए खर्च किया जा सकता है तथा इन खर्चों को तय करने के लिए क्या किसी भी प्रकार प्रक्रिया/नियम/मानक तय हैं ? यदि हाँ तो विवरण देवें। **(ख)** जिला सक्ती क्षेत्र के अंतर्गत कौन - कौन से कृषि उपज मंडी संचालित हैं? विवरण देवें। **(ग)** प्रश्नांक "ख" के अनुसार वर्ष अप्रैल, 2024 से 02 फरवरी, 2026 के दौरान सक्ती जिला के उक्त कृषि उपज मंडी में किन-किन निधियों में कितनी-कितनी राशि उपलब्ध थी ? विवरण देवें। **(घ)** प्रश्नांक "ख" एवं "ग" के अनुसार उपरोक्त समयावधि में सक्ती जिला के उक्त कृषि उपज मंडी में विभिन्न निधियों में उपलब्ध राशियों को किन-किन प्रायोजन में खर्च किया गया ? वर्षवार, कार्यवार विवरण देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** छ.ग. राज्य अंतर्गत संचालित कृषि उपज मंडियों के पास स्थायी निधि, आरक्षित निधि, मंडी निधि, भविष्य निधि एवं अन्य निधि होती है। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 39 में उल्लेखित प्रयोजनों एवं मंडी अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों तथा उपविधि के तहत निधियों का उपयोग मंडी समितियों द्वारा स्वीकृत वार्षिक बजट तथा मंडी बोर्ड द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों एवं निर्माण निर्देशिका और समय-समय पर जारी निर्देश पत्रों के तहत खर्च करती है। **(ख)** जिला सक्ती क्षेत्र अंतर्गत सक्ती, आमनदुला तथा जैजेपुर कृषि उपज मंडी समितियों संचालित है। **(ग)** प्रश्नांक "ख" अनुसार सक्ती, आमनदुला तथा जैजेपुर में संचालित कृषि उपज मंडी समितियों में वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 (02 फरवरी 2026 तक) की अवधि के दौरान विभिन्न निधियों में उपलब्ध राशि का वर्षवार एवं निधिवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। **(घ)** प्रश्नांक "ख" एवं "ग" के

अनुसार उपरोक्त समयावधि में सक्ती जिले के उक्त कृषि उपज मंडी समितियों में विभिन्न निधियों में उपलब्ध राशियों का खर्च जिन प्रयोजनों पर किया गया है उसका वर्षवार, कार्यवार विवरण **संलग्न प्रपत्र ब-अनुसार है।**
[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस"\]](#)

जिला सक्ती अंतर्गत मछली पालन एवं पशुधन विकास विभाग की योजनाओं के लाभांशित हितग्राही
 [पशुधन विकास]

35. (क्र. 856) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला सक्ती अंतर्गत मछली पालन विभाग में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? अप्रैल 2024 से 02 फरवरी, 2025 तक योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों की सूची विकास खण्डवार देवें ? **(ख)** जिला सक्ती अंतर्गत पशुधन विकास विभाग में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? अप्रैल 2024 से 02 फरवरी, 2025 तक योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों की सूची विकास खण्डवार देवें ? **(ग)** जिला सक्ती अंतर्गत पशुधन विकास विभाग अंतर्गत कितने केन्द्र, कहां-कहां संचालित हैं ? स्वीकृत सेटअप अनुसार कितने अधिकारी/कर्मचारी कहां-कहां कार्यरत हैं ? विवरण देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला सक्ती अंतर्गत मछली पालन विभाग में संचालित योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है।** अप्रैल 2024 से 02 फरवरी, 2025 तक योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ब' अनुसार है।** **(ख)** जिला सक्ती अंतर्गत पशुधन विकास विभाग में संचालित योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'स' अनुसार है।** अप्रैल 2024 से 02 फरवरी, 2025 तक योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'द' अनुसार है।** **(ग)** जिला सक्ती में पशुधन विकास विभाग अंतर्गत संचालित 29 केन्द्रों एवं स्वीकृत सेटअप अनुसार कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'य' अनुसार है।**

छत्तीसगढ़ प्रदेश में शालेय छात्रवृत्तियों की पात्रता एवं प्रक्रिया

[आदिम जाति विकास]

36. (क्र. 865) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में किस-किस प्रकार की शालेय छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं? प्रत्येक छात्रवृत्ति हेतु पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज, लागू नियम तथा प्रदान की जाने वाली राशि का विवरण बतायें? **(ख)** क्या शालेय छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया की जटिलता के कारण पात्र छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह जा रहे हैं? दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक कुल छात्र/छात्राओं की संख्या में से पात्र पाए गए छात्र/छात्राओं की संख्या जिलावार बतायें? **(ग)** शालेय छात्र/छात्राओं को समयबद्ध, सुलभ रूप से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए क्या ठोस कार्यवाही/कार्ययोजना अपनाई जा रही है? यदि नहीं, तो कब तक प्रक्रिया को सरल किए जाने का निर्णय लिया जाएगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है।** **(ख)** जी नहीं। पंजीयन प्रक्रियाधीन है। 31 जनवरी 2026 की स्थिति में पात्र विद्यार्थियों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।** **(ग)** जी हां। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"\]](#)

छात्रावासों एवं आश्रमों के रखरखाव, मरम्मत, संधारण एवं रंगाई-पुताई में व्यय

[आदिम जाति विकास]

37. (क्र. 867) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 प्रश्नाधीन अवधि में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ एवं रायपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों एवं आश्रमों के रखरखाव, मरम्मत, संधारण एवं रंगाई-पुताई पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार, मदवार एवं संस्था-वार विवरण देवें? **(ख)** उक्त अवधि में कराए गए कार्यों के लिए किस एजेंसी/ठेकेदार/स्व-सहायता समूह/फर्म को कार्य आदेश जारी किया गया एवं कितनी राशि का भुगतान किया गया ? क्या चयन प्रक्रिया शासन के नियमों के अनुरूप थी? यदि नहीं, तो कारण बताएं ? जानकारी वर्षवार दें। **(ग)** कितने मामलों में बिना तकनीकी स्वीकृति एवं बिना माप पुस्तिका (MB) संधारण के भुगतान किया गया? यदि हां, तो क्यों ? **(घ)** क्या विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन एवं तृतीय पक्ष निरीक्षण (थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन) कराया गया? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘अ’ एवं ‘ब’ अनुसार है। **(ख)** शासन के नियमों के अनुरूप निविदा आमंत्रित कर ठेकेदार के माध्यम से कार्य को कराया गया है। जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 02 कार्यों को जनपद पंचायत के माध्यम से कराया गया है। वर्षवार व्यय/भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘ब’ अनुसार है। **(ग)** सभी कार्यों में तकनीकी स्वीकृति एवं माप पुस्तिका संधारण करने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही की गई है। **(घ)** जी हां, सभी कार्यों का विभागीय (उप अभियंता, सहायक अभियंता) तकनीकी अमले द्वारा भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता/मूल्यांकन के आधार पर ही देयक का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कृषि विभाग के द्वारा किसानों को वितरण करने हेतु उपकरण एवं सामग्री खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

38. (क्र. 868) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर के अंतर्गत कृषि विभाग के द्वारा किसानों को वितरण करने हेतु उपकरण एवं सामग्री खरीदी पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ? क्या खरीदी के पूर्व हितग्राहियों से आवेदन या रजिस्ट्रेशन प्रारंभिक रूप से प्राप्त कर लिया गया था ? हितग्राहियों के चयन का आधार क्या रहा है ? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत कृषि उपकरण एवं सामग्री की खरीदी में भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि की खरीदी ई टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से अथवा कितनी राशि की खरीदी मैनुअल पद्धति या बिना ई टेंडर के माध्यम से की गई ? चयनित आपूर्तिकर्ताओं की संस्थाओं की जानकारी देवें ? **(ग)** प्रश्नांश (क) अंतर्गत विभाग द्वारा किए गए व्यय में कुल कितनी राशि ऑडिट में आपत्ति योग्य (ऑडिट आपत्ति) पाई गई है ? क्या ऑडिट आपत्ति का निराकरण अब तक कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो इसका मुख्य कारण क्या है, विस्तार से बताएं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क), (ख) एवं (ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।

सरकार द्वारा विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों एवं वित्त विभाग द्वारा विभिन्न बैंको से ऋण
[वित्त]

39. (क्र. 872) श्री इंद्र साव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस-किस प्रकार के उपकर लगाए जा रहे हैं? लगाए जा रहे प्रत्येक उपकर का उद्देश्य क्या है और इस प्रकार एकत्रित धनराशि के वितरण की क्या प्रणाली है? जनवरी, 2024 से प्रत्येक उपकर से उपकरवार, वर्षवार कितनी धनराशि एकत्रित की गई है? **(ख)** 01 जनवरी 2024 से लेकर जनवरी, 2026 तक केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को विभिन्न कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है ? **(ग)** जनवरी 2024 से लेकर जनवरी, 2026 तक वित्त विभाग द्वारा विभिन्न कार्य एवं प्रयोजनों के लिए कब-कब, किन-किन बैंकों/फर्म से कुल कितना कर्ज (ऋण) लिया गया है ? जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** प्रश्नांश 'क' की जानकारी संलग्न "प्रपत्र अ" अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश 'ख' की जानकारी संलग्न "प्रपत्र अ" अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांश 'ग' की जानकारी संलग्न "प्रपत्र ब" अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"\]](#)

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित आवास
[आवास एवं पर्यावरण]

40. (क्र. 876) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्मित हाउसिंग बोर्ड द्वारा कितने स्थानों में आवासों का निर्माण किया गया है? जिसमें कितने स्थानों पर प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और कितने स्थानों पर अविकसित है? वस्तुस्थिति की जानकारी दें। **(ख)** उक्त आवासों में पेयजल समस्या/विद्युत समस्या/जल निकासी /सड़कों की समस्या/गार्डन/खेल मैदान की समस्या का निराकरण कब तक किया जावेगा? इस संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो जानकारी दें। **(ग)** क्या हाउसिंग बोर्ड द्वारा उद्यान/खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई, यदि हां तो उसके रखरखाव के लिये कोई कार्ययोजना है? जानकारी दें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निर्मित हाउसिंग बोर्ड द्वारा 11 स्थानों में आवासों का निर्माण किया गया है, जिसमें से 10 स्थानों पर प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और 01 स्थान पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** उक्त आवासों में पेयजल समस्या/विद्युत समस्या/जल निकासी /सड़कों की समस्या/गार्डन/खेल मैदान की समस्या का निराकरण यथासमय किया जा रहा है। **(ग)** जी हां, हाउसिंग बोर्ड द्वारा उद्यान/खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हस्तांतरित कॉलोनियों में उद्यान/खेल मैदान का रख-रखाव नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा किया जा रहा है, एवं अहस्तांतरित कॉलोनियों में जन सुविधाओं का रख-रखाव मंडल द्वारा किया जा रहा है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"\]](#)

रामवनगमन परिपथ अंतर्गत चिन्हांकित स्थलों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति
[पर्यटन]

41. (क्र. 880) श्री अजय चंद्राकर : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 31 जनवरी, 2026 की स्थिति में रामवनगमन परिपथ अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने स्थानों का चयन किया गया है तथा इसके चयन समिति में कौन-कौन अध्यक्ष व सदस्य थे तथा किस आधार पर इन स्थलों का चयन किया गया? **(ख)** प्रश्नांक **(क)** परिपथ अंतर्गत किन-किन स्थलों पर किनकी-किनकी प्रतिमा लगायी गयी है? व कितना शेष है? तथा उन प्रतिमा का डिजाईन, ड्राईंग, एसओआर, कार्यावधि व प्रतिमा का दिशा उनका स्वरूप एवं

उसकी लाईफ का निर्धारण किस प्रकार किया गया? इन कार्यों के लिये टेंडर कब हुआ? कार्य एजेंसी कौन-कौन है तथा जो कार्य एजेंसी तय किये गये हैं उनका कार्य अनुभव इन कार्यों हेतु कितना था? यदि नहीं तो किस आधार पर उन एजेंसियों को तय किया गया? **(ग)** उक्त परिपथ अंतर्गत चिन्हांकित स्थलों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति क्या है तथा लगाये गये या लगने वाले प्रतिमा हेतु कितने राशि का वित्तीय व्यवस्था रखी गयी थी तथा कितनी राशि किन-किन प्रतिमा के लिये, किन-किन कार्यों हेतु, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? **(घ)** क्या उक्त परिपथ अंतर्गत चंदखुरी में लगाये गये श्री प्रभु श्रीराम जी की प्रतिमा का सोशल ऑडिट/जांच के संबंध में विभागीय मंत्री द्वारा कोई घोषणा की गयी है यदि हां तो कब और कहाँ की गयी? क्या घोषणा के परिपालन हो गया है? यदि हां तो उसके अंतर्गत क्या-क्या क्रियान्वयन अब तक किया गया है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** दिनांक 31 जनवरी 2026 की स्थिति में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 10 स्थलों का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग के आदेश क्रमांक 991/33/2019, नवा रायपुर, दिनांक 13.11.2019 के द्वारा समिति का गठन किया गया है। जानकारी संलग्न **प्रपत्र -अ** अनुसार है। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास नई दिल्ली के तत्कालीन निदेशक डॉ. राम अवतार शर्मा जी द्वारा पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर लिखी शोध परक पुस्तक “जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के” तथा छत्तीसगढ़ के डॉ. मन्नुलाल यदु, डॉ. हेमु यदु द्वारा लिखी गई शोध परक पुस्तक “छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ” के आधार पर स्थल चयन किया गया। **(ख)** राम वनगमन परिपथ के अंतर्गत चिन्हांकित स्थलों में राजिम, शिवरीनारायण, सीतामढ़ी -हरचौका, रामगढ़, मुकुन्दपुर-नगरी, चन्दखुरी एवं चम्पारण्य में प्रभु श्री राम की प्रतिमा लगाई गई है। मुकुन्दपुर नगरी में सप्तऋषियों की प्रतिमा एवं शिवरीनारायण में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण एवं माता शबरी की प्रतिमा भी लगाई गई है। प्रतिमा लगाने की कोई भी कार्य शेष नहीं है। प्रतिमाओं का डिजाईन ड्राईंग, एस.ओ.आर., स्वरूप, दिशा एवं उनकी लाईफ का निर्धारण अनुबंधित एजेंसी टी.सी.आई.एल. एवं वापकॉस द्वारा तैयार किये गए डी.पी.आर. के आधार पर किया गया है। इन कार्यों के लिए टेंडर, कार्य एजेंसी, एजेंसी का कार्य अनुभव तथा एजेंसी चयन के आधार की जानकारी **संलग्न प्रपत्र -ब** में अनुसार है। **(ग)** राम वनगमन परिपथ के अंतर्गत चिन्हांकित स्थलों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति **संलग्न प्रपत्र -स** अनुसार है। चिन्हांकित स्थलों में लगायी गई प्रतिमा की वित्तीय व्यवस्था एवं व्यय राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र -द** अनुसार है। **(घ)** तत्कालीन मा. पर्यटन मंत्री जी, द्वारा दिनांक 09.02.2024 को विधानसभा सत्र फरवरी 2024 में आश्वासन क्र.05 अन्तर्गत राम वन गमन पर्यटन परिपथ के निर्माण कार्य में हुए अनियमितता के संबंध में सोशल ऑडिट समिति से जाँच कराने हेतु आश्वासन दिया गया था। उक्त आश्वासन के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक GENCOR-35/75/2024-GAD-5, दिनांक 10/01/2025 के द्वारा सोशल ऑडिट समिति का गठन किया गया आदेश **संलग्न प्रपत्र -इ** अनुसार है। उक्त परिपथ अंतर्गत चंदखुरी में लगाए गये प्रभु श्रीराम की नवीन मूर्ति निर्माण हेतु अनुबंधित एजेंसी को पत्र जारी किया गया तथा एजेंसी द्वारा प्रभु श्री राम की नई मूर्ति का निर्माण कर लिया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"\]](#)

गो-वंश संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ/कार्यक्रम

[पशुधन विकास]

42. (क्र. 888) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में वर्तमान में पंजीकृत एवं अपंजीकृत गो-शालाओं की कुल संख्या कितनी है? कृपया जिलावार जानकारी दें। **(ख)** गो-वंश संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ/कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं तथा वर्ष 2024-25 में इसके लिए कितनी राशि आवंटित एवं व्यय की गई है? जिलेवार जानकारी दें। **(ग)** गो-शालाओं में चारा, पानी, पशु-चिकित्सा एवं टीकाकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं की

उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है? **(घ)** निराश्रित एवं सड़कों पर विचरण करने वाले गो-वंश की पहचान, पकड़ एवं संरक्षण के लिए क्या ठोस कार्ययोजना लागू की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** राज्य में वर्तमान में 135 पंजीकृत एवं 54 अपंजीकृत, इस प्रकार कुल 189 गौशालाएं हैं। जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र - 'अ' अनुसार है। (ख)** गौवंश संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग द्वारा गौशाला का पंजीयन तथा गौधाम योजनांतर्गत गौधाम का पंजीयन किया जाता है। वर्ष 2024-25 में 135 पंजीकृत गौशालाओं को उनकी मांग अनुसार राशि रू. 1922.00 लाख अनुदान, आदर्श गौधाम एवं गोकुल ग्राम झालम, जिला बेमेतरा में संरक्षित पशुधन हेतु राशि रू. 29.75 लाख प्रदाय किया गया है एवं 11 पंजीकृत गौधामों को अद्यतन प्रदाय राशि निरंक है। पंजीकृत गौशालाओं को प्रदाय अनुदान राशि की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र - 'ब' अनुसार है।** गो-वंश संवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, शत-प्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण योजना एवं उन्नत मादा वत्सपालन योजना संचालित किए जा रहे हैं तथा वर्ष 2024-25 में उक्त कार्यक्रम/योजना अंतर्गत आबंटित राशि एवं व्यय की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र - 'स' अनुसार है। (ग)** गौशालाओं में चारा, पानी, पशु चिकित्सा एवं टीकाकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधन) के नियम 11 (11) के अनुसार छ.ग. गौ सेवा आयोग क्रियान्वयन समिति की बैठक में अनुमोदन पश्चात् गौशालाओं को पोषण आहार, शेड निर्माण, पेयजल एवं अन्य मद में नियमानुसार अनुदान दिया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम राशि रू. 25.00 लाख प्रति संस्था प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। **(घ)** निराश्रित एवं सड़कों पर विचरण करने वाले गौवंश की पहचान एवं पकड़ हेतु पशुओं में रेडियम पट्टी लगाया जाता है तथा गौवंशों के संरक्षण हेतु गौधाम योजना संचालित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

सहकारिता एवं निजी क्षेत्रों के लक्ष्य के विरूद्ध उर्वरकों का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

43. (क्र. 891) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा के प्रश्न क्रं. 57 (क्रं.341) दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के उत्तर में सहकारिता तथा निजी क्षेत्र का योगदान क्रमशः 62 प्रतिशत तथा 38 प्रतिशत है? **(ख)** कृषि विभाग द्वारा खरीफ एवं रबी 2025 फसलों के लिए सहकारिता एवं निजी क्षेत्रों के लक्ष्य के विरूद्ध उर्वरकों का वितरण की जानकारी जिलेवार दें? **(ग)** उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार के किन किन कंपनियों से कितनी-कितनी मात्रा में उर्वरक छत्तीसगढ़ शासन को, सहकारिता एवं निजी क्षेत्र को प्राप्त हुआ? उर्वरकवार जानकारी दें? क्या केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित उर्वरक के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने के लिए उर्वरक(नियंत्रण) आदेश 1985 अधिसूचित का समुचित पालन किया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी हाँ, प्रश्नानुसार जानकारी दी गई है। **(ख)** कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2025 के लिए सहकारिता एवं निजी क्षेत्र हेतु क्रमशः 9,49,910 एवं 5,12,090 मेट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध पूर्व मौसम (रबी वर्ष 2024-25) की बचत उर्वरक सम्मिलित करते हुए सहकारिता एवं निजी क्षेत्र से क्रमशः 8,82,978 एवं 5,79,854 मेट्रिक टन उर्वरक का उठाव हुआ है। रबी 2025-26 के लिए सहकारिता एवं निजी क्षेत्र हेतु क्रमशः 3,70,000 एवं 1,98,000 मेट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य निर्धारित है जिसके विरूद्ध दिनांक 12 फरवरी, 2026 तक सहकारिता एवं निजी क्षेत्र से क्रमशः 67,739 एवं 2,58,587 मेट्रिक टन उर्वरक का उठाव हुआ है। जिलावार, मौसमवार सहकारी एवं निजी क्षेत्र हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उठाव की उर्वरकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार**

है।(ग) प्रश्नांश "ख" अनुसार उर्वरकों के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिये जारी सप्लाई प्लान अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम एवं निजी आपूर्तिकर्ता कंपनियों द्वारा सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में खरीफ 2025 में क्रमशः 7,21,290 एवं 5,43,007 मे.टन तथा रबी 2025-26 में (दिनांक 12 फरवरी, 2026 तक) क्रमशः 2,36,371 एवं 4,78,452 मे.टन रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति की गई है। सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में आपूर्ति की गई उर्वरक मात्रा की कंपनीवार, उर्वरकवार **जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।** रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन एवं आपूर्ति के संदर्भ में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का अनुपालन केन्द्र सरकार से संबंधित है, कृषि विभाग, छ.ग. द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 अंतर्गत वितरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है।

राजनांदगांव जिले में लोक मंडई महोत्सव के आयोजन हेतु राशि स्वीकृत की जानकारी

[संस्कृति]

44. (क्र. 892) श्री दलेश्वर साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिले में लोक मंडई महोत्सव के आयोजन हेतु राशि स्वीकृत की जाती है ? यदि हाँ, तो क्या वर्ष फरवरी, 2025 में कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव द्वारा लोक मंडई महोत्सव के आयोजन के लिए राशि स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संचालक संस्कृति को प्रेषित किया गया था ? यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव में किन-किन दस्तावेजों की कमी या अन्य कारण से राशि स्वीकृत नहीं की जा सकी है एवं विभाग द्वारा कब-कब पत्राचार किया गया है? क्या वर्ष 2026 में लोक मंडई महोत्सव के आयोजन के संबंध में राशि स्वीकृति हेतु कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हाँ, उस पर क्या कार्यवाही की गयी है एवं स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जावेगी, जानकारी दें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिले में लोक मंडई महोत्सव के आयोजन हेतु राशि स्वीकृत की जाती है। वर्ष फरवरी, 2025 में कार्यालय कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव द्वारा लोक मंडई महोत्सव के आयोजन के लिए राशि स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संचालक संस्कृति को प्रेषित किया गया है। उस प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिये गये राशि रू. 15.00 लाख (रू. पंद्रह लाख) मात्र का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र (GFR 19) एवं सी.ए. द्वारा प्रमाणित अंकेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त था। जिसके कारण वर्ष 2025 में राशि विमुक्त नहीं किया जा सका। विभाग द्वारा उक्त संबंध में पत्र क्रमांक 6672, दिनांक 23.07.2025, 7382, दिनांक 08.10.2025, क्र. 8036, दिनांक 02.12.2025, 8397, दिनांक 16.01.2026 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र (GFR 19) एवं सी.ए. द्वारा प्रमाणित अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव को पत्र प्रेषित किया गया है। हां दिनांक 29.01.2026 को कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव से प्राप्त हुआ, तत्पश्चात् वर्ष 2026 में लोक मंडई महोत्सव के आयोजन हेतु कलेक्टर जिला-राजनांदगांव को राशि रू. 8.00 लाख (रू. आठ लाख) मात्र का आबंटन जारी किया गया है।

प्रदेश के आश्रम /छात्रावासों में होमगार्ड एवं नर्स की नियुक्ति

[आदिम जाति विकास]

45. (क्र. 895) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कुल कितने आश्रम /छात्रावास संचालित हैं, जहां पर होमगार्ड एवं नर्स की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है ? (ख) प्रश्न (क) के विरुद्ध कितने आश्रम /छात्रावासों में होमगार्ड एवं नर्स कार्यरत हैं तथा जिन आश्रम छात्रावासों में कार्यरत नहीं है, वहां पर कब तक नियुक्ति कर दी जाएगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में विभाग द्वारा कुल 1306 कन्या

आश्रम/छात्रावास संचालित है। जहाँ होमगार्ड की पदस्थापना की जाती है। उक्त कन्या आश्रम/छात्रावासों में महिला होमगार्ड की पदस्थापना का प्रावधान है। नर्स की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। (ख) जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्न (क) के विरुद्ध 1193 कन्या आश्रम/छात्रावासों में महिला होमगार्ड कार्यरत हैं एवं 113 कन्या आश्रम/छात्रावासों में कार्यरत नहीं हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में स्वीकृत पद

[आदिम जाति विकास]

46. (क्र. 896) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल कितने लोग कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? (ख) संबंधित आयोग में पद रिक्त होने के क्या कारण हैं तथा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) श्री जी.आर. परसे, विशेष सहायक/शीघ्रलेखक ग्रेड-01 का दिनांक 10.09.2025 को निधन होने के कारण पद रिक्त है। आयोग के स्वीकृत पद प्रतिनियुक्ति अथवा अतिशेष स्टाफ से किये जाने का प्रावधान है। रिक्त पदों की पूर्ति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान का क्रियान्वयन

[आदिम जाति विकास]

47. (क्र. 899) सुश्री लता उसेंडी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत शासन द्वारा किन-किन प्रमुख बिंदुओं/ विभागों के विकास हेतु कार्य किया जाना प्रस्तावित है एवं कार्य चयन का मापदंड क्या था एवं उक्त अभियान हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है ? (ख) बस्तर संभाग अंतर्गत धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिलों द्वारा कितने प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए गए हैं ? उस पर शासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ? जिलेवार, आबंटनवार संपूर्ण जानकारी दें ? (ग) बस्तर संभाग अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कितनी राशि विगत 03 वर्षों में कितने कार्यों हेतु स्वीकृत की गई ? (घ) कोंडागांव जिले आदिम जाति विकास विभाग अंतर्गत कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद अभी भरे हैं एवं रिक्त पद की जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट गाईडलाईन अनुसार विभागवार स्वीकृत गतिविधियों की जानकारी एवं 500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है तथा आकांक्षी जिलों के गांव जहां 50 से अधिक अनु. जनजाति के सदस्य निवासरत है। उन्हें इस अभियान में सम्मिलित किया गया है। गाईडलाईन के अनुसार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में अधोसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका जैसे क्षेत्रों में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण और जनपहुंच गतिविधि, जिसमें जनजाति क्षेत्रों और समुदायों का समग्र और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करते हुए क्रिटिकल गैप्स के संतुष्टिकरण की संकल्पना अनुसार कार्य/ गतिविधि/लक्ष्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया गया है। अभियान में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गतिविधियों के अंतर्गत विभागवार अनुमानित प्रस्तावित

राशि रु. 165621.97 लाख है। विभागों से प्राप्त **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) बस्तर संभाग अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा राशि रु. 15365.60 लाख विगत 03 वर्षों में 85 निर्माण कार्यो हेतु स्वीकृति की गई। जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है। (घ) कोंडागांव जिले में आदिम जाति विकास विभाग अंतर्गत 900 पद स्वीकृत हैं, 542 पद अभी भरे हैं एवं 358 रिक्त पद है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से संबंधित

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

48. (क्र. 900) सुश्री लता उसेंडी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वर्तमान में राज्य में कितने कृषि महाविद्यालय स्थित हैं, कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्या मापदंड प्रस्तावित है? कोंडागांव जिले अंतर्गत कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु क्या शासन को कोई प्रस्ताव/ पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें? **(ख)** वर्ष 2021-22 से 31.01.2026 तक कृषि एवं उद्यानिकी विभाग अंतर्गत कितना आबंटन किस-किस कार्य हेतु प्राप्त हुआ है, जानकारी देवें? **(ग)** वर्ष 2021-22 से दिनांक 31.01.2026 तक कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा शासन को किन-किन कार्यो हेतु संबंधित विभाग/ जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग पत्र प्रेषित किया गया है एवं उस पर शासन द्वारा की गई जानकारी से अवगत करावें? **(घ)** विगत 3 वर्षों में विभाग द्वारा कोंडागांव जिले में कितने शासकीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या उक्त आयोजन हेतु किसी भी प्रकार का बकाया शेष है यदि हां तो संबंधित जिम्मेदार पर की गई कार्यवाही एवं भुगतान की अध्यातन स्थिति से अवगत करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वर्तमान में राज्य में 25 शासकीय एवं 07 निजी कुल 32 कृषि महाविद्यालय स्थापित है, कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु निर्धारित मापदंड **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** हों कोण्डागांव जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र-कोण्डागांव (83) द्वारा प्रस्ताव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ था। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न कृषि महाविद्यालयों में विगत 5 शैक्षणिक सत्रों यथा वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में स्नातक पाठ्यक्रम (बी.एस.सी कृषि) में प्रवेश क्षमता से कम विद्यार्थियों के प्रवेश लेने, रिक्त सीटों तथा समीपस्थ बस्तर एवं कांकेर जिलो में पूर्व से कृषि महाविद्यालय स्थापित होने के दृष्टिगत नवीन कृषि महाविद्यालय नहीं खोलने के संबंध में प्राप्त अभिमत के कारण कोण्डागांव जिले में नवीन कृषि महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** वर्ष 2021-22 से 2025-26 (31.01.2026 तक) कृषि एवं उद्यानिकी विभाग अंतर्गत कोंडागांव जिला हेतु योजनावार प्राप्त आबंटन की जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है। (ग)** प्रश्नावधि में संचालनालय कृषि की जानकारी निरंक है। जिला कोंडागांव में संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत विभाग/जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित मांग एवं उस पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ अनुसार है। (घ)** विगत 3 वर्षों में कोंडागांव जिले में आयोजित किये गये कार्यक्रमों की जानकारी एवं भुगतान का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क एवं प्रपत्र-ख अनुसार है।**

राज्य में उपज का समर्थन मूल्य में क्रय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

49. (क्र. 905) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** छ0ग0 राज्य में कृषि विभाग के द्वारा कौन-कौन से उपज को समर्थन मूल्य में क्रय किये जाना निश्चित

किया गया है, वर्ष 2022-23 से अब तक निर्धारित समर्थन मूल्य सहित जानकारी देंगे ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** छ.ग. राज्य में कृषि विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत दलहनी एवं तिलहनी फसलों (अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मसूर, सरसों) का उपार्जन केन्द्रीय प्रापण संस्थाओं यथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. (नेफेड) एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्या. (एनसीसीएफ) के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त फसलों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा इसके विरुद्ध कृषको द्वारा विक्रय हेतु प्रस्तुत मात्रा के उपार्जन की वर्षवार फसलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"\]](#)

प्रदेश में छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्राओं को भुगतान

[आदिम जाति विकास]

50. (क्र. 909) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में वर्ष 2025-26 में आदिम जाति कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति हेतु कितने छात्र/छात्राएं पात्र पाए गए और कितनी राशि का भुगतान किया गया? एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. वर्गवार/जिलेवार जानकारी देंगे? छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति का मापदण्ड क्या है? **(ख)** क्या छात्रवृत्ति भुगतान करने में विलम्ब हुआ है? यदि हां तो क्यों एवं कितने छात्र/छात्राओं को कब से भुगतान लंबित है? जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' हेतु वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक केन्द्र से कितनी राशि प्राप्त हुई? राज्यांश कितना सम्मिलित किया गया? कितनी राशि भुगतान की गई? कितनी राशि भुगतान हेतु क्यों शेष है? वर्षवार जानकारी बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रदेश में वर्ष 2025-26 में आदिम जाति कल्याण विभाग से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्राएं एवं भुगतान की गयी राशि की वर्गवार एवं जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है।** पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का मापदण्ड की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।** **(ख)** जी नहीं। वर्ष 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** **जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"\]](#)

बालको संयंत्र कोरबा द्वारा फ्लाईएश के उत्सर्जन एवं निष्पादन की शिकायत पर कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

51. (क्र. 913) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालको संयंत्र कोरबा द्वारा उत्सर्जित फ्लाईएश के निपटान की प्रक्रिया क्या है? संयंत्र द्वारा जनवरी 2024 से फरवरी 2026 तक कुल कितना फ्लाई एश का उत्सर्जन किया गया? माहवार जानकारी देंगे? **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार फ्लाई एश के निष्पादन हेतु किस स्थान की अनुमति कब, कितनी मात्रा के लिए दी गई, तथा इन चिन्हांकित क्षेत्रों में कितनी-कितनी मात्रा का निष्पादन उक्त स्थलों (ऐश डाइक) में किया गया? माहवार जानकारी देंगे? फ्लाई एश उत्सर्जन एवं निष्पादन हेतु एनजीटी एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा क्या नियम वर्तमान में प्रभावशील हैं? तथा इस संबंध में किस अधिकारी के द्वारा कब जांच की गई? क्या निष्कर्ष दिए गए? क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** कंडिका 'क' अनुसार फ्लाई एश निष्पादन हेतु उक्त अवधि में किसे, किस आधार पर व कब कार्य

दिया गया? उनके द्वारा कितने फ्लाई ऐश का परिवहन किया गया, उन्हें कितना भुगतान किया गया? माहवार, फर्मवार व निष्पादन मात्रावार जानकारी दें? उक्त कार्य के लिए प्राप्त भुगतान के एवज में कितना जी.एस.टी. जमा किया जाना था? कितना जमा किया गया? कितनी राशि जमा किया जाना शेष है? **(घ)** कंडिका 'क' हेतु किनके द्वारा, प्रश्नांकित अवधि में कब-कब क्या शिकायत की गई व उन पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** बालको कोरबा के ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा जनित फ्लाई ऐश का निपटान साइलो में भण्डारित कर/स्लरी पाइप लाइन के माध्यम से राखड बांध में भण्डारित कर इसका उपयोग सीमेंट प्लांट में, फ्लाई ऐश ईट निर्माण करने, निचले क्षेत्रों के भू-भराव में, खदान भराव में, सड़क निर्माण में किया जाता है। संयंत्रों से जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2026 तक माहवार जनित फ्लाई ऐश की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा बालको संयंत्र को फ्लाई ऐश से भू-भराव हेतु दी गयी अनुमति, मात्रा, स्थान एवं रकबा की **जानकारी प्रपत्र-ब के क्रमशः कॉलम 2,3,4, 5 एवं भू-भराव की गयी फ्लाई ऐश की मात्रा कॉलम 7 के अनुसार है।** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अनुमति प्राप्त भराव स्थल पर फ्लाई ऐश से भराव की मासिक जानकारी संधारित नहीं की जाती है। फ्लाई ऐश के निपटान हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31/12/2021 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 30/12/2022) वर्तमान में प्रभावशील है। फ्लाई ऐश अपवहन की जांच समय-समय पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की जाती है एवं फ्लाई ऐश नियमों के उल्लंघन तथा बिना अनुमति के अवैध रूप से फ्लाई ऐश डम्पिंग पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में की गयी जाँच, पायी गयी स्थिति एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। (ग)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा फ्लाई ऐश निष्पादन का कार्य किसी संस्था/एजेंसी को नहीं दिया जाता है। नियमानुसार फ्लाई ऐश के अपवहन की जिम्मेदारी संबंधित ताप विद्युत संयंत्र के स्वयं की है। प्रश्नांश के सम्बन्ध में मेसर्स बालको कोरबा से प्राप्त **जानकारी प्रपत्र-ब के कॉलम 8 एवं 9 के अनुसार है।(घ)** प्रश्नांश 'क' के संबंध में मंडल को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"\]](#)

सिरपुर विकास प्राधिकरण (साडा) के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[आवास एवं पर्यावरण]

52. (क्र. 918) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** विधानसभा क्षेत्र महासमुंद में कितने पर्यटन स्थल एवं धार्मिक पौराणिक स्थल है? विवरण दें। **(ख)** क्या सिरपुर में सिरपुर विकास प्राधिकरण (साडा) का गठन किया गया है ? यदि हाँ कब से ? गठन के समय से वर्तमान समय तक साडा में कौन-कौन व्यक्ति किस-किस पद में रहे हैं? उनका कार्यकाल कब-कब तक रहा है? विवरण दें। **(ग)** साडा की योजनाएं क्या-क्या है? बतावें। साडा के तहत विगत 05 विगत वर्षों में क्या-क्या कार्य कितने-कितने राशि से स्वीकृत किए गए हैं? उन कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ विस्तृत विवरण वर्षवार दें। **(घ)** वर्तमान में सिरपुर के विकास हेतु साडा अथवा अन्य योजनाओं से क्या-क्या कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं अथवा किए जाने की कोई योजना है? बतावें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार, विधानसभा क्षेत्र महासमुंद में कुल 03 पर्यटन स्थल चिह्नित है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख)** वर्ष 2015 में सिरपुर विकास प्राधिकरण (साडा) का गठन किया गया है। सिरपुर विकास प्राधिकरण (साडा) के गठन से वर्तमान समय तक पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है।(ग)** सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत योजना संचालित नहीं है। विगत 05 वर्षों में स्वीकृत कार्य एवं कार्यों के

पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ स्थिति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- स अनुसार** है।(घ) वर्तमान में सिरपुर के विकास हेतु साडा अथवा अन्य योजनाओं से वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित कार्यों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस"]

महासमुंद जिले में बीज विकास निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

53. (क्र. 919) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- वर्ष 2023-24 से लेकर दिनांक 30 जनवरी 2026 तक की स्थिति में महासमुंद जिले के विभिन्न विकासखंडों में बीज विकास निगम में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध किस किस प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार शिकायतें प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायतों पर वर्षवार क्या कार्रवाई की गई है ? शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत का विवरण एवं की गई कार्रवाई की जानकारी वर्षवार विकासखंडवार बताएं।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]

प्रदेश में जीएसटी कर चोरी एवं अनियमितता पर कार्रवाई

[वाणिज्यिक कर]

54. (क्र. 920) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिनांक 30 जनवरी, 2026 तक की अवधि में जीएसटी कर चोरी, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), बिना बिल के व्यापार, कम मूल्यांकन, फर्जी फर्मों के माध्यम से कर अपवंचन एवं अन्य जीएसटी अनियमितताओं के अनेक प्रकरण सामने आए हैं? यदि हाँ, तो कृपया उक्त अवधि में व्यापारियों/फर्मों/संस्थानों के विरुद्ध की गई दंडात्मक एवं विधिक कार्रवाइयों की जिलावार जानकारी व्यापारी संस्थान का नाम, अनियमितता एवं की गई कार्रवाई की जानकारी बताएं। **(ख)** जीएसटी कर चोरी की प्रभावी रोकथाम हेतु विभाग द्वारा वर्तमान में कौन-कौन से नीतिगत, तकनीकी एवं प्रशासनिक उपाय अपनाए जा रहे हैं? उक्त उपायों से क्या सफलता मिली है ? जानकारी दें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** हाँ, उक्त अवधि में की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है।**(ख)** जीएसटी कर चोरी की प्रभावी रोकथाम हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार नीतिगत, तकनीकी एवं प्रशासनिक उपाय अपनाए जा रहे हैं:-**1. नीतिगत उपाय:-** i. कर की दरों का सरलीकरण करते हुए जीएसटी 2.0 लागू किया गया। ii ई-वे बिल की आवश्यकता में ढील प्रदान करने हेतु राज्य के भीतर रू. 1 लाख से अधिक के माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य किया गया, जो पहले रू. 50,000/- था। **2. तकनीकी उपाय:-** i. GAIN (GST Analytics & Intelligence Network) Portal, GST Prime Portal, E-Way Bill Analytics, A.I. (Artificial intelligence) Tools से विसंगतियों से संबंधित रिपोर्ट, रिस्क स्कोर प्राप्त करके एनालिसिस करना। ii. GSTIN के डाटाबेस से API के माध्यम से डाटा पुल करके विसंगति रिपोर्ट तैयार करना एवं डाटा का एनालिसिस करना। iii. Analytic Tools का उपयोग करके विसंगतियों तथा कर अपवंचन करने की संभावना वाले संव्यवहारों को चिन्हित करके कार्यवाही हेतु यूज़ केस तैयार करना। राज्य में ऐसे 42 यूज़ केसेस तैयार किये गये हैं। **3. प्रशासनिक उपाय:-** a) जीएसटी कर चोरी की प्रभावी रोकथाम हेतु विभाग द्वारा वर्तमान में बिजनेस इंटेलीजेंस यूनिट (BIU), ITC Monitoring, नॉन-जेन्यूइन टैक्सपेयर आईडेंटिफिकेशन (NGTP) शाखा, ऑडिट शाखा का गठन किया गया है एवं डाटा माईनिंग के कार्य किए जा रहे हैं। B) प्रभावी

कर प्रशासन के लिए राज्य के सभी जिलों में विभागीय कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व में 15 जिलों में कार्यालय थे। अब राज्य के 26 जिलों में वृत्त कार्यालय तथा 7 जिलों में उपवृत्त कार्यालय खोले गये हैं। **सफलता:-** उपरोक्तानुसार अपनाये गये नीतिगत, तकनीकी एवं प्रशासनिक उपायों से प्राप्त सफलता निम्नानुसार है:-

1. करदाताओं को ई-वे बिल के प्रावधानों का सरल एवं सहज जीएसटी अनुपालन में सहायता।
2. विभाग द्वारा जीएसटी कर चोरी, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), बिना बिल के व्यापार, कम मूल्यांकन, फर्जी फर्मों के माध्यम से कर अपवंचन एवं अन्य जीएसटी अनियमितताओं के प्रकरणों में प्रवर्तन कार्यवाहियों से विगत 03 वर्षों में राशि रू. 312.79 करोड़ जमा कराया गया।

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित छात्रावासों का उन्नयन और स्वीकृत राशि

[आदिम जाति विकास]

55. (क्र. 922) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में विभाग द्वारा कुल कितने अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं? सूची उपलब्ध कराएं। **(ख)** क्या उक्त में से कई छात्रावास भवन जर्जर अवस्था में हैं या किराए के भवनों में चल रहे हैं? यदि हाँ, तो उनके जीर्णोद्धार या नवीन भवन निर्माण के लिए क्या कार्ययोजना है? **(ग)** विगत दो वर्षों में इन छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के लिए बेड, बिस्तर और पेयजल सुविधाओं हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में विभाग द्वारा 29 अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं आश्रम संचालित है। जानकारी **संलग्न "प्रपत्र अ"** अनुसार है। **(ख)** बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित 29 अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं आश्रम में से 03 छात्रावास जर्जर है तथा 01 भवन विहीन छात्रावास है, ये सभी छात्रावास किराये के भवन में संचालित है। नवीन भवन निर्माण हेतु 03 जर्जर भवनों के पुर्ननिर्माण का प्रस्ताव बजट उपलब्धता अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी। 01 भवन विहीन संस्था में भवन निर्माण का स्वीकृति भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस वित्तीय वर्ष में जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) योजना अंतर्गत स्वीकृति अनुमोदित है। जर्जर/भवन विहीन एवं किराये के भवनों में संचालित संस्थाओं का विवरण की जानकारी संलग्न "प्रपत्र अ" अनुसार है। **(ग)** जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ हेतु वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के लिए बेड, बिस्तर का क्रय कर जिले के तीनों विकासखण्ड सारंगढ़-बिलाईगढ़/बरमकेला को वितरण किया गया है। बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र हेतु पृथक से क्रय नहीं किया गया है। जानकारी **संलग्न "प्रपत्र ब"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में स्वीकृत कार्य और उनका वित्तीय आवंटन

[वित्त]

56. (क्र. 924) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के बजट में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? **(ख)** उक्त अवधि में लोक निर्माण विभाग (PWD) और ग्रामीण विकास विभाग के कितने कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है? **(ग)** क्या यह सच है कि कई स्वीकृत कार्यों के लिए 'फंड रिलीज' न होने के कारण काम रुके हुए हैं? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और राशि कब तक जारी की जाएगी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) विभागों से प्राप्त जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के बजट में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए विभागवार प्रावधानित राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र - "अ" अनुसार है। (ख)** नवीन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभागों को वित्त निर्देश 25/2012 दिनांक 01 मई 2012 द्वारा ₹. 3 करोड़ तक के प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार प्राप्त थे, जिसे स्थायी वित्त निर्देश 15/2025, दिनांक 14.05.2025 द्वारा बढ़ाकर ₹. 5 करोड़ किया गया है ताकि कार्यों की स्वीकृति में गति आए। प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश संबंधित विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। लोक निर्माण विभाग (PWD) और ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जानकारी **संलग्न प्रपत्र - " ब " अनुसार है। (ग)** प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात् अपने बजट प्रावधान अनुसार राशि का व्यय करने के लिये संबंधित विभाग सक्षम है। लोक निर्माण विभाग (PWD) और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कोई भी कार्य फंड रिलीज के अभाव में रूके/बंद नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"\]](#)

सरगुजा जिले के अंतर्गत संचालित आश्रम छात्रावास

[आदिम जाति विकास]

57. (क्र. 942) श्री प्रबोध मिंज : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** सरगुजा जिले में किस-किस क्षमता के कितने आश्रम एवं छात्रावास कहां कहां संचालित हैं? ब्लॉकवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार संचालित आश्रम छात्रावासों में कौन कौन से पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं और कितने रिक्त हैं जानकारी नाम वार देवें । **(ग)** उक्त संचालित आश्रम छात्रावासों में कितने कितने छात्र छात्राएं इस सत्र में हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** सरगुजा जिले में संचालित 48 आश्रम एवं 91 छात्रावास कुल 139 आश्रम/छात्रावास संचालित हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख)** सरगुजा जिला में आश्रम एवं छात्रावासों में स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"ब" अनुसार है। **(ग)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"स" अनुसार है।

कृषि विभाग में भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

58. (क्र. 943) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** संयुक्त संचालक दुर्ग, रायपुर, सरगुजा एवं जगदलपुर और तत्कालीन उप संचालक बलौदाबाजार द्वारा वर्ष 2018-19 से दिसम्बर 2025 तक किए गए भण्डार क्रय नियम उल्लंघन से संबंधित कितनी, किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई? कितनी जांच संचालनालय को भेजी गई? तथा कितने अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही हुई? कितने अधिकारियों को विधान सभा सत्र में निलम्बित करने की घोषणा की गई? सम्पूर्ण विवरण देवें? **(ख)** क्या स्वायत्त हेल्थ कार्ड योजना में भी उक्त अवधि में भण्डार नियमों के उल्लंघन का मामला संज्ञान में आया है? यदि हां तो कहां-कहां से? किस-किस अधिकारी के विरुद्ध तथा क्या-क्या कार्यवाही हुई है? वर्षवार विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** निरंक। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"\]](#)

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

[आदिम जाति विकास]

59. (क्र. 945) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कहां-कहां पर संचालित है? जानकारी देवे। विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं कौन-कौन से विषय के कार्यरत हैं? शिक्षकों की नियुक्ति किस आधार पर की गई है? जानकारी देवे। **(ख)** वर्तमान सत्र 2025-26 में कौन-कौन से क्लास में कितने-कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? छात्र-छात्राओं को किस योजना के तहत क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जानकारी देवे। **(ग)** वर्तमान शिक्षा सत्र में क्या किसी छात्र/छात्राओं के ऊपर दबावपूर्ण अथवा मानसिक प्रताड़ना हेतु किसी शिक्षक/स्टाफ के द्वारा परेशान किये जाने हेतु कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या कार्रवाई की गई जानकारी देवे। **(घ)** बच्चों पर हो रहे अत्याचार पर शासन द्वारा कोई ठोस कदम उठाये जा रहे हैं अथवा शासन द्वारा क्या कोई योजना तैयार की जा रही है, जानकारी देवे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में दो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** शिक्षकों की नियुक्ति भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा की गई है। **(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(ग)** जी हां। अध्यक्ष, छ.ग. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर निष्पक्ष जांच हेतु जिला कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 22.01.2026 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन अनुसार शिक्षकों द्वारा बच्चों को किसी भी प्रकार से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं पाया गया। **(घ)** संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा, सुविधा एवं वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से समय-समय पर निर्देश जारी किया जाता है। शासन का पत्र क्रमांक-1459 दिनांक 12.05.2025 एवं आयुक्त/पदेन सचिव, छ0ग0 राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति नवा रायपुर का पत्र क्रमांक-9582 दिनांक 05.12.2024 द्वारा समस्त कलेक्टर्स को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है। विद्यालय स्तर पर विभिन्न समितियाँ बनाई गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा एवं गौरेला विकासखंड में व्यक्तिगत एवं सामूहिक पट्टा का प्रदाय

[आदिम जाति विकास]

1. (क्र. 11) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2023-2024 से दिसम्बर, 2025 तक कोटा एवं गौरेला विकासखंड के वन क्षेत्रों में वर्षों से काबिज परिवारों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक वन अधिकार पट्टा प्रदान करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (ख) पट्टा प्रदान करने हेतु क्या-क्या नियम एवं अर्हताएं हैं? (ग) कितने परिवारों को पट्टा प्रदान करने हेतु चिन्हांकित किया गया है? कितने परिवारों को वन अधिकार पट्टा प्रदान किया गया है और कितने परिवारों को पट्टा प्रदान किया जाना किन कारणों से शेष है? उक्त की ग्रामवार जानकारी क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वन अधिकार अधिनियम, 2006 अंतर्गत ग्राम सभा स्तर पर वन अधिकार समिति, उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त त्रिस्तरीय समिति के माध्यम से प्रक्रिया अनुसार कोटा एवं गौरेला विकासखण्ड के 700 व्यक्तिगत वन अधिकार, 09 सामुदायिक वन अधिकार के दावों का निराकरण करते हुए 613 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 09 सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदाय किये गये हैं। कोटा विकासखण्ड अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र हेतु शेष 83 दावे पात्रता नहीं होने के कारण निरस्त किये गये हैं एवं गौरेला विकासखण्ड अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार के 04 प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति में प्रक्रियाधीन हैं। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ"** अनुसार है। (ग) कोटा एवं गौरेला विकासखण्ड अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार के 700 दावे प्राप्त हुए हैं जिसमें से पात्रतानुसार 613 परिवारों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदाय किया गया है। कोटा विकासखण्ड में व्यक्तिगत वन अधिकार के प्रकरण निराकरण हेतु शेष नहीं है जबकि गौरेला विकासखण्ड अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार के 04 प्रकरण उपखंड स्तरीय समिति में प्रक्रियाधीन होने के कारण शेष हैं। ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

विभिन्न विकास प्राधिकरणों अंतर्गत काटी जाने वाली कंटीनजेंट राशि का उपयोग

[आदिम जाति विकास]

2. (क्र. 26) श्री रोहित साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण एवं अन्य पिछड़ा विकास प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरणों में कार्यभारित स्थापना एवं कंटीनजेन्सी मद की राशि काटी जाती है? यदि हाँ, तो किस नियम प्रावधान के अंतर्गत काटी जाती है? (ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में तीनों प्राधिकरणों द्वारा कार्यभारित स्थापना एवं कंटीनजेन्सी मद अंतर्गत कुल कितनी-कितनी राशि काटी गई? कृपया प्राधिकरणवार एवं मदवार विवरण उपलब्ध कराया जावे? (ग) उक्त मदों से प्राप्त राशि किन-किन विभागों, शाखाओं को आबंटित की गई? कृपया विभागवार विवरण दें? (घ) जिन विभागों को उक्त राशि आबंटित की गई है, उनके

द्वारा यह राशि किन-किन कार्यों, उद्देश्यों में व्यय की जाती है तथा अव्ययित, शेष राशि का क्या उपयोग किया जाता है अथवा भविष्य में किस प्रयोजन हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है ? कृपया जानकारी प्रदाय करेंगे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हां, जनपद पंचायत के द्वारा कार्यभारित स्थापना एवं कंटीनजेन्सी मद की राशि छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक/2085/4246/तक./प्रायासे/2020 दिनांक 21.07.2020 के आदेशानुसार काटी जाती है। (ख) जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र” अनुसार है। (ग) जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र” अनुसार है। (घ) जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र” अनुसार है।

वि.स. क्षेत्र राजिम अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित आश्रम /छात्रावास

[आदिम जाति विकास]

3. (क्र. 29) श्री रोहित साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र राजिम अंतर्गत कितने आश्रम /छात्रावास अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए संचालित हैं? (ख) आश्रम/छात्रावासों में 2023-24 से जनवरी, 2026 तक विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई है? प्रदान की गई सुविधाओं पर प्रत्येक सुविधा के लिए आश्रम/छात्रावासों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? जानकारी विकासखंडवार उपलब्ध कराएंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विभाग द्वारा गरियाबंद जिले में 10 आश्रम, 13 प्री.मै. छात्रावास एवं 04 पो.मै. छात्रावास इस प्रकार राजिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 27 छात्रावास/आश्रम अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित है। (ख) संचालित आश्रम एवं छात्रावासों प्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसके अंतर्गत आवास, पौष्टिक आहार, साबुन, तेल, पंलग, गद्दे, चादर, कंबल, तकिया, थाली, गिलास, खेल सामग्री एवं आवश्यकतानुसार सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। प्रदाय की गई सुविधाओं पर वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2026 तक व्यय की गई राशि की वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी संलग्न “प्रपत्र” अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बावन" \]](#)

रायपुर पश्चिम वि.स. अंतर्गत धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

4. (क्र. 55) श्री राजेश मूणत : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि कलेक्टर रायपुर द्वारा रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार हेतु कुल 8 कार्यों का 108.68 लाख का प्रस्ताव दिनांक 20.06.2024 को धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व विभाग को प्रेषित किया गया था? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? बतावें? (ख) यदि प्रश्नांश “क” में उल्लेखित प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसकी स्वीकृति कब तक जारी की जायेगी?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) जी हाँ। उक्त 8 कार्यों के सरल क्रमांक 01, 02, 04, 05, 07 एवं 08 में दर्शित कार्य नया निर्माण कार्य/सेड निर्माण से संबंधित है। चूंकि विभागीय अनुदान नियम में सेड निर्माण/नया निर्माण कार्य किये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई है। शेष सरल क्रमांक 3, एवं 6 मंदिर जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित होने के कारण कार्यवाही कलेक्टर- रायपुर से प्राक्कलन प्रस्ताव चाहा गया है (ख) कलेक्टर-रायपुर से प्राक्कलन प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

रायपुर में लागू वर्तमान मास्टर प्लान में अनियमितता पर कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (क्र. 56) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर नगर में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान को लेकर हुई शिकायतों पर जांच कर कार्यवाही विभाग द्वारा कब तक की जावेगी? **(ख)** शासन द्वारा मास्टर प्लान में विसंगतियों को स्वीकार किया जा चुका है तो फिर विभाग द्वारा उन विसंगतियों को क्यों दूर नहीं किया जा रहा है बतावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** रायपुर नगर में वर्तमान में लागू मास्टर प्लान को लेकर हुई शिकायतों पर जांच कर विभाग द्वारा शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी। **(ख)** मास्टर प्लान में विसंगतियों से संबंधित शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला दन्तेवाड़ा में विभाग में कार्यरत एन.जी.ओ. को कार्य आबंटन की प्रक्रिया एवं भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

6. (क्र. 70) श्री चैतराम अटामी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-दन्तेवाड़ा में कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) को कार्य आबंटन की प्रक्रिया क्या है ? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2023-24 से दिसम्बर, 2025 तक गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) को कितनी राशि का भुगतान, किस-किस कार्य के लिए किया गया है ? कृपया बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कृषि विभाग द्वारा संचालित ऐसी योजनाएँ जिनमें गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को कार्य आबंटित किये जाने का प्रावधान है, उनमें एन.जी.ओ. का चयन अभिरूचि की अभिव्यक्ति के प्रकाशन द्वारा किया जा सकता है। **(ख)** वर्ष 2023-24 से दिसम्बर, 2025 तक गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) को कार्य आबंटित नहीं किए जाने से राशि भुगतान की जानकारी निरंक है।

वन अधिकार पट्टा नहीं दिए जाने के कारण

[आदिम जाति विकास]

7. (क्र. 258) श्री देवेन्द्र यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या प्रदेश में वर्ष 2021 से जनवरी, 2026 तक वन अधिकार पट्टा हेतु कितने जिलों से व कितने नागरिकों द्वारा आवेदन किया गया है ? जिलेवार जानकारी दें ? वर्ष 2021 से 2025 में किन-किन जिलों में कितने नागरिकों को पट्टा प्रदाय किया गया है ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी दीजिए ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : प्रदेश में वर्ष 2021 से जनवरी 2026 तक 30 जिलों के 88,650 नागरिकों द्वारा, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों हेतु प्राप्त आवेदनों की, जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। वर्ष 2021 से 2025 में वितरित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की वर्षवार, जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" \]](#)

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी क्षेत्र में वनाधिकार पट्टा वितरण

[आदिम जाति विकास]

8. (क्र. 280) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** वन विकास निगम क्षेत्रों में सामुदायिक वनाधिकार पट्टा देने के क्या नियम हैं? **(ख)** जिला मोहला-मानपुर-

अं.चौकी अन्तर्गत सत्र 2023 से जनवरी, 2026 तक कुल कितने सामुदायिक वन अधिकार पत्रक हेतु आवेदन प्राप्त हुये? प्राप्त आवेदनों में कुल कितने लोगों को सामुदायिक वन अधिकार पत्रक वितरण किया गया है? विकासखंडवार ग्रामवार जानकारी देवें? सामुदायिक वन अधिकार पत्रक हेतु कितने आवेदन मामले लंबित हैं? यदि लंबित हैं तो कारण बतावें? **(ग)** लंबित आवेदनों का कब तक निराकरण कर लिया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वन अधिकार अधिनियम, 2006 के धारा 2**(घ)** अनुसार "वन भूमि" से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी है। वन अधिकार नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 के अनुसार "सामुदायिक अधिकार" से वे अधिकार अभिप्रेत है, तो अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा 1 के खण्ड **(ख),(ग),(घ),(ङ),(ज),(झ),(ञ),(ट)** और खण्ड **(ठ)** में सूचीबद्ध है। उपरोक्त नियमों के तहत वन विकास निगम क्षेत्रों में सामुदायिक वनाधिकार पत्र दिया जा सकता है तथा इसके साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 के नियम 11 एवं 12 में दिए गए प्रावधान/प्रक्रिया अनुसार वन अधिकार मान्यता दिए जाने की व्यवस्था/नियम है। **(ख)** जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अंतर्गत सत्र 2023 से जनवरी 2026 तक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र हेतु कुल 37 आवेदन तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्र हेतु कुल 24 आवेदन प्राप्त हुए। कुल 17 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार तथा कुल 24 सामुदायिक वन अधिकार का वितरण किया गया है। विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी **संलग्न "प्रपत्र"** अनुसार है। सामुदायिक वन अधिकार के आवेदन लंबित नहीं हैं। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के 20 आवेदन लंबित हैं, जिसका राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति के निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है। **(ग)** लंबित प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण किया जावेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित फसल बीमा का लाभ

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

9. (क्र. 331) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2026 तक कितने किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित फसल बीमा कराया गया ? प्रति एकड़ फसल बीमा की राशि क्या है ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका "क" के किसानों में से कितने किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया एवं कितनी प्रीमियम राशि जमा कराई गई? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** फसल बीमा योजनाओं में जानकारी का संधारण तहसीलवार किया जाता है और बीमित राशि की जानकारी प्रति हेक्टेयर अधिसूचित की जाती है। वर्ष 2023-24 से जनवरी 2026 तक खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित तहसीलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषक तथा जिलेवार, फसलवार बीमित राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** प्रश्नाधीन अवधि में ही पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषक तथा जिलेवार, फसलवार बीमित राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है।(ख)** कंडिका "क" अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा आवरण प्राप्त करने हेतु कृषको द्वारा कृषक अंश के रूप में जमा की गई प्रीमियम राशि एवं पात्रता अनुसार फसल बीमा दावा भुगतान का लाभ प्राप्त करने वाले कृषको की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।** पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना

अंतर्गत फसल बीमा आवरण प्राप्त करने हेतु कृषको द्वारा कृषक अंश के रूप में जमा की गई प्रीमियम राशि एवं पात्रता अनुसार फसल बीमा दावा भुगतान का लाभ प्राप्त करने वाले कृषको की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र- द अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

सिहावा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को पिछले दो वर्ष के लंबित बोनस का भुगतान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

10. (क्र. 354) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने किसान पुराने दो वर्ष के लंबित बोनस के भुगतान हेतु पात्र हैं ? **(ख)** पात्र किसानों में से कितनों को भुगतान किया जा चुका है ? कितने किसानों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? **(ग)** पूर्ण भुगतान कब तक कर लिया जाएगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दो वर्षों के लंबित बोनस के भुगतान हेतु पात्र किसानों की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	बोनस हेतु पात्र किसानों की संख्या
1	2014-15	19870
2	2015-16	16772

(ख) प्रश्नांश "क" अंतर्गत पात्र किसानों में से भुगतान प्राप्त व भुगतान हेतु लंबित किसानों की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	भुगतान प्राप्त किसानों की संख्या	भुगतान हेतु लंबित किसानों की संख्या
1	2014-15	19592	278
2	2015-16	16602	170

(ग) मृतक कृषकों के उत्तराधिकारी/शेष कृषकों के द्वारा सुसंगत दस्तावेज सहकारी समिति में प्रस्तुत करने व तहसील माड्यूल में आनलाईन इन्द्राज होने के पश्चात किसानों को भुगतान किया जा सकेगा। भुगतान की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु संचालित योजनाएं

[आदिम जाति विकास]

11. (क्र. 355) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वर्ष 2024 से 04/02/2026 तक जिला धमतरी के विकासखण्ड-नगरी एवं मगरलोड के विकासखण्ड में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु कौन-कौन सी योजना के माध्यम से एवं प्राधिकरण द्वारा लाभ प्रदान किया गया है ? उक्त योजना में कौन-कौन से कार्य, कितनी राशि के व्यय से किये गये हैं ? वर्षवार जानकारी दें? उक्त योजनाओं से कौन-कौन से ग्रामों के विशेष पिछड़ी जनजातियों को लाभ प्राप्त हुआ ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : वर्ष 2024 से 04/02/2026 तक जिला धमतरी के विकासखण्ड-नगरी एवं मगरलोड में विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के विकास हेतु संचालित योजनाओं अंतर्गत स्वीकृत कार्य एवं व्यय राशि की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में

प्राधिकरण मद द्वारा पृथक से विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को लाभान्वित नहीं किया गया है। उक्त योजनाओं से लाभान्वित विशेष रूप से कमजोर जनजाति निवासरत ग्रामों की सूची **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन" \]](#)

जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी के आश्रमों एवं छात्रावासों में सामग्री की आपूर्ति

[आदिम जाति विकास]

12. (क्र. 373) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले अंतर्गत आश्रम एवं छात्रावास हेतु वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2026 तक कौन-कौन सी सामग्री, कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई है ? क्या सामग्री क्रय हेतु भंडार क्रय नियम का पालन किया गया था ? विधानसभावार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार क्रय सामग्री की आपूर्ति कितने आश्रम एवं छात्रावासों में की गई ? **(ग)** क्या उपरोक्त सामग्री क्रय में अनियमितता / भ्रष्टाचार की शिकायत विभाग के संज्ञान में आयी है ? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले अंतर्गत आश्रम एवं छात्रावास हेतु वर्ष 2023-24 से जनवरी 2026 तक क्रय की गई सामग्री एवं राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** उक्त अवधि में जिला राजनांदगाँव द्वारा भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए सामग्रियों का क्रय जिला स्तरीय क्रय समिति के अनुमोदन उपरांत सी.एस.आई.डी.सी. ई-मानक एवं जेम पोर्टल में पंजीकृत निविदाकार से की गई तथा जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी द्वारा भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए सामग्रियों का क्रय जिला स्तरीय क्रय समिति के अनुमोदन उपरांत जेम पोर्टल में पंजीकृत निविदाकार से की गई है। जिलों द्वारा सामग्रियों का क्रय विधानसभावार नहीं किया जाता है। **(ख)** जिला राजनांदगाँव के 38 प्री/पो. मैट्रिक छात्रावास, 08 आश्रम एवं 02 विशिष्ट छात्रावास तथा जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी के 65 प्री/पो. मैट्रिक छात्रावास, 24 आश्रम एवं 02 विशिष्ट छात्रावासों में आवश्यकता अनुसार सामग्री वितरित की गई है। **(ग)** जिला राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अं.चौकी के द्वारा क्रय की गई सामग्री के संबंध में अनियमितता/भ्रष्टाचार की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन" \]](#)

बालको के विरूद्ध पर्यावरण प्रदूषण, श्रम कानून के उल्लंघन पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

13. (क्र. 402) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या राज्य सरकार को वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 तक में बालकों के विरूद्ध वायु एवं ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण नियंत्रण, श्रम कानूनों के उल्लंघन, भूमि अतिक्रमण, पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित शिकायतें जिला प्रशासन एवं राज्य शासन को प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो उनकी संख्या एवं शिकायत की प्रकृति का विवरण सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें? **(ख)** क्या उपरोक्त शिकायतों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ तो की गई कार्यवाही का विवरण दे?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हाँ। वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 तक मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर, जिला-कोरबा (छ.ग.) के विरूद्ध वायु एवं ध्वनि प्रदूषण, श्रम कानूनों के उल्लंघन, भूमि अतिक्रमण, पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कोरबा, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा तथा

कार्यालय, सहायक श्रम आयुक्त, कोरबा को कुल 132 शिकायतें प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -अ अनुसार** है तथा अन्य शिकायतों के संबंध में कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कोरबा, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा तथा कार्यालय, सहायक श्रम आयुक्त विभाग, कोरबा से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ख) जी हाँ। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त शिकायतों के संबंध में की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -अ अनुसार** है तथा अन्य शिकायतों के संबंध में कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कोरबा, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा तथा कार्यालय, सहायक श्रम आयुक्त विभाग, कोरबा द्वारा की गयी कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।

छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं आयोजनों हेतु अनुदान

[संस्कृति]

14. (क्र. 437) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ में कौन-कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महोत्सवों के आयोजनों हेतु अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? (ख) वर्ष जनवरी, 2024 से 04/02/2026 तक कौन-कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महोत्सवों के आयोजनों हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदान की गयी है ? (ग) प्रश्न ख के उत्तर में कार्यक्रम महोत्सव जिला का नाम एवं प्रदत्त राशि का विवरण क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महोत्सवों के आयोजनों हेतु अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार** है। (ख) वर्ष जनवरी, 2024 से 04.02.2026 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महोत्सवों के आयोजनों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार** है। (ग) प्रश्न ख के उत्तर में कार्यक्रम महोत्सव जिला का नाम एवं प्रदत्त राशि का विवरण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

कोरबा जिला में आत्मा योजना अंतर्गत प्राप्त एवं व्यय राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

15. (क्र. 640) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कोरबा जिला में वर्ष 2022 से 30 जनवरी, 2026 तक आत्मा योजना अंतर्गत विभाग को कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है? जिले के प्रत्येक विकासखंड में कितनी-कितनी राशि कब-कब जारी की गयी ? वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी दें ? प्राप्त राशि से किस-किस विकासखंड में किन-किन कार्यों में व्यय किया गया ? विकासखंडवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या प्रश्नांक "क" के अनुसार प्राप्त राशि के विरुद्ध किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, ऑडिट आपत्ति एवं शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा दिनांक 04/02/2026 तक किन-किन स्तर पर जांच कराई गयी ? जांच अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम सहित की गयी कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2022 से 30 जनवरी 2026 तक आत्मा योजनांतर्गत कोरबा जिले को आबंटित राशि की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार** है। योजनांतर्गत जिला कार्यालय द्वारा विकासखंडों को केवल भौतिक-वित्तीय लक्ष्य दिये जाते हैं तथा कोई राशि आबंटित नहीं की जाती है। कार्य उपरांत विकासखंडों द्वारा प्रस्तुत देयको के आधार पर राशि का भुगतान जिला कार्यालय

द्वारा किया जाता है। वर्षवार, विकासखंडवार, घटकवार भौतिक पूर्ति एवं व्यय राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ब, प्रपत्र स, प्रपत्र द, प्रपत्र ई एवं प्रपत्र फ अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार आत्मा योजनान्तर्गत व्यय राशि के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता, ऑडिट आपत्ति एवं शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उत्सठ"]

सामग्री क्रय करने व सेवा प्राप्त करने हेतु आमंत्रित निविदा

[पर्यटन]

16. (क्र. 703) श्री धरमलाल कौशिक : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** क्या यह सही है कि अप्रैल, 2024 से दिनांक 04/02/26 तक पर्यटन, विभाग के अधीनस्थ निगम/मण्डल/आयोग के राज्य व जिला कार्यालय द्वारा सामग्री क्रय करने व सेवा प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है? यदि हाँ तो कौन-कौन सी निविदा जेम पोर्टल(GeM) के अतिरिक्त अन्य किस माध्यम/प्रकार से जारी की गई तथा कब-कब, किसको व किस दर पर स्वीकृत की गई है? जेम के अतिरिक्त अन्य माध्यम/प्रकार से निविदा आमंत्रित करने स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा कब व किन नियमों के आधार दी गई है? पदवार व नामवार तथा निविदावार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश क अवधि में उक्त संस्थाओं द्वारा कब-कब ईओआई (EOI) किन-किन कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत उल्लेखित किन-किन नियमों के आधार पर आमंत्रित व स्वीकृत की गई है? यदि ईओआई (EOI) का प्रावधान भण्डार क्रय नियम में नहीं है तो किस आधार पर आमंत्रित की गई है? ईओआई वार जानकारी देवें ? **(ग)** इन उपरोक्त निविदाओं पर कब, किसके द्वारा, किस संबंध में एवं किसको शिकायत की गई तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई ? दोषी कौन पाया गया? शिकायतवार जानकारी देवें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** जी हाँ। पर्यटन विभाग के अधीन प्रश्नांकित अवधि में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है एवं स्टेट इस्टीमेट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम अंतर्गत छत्तीसगढ़ संवाद एवं सीमित निविदा के माध्यम से आमंत्रित निविदा की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।**(ख)** जानकारी निरंक है।**(ग)** जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

प्रदेश में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

17. (क्र. 704) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **:- (क)** क्या यह सही है कि विगत 3 वित्तीय वर्ष एवं इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक वितरण में स्टॉक रजिस्टर, पीओएस मशीन एवं भौतिक सत्यापन में अंतर पाया गया है? इन प्रकरणों/मामलों में जिलेवार कितने विक्रेताओं व कृषि सेवा केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? किन-किन विक्रेताओं व कृषि सेवा केंद्रों के लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त किए गए हैं? **(ख)** क्या इन अनियमितताओं से संबंधित मामलों में किसी भी जिले में एफआईआर दर्ज की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण देवें ? **(ग)** क्या कंडिका क अनुसार प्रकरणों/मामलों में संबंधित विभागीय अधिकारियों व निरीक्षण दल की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है? यदि हाँ, तो की गई कार्रवाई का विवरण देवें ? **(घ)** प्रश्नांश क अनुसार अवधि में प्रदेश में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक वितरण के संबंध में कब, किसके द्वारा, किस संबंध में एवं किसको शिकायत की गई तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई ? दोषी कौन पाया गया ? शिकायतवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क), (ख), (ग) एवं (घ) जानकारी संकलित की जा ही है।

सक्ती जिले के अंतर्गत छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए की गई खरीदी

[आदिम जाति विकास]

18. (क्र. 737) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2024 से दिनांक 04/02/26 तक सक्ती जिले के अंतर्गत संचालित छात्रावास में रहने वाले बच्चों को शासन योजना के तहत निर्धारित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में कितने-कितने मूल्य की खरीदी की गई है ? कृपया जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार की गई खरीदी में छ. ग. भण्डार क्रय नियम का किस प्रकार पालन किया गया है ? कृपया जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांक "क" एवं "ख" के अनुसार क्रय एवं वितरण में गड़बड़ी को लेकर कब-कब किनसे शिकायत प्राप्त हुई है और शिकायत के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2024 से दिनांक 04.02.2026 तक सक्ती जिले के अंतर्गत संचालित छात्रावास में रहने वाले बच्चों को शासन योजना के तहत निर्धारित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्रय की गई सामग्री, मात्रा एवं राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जिला सक्ती द्वारा विभागीय संस्थाओं से प्राप्त मॉग पत्र एवं GeM Porta में L1 के आधार पर छ.ग. भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए नियमानुसार सामग्री क्रय किया गया है। (ग) जिला सक्ती अंतर्गत क्रय एवं वितरण से संबंधित प्रथम शिकायत दिनांक 12.01.2026 को जनदर्शन के माध्यम से शुभम सिंह राजपूत द्वारा एवं द्वितीय शिकायत दिनांक 03.02.2026 को पत्र के माध्यम से महेन्द्र प्रताप कर्ष के द्वारा प्राप्त हुआ था प्राप्त शिकायत के संबंध में जांच शिकायत निराधार पाये जाने से कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्सठ" \]](#)

अनुसूचित क्षेत्रों के विकास एवं निर्माण के लिए संचालित योजनाएं

[आदिम जाति विकास]

19. (क्र. 738) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों के विकास एवं निर्माण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उक्त योजनाओं का वार्षिक बजट क्या है? (ख) उक्त योजनाओं में कोटा विधानसभा के कुल कितने और कौन-कौन से ग्राम आते हैं? (ग) वर्ष 2024 से दिनांक 04/02/2026 तक उक्त योजनाओं से कोटा विधानसभा में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए हैं? कार्य का नाम, ग्राम का नाम, वर्ष एवं राशि की जानकारी क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘अ’ अनुसार है।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘ब’ अनुसार है।(ग) स्वीकृत किये गये कार्य का नाम, ग्राम का नाम, वर्ष एवं राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-‘स’ अनुसार है।

जिला मुंगेली में मंडी बोर्ड/मंडी समिति से स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

20. (क्र. 750) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 04/02/2026 तक मंडी बोर्ड/मंडी समिति से कौन-कौन से कार्य किन-किन मदों से स्वीकृत किए गए? स्वीकृत कार्यों की राशि सहित जानकारी वर्षवार,

विकासखण्डवार देवें? **(ख)** उक्त स्वीकृत कार्यों में कितने कार्यों की निविदा/कायदेशि जारी की जा चुकी है तथा कितने शेष हैं? अद्यतन स्थिति क्या है तथा किये गये व्यय की जानकारी कार्यवार, एजेंसीवार देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 04/02/2026 तक मंडी बोर्ड से सी.सी. रोड के 06 कार्य लागत राशि रू. 441.55 लाख, पुलिया निर्माण के 02 कार्य लागत राशि रू. 72.24 लाख, इस प्रकार कुल 08 कार्य राशि रू. 513.79 लाख के राज्य विपणन विकास निधि मद से स्वीकृत किए गए कार्यों की वर्षवार, विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** मंडी समिति से सी.सी. रोड के 96 कार्य लागत राशि रू. 685.41 लाख, सामुदायिक भवन के 06 कार्य लागत राशि रू. 70.20 लाख, इस प्रकार कुल 102 कार्य कुल राशि रू. 755.61 लाख मंडी समिति निधि से स्वीकृत किए गए। कार्यों की वर्षवार, विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** **(ख)** उक्त स्वीकृत कुल 110 कार्यों की निविदा जारी की जा चुकी है, जिसमें से 102 कार्यों का कायदेशि जारी किया गया तथा शेष 08 कार्यों की निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में 97 कार्य पूर्ण, 05 कार्य प्रगतिरत एवं 08 कार्य निविदा स्वीकृति स्तर पर है तथा कुल व्यय राशि रू. 619.19 लाख है। कार्यों पर किये गये व्यय की जानकारी कार्यवार, एजेंसीवार **संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - बैसठ"]

ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियमों के अनुरूप प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

21. (क्र. 758) श्री ललित चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के नियम 24(2) का अनुपालन कर स्थानीय नगरीय निकाय प्रारूप 4 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार यदि हाँ तो क्या नगर पालिक निगम, भिलाई, रिसाली, दुर्ग और चरोदा द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई कार्यालय में विगत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है ? यदि हाँ तो विगत 03 वर्षों में प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट के समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति वर्षवार प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' अनुसार विगत 03 वर्षों में पर्यावरण विभाग द्वारा नगरीय निकायों की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाहियों की विस्तृत जानकारी वर्षवार दीजिए?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ, प्रश्नांक 'क' अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के परिपालन में नगर पालिक निगम, भिलाई, रिसाली, दुर्ग और चरोदा द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई, जिला-दुर्ग में विगत वर्ष 2023-24 और 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित किये जाने बाबत समय-सीमा दिनांक 30 जून 2026 तक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा स्थानीय निकायों से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर समेकित वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को तैयार कर भेजा जाता है। उपरोक्त समेकित वार्षिक रिपोर्ट का पुनर्विलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किये जाने का प्रावधान है। अतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उपरोक्त वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा नहीं की जाती है। **(ग)** प्रश्नांक 'ख' में दिए गए उत्तर के अनुक्रम में विगत 03 वर्षों में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई, जिला-दुर्ग द्वारा नगरीय निकायों की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है।

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में कॉलोनी निर्माण

[आवास एवं पर्यावरण]

22. (क्र. 759) श्री ललित चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 एवं छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 में और संशोधन -दि.10/12/2015 के प्रावधानों के तहत ही ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनी का निर्माण किया जाता है ? **(ख)** यदि हां, तो वर्ष 2020 से वर्ष 2025 के मध्य दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कितनी कॉलोनियों का निर्माण किया गया है ? वर्षवार ग्रामवार कॉलोनी का विवरण बताइए? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' अनुसार उत्तर में यदि अवैध कॉलोनी का उल्लेख है तो अवैध कॉलोनी के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी प्रश्नाधीन अवधि की वर्षवार ग्रामवार दीजिए?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)**जी हां, यह सही है कि छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1999 में और संशोधन दिनांक 10-12-2015 के प्रावधानों के तहत ही ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनी का निर्माण किया जाता है।**(ख)**वर्ष 2020 से वर्ष 2025 के मध्य दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कुल 10 कॉलोनियों का निर्माण कार्य किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , दुर्ग, जिला दुर्ग से प्राप्त **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ग)**अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),दुर्ग, जिला दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार उत्तरांश "ख" अंतर्गत अवैध कॉलोनी की जानकारी निरंक है। अनुविभाग दुर्ग अंतर्गत विधान सभा दुर्ग ग्रामीण में अवैध कॉलोनी/प्लॉटिंग किए जाने वाले भूमि स्वामियों के विरुद्ध वर्षवार/ग्रामवार की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

बलरामपुर जिला के छात्रावासों में सीटों के वृद्धि का प्रस्ताव

[आदिम जाति विकास]

23. (क्र. 762) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-बलरामपुर जिला के शासकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में वर्तमान स्वीकृत सीटों की संख्या, विगत तीन शैक्षणिक सत्रों में प्राप्त आवेदनों की संख्या, प्रतीक्षा सूची में रहे छात्र-छात्राओं का विवरण तथा आगामी सत्र जुलाई माह से छात्रावास सीटों में वृद्धि किए जाने संबंधी प्रस्ताव/निर्णय एवं संभावित सीट वृद्धि की संख्या सहित विस्तृत जानकारी दे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : बलरामपुर जिले में शासकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में कुल 4060 सीट स्वीकृत है। जिसमें विगत तीन शैक्षणिक सत्रों में प्राप्त आवेदनों की संख्या, प्रवेशित एवं प्रतीक्षा सूची की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। आगामी सत्र जुलाई माह से छात्रावास सीटों में वृद्धि किए जाने हेतु प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में शामिल करने वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लांट जांजगीर-चांपा द्वारा राखड़ डंपिंग में की गई गड़बड़ी पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

24. (क्र. 764) श्री बालेश्वर साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत स्थापित प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लांट द्वारा विगत तीन वर्षों में राखड़/प्लाईऐश सहित

अपशिष्ट पदार्थों का किन-किन क्षेत्रों में कब-कब डंपिंग/निष्पादन की कार्यवाही की गयी है? कृपया ग्राम, खसरा एवं रकबा नंबर सहित जानकारी प्रदान करेंगे ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार की गई डंपिंग एवं निष्पादन में गड़बड़ी को लेकर कब-कब किनसे शिकायत प्राप्त हुई है और शिकायत के आधार क्या कार्यवाही की गई है? कृपया जानकारी दें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जिला-जांजगीर-चांपा में स्थापित मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड से ठोस अपशिष्ट के रूप में मुख्यतः राखड़/फ्लाई ऐश, ई.एस.पी. डस्ट, स्लैग, चार-डोलोचार जनित होता है। विगत तीन वर्षों में ई.एस.पी. डस्ट, स्लैग को परिसर के भीतर भूभराव में उपयोग किया गया है तथा चार-डोलोचार को पावर प्लांट में ईंधन के रूप में उपयोग किया गया है। राखड़/ फ्लाई ऐश के विगत तीन वर्षों (जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2026 तक) में किये गये भू-भराव की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - पैसठ"]

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सीपत SADA को आबंटित एवं व्यय राशि

[आवास एवं पर्यावरण]

25. (क्र. 766) श्री दिलीप लहरिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या वर्तमान में सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SADA), जिला बिलासपुर विधिवत अधिसूचना के आधार पर अस्तित्व में है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो प्राधिकरण के वर्तमान पद संरचना, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नाम, नियुक्ति की तिथि तथा अधिसूचित/निर्धारित कार्यकाल क्या है? क्या प्राधिकरण की कार्यकारिणी/कार्यकारी समिति वर्तमान में विधिवत रूप से गठित एवं क्रियाशील है अथवा उसे भंग किया जा चुका है? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक SADA सीपत को प्रतिवर्ष कितना बजट आवंटन किया गया तथा कितना व्यय किया गया? उक्त अवधि में किए गए व्यय के अंतर्गत स्वीकृत एवं निष्पादित कार्यों/परियोजनाओं का वर्षवार विवरण दें? वर्तमान में प्राधिकरण के पास उपलब्ध अवशिष्ट बजट राशि कितनी है क्या उक्त का उपयोग अन्य परियोजना में किया जा सकता है? **(ग)** वर्तमान में SADA सीपत का प्रशासनिक कार्यालय किस स्थान पर स्थापित एवं संचालित है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी, हाँ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानांतर्गत सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी विधिवत् रूप से गठित एवं क्रियाशील है।**(ख)** जानकारी निरंक है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)** वर्तमान में सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रशासनिक कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, बिलासपुर से संचालित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ"]

जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण सम्मान

[आवास एवं पर्यावरण]

26. (क्र. 768) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-छत्तीसगढ़ स्थापना के बाद से दिनांक 04/02/2026 तक जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत कितने लोगों को राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है एवं उक्त अलंकरण में शामिल करने के लिए किन-किन उपलब्धियों के आधार पर चयन किया जाता है ? जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : छत्तीसगढ़ स्थापना के बाद से दिनांक 04/02/2026 तक जल संरक्षण एवं

पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित की जानकारी निरंक है। शासन द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु राज्य अलंकरण सम्मान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश में मछली एवं मछली बीज का उत्पादन

[मछली पालन]

27. (क्र. 775) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्तमान में राज्य में कुल कितनी मात्रा में मत्स्य बीज का उत्पादन हो रहा है ? कुल कितने मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है ? पिछले दो वर्षों में राज्य से कुल कितनी मछली एवं मछली बीज का निर्यात अन्य राज्यों को किया गया ? **(ख)** मछली उत्पादन एवं मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में राज्य देश में किस स्थान पर है ? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** वर्तमान में राज्य में कुल 583.58 करोड़ मत्स्य बीज (स्टेण्डर्ड फ्राई) एवं कुल 8.73 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। पिछले दो वर्षों में मछली एवं मछली बीज अन्य राज्यों को निर्यात करने की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** मछली उत्पादन के क्षेत्र में राज्य देश में छठवें एवं मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में राज्य देश में पांचवें स्थान पर है। यह रैंकिंग "हैण्डबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स 2023" में भारत शासन मात्स्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में दर्ज है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

कृषि भूमि निर्माण हेतु ट्रैक्टर/डोजर को कार्यस्थल तक पहुंचाने हेतु वाहन उपलब्धता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

28. (क्र. 785) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कृषि यंत्री, बिलासपुर संभाग के प्रक्षेत्र में कृषि भूमि निर्माण हेतु ट्रैक्टर, डोजर तथा अन्य यंत्रों को कार्यस्थल तक पहुंचाने हेतु परिवहन वाहन की व्यवस्था है ? यदि नहीं तो कृषकों के कृषि भूमि निर्माण हेतु यंत्रों को कार्य स्थल तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था है ? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के परिवहन वाहन की अनुपलब्धता के कारण कृषि भूमि निर्माण यंत्रों का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है तथा इसके परिचालन हेतु नियुक्त कर्मचारी बगैर कार्य के वेतन प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हाँ तो बिना उपयोग यंत्रों के रखरखाव तथा कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु शासकीय राशि के अपव्यय के लिए कौन जवाबदेह है ? **(ग)** प्रश्नांश "क" के यंत्रों के परिवहन हेतु वाहनों की उपलब्धता कब तक करा ली जाएगी ? अनुपलब्धता की स्थिति में परिवहन हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** कृषि यंत्री, बिलासपुर संभाग के प्रक्षेत्र में कृषि भूमि निर्माण में उपयोग होने वाले डोजर के परिवहन हेतु 02 ट्रक वाहन क्रमांक सी.जी. 02/0446 एवं सी.जी. 02/3341 उपलब्ध था जिनको 15 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण अपलेखित करते हुये वाहन क्रमांक सी.जी. 02/0446 को निलाम किया गया तथा वाहन क्रमांक सी.जी. 02/3341 की अपलेखित मूल्य प्राप्त नहीं होने के कारण कृषि यंत्री, बिलासपुर कार्यालय में उपलब्ध है। डोजर परिवहन कार्य हेतु अन्य कृषि यंत्री कार्यालय से समन्वय कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिवहन वाहन की अनुपलब्धता के कारण डोजर परिवहन कार्य हेतु अन्य कृषि यंत्री कार्यालय से समन्वयकर वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। डोजर परिचालन हेतु पृथक से नियुक्ति नहीं की जाती अपितु विभाग में नियुक्त भारी वाहन चालक द्वारा डोजर / हल्के

वाहन का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आयडल समय पर मशीनों के मरम्मत का कार्य अथवा अन्य शासकीय कार्यों में कर्मचारियों द्वारा दायित्व निर्वहन किया जाकर कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है। अतः शासकीय राशि का अपव्यय नहीं हो रहा है। (ग) डोजर परिवहन हेतु नवीन ट्रक क्रय हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परिवहन हेतु वाहन अनुपलब्धता की स्थिति में डोजर परिवहन कार्य हेतु अन्य कृषि यंत्री कार्यालय से समन्वय कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है।

बेलतरा वि.स. क्षेत्रांतर्गत संचालित कृषकों के हितग्राही मूलक योजनाएं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

29. (क्र. 786) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा कृषकों के लिए कौन-कौन सी हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? वर्ष 2023-24 से दिनांक 04/ 02/2026 तक कुल कितने कृषक पंजीकृत किए गए तथा कितने कृषकों को किन-किन योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया ? योजनावार, विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) सिंचाई नलकूप स्थापना हेतु कृषकों की पात्रता हेतु क्या मापदंड हैं ? नलकूप स्थापना की लागत कितनी है तथा इस हेतु शासन से कितना अनुदान प्रदान किया जाता है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड कोटा एवं बिल्हा में वर्ष 2023-24 से 04.02.2026 तक संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं तथा उनमें पंजीकृत एवं लाभान्वित कृषकों का वर्षवार, विकासखण्डवार एवं योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** (ख) सिंचाई नलकूप स्थापना हेतु कृषि विभाग अंतर्गत किसान समृद्धि योजना संचालित है जिस हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

1. योजनांतर्गत जिलों के समस्त वर्ग के कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा। लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की भांति कृषकों को चयन त्रिस्तरीय पंचायत के अनुमोदन से किया जावेगा।
3. अनुदान की पात्रता उन सभी कृषक व उनके समूह को होगी, जिन्होंने सहकारी अथवा व्यवसायिक बैंक से ऋण लिया हो अथवा ऐसे कृषक या उनके समूह जो स्वयं के व्यय से नलकूप खनन के इच्छुक हो।
4. कृषक अथवा कृषक समूह में जोत का आकार न्यूनतम 1 हेक्टेयर हो।
5. एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी कम से कम 300 मीटर होना अनिवार्य है। 300 मीटर की परिधि में पूर्व निर्मित नलकूप हॅण्ड पंप नहीं होना चाहिये।
6. योजनांतर्गत सहकारी सस्था, ट्रस्ट इत्यादि को अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

7. विभाग द्वारा संचालित अन्य योजना अथवा किसान समृद्धि योजनांतर्गत पूर्व में नलकूप खनन अनुदान का लाभ प्राप्त किये कृषक पात्र नहीं होंगे।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा निर्धारित दर अनुसार नलकूप खनन एवं पंप हेतु औसत लागत निम्नानुसार है :-

1. 150 मि.मि. व्यास, 100 मीटर गहराई एवं 3 हार्स पावर का पंप रू. 121594/-
2. 150 मि.मि. व्यास, 100 मीटर गहराई एवं 5 हार्स पावर का पंप रू. 127628/- किसान समृद्धि योजना अंतर्गत नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापन हेतु कृषि विभाग द्वारा देय अनुदान राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.कृषक वर्ग	अनुदान राशि	
	खनन	पंप प्रतिस्थापन
सामान्य	खनन की वास्तविक लागत अथवा 10000/- जो भी कम हो	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा 15000/-
अ.पि.वर्ग	खनन की वास्तविक लागत अथवा 15000/- जो भी कम हो	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा 20000/-
अजजा /अजा	खनन की वास्तविक लागत अथवा 18000/- जो भी कम हो	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा 25000/-

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग अंतर्गत नलकूप स्थापना हेतु तीन योजनाएं संचालित हैं, **1. समेकित उद्यानिकी कार्य योजना** जिसके अंतर्गत नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापन हेतु अनुदान राशि सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35,000 रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 43,000 रुपये निर्धारित है। पात्रता के लिए किसान के पास न्यूनतम 1.00 हेक्टेयर से अधिकतम 2.00 हेक्टेयर तक उद्यानिकी रोपण या फसलों का क्षेत्र विस्तार (फल पौध रोपण एवं अंतरवर्तीय) होना अनिवार्य है। शेष मापदंड किसान समृद्धि योजना के अनुरूप है। **2. नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल पाम योजना** जिसके अंतर्गत बोरवेल प्रतिस्थापन पर 50,000 रुपये अनुदान का प्रावधान है। इस योजना के लिए वे कृषक पात्र हैं जो 2.00 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में ऑयल पाम का पौधरोपण करते हैं। **3. राष्ट्रीय बागवानी मिशन** अंतर्गत नलकूप स्थापना हेतु अधिकतम ₹0.90 लाख का अनुदान प्रावधानित है। इसके तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका वर्ष 2025 अनुसार योजना के अन्य घटकों के साथ एकीकरण करने पर ही कृषकों को नलकूप खनन की पात्रता होगी।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़सठ" \]](#)

दुग्ध संग्रहण केंद्रों में अनियमितता एवं शिकायतों का निराकरण

[पशुधन विकास]

30. (क्र. 789) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राज्य में वर्तमान में संचालित दुग्ध संग्रहण केंद्रों की संख्या कितनी है? विगत तीन वर्षों में इन केंद्रों के संचालन के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतों का विषयवार एवं जिला-वार विवरण दें? (ख) उक्त शिकायतों के संबंध में क्या जांच कराई गई है? जांच में क्या अनियमितताएं पाई गई हैं तथा किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया है? उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? (ग) क्या कई दुग्ध संग्रहण केंद्रों में गुणवत्ता परीक्षण, तौल प्रक्रिया एवं भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव सुधारने हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित अंतर्गत वर्तमान में संचालित दुग्ध सहकारी समितियों (दुग्ध संग्रहण केंद्रों) की संख्या 604 है। विगत तीन वर्षों में इन केंद्रों के संचालन के संबंध में प्राप्त शिकायत निरंक है। (ख) शिकायत निरंक होने के कारण जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ग) दुग्ध सहकारी समितियों (दुग्ध संग्रहण केंद्रों) में गुणवत्ता परीक्षण, तौल प्रक्रिया एवं भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव सुधारने हेतु शासन द्वारा उठाए गए कदम का विवरण निम्नलिखित अनुसार है-

1. वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को 700 नवीन दुग्ध समितियों के लिए दुग्ध परीक्षण सामग्री, तौल मशीन, दुग्ध संग्रहण सहायक उपकरण आदि की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके विरुद्ध अद्यतन 105 नवीन दुग्ध समितियों में ये उपकरण स्थापित किये जा चुके हैं।

2. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजनांतर्गत पूर्व संचालित 245 दुग्ध सहकारी समितियों हेतु 23 डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट, 38 आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, 25 इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनालाइजर सह एडल्टेशन टेस्टिंग मशीन एवं 159 क्लाउड बेस्ड मिल्क एनालाइजर की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
3. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के रिवाइटलाईजिंग प्रामिसिंग- प्रोजेक्ट्स ओन्ड इन्स्टिट्यूशन (आरपी-पीओआई) मद अंतर्गत पूर्व से संचालित 30 दुग्ध समितियों को डाटा प्रोसेसर मिल्क कलेक्शन यूनिट प्रदाय किया गया है।
4. जिला धमतरी में 10 दुग्ध समितियों में आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित किया गया है।
5. दुग्ध समितियों को दूध प्रदाय करने वाले दुग्ध प्रदायकों के लंबित भुगतान हेतु राशि रु. 14.53 करोड़ दुग्ध महासंघ को स्वीकृत कर वर्तमान में भुगतान नियमित किया गया।

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित छात्रावास

[आदिम जाति विकास]

31. (क्र. 793) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आदिम जाति विकास विभाग द्वारा वर्तमान में कितने और कहाँ-कहाँ छात्रावास संचालित हैं? विवरण देवें? **(ख)** प्रश्न क्रमांक "क" के अनुसार कितने छात्रावास जर्जर अवस्था में हैं? विवरण दे? **(ग)** प्रश्न क्रमांक "क" एवं "ख" के अनुसार जर्जर छात्रावास के लिए नवीन भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? उक्त जर्जर छात्रावासों हेतु नवीन भवन का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में 18 एवं जिला सूरजपुर में 13 इस प्रकार कुल 31 छात्रावास संचालित है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** प्रश्न क्रमांक "क" के अनुसार कोई भी छात्रावास/आश्रम जर्जर अवस्था में नहीं हैं। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

बीजापुर जिले में एकीकृत परियोजना मद अंतर्गत प्रदत्त राशि

[आदिम जाति विकास]

32. (क्र. 800) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बीजापुर जिले में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में एकीकृत परियोजना मद में कौन-कौन से कार्यों के लिए राशि प्रदान की गई? कार्यों के नाम एवं राशि सहित जानकारी वर्षवार देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : बीजापुर जिले में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना मद में विभाग द्वारा प्रदान की गई राशि की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर"]

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में यूरिया, डीएपी, पोटॉश, राखड़ खाद का लक्ष्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

33. (क्र. 806) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यूरिया, डीएपी, पोटॉश, राखड़ खाद का कुल आबंटित लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था? लक्ष्य के विरुद्ध माह अगस्त, 2025 तक

कितनी मात्रा प्राप्त हुई है तथा कितनी मात्रा का वितरण किया जा चुका है? दिनांक 04/02/26 तक जिले में कितनी मात्रा यूरिया, डीएपी, पोटाश, राखड़ खाद का भंडारण उपलब्ध है तथा माह अक्टूबर, 2025 में शेष आवश्यकता की पूर्ति हेतु कितनी अतिरिक्त मात्रा की मांग शासन को भेजी गई थी? **(ख)** क्या जिले की सहकारी समितियों/विपणन केंद्रों में किसानों को समय पर यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी? यदि हाँ, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं? क्या शासन द्वारा कमीग्रस्त समितियों को प्राथमिकता के आधार पर यूरिया उपलब्ध कराने तथा कृत्रिम अभाव/कालाबाजारी रोकने हेतु कोई विशेष व्यवस्था या निगरानी तंत्र लागू किया गया था? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? जानकारी दें? **(ग)** क्या वित्तीय वर्ष 2026 में जिले को पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता कराए जाएगी तथा इस नए वित्तीय वर्ष हेतु खाद की कमी ना हो, इसके लिए कितना लक्ष्य का निर्धारण किया जा रहा है? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** रासायनिक उर्वरकों की वित्तीय वर्ष के लिये नहीं अपितु खरीफ एवं रबी मौसम के लिए पृथक-पृथक मांग आँकलित की जाती है जिसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा उर्वरक आबंटित किया जाता है। खरीफ वर्ष 2025 एवं रबी 2025-26 में जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के लिये यूरिया, डीएपी, पोटाश एवं एसएसपी (राखड़) उर्वरकों आँकलित मांग (लक्ष्य) तथा माह अगस्त तक भण्डारण एवं वितरण की जानकारी निम्नानुसार है:-

इकाई-मेट्रिक टन में

क्र.	उर्वरक	खरीफ 2025			रबी 2025-26		
		लक्ष्य	भण्डारण	वितरण	लक्ष्य	भण्डारण	वितरण
			(1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 तक)			(1 अक्टूबर 2025 से 04.02.2026 तक)	
1	यूरिया	15650	15280	14444	3800	4923	2699
2	डी.ए.पी.	9400	7497	6283	2250	3723	2380
3	एस.एस.पी (राखड)	5000	7596	5141	800	2567	262
4	एमओपी (पोटाश)	2050	2347	2145	600	1000	110
	कुल	32100	32720	28013	7450	12213	5451

माह अक्टूबर 2025 में उर्वरक भण्डारण लक्ष्य से अधिक होने के कारण खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला द्वारा उर्वरकों की अतिरिक्त मांग प्रस्तुत नहीं की गयी है। **(ख)** जिले की सहकारी समितियों/विपणन केंद्रों में यूरिया की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता थी। जिला खैरागढ़ छुईखदान-गंडई की सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर यूरिया उपलब्ध कराने तथा कृत्रिम अभाव / कालाबाजारी रोकने के लिये जिले के उप संचालक कृषि द्वारा सहकारी समितियों एवं विक्रय केन्द्रों में विभागीय मैदानी अमलों की ड्यूटी लगाई गई तथा उर्वरक निरीक्षकों से सतत निरीक्षण कराया गया। **(ग)** जी हाँ, वर्ष 2026-27 में खरीफ एवं रबी मौसम में जिले को मांग के अनुरूप उर्वरकों की उपलब्धता हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे। वर्तमान में खरीफ वर्ष 2026 हेतु राज्य के लिए समग्र रूप से 15.20 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की मांग आंकलित कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गयी है, जिसकी स्वीकृति उपरान्त जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किया जा सकेगा। रबी वर्ष 2026-27 के लिये उर्वरकों का लक्ष्य आंकलित नहीं किया गया है।

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में संचालित पशुधन विकास योजनाएं

[पशुधन विकास]

34. (क्र. 807) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वित्तीय वर्ष 2024-25 से दिनांक 04/02/26 तक पशुधन

विकास विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की गई हैं? योजनावार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** उपरोक्त अवधि में संचालित योजनाओं के अंतर्गत जिले में कुल कितने पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है? योजनावार लाभान्वित पशुपालकों की संख्या, स्वीकृत वित्तीय राशि एवं वास्तविक व्यय की गई राशि की जानकारी दें? **(ग)** जिले में वर्तमान पशुधन विकास एवं स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से कौन-कौन से केंद्र (पशु चिकित्सालय, उप-पशु चिकित्सालय, औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र आदि) स्थापित किए गए हैं? जिले में वर्तमान में विकासखंडवार कितने केंद्र सक्रिय रूप से संचालित हैं और कितने भवन विहीन या बंद हैं? जानकारी प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई में वित्तीय वर्ष 2024-25 से दिनांक 04.02.2026 तक पशुधन विकास विभाग के अन्तर्गत निम्नानुसार योजनाएं संचालित की गई-

1. अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना।
2. अनुदान पर सूकर त्रयी इकाई वितरण योजना।
3. अनुदान पर नर बकरा वितरण योजना।
4. शतप्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण योजना।
5. उन्नत मादा वत्सपालन योजना।
6. राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना।
7. छ.ग.राज्य कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना।
8. राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना।

(ख) उपरोक्त अवधि में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत जिले में कुल 340 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। योजनावार लाभान्वित पशुपालकों की संख्या, स्वीकृत वित्तीय राशि एवं वास्तविक व्यय की गई राशि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र	योजना का नाम	लाभान्वित पशु पालकों की संख्या	स्वीकृत राशि रू. (लाख में)	व्यय की गई राशि रू. (लाख में)
1	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना	288	7.38	7.38
2	अनुदान पर सूकर त्रयी इकाई वितरण योजना	11	0.99	0.99
3	अनुदान पर नर बकरा वितरण योजना	7	0.245	0.245
4	शतप्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण योजना	7	2.45	2.15
5	उन्नत मादा वत्सपालन योजना	21	3.39	3.39
6	राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना	0	0	0
7	छ.ग.राज्य कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना	0	0	0
8	राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना	6	4.664	4.664

(ग) जिले में पशुधन विकास एवं स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से स्थापित केन्द्रों की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	विकासखण्ड	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय
1	खैरागढ़	(1) खैरागढ़ (2) जालबांधा	(1) मुढीपार, (2) ईटार, (3) उरईडबरी, (4) देवरी, (5) गातापार जंगल, (6) गातापारकला, (7) सिंगारपुर, (8)घोटिया, (9) पाड़ादाह, (10) सिंगारघाट, (11) दैहान, (12) अतरियाबाजार, (13) डोकराभांठा, (14) बीजलदेही
2	छुईखदान	(1) छुईखदान (2) गंडई (3) साल्हेवारा	(1) कुकुरमुढा, (2) बुंदेली, (3) साल्हेकला, (4) ठाकुरटोला, (5) पेंडरवानी, (6) बागुर, (7) बकरकट्टा

उक्त समस्त संस्थाएं सक्रिय एवं संचालित है। उक्त संस्थाओं में से पशु औषधालय गातापार जंगल एवं पशु औषधालय दैहान भवन विहीन संस्था है।

विधान सभा क्षेत्र मोहला-मानपुर में पर्यटन विकास हेतु किए गये प्रयास

[पर्यटन]

35. (क्र. 808) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधान सभा क्षेत्र मोहला-मानपुर अन्तर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? **(ख)** पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2023-24 से दिसंबर, 2025 तक कितनी योजनाएं व राशि प्रदाय की गई हैं? अगर नहीं तो क्यों?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर सहित जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास निम्नानुसार है:- 1. नये पर्यटन स्थल चिन्हांकित करने एवं तदुपरान्त चिन्हांकन की श्रेणी के आधार पर विकास कार्य कराये जाने हेतु जिला प्रशासन से निर्धारित प्रारूपों में प्रस्ताव चाहा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त आगामी कार्यवाही की जायेगी। 2. चिन्हांकित पर्यटन स्थल एवं उसके आस-पास पर्यटन विकास, अधोसंरचना एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु भूमि बैंक की स्थापना हेतु जिला प्रशासन से भूमि चिन्हांकित कर प्रस्ताव मांगे गये है। जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त होने उपरान्त बजट उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। 3. जिले के राजमार्गों एवं बाईपास मार्गों में वे साईड एमेनेटिस (मार्ग सुविधा केन्द्र) की स्थापना हेतु जिला प्रशासन से उपयुक्त भूमि की मांग की गई है। जिला प्रशासन से भूमि प्राप्त होने उपरान्त परीक्षण कर आगामी कार्यवाही की जायेगी। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में किसी भी पर्यटन विकास योजना के लिए राशि प्रदाय नहीं की गयी है। मोहला-मानपुर अंतर्गत स्थित स्थलों के पर्यटन विकास हेतु प्रश्नांकित अवधि में विस्तृत प्राक्कलन सहित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर बजट उपलब्धतानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।

किसान समृद्धि योजना एवं राज्य पोषित शाकंभरी योजनान्तर्गत पंप वितरण, नलकूप खनन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

36. (क्र. 809) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी अन्तर्गत वर्ष 2023-24 से जनवरी, 2026 तक किसान समृद्धि योजना एवं राज्य पोषित शाकंभरी योजनान्तर्गत कितने पंप वितरण, नलकूप खनन एवं पंप स्थापना का लक्ष्य प्राप्त हुआ? **(ख)** प्रश्न "क" अनुसार लक्ष्य के विरुद्ध कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने की पूर्ति की गई? यदि लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति नहीं हुई है तो क्यों? पूर्ति किए गए आंकड़े वर्षवार, विकासखंडवार, ग्रामवार जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्न "क" की अवधि में सभी पूर्ति हुये किसानों को अनुदान प्राप्त हुआ हैं अथवा नहीं? यदि नहीं तो जानकारी वर्षवार विकासखंडवार देवे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में वर्ष 2023-24 से जनवरी 2026 तक किसान समृद्धि योजनान्तर्गत नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापन तथा शाकंभरी योजनान्तर्गत पंप वितरण के लक्ष्य की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।** (ख) प्रश्न "क" अनुसार जिले में वर्ष 2023-24 से जनवरी 2026 तक किसान समृद्धि योजना अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त आवेदन, पंजीकृत आवेदन, पंजीकृत किसानों को देय अनुदान एवं ऐसे कृषक जिनके द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अनुदान प्रदाय किया जाना लंबित है, की वर्षवार, विकासखण्डवार, ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** राज्य पोषित शाकंभरी योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। चैम्स प्रणाली अन्तर्गत कृषकों को अनुदान राशि प्रदाय नहीं की जाती है, अपितु कृषकों द्वारा चयनित सामग्री की कुल कीमत में से अनुदान राशि घटाकर शेष केवल कृषक अंश राशि बीज निगम के खाते में जमा किये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कृषकों से प्राप्त आवेदन, जमा कृषक अंश तथा प्रदत्त सामग्री का वर्षवार, विकासखण्डवार, ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** (ग) चैम्स प्रणाली अन्तर्गत संचालित शाकंभरी योजना में कृषकों को अनुदान राशि प्रदाय नहीं की जाती है। किसान समृद्धि योजनान्तर्गत लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त आवेदन अनुसार पंजीकृत कृषकों द्वारा नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापन कर देयक प्रस्तुत किये जाने पर अनुदान की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से संबंधित कृषकों के खाते में भुगतान किया जाता है, प्रश्नाधीन अवधि में जिन कृषकों द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन्हें अनुदान की राशि प्रदाय नहीं की गई है। वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।**

गौ शालाओं के संचालन हेतु प्रदत्त राशि

[पशुधन विकास]

37. (क्र. 812) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला राजनांदगांव व केसीजी में वर्ष 2023-24 से 04/02/2026 तक गौसेवा आयोग से पंजीकृत गौ-शालाओं में गायों की संख्या कितनी-कितनी है? उक्त गौ-शालाओं के संचालन हेतु कितनी राशि प्रदान की गई है? वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार उक्त गौ-शालाओं की व्यय राशि का आडिट कब-कब किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया व क्या आडिट में कोई अनियमितता पाई गई है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या उक्त अवधि में किसी गौशाला/डेयरी संचालक के ऊपर गौ तस्करी करने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो प्राप्त शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है, पूर्ण जानकारी देवें? **(घ)** क्या पूर्व में संचालित गौठान योजना का नाम बदलकर गौधाम किया गया है? यदि हाँ, तो कितनी जगहों पर गौधाम का निर्माण किया जा रहा है? गौधाम योजना के लिए कितनी-कितनी राशि किस मद से प्रदान की गई है? विकासखण्डवार पूर्ण जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रश्नांक 'क' की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार उक्त गौशालाओं के व्यय राशि का ऑडिट वित्तीय वर्ष के अंत में गौशाला संचालन समिति द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट से कराया जाकर छ.ग. राज्य गौसेवा आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। गौशाला समितियों द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** जी नहीं, गौधाम योजनान्तर्गत ऐसी शासकीय भूमि जहां पूर्व से अधोसंरचना विकसित है, जैसे- गौठान में गौधाम की स्थापना का प्रावधान है। जिला राजनांदगांव में दो जगह पर गौधाम का पंजीयन किया गया है, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में गौधाम का पंजीयन निरंक है। गौधाम योजना अंतर्गत पंजीकृत गौधामों को किसी भी प्रकार की अनुदान राशि प्रदान नहीं की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

पंजीयन विभाग द्वारा अभिलेखों के पंजीयन शुल्क पर अधिरोपित रोजगार एवं युवा विकास उपकर
[वाणिज्यिक कर]

38. (क्र. 818) श्री विक्रम मंडावी : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या पंजीयन विभाग के द्वारा अभिलेखों के पंजीयन शुल्क पर अधिरोपित रोजगार एवं युवा विकास उपकर वर्तमान में प्रभावशील है? यदि हां, तो जनवरी, 2024 से 04 फरवरी, 2026 तक प्राप्त राशि की माहवार जानकारी देवें? यदि समाप्त कर दिया गया है तो उसकी तिथि एवं समाप्त करने का कारण बतावे? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार प्राप्त राशि का उपयोग कौन-कौन से मदों में कौन-कौन से कार्यों हेतु कितना-कितना किया गया? विवरण देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी 2023 के तहत अभिलेखों के पंजीयन पर अधिरोपित रोजगार एवं युवा विकास उपकर वर्तमान में प्रभावशील है। 1 जनवरी, 2024 से 04 फरवरी, 2026 तक रोजगार एवं युवा विकास उपकर शुल्क के रूप में प्राप्त राशि की माहवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** में उल्लेखित उपकर राशि राज्य की संचित निधि में जमा हुई है, अतः राशि का उपभोग किन मदों/कार्यों हेतु किया गया है, की वन-टू-वन मैपिंग नहीं संधारित होती है, अतः विवरण दिया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर"]

प्रदेश में राजस्व वसूली का लक्ष्य एवं वसूली

[वित्त]

39. (क्र. 819) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 04 फरवरी, 2026 तक राज्य सरकार की राजस्व आय अथवा वसूली, राज्यकर से राज्य के करेतर राजस्व से माहवार कितना लक्ष्य था एवं कितनी वसूली की गई? माहवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' की अवधि हेतु राज्य को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों से राज्य का हिस्सा एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान विभिन्न मदों, योजनाओं से कितना प्राप्त हुआ? माहवार जानकारी देवें? **(ग)** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 04 फरवरी, 2026 तक बजट में अनुमानित लक्ष्य के विरुद्ध कुल कितनी राजस्व प्राप्ति हुई? वर्षवार बतावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** एवं **(ख)** महालेखाकार द्वारा राजस्व प्राप्ति के आंकड़े माहवार संधारित किये जाते हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 (जनवरी 2026 तक) की प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' की जानकारी **प्रपत्र-अ** में **संलग्न** है। **(ग)** प्रश्नांश 'ग' की जानकारी **प्रपत्र-ब** में **संलग्न** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर"]

प्रदेश सरकार को जी.एस.टी. कलेक्शन एवं आबंटन से प्राप्त होने वाली राशि

[वाणिज्यिक कर]

40. (क्र. 820) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में जनवरी, 2024 से 04 फरवरी, 2026 तक कुल कितना जी.एस.टी. कलेक्शन का लक्ष्य था? कितना जी.एस.टी. कलेक्शन हुआ? वर्षवार विवरण देवें? **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जी.एस.टी. से प्रदेश सरकार को कुल कितने प्रतिशत की राशि दिए जाने का प्रावधान है? विवरण देवें? **(ग)** कंडिका 'क' के वर्षों में प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार से कुल कितनी जी.एस.टी. की राशि आबंटित की गई? विवरण देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रदेश में जनवरी, 2024 से 04 फरवरी, 2026 तक कुल जी.एस.टी. कलेक्शन का लक्ष्य एवं जीएसटी कलेक्शन का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	कलेक्शन
01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक	16045.33	15290.07
01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक	16889.07	15397.22
01 जनवरी 2026 से 04 फरवरी 2026 तक	1405.99	1016.14

(ख), (ग) केंद्र सरकार द्वारा 3.407 प्रतिशत की राशि दिया जाता है एवं उक्त अवधि में रूपए 27,735.61 करोड़ जीएसटी की राशि आबंटित की गई ।

जशपुर विधान सभा क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण

[मछली पालन]

41. (क्र. 822) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जशपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन हेतु कितने हितग्राहियों का तालाब निर्माण कार्य कराया गया है ? व्यक्तिवार, समूहवार, योजनावार ब्यौरा क्या है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जशपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग द्वारा मत्स्य पालन हेतु वर्ष 2023-24 में 17 हितग्राहियों एवं 2024-25 में 25 हितग्राहियों का कुल 42 हितग्राहियों का तालाब निर्माण कार्य कराया गया है। व्यक्तिवार/योजनावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। समूहवार जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर"]

जशपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत किसानों को प्रदत्त कृषि उपकरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

42. (क्र. 823) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जशपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कृषि विभाग द्वारा कितने किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराया गया है? समूहवार, योजनावार ब्यौरा क्या है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जशपुर विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित विकासखण्ड बगीचा, जशपुर एवं मनोरा में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कृषि विभाग द्वारा किसी भी समूह को अनुदान पर कृषि यंत्र-उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रश्नांकित अवधि में अनुदान पर कृषि यंत्र-उपकरण प्राप्त करने वाले कृषकों की वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर"]

जशपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित आश्रम शाला/अनु.जनजाति छात्रावास

[आदिम जाति विकास]

43. (क्र. 824) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जशपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित आश्रम शाला/अनु.जनजाति छात्रावासों की कुल संख्या, स्वीकृत सीटें एवं वर्तमान में छात्र-छात्राओं की कुल संख्या छात्रावासवार क्या है ? **(ख)** जशपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत

आदिम जाति विकास विभाग द्वारा किन-किन मदों में किन योजना के तहत आदिवासी छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है? वर्षवार, राशिवार, हितग्राहीवार ब्यौरा दे ? **(ग)** जशपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में आदिवासी छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति/स्कूल ड्रेस/खेल सामग्री किन-किन पंजीकृत संस्था के द्वारा दिया गया है? वर्षवार, राशिवार, संख्यावार, फर्मवार, ब्यौरा क्या है? **(घ)** जशपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत नए निर्मित छात्रावासों/जर्जर छात्रावासों की संख्या वर्षवार, नामवार ब्यौरा क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र - 'अ' अनुसार है। **(ख)** जशपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आदिम जाति विकास विभाग द्वारा प्री.मै.छात्रावास-आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को रुपये 1500.00 प्रतिमाह शिष्यवृत्ति राशि एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना अंतर्गत /रुपये 1200.00 प्रति छात्र प्रति माह लाभान्वित किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-''ब'' अनुसार है। (ग)** विभाग द्वारा कॉलेज स्तर (उच्च स्तर) में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में आदिवासी छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है, तथा स्कूल ड्रेस/खेल सामग्री क्रीड़ा परिसर बालक/कन्या जशपुर को प्रदाय की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र - 'स' एवं 'द' अनुसार है। (घ)** जशपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 07 नये छात्रावास भवन निर्मित है, एवं 09 छात्रावास भवन निर्माण प्रगतिरत है। जर्जर छात्रावास की संख्या 01 प्री. मैट्रिक बालक छात्रावास कलिया विकास खण्ड बगीचा जिसे डिसमेटल कर नये भवन निर्माण की आवश्यकता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र - 'इ' अनुसार है।**

विधान सभा क्षेत्र पत्यलगांव में मंदिरों का जीर्णोद्धार

[संस्कृति]

44. (क्र. 834) श्रीमती गोमती साय : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र पत्यलगांव अंतर्गत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक किन-किन मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कि गयी है? ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" में जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत किये गये मंदिरों में से कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, कितने अधूरे हैं? अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है? **(ग)** जशपुर जिला में संस्कृति विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं? विवरण देवें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र पत्यलगांव अंतर्गत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जशपुर जिला में संस्कृति विभाग द्वारा समय-समय पर पुरास्थलों का सर्वेक्षण और जिला पुरातत्वीय संघ जशपुर द्वारा संचालित संग्रहालय के संचालन एवं रख रखाव हेतु जिले को अनुदान देने का कार्य किया जा रहा है।

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में पर्यावरण जागरूकता हेतु संचालित कार्यक्रम

[आवास एवं पर्यावरण]

45. (क्र. 840) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में विभाग द्वारा पर्यावरण शिक्षा एवं जन जागरूकता के लिए क्या-क्या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** शहरी हरित क्षेत्र बढ़ाने हेतु विभाग की क्या कार्ययोजना है? जानकारी प्रदान करें ? विभाग द्वारा भूमि, वायु, जल स्रोत के संरक्षण हेतु क्या विशेष अभियान चलाया जा रहा है? जानकारी प्रदान करें? **(ग)** वर्ष 2021 से 2025 तक की स्थिति में कितने तालाबों एवं कुओं के पुनर्जीवन पर कार्य किया गया ? ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी प्रदान करें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में पर्यावरण शिक्षा एवं जन जागरूकता के लिए विभिन्न स्कूलों में इको क्लब का संचालन किया जा रहा है। (ख) वन मण्डलाधिकारी, सरगुजा वन मण्डल, अंबिकापुर से प्राप्त जानकारी अनुसार हरित क्षेत्र बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा वन क्षेत्र से बाहर कृषकों के सहभागिता से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30,385 नग पौधों का रोपण किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम से 18,500 नग पौधों का रोपण किया गया है। हरियाली प्रसार योजना के तहत साधारण पौधा 1,00,000 नग एवं ग्राफ्टेड पौधा 3,000 नग कुल 1,03,000 नग पौधा रोपण का लक्ष्य आगामी वर्ष के लिये तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंतर्गत 30,000 नग पौधा रोपण का लक्ष्य आगामी वर्ष के लिये तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना अंतर्गत विधानसभा सीतापुर क्षेत्र में 1,00,000 नग मिश्रित प्रजाति के पौधा तैयार कर हरित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु ग्रामीणों को निःशुल्क वितरण हेतु आगामी वर्ष के लिये तैयार की जा रही है। विभाग द्वारा भूमि, वायु, जल स्रोत के संरक्षण हेतु कार्ययोजना अनुसार 3510 हेक्टेयर वनक्षेत्र में भू-जल संरक्षण का कार्य कराया गया है। विभाग द्वारा कोई भी विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा वायु और मृदा संरक्षण हेतु कोई योजना/कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल स्रोत के संरक्षण हेतु घुनघुटा नदी के जल की प्राकृतिक जल गुणवत्ता एवं राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित निगरानी की जाती है। (ग) जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से संबंधित नहीं है तथापि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत, सरगुजा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला पंचायत सरगुजा द्वारा वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक कराये गए तालाब गहरीकरण कार्य की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सीतापुर, जिला-सरगुजा से प्राप्त जानकारी अनुसार नगर पंचायत सीतापुर अंतर्गत 02 तालाबों वार्ड क्रमांक 03 में झोर तालाब एवं वार्ड क्रमांक 10 में आहरा तालाब का सौंदर्यकरण कराया गया है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर" \]](#)

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में संचालित आजीविका संवर्धन योजनाएं

[आदिम जाति विकास]

46. (क्र. 841) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में PVTG अंतर्गत आदिम जाति परिवारों की आजीविका संवर्धन हेतु कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं ? वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ कितने परिवारों को मिला है ? पारंपरिक ज्ञान को बाजार से जोड़ने की क्या रणनीति है ? जानकारी प्रदान करें? **(ख)** विभाग PVTG युवाओं के लिए कौशल विकास व आदिम जाति महिलाओं के लिए क्या विशेष योजनाएँ संचालित कर रहा है व कितने युवा एवं महिलाएं इस योजना से प्रशिक्षित हुए हैं ? वर्ष 2021 से 2025 तक की ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार संख्या प्रदान करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में PVTG अंतर्गत आदिम जाति परिवारों की आजीविका संवर्धन हेतु पीएम जनमन योजना एवं पहाड़ी कोरवा आश्रम संचालित है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ एवं ब अनुसार** है। विधानसभा क्षेत्र सीतापुर के अधीन प्राथमिक लघु वनोपज समिति पेटला, कमलेश्वरपुर, सीतापुर एवं बतौली के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना संचालित है, परंतु PVTG संग्राहकों के परिवार के द्वारा लघु वनोपज का विक्रय उक्त समितियों को नहीं करने के कारण MSP योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। आदिम जाति परिवारों के पारंपरिक ज्ञान को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बाजार से जोड़कर संबंधित परिवारों को लाभ प्रदाय करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। **(ख)** सरगुजा जिले में PVTG युवाओं के लिए कौशल विकास हेतु पीएम जनमन योजना अंतर्गत कौशल विकास घटक संचालित है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र स अनुसार** है। आदिम जाति PVTG महिलाओं के

लिये छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान द्वारा संचालित-कैश क्रेडिट लिंकेज योजना संचालित है।
जानकारी **संलग्न प्रपत्र द अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर"]

जिला रायगढ़ अन्तर्गत संस्कृति विभाग विभाग में स्वीकृत राशि

[संस्कृति]

47. (क्र. 845) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला रायगढ़ अन्तर्गत विगत 02 वर्षों में संस्कृति विभाग में किन-किन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? कार्यक्रम वार राशि सहित जानकारी देवें? **(ख)** कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम की राशि की स्वीकृति लंबित है, कब तक भुगतान कर लिए जाएंगे?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) जिला रायगढ़ अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 62 सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु 37,70,000/- (सैंतीस लाख सत्तर हजार) मात्र स्वीकृत की गयी है। कार्यक्रम वार राशि सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। अशासकीय संस्थाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु स्वीकृति संख्या निरंक है। **(ख)** 23 सांस्कृतिक कार्यक्रम की राशि रूपये 10,57,000/- लंबित है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर"]

जिला रायगढ़ अन्तर्गत शासकीय मंदिर को प्राप्त आवंटन

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

48. (क्र. 846) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला रायगढ़ अन्तर्गत कितने मंदिर धार्मिक स्थल शासकीय हैं, वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 तक विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि कब-कब आवंटित की गई है? **(ख)** आवंटित राशि से क्या-क्या कार्य कराए गए है? नाम सहित जानकारी देवें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) जिला-रायगढ़ अन्तर्गत 06 मंदिर धार्मिक स्थल शासकीय है। वर्ष 2024 से जनवरी 2026 तक शासन द्वारा आवंटित राशि की जानकारी "निरंक" है। **(ख)** प्रश्नांक 'ख' के संबंध में जानकारी "निरंक" है।

स्वीकृत बजट के विरुद्ध व्यय राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

49. (क्र. 849) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि विभाग के स्वीकृत बजट के विरुद्ध 10/02/2026 तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग हेतु कुल स्वीकृत बजट के विरुद्ध दिनांक 10.02.2026 की स्थिति में कुल ₹196576.70 लाख का व्यय किया गया है।

केमीकल कारखानों द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन

[आवास एवं पर्यावरण]

50. (क्र. 850) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने केमीकल कारखाने संचालित हैं? विगत दो वर्षों में किन-किन कारखानों पर पर्यावरण संरक्षण नियम के उल्लंघन करने संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई? अथवा संज्ञान में आई? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, संयंत्रवार जानकारी प्रदान करें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सम्मति प्राप्त कुल 03 केमिकल उद्योग संचालित है। 01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2025 तक अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित उद्योगों के विरूद्ध पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन संबंधी प्राप्त शिकायतों के संबंध में वर्षवार एवं संयंत्रवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्‍यासी" \]](#)

जिला जांजगीर-चांपा की मछुवा सहकारी समितियों एवं समूहों की अनुदान, ऋण व प्रशिक्षण

[मछली पालन]

51. (क्र. 853) श्री ब्यास कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा की मछुवा सहकारी समितियों/स्व सहायता समूहों को अनुदान एवं ऋण सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई? लाभान्वित समितियों की संख्या कितनी है? हितग्राहीवार/विकासखंडवार जानकारी देवें? क्या किसी समिति को बजट राशि से वंचित रखा गया है? (ख) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जांजगीर-चांपा जिले में मछली पालकों के लिए कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये? इन पर कितनी बजट राशि व्यय की गई? प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों की ग्रामवार/विकासखंडवार जानकारी देवें? (ग) प्रशिक्षण 'ख' का प्रशिक्षण किस संस्थान/एन.जी.ओ. के द्वारा दी गई तथा प्रशिक्षण के लिए उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया? पूर्ण विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा की मछुवा सहकारी समितियों को अनुदान के रूप में 706500.00 राशि प्रदान की गई, ऋण सहायता प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। लाभान्वित समितियों की संख्या 04 है। हितग्राहीवार/विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** जी नहीं, आवेदित समितियों को बजट राशि से वंचित नहीं रखा गया है। (ख) वर्ष 2024-25 में जांजगीर-चांपा जिले में मछली पालकों के लिए आयोजित 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम पर राशि ₹. 813750.00 तथा 2025-26 में प्रशिक्षित अवधि तक आयोजित 03 प्रशिक्षण कार्यक्रम पर राशि ₹. 221250.00 व्यय की गई, **विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों की ग्रामवार/विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।** (ग) जी नहीं, प्रशिक्षण 'ख' का प्रशिक्षण किसी संस्थान/एन.जी.ओ. के द्वारा नहीं दी गई तथा प्रशिक्षण के लिए उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया गया है। प्रशिक्षण विभागीय विकासखण्ड प्रभारी मत्स्य निरीक्षक/सहायक मत्स्य अधिकारी के द्वारा दिया गया है।

बजट प्रावधान, विकास कार्य स्वीकृति एवं व्यय

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

52. (क्र. 854) श्री ब्यास कश्यप : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग हेतु कुल कितनी राशि बजट में स्वीकृत की गई है? उक्त बजट में धार्मिक स्थलों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों के लिए पृथक-पृथक कितनी राशि निर्धारित की गई है? वर्ष 2024-25 की तुलना में बजट में कितनी वृद्धि या कमी की गई है? **(ख)** वर्ष 2025-26 में जांजगीर-चांपा जिले के धार्मिक न्यासों/मंदिरों/धार्मिक स्थलों के विकास हेतु कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत कार्यों पर अनुमानित लागत कितनी है? विकासखंडवार स्वीकृत कार्यों एवं राशि का विवरण प्रदान करें? **(ग)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 जनवरी, 2026 तक कितनी बजट राशि व्यय की जा चुकी है? कितनी राशि अप्रयुक्त है एवं उसके कारण क्या है? क्या विभाग द्वारा समयबद्ध व्यय सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष कार्ययोजना बनाई गई है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 49.30 करोड़ बजट प्रावधान है। धार्मिक स्थलों के संरक्षण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। वर्ष 2024-25 की तुलना में 10.00 लाख रुपये की वृद्धि की गई है। **(ख)** जानकारी "निरंक" है। **(ग)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 जनवरी 2026 तक 12,22,75,126/-रुपये व्यय की गई है। एवं राशि रुपये 37,07,24,874/-अप्रयुक्त है। उचित माध्यम से प्राक्लन प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण राशि शेष है। व्यय सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी" \]](#)

विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत संचालित पशु चिकित्सालय एवं पशु औषधालय

[पशुधन विकास]

53. (क्र. 857) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत कितने और कहां- कहां पशु चिकित्सालय एवं पशु औषधालय है? विकास खण्डवार विवरण देंगे। **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार वर्तमान में क्या उक्त पशु चिकित्सालय एवं पशु औषधालय भवन विहीन हैं या जर्जर हैं ? यदि हाँ तो नवीन भवन हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण देंगे। **(ग)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार उक्त पशु चिकित्सालयों एवं पशु औषधालय का स्वीकृत सेटअप क्या है? वर्तमान में इनमें कितने अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत हैं ? पदनाम सहित विवरण विकास खण्डवार पशु चिकित्सालयों एवं पशु औषधालयवार देंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत 5 पशु चिकित्सालय, तथा 8 पशु औषधालय संचालित है। विकास खण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांक **(क)** के अनुसार वर्तमान में पशु औषधालय कलमा, सिंघरा भवन विहीन है तथा पशु चिकित्सालय डभरा, चन्द्रपुर, कोटमी, मालखरौदा, अड़भार एवं पशु औषधालय सपोस, आडिल के भवन जर्जर स्थिति में हैं। विभाग द्वारा कलेक्टर जिला सक्ती को जर्जर भवन वाली संस्थाओं हेतु वैकल्पिक भवन उपलब्ध कराये जाने पत्र लिखा गया है। **(ग)** प्रश्नांक 'ग' की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी " \]](#)

जिला सक्ती अंतर्गत आश्रम/छात्रावासों के लिए सामाग्रियों की खरीद एवं वितरण

[आदिम जाति विकास]

54. (क्र. 858) श्री रामकुमार यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** जिला सक्ती अंतर्गत राज्य शासन के अधीन कितने और कहां-कहां आश्रम /छात्रावास संचालित हैं?

बच्चों की दर्ज संख्या सहित विधानसभा क्षेत्रवार विवरण दें ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार जिला सक्ती अंतर्गत वर्ष अप्रैल, 2024 से 02 फरवरी, 2026 में संचालित आश्रम/छात्रावासों में सामाग्रियों की उपलब्धता हेतु प्रावधानित/स्वीकृत व व्यय की गई राशि का विवरण दें। **(ग)** प्रश्नांक "क" एवं "ख" के परिपेक्ष्य में वर्ष अप्रैल 2024, से 02 फरवरी, 2026 तक कितने आश्रमों/छात्रावासों को क्या-क्या सामाग्रियां उपलब्ध कराई गई है ? विवरण दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला सक्ती अंतर्गत राज्य शासन के अधीन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा कुल 55 आश्रम/छात्रावास संचालित है। विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी **संग्रह "प्रपत्र अ"** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संग्रह "प्रपत्र ब"** अनुसार है। **(ग)** संस्थावार जानकारी **संग्रह "प्रपत्र स"** अनुसार है।

[\[संग्रह "परिशिष्ट - बयासी" \]](#)

बसना विधानसभा के आश्रम शालाओं/छात्रावासों में सोलर लाइट हेतु प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति

[आदिम जाति विकास]

55. (क्र. 860) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वर्ष जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2025 तक महासमुंद जिले के बसना विधानसभा क्षेत्र में आश्रम शालाओं/छात्रावासों में सोलर लाइट हेतु कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हाँ तो किन-किन स्थानों में कितनी राशि के कार्यों हेतु निविदा कब जारी की गई एवं कितने एजेंसियों ने निविदा में भाग लेकर किस एजेंसी को, किस दर पर कार्यदिश जारी किया गया है? एजेंसी को भुगतान के पूर्व किस अधिकारी या विभाग द्वारा कार्य का मूल्यांकन, सत्यापन किया गया? एजेंसी को किये गए भुगतान, जीएसटी, लंबित भुगतान एवं कारण सहित कार्य पूर्ण अपूर्ण की जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्रदत्त अनुदान सहायता राशि

[आदिम जाति विकास]

56. (क्र. 861) डॉ. सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को अनुदान सहायता राशि किस प्रक्रिया के तहत प्रदान की जाती है? छत्तीसगढ़ राज्य हेतु विगत 3 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा कितनी अनुदान सहायता राशि प्राप्त हुई है एवं आबंटन के अनुरूप कितनी राशि का व्यय किया जा चुका है? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** रायपुर संभाग अंतर्गत अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में जिलों के द्वारा कितनी अनुदान सहायता राशि हेतु प्रस्तावित कार्य योजना उच्च कार्यालय को प्रेषित की गई है व जिलों द्वारा प्रेषित कार्ययोजना के अनुरूप कितने कार्य हेतु स्वीकृति एवं आबंटन प्राप्त हुआ है? विकासखंडवार आबंटन की जानकारी प्रदान करें? **(ग)** क्या प्रश्नांश अवधि के दौरान जिलों के द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुरूप उन्हें आबंटन प्राप्त होना शेष है? वर्षवार जानकारी प्रदान करें? **(ड)** क्या जिलों को विगत वर्षों के शेष लंबित राशि का भुगतान किया जायेगा, जानकारी दें? अप्राप्त आबंटन हेतु कौन-कौन सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी जिम्मेदार हैं एवं उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है, जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को अनुदान सहायता की राशि

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला योजना एवं निगरानी समिति तथा विभिन्न विभागों एवं मान जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति (SLEC) की अनुशंसा उपरांत अनुशंसित कार्ययोजना प्रस्ताव को भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है। तत् पश्चात भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति (PAC) द्वारा अनुमोदन उपरांत कार्यों की स्वीकृति/आबंटन भारत सरकार से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ राज्य हेतु विगत 03 वर्ष में कुल राशि रु. 43761.66 लाख केंद्र सरकार द्वारा अनुदान सहायता राशि प्रदान की गई है, जिसमें वर्ष 2022-23 में राशि रु. 13578.43 लाख, वर्ष 2023-24 में राशि रु. 15676.77 लाख तथा वर्ष 2024-25 में राशि रु. 14506.46 लाख है। विगत 03 वर्षों में कुल प्राप्त आबंटन के अनुरूप कुल 19665.64747 लाख व्यय किया जा चुका है। वर्षवार विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) प्रश्नांश अवधि के दौरान जिले के द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना में से स्वीकृत कार्यों में उन्हें आबंटन प्राप्त होना शेष नहीं है। (ड) प्रश्नांश 'ग' के स्वीकृत कार्यों की पूरी राशि दी जा चुकी है, अतः शेष राशि देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।**

महासमुंद जिले में कृषि विभाग की योजनाओं के अंतर्गत आबंटन एवं व्यय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

57. (क्र. 863) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद जिले में वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 के दौरान कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि प्रोत्साहन योजना, जैविक खेती योजना तथा मृदा परीक्षण योजना के अंतर्गत कितना आबंटन प्राप्त हुआ तथा कितना व्यय किया गया, वर्षवार एवं मदवार बतायें? **(ख)** क्या उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत आदान सामग्री की खरीदी में भंडार क्रय नियमों एवं छत्तीसगढ़ शासन के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है? यदि हाँ, तो आदान सामग्री की खरीदी किस्तों/टुकड़ों में क्यों की गई? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या योजनाओं का लाभ डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों को प्रदान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक डीबीटी व्यवस्था लागू की जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में (दिनांक 15.02.2026 तक) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक खेती मिशन तथा स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी योजना अंतर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय की वर्षवार, योजनावार, मदवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत जिला महासमुंद में वर्ष 2024-25 में सामग्री एवं उपकरणों के क्रय के संबंध में की गई प्रारंभिक जांच में छ.ग. भण्डार क्रय नियम 2002 तथा छ.ग. वित्तीय संहिता भाग-1 खण्ड-2 का उल्लंघन पाए जाने के फलस्वरूप उप संचालक कृषि जिला महासमुंद को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। संबंधित का प्रतिवाद उत्तर अप्राप्त है। **(ग)** प्रश्नांश "क" में उल्लेखित योजनाओं के हितग्राही मूलक घटकों में डी.बी.टी. (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) का लाभ दिये जाने का प्रावधान पूर्व से ही है। प्रश्नाधीन अवधि में महासमुंद जिले में स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी योजना को छोड़कर शेष योजनाओं में डी. बी.टी. (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) का लाभ दिया जा रहा है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरासी"]

पशुधन विकास योजना के अंतर्गत दुधारू गाय/भैंस क्रय हेतु कितने हितग्राहियों को अनुदान

[पशुधन विकास]

58. (क्र. 869) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, रायपुर एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पशुधन विकास योजना के अंतर्गत दुधारू गाय/भैंस क्रय हेतु कितने हितग्राहियों को अनुदान प्रदान किया गया? वर्षवार एवं विकासखंडवार विवरण बताएं? (ख) अनुदान वितरण में चयन की प्रक्रिया क्या थी? क्या वास्तविक पात्र पशुपालक लाभ से वंचित हुए? वंचित हुए वास्तविक पात्र पशुपालकों का विवरण वर्षवार एवं जिले के विकासखंडवार बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, रायपुर एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत दुधारू गाय/भैंस क्रय पश्चात 561 हितग्राहियों को अनुदान प्रदाय किया गया है। वर्षवार एवं विकास खंडवार विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	लाभान्वित हितग्राही की संख्या			
			वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	योग
1	रायपुर	अभनपुर	12	21	23	56
		आरंग	31	39	46	116
		धरसीवा	33	38	23	94
		तिल्दा	9	13	22	44
		योग	85	111	114	310
2	बलौदाबाजार- भाटापारा	बलौदाबाजार	5	9	8	22
		भाटापारा	8	12	4	24
		कसडोल	15	20	18	53
		सिमगा	8	6	10	24
		पलारी	8	9	13	30
		योग	44	56	53	153
3	सारंगढ़- बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	9	0	0	9
		सारंगढ़	19	19	19	57
		बरमकेला	13	6	13	32
		योग	41	25	32	98
महायोग			170	192	199	561

(ख) अनुदान वितरण हेतु चयन की प्रक्रिया सत्यापन समिति की अनुशंसा थी। प्रश्नाधीन वर्षों में योजनांतर्गत सत्यापन समिति द्वारा अनुशंसितसमस्त भौतिक सत्यापित डेयरी इकाईयों के वास्तविक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है, कोई भी वास्तविक पात्र हितग्राही लाभ से वंचित नहीं हुआ है।

मत्स्य पालक हितग्राहियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ऋण व अनुदान में सब्सिडी

[मछली पालन]

59. (क्र. 870) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) मछली पालन विभाग के अंतर्गत जिला बलौदा बाजार-भाटापारा, रायपुर एवं महासमुंद में वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान मत्स्य पालक हितग्राहियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ऋण व अनुदान में सब्सिडी के साथ कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की गईं? हितग्राहियों के ऋण व अनुदान में सब्सिडी का कितना हिस्सा देय है? (ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों के चयन हेतु क्या निर्धारित मापदंड एवं

प्रक्रिया अपनाई गई? क्या इसमें ऑनलाइन आवेदन, भौतिक सत्यापन एवं ग्राम/जिला स्तरीय चयन समिति की संस्तुति का प्रावधान है? **(ग)** चयनित हितग्राहियों को प्रति व्यक्ति कितनी ऋण व अनुदान राशि तथा क्या-क्या सामग्री (मत्स्य बीज, फीड, जाल, नाव, आइस बॉक्स, तालाब सुधार आदि) प्रदान की गई? जिला-वार एवं योजना-वार दें? **(घ)** क्या हितग्राही चयन एवं ऋण व अनुदान वितरण में पक्षपात, अपात्र व्यक्तियों को लाभ, पात्र हितग्राहियों की उपेक्षा एवं वित्तीय अनियमितताओं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो अब तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, कितनों की जांच कराई गई एवं जांच में क्या निष्कर्ष निकले?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** मछली पालन विभाग के अंतर्गत जिला बलौदा बाजार-भाटापारा, रायपुर एवं महासमुंद में वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान मत्स्य पालक हितग्राहियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अनुदान के साथ संचालित योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** हितग्राहियों को ऋण प्रदान करने से संबंधित कोई भी योजना विभाग में संचालित नहीं है व योजनाओं में हितग्राहियों के अंशदान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** **(ख)** उक्त योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों के चयन हेतु 10 वर्षीय पट्टाधारकों को प्राथमिकता तथा पहले आओ, पहले पाओ के निर्धारित मापदंड एवं प्रक्रिया अपनाई गई है। जी हाँ, इसमें ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन, भौतिक सत्यापन एवं ग्राम/जिला स्तरीय चयन समिति की संस्तुति का प्रावधान है। **(ग)** चयनित हितग्राहियों को प्रति व्यक्ति प्रदाय अनुदान राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है** तथा सामग्री (मत्स्य बीज, फीड, जाल, नाव, आइस बॉक्स, तालाब सुधार आदि) की जिलावार एवं योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।** **(घ)** जी नहीं, प्रश्नांकित जिलों व अवधि में हितग्राही चयन एवं ऋण व अनुदान वितरण में पक्षपात, अपात्र व्यक्तियों को लाभ, पात्र हितग्राहियों की उपेक्षा एवं वित्तीय अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पुरातत्व सर्वेक्षण स्थलों को विकसित करने तथा पुरातत्व संग्रहालयों की देखरेख

[संस्कृति]

60. (क्र. 871) श्री इंद्र साव : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-पुरातत्व सर्वेक्षण स्थलों को विकसित करने तथा पुरातत्व संग्रहालयों की देखरेख करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 तक कौन-कौन से मदों से कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? स्वीकृत राशि का प्रयोग कितने कार्यों के लिए किया जा रहा है? विवरण दें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : पुरातत्व सर्वेक्षण स्थलों को विकसित करने तथा पुरातत्व संग्रहालयों की देखरेख करने के लिए विभाग में संचालित योजनाएं इस प्रकार हैं:-

1. योजना शीर्ष - 0598 - उत्खनन तथा सर्वेक्षण
2. योजना शीर्ष - 4283 - संग्रहालय
3. योजना शीर्ष - 5377 - मुक्ताकाश संग्रहालय

वर्ष 2024 से जनवरी, 2026 तक उक्त मदों से स्वीकृत राशि की जानकारी इस प्रकार है:-

वर्ष 2024 – 2025		
स.क्र.	मद	स्वीकृत राशि
1.	0598 – उत्खनन तथा सर्वेक्षण	01 करोड़ 28 लाख
2.	4283 – संग्रहालय	05 करोड़ 54 लाख 09 हजार
3.	5377 – मुक्ताकाश संग्रहालय	08 करोड़ 17 लाख
वर्ष 2025 – 2026 (जनवरी 2026 तक)		
1.	0598 – उत्खनन तथा सर्वेक्षण	01 करोड़ 28 लाख

2.	4283 – संग्रहालय	05 करोड़ 17 लाख 09 हजार
3.	5377 – मुक्ताकाश संग्रहालय	08 करोड़ 17 लाख

स्वीकृति राशि का प्रयोग विभाग द्वारा कराये जा रहे रीवांगढ़ तहसील आरंग जिला रायपुर के उत्खनन कार्य, विभाग के अधीन संचालित संग्रहालयों - महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर, जिला पुरातत्व संग्रहालय बिलासपुर, पंडित गंगाधर सामंत बाल जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर के विकास और उन्नयन कार्य सहित जिला पुरातत्वीय संघ संग्रहालयों - अंबिकापुर, रायगढ़, सूरजपुर, बीजापुर, जशपुर, राजनांदगांव, कोरबा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही के संचालन हेतु अनुदान देने तथा पुरखौती मुक्तांगन मुक्ताकाश संग्रहालय उपरवारा रायपुर में प्रदेश के विभिन्न जनजातीय समुदायों के आवास संकुल एवं सांस्कृतिक प्रदर्श विकसित एवं प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है।

रायपुर ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत कृषि जमीनों पर अवैध प्लाटिंग

[आवास एवं पर्यावरण]

61. (क्र. 877) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को रायपुर ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत विगत 03 वर्षों में किन-किन क्षेत्रों में कृषि जमीनों की अवैध प्लाटिंग कर बेचने की शिकायत प्राप्त हुई है? जिन पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की जानकारी दें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में रायपुर ग्रामीण विधान सभा अंतर्गत विगत 03 वर्षों में ग्राम-टेमरी क्षेत्र में कृषि जमीनों की अवैध प्लाटिंग के संबंध में 03 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लाटिंग के कुल 03 में से 02 शिकायतों पर स्थल से अप्राधिकृत विकास / निर्माण को हटाये जाने की कार्यवाही की गई तथा शेष 01 शिकायत पर उल्लेखित क्षेत्र के अंतर्गत छ0ग0 अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम-2022 के अंतर्गत प्राप्त अपील प्रकरणों के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौरासी"]

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित फेरोएलाइज प्लांट

[आवास एवं पर्यावरण]

62. (क्र. 878) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र रायपुर ग्रामीण के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कितने फेरोएलाइज प्लांट स्थापित हैं? नाम एवं पता सहित विवरण दें। **(ख)** प्रश्नांक **(क)** अंतर्गत फेरोएलाइज प्लांट से कौन-कौन से हानिकारक तत्व उत्सर्जित होते हैं? उक्त प्लांटों से हानिकारक तत्व मैग्नीज से स्वास्थ्य पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है? क्या विगत 02 वर्षों में इससे संबंधित कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हां तो क्या और विभाग द्वारा प्लांटों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 16 फेरो एलायज प्लांट स्थापित हैं। उक्त उद्योगों के नाम एवं पता की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** फेरो एलायज उद्योगों से प्रमुख रूप से कार्बन डाई-ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाई-ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एवं मेटल-फ्युम्स प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। फेरो एलायज उद्योगों से मैग्नीज ऑक्साइड्स उत्सर्जित होने एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फेरोएलाइज प्लांट से उत्सर्जित होने वाले मैग्नीज

ऑक्साइड्स के संबंध में मानक जारी नहीं की गई है। विगत 02 वर्षों में फेरो एलॉयज प्लांट से उत्सर्जित होने वाले मैगनीज ऑक्साइड्स के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेषांश उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चासी"]

धार्मिक न्याय विभाग अंतर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

63. (क्र. 881) श्री अजय चंद्राकर : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) धार्मिक न्यास विभाग अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित हैं और उसके उद्देश्य क्या है? (ख) विगत तीन वर्ष में कितना बजट प्रावधान किया गया है? केन्द्रीय अनुदान कितनी-कितनी प्राप्त हुयी है तथा कौन-कौन से योजनाओं के माध्यम से कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों के लिये व्यय की गयी एवं कितनी राशि, किन-किन कारणों से लैप्स (विलुप्त)/समर्पित की गयी है? उसके दोषी कौन है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) विभाग अंतर्गत कैलाश मानसरोवर एवं सिन्धु दर्शन योजना संचालित है। इसका उद्देश्य तीर्थ यात्रियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। (ख) विगत 3वर्ष 2023-24 में 40 लाख 2024-25 में 40 लाख एवं 2025-26 में 200 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। कोई केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं होता है। सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रियों हेतु वर्ष 2024 में 989422/- रुपये एवं वर्ष 2025-26 में 2239386/- का व्यय किया गया। तीर्थ यात्रियों द्वारा यात्रा नहीं किये जाने से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर राशि रुपये 24771192/- लेप्स (विलुप्त) हुई जिसे समर्पित की गई। इसके लिए कोई दोषी नहीं है।

डेयरी विज्ञान व खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर अंतर्गत सेटअप

[पशुधन विकास]

64. (क्र. 882) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) डेयरी विज्ञान व खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर अंतर्गत वर्तमान में कितने छात्र अध्ययनरत है और सेटअप के अनुरूप कौन-कौन सी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पद स्वीकृत है? उसकी आर्हतायें क्या-क्या हैं? तथा कौन-कौन से पद, कब से भरे/रिक्त है? भर्ती हेतु कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी है? (ख) क्या उक्त महाविद्यालय के मिल्क प्रोसेसिंग मशीन की स्थापना की गयी है? यदि हां, तो कब की गयी? कितनी लागत की है और वर्तमान में क्या यह चालू/बंद की स्थिति में है? यदि बंद की स्थिति में है तो उसका कारण क्या? कब से बंद है और छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिये महाविद्यालय द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है? इसके अतिरिक्त और कौन-कौन से उपकरण की आवश्यकता है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) डेयरी व खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर अंतर्गत वर्तमान में 128 छात्र अध्ययनरत है। सेटअप के अनुरूप शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद, उसकी आर्हतायें तथा कौन-कौन से पद कब से भरे/रिक्त हैं एवं भर्ती हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के संबंध में **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) जी हाँ, उक्त महाविद्यालय के मिल्क प्रोसेसिंग मशीन की स्थापना वर्ष 2017-18 में की गयी है। मशीन की लागत राशि रु. 1.25 करोड़ है तथा वर्तमान में मशीन बंद है। आवश्यक मशीनरी/प्रसंस्करण लाइन पूर्ण न हो पाने के कारण मशीन स्थापना वर्ष से ही बंद है। छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विभागीय प्रयोगशालाओं में व्यवहारिक प्रशिक्षण, पायलेट स्तरीय उपकरणों का उपयोग, शैक्षणिक भ्रमण तथा राज्य/देश के प्रतिष्ठित कार्यशील डेयरी उद्योगों में शैक्षणिक/इनप्लांट प्रशिक्षण

प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्थान में डेयरी अपशिष्ट, जल शोधन मशीनरी/संयंत्र, आइसक्रीम प्रसंस्करण मशीनरी तथा दही मेकिंग मशीन की आवश्यकता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियासी"]

प्रदेश के पर्यटन/धार्मिक स्थल का विकास

[पर्यटन]

65. (क्र. 883) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्रदेश में पर्यटन/धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु कितने स्थल को चिन्हांकित किया गया? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार पर्यटन/धार्मिक स्थलों के विकास हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं अद्यपर्यन्त कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? (ग) वर्तमान में बालोद जिले में चिन्हांकित पर्यटन स्थल के विकास की दिशा में क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं एवं कितने स्थलों का सौंदर्यीकरण/विकास कार्य पूर्ण हो चुका है, कितना प्रगतिरत है एवं कितना अपूर्ण है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश के कुल 19 स्थलों को विकसित करने हेतु चिन्हांकित किया गया है। (ख) प्रश्नांक (क) में चिन्हांकित कुल 19 स्थलों हेतु कुल राशि रु. 275.93 लाख स्वीकृत किये गये हैं। तथा अभी तक इसमें राशि रु. 17.83 लाख व्यय हुए हैं। (ग) वर्तमान में बालोद जिले में चिन्हांकित पर्यटन स्थल के विकास की दिशा में निम्नांकित प्रयास किये जा रहे हैं:- 1. नये पर्यटन स्थल का चिन्हांकन कर श्रेणी के आधार पर विकास कार्य कराये जाने हेतु जिला प्रशासन से निर्धारित प्रारूपों में प्रस्ताव चाहा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त बजट उपलब्धतानुसार कार्यवाही की जायेगी। 2. पर्यटन स्थल एवं उसके आस-पास पर्यटन विकास, अधोसंरचना एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु भूमि बैंक की स्थापना हेतु विभिन्न पत्रां के माध्यम से जिला प्रशासन से भूमि चिन्हांकित कर प्रस्ताव मांगे गये हैं। जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त होने उपरान्त बजट उपलब्धतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। 3. जिले के राजमार्गों एवं बाईपास मार्गों में मार्ग सुविधा केन्द्र (वे साईड एमेनेटिस) की स्थापना हेतु जिला प्रशासन से उपयुक्त भूमि की मांग की गई है। बालोद जिले में प्रश्नांकित अवधि में चिन्हांकित पर्यटन स्थल सियादेवी मंदिर ग्राम नारागांव में स्वीकृत कार्य इको-टूरिज्म सह बंबु राफ्टिंग कार्य प्रगति पर है।

सांस्कृतिक आयोजनों में व्यय

[संस्कृति]

66. (क्र. 890) श्रीमती भावना बोहरा : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा आयोजित/प्रायोजित सांस्कृतिक आयोजनों की कुल संख्या कितनी है? (ख) उक्त आयोजनों पर मद-वार एवं जिलावार कुल कितना व्यय किया गया? कृपया जिलेवार जानकारी देवे। (ग) उक्त आयोजनों में स्थानीय एवं लोक कलाकारों की सहभागिता का प्रतिशत कितना रहा?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की संख्या 2662, जिले द्वारा आयोजित कार्यक्रम की संख्या 52 तथा अशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक आयोजनों की संख्या 504 है। (ख) उक्त आयोजनों पर मांग संख्या 26-2205-102-0101-5753 में राशि रु. 14,76,50,002/- मांग संख्या 26-2205-102-0101-4060-14-006 में राशि रु. 3,78,29,000/- एवं मांग संख्या-26-2205-102-0101-5753-17 में राशि रु. 9,87,59,000/- व्यय किया गया। जिलेवार व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ग) विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में चिन्हारी पंजीकृत कलाकारों को स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसमें 100०: स्थानीय कलाकारों की सहभागिता रहती है। जिला

कलेक्टर तथा अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से आयोजित आयोजनों में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता देते हुये कुल राशि का 45% स्थानीय कलाकारों के भुगतान हेतु स्वीकृत किया जाता है।

पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित बरदिहा लेक व्यू टूरिस्ट कार्टेज में निर्माण कार्य

[पर्यटन]

67. (क्र. 893) श्री दलेश्वर साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** ग्राम गंगरेल जिला धमतरी में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित बरदिहा लेक व्यू टूरिस्ट कार्टेज का संचालन किस कंपनी/एजेंसी को कितनी अवधि के लिये किन किन शर्तों के अधीन अनुबंध किया गया है? **(ख)** क्या अनुबंधकर्ता के द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित कार्टेज के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्य किया गया है ? यदि हां तो क्या निर्माण हेतु संबंधित विभाग से अनुमति ली गई है? **(ग)** उक्त कार्टेज एवं गार्डन को किन-किन कार्यों के लिये उपयोग में देने का प्रावधान है? विगत तीन वर्षों में किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि लेकर निजी या अन्य को प्रदान किया गया है वर्षवार, राशिवार, कार्यवार जानकारी देवें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** ग्राम गंगरेल जिला धमतरी में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित बरदिहा लेक व्यू टूरिस्ट कार्टेज का संचालन अनुबंधकर्ता M/s Enchanting Tales Hotels and Resorts Pvt. Ltd., Indore को 10+10 वर्षों की अवधि हेतु जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार मुख्य शर्तों के अधीन अनुबंध किया गया है। **(ख)** जी हां। अनुबंधकर्ता के द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित कार्टेज के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्य हेतु छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के पत्र क्र. 2929 दिनांक 29.11.2021 के माध्यम से अनुमति प्रदाय की गई। **(ग)** पर्यटकों/आगंतुकों के कक्ष आरक्षण, शादी, जन्मदिन, कार्यालयीन बैठक एवं अन्य समारोह हेतु उपयोग किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में वर्षवार, राशिवार, कार्यवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र -ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तासी" \]](#)

पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित बरदिहा लेक व्यू टूरिस्ट कार्टेज का संचालन

[पर्यटन]

68. (क्र. 894) श्री दलेश्वर साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पर्यटन स्थल गंगरेल तहसील एवं जिला धमतरी में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित बरदिहा लेक व्यू टूरिस्ट कार्टेज का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? अनुबंधकर्ता के साथ कितने वर्षों के लिए किन शर्तों के तहत अनुबंध हुआ है? **(ख)** क्या अनुबंधकर्ता के द्वारा अनुबंध में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं तो शर्तों के उल्लंघन पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** कार्टेज के किराया का निर्धारण क्या पर्यटन विभाग द्वारा या अनुबंधकर्ता द्वारा किया जाता है ? यदि नहीं तो किस आधार पर किराया का निर्धारण किया गया है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** पर्यटन स्थल गंगरेल तहसील एवं जिला धमतरी में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित बरदिहा लेक व्यू टूरिस्ट कार्टेज का संचालन अनुबंधकर्ता M/s Enchanting Tales Hotels and Resorts Pvt. Ltd., Indore द्वारा किया जा रहा है। अनुबंधकर्ता के साथ 10+10 वर्षों की अवधि हेतु **संलग्न प्रपत्र** अनुसार मुख्य शर्तों के अधीन अनुबंध किया गया है। **(ख)** अनुबंधकर्ता के द्वारा अनुबंध अनुसार राशि विलंब से जमा किये जाने पर अनुबंधकर्ता से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज राशि सहित प्राप्त की जा रही है। अनुबंध में निहित शेष नियम व शर्तों का पालन किया जा रहा है। **(ग)** कार्टेज के किराया का निर्धारण अनुबंधकर्ता द्वारा किया जाता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टासी" \]](#)

भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आश्रम शाला एवं छात्रावास

[आदिम जाति विकास]

69. (क्र. 897) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने आश्रम शाला एवं छात्रावास संचालित हैं ? कितने आश्रम/ छात्रावास भवन विहिन/ जर्जर हालत में हैं ? नाम सहित विकास खण्डवार जानकारी दें ? (ख) भवन विहिन अथवा जर्जर आश्रम/ छात्रावासों के निर्माण के लिए क्या कार्ययोजना है ? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र कुल 31 आश्रम एवं 45 छात्रावास संचालित है। 02 आश्रम एवं 09 छात्रावास भवन विहीन है एवं कोई आश्रम/छात्रावास जर्जर हालत में नहीं है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - नवासी"]

कांकेर जिले में मंडी बोर्ड के तहत स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

70. (क्र. 898) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) कांकेर जिले में मंडी बोर्ड के तहत सत्र 2023 -24 से लेकर अब तक कुल कितने और कौन-कौन से निर्माण कार्य , कितनी-कितनी की धनराशि से स्वीकृत किये गये ? (ख) स्वीकृत कार्यों के नाम सहित विकासखंडवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कांकेर जिले में मंडी बोर्ड के तहत सत्र 2023-24 से लेकर अब तक 01 पुलिया निर्माण कार्य, लागत राशि रूपये 59.02 लाख का स्वीकृत किया गया है। (ख) विकासखंड-दुर्गकोन्दल अंतर्गत ग्राम पंचायत दमकसा (खासपारा) में धान उपार्जन केन्द्र से शीतला मंदिर के मध्य 6.00 मीटर 03 स्पॉन पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है।

बस्तर संभाग के संस्कृति एवं पुरातत्व धरोहरों के संरक्षण हेतु कार्य

[संस्कृति]

71. (क्र. 901) सुश्री लता उसेंडी : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बस्तर संभाग के संस्कृति एवं पुरातत्व धरोहरों के संरक्षण हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से दिनांक 31.01.2026 तक क्या-क्या कार्य किए गए हैं ? जानकारी दें ? (ख) वर्तमान में विभाग द्वारा कौन-कौन से योजना संचालित है? जानकारी दें? (ग) कोंडागांव जिले अंतर्गत पुरातत्व महत्व के कितने स्थल एवं अन्य प्राचीन युग से जुड़ी कौन-कौन सी धरोहर स्थित है एवं उनके संरक्षण हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या भविष्य में उनकी खोज एवं संरक्षण हेतु शासन की क्या कार्ययोजना है, जानकारी दें ? (घ) बस्तर संभाग की प्राचीन संस्कृति को सहजने एवं उसके उठान हेतु क्या शासन की कोई कार्ययोजना प्रस्तावित है ? क्या विभाग को उक्त संबंध में कोंडागांव जिले अंतर्गत कोई पत्र प्राप्त हुआ है, उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) बस्तर संभाग के सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से दिनांक 31.01.2026 तक कराये गए कार्यों की जानकारी इस प्रकार है-

स.क्र.	वर्ष	सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु कराये गए कार्य
1.	2021-22	शिव मंदिर छिंदगांव, जिला बस्तर का अनुरक्षण कार्य

2.	2022-23	प्राचीन टीले (ईंटों के) गढ़ धनोरा, जिला कोण्डागांव का अनुरक्षण कार्य
3.	2023-24	प्राचीन टीले (ईंटों के) गढ़ धनोरा, जिला कोण्डागांव का अनुरक्षण, आंतरिक पाथवे निर्माण, पहुंच मार्ग एवं तालाब सफाई/गहरीकरण कार्य
4.	2024-25	- प्राचीन टीले (ईंटों के) गढ़ धनोरा, जिला कोण्डागांव का अनुरक्षण एवं विकास कार्य - राज्य संरक्षित स्मारक प्राचीन शिव मंदिर सिंघईगुड़ी, जिला बस्तर का विकास कार्य - राज्य संरक्षित स्मारक शिव मंदिर छिंदगांव, जिला बस्तर का अनुरक्षण एवं विकास कार्य
5.	2025-26	- प्राचीन टीले (ईंटों के) गढ़ धनोरा, जिला कोण्डागांव का अनुरक्षण कार्य - बत्तीसा मंदिर, बारसूर जिला दंतेवाड़ा का अनुरक्षण एवं विकास कार्य - बत्तीसा मंदिर, बारसूर जिला दंतेवाड़ा का रसायनिक संरक्षण कार्य - जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर में प्रदर्शित प्रतिमाओं का रसायनिक संरक्षण कार्य।

(ख) वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। (ग) कोंडागांव जिलान्तर्गत पुरातत्व महत्व के स्थल एवं अन्य प्राचीन युग से जुड़ी धरोहरों की जानकारी इस प्रकार है-

स.क्र.	पुरातत्व महत्व के स्थल एवं धरोहर	टीप
1.	प्राचीन टीले (ईंटों के), गढ़धनोरा	राज्य शासन द्वारा संरक्षित
2.	प्राचीन टीला स्थित बुद्ध प्रतिमा, भोंगापाल	राज्य शासन द्वारा संरक्षित
3.	चित्रित शैलाश्रय लिम्दरहा, बावनमारी	सर्वेक्षण से ज्ञात, वन विभाग के अंतर्गत
4.	चित्रित शैलाश्रय मान्झिनगढ़, विश्रामपुरी	सर्वेक्षण से ज्ञात, वन विभाग के अंतर्गत
5.	चित्रित शैलाश्रय अलोर, बड़े डोंगर	सर्वेक्षण से ज्ञात, वन विभाग के अंतर्गत

सरल क्रमांक (1) और (2) पर उल्लेखित धरोहर/स्थल विभाग के प्रत्यक्ष संरक्षण में हैं जिनका समय-समय पर नियमित रखरखाव, सुरक्षा की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है। सरल क्रमांक (3) से (5) पर उल्लेखित चित्रित शैलाश्रय स्थलों को राज्य शासन द्वारा संरक्षण में लेने की कार्यवाही की जा रही है। भविष्य में जिला पुरातत्वीय संघ के माध्यम से जिले में सर्वेक्षण, खोज एवं सर्वेक्षण से ज्ञात स्थलों के संरक्षण की योजना है। राज्य संरक्षित स्मारक प्राचीन टीला स्थित बुद्ध प्रतिमा, भोंगापाल, जिला कोण्डागांव में जिला खनिज निधि मद से वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राशि ₹. 118 लाख (₹. एक करोड़ अठारह लाख) की कार्ययोजना अनुरक्षण एवं विकास कार्य की स्वीकृति हेतु कलेक्टर कोण्डागांव को प्रेषित किया गया है। (घ) बस्तर संभाग की प्राचीन संस्कृति को सहजने एवं उसके उठान हेतु शासन सतत प्रयत्नशील है। आउटरीच प्रोग्राम के तहत विगत 02 वर्षों से बस्तर के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को पुरातत्व और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के संबंध में जागरूक करने निरंतर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बस्तर संभाग के 09 स्मारक/स्थलों- (1) शिव मंदिर दलपत सागर जिला बस्तर, (2) ध्वस्त किला मुंडागाँव राजपुर जिला बस्तर, (3) पेदम्मा गुडी मंदिर बारसूर जिला दंतेवाड़ा, (4) कांकेर जिले के चित्रित शैलाश्रय, (5) कोंडागांव जिले के चित्रित शैलाश्रय, (6) प्राचीन किला मंदिर भैरमगढ़ जिला बीजापुर, (7) प्राचीन विष्णु मंदिर ध्वंषावशेष जांगला जिला बीजापुर (8) सोलह खम्भा मंदिर बारसूर जिला दंतेवाड़ा और (9) महापाषाणीय स्मारक स्थल बोटकीमेटा जिला दंतेवाड़ा स्थित स्मारक/स्थल को को शासन द्वारा संरक्षित करने की कार्ययोजना प्रस्तावित है जिसके लिए जिला प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है। विभाग को कोंडागांव जिले के गढ़धनोरा ग्राम पंचायत से ग्राम गोबरहीन पुरातात्विक शिवलिंग परिसर के पास शेड निर्माण की अनुमति हेतु पत्र क्रमांक 11, दिनांक 08.10.2025 प्राप्त हुआ है। गोबरहीन पुरातात्विक शिवलिंग परिसर केंद्र संरक्षित स्मारक है जिसके संबंध में अनुमति की कार्यवाही भारत सरकार के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा की जाती है। अतः आवेदक ग्राम पंचायत को विहित आवेदन प्रपत्र भेजते हुए नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पत्र क्रमांक 2452, दिनांक 11.02.2026 प्रेषित किया गया है। **संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - नब्बे"]

बस्तर संभागान्तर्गत संचालित योजनाएं

[पशुधन विकास]

72. (क्र. 902) सुश्री लता उसेंडी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बस्तर संभाग अंतर्गत वर्तमान में कितने और कौन-कौन से शासकीय पशुधन विकास सम्बंधित केंद्र संचालित है उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ? **(ख)** वर्तमान में पशुधन विकास विभाग द्वारा कौन-कौन से योजना संचालित हैं, कोण्डागांव जिला अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में विभाग द्वारा संचालित योजना एवं लाभार्थी का विवरण प्रदान करें? **(ग)** क्या कोंडागांव जिले में पूर्व में कोई शासकीय पशुधन विकास केंद्र संचालित/स्थापित था एवं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या शासन को जिले अंतर्गत कुक्कुट पालन केंद्र पुनः स्थापित करने हेतु शासन को क्या कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें? **(घ)** कोंडागांव जिले में विभाग अंतर्गत कितने पद की स्वीकृति है एवं कितने पद भरे एवं रिक्त है ? विभाग में वर्तमान में कितने कर्मचारी किस किस मद से नियुक्त है ? क्या वर्तमान समय के अनुसार जिले में विभाग अंतर्गत पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हैं, यदि नहीं तो उक्त हेतु विभाग की क्या कार्ययोजना है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** बस्तर संभाग अंतर्गत वर्तमान में 281 पशुधन विकास संबंधित केन्द्र संचालित है, वर्तमान में कितने और कौन-कौन से पशुधन विकास केन्द्र की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- अ अनुसार है।** **(ख)** वर्तमान में पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है।** कोण्डागांव जिला अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में विभाग द्वारा संचालित व्यक्तिमूलक योजना एवं लाभार्थी की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- स अनुसार है।** **(ग)** जी हां, कोंडागांव जिले में पूर्व में शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र संचालित/स्थापित था, वर्तमान में वर्ष 2015 में नवीन कलेक्टर परिसर बनने के कारण बंद कर दिया गया है। जी हां, कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र पुनः स्थापित करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। **(घ)** कोंडागांव जिले में विभाग अंतर्गत कुल 191 पद स्वीकृत है एवं 130 पद भरे एवं 61 पद रिक्त है। जिला खनिज न्यास (डी.एम.एफ.) मद से 15 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी विभाग में संविदा पर नियुक्त किये गये हैं। पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु समय- समय पर रिक्त पदों को भरे जाने की कार्ययोजना है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इनक्यानबे" \]](#)

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के स्वीकृत कार्य

[आदिम जाति विकास]

73. (क्र. 904) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022-23 से दिनांक 31.01.2026 तक स्वीकृत कार्य, स्वीकृत वर्ष आबंटित एवं व्यय राशि की विधानसभा क्षेत्र एवं विकासखण्डवार जानकारी बतावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में स्वीकृत कार्यों में से अद्यतन स्थिति में प्रारंभ, अप्रारंभ, अपूर्ण, अपूर्ण स्थिति में बंद, विवाद/शिकायत के कारण अवरूद्ध की जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयानबे" \]](#)

बस्तर संभागान्तर्गत वितरित वनाधिकार पट्टा

[आदिम जाति विकास]

74. (क्र. 906) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में अद्यतन स्थिति में वनाधिकार पट्टा (व्यक्तिगत एवं सामुदायिक) प्रदत्त की विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी देंगे ? (ख) अद्यतन स्थिति में कितने प्रकरण लंबित व विचाराधीन है ? विकासखण्डवार जानकारी देंगे ? (ग) लंबित प्रकरणों के निराकरणार्थ विभाग के द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में बतावें ? (घ) विगम 03 वर्ष में ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनमें वनाधिकार पट्टा मिलने के बावजूद उन्हें भूमि से बेदखल किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई ? की गई कार्यवाही सहित बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरानबे"]

शक्तिपीठ परियोजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य

[पर्यटन]

75. (क्र. 907) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश की शक्तिपीठों को विकसित करने हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया है? कार्ययोजना में कौन-कौन से कार्यों को सम्मिलित किया गया है? कब-कब, कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई? कितनी राशि व्यय हुई? कितनी राशि व्यय होना शेष है? वर्षवार जानकारी देंगे? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार व्यय राशि किन कार्यों हेतु किन-किन शक्तिपीठों में कब-कब व्यय की गई सम्पूर्ण जानकारी देंगे? (ग) प्रसाद योजना अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में वर्ष 2025-26 में कितनी राशि प्राप्त हुई? राज्यांश कितना जारी किया गया? किन-किन कार्यों में, कहां-कहां कितनी-कितनी राशि खर्च हुई? कितनी शेष है? सम्पूर्ण जानकारी बतावें?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) प्रदेश के शक्तिपीठों को विकसित करने हेतु वर्ष 2024-25 में राशि ₹. 5.00 करोड़ एवं वर्ष 2025-26 में राशि ₹. 5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्थलों का कांसेप्ट प्लान बनाने के लिये आर्किटेक्ट संस्थाओं को कार्य आदेश जारी किया जा चुका है जिसके उपरांत डीपीआर बनने पर कार्यों को चिंहित किया जा सकेगा। प्रावधानित बजट में से किसी भी कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है। अतः शेष जानकारी निरंक है। (ख) उक्त योजना में अभी तक कोई राशि व्यय नहीं हुई है। (ग) प्रसाद योजना के अंतर्गत केंद्रांश के रूप में वर्ष 2025-26 में राशि ₹. 805.67 लाख की व्यय लिमिट प्राप्त हुयी है, उक्त योजना में राज्यांश राशि नहीं है। तथा उसमें से राशि ₹. 285.81 लाख श्रीयंत्र भवन के निर्माण में तथा ₹. 6.86 लाख कंसल्टेंसी सेवा में व्यय हुआ है। प्राप्त केंद्रीय राशि की लिमिट में से ₹. 512.99 लाख की व्यय लिमिट सेंट्रल नोडल एजेंसी के पास शेष है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

76. (क्र. 908) श्रीमती विद्यावती सिदार : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2022 से जनवरी 2026 की अवधि में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ सीजन में धान फसल के कितने-कितने कृषकों द्वारा, कितने-कितने रकबे का बीमा कराया गया, जिलेवार

बताएं? **(ख)** उपरोक्त अवधि में बीमा प्रीमियम की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा फसल क्षतिपूर्ति मद में कितनी-कितनी राशि कितने-कितने कृषकों को प्राप्त हुई, जिलेवार बताएं? **(ग)** उपरोक्त अवधि में किन-किन बीमा कंपनियों ने फसल बीमा योजना का कार्य किया, जिलावार बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022 से जनवरी 2026 तक मौसम खरीफ में धान फसल हेतु बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषकों की वर्षवार, जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश "क" की अवधि में क्रियान्वयक बीमा कंपनी को भुगतान की गई बीमा प्रीमियम राशि तथा कृषकों को बीमा दावा भुगतान के रूप में प्रदायित राशि की वर्षवार जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश "क" की अवधि में कृषकों की फसलो का बीमा करने हेतु अधिसूचित क्रियान्वयक बीमा कंपनियों की वर्षवार, जिलावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौरानबे" \]](#)

अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को आजीविका/रोजगार की उपलब्धता

[आदिम जाति विकास]

77. (क्र. 911) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जिला - सारंगढ़-बिलाईगढ़ में वर्ष 2025-26 में TSP योजना के अंतर्गत विभाग को कितना बजट आवंटित है ? वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने व्यक्तियों को आजीविका / रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? विकासखण्डवार आँकड़े उपलब्ध कराये ? यदि नहीं कराया गया है तो, किस कारण से ? जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ में वर्ष 2025-26 में आदिवासी उपयोजना (TSP) अंतर्गत विभाग द्वारा राशि ₹0 921.17 लाख आबंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये आजीविका/रोजगार की विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पंचानबे" \]](#)

अमानक कृषि आदानों का वितरण तथा कार्यवाही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

78. (क्र. 915) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)** दिसम्बर, 2023 से जनवरी, 2026 की अवधि में खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों तथा अन्य कृषि आदानों के अमानक होने के कितने-कितने प्रकरण पाए गए और उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** अमानक सामग्रियों के निर्माता कौन-कौन थे? **(ग)** प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को कृषि आदानों की आपूर्ति किन-किन एजेन्सियों के द्वारा की जाती है? एजेन्सीवार आदानों/सामग्रियों के नाम बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क), (ख), (ग)** जानकारी संकलित की जा ही है।

विधानसभा महासमुंद में कृषकों हेतु कृषि यंत्रों का प्रदाय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

79. (क्र. 916) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 31.01.2026 तक शाकम्भरी योजना, किसान समृद्धि योजना, राष्ट्रीय खाद्य मिशन एवं अन्य योजनाओं के तहत किसानों को प्रशिक्षण एवं कृषि यंत्रों के क्रय कर वितरण हेतु कितनी राशि स्वीकृत/वितरित की गयी है ? विकासखंडवार जानकारी देवें ? **(ख)** प्रश्न 'क' के अनुसार कृषि यंत्रों के क्रय हेतु आबंटित राशि से किस-किस संस्था/फर्म से कितनी-कितनी मात्रा में कृषि यंत्र किस आधार पर क्रय किए गए हैं ? संस्थावार, वि.खं.वार जानकारी देवें ? **(ग)** क्या किसानों को उनके आवेदन के आधार पर सामग्री प्रदान की गयी है ? यदि प्रकरण लंबित है तो उनका निराकरण कर हितग्राही को कब तक लाभ दिया जावेगा ? विवरण देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** विभाग द्वारा विधानसभावार नहीं अपितु विकासखण्डवार जानकारी संधारित की जाती है। शाकम्भरी योजना एवं किसान समृद्धि योजना में प्रशिक्षण के प्रावधान नहीं हैं। महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखण्ड महासमुंद में वर्ष 2023-24 से 31-01-2026 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं अन्य विभागीय योजनाओं के तहत किसानों को दिये गए प्रशिक्षण एवं व्यय राशि की वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** प्रश्नाधीन अवधि में विकासखण्ड महासमुंद में विभागीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों का क्रय कर किसानों को वितरित नहीं किया गया है। जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत कृषि यंत्रों का क्रय कर किसानों को वितरित किया गया है जिसकी वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** **(ख)** प्रश्न 'क' के अनुसार जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत क्रय कर वितरित कृषि यंत्र एवं अनुदान राशि की वर्षवार, विकासखण्डवार योजनावार संस्थावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** **(ग)** जी हाँ। कृषकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं पात्रता के आधार पर कृषकों को अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण किया जाता है। वर्तमान में कोई प्रकरण लंबित नहीं है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छियानबे"]

कृषि विभाग/मंडी बोर्ड से स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

80. (क्र. 917) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला महासमुंद के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31.01.2026 तक मंडी बोर्ड/ कृषि विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य, कितने-कितने लागत राशि से स्वीकृत किए गए है ? विकासखंड वार विवरण देवें। **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार उक्त कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण एवं अप्रारंभ सहित अद्यतन स्थिति की जानकारी विकासखंड वार देवें। **(ग)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार अपूर्ण / अप्रारंभ कार्यों को कब तक पूर्ण किया जावेगा? बतावें। **(घ)** क्या विभाग से कोई नवीन कार्य स्वीकृति की कोई योजना है? तो कब तक ?बतावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जिला महासमुंद के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31.01.2026 तक मंडी बोर्ड/कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यों की विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।****(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार उक्त कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण एवं अप्रारंभ सहित अद्यतन स्थिति की विकासखंडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।****(ग)** प्रश्नांश 'क' अनुसार अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों को पूर्ण किये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव

नहीं है। (घ) जिला महासमुंद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 31.01.2026 तक) में विभाग से अतिरिक्त नवीन कार्य स्वीकृति की कोई योजना नहीं है।

मॉग के विरुद्ध वितरित उर्वरक एवं बीज

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

81. (क्र. 926) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2023-24 से दिनांक 03 फरवरी, 2026 तक संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के लिए खरीफ एवं रबी फसल हेतु आंकलित उर्वरक मॉग का वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें। उक्त अवधि में केन्द्र सरकार के द्वारा संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन से उर्वरक उपलब्ध कराये गये हैं? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें। **(ख)** कण्डिका 'क' की अवधि में संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र में बीज की आंकलित मॉग के विरुद्ध आपूर्ति किये गये बीज की मात्रा एवं किसानों को वितरित किये गये बीज की मात्रा की जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बालोद एवं गुरुर में वर्ष 2023-24 से दिनांक 03 फरवरी 2026 तक खरीफ एवं रबी मौसम हेतु आंकलित उर्वरक मांग, आपूर्ति तथा कृषको द्वारा उठाव की गई मात्रा की वर्षवार, विकासखण्डवार, उर्वरकवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।** **(ख)** कण्डिका 'क' की अवधि में संजारी-बालोद विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड बालोद एवं गुरुर में खरीफ एवं रबी मौसम हेतु में बीज की आंकलित मांग, भण्डारित एवं कृषको द्वारा उठाव की गई मात्रा की वर्षवार, विकासखण्डवार, फसलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - सन्तानबे"]

संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के छात्रावासों हेतु स्वीकृत राशि के विरुद्ध कराये गये कार्य

[आदिम जाति विकास]

82. (क्र. 927) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में वर्ष 2023-24 से दिनांक 03 फरवरी, 2026 तक किन-किन निर्माण कार्यों तथा दीर्घ व लघु मरम्मत आदि के लिए कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है? वर्षवार, मदवार जानकारी देवें। **(ख)** कण्डिका 'क' में प्राप्त राशि से किन-किन छात्रावासों में कितनी-कितनी राशि से कौन-कौन से निर्माण/मरम्मत कार्य कराये गये हैं? इनमें से कितने कार्य पूर्ण, कितने प्रगतिरत एवं कितने कार्य किन कारणों से अप्रारंभ है? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, अपितु जिले को मदवार राशि की स्वीकृति प्राप्त होती है जिससे छात्रावासों के निर्माण कार्य तथा दीर्घ व लघु मरम्मत के कार्य कराये जाते हैं। प्राप्त स्वीकृत राशि वर्षवार, मदवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है।** **(ब)** कण्डिका "क" में प्राप्त राशि से संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य के राशि की जानकारी तथा पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत एवं अप्रारंभ की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - अन्तानबे"]

जिला-गरियाबंद में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पत्र

[आदिम जाति विकास]

83. (क्र. 931) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला-गरियाबंद में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत कितने व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को जिला स्तरीय समिति द्वारा मान्य करने के बाद निरस्त किया गया है, विकासखण्डवार जानकारी दें। निरस्त किए गए वन अधिकार पत्र की नाम सहित जानकारी दें? (ख) क्या जिला स्तरीय समिति को अधिकार मान्य करने के बाद उन्हें निरस्त करने का अधिकार है? यदि हाँ, तो कौन से प्रावधान के तहत है और यदि नहीं है तो ऐसा करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला गरियाबंद में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत मान्य किये गये 06 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों को जिला स्तरीय समिति द्वारा निरस्त किया गया है तथा मान्य किये गये किसी भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्रों को निरस्त नहीं किया गया है। निरस्त किये गये वन अधिकार पत्र धारकों के नाम की विकासखण्डवार जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जिला स्तरीय समिति को अधिकार मान्य करने के बाद उन्हें निरस्त करने का अधिकार नहीं है। पूर्व में जिला स्तरीय समिति के द्वारा त्रुटिवश 06 वन अधिकार पत्रों को निरस्त किया गया था, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय के WPC No. 5183 of 2025 द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में पुनः बहाल किया गया है। चूंकि वन अधिकार पत्र त्रुटिवश निरस्त किया गया था अतः संबंधित अधिकारियों को भविष्य में ऐसी त्रुटि न करने के संबंध में चेतावनी दी गई है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - निन्यानबे" \]](#)

परंपरागत वन निवासी को जारी किए गए व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र

[आदिम जाति विकास]

84. (क्र. 932) श्री जनक ध्रुव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला-गरियाबंद अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों में अन्य परंपरागत वन निवासी को कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र जारी किए गए हैं तथा उनमें से कितने लोग तीन पीढ़ी से वन या वन भूमि में निवासरत रहे हैं, के क्या प्रमाण लगाए गए हैं, कृपया विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जिला गरियाबंद अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों में अन्य परंपरागत वन निवासियों को 988 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र जारी किये गये हैं। सभी 988 लोग तीन पीढ़ी से वन या वनभूमि में निवासरत रहे हैं तथा इस हेतु मिशल, वंशावली, जनगणना, राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, अर्धन्यायिक एवं न्यायिक अभिलेख, लेखबद्ध किये गये दावेदार से भिन्न बुजुर्गों का कथन इत्यादि जैसे दस्तावेज प्रमाण के रूप में लगाये गये हैं। विकासखण्डवार जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार हैं।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सौ" \]](#)

नवा रायपुर अंतर्गत ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण हेतु अनापत्ति

[आवास एवं पर्यावरण]

85. (क्र. 933) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या नया रायपुर अटल नगर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान किये जाने से पूर्व नया रायपुर अटल नगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य

है? **(ख)** यदि हाँ तो वर्ष 2020 से 2025 के मध्य किन किन गावों में कितने कितने प्रकरणों में अनापत्ति प्रदान की गयी? **(ग)** वर्तमान में किन किन गावों में कितने कितने प्रकरण अनापत्ति हेतु लंबित हैं?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** जी नहीं। तथापि नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में भवन निर्माण करने के पूर्व नवारायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक है। **(ख)** जानकारी निरंक है। **(ग)** जानकारी निरंक है।

विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत स्थापित उद्योगों में निरीक्षण एवं जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

86. (क्र. 936) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र धरसीवा अंतर्गत स्थापित उद्योगों में निरीक्षण एवं जांच की क्या आवृत्ति निर्धारित की गई है? **(ख)** अत्यधिक प्रदूषणकारी वृहद एवं मध्यम उद्योगों तथा लाल श्रेणी में आने वाले वृहद एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों में जनवरी 2024 से दिनांक 31.01.2026 तक जांच आवृत्ति अनुसार कब-कब तथा किस-किस अधिकारी के द्वारा जांच की गई तथा उक्त जांच में क्या-क्या अनुशंसा की गई? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' अनुसार जांच उपरांत क्या किसी उद्योग के द्वारा तय सीमा से अधिक जल अथवा वायु प्रदूषण तथा सम्मति शर्तों के पूर्णतः पालन नहीं किये जाने संबंधी जानकारी संज्ञान में आयी? यदि हाँ तो क्या और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : **(क)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रदेश में स्थापित एवं संचालित 17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी वृहद/मध्यम/लघु श्रेणी उद्योगों का प्रत्येक 06 माह में, लाल श्रेणी के वृहद/मध्यम उद्योगों का प्रत्येक 06 माह में एवं लघु उद्योगों का प्रत्येक 09 माह में, नारंगी श्रेणी के वृहद/मध्यम उद्योगों का प्रत्येक 06 माह में एवं लघु श्रेणी उद्योगों का प्रत्येक 12 माह में तथा हरे श्रेणी के उद्योगों का प्रत्येक 24 माह में निरीक्षण किये जाने का प्रावधान रखा गया है, जो कि धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित उद्योगों के लिए भी लागू है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र के कॉलम 05 एवं 06 अनुसार है।**

संस्कृति विभाग में कलाकारों के पंजीयन की प्रक्रिया तथा मापदण्ड

[संस्कृति]

87. (क्र. 937) श्री अनुज शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में संस्कृति विभाग में कलाकारों के पंजीयन की क्या प्रक्रिया तथा मापदण्ड निर्धारित किया गया है? **(ख)** विभाग में पंजीकृत कलाकारों का किस आधार पर ग्रेडेशन एवं मानदेय/पारिश्रमिक तय किया जाता है? ग्रेडेशनवार एवं पारिश्रमिकवार कलाकारों का विवरण प्रदान करें। **(ग)** विभाग द्वारा एक कलाकार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितने कार्यक्रम प्रस्तुति दिये जाने तथा कार्यक्रम प्रस्तुति के कितने दिवस के भीतर पारिश्रमिक भुगतान का नियम है? **(घ)** कलाकारों की ग्रेडेशन/श्रेणी निर्धारित अथवा शंसोधित करने हेतु विभाग द्वारा तय पैनल में कितने तथा कौन-कौन सदस्य है एवं पैनल की बैठक कितने दिवस में बुलाये जाने का प्रावधान है?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : **(क)** संस्कृति विभाग द्वारा कलाकारों के पंजीयन हेतु 'चिन्हारी पोर्टल' ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करायी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त लोक कलाकार पंजीयन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। **(ख)** विभाग में पंजीकृत कलाकारों को 'छत्तीसगढ़ कलाकार एवं पंजीयन नियम' अंतर्गत चयन समिति द्वारा ग्रेड अनुसार मानदेय/पारिश्रमिक तय किया जाता है। ग्रेडेशनवार एवं पारिश्रमिकवार कलाकारों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ग)** छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम

कंडिका 8, कार्यक्रम प्रस्तुति के अवसर - (1) नियम 7 (1) के अंतर्गत निर्धारित ग्रेड अनुसार प्रत्येक दल को वित्तीय वर्ष में प्रस्तुति हेतु अवसर की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी -

क्र. ग्रेड	वित्तीय वर्ष में अवसरों की अधिकतम सीमा (विभागीय आवश्यकता एवं मांग अनुसार)
1. ए+++	10
2. ए++	20
3. ए+	
4. ए1	
5. ए	
6. बी+ एवं बी	24

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति उपरांत कलाकार दलों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्धतानुसार भुगतान किया जाता है। (घ) कलाकारों की ग्रेडेशन/श्रेणी निर्धारण एवं संशोधित करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित चयन समिति के सदस्यों का विवरण की जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। पंजीयन एवं भुगतान नियम कंडिका 7(3) अनुसार "कलाकारों के ग्रेड अनुसार निर्धारित मानदेय का समिति द्वारा प्रति 03 वर्ष अथवा ऐसे अंतरालों में जैसा कि समिति द्वारा उचित समझा जाए पुनरीक्षण किया जा सकेगा। इसी प्रकार कलाकारों के ग्रेडों में भी उनके प्रदर्शनों के आधार पर पुनरीक्षित ग्रेड दिये जा सकेंगे।"

[\[संलग्न "परिशिष्ट - एक सौ एक" \]](#)

एस.सी.आर. (स्टेट कैपिटल रिजन) के अंतर्गत सम्मिलित जिले

[आवास एवं पर्यावरण]

88. (क्र. 938) श्री दीपेश साह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) एस.सी.आर. (स्टेट कैपिटल रिजन) के अंतर्गत राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया है और कौन-कौन से गांव एवं नगरों को शामिल किया गया है? जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार स्टेट कैपिटल रिजन लागू होने से नगरपालिका एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण किस आधार पर होगा?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) वर्तमान में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2025 के अंतर्गत शामिल गांव एवं नगरों की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ख) स्टेट कैपिटल रिजन लागू होने के उपरांत भी, नगर पालिका एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण, सम्बंधित अधिनियमों एवं नियम/निर्देशों के अंतर्गत ही रहेंगे।

जिला बेमेतरा अंतर्गत वैध/अवैध प्लॉटिंग

[वाणिज्यिक कर]

89. (क्र. 939) श्री दीपेश साह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा द्वारा जारी आदेश क्रमांक/1394/प्र-1/अ.वि.अ./2025 बेमेतरा, दिनांक 19.06.2025 के जारी होने के पश्चात बेमेतरा जिले के रजिस्ट्री कार्यालयों द्वारा 5 डिसमिल से कम, तथा 5 डिसमिल से अधिक भूमि की कितनी रजिस्ट्री की गई है? (ख) यदि उक्त आदेश के पश्चात 5 डिसमिल से कम भूमि की रजिस्ट्री की गई है, तो क्या वह रजिस्ट्री वैध प्लॉटिंग के अंतर्गत थी अथवा अवैध प्लॉटिंग के अंतर्गत? (ग) रजिस्ट्री के समय वैध एवं अवैध प्लॉटिंग का निर्धारण रजिस्ट्री कार्यालय स्तर पर किस अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा किया जाता है? (घ) क्या रजिस्ट्री करते समय संबंधित सब-रजिस्ट्रार/रजिस्ट्री

अधिकारी द्वारा शासन द्वारा जारी मानकों एवं प्रतिबंधों का पूर्णतः पालन किया गया है? यदि नहीं, तो उल्लंघन के मामलों में उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) दिनांक 19.06.2025 के पश्चात् बेमेतरा जिले के रजिस्ट्री कार्यालयों में 5 डिसमिल से कम, तथा 5 डिसमिल से अधिक भूमि की रजिस्ट्री की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	उप पंजीयक कार्यालय	5 डिसमिल से कम रजिस्ट्री की संख्या	5 डिसमिल से अधिक रजिस्ट्री की संख्या
1	बेमेतरा	459	1658
2	बेरला	58	1412
3	साजा	85	814
4	नवागढ़	81	1362
योग		683	5246

(ख) उक्त आदेश के पश्चात् 5 डिसमिल से कम भूमि की रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 एवं रजिस्ट्रीकरण नियम 1939 के तहत वैध अथवा अवैध प्लॉटिंग का निर्धारण उप पंजीयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। **(ग)** रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 एवं रजिस्ट्रीकरण नियम 1939 के तहत वैध अथवा अवैध प्लॉटिंग का निर्धारण उप पंजीयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। **(घ)** रजिस्ट्री करते समय पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन विधि एवं प्रक्रियाओं एवं शासन द्वारा जारी मानकों एवं प्रतिबंधों का पूर्णतः पालन किया गया है।

जगदलपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कृषकों के हितग्राहीमूलक योजना के तहत लाभान्वित हितग्राही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

90. (क्र. 940) श्री किरण देव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा कृषकों के लिए कौन-कौन से हितग्राहीमूलक योजनाएं संचालित की जा रही हैं? वर्ष 2023 से 31.01.2026 तक कुल कितने कृषक पंजीकृत किए गये तथा कितने कृषकों को किन-किन योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया? वर्षवार योजनावार विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** सिंचाई हेतु नलकूप स्थापना हेतु कृषकों की पात्रता के क्या मापदंड हैं? नलकूप स्थापना की लागत कितनी है तथा इस हेतु शासन से कितना अनुदान प्रदान किया जाता है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित विकासखण्ड जगदलपुर एवं दरभा में कृषि विभाग द्वारा (संचालनालय कृषि तथा उद्यानिकी के अधीनस्थ) संचालित हितग्राहीमूलक योजना तथा प्रश्रुंकित अवधि में पंजीकृत एवं लाभान्वित कृषकों की वर्षवार, विकासखण्डवार, **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** नलकूप स्थापना हेतु **कृषि विभाग** अंतर्गत संचालित **किसान समृद्धि योजना** के मापदंड निम्नानुसार है :-

1. योजनांतर्गत जिलों के समस्त वर्ग के कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा। लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की भांति कृषकों को चयन त्रिस्तरीय पंचायत के अनुमोदन से किया जावेगा।
3. अनुदान की पात्रता उन सभी कृषक व उनके समूह को होगी, जिन्होंने सहकारी अथवा व्यवसायिक बैंक से ऋण लिया हो अथवा ऐसे कृषक या उनके समूह जो स्वयं के व्यय से नलकूप खनन के इच्छुक हो।
4. कृषक अथवा कृषक समूह में जोत का आकार न्यूनतम 1 हेक्टेयर हो।

5. एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी कम से कम 300 मीटर होना अनिवार्य है। 300 मीटर की परिधि में पूर्व निर्मित नलकूप हैण्ड पंप नहीं होना चाहिये।

6. योजनांतर्गत सहकारी संस्था, ट्रस्ट इत्यादि को अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

7. विभाग द्वारा संचालित अन्य योजना अथवा किसान समृद्धि योजनांतर्गत पूर्व में नलकूप खनन अनुदान का लाभ प्राप्त किये कृषक पात्र नहीं होंगे।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा निर्धारित दर अनुसार नलकूप खनन एवं पंप हेतु औसत लागत निम्नानुसार है :-

1. 150 मि.मि. व्यास, 100 मीटर गहराई एवं 3 हार्स पावर का पंप रू. 121594/-

2. 150 मि.मि. व्यास, 100 मीटर गहराई एवं 5 हार्स पावर का पंप रू. 127628/-

किसान समृद्धि योजना अंतर्गत नलकूप खनन एवं पंप प्रतिस्थापन पर देय अनुदान राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.कृषक वर्ग	अनुदान राशि	
	खनन	पंप प्रतिस्थापन
सामान्य	खनन की वास्तविक लागत अथवा 10000/- जो भी कम हो	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा 15000/-
अ.पि.वर्ग	खनन की वास्तविक लागत अथवा 15000/- जो भी कम हो	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा 20000/-
अजजा /अजा	खनन की वास्तविक लागत अथवा 18000/- जो भी कम हो	पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा 25000/-

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग अंतर्गत नलकूप स्थापना हेतु तीन योजनाएं संचालित हैं:-

1. समेकित उद्यानिकी विकास योजना जिसके तहत, सभी वर्ग के भूमिधारी कृषक या कृषक समूह पात्र होते हैं, जिन्हें केवल एक बार ही लाभ प्रदाय किया जाता है। प्रत्येक हितग्राही या समूह को न्यूनतम 1.00 हेक्टेयर और अधिकतम 2.00 हेक्टेयर तक योजना से लाभ प्राप्त करने की पात्रता है, जिस हेतु हार्टीकल्चर बेनीफिसरी ट्रेकिंग पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक है। शेष प्रावधान किसान समृद्धि योजना के अनुरूप है।

2. नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलपॉम योजना के तहत नलकूप खनन के लिए ₹0.500 लाख का अनुदान प्रावधानित है। ऑयल पॉम योजना के तहत 2.00 हेक्टेयर रोपण पर 1 नलकूप की पात्रता है।

3. राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत नलकूप स्थापना हेतु अधिकतम ₹0.90 लाख का अनुदान प्रावधानित है। इसके तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका वर्ष 2025 अनुसार योजना के अन्य घटकों के साथ एकीकरण करने पर ही कृषकों को नलकूप खनन की पात्रता होगी।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - एक सौ दो" \]](#)

आदिवासी संस्कृति/परम्पराओं के संरक्षण हेतु संचालित योजनायें/कार्यक्रम

[आदिम जाति विकास]

91. (क्र. 941) श्री किरण देव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) प्रदेश में आदिवासी संस्कृति, परम्पराओं धार्मिक रिती रिवाजों लोक कलाओं के संरक्षण व संवर्धन हेतु क्या-क्या योजना/कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं? (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में बस्तर संभाग अंतर्गत वर्ष 2024 से 31.01.2026 तक कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? वर्षवार, योजनावार कार्यक्रमवार जानकारी प्रदान करें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। [\[संलग्न "परिशिष्ट - एक सौ तीन" \]](#)

आदिवासी सांस्कृतिक दलों हेतु वाद्य यंत्र अनुदान, बजट प्रावधान एवं चयन व्यवस्था

[आदिम जाति विकास]

92. (क्र. 944) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-
(क) आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजना के अंतर्गत आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 में 31.01.2026 तक योजना अंतर्गत वर्ष-वार बजट प्रावधान, आबंटन एवं वास्तविक व्यय कितना रहा है? **(ख)** आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना बजट आबंटन किया गया है? प्रति दल कितनी अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है? **(ग)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिलासपुर संभाग में कितने आदिवासी सांस्कृतिक दलों/हितग्राहियों को अनुदान राशि स्वीकृत की गई है तथा प्रति दल कितनी राशि दी गई है? **(घ)** योजना के अंतर्गत हितग्राहियों/सांस्कृतिक दलों का चयन किस प्रक्रिया से किया जाता है? क्या अनुदान व्यक्ति विशेष, पंजीकृत सांस्कृतिक दल अथवा अन्य माध्यम से दिया जाता है? चयन प्रक्रिया में जिला/संभाग/राज्य स्तर पर किन अधिकारियों अथवा समितियों की भूमिका होती है? **(ङ)** उक्त योजना के प्रचार-प्रसार हेतु शासन द्वारा क्या-क्या उपाय किये जाते हैं तथा इस पर वर्ष-वार कितना व्यय किया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 59.00 लाख जिलो को राशि पुर्नबंटन किया गया है। एक सांस्कृतिक दल को अधिकतम 10,000/- सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। **(ग)** वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिलासपुर संभाग में 110 सांस्कृतिक दलो को प्रति दल राशि रुपये 10,000/-के मान से आबंटन जारी किया गया है। जिला मुंगेली में 02 एवं जिला सारंगढ-बिलाईगढ में 01 दल को अनुदान राशि स्वीकृत की गई है, शेष अनुदान स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। **(घ)** योजना अंतर्गत सांस्कृतिक दलों का चयन जनपद स्तर पर समिति के माध्यम किया जाता है। जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर शासन द्वारा गठित निर्णायक मण्डल द्वारा चयन किया जाता है। **(ङ)** समय-समय पर आयोजित विभिन्न शिविर कार्यक्रम एवं जनपद पंचायत के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। व्यय राशि निरंक है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक सौ चार"]

प्रपत्र

प्रदेश में घुमन्तु पशुओं की जिलावार जानकारी (20वीं पशु संगणना अनुसार)

क	जिले का नाम	घुमन्तु पशुधन की संख्या
1	2	3
1	रायपुर	18021
2	गरियाबंद	13765
3	बलौदाबाजार	25649
4	महासमुन्द	11785
5	धमतरी	4469
6	दुर्ग	17655
7	बालोद	4984
8	बेमेतरा	19547
9	राजनांदगांव	8232
10	मोहला-मानपुर-चौकी	
11	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	
12	कबीरधाम	5571
13	बिलासपुर	14479
14	गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही	
15	कोरबा	5935
16	मुंगेली	3232
17	जांजगीर-चांपा	17069
18	सक्ति	
19	रायगढ़	5241
20	सांरगढ़-बिलाईगढ़	
21	सरगुजा	1289
22	जशपुर	471
23	कोरिया	1156
24	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	
25	बलरामपुर	633
26	सूरजपुर	543
27	बस्तर	2300
28	कांकेर	1614
29	कोण्डागांव	41
30	दंतेवाड़ा	581
31	बीजापुर	570
32	नारायणपुर	147
33	सुकमा	14
	कुल योग	184993
जिला बालोद का विकासखण्डवार जानकारी		
	बालोद	1136
	डौंडी	282
	डौंडीलोहारा	603
	गुरुर	739
	गुण्डरदेही	2224
	कुल	4984

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन

परिशेष - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क. 928) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में केशकाल विधानसभा क्षेत्र में आबंटित राशि की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र	जिले का नाम	वर्ष	विधानसभा का नाम	प्राप्त आबंटन	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्य की स्थिति प्रारंभ/अप्रारंभ/पूर्ण	अप्रारंभ का कारण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कोण्डागांव	2023-24 एवं 2024-25	केशकाल	177.83	50 सीटर पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास केशकाल का भवन निर्माण	प्रारंभ	-	स्वीकृत वर्ष 2023-24 में राशि रु. 83.33 लाख एवं वर्ष 2024-25 में राशि रु. 94.50 लाख प्राप्त है।
2	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	2.55	कन्या आश्रम बनचपई में बारबेड वायर फेंसिंग कार्य	पूर्ण	-	
3	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	2.55	कन्या आश्रम भैसाबेड़ा में बारबेड वायर फेंसिंग कार्य	पूर्ण	-	
4	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	2.55	कन्या आश्रम केशकाल में बारबेड वायर फेंसिंग कार्य	पूर्ण	-	
5	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	2.55	कन्या आश्रम ईरागांव में बारबेड वायर फेंसिंग कार्य	पूर्ण	-	
6	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	2.55	कन्या आश्रम पेण्डावन में बारबेड वायर फेंसिंग कार्य	पूर्ण	-	
7	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	12.00	प्री. मै. बालक छात्रावास सलना में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	पूर्ण	-	
8	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	12.00	प्री. मै. बालक छात्रावास अड़ेगा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	पूर्ण	-	
9	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	12.00	कन्या आश्रम भैसाबेड़ा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	पूर्ण	-	
10	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	6.23	बालक आश्रम बनचपई में किचन शेड निर्माण कार्य	पूर्ण	-	

5

धनभाग अधिकारी
आदिवासी विकास विभाग
भारत सरकार, नया दिल्ली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	कोण्डगांव	2023-24	केशकाल	6.23	बालक आश्रम चिंगनार में किचन शेड निर्माण कार्य	पूर्ण	-	
12	कोण्डगांव	2023-24	केशकाल	6.23	कन्या आश्रम जैतपुरी में किचन शेड निर्माण कार्य	प्रारंभ	-	
13	कोण्डगांव	2023-24	केशकाल	6.23	बालक आश्रम केशकाल में किचन शेड निर्माण कार्य	पूर्ण	-	
14	कोण्डगांव	2023-24	केशकाल	6.23	कन्या आश्रम मानिकपुर में किचन शेड निर्माण कार्य	पूर्ण	-	
15	कोण्डगांव	2023-24	केशकाल	6.23	कन्या आश्रम होनावडी में किचन शेड निर्माण कार्य	पूर्ण	-	
16	कोण्डगांव	2023-24	केशकाल	6.57	ग्राम बाड़ागांव के आदिवासी हॉट बाजारों में प्लेटफार्म निर्माण कार्य	पूर्ण	-	
17	कोण्डगांव	2023-24	केशकाल	1.92	एकलव्य बेड़मा में बोरखनन एवं सम्पुल निर्माण कार्य	पूर्ण	-	
18	कोण्डगांव	2023-24	केशकाल	4.78	प्री.मै. कन्या छात्रावास खालेमूवेण्ड में कम्प्यूटर लैब की स्थापना	पूर्ण	-	
19	कोण्डगांव	2023-24	केशकाल	4.78	कन्या आश्रम गम्हरी में कम्प्यूटर लैब की स्थापना	पूर्ण	-	
20	कोण्डगांव	2023-24	केशकाल	4.78	बालक आश्रम कोसागांव में कम्प्यूटर लैब की स्थापना	पूर्ण	-	
21	कोण्डगांव	2023-24	केशकाल	4.48	बालक आश्रम केशकाल में लाईब्रेरी की स्थापना	अप्रारंभ	कार्यएजेन्सी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण एजेन्सी परिवर्तन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	
22	कोण्डगांव	2023-24	केशकाल	4.48	कन्या आश्रम केशकाल में लाईब्रेरी की स्थापना	अप्रारंभ	कार्यएजेन्सी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण एजेन्सी परिवर्तन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	
23	कोण्डगांव	2023-24	केशकाल	4.48	बालक आश्रम कोसागांव में लाईब्रेरी की स्थापना	पूर्ण	-	

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
इलाहाबाद, महानदी भवन, नवा रायपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	4.48	प्री.मै. कन्या छात्रावास उरदाबेड़ा में लाइब्रेरी की स्थापना	अप्रारंभ	कार्यएजेन्सी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण एजेन्सी परिवर्तन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	
25	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	3.84	50 छात्रावास/आश्रमों हेतु फूड ग्रैन स्टोरेज कंटेनर का प्रदाय	पूर्ण	-	
26	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	5.50	वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	प्रारंभ	-	
27	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	189.73174	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चिचाड़ी की वनभूमि के लिए प्रत्यावर्तन राशि का प्रावधान	पूर्ण	-	
28	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	126.38836	एकलव्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोरगांव की वनभूमि के लिए प्रत्यावर्तन राशि का प्रावधान	पूर्ण	-	
29	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	145.14417	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बेड़मा की वनभूमि के लिए प्रत्यावर्तन राशि का प्रावधान	पूर्ण	-	
		योग:-		775.31627				

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर

धनुसागो अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में केशकाल विधानसभा क्षेत्र को पूंजी एवं राजस्व मद में स्वीकृत कार्यों की मदवार जानकारी

क्र	जिले का नाम	वर्ष	विधानसभा का नाम	मद	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4	5	6
1	कोण्डागांव	2023-24 एवं 2024-25	केशकाल	पूंजीगत	50 सीटर पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास केशकाल का भवन निर्माण
2	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	कन्या आश्रम बनचणई में बारबेड वायर फेंसिंग कार्य
3	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	कन्या आश्रम भैसाबेड़ा में बारबेड वायर फेंसिंग कार्य
4	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	कन्या आश्रम केशकाल में बारबेड वायर फेंसिंग कार्य
5	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	कन्या आश्रम ईरागांव में बारबेड वायर फेंसिंग कार्य
6	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	कन्या आश्रम पेण्डावन में बारबेड वायर फेंसिंग कार्य
7	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	प्री. मै. बालक छात्रावास सलना में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य
8	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	प्री. मै. बालक छात्रावास अड़ंगा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य
9	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	कन्या आश्रम भैसाबेड़ा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य
10	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	बालक आश्रम बनचणई में किचन शेड निर्माण कार्य
11	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	बालक आश्रम घिंगनार में किचन शेड निर्माण कार्य
12	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	कन्या आश्रम जैतपुरी में किचन शेड निर्माण कार्य
13	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	बालक आश्रम केशकाल में किचन शेड निर्माण कार्य
14	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	कन्या आश्रम मानिकपुर में किचन शेड निर्माण कार्य
15	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	कन्या आश्रम होनावडी में किचन शेड निर्माण कार्य
16	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	ग्राम बाड़ागांव के आदिवासी हॉट बाजारों में प्लेटफार्म निर्माण कार्य
17	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	पूंजीगत	एकलव्य बेड़मा में बोखनन एवं सम्पल निर्माण कार्य
18	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	राजस्व	प्री. मै. कन्या छात्रावास खालेमूरवेण्ड में कम्प्यूटर लैब की स्थापना
19	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	राजस्व	कन्या आश्रम गम्हरी में कम्प्यूटर लैब की स्थापना
20	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	राजस्व	बालक आश्रम कोसागांव में कम्प्यूटर लैब की स्थापना

अनुसूचित अधिकारी
आदिन खाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

1	2	3	4	5	6
21	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	राजस्व	बालक आश्रम केशकाल में लाईब्रेरी की स्थापना
22	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	राजस्व	कन्या आश्रम केशकाल में लाईब्रेरी की स्थापना
23	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	राजस्व	बालक आश्रम कोसागांव में लाईब्रेरी की स्थापना
24	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	राजस्व	प्री.मै. कन्या छात्रावास उरन्दाबेड़ा में लाईब्रेरी की स्थापना
25	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	राजस्व	50 छात्रावास/आश्रमों हेतु फूड ग्रेन स्टोरेज कंटेनर का प्रदाय
26	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	राजस्व	वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन
27	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	राजस्व	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय विचाडी की वनभूमि के लिए प्रत्यावर्तन राशि का प्रावधान
28	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	राजस्व	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोरगांव की वनभूमि के लिए प्रत्यावर्तन राशि का प्रावधान
29	कोण्डागांव	2023-24	केशकाल	राजस्व	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बेड़मा की वनभूमि के लिए प्रत्यावर्तन राशि का प्रावधान

रपायुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर

अनुसूचित अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारोशिए - तीन

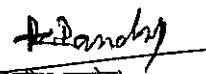
तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 925) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2023-24

क्र.	विभाग का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (रुपये लाख में)
1	लोक निर्माण विभाग	जिला बालोद के दल्ली चौक बालोद से पाररास बालोद तक (लोहारा बालोद र्मा मु.जि.मा) सौन्दर्यकरण एवं मार्ग विभाजन निर्माण की घोषणा लं. 1.85	809.67
2		जिला बालोद वि.ख. बालोद के सांकरा में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का निर्माण	121.16
3		जिला बालोद वि.ख. गुरुर के गुरुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का निर्माण	121.16
4		जिला बालोद वि.ख. बालोद के पीपरछेड़ी में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का निर्माण	121.16
5	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	(2536)-पर्यावरण वानिकी -कृष्ण कुंज द्वितीय वर्ष रखरखाव कार्य	13.00
6		(2536)-पर्यावरण वानिकी -वन महोत्सव कार्यक्रम	1.70
7		(2965)-बिगड़े वनों का सुधार - प्रथम वर्ष सर्वे सीमांकन कार्य	2.92
8		(2965)-बिगड़े वनों का सुधार - द्वितीय वर्ष कार्य	621.65
9		(2965)-बिगड़े वनों का सुधार - षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य	16.30
10		(6723)-संयुक्त वन प्रबंध सुदृढीकरण एवं विकास तथा प्रशिक्षण कार्य	1.46
11		(6827)-संरक्षण कार्य -प्रथम वर्ष कार्य	2.57
12		(6827)-संरक्षण कार्य -द्वितीय वर्ष कार्य	4.28
13		(6827)-वाटरशेड मैनेजमेंट कार्य - प्रथम वर्ष कार्य	24.52
14		(6827)-वाटरशेड मैनेजमेंट कार्य -द्वितीय वर्ष कार्य	25.87
15		(6724)-बांस वनों का पुनरोद्धार- तृतीय वर्ष कार्य	28.28
16		(3531)-सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन- प्रथम वर्ष कार्य	27.17
17		(3531)-सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन- तृतीय वर्ष कार्य	7.80
18		(3531)-सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन- चतुर्थ वर्ष कार्य	4.66
19		(3531)-सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन- पंचम वर्ष कार्य	2.10
20		(3531)-सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन- षष्ठम वर्ष कार्य	9.80
21		(6666)-मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना- वृक्षारोपण प्रथम वर्ष	8.70
22		(7930)-मुख्यमंत्री बांस विकास योजना (द्वितीय वर्ष अनुदान)	0.17
21		(2533)-हरियाली प्रसार योजना - अनुदान	2.76
23		(4349) सड़को व पुलों का दुरुस्ती कार्य	7.42
24		(6218) शासकीय भवनों का मरम्मत कार्य	9.00
25		(3877) डिमार्केशन कार्य	3.97
26		(3877) अग्नि बचाव कार्य	10.21
27		(203) काष्ठ विदाहन कार्य	4.29
28		कैम्पा मद-सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण- प्रथम वर्ष कार्य	36.50
29		कैम्पा मद-सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण- चतुर्थ वर्ष कार्य	6.45
30		कैम्पा मद-सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण-षष्ठम वर्ष कार्य	4.02
31		कैम्पा मद-बौनी प्रजाति वृक्षारोपण- पंचम वर्ष कार्य	5.56
32		कैम्पा मद-सिंचित बांस वृक्षारोपण-द्वितीय वर्ष कार्य	7.89
33		कैम्पा मद-सिंचित बांस वृक्षारोपण-तृतीय वर्ष कार्य	4.80
34		कैम्पा मद-लेन्टाना उन्मूलन -तृतीय वर्ष कार्य	12.92
35		कैम्पा मद-अग्नि सुरक्षा फायर वाचर कार्य	6.52
36		कैम्पा मद-परिक्षेत्रा स्तरीय स्ट्राईक फोर्स	9.00
37		कैम्पा मद-संवेदनशील क्षेत्रा में सुरक्षा कार्य	4.66
38		कैम्पा मद-भू-जल संरक्षण कार्य	40.00
39		कैम्पा मद -चारागाह विकास कार्य - प्रथम वर्ष कार्य	1.91
40		कैम्पा मद-हाईटेक नर्सरी हेतु उपकरण क्रय	5.00
41		कैम्पा मद-परिक्षेत्रा कार्यालय भवन निर्माण	30.46

42		कैम्पा मद -बाऊण्डीवाल निर्माण कार्य	37.09
43	जल संसाधन विभाग	बालोद जिले के विकासखण्ड बालोद की गौदली जलाशय परियोजना अंतर्गत तरौद माईनर में एक्वाडक्ट, लाईनिंग एवं स्ट्राक्चर कार्य	292.84
44	उच्च शिक्षा विभाग	शासकीय नवीन महाविद्यालय बासीन	465.84
45	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	बालोद में नवीन जिला न्यायालय भवन निर्माण	1518.52
46	महिला एवं बाल विकास विभाग	पेयजल व्यवस्था सुविधा कार्य	13.88
47		शौचालय निर्माण कार्य	0.24
47	ऊर्जा विभाग	आर.डी.एस.एस.के.व्ही. कृषि पंप फीडर का पृथकीकरण-7 नग 51 कि.मी. एवं अतिभारित 11 के.व्ही.फीडर का विभाजन- 8 नग 8.5 कि.मी.	50.70
48		पंप ऊर्जीकरण- पंप विद्युतीकरण कार्य (कुल संख्या-1292 नं.)	848.74
49		मंड्यमंती अधोसंरचना विद्युत विकास योजना -अतिरिक्त पॉवर ट्रांस.स्थापना एवं ट्रांस क्षमता वृद्धि स्थापना एवं 2. पॉवर ट्रांस क्षमता वृद्धि स्थापना	118.94 66.17
50		सोलर हाई मास्ट लाईट - सोलर हाई मास्ट लाईट स्थापना कार्य (10 नग)	15.00
51		घरेलू बायोगैस - घरेलू बायोगैस संयंत्र निर्माण (03 नग)	0.70
52		सौर सुलभ योजना - कृषि सोलर पंप स्थापना कार्य (25 नग)	47.87
53		सौर संयंत्रों का संचालन/संधारण - संचालन/संधारण का कार्य	3.15
54	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	महात्मा गांधी रूरल इण्डस्ट्रियल पार्क (रीपा) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेवर ब्लाक गतिविधि हेतु ओपन शेड निर्माण, मुख्य मार्ग से रीपा गेट तक मिट्टी मुरूम लिंक रोड पर ग्रामीण औद्योगिक पार्क में इंटर लॉकिंग सीमेंट ब्लाक रोड निर्माण एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में ओपन ड्रेन निर्माण के कुल 04 कार्य हेतु	31.58
55	पर्यटन विभाग	सियादेवी मंदिर, नारागांव में रेटिंग शेड निर्माण, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण, मोटर पंप स्थापना एवं पाईप लाईन विस्तार, महिला एवं पुरुष सामुदायिक शौचालय निर्माण एवं शेड विस्तारीकरण कार्य हेतु	34.92
		ग्राम ओनाकोना में रेस्टिंग शेड निर्माण, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण, रिटनिंग वाला निर्माण, मंदिर में आहाता का रिनोवेशन, सीटिंग बेंच एवं साईनेज बोर्ड निर्माण कार्य हेतु	41.79
56	स्कूल शिक्षा विभाग	संजारी बालोद गुरु शास.उ.मा.वि.गुरु नवीन भवन निर्माण	121.16
57	जेल विभाग	संजारी बालोद जेल में 100 बंदी क्षमता के बैरक निर्माण कार्य हेतु	120.00
58		अनुसूचित जाति प्राधिकरण	6.00
59	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	विभागीय निर्माण कार्य अनुरक्षण/मरम्मत कार्य	67.69
60		वन अधिकार (मानेदय)	0.94
61		राशन व्यय	24.55
62		विशेष कोचिंग केन्द्र	0.45
63		शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति (पोस्ट मेटिक छात्रावास)	1.95
65		मेला उत्सव प्रदर्शनी	10.00
66		सामग्रिया तथा पूर्तियां कपडे विस्तर भण्डार कच्चा माल/अन्य व्यय	9.40
67	संस्कृति विभाग	राज्य संरक्षित स्मारक कपिलेश्वर मंदिर पुरावशेषों के लिए निर्माण कार्य	2.64
68		राज्य संरक्षित स्मारक कुकरदेव मंदिर खपरी में रिनोवेशन कार्य	9.09
69		राज्य संरक्षित स्मारक कुकरदेव मंदिर खपरी में चौकीदार क्वार्टर एवं पाथ वे निर्माण	5.16
70	ग्रामोद्योग विभाग	बुनकर आवास वर्कशेड निर्माण	57.50
71		शिल्पियों को विद्युत चाक वितरण	2.38
72		लघु उद्योगों की स्थापना	16.95
73	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	रीपा अन्तर्गत पेवर ब्लाक, ओपन शेड निर्माण, लिंक रोड कार्य, सीमेंट ब्लाक रोड एवं ओपन ड्रेन निर्माण	31.58
74		स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत व्यक्तिगत/सामुदायिक शौचालय, मेजिक पीट, ग्रे वाटर कचरा संग्रहण शेड	282.12
75	गृह विभाग	04 राजपत्रित आवास गृह 14 वी वाहिनी छसबल धनोरा बालोद	118.11


(अतीश पाण्डेय)

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

वर्ष 2024-25

क्र.	विभाग का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (रुपये लाख में)
1	लोक निर्माण विभाग	जिला बालोद के दुर्ग दल्लीराजहरा रेल लाईन के रेल्वे क्रॉसिंग क्र.डी. डी.-50 पाररास पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं यूटीलिटी शिफ्टिंग में होने वाले व्यय हेतु) की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत	3898.27
2		जिला बालोद के दुर्ग दल्लीराजहरा रेल लाईन के रेल्वे क्रॉसिंग क्र.डी. डी.-50 पाररास पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं यूटीलिटी शिफ्टिंग में होने वाले व्यय हेतु) की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत	3591.31
3		जगन्नाथपुर दरबारी नवागांव डैंगरापार मार्ग लं. 585 कि.मी. का निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित।	731.21
4		जिला बालोद के विद्यमान सड़कों के रोड सेपटी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सड़क सुधार एवं सुरक्षा उपाय कार्य	170.33
5		सांगली से सनौद मार्ग लं. 5.00 कि.मी. का निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित।	414.04
6		ठेकवाडीह से बोहारडीह मार्ग लं. 1.30 कि.मी. का निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित।	148.18
7		चुल्हापथरा से करियाटोला मार्ग लं. 3.00 कि.मी. का निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित।	415.66
8		सिवनी पहुंच मार्ग लं. 1.00 कि.मी. का निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित। (090)	159.57
9		जिला बालोद के अंतर्गत राज्यमार्ग पर जंक्शन सुधार का कार्य एवं आई.आर.सी. के प्रावधानुसार कैश बैरियर लगाने का कार्य	256.29
10		कार्यापालन अभियंता लोक निर्माण विभाग बालोद संभाग का नया कार्यालय का भवन निर्माण कार्य	176.09
11		पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी बालोद में 01 ई-टाईप, 03 नग एफ टाईप, 11 नग जी टाईप, 15 नग एच टाईप = कुल 30 नग कर्मचारियों हेतु आवास गृह का निर्माण।	590.75
12		अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. अनुविभाग क्र.- 01 बालोद का नया कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	66.77
13		जिला बालोद के पाथ-वे एवं ड्रेन निर्माण का कार्य।	9.85
14		जिला बालोद के बैरक में मरम्मत का कार्य।	4.99
15		शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद जिला बालोद में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण।	292.39
16	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	पर्यावरण वानिकी -कृष्ण कुंज तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य	0.66
17		(2536)- पर्यावरण वानिकी -वन महोत्सव कार्यक्रम	3.50
18		(2536)- पर्यावरण वानिकी -पर्यावरण पार्क में ईको पर्यटन कार्य	74.00
19		(2965)- बिगड़े वनों का सुधार -द्वितीय वर्ष कार्य	178.27
20		(2965)- बिगड़े वनों का सुधार -तृतीय वर्ष कार्य	64.37
21		(6827)- संरक्षण कार्य -द्वितीय वर्ष कार्य	9.68
22		(6827)- संरक्षण कार्य -तृतीय वर्ष कार्य	0.98
23		(6827)- वाटरशेड मैनेजमेंट कार्य - प्रथम वर्ष कार्य	10.26
24		(6827)- वाटरशेड मैनेजमेंट कार्य -द्वितीय वर्ष कार्य	39.70
25		(6827)- वाटरशेड मैनेजमेंट कार्य -तृतीय वर्ष कार्य	5.64
26		(6724)- बांस वनों का पुनरोद्धार-चतुर्थ वर्ष कार्य	23.64
27		(3531)- सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन- प्रथम वर्ष कार्य	39.95
28		(3531)- सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन-द्वितीय वर्ष कार्य	8.66
29		(3531)- सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन- चतुर्थ वर्ष कार्य	6.25
30		(3531)- सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन- पंचम वर्ष कार्य	4.24
31		(3531)- सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन- षष्ठम वर्ष कार्य	6.37
32		(7930)- मुख्यमंत्री बांस विकास योजना (तृतीय वर्ष अनुदान)	0.07

33		(7089)-किसान वृक्ष मित्र योजना - प्रथम वर्ष वृक्षारोपण	34.95
34		(7089)-किसान वृक्ष मित्र योजना -द्वितीय वर्ष अनुदान	1.81
35		(1902)-तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष)	5.56
36		(4342)-कर्मचारी कल्याण भवन निर्माण कार्य	7.51
37		(2533)-हरियाली प्रसार योजना - तृतीय वर्ष अनुदान	0.33
38		(4349) सड़को व पुलों का दुरुस्ती कार्य	13.30
39		(6218) शासकीय भवनों का मरम्मत कार्य	39.47
40		(3877) डिमार्केशन कार्य	7.08
41		(3877) अग्नि बचाव कार्य	10.97
42		(203) अनुरक्षण कार्य- बाऊण्डीवाल निर्माण कार्य	16.00
43		(203) काष्ठ विदाहन कार्य	4.86
44		कैम्पा मद-सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण- द्वितीय वर्ष कार्य	13.00
45		कैम्पा मद-सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण- तृतीय वर्ष कार्य	20.28
46		कैम्पा मद-सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण- पंचम वर्ष कार्य	24.15
47		कैम्पा मद-सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण-सप्तम वर्ष कार्य	7.00
48		कैम्पा मद-बौनी प्रजाति वृक्षारोपण- षष्ठम वर्ष कार्य	5.56
49		कैम्पा मद-सिंचित बांस वृक्षारोपण-तृतीय वर्ष कार्य	7.67
50		कैम्पा मद-सिंचित बांस वृक्षारोपण-चतुर्थ वर्ष कार्य	3.00
51		कैम्पा मद -चारागाह विकास कार्य - द्वितीय वर्ष कार्य	1.66
52		कैम्पा मद-अग्नि सुरक्षा फायर वाचर कार्य	13.70
53		कैम्पा मद-वन रक्षक आवासीय भवन निर्माण कार्य	7.13
54		कैम्पा मद-परिक्षेत्रा स्तरीय स्ट्राइक फोर्स	7.00
55		कैम्पा मद-संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य	4.98
56		कैम्पा मद-आर.सी.सी. मुनारा निर्माण कार्य	15.40
57		कैम्पा मद-मिश्रित प्रजाति पौधा तैयारी कार्य	23.37
58	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	न.पा.प.बालोद में 250 सीटर नालंदा परिसर निर्माण कार्य	441.49
59	उच्च शिक्षा विभाग	डॉ. घनश्याम सिंह गुप्ता शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद	292.38
60	महिला एवं बाल विकास विभाग	26 आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य	303.94
61		41 आंगनबाड़ी भवन मरम्मत कार्य	40.42
62		343 आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनुरक्षण कार्य	10.29
63	ऊर्जा विभाग	आर.डी.एस.एस. -1. 11 के.व्ही. कृषि पंप फीडर का पृथकीकरण-7 नग/51 कि.मी. 2. अतिभारित 11 के.व्ही.फीडर का विभाजन-8 नग/8.5 कि.मी	109.03
65		पंप ऊर्जीकरण- पंप विद्युतीकरण कार्य (कुल संख्या-1292 नं.)	238.86
66		जिला खनिज न्यास मद से विद्युतीकरण कार्य- राजावार पठार में सड़क बती विद्युतीकरण कार्य	3.28
67		मुख्यमंत्री अधोसंरचना विघट विकास योजना - 1.नया 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	131.11
68		पॉवर ट्रांस क्षमता वृद्धि स्थापना	93.28
69		सौर सूलभ योजना - कृषि सोलर पंप स्थापना कार्य (25 नग)	22.46
70		सौर संयंत्रों का संचालन/संधारण - संचालन/संधारण का कार्य	0.15
71	जेल विभाग	जिला जेल संजोरी बालोद में पथवे एवं डेन निर्माण कार्य हेतु	9.85
72		बैरक में मरम्मत कार्य हेतु	4.99
73	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	130.00
74		आदिवासी संस्कृति का परीक्षण देवगुदी	16.50
75		अनुरक्षण(छात्रावास/आश्रम)	6.07
76		राशन व्यय	25.70
77		विशेष कोचिंग केन्द्र	1.70
78		आदिवासी संस्कृति का परीक्षण (पोस्ट मेटिक छात्रावास)	0.48
79		मेला उत्सव प्रदर्शनी	20.00
80		सामग्रिया तथा पूर्तियां कपडे विस्तर भण्डार कच्चा माल/अन्य व्यय	29.88

81	संस्कृति विभाग	राज्य संरक्षित स्मारक शिव मंदिर पलारी में विकास एवं मरम्मत कार्य	6.18
82	ग्रामोद्योग विभाग	बुनकरो को उन्नत/सहायक उपकरण प्रदाय	3.60
83		बुनकरो को आवास एवं वर्कशेड निर्माण हेतु सहायता	17.50
84		लघु उद्योगों की स्थापना	20.97
85	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत व्यक्तिगत/सामुदायिक शौचालय, मेजिक पीट, ग्रे वाटर कचरा संग्रहण शेड, सोक पीट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट	251.13
86	गृह विभाग	थाना भवन सनौद, पुलिस कन्ट्रोल रूम बालोद, अराजपत्रित टाजिट हास्टल भवन, 03 राजपत्रित आवास गृह 12 प्र आर आवास गृह, 36 प्र आ आवास गृह धनोरा 24 प्र आर आवास गृह करकाभाट बालोद	1254.11

Arundh

(अतीश पाण्डेय)

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

वर्ष 2025-26

क्र.	विभाग का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (रुपये लाख में)
1	लोक निर्माण विभाग	जिला बालोद के बोहरा गौठान से सनौद मार्ग में पुल निर्माण कार्य (60 मीटर से कम)	281.04
		जिला बालोद के उमरादाह से निपानी मार्ग का निर्माण कार्य लं. 12.00 किमी पुल-मुलिया सहित।	320.23
2	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2536)-पर्यावरण पार्क में ईको पर्यटन कार्य	17.96
3		(वर्ष 2024-25 की समर्पित राशि)	6.45
4		(2536)-पर्यावरण वानिकी -वनमहोत्सव कार्यक्रम	3.87
5		(2965) -बिगड़े वनों का सुधार - प्रथम वर्ष कार्य	245.82
5		(2965) -बिगड़े वनों का सुधार -द्वितीय वर्ष कार्य	25.88
6		(2965) -बिगड़े वनों का सुधार -तृतीय वर्ष कार्य	97.09
7		(2965) -बिगड़े वनों का सुधार -चतुर्थ वर्ष कार्य	1.04
8		(6827) -संरक्षण कार्य -प्रथम वर्ष कार्य	7.25
9		(6827) -संरक्षण कार्य -द्वितीय वर्ष कार्य	1.02
10		(6827) -संरक्षण कार्य -तृतीय वर्ष कार्य	0.83
11		(6827) -संरक्षण कार्य -चतुर्थ वर्ष कार्य	10.42
12		(6827) -वाटरशेड मैनेजमेंट कार्य - प्रथम वर्ष कार्य	40.70
13		(6827) -वाटरशेड मैनेजमेंट कार्य -द्वितीय वर्ष कार्य	4.18
14		(6827) -वाटरशेड मैनेजमेंट कार्य -तृतीय वर्ष कार्य	5.02
15		(6827) -वाटरशेड मैनेजमेंट कार्य -चतुर्थ वर्ष कार्य	9.90
16		(6724)-बांस वनों का पुनरोद्धार-प्रथम वर्ष कार्य	28.09
17		(3531)-सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन- प्रथम वर्ष कार्य	6.63
18		(3531)-सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन-द्वितीय वर्ष कार्य	9.24
19		(3531)-सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन-तृतीय वर्ष कार्य	5.92
20		(3531)-सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन- पंचम वर्ष कार्य	7.47
21		(3531)-सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन- षष्ठम वर्ष कार्य	7.91
22		(7089)-किसान वृक्ष मित्र योजना - प्रथम वर्ष वृक्षारोपण	3.03
23		(7089)-किसान वृक्ष मित्र योजना -द्वितीय वर्ष अनुदान	1.14
24		(7089)-किसान वृक्ष मित्र योजना -तृतीय वर्ष अनुदान	2.51
25		(1902)-तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण- तृतीय वर्ष कार्य	4.84
26		(4342)-कर्मचारी कल्याण भवन निर्माण कार्य (समर्पित राशि)	1.00
27		(4349) सड़को व पुलों का दुरुस्ती कार्य	0.40
28		(6218) शासकीय भवनों का मरम्मत कार्य	5.47
29		(3877) डिमार्केशन कार्य	11.28
30		(3877) अग्नि बचाव कार्य	3.80
31		(203) अनुरक्षण कार्य- मूलभूत सुविधा विकास कार्य	12.49
32		(203) काष्ठ विदाहन कार्य	7.00
33		कैम्पा मद-सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण- तृतीय वर्ष कार्य	10.96
34		कैम्पा मद-सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण-चतुर्थ वर्ष कार्य	4.06
35		कैम्पा मद-सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण- षष्ठम वर्ष कार्य	2.94
36		कैम्पा मद-सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण-अष्ठम वर्ष कार्य	5.56
37		कैम्पा मद-बौनी प्रजाति वृक्षारोपण- सप्तम वर्ष कार्य	4.98
38		कैम्पा मद-सिंचित बांस वृक्षारोपण-चतुर्थ वर्ष कार्य	3.00
39		कैम्पा मद-सिंचित बांस वृक्षारोपण-पंचम वर्ष कार्य	1.79
40		कैम्पा मद -चारागाह विकास कार्य - तृतीय वर्ष कार्य	14.06
41		कैम्पा मद-अग्नि सुरक्षा फायर वाचर कार्य	12.00
42		कैम्पा मद-हाथी पेट्रोलिंग कैम्प निर्माण कार्य	7.00
43		कैम्पा मद-परिक्षेत्रा स्तरीय स्ट्राइक फोर्स	5.11

44		कैम्पा मद-संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा कार्य	1.00
45		कैम्पा मद-हाईटेक बेरियर रखरखाव कार्य	40.00
46		कैम्पा मद-हाईटेक रापेणी उन्नयन कार्य	0.50
47	वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	वर्ष 2025-26 के लिये उप पंजीयक कार्यालय भवन बालोद के निर्माण हेतु	71.41
48	जल संसाधन विभाग	बालोद जिले विकासखण्ड गुरुर की ग्राम पंचायत ओझागहन ग्राम पंक्तीभाट में स्टापडेम निर्माण कार्य	359.87
49	उच्च शिक्षा विभाग	मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला	9.33
50	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	बालोद के उपखण्डीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु	19.55
51	महिला एवं बाल विकास विभाग	01 आंगनबाड़ी भवन निर्माण (शहरी क्षेत्र हेतु)	3.00
52		381 आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनुरक्षण कार्य	11.43
53		01 बाल कल्याण समिति एवं 01 किशोर न्याया बोर्ड	9.258
54	ऊर्जा विभाग	आर.डी.एस.एस. -1. 11 के.व्ही. कृषि पंप फीडर का पृथकीकरण-7 नग/51 कि.मी. एवं 2. अतिभारित 11 के.व्ही.फीडर का विभाजन-8 नग/8.5 कि.मी.	117.33
55		धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान एवं अतिरिक्त घरों के विद्युतीकरण - कार्य में ग्राम बालोद एवं खुंदनी ग्रामों के 83 नग अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण	10.18
56		पंप ऊर्जीकरण- पंप विद्युतीकरण कार्य (कुल संख्या-1292 नं.)	165.11
57	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	विद्युत यांत्रिकी उपखण्ड बालोद कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	19.55
58	स्कूल शिक्षा विभाग	संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शास.उ.मा.वि.पीपरछेड़ी नवीन भवन निर्माण	121.16
59		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शास.उ.मा.वि.ज.सांकरा नवीन भवन निर्माण	121.16
60		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शास.प्राथ.शाला मि.सांकरा नवीन भवन निर्माण	11.48
61		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शास.पूर्व माध्य.शाला दरबारी नवागांव नवीन भवन निर्माण	11.84
62		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शा.प्रा.शाला रेवती नवागांव छत मरम्मत	0.50
63		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शा. प्रा. शाला कोहंगाटोला छत मरम्मत	0.50
64		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शा. प्रा. शाला नागाडबरी	0.70
65		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शा. प्रा. शाला भाटापारा तरौद बालक/बालिका शौचालय मरम्मत	0.50
66		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शा. मा.शाला मटिया बी बालक एवं बालिका शौचालय मरम्मत	0.60
67		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शा. मा. शाला लिमोरा बालिका शौचालय मरम्मत	0.30
68		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शा. मा. शाला हरिठेमा नवीन बालिका शौचालय निर्माण	1.03
69		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. प्रो. मा.शाला मुल्लेगुडा नवीन बालिका शौचालय	1.03
70		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शा. मा. शाला परसदा भवन मरम्मत	0.50
71		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शा. मा. शाला तरौद बालिका शौचालय मरम्मत	0.30
72		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शा. बुनयादि पूर्व मा.शा. बालोद बालक/बालिका शौचालय मरम्मत	0.80
73		संजारी बालोद, बालोद वि.ख. शास.हाई स्कूल खपरी नवीन बालिका शौ. निर्माण,छत एवं शौचालय मरम्मत	2.83
74		शास.हाई स्कूल देवारभाट बालिक /बालक शौचालय मरम्मत	0.60
75		शास. हाई स्कूल घुमका बालक बालिका शौचालय मरम्मत,	0.50
76		शास. हाई स्कूल कोहंगाटोला बालक बालिका शौचालय मरम्मत,	0.50
77		शास.उच्च.माध्य.विद्यालय बिरेतरा नवीन बालिका शौचा. निर्माण छत मरम्मत	1.80
78		शास.आदर्श कन्या उच्च.माध्य.विद्यालय बालोद नवीन बालिका शौचालय निर्माण	1.03
79		शास.उच्च.माध्य.विद्यालय पिपरछेड़ी नवीन बालिका शौचालय निर्माण	1.03
80		शास. हाई स्कूल शाला जुंगेरा नवीन बालक शौचालय	1.03
81		शास.उच्च.माध्य.विद्यालय भे.नवागांव नवीन बालिका शौचालय निर्माण	1.03
82		शास. हाई स्कूल जमरूवा बालक शौचालय मरम्मत	0.50
83		शास.उच्च.माध्य.विद्यालय पोंण्डी भवन छत मरम्मत,	1.90
84		शास.उच्च.माध्य.विद्यालय हरिठेमा बालिका शौचा.मरम्मत,भवन छत मरम्मत	1.10
85		शास.उच्च.माध्य.विद्यालय बुनियादी बालोद	1.03
86		शास.उच्च.माध्य.विद्यालय नेवारीकला नवीन बालिका शौचालय निर्माण	0.50
87		शास.हाईस्कूल तरौद नवीन बालिका शौचालय निर्माण	1.03
88		संजारी बालोद वि.ख. गुरुर प्राथ.शाला बोहारडीह शौचालय मरम्मत	0.30
89		संजारी बालोद वि.ख. गुरुर प्राथ.शाला पेरपार शौचालय मरम्मत	0.30
90		संजारी बालोद वि.ख. गुरुर पू.मा.शा.कंवर शौचालय मरम्मत	0.30

91		संजारी बालोद वि.ख. गुरुर शास.उ.मा.वि.कनेरी बालिका शौचालय मरम्मत	0.40
92		संजारी बालोद वि.ख. गुरुर शास.उ.मा.वि.बड़भूम बालिका शौचालय मरम्मत	0.40
93		संजारी बालोद वि.ख. गुरुर पू.मा.शा.ओझागहनअ बालिका शौचालय	1.03
94		संजारी बालोद वि.ख. गुरुर पू.मा.शा.हितेकसा बालिका शौचालय	1.03
95		संजारी बालोद वि.ख. गुरुर शास.उ.मा.वि.खुंदनी बालिका शौचालय	1.03
96		संजारी बालोद वि.ख. गुरुर शा.उ.मा.वि.धानापुरी बालिका शौचालय	1.03
97		संजारी बालोद वि.ख. शास.उ.मा.वि.कंवर बालिका शौचालय	1.03
98		संजारी बालोद वि.ख. शास.उ.मा.वि.भानपुरी बालिका शौचालय	1.03
99		शास.उ.मा.वि.फागुन्दाह बालिका शौचालय	1.03
100		शास.उ.मा.वि.मोहारा बालिका शौचालय निर्माण	1.03
101		शास.उ.मा.वि.सोरर नवीन बालिका शौचालय निर्माण	1.03
102		शास.उ.मा.वि.अरकार नवीन बालिका शौचालय निर्माण	1.03
103		शास.क.उ.मा.वि.पलारी नवीन बालिका शौचालय निर्माण	1.03
104		शास.हाईस्कूल पेंवरो नवीन बालिका शौचालय निर्माण	1.03
105		शास.हाईस्कूल पेंवरो नवीन बालिका शौचालय निर्माण	1.03
106		शास.हाईस्कूल मोखा नवीन बालिका शौचालय निर्माण	1.03
107		शास.हाईस्कूल पेण्डरवानी नवीन बालिका शौचालय निर्माण	1.03
108		प्राथ.शाला धोबनपुरी भवन मरम्मत	1.75
109		पू.मा.शा.क0 सोरर भवन मरम्मत	2.00
110		शास.उ.मा.वि.दरी बालिका शौचालय मरम्मत कक्ष मरम्मत	2.30
111		शास.उ.मा.वि.बासीन बालिका शौचालय एवं कक्ष मरम्मत	2.37
112		वि.ख. बालोद शास.उ.मा.वि.कन्नेवाड़ा अहाता निर्माण	10.00
113		शास.उ.मा.वि.जमरूवा प्रार्थना शेड निर्माण	9.00
114		शास.उ.मा.वि.लाटाबोड़ प्रार्थना शेड निर्माण	9.00
115		शास.उ.मा.वि.पीपरछेड़ी प्रार्थना शेड निर्माण	9.00
116		शास.उ.मा.वि.तरौद प्रार्थना शेड निर्माण	9.00
117		शास.उ.मा.वि.करहीभदर प्रार्थना शेड निर्माण	10.00
118		शास.उ.मा.वि.निपानी प्रार्थना शेड निर्माण	9.00
119	आदिम जाति तथा	मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	10.00
120	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	10.00
121	विकास विभाग	विभागीय निर्माण कार्य अनुरक्षण/लघु निर्माण	71.45
122		विभागीय निर्माण कार्य संविधान के अनुच्छेद 275 (1)	191.51
123		राशन व्यय	20.19
124		शहीद वीर नारायण स्मृति पोस्ट मेटिक छात्रावास	0.38
125		मेला उत्सव प्रदर्शनी	10.00
126		सामग्रिया तथा पूर्तियां कपडे विस्तर भण्डार कच्चा माल/अन्य व्यय	8.02
127	ग्रामोद्योग विभाग	बुनकरो को आवास एवं वर्कशेड निर्माण हेतु सहायता	62.50
128		बुनकर सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण	1.50
129		शिल्पियों को विद्युत चाक वितरण	4.61
130		लघु उद्योग की स्थापना हेतु	10.50
130	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	जिला मुख्यालय बालोद में नवीन कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र निर्माण सहित प्रदेश के अन्य पांच जिलों में नवीन कार्यालय भवन निर्माण	1560.00
131	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत व्यक्तिगत/सामुदायिक शौचालय, मेजिक पीट	270.08
132	गृह विभाग	12 अराजपत्रित आवास गृह 01 विवेक आवासीय बैंक थाना गुरुर, 08 प्र आर आवास गृह, 08 प्र आ आवास गृह धनोरा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालोद में मशीन उपकरण के क्रय हेतु एवं फर्नीचर क्रय हेतु	419.09

(अस्तीश पाण्डेय)

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

पॉरीशेड - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 663) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 04.02.2026 तक की अवधि में अवैध/बिना अनुमति फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	प्राप्त शिकायत का माध्यम एवं दिनांक	प्राप्त शिकायत का विवरण	शिकायत में उल्लेखित उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
वर्ष 2023-24						
1.	दूरभाष से प्राप्त शिकायत दिनांक 08.05.2023	हमालपारा खरसिया में अवैध फ्लाई ऐश डंप किये जाने के संबंध में।	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व नाम-एस.के.एस. पॉवर जनरेशन कंपनी (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिजकोट, दरामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	09.05.2023	मंडल के पत्र दिनांक 10.05.2023 द्वारा उद्योग पर 48,660.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 48,660.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
2.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप हेल्प लाइन नंबर में दिनांक 11.05.2023	खरसिया राष्ट्रीय राजमार्ग-49 में अवैध फ्लाई ऐश डंप करने वाले ट्रांसपोर्टर श्री जगदीश मित्तल ऊपर कानूनी कार्यवाही बाबत।		12.05.2023	मंडल के पत्र दिनांक 16.05.2023 द्वारा उद्योग पर 29,865.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 29,865.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
3.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप हेल्प लाइन नंबर में दिनांक 07.10.2023	ग्राम-कुरूभांठा मार्ग से जामपाली मार्ग के मध्य खेत में फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में		11.10.2023	मंडल के पत्र दिनांक 11.10.2023 द्वारा उद्योग पर 46,665.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए समाधानक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 46,665.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
4.	दैनिक समाचार पत्र "पत्रिका" में प्रकाशित खबर कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायगढ़ से इस कार्यालय में आवक दिनांक 11.03.2024	ग्राम-माहपल्ली मार्ग से लगे समीप भूमि पर फ्लाई ऐश का अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन किया जाना पाया गया।	उद्योग मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, जामगांव, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	21.03.2024	मंडल के पत्र दिनांक 22.03.2024 द्वारा उद्योग पर 4,50,000.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 4,50,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
5.	दूरभाष से प्राप्त मौखिक शिकायत दिनांक 09.10.2023	ग्राम-लाखा केलोडेम मोड़ के पास स्थित भूमि पर फ्लाई ऐश का अवैध अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन के संबंध में।	मेसर्स मों काली एलॉयस प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़	10.10.2023	मंडल के पत्र दिनांक 10.10.2023 द्वारा उद्योग पर 9,80,000.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 9,80,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
6.	दैनिक सामाचार पत्र "पत्रिका" में प्रकाशित खबर कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायगढ़ से इस कार्यालय में आवक दिनांक 11.03.2024	ग्राम-माहपल्ली मार्ग से लगे समीप भूमि पर फ्लाई ऐश का अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन किये जाने के संबंध में।	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-जामगांव, जिला-रायगढ़	21.03.2024	मंडल के पत्र दिनांक 22.03.2024 द्वारा उद्योग पर 4,50,000.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 4,50,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
7.	दूरभाष के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 29.05.2023	किरोडीमल नगर स्थित नलवा कोल साईडिंग के पास फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में।	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	29.05.2023	मंडल के पत्र दिनांक 05.06.2023 द्वारा उद्योग पर 60,480.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 60,480.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
8.	दूरभाष के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 26.07.2023	नहरपाली के मध्य पुराने जिलदल मार्ग पर फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में।		26.07.2023	मंडल के पत्र दिनांक 26.07.2023 द्वारा उद्योग पर 62,205.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 62,205.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
वर्ष 2024-25						
9.	सुश्री पूजा साहू द्वारा प्राप्त शिकायत दिनांक	ग्राम हराडीह में रूपानाथाम एवं अन्य कंपनियों के द्वारा अवैध रूप से फ्लाई ऐश डंपिंग	मेसर्स रूपानाथाम स्टील प्रा. लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला-	29.10.2024 एवं 01.09.2025	मंडल के पत्र दिनांक 29.10.2025 द्वारा उद्योग पर 3,00,000.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 3,00,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक

	23.10.2024	करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किये जाने हेतु शिकायत प्राप्त।	रायगढ़ (छ.ग.)		अधिरूपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
10.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप हेल्प लाइन नंबर पर प्राप्त शिकायत दिनांक 27.05.2024	आवेदक श्री राजकुमार पटेल के घर के सामने राखड़ डम्प करने के विरुद्ध शिकायत	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम-बिजकोट, दरभंगा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	12.06.2024	मंडल के पत्र दिनांक 12.06.2024 द्वारा उद्योग पर 29,865.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरूपित करते हुए स्थल से फ्लाई ऐश हटाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 29,865.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
11.	मुख्यमंत्री जन शिकायत के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 01.09.2024	रूकमणी स्टील कंपनी द्वारा शासकीय भूमि पर फ्लाई ऐश डस्ट से सड़क के पाटे जाने की शिकायत के संबंध में।	मेसर्स रूकमणी स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-कुनकुनी, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	10.09.2024	निरीक्षण दिनांक स्थिति सामान्य अवलोकित की गई। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
12.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप हेल्प लाइन नंबर पर प्राप्त शिकायत दिनांक 12.12.2024	ग्राम-कुसमुरा के खेत में अवैध फ्लाई ऐश अपवहनन किये जाने के संबंध में।	मेसर्स जंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	12.12.2024	मंडल के पत्र दिनांक 17.12.2024 द्वारा उद्योग पर 24,630.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरूपित करते हुए समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 24,630.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
13.	जन चौपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 11.06.2024	ग्राम सलिहाभाठा में स्थित जे.एस.डब्ल्यू पॉवर लिमिटेड कंपनी द्वारा हमारे गांव पास में फ्लाई ऐश डम्पिंग पहाड़ जैसा किया जा रहा है जो हवा करने पर उड़कर हमारे खाने में गिर रहा है जिससे खाना नहीं खा पा रहे हैं भूखा सोना पड़ रहा है एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है जिससे आंख, कान प्रभावित हो रहा है इस गंभीर समस्या का समाधान करने बाबत।	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	22.06.2024	मंडल के पत्र दिनांक 22.06.2024 द्वारा उद्योग को ग्राम-सलिहाभाठा में अत्यधिक मात्रा में भण्डारित ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एवं एस.एम.एस. स्लैग को नियमानुसार स्लैग का अपवहन करने एवं क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा आवश्यक सुधार कार्य किया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
14.	कलेक्टर जन चौपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 11.06.2024	आवेदक के कृषि भूमि में गिराये गये डस्ट को हटायें जाने तथा क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दिलाये जाने का आदेश के बाद भी टी.आर.एन. कंपनी के द्वारा न तो मुआवजा दिया गया और न ही खेत को समतलीकरण एवं न ही सफाई किया गया के विरुद्ध शिकायत।	मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-नवापारा, टेण्डा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	20.06.2024	मंडल के पत्र दिनांक 20.06.2024 द्वारा शिकायतकर्ता श्री दुकालू राम, पिता श्री डहरू, निवासी-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ के ग्राम-घरघोड़ा स्थित खसरा क्रमांक-269/1, 269/3, 269/5, 277, 230, 270/22, रकबा-1.286 हेक्टेयर में बल पूर्वक डस्ट डाले जाने एवं सफाई नहीं कराये जाने के कारण कृषक द्वारा कृषि नहीं कर पाने की शिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत पत्र निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 13.07.2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि अनुविभागीय अधिकारी (रा०), घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ में जमा किये जाने की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
15.	जन चौपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 30.07.2024	कृषि भूमि में गिराये गये डस्ट को हटायें जाने तथा क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दिलाये जाने के संबंध में आवेदन।		24.09.2024	मंडल के पत्र दिनांक 26.09.2024 के माध्यम उद्योग को फ्लाई ऐश अपवहन स्थल की सफाई कर कृषि युक्त बनाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
वर्ष 2025-26 (दिनांक 04.02.2026 की स्थिति में)						
16.	दूरभाष के माध्यम से प्राप्त शिकायत दिनांक 23.04.2025 एवं श्री दयाशंकर दर्शन, ग्राम-छोटे डूमरपाली, खरसिया द्वारा दिनांक 29.04.2025 को की गई शिकायत	एनएच-49 ग्राम-चोढ़ा एवं बानिपाथर रेलवे ब्रीज के पास अवैध रूप से फ्लाई ऐश डम्पिंग करने वाले कंपनी के खिलाफ उचित कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व नाम-एस.के.एस. पॉवर कंपनी लिमिटेड), ग्राम-बिजकोट, दरभंगा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	24.04.2025	मंडल के पत्र दिनांक 16.12.2025 द्वारा उद्योग पर 6,90,000.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरूपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 6,90,000.00 जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
17.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप हेल्प लाइन नंबर पर प्राप्त शिकायत दिनांक 05.05.2025	ग्राम बेन्दोझरिया, पहन-34, रानिम-चपले, तहसील-खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित शासकीय भूमि पर बिना अनुमति लो-लाईंग क्षेत्र में फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में		05.05.2025	मंडल के पत्र दिनांक 08.05.2025 द्वारा उद्योग पर 49,245.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरूपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 49,245.00 जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
18.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप हेल्प लाइन नंबर पर प्राप्त शिकायत	खरसिया क्षेत्र में फ्लाई ऐश का अवैध एवं अनियंत्रित अपवहन किये जाने संबंधी शिकायत।		13.06.2025	मंडल के पत्र दिनांक 16.06.2025 द्वारा उद्योग पर 36,615.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरूपित करते हुए फ्लाई ऐश का	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 36,615.00 जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की

	13.06.2025				समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
19.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत 18.06.2025	खरसिया क्षेत्र में फ्लाई ऐश का अवैध एवं अनियंत्रित अपवहन किये जाने संबंधी शिकायत।		18.06.2025	मंडल के पत्र दिनांक 19.06.2025 द्वारा उद्योग पर 40,950.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 40,950.00 जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
20.	दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर दिनांक 30.07.2025	ग्राम-धनागर, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के मुक्तिधाम क्षेत्र में फ्लाई ऐश का बिना अनुमति अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में।		05.08.2025	मंडल के पत्र दिनांक 05.08.2025 द्वारा उद्योग पर 4,28,000.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 4,28,000.00 जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
21.	कलेक्टर जनदर्शन पोर्टल में प्राप्त शिकायत दिनांक 01.09.2025	ग्राम पंचायत सपनाई तहसील व जिला रायगढ़ में फ्लाई ऐश डस्ट बहकर जाने से फसलों एवं मिट्टी को नुकसान होने के संबंध में शिकायत के संबंध में प्राप्त शिकायत।	उद्योग मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, जामगांव, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	03.09.2025	मंडल के पत्र दिनांक 12.09.2025 द्वारा उद्योग पर 90,000.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 90,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
22.	सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त शिकायत दिनांक 15.04.2025	फ्लाई ऐश को घर के बगल में गिराने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड, तमनार, ग्राम-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	17.04.2025	निरीक्षण दिनांक स्थिति सामान्य अवलोकित की गई। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
23.	सुशासन तिहार पोर्टल पर दिनांक 11.04.2025 को प्राप्त शिकायत के संबंध में।	गेरवानी पाली के बीच में अग्रोहा प्लांट के गेट के सामने में अग्रवा दुआरा शासकीय भूमि में राख डालकर उसमें गाड़ी रख जाता है इसकी उच्च अधिकारी द्वारा SDM व पर्यावरण अधिकारी से व शासकीय भूमि को मुक्त कराये व इन दोषियों के उपाय कार्यवाही के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम-पाली, तह व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	30.04.2025	उद्योग द्वारा स्थल पर फ्लाई ऐश अथवा राखड़ को संप्रहित एवं फेंका जाना एवं प्रदूषण होना नहीं पाया गया है। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
24.	श्री बिरेंद्र कुमार निशाद एवं श्री शिवचरण पटेल द्वारा दिनांक 29.04.2025 को प्राप्त शिकायत के संबंध में।	मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टेमटेमा के द्वारा दरमुड़ा अटल चौक तलाब को अवैध रूप से फ्लाई ऐश पाटने पर रोक लगा कर उचित कार्यवाही करने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टेमटेमा, जिला-रायगढ़	26.06.2025	निरीक्षण दिनांक स्थिति सामान्य अवलोकित की गई। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
25.	श्रीमती सुनिता देवी द्वारा प्राप्त शिकायत दिनांक 14.11.2025	आवेदिका के भूमि के सामने श्रीमती हुसली देवी वर्मा पति श्री सुरेन्द्र वर्मा द्वारा अवैध रूप से बिना ग्राम पंचायत के अनुमति एवं शासन के अनुमति बगैर फ्लाई ऐश डंपिंग करने के संबंध में प्राप्त शिकायत।		14.11.2025	मंडल के पत्र दिनांक 01.12.2025 द्वारा उद्योग पर 63,870.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 63,870.00 जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
26.	इस कार्यालय में दिनांक 11.01.2026 दूरभाष के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	ग्राम चपले, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में फ्लाई ऐश का चपले चौक में अवैध अपवहन किया जाना।		12.01.2026	मंडल के पत्र दिनांक 12.01.2026 द्वारा उद्योग पर 1,35,360.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 1,35,360.00 जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
27.	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर प्राप्त शिकायत दिनांक 10.09.2025	खरसिया चोढ़ा मार्ग में इण्डेन गैस के पास के मैदान पर फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	10.09.2025	मंडल के पत्र दिनांक 10.09.2025 द्वारा उद्योग पर 1,66,365.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 1,66,365.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
28.	दैनिक समाचार पत्र जनकर्म में प्रकाशित खबर दिनांक 12.09.2025	ग्राम डुमरघाट, जामपाली से कोसमघाट के मध्य वृहद मात्रा में फ्लाई ऐश का अपवहन रोड़ किनारे किये जाने के संबंध में।	मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बड़े गुमड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	13.09.2025	मंडल के पत्र दिनांक 29.10.2025 द्वारा उद्योग पर 45,000.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 45,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
29.	श्री दीपक चौहान, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा प्राप्त शिकायत दिनांक	मेसर्स इण्ड सिनर्जी कंपनी के द्वारा कृषक की कृषि भूमि में फ्लाई ऐश डालकर खराब करने की शिकायत एवं उचित	मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम-कोटमार, मोहापाली, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	19.09.2025	मंडल के पत्र दिनांक 01.12.2025 द्वारा उद्योग पर 5,40,000.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 5,40,000.00 जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की

	02.09.2025	मुआवजा दिलवाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।			समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
30.	श्रीमती पुजा साहू, ग्राम-हरीडीह, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा प्राप्त शिकायत दिनांक 20.11.2025	सुनील इस्पात, ग्राम-चिराईपानी (ग्राम गेरवानी, जिला रायगढ़) द्वारा फ्लाई ऐश का अनाधिकृत निस्तारण जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त शिकायत।	मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-चिराईपानी, ग्राम पंचायत लाखा, जिला-रायगढ़	02.12.2025	जांच में उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश का निपटान परिसर के भीतर नियमानुसार किया जाना पाया गया। अतः कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हुई।	आगामी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
31.	दैनिक समाचार पत्र केलो प्रवाह एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिनांक 16.12.2025 को प्रकाशित खबर।	खसरा नंबर 83/1, रकबा 0.082 हेक्टेयर, भू-स्वामी श्री नंदन सिंह, पिता श्री गणेशराम की भूमि पर वृहद मात्रा में अवैध एवं अनियंत्रित फ्लाई ऐश अपवहन किये जाने के संबंध में।	मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-गौरमुड़ी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	17.12.2025	मंडल के पत्र दिनांक 17.12.2025 के माध्यम से स्थल पर फ्लाई ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने, उचित स्पष्टीकरण देने बाबत पत्र जारी किया गया।	उद्योग द्वारा स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
32.	मीडिया में प्रकाशित खबर दिनांक 25.12.2025	ग्राम बरपाली में फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत।	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सर्राईपाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	06.01.2026	मंडल के पत्र दिनांक 20.01.2026 के माध्यम से उद्योग पर 2,40,000.00 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित कर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 2,40,000.00 रुपये जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा स्वयं के संज्ञान में वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25, वर्ष 2025-26 में दिनांक 04.02.2026 तक अवैध डंपिंग के मामले एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

वर्ष 2023-24

33.	मंडल द्वारा स्वयं के संज्ञान में प्राप्त मामले	रायगढ़ से खरसिया राष्ट्रीय राजमार्ग में ग्राम जोरापाली स्थिति एनएच-49 ढाबा के पास अवैध फ्लाई ऐश का अपवहन के संबंध में।	मेसर्स बी. एस. स्पेंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	18.05.2023	मंडल के पत्र दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से उद्योग पर 85,335.00 रुपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 83,335.00 रुपये जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
34.		रायगढ़ से खरसिया राष्ट्रीय राजमार्ग में ग्राम जोरापाली स्थिति एनएच-49 ढाबा के पास अवैध फ्लाई ऐश का अपवहन के संबंध में।		06.06.2023	मंडल के पत्र दिनांक 06.06.2023 के माध्यम से उद्योग पर 73,785.00 रुपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 73,785.00 रुपये जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
35.		लाखा केलो डेम के पास स्थित भूमि पर निचले क्षेत्र में फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन के संबंध में।	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-देलारी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	22.08.2023	मंडल के पत्र दिनांक 22.08.2023 के माध्यम से उद्योग पर 3,00,000.00 रुपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 3,00,000.00 रुपये जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
36.		लाखा केलो डेम के पास स्थित भूमि पर निचले क्षेत्र में फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन के संबंध में।	मेसर्स मां काली एलॉयस प्रा. लिमिटेड, ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	22.08.2023	मंडल के पत्र दिनांक 22.08.2023 के माध्यम से उद्योग पर 40,000.00 रुपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 40,000.00 रुपये जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
37.		ग्राम-धनागर में नमो ढाबा के पास एवं मुख्य मार्ग से धनागर मार्ग में फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन के संबंध में।	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	08.09.2023	मंडल के पत्र दिनांक 08.09.2023 के माध्यम से उद्योग पर 92,595.00 रुपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 92,595.00 रुपये जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
38.		ग्राम-गेजामुड़ा रायगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के किनारे अशोक लीलैंड के सर्विस सेंटर के समीप फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन के संबंध में।	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व नाम-एस.के.एस. पावर जनरेशन कंपनी (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिंजकोट, दरामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	26.02.2024	मंडल के पत्र दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से उद्योग पर 11,57,565.00 रुपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 11,57,565.00 रुपये जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

वर्ष 2024-25

39.	मंडल द्वारा स्वयं के संज्ञान में प्राप्त	ग्राम उर्दना में रोड किनारे फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन	मेसर्स अंजनी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उज्जवलपुर,	11.09.2024	मंडल के पत्र दिनांक 11.09.2024 के माध्यम से उद्योग पर 89,325.00	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 89,325.00 रुपये जमा
-----	--	--	---	------------	---	--

	मामले	के संबंध में।	जिला-रायगढ़ (छ.ग.)		रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।
40.		ग्राम-सराईपाली, बरपाली में फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन के संबंध में।	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	25.09.2024	मंडल के पत्र दिनांक 27.09.2024 के माध्यम से उद्योग पर 2,40,000.00 रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 2,40,000.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।
41.		उद्योग परिसर के बाहर फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन के संबंध में।	मेसर्स मां मंगला इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नटवरपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	25.01.2025	मंडल के पत्र दिनांक 14.02.2025 के माध्यम से उद्योग पर 3,90,000.00 रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 3,90,000.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।
42.		बिना अनुमति स्वयं की लो-लाईन एरिया में फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन के संबंध में।	मेसर्स महावीर इन्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम-भेंगारी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	05.07.2024	मंडल के पत्र दिनांक 03.01.2025 के माध्यम से उद्योग पर 2,00,000.00 रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 2,00,000.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।
43.		बिना अनुमति स्वयं की लो-लाईन एरिया में फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन के संबंध में।	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर, ग्राम-तमराईमाल, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	21.10.2024	मंडल के पत्र दिनांक 03.01.2025 के माध्यम से उद्योग पर 12,60,000.00 रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 12,60,000.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।
44.		मेसर्स गोयल इंडियन ऑयल के पीछे ग्राम गेरवानी में फ्लाई ऐश के अवैध अपवहन के संबंध में।	मेसर्स सालासार स्पेंज एण्ड गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	14.02.2025	मंडल के पत्र दिनांक 11.04.2025 के माध्यम से उद्योग पर 3,60,000.00 रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 3,60,000.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।
वर्ष 2025-26 (दिनांक 04.02.2026 की स्थिति में)						
45.	मंडल द्वारा स्वयं के संज्ञान में प्राप्त मामले	राष्ट्रीय राजमार्ग-49 में फ्लाई ऐश के अवैध अपवहन एवं परिवहन के संबंध में।	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (पूर्व नाम-एस.के.एस. पॉवर जनरेशन कंपनी (छत्तीसगढ़) लिमिटेड), ग्राम-बिजकोट, दर्रा मुंडा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	13.06.2025	मंडल के पत्र दिनांक 13.06.2025 के माध्यम से उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 40,230.00 रूपये अधिरोपित करते हुये अपवहित फ्लाई ऐश पर मिट्टी की परत बिछाकर समतलीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 40,230.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।
46.		ग्राम-कांशीचुआ, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के किनारे फ्लाई ऐश का अपवहन के संबंध में।		25.08.2025	मंडल के पत्र दिनांक 25.08.2024 द्वारा उद्योग पर 52,080.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुये समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु. 52,080.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।
47.		ग्राम बोटल्दा, तहसील खरसिया जिला रायगढ़ के पास निजी मकान के सामने फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन के संबंध में।		07.01.2026	मंडल के पत्र दिनांक 07.01.2026 द्वारा उद्योग पर 1,17,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुये समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा मिट्टी बिछाने का कार्य कर लिया गया है। क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं की गई है। अतः प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
48.		उद्योग के वे-ब्रिज के निकट फ्लाई ऐश का अनियंत्रित अपवहन के संबंध में।	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	11.04.2025	मंडल के पत्र दिनांक 11.04.2025 के माध्यम से उद्योग पर 90,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुये समाधानकारक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 90,000.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।
49.		राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम कुसमुरा के सुमित ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट के सामने फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन के संबंध में।	मेसर्स अंजनी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उज्जवलपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	13.06.2025	मंडल के पत्र दिनांक 13.06.2025 के माध्यम से उद्योग पर 40,230.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुये समाधानक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 40,230.00 रूपये जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।

वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में दिनांक 04.02.2026 तक की अवधि में फ्लाई ऐश एवं कोयले के परिवहन दौरान पाई गई अनियमितताओं पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाने की तिथि	अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि	जमा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जानकारी
1.	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर, ग्राम-तमराईमाल, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	06.05.2025	44,325.00	44,325.00
2.	मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड (पूर्व नाम-सिंघल इन्टरप्राइजेस (प्राईवेट) लिमिटेड), ग्राम-तमराईमाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	12.09.2023	41,790.00	41,790.00
		02.02.2024	20,000.00	20,000.00
		14.03.2024	30,000.00	30,000.00
		20.12.2024	30,000.00	30,000.00
		02.02.2024	20,000.00	20,000.00
		28.02.2025	60,000.00	60,000.00
		07.03.2025	40,245.00	40,245.00
		17.03.2025	1,20,000.00	1,20,000.00
		25.06.2025	44,715.00	44,715.00
3.	मेसर्स बी. एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-तमराईमाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	14.07.2023	1,13,865.00	1,13,865.00
		25.09.2023	93,015.00	93,015.00
		24.05.2024	30,000.00	30,000.00
		03.01.2025	30,000.00	30,000.00
		25.06.2025	30,270.00	30,270.00
		16.10.2025	64,230.00	64,230.00
4.	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, जिला-रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	10.05.2023	52,695.00	52,695.00
		26.05.2023	66,495.00	66,495.00
		06.06.2023	55,020.00	55,020.00
		14.07.2023	37,350.00	37,350.00
		29.05.2024	60,000.00	60,000.00
		12.06.2024	55,350.00	55,350.00
		18.06.2024	60,000.00	60,000.00
		26.09.2024	39,840.00	39,840.00
		31.01.2025	60,000.00	60,000.00
		03.02.2025	30,000.00	30,000.00
		07.03.2025	1,20,000.00	1,20,000.00
		18.03.2025	1,20,000.00	1,20,000.00
		21.03.2025	1,80,000.00	1,80,000.00
		26.03.2025	1,20,000.00	1,20,000.00
		11.04.2025	2,40,000.00	2,40,000.00
		17.04.2025	1,20,000.00	1,20,000.00
		22.07.2025	98,355.00	98,355.00
5.	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-जामगांव, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	07.02.2025	30,000.00	30,000.00
6.	मेसर्स एनआरव्हीएस स्टील लिमिटेड, ग्राम-तमराईमाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	14.02.2025	60,000.00	60,000.00
		05.03.2025	1,80,000.00	1,80,000.00
		07.03.2025	1,20,000.00	1,20,000.00
		25.06.2025	33,480.00	33,480.00
7.	मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	24.02.2025	30,000.00	30,000.00
		11.04.2025	60,000.00	60,000.00
		07.05.2025	90,000.00	90,000.00
8.	मेसर्स अडानी पॉवर लिमिटेड (पूर्व नाम-रायगढ़ इनर्जी जनरेशन लिमिटेड), ग्राम-बड़े भण्डार, छोटे भण्डार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	10.10.2023	28,590.00	28,590.00
		24.12.2024	30,000.00	30,000.00
		17.01.2025	60,000.00	60,000.00
		20.01.2025	30,000.00	30,000.00
		04.02.2025	32,503.00	32,503.00
		04.02.2025	30,000.00	30,000.00
		07.02.2025	60,000.00	60,000.00
		28.02.2025	90,000.00	90,000.00
		17.03.2025	1,20,000.00	1,20,000.00
		07.04.2025	1,20,000.00	राशि जमा कराई जा रही है।
		17.04.2025	1,20,000.00	राशि जमा कराई जा रही है।
		22.04.2025	1,20,000.00	राशि जमा कराई जा रही है।
		09.05.2025	1,20,000.00	1,20,000.00
		11.12.2025	65,370.00	65,370.00
9.	मेसर्स वेदांता वॉशरी एण्ड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कुनकुनी, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	17.01.2025	30,000.00	30,000.00
		23.05.2025	20,000.00	20,000.00
		25.08.2025	1,40,000.00	राशि जमा कराई जा रही है।

10.	मेसर्स ज़िंदल पॉवर लिमिटेड, ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	04.04.2024	9,63,195.00	9,63,195.00
		17.01.2025	4,20,000.00	4,20,000.00
		31.01.2025	30,000.00	30,000.00
		05.02.2025	86,535.00	86,535.00
		13.02.2025	76,800.00	76,800.00
		13.02.2025	60,000.00	60,000.00
		17.02.2025	50,655.00	50,655.00
		21.02.2025	5,26,710.00	5,26,710.00
		03.03.2025	1,20,000.00	1,20,000.00
		11.04.2025	2,40,000.00	2,40,000.00
		15.05.2025	2,40,000.00	4,80,000.00
		27.05.2025	1,20,000.00	
		27.05.2025	1,20,000.00	
		31.07.2025	51,765.00	51,765.00
		01.09.2025	50,910.00	50,910.00
11.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. लिमिटेड, छाल ओपन कास्ट कोल माईन, छाल, तहसील-छाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	01.09.2025	55,590.00	55,590.00
		11.09.2025	1,20,000.00	1,20,000.00
		17.01.2025	30,000.00	30,000.00
		30.01.2025	30,000.00	30,000.00
		05.02.2025	60,000.00	राशि जमा कराई जा रही है।
12.	मेसर्स विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-भूपदेवपुर, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	20.02.2025	1,20,000.00	राशि जमा कराई जा रही है।
		28.02.2025	90,000.00	90,000.00
		11.03.2025	90,000.00	90,000.00
13.	मेसर्स ज़िंदल पॉवर लिमिटेड, गारे IV/01 कोल माईन, ग्राम-डोंगामहुआ, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	17.01.2025	30,000.00	30,000.00
14.	मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम-कोटमार, मोहापाली, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	31.01.2025	1,50,000.00	1,50,000.00
		12.03.2025	60,000.00	60,000.00
		11.09.2025	60,000.00	60,000.00
		31.01.2025	30,000.00	30,000.00
15.	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट एवं दरमिड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	07.02.2025	60,000.00	60,000.00
		10.02.2025	60,000.00	60,000.00
		22.04.2025	90,000.00	90,000.00
		15.05.2023	25,905.00	25,905.00
		24.05.2023	3,04,455.00	3,04,455.00
		06.06.2023	52,680.00	52,680.00
		14.07.2023	50,865.00	50,865.00
		19.07.2023	1,74,735.00	1,74,735.00
		04.03.2024	42,720.00	42,720.00
		18.07.2024	1,11,345.00	1,11,345.00
		16.08.2024	3,90,000.00	3,90,000.00
		31.01.2025	60,000.00	60,000.00
		17.01.2025	30,000.00	30,000.00
		05.02.2025	64,200.00	64,200.00
		06.05.2025	43,680.00	43,680.00
		13.06.2025	40,230.00	40,230.00
		16.07.2025	77,220.00	77,220.00
		18.07.2025	81,945.00	81,945.00
		01.09.2025	79,065.00	राशि जमा कराई जा रही है।
16.	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-देलाही, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	18.09.2025	63,000.00	63,000.00
		14.11.2025	88,575.00	88,575.00
		16.12.2025	43,395.00	राशि जमा कराई जा रही है।
17.	मेसर्स सन स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बड़े गुमदा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	15.01.2026	65,325.00	राशि जमा कराई जा रही है।
		25.01.2024	46,200.00	46,200.00
		20.01.2025	30,000.00	30,000.00
18.	मेसर्स टी.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-भेंगारी, नवापारा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	21.02.2025	30,000.00	राशि जमा कराई जा रही है।
19.	मेसर्स सिध्दिविनायक राईस मिल, ग्राम-सहदेवपाली, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	05.02.2025	30,000.00	30,000.00
		20.01.2023	1,38,795.00	1,38,795.00
		05.02.2025	30,000.00	30,000.00
		07.05.2025	27,180.00	27,180.00
20.	मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गौरमुड़ी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	21.05.2025	1,80,000.00	1,80,000.00
		03.02.2025	75,000.00	75,000.00
		30.01.2025	30,000.00	30,000.00
21.	मेसर्स मां काली एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	07.07.2023	25,590.00	25,590.00
		24.05.2024	25,500.00	25,500.00
		12.11.2025	41,160.00	41,160.00
22.	मेसर्स बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ओ.पी. ज़िंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम-पूँजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	15.05.2025	40,000.00	40,000.00
23.	मेसर्स सीएसपीजीसीएल गारे पेलमा सेक्टर-03, कोल माईंस, ग्राम-बजरमुड़ा एवं डोलनारा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	17.02.2025	30,000.00	30,000.00
		05.03.2025	1,20,000.00	1,20,000.00
		12.03.2025	90,000.00	90,000.00
		10.06.2025	1,20,000.00	1,20,000.00
		12.11.2025	2,40,000.00	2,40,000.00

24.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. लिमिटेड, जामपाली ओपन कास्ट कोल माईन, जामपाली, तहसील-जामपाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	14.02.2025	60,000.00	राशि जमा कराई जा रही है।
		18.02.2025	1,20,000.00	1,20,000.00
		11.03.2025	90,000.00	90,000.00
25.	मेसर्स श्री रूपानाथम स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	10.10.2023	30,000.00	30,000.00
		21.03.2024	21,420.00	21,420.00
		21.02.2025	30,000.00	30,000.00
26.	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर, ग्राम-तमराईमाल, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	02.02.2024	20,000.00	20,000.00
		05.03.2025	34,215.00	34,215.00
27.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. लिमिटेड, छाल ओपन कास्ट कोल माईन, छाल, तहसील-छाल, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	28.02.2025	90,000.00	90,000.00
28.	मेसर्स शिवशक्ति स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चक्रधरपुर, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	14.02.2025	60,000.00	60,000.00
29.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. लिमिटेड, बिजारी ओपन कास्ट कोल माईन, बिजारी, तहसील-बिजारी, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	02.04.2025	60,000.00	राशि जमा कराई जा रही है।
		07.03.2025	30,000.00	30,000.00
30.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, गारे IV/06, कोल माईन, ग्राम-लमदरहा, सराईटोली, खम्हरिहा, करवाटोली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	07.04.2025	30,000.00	30,000.00
31.	मेसर्स तिरूमाला बालाजी एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क, ग्राम-पूँजीपथरा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	07.04.2025	20,000.00	20,000.00
32.	मेसर्स अजय इंगाट्स रोलिंग मिल प्राईवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम-पूँजीपथरा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	30.04.2025	20,000.00	20,000.00
33.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	05.09.2024	4,50,000.00	4,50,000.00
		21.10.2024	72,720.00	72,720.00
		30.01.2025	48,960.00	48,960.00
		05.02.2025	56,850.00	56,850.00
		13.02.2025	76,800.00	76,800.00
		08.05.2025	54,360.00	54,360.00
		02.09.2025	66,420.00	66,420.00
		19.09.2025	57,120.00	57,120.00
		15.12.2025	1,72,380.00	1,72,380.00
34.	मेसर्स वेजर्न इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चिराईपानी, तहसील व जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	16.04.2025	30,000.00	30,000.00
		28.05.2025	60,000.00	60,000.00
35.	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	25.05.2023	1,32,150.00	1,32,150.00
		04.09.2023	28,095.00	28,095.00
		18.06.2024	23,625.00	23,625.00
		20.12.2024	90,000.00	90,000.00
		07.02.2025	36,360.00	36,360.00
		07.05.2025	44,910.00	44,910.00
36.	मेसर्स अग्रोहा ऑयर्न एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	25.06.2025	37,980.00	37,980.00
		07.05.2025	6,250.00	6,250.00
37.	मेसर्स भाटिया एनर्जी एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-छोटे झुमरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	24.12.2024	20,000.00	20,000.00
		28.05.2025	60,000.00	60,000.00
38.	मेसर्स सारडा एनर्जी लिमिटेड, गारे पेलमा IV/7 कोल माईन, ग्राम-करवाही, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	03.06.2025	30,000.00	30,000.00
39.	मेसर्स एस.ई.सी.एल. लिमिटेड, बरोद ओपन कास्ट कोल माईन, ग्राम-बरोद, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	12.11.2025	30,000.00	30,000.00
40.	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	06.03.2023	1,06,172.00	1,06,172.00
		03.05.2023	1,12,500.00	1,12,500.00
		16.05.2023	52,500.00	52,500.00
		19.05.2023	2,29,950.00	2,29,950.00
		13.06.2023	58,200.00	58,200.00
		21.06.2023	45,500.00	45,500.00
		07.07.2023	30,000.00	30,000.00
		31.08.2023	1,43,145.00	1,43,145.00
		17.10.2023	1,51,700.00	1,51,700.00
		21.12.2023	48,000.00	48,000.00
		29.11.2023	84,870.00	84,870.00
		14.03.2024	30,90,000.00	30,90,000.00
		25.10.2024	53,250.00	53,250.00
		09.01.2025	59,250.00	59,250.00
		08.01.2025	1,17,000.00	1,17,000.00
		16.01.2025	3,37,500.00	3,37,500.00
		28.01.2025	90,000.00	90,000.00
		30.01.2025	1,95,750.00	1,95,750.00
		31.01.2025	66,450.00	66,450.00
		10.02.2025	2,61,600.00	2,61,600.00
		12.02.2025	1,98,900.00	1,98,900.00
		04.02.2025	1,27,050.00	1,27,050.00
		27.02.2025	2,95,170.00	2,95,170.00
		05.03.2025	2,17,500.00	2,17,500.00
		07.03.2025	1,41,000.00	1,41,000.00
		21.03.2025	67,500.00	67,500.00
		07.04.2025	67,500.00	राशि जमा कराई जा रही है।
		20.05.2025	6,20,310.00	6,20,310.00
		03.06.2025	3,32,250.00	3,32,250.00

		18.06.2025	2,10,000.00	2,10,000.00
		26.06.2025	2,02,500.00	2,02,500.00
		15.07.2025	61,500.00	61,500.00
		29.07.2025	67,500.00	67,500.00
		11.12.2025	1,77,000.00	राशि जमा कराई जा रही है।
		02.01.2026	59,250.00	राशि जमा कराई जा रही है।
		05.01.2026	52,425.00	राशि जमा कराई जा रही है।
		07.01.2026	60,000.00	राशि जमा कराई जा रही है।
		07.01.2026	30,000.00	30,000.00
41.	मेसर्स आर. आर. इनर्जी. लिमिटेड, ग्राम-गढ़उमरिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	20.02.2025	23,235.00	23,235.00
		27.02.2025	25,470.00	25,470.00
42.	मेसर्स सालासार स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	15.06.2023	44,955.00	44,955.00
		26.05.2023	27,795.00	27,795.00
		10.10.2023	34,575.00	34,575.00
		02.02.2024	26,565.00	26,565.00
		24.12.2024	29,115.00	29,115.00
		19.08.2025	30,900.00	30,900.00
43.	मेसर्स अंजनी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-उज्जवलपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	30.01.2025	31,185.00	31,185.00
		02.02.2024	20,000.00	20,000.00

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र अ

छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद् का गठन छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग के अधिसूचना क्र एफ—1—03/2020/30/सं. दिनांक 27 अक्टूबर 2020 का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 3 नवम्बर 2020 द्वारा किया गया।

परिषद् का उद्देश्य : राज्य में साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्र एवं मूर्तिकला, सिनेमा और आदिवासी एवं लोककलाओं एवं उनकी सौन्दर्यपरकता आदि का शासन की नीतियों के अनुरूप समस्त सम्भव उपायों द्वारा समान, विस्तार, प्रोत्साहन और संरक्षण करना होगा। इस व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद् निम्नलिखित प्रयत्न करेगी :—

- 1) सांस्कृतिक विरासतों की पहचान एवं उनका संरक्षण, संवर्धन और विकास।
- 2) प्रदेश के सृजनशील संस्कृति के लिए मंचों, कला संग्रहालयों एवं वीथिकाओं का विकास।
- 3) प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के मंचों की स्थापना और आयोजन।
- 4) संस्कृति के क्षेत्र के अनुशासनों, आदिवासी एवं लोक कलाओं और साहित्य के अन्तर्सम्बन्धों की पहचान एवं विस्तार के प्रयास।
- 5) विभिन्न सांस्कृतिक कलाओं एवं साहित्य रूपों के स्वतंत्र और मिले-जुले कार्यक्रमों आदि का आयोजन।
- 6) राज्य के विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं/समूहों को सहयोग और प्रोत्साहन।
बनाना।
- 7) उल्लेखनीय सृजनात्मक उपलब्धियों के लिए सृजनकर्मियों को सम्मान एवं प्रोत्साहन।
- 8) उत्कृष्ट सिनेमा के निर्माण एवं प्रचार संबंधी गतिविधियाँ।
- 9) परिषद् के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, किसी व्यक्ति या शासन से किसी भूमि या भवन का अर्जन, क्रय या उसकी पट्टे पर अभिप्राप्ति।
- 10) परिषद् के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान प्राप्त करना, कार्यक्रमों के लिए प्रयोजकों से सहायता प्राप्त करना और परिषद् की गतिविधियों के लिए अन्य सभी संभव उपाय।
11. प्रदेश और देश भर के विश्वविद्यालयों और दूसरी सांस्कृतिक व शिक्षण संस्थाओं जैसे— राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी कला, केन्द्र साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत—नाटक अकादमी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र आदि से जीवंत संबंध स्थापित करना और उनकी गतिविधियों से संबंध होना।
12. प्रदेश की सांस्कृतिक नीति के अनुरूप स्कूली, उच्च शिक्षा सहित अन्य शासकीय विभागों के साथ सामंजस्य कर संस्कृति को बढ़ावा देना।
- 13 साहित्यिक, सामाजिक व अन्य सामयिक विषयों पर सृजन व शोध कार्यों में सहयोग एवं प्रोत्साहन।

14 समाज में सांस्कृतिक गतिविधियों यथा— रचनात्मकता, सृजनशीलता, अधिमूल्यन और समालोचना को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना।

15 संस्कृतिकर्मियों व संस्थाओं को विभिन्न विधाओं के लिए दिए जाने वाले फेलोशिप, पुरस्कारों व सम्मान का संयोजन।

परिषद के अंतर्गत निम्न अकादमी आती है जिनका उद्देश्य एवं कार्य निम्नानुसार है :—

क्र	अकादमी/प्रभाग का नाम	उद्देश्य एवं कार्य विवरण
1	साहित्य अकादमी	हिन्दी साहित्य
2	पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी पीठ	हिन्दी साहित्य
3	श्रीकांत वर्मा पीठ	हिन्दी साहित्य
4	गुरु घासीदास शोध पीठ	अनुसूचित जाति से संबंधित कला संस्कृति, साहित्य व अध्ययन
5	कला अकादमी	(क) रंगमंच (ख) चित्र एवं शिल्प कला (ग) संगीत एवं नृत्य
6	आदिवासी एवं लोक कला अकादमी	(क) आदिवासी एवं लोक कलाएं (ख) आदिवासी शिल्प एवं चित्रकला (घ) लोक शिल्प एवं चित्रकला (ग)लोक नृत्य एवं संगीत
7	छ.ग फिल्म विकास निगम	छत्तीसगढ़ी भाषा एवं बोली पर बनाये जाने वाले फीचर फिल्म/वृत्तचित्र/लघु फिल्म से संबंधित गतिविधिया
8	छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग	(क) छत्तीसगढ़ी भाषा एवं बोली को बढ़ावा (ख)छत्तीसगढ़ी साहित्य का सृजन दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं संकलन
9	छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी	(क) सिंधी भाषा एवं बोली को बढ़ावा (ख) सिंधी साहित्य का सृजन दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं संकलन

परिषद के गठन के पश्चात संशोधित अधिसूचना जारी दिनांक 4 सितम्बर 2021 छत्तीसगढ़ राजपत्र प्रकाशन दिनांक 4 अक्टूबर 2021 द्वारा एक बार संशोधन किया गया एवं उसमें निम्न विषयों पर निम्नांकित संशोधित किया गया :—

विषय	संशोधित किया गया
सदस्य संख्या	साहित्य अकादमी में अध्यक्ष अतःस्थापित एवं 08 सदस्य के स्थान पर 09 सदस्य प्रतिस्थापित किया गया
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी पीठ, श्री कांत वर्मा पीठ, गुरु घासीदास शोध पीठ तीनों पीठ के अध्यक्ष मानदेय	मानदेय राशि रु 75000 प्रतिमाह के स्थान पर रु 1.00 लाख प्रतिमाह प्रतिस्थापित किया गया
साहित्य अकादमी की स्थापना अध्यक्ष मानदेय एवं वाहन	राज्य की समग्र साहित्यिक परम्परा और गतिविधियों से संबंधित कार्य के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना की गई है. इस अकादमी के अध्यक्ष के लिए मानदेय रु 1.00 लाख प्रतिमाह होगा.

भत्ता	अध्यक्ष के कार्यों के लिए सहयोगी संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रदाय किया जाएगा। वाहन भत्ते के रूप में रु 50,000 प्रतिमाह अतःस्थापित किया गया
कला अकादमी अध्यक्ष के वाहन भत्ता	वाहन भत्ते रूप में रु 50,000 प्रतिमाह अतःस्थापित किया गया
आदिवासी एवं लोक कला अकादमी अध्यक्ष के वाहन भत्ता	एवं लोक कलाओं से संबंधित साहित्य को संकलित/प्रकाशित करना लोक कला मंडलियों की सूची तैयार कर पंजीयन करना, मंडलियों को वाद्ययंत्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना, विकासखंड स्तरीय जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना, उत्कृष्ट कलाकारों को मानदेय उपलब्ध कराना, लोक कला के प्रशिक्षण हेतु संस्थान की स्थापना, अन्य राज्यों के लोक कलाओं पर राज्य की लोक कलाओं के साथ आदान प्रदान करना लोक कलाओं को प्रचार प्रसार करना, राज्य के पुरातत्वीय एवं सांस्कृतिक धरोहरो वाले स्थानों पर वार्षिक महोत्सव का आयोजन करना, लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन हेतु शासन को सुझाव देना. वाहन भत्ता रु 50,000 प्रतिमाह अतःस्थापित किया गया
छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी	मानदेय राशि रु 75,000 प्रतिमाह के स्थान पर रु 1.00 लाख प्रतिमाह प्रतिस्थापित एवं वाहन भत्ता रु 50,000 प्रतिमाह अतःस्थापित किया गया

तथा उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप शासन की नीतियों के अनुरूप परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति की गयी है।

प्रपत्र ब

“राज्य की समग्र साहित्यिक परम्परा और गतिविधियों से संबंधित कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। उनके अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा हैं उन्हें परिषद के नियमावली एवं संविधान दिनांक 18 नवम्बर 2022 के प्रावधान अनुसार निम्नलिखित कर्तव्य एवं अधिकार/शक्ति प्रदान की गयी है :-

1. अकादमी/प्रभाग की गतिविधियां निदेशक/अध्यक्ष द्वारा संचालित की जायेगी।
2. मद विशेष के लिए स्वीकृत बजट से अधिक अथवा सम्भावित व्यय को स्वीकृति सचिव के माध्यम से उपाध्यक्ष से ली जायेगी।
3. निदेशक गतिविधि विशेष के संचालन के लिए संबंधित क्षेत्र के विद्वानों/विशेषज्ञों/जानकारों को परामर्श के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।
4. बजट प्रावधान के तहत अपरिहार्य व्ययों के लिए निदेशक एक समय में एक कार्य के लिए रुपये पच्चीस हजार मात्र के व्यय की स्वीकृति जारी कर सकेंगे।
5. परिषद द्वारा प्रावधानित राशि से गतिविधि संचालित करने के लिए मदवार प्रस्ताव तैयार कर सचिव से व्यय को स्वीकृति प्राप्त करेंगे।

तथा उनका कार्यक्षेत्र तथा उद्देश्यों के अनुरूप लागू दिनांक से 31 जनवरी, 2026 तक वर्षवार किए गए कार्यों में राशि व्यय निम्नलिखित है :-

वित्तीय वर्ष 2022-23 की जानकारी

क्र.	कार्यों का विवरण	दिनांक	स्थान	व्यय राशि रु
1	एक दिवसीय प्रेमचंद जयंती के अवसर पर संगोष्ठी	29 जुलाई 2022	रायपुर	74550 /—
2	छत्तीसगढ़ के महानतम साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध की पुण्यतिथि पर व्याख्यान	11 सितम्बर 2022	रायपुर	1,65,864 /—
3	वाद-विवाद-संवाद श्रृंखला की पहली कड़ी का आयोजन	14 सितंबर, 2022	रायपुर	2,41,410 /—
4	वाद-विवाद-संवाद श्रृंखला की दूसरी कड़ी एवं कवितापाठ	25-26 सितंबर, 2022	रायपुर	2,12,264 /—
5	महानतम साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध पर केंद्रित 'मुक्तिबोध प्रसंग'	29-30 नवंबर 2022	रायपुर	7,24,542 /—
6	राजेश्वर सक्सेना एकाग्र'	10-11 दिसंबर, 2022	बिलासपुर	8,30,832 /—
7	पं. सुंदर लाल शर्मा	21 दिसम्बर 2022	रायपुर	95,614 /—
8	शानी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर केंद्रित दो दिवसीय 'शानी स्मृति समारोह'	7-8 जनवरी, 2023	रायपुर	8,69,408 /—
9	रंग श्रीकांत	16 जनवरी 2023	रायपुर	2,38,762 /—

10	‘हे राम! गांधी की शहादत के 75 साल’	30 जनवरी, 2023	रायपुर	5,43,213 /—
11	‘घृणा के समय में प्रेम: रचनापाठ और विमर्श’	11—12 फरवरी 2023	रायपुर	14,90,068 /—
12	स्त्री —2023 सृजन और सरोकार	19—20 फरवरी 2023	रायपुर	1394799 /—
13	‘प्रभात त्रिपाठी एकाग्र’	25—26 फरवरी 2023	रायगढ़	14,28383 /—
14	“हिंदी में ज्ञान सृजन मुश्किलें और उम्मीदें”	5—6 मार्च 2023	बिलासपुर	935056 /—
योग				92,44,765 /—

वित्तीय वर्ष 2023—24 की जानकारी

क्र.	कार्यों का विवरण	दिनांक	स्थान	व्यय राशि रु
1	‘एकाग्र रमाकांत श्रीवास्तव’ कार्यक्रम आयोजन	14 व 15 सितंबर 2023	दुर्ग	परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आगामी सामान्य सभा की बैठक में कार्यक्रमों पर हुए व्यय की अनुमोदन उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जाएगी
2	युवा रचना शिविर (कविता) कार्यक्रम आयोजन	22 — 24 सितंबर 2023	धमतरी	
3	युवा रचना शिविर (कहानी) कार्यक्रम आयोजन	22 — 24 सितंबर 2023	खैरागढ़	
4	युवा रचना शिविर (कविता)	30 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2023	बिलासपुर	

वित्तीय वर्ष 2024—25 की जानकारी

क्र.	कार्यों का विवरण	दिनांक	स्थान	व्यय राशि रु
	अध्यक्ष का मनोनयन नहीं होने के कारण कार्य का विवरण निरंक है।			

वित्तीय वर्ष 2025— 31 जनवरी 2026 की जानकारी

क्र.	कार्यों का विवरण	दिनांक	स्थान	व्यय राशि रु
1	पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जयंती	24 मई 2025	रायपुर	परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आगामी सामान्य सभा की बैठक में कार्यक्रमों पर हुए व्यय की अनुमोदन उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जाएगी
2	अखिल भारतीय जनजातीय लेखक सम्मेलन (साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के सहयोग से)	7-8 जून 2025	रायपुर	
3	आपात काल का काला दिवस संविधान हत्या दिवस के 50वें स्मरणोत्सव	25 जून 2025	रायपुर	
4	स्व. खूबचंद बघेल स्मृति	19 जुलाई 2025	रायपुर	
5	पंडित अमृत लाल दुबे जन्म शताब्दी समारोह	01 अगस्त 2025	बिलासपुर	
6	भारत विभाजन विभीषिका दिवस	14 अगस्त 2025	रायपुर	
7	राम माधव जी की नवीन पुस्तक पर विमर्श कार्यक्रम आयोजित करने बाबत।	03 अक्टूबर 2025	रायपुर	
8	सेवा पखवाड़ा अंतर्गत एक विचार गोष्ठी के आयोजन	25 सितम्बर से 27 सितम्बर 2025	रायपुर	
9	श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी के साहित्य पर विमर्श कार्यक्रम	10 नवम्बर 2025	रायपुर	
10	वंदे मातरम के 150 वें वर्ष आनंद मठ और वंदे मातरम पर तैयार नाटक के स्क्रिप्ट लेखक एवं नाट्य निर्देशकों की संगोष्ठी	17 नवम्बर 2025	रायपुर	
11	अटल स्मृति पर कवि सम्मेलन	09 जनवरी 2025	रायपुर	

पारोक्ष - छ

तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 848) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्वीकृत सीट, भरे सीट एवं रिक्त सीट की महाविद्यालयवार जानकारी

(अ) स्नातक पाठ्यक्रम-बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी)

क्र.	महाविद्यालय कानाम	शैक्षणिक सत्र 2025-26		
		सृजित सीट	भरे गये सीट	रिक्त सीट
शासकीय महाविद्यालय				
1	स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर	103	70	33
2	बी.आर.एस.एम. कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, मुंगेली	83	02	81
अशासकीय महाविद्यालय				
1	भारतीय कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, दुर्ग	55	0	55
2	छत्तीसगढ़ कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भिलाई (दुर्ग)	55	0	55
योग-		296	72	224

(ब) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम-एम.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं पी.एच-डी. (कृषि अभियांत्रिकी)

स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर

(अ) एम.टेक (कृषि अभियांत्रिकी)				
	विभाग का नाम	सृजित सीट	भरे गये सीट	रिक्त सीट
1	कृषि मशीनरी एवं शक्ति अभियांत्रिकी	19	5	14
2	मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी	20	6	14
3	प्रसंस्करण एवं खाद्य अभियांत्रिकी	11	8	3
योग-		50	19	31
(ब) पी.एच-डी. (कृषि अभियांत्रिकी)				
1	कृषि मशीनरी एवं शक्ति अभियांत्रिकी	6	(6+1*)= 7	0
2	मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी	6	1	5
3	प्रसंस्करण एवं खाद्य अभियांत्रिकी	4	2	2
योग-		16	10	7

* शासकीय सेवारत उम्मीदवार

Digitally signed by
Vikas Mishra

Date: 20-02-2026

13:15:59 (विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

बबलरामपुर अंतर्गत संचालित छात्रावास की संख्या स्वीकृत सीट तथा वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 03 वर्षों में प्राप्त आवेदनों की जानकारी :-

क्र.	छात्रावास/आश्रम का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत सीट संख्या	शैक्षणिक सत्र में प्राप्त आवेदनों का विवरण					
				वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
				प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक आवेदनों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री.मै.कन्या छात्रावास शंकरगढ़ (मा.शा.)	शंकरगढ़	30	49	9	58	28	71	21
2	प्री.मै.कन्या छात्रा.शंकरगढ़ (हाई स्कूल)	शंकरगढ़	50	60	10	87	17	87	17
3	प्री.मै.बालक छात्रावास दुर्गापुर	शंकरगढ़	40	42	2	43	0	40	0
4	पो.मै.कन्या छात्रावास शंकरगढ़	शंकरगढ़	50	58	8	105	35	90	30
5	प्री0मै0 कन्या छात्रावास कुसमी	कुसमी	50	55	5	55	5	66	16
6	प्री0मै0 बालक छात्रावास लरिमा	कुसमी	20	30	10	30	10	30	10
7	प्री0मै0 कन्या छात्रावास जवाहरनगर	कुसमी	20	40	20	40	20	50	30
8	प्री0मै0 बालक छात्रावास जमीरापाठ	कुसमी	20	30	10	30	10	30	10
9	प्री0मै0 बालक छात्रावास कोरन्धा	कुसमी	20	30	10	30	10	30	10
10	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास सिधमा	राजपुर	50	50	5	55	5	55	5
11	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बघिमा	राजपुर	30	45	15	35	5	50	20
12	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास राजपुर	राजपुर	65	75	10	75	10	85	20
13	प्री.मै.बालक छात्रावास रनहत	बलरामपुर	60	63	3	62	2	65	5
14	प्री.मै.बालक छा.चलगली	वाङ्गफनगर	50	80	30	75	25	70	20
15	प्री.मै.बालक छा.इंजानी	वाङ्गफनगर	50	57	7	80	30	66	16
16	प्री.मै.बालक छा.बरतीकलां	वाङ्गफनगर	30	40	10	55	25	55	25
17	प्री.मै.बालक छा.वाङ्गफनगर	वाङ्गफनगर	60	67	7	75	15	85	25
18	प्री.मै.बालक छा.बसतपुर	वाङ्गफनगर	20	30	10	60	40	55	35

क्र.	छात्रावास/आश्रम का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत सीट संख्या	शैक्षणिक सत्र में प्राप्त आवेदनों का विवरण					
				वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
				प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक आवेदनों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	प्री.मै.बालक छा.सुलसुली	वाङ्गफनगर	20	32	12	40	20	50	30
20	प्री.मै.बालक छा.पण्डरी	वाङ्गफनगर	40	40	0	50	10	40	0
21	प्री.मै.बालक छा.रघुनाथनगर	वाङ्गफनगर	25	25	0	35	10	25	0
22	प्री.मै.बालक छा.जनकपुर	वाङ्गफनगर	20	20	0	35	15	20	0
23	प्री.मै.बालक छा.बलंगी	वाङ्गफनगर	20	35	15	40	20	40	20
24	प्री.मै.कन्या छा.वाङ्गफनगर	वाङ्गफनगर	60	90	30	70	10	70	10
25	प्री.मै.कन्या छा.सुलसुली	वाङ्गफनगर	50	50	0	60	10	60	10
26	प्री.मै.कन्या छा.पण्डरी	वाङ्गफनगर	50	60	10	65	15	50	0
योग:-			495	626	131	740	245	686	191

अनुभाग-आधिकार
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परीशिष्ट - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 112) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2023 से 2025 तक छत्तीसगढ़ में पर्यटन संपत्ति का लीज अनुबंध के स्थान, अनुबंधकर्ता का नाम, समयावधि एवं दर जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	संपत्ति का नाम	स्थान	अनुबंधकर्ता का नाम	समयावधि	दर (राशि रूपये में)	
					अपफ्रंट प्रीमियम राशि	वार्षिक लीज रेंट
01	मितान मोटल	कोड़ातराई (रायगढ़)	मेसर्स बग्गा इंटरप्राइजेज, रायगढ़	30+30 वर्ष	25,40,128	8,89,045
02	मितान मोटल	चढ़ीरमा (सरगुजा)	मेसर्स प्रयाग ग्रुप, अंबिकापुर	30+30 वर्ष	15,07,777	5,27,722
03	मितान मोटल	कुलीपोटा (जांजगीर-चापा)	मेसर्स ए. टी. एसोसिएट, जांजगीर	30+30 वर्ष	19,24,111	6,73,439
04	मितान मोटल	सरगांव (मुंगेली)	मेसर्स आदित्य इंटरप्राइजेज, बिलासपुर	30+30 वर्ष	36,41,000	12,74,350
05	मितान मोटल	भाटागांव (धमतरी)	मेसर्स भाटिया ट्रेडर्स, रायपुर	30+30 वर्ष	14,93,177	5,22,612
06	मितान मोटल	खपरी (दुर्ग)	मेसर्स आशीर्वाद इंटरप्राइजेज, दुर्ग	30+30 वर्ष	28,56,230	9,99,681
07	मितान मोटल	तुमड़ीबोड (राजनांदगांव)	मेसर्स चौहान हाउसिंग प्रा. लि., भिलाई-दुर्ग	30+30 वर्ष	45,54,450	15,94,058
08	मितान मोटल	केंद्री (रायपुर)	मेसर्स चौहान हाउसिंग प्रा. लि., भिलाई-दुर्ग	30+30 वर्ष	1,53,14,191	53,59,967
09	मितान मोटल	मानातूता (रायपुर)	मेसर्स द ग्रैंड नीलम होटल, रायपुर	30+30 वर्ष	76,75,000	26,86,250
10	मितान मोटल	तीरथगढ़ (बस्तर)	मेसर्स माँ कर्मा एसोसिएट, दुर्ग	30+30 वर्ष	8,58,000	3,00,300
11	मितान मोटल	कोनकोना (कोरबा)	मेसर्स वी. आर. प्रोजेक्ट, कोरबा	30+30 वर्ष	8,51,000	2,97,850
12	मितान मोटल	चिरगुढ़ा (कोरिया)	मेसर्स वी. आर. प्रोजेक्ट, कोरबा	30+30 वर्ष	5,08,664	1,78,032
13	मितान मोटल	हारम (दंतेवाड़ा)	मेसर्स R 3 क्रिएटर्स प्रा. लि., रायपुर	30+30 वर्ष	6,66,786	2,33,375
14	मितान मोटल	कवर्धा (कबीरधाम)	मेसर्स R 3 क्रिएटर्स प्रा. लि., रायपुर	30+30 वर्ष	28,44,673	9,95,636
15	मितान मोटल	कोंडागांव (कोंडागांव)	मेसर्स फोन फिक्स, कोंडागांव	30+30 वर्ष	20,19,325	7,06,764
कुल राशि रूपये					4,92,54,512	1,72,39,081

टीप : वार्षिक लीज रेंट राशि में प्रति वर्ष 3.5% की दर से वृद्धि होगी ।

परीक्षेष्ट - नों
तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 798) की जानकारी

प्रपत्र -अ

प्रश्नांश-क अप्रैल 2023 से जनवरी 2026 तक छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. द्वारा कय उर्वरक, बीज, पेस्टीसाईड तथा माईक्रोन्यूट्रियेंट की जानकारी

क.	सामग्री का नाम	ईकाई	अप्रैल 2023 से मार्च 2024 (2023-24)		अप्रैल 2024 से मार्च 2025 (2024-25)		अप्रैल 2025 से 30 जनवरी 2026 तक (2025-26)		क्रय की प्रक्रिया
			मात्रा	राशि लाख रु. में	मात्रा	राशि लाख रु. में	मात्रा	राशि लाख रु. में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उर्वरक	क्विंटल	1425.75	26.26	1314.45	23.44	1752.02	23.98	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से निर्धारित दर पर सीधे कय।
2	प्रजनक बीज	क्विंटल	2066.40	207.54	2021.96	210.27	2174.17	235.77	भारत सरकार द्वारा निर्धारित कृषि अनुसंधान केन्द्रों/प्रजनक संस्थाओं / कृषि विश्वविद्यालयों से निर्धारित दर पर सीधे कय।
3	प्रमाणित बीज	क्विंटल	114711.44	4618.86	239053.64	10979.31	100321.05	5445.43	छ.ग. शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश क्र. 5467 दिनांक 20.12.2011 एवं आदेश क्र. 987 दिनांक 28.02.2025 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली संस्था से।
4	बीजोपचार औषधी (थायरम)	क्विंटल	800	230.40	880	175.49	201	38.53	निविदा के माध्यम से।
5	पेस्टीसाईड	लीटर	467.90	9.32	589.24	10.53	493.28	14.06	सीमित निविदा पद्धति से।
		किलोग्राम	18893.26		1510.80		1216.98		
6	माईक्रोन्यूट्रियेंट	किलोग्राम	356.25	0.21	2192.30	1.92	267.35	1.12	

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 20-02-2026

13:04:18

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

प्रश्नांश-(ग) विभाग द्वारा बीज, पेस्टीसाईड, माइक्रोन्यूट्रीएंट एवं बायोफर्टीलाइजर के गुणवत्ता परीक्षण हेतु अधिसूचित प्रयोगशालाओं की जानकारी।

क्र.	सामग्रियों के नाम	अधिसूचित प्रयोगशालाओं के नाम	अधिसूचना दिनांक
1	2	3	4
1	बीज	1. राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला लाभांडी, रायपुर, छ.ग.	23 / 01 / 2003
		2. बीज परीक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, छ.ग.	27 / 07 / 2018
2	उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रीएंट	उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर	09 / 02 / 2001
3	जैव उर्वरक	जैव उर्वरक एवं जैविक उर्वरक परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, रायपुर, छ.ग.	24 / 07 / 2017
4	पेस्टीसाईड	राज्य कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, ठेलकाडीह, राजनांदगांव, छ.ग.	16 / 09 / 2008

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 20-02-2026 (विकास मिश्रा)

13:05:27 उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

अंत्यावसायी विभाग अंतर्गत संचालित एवं बंद योजनाओं की जानकारी

क	योजना का नाम		
1	2	3	4
	बैंक प्रवर्तित योजना	राष्ट्रीय निगम की योजनाएं	बंद योजनाएं
1	आदिवासी स्वरोजगार योजना।	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम – वर्ष 2021-22 से बंद है।	मिनीमाता स्वावलंबन योजना (अनुसूचित जाति हेतु)।
2	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम – अजय) योजना।	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम – वर्ष 2024-25 से बंद है।	शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना (अनुसूचित जनजाति हेतु)।
3	अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अनुसूचित जाति हेतु)	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम – वर्ष 2023-24 से बंद है।	—
4	—	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम – वर्ष 2020-21 से बंद है।	—
5	—	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम – वर्ष 2021-22 से बंद है।	—


अनुभाग अधिकारी
आदिन जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

संचालित राष्ट्रीय निगमों द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत प्रदाय ऋण (लोन) राशि एवं जमा की गई (पिछले 5 वर्षों) की जानकारी

क	योजना का नाम		
1	2	3	4
	बैंक प्रवर्तित योजना	राष्ट्रीय निगम की ऋण योजनाएं	राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में कुल 151 हितग्राही द्वारा पूर्ण ऋण जमा किया गया है।
1	बैंक द्वारा हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं अंत्यावसायी निगम द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजना में स्वावलंबी हितग्राही -48	—
2	—	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की योजना में स्वावलंबी हितग्राही - 445	—
3	—	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजना में स्वावलंबी हितग्राही - 42	—
4	—	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजना में स्वावलंबी हितग्राही - निरंक।	—
5	—	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजना में स्वावलंबी हितग्राही - 135 राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में कुल - 670 स्वावलंबी हितग्राही।	—


अनुमान अधिकारी
जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

संचालित राष्ट्रीय निगमों द्वारा स्वीकृत योजनाओं (पिछला 05 वर्षों) की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	2020-21 हित.संख्या	2021-22 हित.संख्या	2022-23 हित.संख्या	2023-24 हित.संख्या	2024-25 हित.संख्या	2025-26 हित.संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	48	0	0	0	0	48
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास निगम	173	12	199	61	0	445
3	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	0	0	42	0	0	42
4	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	135	0	0	0	0	135
5	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	0	0	0	0	0	0
योग :-		356	12	241	61	0	670


अनुभाग अधिकारी
जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारोक्ष - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 701) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 01/01/2020 से दिनांक 31/01/2026 तक की अवधि में जिला- रायपुर दुर्ग एवं बिलासपुर में निर्मित निजी अस्पताल (स्वतंत्र अस्पताल भवन अथवा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल भवन)/ शॉपिंग सेंटर संस्था, जिनको पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना था, की जानकारी

क्र.	संस्थान का नाम एवं पता	स्वामी का नाम	संस्थान का प्रकार	पर्यावरणीय स्वीकृति लिया गया है (हाँ/नहीं)	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं किये गये संस्थानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर					
1.	मेसर्स बी.एम.सी. कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल, ग्राम-मोवा, तहसील व जिला- रायपुर	श्री आशीष मेहता (पार्टनर)	अस्पताल	हाँ	आवश्यकता नहीं है।
2.	मेसर्स गिन्नी देवी गोयल फाउंडेशन (गिन्नी देवी गोयल मनीपाल हॉस्पिटल), ग्राम- परसुलीडीह एवं बरौदा, तहसील धरसीवा, रायपुर	श्री सुरेश गोयल एंड ब्रदर	अस्पताल	हाँ	आवश्यकता नहीं है।
3.	मेसर्स सन एण्ड सन इंफ्रामेट्रिक प्रा. लि. ग्राम- टिकरापारा, तहसील व जिला-रायपुर-	श्री संकल्प चतुर्वेदी (डायरेक्टर)	शॉपिंग कम कमर्शियल काम्प्लेक्स	हाँ	आवश्यकता नहीं है।
4.	मेसर्स सन एण्ड सन इंफ्रामेट्रिक प्रा. लि. (एल. के. कार्पोरेट एण्ड लाजिस्टिक पार्क), ग्राम-डुमरतराई, तहसील व जिला-रायपुर	श्री संकल्प चतुर्वेदी (डायरेक्टर)	शॉपिंग कम कमर्शियल काम्प्लेक्स	हाँ	आवश्यकता नहीं है।
5.	मेसर्स सन् एण्ड सन् इंफ्रामेट्रिक प्रल्लिमिटेड. (सोलस मॉल), ग्रामचिरु-लडीह, जीई रोड, तहसील व जिला- रायपुर	श्री संकल्प चतुर्वेदी (डायरेक्टर)	शॉपिंग कम कमर्शियल काम्प्लेक्स	हाँ	आवश्यकता नहीं है।
6.	मेसर्स अविनाश डेवलपर्स, ग्राम-लभांडी, तहसील व जिला-रायपुर	श्री आनंद सिंघानिया	कामर्शियल कम ऑफिस काम्प्लेक्स	हाँ	आवश्यकता नहीं है।
जिला-दुर्ग					
निरंक					
जिला-बिलासपुर					
निरंक					

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्य - बारह

तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 773) की जानकारी

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र पोषित, राज्य पोषित तथा धरती आबा योजना के अंतर्गत घटकवार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रपत्र-अ तथा उपलब्धि की जानकारी

क्र.	योजनाएं	घटक	इकाई	लक्ष्य		उपलब्धि		रिमाके
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ)		राज्य योजनाएं						
1	मछली बीज उत्पादन	विभागीय - स्टे. फ्राई	लाख में	50.000	1.600	32.000	1.600	
		योग		50.000	1.600	32.000	1.600	
2	जलाशयों में मत्स्योद्योग का विकास	नदियों/एनीकट्स में संचय	स्टे. फ्राई	6.400	3.024	6.400	3.024	
		विभागीय जलाशयों में मत्स्य बीज संचयन (स्टे. फ्राई)	लाख में	18.200	8.850	4.560	2.154	शेष 02 जलाशयों में मत्स्य बीज संचयन कार्यवाही जारी है।
		योग		24.600	11.874	10.960	5.178	
3	शिक्षण प्रशिक्षण	10 दिवसीय शिक्षण-प्रशिक्षण		130	1.625	130	1.625	
		3 दिवसीय रीफ्रेश कोर्स	हितग्राही	165	1.650	165	1.650	
		राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण		20	0.500	0	0.000	माह फरवरी, 2026 तक उपलब्धि पूर्ण कर ली जावेगी।
		योग		315	3.775	295	3.275	
4	मत्स्य पालन प्रसार	झीगा पालन	इकाई	10	0.250	0	0.000	
		मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन	इकाई	12	3.600	12	3.600	
		नाव-जाल वितरण	इकाई	65	6.500	51	6.500	माह फरवरी, 2026 तक भौतिक उपलब्धि पूर्ण कर ली जावेगी।
		फिंगरलिंग क्रय कर संचयन 5 वर्ष	इकाई	75	1.500	75	1.500	
		फुटकर विक्रेताओं को सहायता	इकाई	45	2.700	27	2.700	माह फरवरी, 2026 तक भौतिक उपलब्धि पूर्ण कर ली जावेगी।
		योग		207	14.550	165	14.300	
5	मछुआ सहकारिता	3 वर्षीय मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान सहायता	समिति	7	6.480	7	6.480	
		योग		7	6.480	7	6.480	
		योग (अ)		603.6	38.279	509.96	30.833	

क्र.	योजनाएं	घटक	इकाई	लक्ष्य		उपलब्धि		रिमाक
1	2	3	4	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
(ब)		केन्द्र प्रवर्तित योजना	4	5	6	7	8	9
1	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	हैक्ट.	2.23	9.387	2.23	9.387	
2		प्रथम वर्ष इनपुट्स हेतु अनुदान	हैक्ट.	3.13	7.547	3.13	7.547	
3		केज कल्चर / केज स्थापना	इकाई	0	0.000	0	0.000	
4		बचत सह राहत योजना	हितग्राही	175	5.250	175	5.250	
		योग		180.36	22.184	180.36	22.184	
5	धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना			0	0.000	0	0.000	धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजनागत लक्ष्य अप्राप्त।
		योग		0	0.000	0	0.000	
		योग (ब)		180.36	22.184	180.36	22.184	
		महायोग (अ + ब)		783.96	60.463	690.32	53.017	

सही/- अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला - खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

[Signature]
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-ब

प्रश्नांश 'क' अनुसार केंद्रपोषित, राज्यपोषित व धरती आबा योजना के अंतर्गत जिले में कुल योजनावार, घटकवार तथा वर्गवार प्राप्त आवेदनों की जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	घटक	प्राप्त आवेदन संख्या				स्वीकृत आवेदन संख्या				अस्वीकृत आवेदन संख्या				लंबित आवेदन संख्या				अस्वीकृत/लंबित का कारण
			अ.ज.जा	अ.जा.	सामान्य	योग	अ.ज.जा	अ.जा.	सामान्य	योग	अ.ज.जा	अ.जा.	सामान्य	योग	अ.ज.जा	अ.जा.	सामान्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(अ)																			
1	राज्य पोषित योजना	10 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण	60	10	60	130	60	10	60	130	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	शिक्षण-प्रशिक्षण	03 दिवसीय रीफ्रेशर कोर्स	60	20	85	165	60	20	85	165	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	10	7	3	20	10	7	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
योग			130	37	148	315	130	37	148	315	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		झोंग पालन	5	5	0	10	5	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	मत्स्य पालन प्रसार	मोसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन	10	2	0	12	10	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		नाव जाल वितरण	20	0	31	51	20	0	31	51	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		फिशरिलिंग क्रय कर	25	0	50	75	25	0	50	75	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	मत्स्य पालन प्रसार	संवयन 05 वर्ष फुटकर विक्रेताओं को सहायता	14	6	7	27	14	6	7	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
योग			74	13	88	175	74	13	88	175	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	मछुआ सहकारिता	3 वर्षीय मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान सहायता	2	0	5	7	2	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
योग			2	0	5	7	2	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ब)			206	50	241	497	206	50	241	497	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	केंद्र पोषित योजना	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	प्रथम वर्षे इनपुट्स पर अनुदान के लिए	3	0	1	4	3	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		केज कल्चर स्थापना	10	0	18	28	0	0	0	0	10	0	18	28	0	0	0	0	नवीन स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण 28 आवेदन अस्वीकृत
योग			16	0	19	35	6	0	1	7	10	0	18	28	0	0	0	0	
4	धरती आबा ग्राम उल्कर्ष अभियान योजना	केज कल्चर स्थापना	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	जलाशय में पर्याप्त जलस्तर न होने के कारण 5 आवेदन अस्वीकृत

स.क्र.	योजना का नाम	घटक	प्राप्त आवेदन संख्या				स्वीकृत आवेदन संख्या				अस्वीकृत आवेदन संख्या				लंबित आवेदन संख्या				अस्वीकृत/लंबित का कारण
			अ.ज.जा.	अ.जा.	सामान्य	योग	अ.ज.जा.	अ.जा.	सामान्य	योग	अ.ज.जा.	अ.जा.	सामान्य	योग	अ.ज.जा.	अ.जा.	सामान्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना	पी-लाईनर	41	0	0	41	0	0	0	0	7	0	0	7	34	0	0	34	नियमानुसार आवेदन प्राप्त न होने के कारण 7 आवेदन अस्वीकृत तथा 34 आवेदन माह-फरवरी में प्राप्त व अपूर्ण आवेदन होने के कारण लंबित
		योग	46	0	0	46	0	0	0	0	12	0	0	12	34	0	0	34	
		(ब) योग	62	0	19	81	6	0	1	7	22	0	18	40	34	0	0	34	
		महायोग (अ + ब)	268	50	260	578	212	50	242	504	22	0	18	40	34	0	0	34	

सही/- अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला - खिरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-अ

विधानसभा क्षेत्र सीतापुर अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा 01 पर्यटन स्थल चिन्हांकित है। जिसके अंतर्गत स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल ब्लॉकवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	चिन्हांकित पर्यटन स्थल	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	प्रमुख दर्शनीय (पर्यटन) स्थल
1	मैनपाट	मैनपाट	पैगा	जलजली
2			बिसरपानी	उल्टापानी
3			सरभंजा	मछली पाइंट
4			कुनिया	टाईगर पाइंट
5			सुपलगा	सनसेट पाइंट
6			रोपाखार	बायोडायवर्सिटी पार्क

प्रपत्र-ब

चिन्हांकित पर्यटन स्थल मैनपाट अंतर्गत स्थित स्थलों में प्रदाय किये गए सुविधाओं की बिन्दुवार, स्थलवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रमुख दर्शनीय (पर्यटन) स्थल	प्रदाय किये गए सुविधाएं						
		सामुदायिक शौचालय	बैठक व्यवस्था	पेयजल व्यवस्था	पार्किंग व्यवस्था	सुरक्षा हेतु घेराव	साफ-सफाई व्यवस्था	रिमार्क
1	जलजली	02 नग	है	है	है	है	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं समूह के सदस्यों के द्वारा पर्यटन स्थलों की साफ सफाई का कार्य किया जाता है।	ग्राम पंचायत के द्वारा कराया गया है।
2	उल्टापानी	02 नग	है	है	है	नहीं है		
3	मछली पाइंट	01 नग	है	है	है	नहीं है		
4	टाईगर पाइंट	02 नग	है	है	है	है		
5	सनसेट पाइंट	01 नग	है	है	है	है		
6	बायोडायवर्सिटी पार्क	03 नग	है	है	है	है		सामुदायिक शौचालय का निर्माण वन विभाग के द्वारा कराया गया है।

नोट -

1. पर्यटन स्थल मछली पाइंट सघन आच्छादित वनक्षेत्र है। अतः उसका घेराव किया जाना संभव नहीं है।
2. पर्यटन स्थल उल्टापानी क्षेत्र राजस्व क्षेत्र है। अतः वन विभाग के द्वारा उक्त स्थल का घेराव नहीं किया गया है।

प्रपत्र—स

प्रश्नांक "क" में अंकित स्थलों की सुरक्षा संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं समूहों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जिसका स्थलवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	ब्लॉक	प्रमुख दर्शनीय (पर्यटन) स्थल	प्रमुख दर्शनीय स्थलों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी
1	मैनपाट	जलजली	30
2		उल्टापानी	12
3		मछली पाइंट	21
4		टाईगर पाइंट	26
5		सनसेट पाइंट	04
6		बायोडायवर्सिटी पार्क	25

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परीक्षे - चौदह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 53) की जानकारी

प्रपत्र

स.क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	की गई कार्यवाही
1	श्री विनोद कुमार वर्मा, तत्का. उप संचालक कृषि, बेमेतरा।	विभागीय पत्र दिनांक 21.06.2024 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी। श्री वर्मा द्वारा उक्त पत्र के संदर्भ में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अवधि (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18) के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्रियों के क्रय में भण्डार क्रय नियम 2002 का उल्लंघन संबंधित प्रकरण की जांच उपरांत विभागीय आदेश क्रमांक एफ-01/195/विस 1989/2018/14-2, दिनांक 03.08.2022 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने संबंधित शास्ति अधिरोपित की जा चुकी है एवं समान अवधि (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18) में समान प्रकरण (भण्डार क्रय नियम के उल्लंघन) पर विभिन्न योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ही शास्ति दी जा चुकी है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-01/27/विस-771/2021, दिनांक 21.06.2024 द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र भी भण्डार क्रय नियम के उल्लंघन से संबंधित है, जो उसी अवधि का है। जिसमें पहले ही शास्ति दी जा चुकी है। अतः जारी कारण बताओं सूचना पत्र को दिनांक 21.06.2024 को विलोपित करने हेतु अनुरोध किया गया है। श्री वर्मा के अभ्यावेदन दिनांक 29.01.2025 पर संचालक कृषि का पत्र दिनांक 26.11.2025 द्वारा उक्त दोनो प्रकरण भिन्न-भिन्न है, अभिमत प्राप्त हुआ है। श्री वर्मा का जारी कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 21.06.2024 पर प्रतिवाद उत्तर अप्राप्त है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
2	श्री शंशांक शिंदे, तत्का. उप संचालक कृषि बेमेतरा।	विभागीय पत्र दिनांक 12.09.2025 द्वारा संशोधित कारण बताओं सूचना पत्र जारी। प्रतिवाद उत्तर अप्राप्त। कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
3	श्री पी.एल. परौहा, तत्का. सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी बिलासपुर।	विभागीय पत्र दिनांक 21.06.2024 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी। श्री परौहा द्वारा प्राप्त प्रतिवाद उत्तर दिनांक 05.08.2024 पर संचालक कृषि के पत्र दिनांक 18.02.2025 द्वारा अमान्य किया गया है। चूंकि श्री परौहा का प्रकरण 04 वर्ष पूर्व का है एवं वे दिनांक 30.04.2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस स्थिति में इनके विरुद्ध पेंशन नियम के तहत कार्यवाही का प्रस्ताव विचाराधीन है।
4	श्री आर.जी. अहिरवार, तत्का. उप संचालक कृषि बिलासपुर।	विभागीय पत्र दिनांक 21.06.2024 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी। श्री अहिरवार के प्रतिवाद उत्तर दिनांक 12.08.2025 संचालक कृषि के पत्र दिनांक 10.02.2026 द्वारा अमान्य किये जाने अभिमत प्राप्त हुआ है जिस परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5	श्री के.पी. मिश्रा तत्का. सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी मण्डी बिलासपुर।	विभागीय पत्र दिनांक 21.06.2024 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी। श्री मिश्रा के प्रतिवाद उत्तर दिनांक 29.07.2025 पर संचालक कृषि के पत्र दिनांक 10.02.2026 द्वारा अमान्य किये जाने अभिमत प्राप्त हुआ है जिस परिपेक्ष्य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	श्री राकेश शर्मा प्रभारी उप संचालक कृषि, बिलासपुर।	विभागीय आदेश दिनांक 08.10.2025 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया।
7	श्री जे. एस. काकोरिया तत्का. उप संचालक कृषि बिलासपुर।	विभागीय आदेश दिनांक 06.11.2024 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया। (मृत्यु दिनांक 24.05.2021)

Digitally signed by
VAIBHAVA KUMAR KSHETRAGYA
Date: 20-02-2026 15:20:39

(वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परीशिष्ट - पन्द्रह

पारेवातेत अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 329) की जानकारी

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)

Email id: collector-mmacc@cg.gov.in

phon no-07747-299136

//आदेश//

क्रमांक/113 /स्टेनो/अपर कले./2025-26

मोहला, दिनांक 12/01/2026

जिला अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मोहला एवं मानपुर संचालित है।
उक्त विद्यालय वर्तमान में संयुक्त रूप से अम्बागढ़ चौकी में संचालित है। उक्त आवासीय विद्यालय
के सतत निरीक्षण हेतु निम्नानुसार टीम का गठन किया जाता है :-

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्री जी.आर. मरकाम, अपर कलेक्टर | - अध्यक्ष |
| 2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मोहला | - सदस्य |
| 3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग | - सदस्य |
| 4. सुश्री शुभांगी गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर | - सदस्य |
| 5. श्रीमती अरुनिमा टोप्पो, तहसीलदार-अम्बागढ़ चौकी | - सदस्य |
| 6. श्रीमती तामेश्वरी ईसदा, राजस्व निरीक्षक बांधावाजार | - सदस्य |

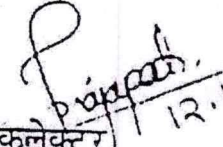
उपरोक्तानुसार गठित टीम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहला एवं मानपुर का
निरिक्षण करना सुनिश्चित करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत
करेंगे।

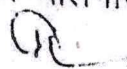
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

क्रमांक/113-अ/स्टेनो/अपर कले./2025-26

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, दुर्ग-संभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।


कलेक्टर
जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी
मोहला, दिनांक 12/01/2026


अपर कलेक्टर
जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

—::प्रतिवेदन::—

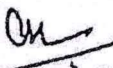
कलेक्टर महोदया जिला मोहला-मानुपर-अं.चौकी के आदेश दिनांक/163/स्टेनो/अपर कले./2025-28 मोहला दिनांक 12/01/2026 द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहला एवं मानपुर के सतत निरीक्षण हेतु गठित टीम द्वारा दिनांक 12/01/2026 को निरीक्षण किया गया जिसमें आवासीय विद्यालय मोहला एवं मानपुर के छात्रों से वार्तालाप किया गया। जिसमें बच्चों द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहला कक्षा 7 वीं के छात्र द्वारा बताया गया कि दिसंबर माह में शिक्षक पर्वत कुमार सर जी के द्वारा हिन्दी विषय के कोर्स नोट कंप्लीट न करने पर पर्वत सर ने हाथ से गाल को मारे थे तथा कक्षा 10वीं के छात्र द्वारा बताया गया कि तबियत खराब होने के बाद आवेदन पत्र दिया गया था उसके बाद भी पी.टी.आई टीचर आकाश शर्मा द्वारा डाइनिंग हॉल में बुलाकर स्टंप से हाथ पैर एवं पीठ को मारे थे एवं कक्षा 11 वीं के छात्र द्वारा बताया गया कि अनिल सर ने उसे स्टंप से हाथ पैर व पीठ को मारा।

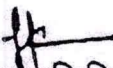
कैंपस में संचालित मोहला एवं मानपुर के मेस संचालन को लेकर बच्चों से पूछताछ की गई जिसमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहला के छात्रों द्वारा यह बताया गया कि अधीक्षक द्वारा मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मानपुर की भोजन व्यवस्था ठीक है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में वितरण किए जाने वाली गणवेश प्राप्त नहीं हुआ है।

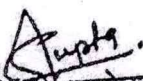
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मानपुर की छात्रा दिवंकल कमरो के संबंध में उसकी हॉस्टल रूममेट से जानकारी ली गई कि दिवंकल दिनांक 05/01/2026 को घर से वापस आई थी। तबियत खराब होने के कारण घर गई थी। घर से आने के बाद किसी से बात नहीं करती थी। 1st term का विज्ञान पेपर बस दी थी बाकि विषय का नहीं दी थी। कक्षा में कोई परेशान नहीं करता था। किसी के साथ कोई लड़ाई-झगड़ा भी नहीं हुआ है। मेरी रूममेट थी किंतु मेरे साथ न रहकर दूसरे कमरे में सोने चली जाती थी। गुरुवार दिनांक 08/01/2026 को स्कूल के वॉशरूम में बेहोश होकर गिर गई थी। स्कूल में ही बताई कि मैं गलती से फिनाईल पी ली थी। फिनाईल को दिवंकल कमरो अपने घर से लेकर आई थी। उक्त कथन से प्रतीत होता है कि छात्रा द्वारा किसी निजी-पारिवारिक समस्या के कारण ऐसा कदम उठाया गया होगा।

अतः उक्त जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर कलेक्टर
(अध्यक्ष)


अ.वि.डा. (RTO) मोहला


स.आ.आ.वि.वि.


डिप्टी कलेक्टर


तहसीलदार
अं.चौकी


राजस्व निरीक्षक
बांधाबाजार

कार्यालय कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अ.चाँकी

(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)

Email:- netmmac@gmail.com

क्रमांक/3163 आदि.वि./ एकलव्य / 2025-26

मोहला, दिनांक-15/01/2026

जिला अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श बालिका आवासीय विद्यालयों मोहला एवं मानपुर में आवासरत छात्राओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं जैसे साफ-सफाई, भोजन, विद्यालयीन तथा दैनिक उपयोगी सामग्री एवं हाल ही में घटित घटनाओं के संबंध में प्राप्त कमियों/शिकायत की जाँच करने हेतु निम्नानुसार जाँच समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|-----------|
| 1. श्रीमती अनुरिगा टोप्पो, राउसीतापार- आवागढ़ चौकी | - अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती प्रियंका रामटेको, गु.का.अधि. जनपद पंचायत, अं.चौकी | - सदस्य |
| 3. श्रीमती विनीता सोनी, परियोजना अधिकारी, ग.वा.वि.अं.चौकी | - सदस्य |
| 4. श्रीमती सरस्वती कलामे, व्याख्याता | - सदस्य |

उपरोक्तानुसार गठित टीम एकलव्य आदर्श बालिका आवासीय विद्यालय मोहला एवं मानपुर में प्राप्त कमियों/शिकायत की जाँच कर 02 दिवस के भीतर अपना प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

पृ.क्र./3163 आदि.वि./ एकलव्य / 2025-26
प्रतिलिपि-

प्रिप्रा.
कलेक्टर
जिला- मोहला-मानपुर-अं.चौकी
मोहला, दिनांक-15/01/2026

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
3. (i) श्रीमती श्वेता गजभीम, अधीक्षक कन्या शिक्षा परिसर, अं. चौकी (ii) मुनेश्वरी रात्रे, पो. मै. कन्या छात्रावास अं. चौकी (iii) श्रीमती दिव्या महेश्वरी, अधीक्षक प्री. मै.आदि.कन्या छात्रावास कौंडीकसा (iv) श्रीमती सुमन मेश्राम, अधीक्षक प्री. मै.आदि.कन्या छात्रावास चिल्हाटी को जांच में आवश्यक सहयोग प्रदाय करने हेतु सूचनार्थ।

प्रिप्रा.
कलेक्टर
जिला- मोहला-मानपुर-अं.चौकी

प्रतिवेदन

कार्यालय कलेक्टर जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग क्रमांक /3136/आदि.वि./एकलव्य /2025-25 मोहला दिनांक 15/01/2026 जिला अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श बलिका आवासीय विद्यालय मोहला एवं मानपुर आवासरत छात्राओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं जैसे साफ-सफाई, भोजन, विद्यालयीन तथा दैनिक उपयोगी सामग्री एवं हाल में ही घटित घटनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त कम्प्लेंट्स/शिकायत की जाँच हेतु समिति द्वारा जाँच किया गया जिसके अनुसार -

एकलव्य आदर्श बलिका आवासीय विद्यालय मानपुर एवं मोहला छात्रावास परिसर में साफ सफाई नहीं है कक्षा आठवीं दसवीं ग्यारहवीं की छात्रा द्वारा बताया गया कि छात्रावास परिसर में साफ सफाई नहीं है। कमरों में भी साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि शौचालय में भी साफ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है।

एकलव्य आदर्श बलिका आवासीय विद्यालय मानपुर में भोजन व्यवस्था ठीक है समय पर मिलता है एवं मेनू अनुसार भोजन मिलता है। एकलव्य आदर्श बलिका आवासीय विद्यालय मोहला कक्षा आठवीं दसवीं ग्यारहवीं छात्रा द्वारा बताया गया मेनू अनुसार भोजन नहीं मिलता है और नाश्ता एवं सब्जी की मात्रा भी कम रहती है।

एकलव्य आदर्श बलिका आवासीय विद्यालय मानपुर एवं मोहला छात्रावास में दैनिक उपयोग की सामग्री प्राप्त हो रही है किन्तु शाला की ओर प्राप्त होने वाला गणवेश प्राप्त नहीं हुआ है।

एकलव्य आदर्श बलिका आवासीय विद्यालय मोहला की नागेश्वरी ध्रुवे कक्षा 11 द्वारा फिनायल पीने के सम्बन्ध में रूम मेट निधि से बात करने पर बताया गया कि दोपहर 4 बजे लगभग फिनायल पीने के बाद रूम में आयी और बताई की फिनायल पी ली हूँ। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले गए जहाँ बताई कि उसने पारिवारिक कारणों से ऐसा किया है।

एकलव्य आदर्श बलिका आवासीय विद्यालय मानपुर में 05 कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कुल 207 बच्चे हैं एवं मोहला छात्रावास में 03 कर्मचारी कार्यरत कुल 180 बच्चे हैं। कर्मचारियों की कमी है। होम गार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अतः जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

तहसीलदार अ. चौकी

परिचर्या अधिकारी

मु.का.अ. चौकी

व्याख्याता

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)

Email id: collector-mmacc@cg.gov.in

phon no-07747-299136

//आवेश//

क्रमांक/ 243 /स्टेनो/अपर कले. /आयोग/2025-26

मोहला, दिनांक 16/01/2026

माननीय अध्यक्ष महोदया, छ.ग. शासन, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 1329/आयोग/2026 रायपुर, दिनांक 15.01.2026 के तहत प्राप्त निर्देशानुसार दैनिक समाचार पत्र "हरिभूमि" में प्रकाशित समाचार के अनुसार केन्द्रीय एकलव्य आवासीय विद्यालय मोहला/मानपुर (अं.बाग/चौकी) में विगत 6 दिनों के भीतर दो छात्रा द्वारा आत्महत्या का प्रयास किये जाने एवं विद्यालय में पवरथ शिक्षकों के द्वारा छात्रों को लगातार शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, के संबंध में समाचार प्रकाशित हुआ। उक्त प्रकाशित घटना की गंभीरता पर माननीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लिया जाकर बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 (ज). 14 के तहत प्रवृत्त शक्तियों के तहत, प्रकरण में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU), जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं बाल कल्याण समिति की निष्पक्ष टीम गठित कर घटना के संबंध में विभिन्न तिथियों में प्रकाशित समाचार में उल्लेखित बिन्दुओं पर सूक्ष्मतापूर्वक जाँच करवाकर, प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) को प्रतिवेदन सहित दिनांक 22/01/2026 को अपरान्ह: 02:00 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त निर्देश के परिपालन में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहला/मानपुर में घटित घटनाओं के संबंध में प्रकाशित समाचार पर जांच हेतु माननीय आयोग के निर्देशानुसार निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता है:-

1. श्रीमती नेहा पवार, उप पुलिस अधीक्षक एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU), जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी (सम्पर्क संख्या-6260070490)
2. श्री कुंजन पाण्डेय, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी (सम्पर्क संख्या-9926103645)
3. श्रीमती शैल टांक, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी (सम्पर्क संख्या-9691994712)
4. श्रीमती पुष्पलता गणवीर, सदस्य, बाल कल्याण समिति, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी
5. श्रीमती सपना रामटेके, सदस्य, बाल कल्याण समिति, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी

उपरोक्तानुसार गठित समिति समाचार पत्रों के कतरन के आधार पर संयुक्त रूप से निम्न बिन्दुओं पर जांच कर, जांच प्रतिवेदन माननीय आयोग के समक्ष निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत करेंगे।

1. घटना क्रम क्या रहा? घटना के क्या तथ्य हैं? घटना किन परिस्थिति में घटित हुई?
2. दोनों छात्राओं द्वारा किन परिस्थितियों में फिनाइल का सेवन किया गया?
3. फिनाइल सेवन पश्चात् घटना स्थल पर क्या प्रमाण मिले?
4. फिनाइल पीने का क्या चिकित्सकीय प्रमाण है? तथ्यात्मक जानकारी। घटना की जानकारी होते ही चिकित्सा के क्या प्रबंध किये गये?
5. उक्त घटना घटित होने के लिए मौन-भौग उत्तरदायी है?
6. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु की जांच, जिसे समिति उचित समझे।
7. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपाय एवं सुझाव।

(कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी

पृ. क्रमांक/ 243-अ /स्टेनो/अपर कले./आयोग/2025-26

मोहला, दिनांक 16/01/2026

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ब्लॉक-11, प्लॉट नं. 10/08, रायगढ़ बाढ़ा, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी की ओर प्रेषित।
5. प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU), जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी
6. जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी
7. अध्यक्ष एवं सदस्यगण, बाल कल्याण समिति, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी
की ओर सूचनार्थ एवं माननीय आयोग से प्राप्त निर्देश के परिपालन में आदेशानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहला/मानपुर, संचालित अम्यागढ़ चौकी, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर कलेक्टर

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी

कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक जिला-गोडसा-गानपुर-अं.चौकी (उ.ग.)
 क्रमांक-मुआ/एमपीएसी/आपाक प्रविष्टि/गोडसा चौकी/ 11 776 दिनांक 14.01.2026

प्रति,

राज्य माल रक्षण आयोग
 सिविल लाईन, रायपुर (उ.ग.)

विषय :- गोडसा चौकी द्वारा समाचार पत्रों के मालाम की जांच का माह गये प्रत्येक के पत्र है।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक/1329/आयोग/2026 रायपुर दिनांक 15.01.2026
 पत्र क्रमांक/243/रदेवी/आपर मले./आयोग/2023/26 गोडसा दिनांक 16.01.2026

-0000:-

उपरोक्त विषयवस्तु एवं संबंधित पत्र के संक्षेप में लेख है कि दैनिक समाचार पत्र "दिनभर" के अनुसार सभाकार के अनुसार केन्द्रीय एमएलए आयासीय विद्यालय गोडसा/गानपुर (अ.चौकी) में दिनांक 6 दिनांक के समाचार के अनुसार आत्महत्या किये जाने एवं विद्यालय में पक्षरथ शिक्षकों के द्वारा छात्रों को लगातार शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जा रहा है के संबंध में जांच हेतु आयोग द्वारा निर्देशानुसार माननीय मंत्रीवर मंत्रीय द्वारा संबंधित का मध्य प्रेषित गया था गोडसा समिति द्वारा सम्पूर्ण विषय में जांच कर समय सीमा में प्रतिवेदन दिनांक 01 से 07 तक अंतर्गत प्रेषित प्रतिवेदन माननीय आयोग के समक्ष निर्धारित तिथि 22.01.2026 पर समय में चली गयी है।

अतः जांच प्रतिवेदन माननीय आयोग के समक्ष दिनांक सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

उप पुलिस अधीक्षक
 जिला गोडसा-गानपुर-अं.चौकी
 (8040)

प्रतिवेदन :-

1. मंत्रीवर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला गोडसा-गानपुर-अं.चौकी (उ.ग.) को सूचना हेतु।

उप पुलिस/अधीक्षक
 जिला गोडसा-गानपुर-अं.चौकी
 (8040)

जांच प्रतिवेदन

पत्र क्रमांक/1329/आयोग/2026 रायपुर दिनांक 15.01.2026 माननीय अध्यक्ष महोदयों उ.ग. शासन
प्रशासनिक राज्य चाल अधिकार संरक्षण आयोग सिविल लाइन, रायपुर (उ.ग.) शासन द्वारा दैनिक समाचार पत्र हरिवर्णि में
प्रकाशित समाचार के अनुसार केन्द्रीय एकलव्य आवासीय विद्यालय मोहला/मानपुर (अ.बी.सी.) में विगत 6 दिनों के भीतर दो
छात्रों द्वारा आत्महत्या किये जाने एवं विद्यालय में पक्षीय शिक्षकों के द्वारा छात्रों को लगातार शारीरिक एवं मानसिक रूप से
प्रताड़ित किया जा रहा है जो संबंध में जांच हेतु समिति का गठन किया गया था उक्त समिति से 07 विन्दु में जांच
प्रतिवेदन चाला गया है जो निम्नानुसार है:-

01. दिनांक 08.01.2026 को केन्द्रीय एकलव्य आवासीय विद्यालय मोहला/मानपुर (अ.बी.सी.) में मानपुर विद्यालय के
अंतर्गत अध्ययनरत छात्रा दिव्यंकल कंगरो पिता श्री गुमार कंगरो उम्र 16 साल साकिन मरकाटोला थागा मोहला ने
अपने लंच ब्रेक में लगभग 3 बजे अपने हॉस्टल के बाथरूम में जाकर फिनाईल पी लिया और वापस अपने कक्षा में
चली गई जब उसे बेचैनी हुई तो उसने अपने फोपी के पेज पर लिखकर अपनी सहेली नीलू को बताया कि उसने
फिनाईल पी लिया है तब उसकी सहेली ने उसे बाथरूम जाकर उल्टी करने को कहा जब दिव्यंकल वापस आई और
वहां उल्टी करते करते बेहोश हो गई तब उसके स्कूल के शिक्षकों ने उसे बगल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ले
गये। जहां पूछने पर कि क्यों फिनाईल पिया है तो बोली कि पारिवारिक कारणों से पीली हूँ। अधिक फिनाईल का
सेवन करने के कारण डॉक्टरों ने उसे राजनांदगांव रिफर कर दिया। स्थिति सामान्य होने पर 09.01.2026 को
दिव्यंकल का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया उसके बाद घर वाले उसे लेकर घर चले गये। दिनांक 20.01.2026 को
गठित टीम दिव्यंकल का बयान दर्ज करने उसके घर गयी तब दिव्यंकल ने बताया कि दयाली की छुट्टियों के बाद जब
वापस होटल गई तो कक्षा में लंच के दौरान किसी ने उसके किताब में लेटर दवा के रखा था जिसमें गंदी गंदी
नलिकाएं एवं अम्ल भाषा लिखी हुई थी और उसमें शुभम का नाम लिखा हुआ था, ऐसी ही 4-5 बार लेटर मिले
जिसने प्रवीण, शुभम, जयकांत का नाम लिखा रहता था। दिव्यंकल ने इस बारे में सिर्फ एक बार अपनी माँ को
बताया था स्कूल में किसी को नहीं बताया था और उसने उस लेटर को फाड़ कर फेंक दिया था। स्कूल में शिक्षकों
द्वारा उसे किसी भी प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया है।

दिनांक 14.01.2026 केन्द्रीय एकलव्य आवासीय विद्यालय
मोहला/मानपुर (अ.बी.सी.) में मोहला विद्यालय के अंतर्गत अध्ययनरत छात्रा नागेश्वरी धुव पिता रूपसिंह धुव उम्र 18
साल साकिन डोंगरगढ़ राजनांदगांव ने लगभग शाम को 4:00 बजे अपने हॉस्टल के बाथरूम में जाकर फिनाईल पी
लिया और वापस अपने कमरे में आ गई जब उसे बेचैनी होने लगी तो अपने रूममेट निधि कंवर को बताया कि उसने
फिनाईल पी लिया है और रोने लगी तब निधि दौड़कर गई और हॉस्टल की पिचून सुमन को बुलाकर लाई पिचून ने
उसके हाथ पकड़कर बगल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती किये और स्थिति सामान्य न होने से उसे राजनांदगांव
रिफर कर दिया, पूछने पर कि फिनाईल क्यों पी है रोने लगी और गलती से पी लेना बताया। 16.01.2026 को डॉक्टर
ने नागेश्वरी को डिस्चार्ज कर दिया और उसके परिजन उसे अपने साथ घर लेकर चले गये। दिनांक 20.01.2026 को
गठित कमेटी नागेश्वरी का बयान दर्ज करने के लिए जब एकलव्य आवासीय विद्यालय गई तो नागेश्वरी ने अपने बयान
में बताया कि जब वह छुट्टियों के दौरान घर गई थी तो इस्लामाबाद में उसकी दोस्ती किसी लड़के से हो गई थी और कभी
कभी वो उससे बात भी करती थी 14.01.2026 को उसे अहसास हुआ कि वह गलती कर रही है इसके बारे में
उसकी माँ को पता चलंगा तो वो बहुत परेशान हो जायेगी। ऐसे सब ख्याल आने से परेशान वह रोते हुए बाथरूम गई
बाथरूम में जब उसने फिनाईल देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया और वह फिनाईल पी ली। स्कूल में शिक्षकों द्वारा
उसे किसी भी प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया है।

02. दिव्यंकल के कथनानुसार स्कूल के छात्रों के द्वारा लेटर लिखकर गंदी-गंदी गाली देने और बोर्ड परीक्षा नजदीक आने
तैयारी न होने से परेशान होकर फिनाईल सेवन करना बताया। वही नागेश्वरी धुव द्वारा अपने निजी कारण से
फिनाईल का सेवन किया जाना बताया गया।

फिनाइल का सेवन द्विवंकल और नागेश्वरी द्वारा अपने अपने हॉस्टल के बाथरूम में किया जाना बताने पर जब फिनाइल के सदस्यों द्वारा बाथरूम का मुवायना किया गया तो फिनाइल का न होना पाया गया। परन्तु हॉस्टल के अन्य छात्राओं से पूछने पर बताया कि बाथरूम की सफाई उनके द्वारा ही की जाती है और बाथरूम की सफाई के लिए फिनाइल का उपयोग करते हैं बच जाने पर बाथरूम में रख देते हैं।

04. फिनाइल पीने के चिकित्सीय प्रमाण संलग्न है। जिसमें डॉक्टर ने फिनाइल सेवन का उल्लेख किया है। दोनों ही घटना में जैसे ही हॉस्टल और स्कूल के प्रबंधक को इस घटना के बारे में पता लगा तब वे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ले गये और उनके परिजन को सूचित किया गया। इसके अनुसार डॉक्टर के सलह अनुसार आवश्यकता पड़ने पर राजनांदगांव रिफर कराया।

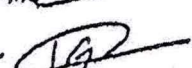
05. दोनों छात्राओं के द्वारा फिनाइल सेवन की पुष्टि होती है। बाथरूम में फिनाइल का ड्रिप्पा कहां से आया यह पूछने पर हॉस्टल अधीक्षक से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और दोनों हॉस्टल अधीक्षक एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए। हॉस्टल में बच्चों से बातचीत करने पर बच्चों द्वारा बाथरूम की खंय साफ करना बताया गया व हॉस्टल में कुछ बच्चों से बात करने पर उन्होंने बताया कि हॉस्टल अधीक्षक मैडम अपने कमरे में ही रहती है, राशन का समान कम निकाल कर देती है जिससे हमें कम खाना मिलता है और राशन भी अपने घर ले कर जाते हैं यह स्पष्ट करता है कि हॉस्टल प्रबंधक व हॉस्टल अधीक्षक अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित कर रहे हैं। बच्चों से शिक्षक द्वारा शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के संबंध में पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार की मारपीट व प्रताड़ना से इंकार किया गया है।

05. दिनांक 20.01.2026 को समिति ने जांच के लिए केन्द्रीय एकलव्य आवासीय विद्यालय मोहला/मानपुर (अं. चौकी) का निरीक्षण किया तो पाया कि 250 सीटर बालक व 250 कन्या छात्रावास में यह विद्यालय संचालित हो रहा है जहां लगभग 800 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत व निवासरत हैं। बालक छात्रावास में ही मोहला और मानपुर का स्कूल चलाया जाता है जिससे अत्यधिक अव्यवस्था पाई गई। अध्यापन कक्षाओं की कमी के कारण बालिकाएँ, बालकों के आवासीय परिसर के गलियारे से ही होकर अपने कक्षाओं में जाती हैं। साथ ही स्कूल में किसी भी प्रकार की गुप्त शिकायत पेट्री नहीं रखी गई है स्कूल के प्रबंधन के लिए किसी भी निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया है हॉस्टल में हॉस्टल अधीक्षक से बात करने पर अपने वैसिक कार्यों के बारे में समुचित जानकारी न होना पाया गया।

07. समिति के द्वारा घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :-

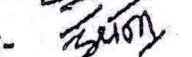
01. शिक्षक एवं छात्राओं की स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाए।
02. शौचालय/बाथरूम की दैनिक सफाई सुनिश्चित की जाए।
03. वार्डन को उनकी भूमिका एवं कर्तव्यों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिया जाए।
04. विमर्गाय निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग नियमित रूप से किया जाना उचित होगा।
05. बच्चों के लिए नियमित काउंसलिंग एवं स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

01. विशेष विशेष किशोर पुलिस ईकाई- 

02. जिला बाल संरक्षण अधिकारी- 

03. अध्यक्ष बालक मज्याण समिति- 

04. सदस्य बालक मज्याण समिति- 

05. सदस्य बालक मज्याण समिति- 


अनुभूत अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

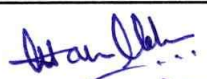
पारिशिष्ट - सोलह

पारेवातेत अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 330) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

प्रश्नांक 'क' की जानकारी- पशुधन विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित पशु औषधालयों की जिलेवार संख्या

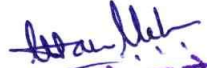
क्रमांक	जिले का नाम	संचालित पशु औषधालय की संख्या
1	2	3
1	रायपुर	35
2	बिलासपुर	37
3	बस्तर	36
4	दुर्ग	28
5	राजनांदगांव	40
6	रायगढ़	37
7	सरगुजा	29
8	दंतेवाड़ा	10
9	कांकेर	43
10	धमतरी	32
11	महासमुंद	44
12	कबीरधाम	24
13	कोरबा	30
14	जशपुर	27
15	जांजगीर चांपा	22
16	कोरिया	4
17	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर	8
18	नारायणपुर	5
19	बीजापुर	9
20	गरियाबंद	29
21	बलौदाबाजार	33
22	बेमेतरा	34
23	बालोद	45
24	मुंगेली	26
25	सूरजपुर	27
26	बलरामपुर	25
27	कोंड़ागांव	28
28	सुकमा	9
29	गोरेला पेंड्रा मरवाही	18
30	खैरागढ़-छुईखदान गंडई	21
31	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	15
32	सक्ती	20
33	सारंगढ़-बिलाईगढ़	14
योग		844


 (डॉ. मौसम मेहरा)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 पशुधन विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर अटल नगर (छ.ज.)

प्रपत्र 'ब'

प्रश्नांक 'क' की जानकारी- पशुधन विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों के स्वीकृत पदों की जिलेवार संख्या

क्रमांक	जिले का नाम	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों के स्वीकृत पद
1	2	3
1	रायपुर	67
2	बिलासपुर	34
3	बस्तर	38
4	दुर्ग	34
5	राजनांदगांव	28
6	रायगढ़	35
7	सरगुजा	34
8	दंतेवाड़ा	23
9	कांकेर	39
10	धमतरी	22
11	महासमुंद	22
12	कबीरधाम	19
13	कोरबा	24
14	जशपुर	32
15	जांजगीर चांपा	22
16	कोरिया	19
17	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर	14
18	नारायणपुर	10
19	बीजापुर	14
20	गरियाबंद	22
21	बलौदाबाजार	23
22	बेमेतरा	18
23	बालोद	24
24	मुंगेली	15
25	सूरजपुर	28
26	बलरामपुर	23
27	कोंड़ागांव	23
28	सुकमा	13
29	गोरेला पेंड्रा मरवाही	16
30	खैरागढ़-छुईखदान गंडई	9
31	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	12
32	सक्ती	13
33	सारंगढ़-बिलाईगढ़	16
योग		785


 (डॉ. मौसम मेहरा)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 पशुधन विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रश्नांक 'ख' की जानकारी- राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान गंडई जिले अंतर्गत पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की विधानसभावार जानकारी

क्र	जिले का नाम	जिले अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों के पदों का विवरण			रिमार्क
			स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	
1	2	3	4	5	6	7
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	14	13	1	राजनांदगांव जिले अन्तर्गत छुरिया, गेंदाटोला, एवं रतनभाठ, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र
		डोंगरगांव	6	6	0	
		डोंगरगढ़	4	3	1	
		खुज्जी	4	3	1	
2	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	खुज्जी	4	3	1	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले अन्तर्गत चौकी एवं चिल्हाटी खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत हैं।
		मोहला मानपुर	8	7	1	-
3	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	खैरागढ़	9	6	3	-



(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारिशेष्ट - सत्रह
परिवाह अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 352) की जानकारी

I/306009/2026

प्रपत्र

(क) जिला धमतरी अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 04/02/2026 अवधि तक मंडी बोर्ड अंतर्गत विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत निर्माण कार्यों की मय लागत जानकारी का विवरण :-

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 352

क्र.	जिला	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्यादेश क्र. /दिनांक	निविदा दर सहित लागत (रु. लाख में)	व्यय (रु. लाख में)	ठेकेदार का नाम	पूर्ण	अपूर्ण	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
1	धमतरी	सिहावा	2024-25	निरंक		0.00					
2	धमतरी	धमतरी	2024-25	निरंक		0.00					
3	धमतरी	कुरुद	2024-25	वि.सभा क्षेत्र कुरुद वि.खं. कुरुद/मगरलोड के अंतर्गत क्रमशः ग्राम पंचायत सेमरा-सी, चरोटा, कोसमरा, बगौद, परखदा, भैसमुडी, सिहाद, बोरझरा, रामपुर, जोरातराई (नं), सिधौरीखुर्द, अछोटी, बकली, नारी, मौरीकला, कोडेबोड, सिलतरा, फुसेरा, करगा, भाठागांव, दरबा, नवागांव (कचना), चारभाठा, बिरेझर, डेठा, हरदी, चंदना, नवागांव-बु, मोहरेंगा, परेवाडीह, भेण्डरी, साँगा, सरबदा, गाड़ाडीह-उ में विभिन्न 56 स्थानों में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	98/ 04.04.2025	533.57	424.18	श्री राम इंफाटेक, कुरुद	55	1	55 कार्य पूर्ण अंतिम देयक शेष तथा 01 स्थान पर जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य नहीं कराया गया।
4	धमतरी	कुरुद	2024-25	नवीन मंडी प्रांगण कुरुद में आवशन हाल 80.00 मी. X 30.00 मी. निर्माण कार्य। (01 कार्य)	202/ 16.04.2025	171.55	52.95	श्री राम इंफाटेक, कुरुद	0	1	ट्रस का कार्य प्रगतिरत
5	धमतरी	कुरुद	2024-25	जिला धमतरी वि. खं0 कुरुद के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंडेली मंदरौद कचना,पचपेडी तरागाँदी भेंण्ड्रा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (06 कार्य)	682/ 19.06.2025	165.84	0.00	मेसर्स जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, कुरुद	0	6	2 नग में स्लैब कार्य पूर्ण प्लास्टर कार्य प्रगतिरत, 01 कार्य स्लैब स्तर 03 कार्य पंचायत स्तर पर स्थल चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
6	धमतरी	कुरुद	2025-26 (04.02.2026)	कुरुद मंडी क्षेत्रांतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत क्रमशः जुगदेही, कोरा, भेण्डरा, बगदेही, मोंगरा, कमरौद, भाठागांव, बोरझरा, सिलीडीह, सेमरा-सी, जोरातराई-अ, सिवनीकला, नारी, मुरा, कोण्डापार, चरमुड़िया, दर्रा, मेघा, गिरौद, खैरझिटी, सुपेला, गोबरा, चंदना, चंद्रसुर, नवागांव-बु, भेण्डरी, हसदा नं. 01 एवं ग्राम पंचायत जुगदेही के सौराबांधा, ग्राम पंचायत तरागाँदी के टिपानी, ग्राम पंचायत सेनहाभाठा, ग्राम पंचायत करेली बड़े के खट्टी, ग्राम पंचायत हसदा नं. 01 के अमलीभाठा, नगर पंचायत भखारा-भठेली के भठेली में 35 नग शोड निर्माण कार्य।	1160/ 04.08.2025	714.48	0.00	मेसर्स जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, कुरुद	0	35	सभी कार्य प्रगतिरत है।

क्र.	जिला	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	कार्यादेश क्र. /दिनांक	निविदा दर सहित लागत (रु. लाख में)	व्यय (रु. लाख में)	टेकेंदार का नाम	पूर्ण	अपूर्ण	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
7	धमतरी	कुरुद	2025-26 (04.02.2026)	वि.स. क्षेत्र कुरुद वि.ख. कुरुद/मगरलोड अंतर्गत धान उपार्जन केन्द्र हीरा गाड़ाडीह, रामपुर, शिवनीकला, दर्रा, दरबा, जुगदेही, बगदेही, बगौद, कुहकुहा, कचना, भाटागांव, करेली बड़े, भेंडरी में स्वीकृत निर्माण कार्य :- (अ) 200 मेटन गोदाम 05 नग (ब)ओपन प्लेटफार्म 11 नग (स)किसान कुटीर 04 नग (द)कवर्ड शेड 07 नग (इ)बोरवेल सह पंप 03 नग (कुल 30 कार्य)	1160/ 04.08.2025	336.15	0.00	मेसर्स जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, कुरुद	0	30	200 मेटन गोदाम 04 प्रगतिरत, 01 अप्रारंभ ओपन प्लेटफार्म 03 नग प्रगतिरत, 08 अप्रारंभ किसान कुटीर 02 नग प्रगतिरत, 02 अप्रारंभ कवर्डशेड 02 प्रगतिरत, 05 अप्रारंभ बोरवेल 01 प्रगतिरत, 02 अप्रारंभ।
8	धमतरी	कुरुद	2025-26 (04.02.2026)	जिला धमतरी वि.स. क्षेत्र वि.ख. कुरुद अंतर्गत ग्राम/ग्राम पंचायत खपरी (सि), जोरातराई (सि), भेण्डरवानी, कन्हारपुरी, परसवानी (कोमरौद), हंचलपुर, पचपेड़ी, थुहा, नवागांव (थुहा), कानामुका (नवागांव कचना), दरबा, बगौद, दर्रा, गोबरा, करगा में 01 नग कवर्डशेड एवं ग्राम अटंग में 02 नग कवर्डशेड निर्माण कार्य। कुल 17 नग कार्य।	2359/ 16.12.2025	284.73	0	श्री राम इंफाटेक, कुरुद	0	17	14 कार्य प्रगतिरत एवं 02 नग में विद्युत तार अवरोध तथा 01 नग के स्थल चयन पंचायत स्तर पर लंबित।
महायोग (कुल 145 कार्य) :-						2206.32	477.13		55	90	

Digitally signed by

Vikas Mishra (विकास मिश्रा)

Date: 20-02-2026 सचिव

12:08:10

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोशेष्ट - अट्टारह

पारिवारिक अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 353) की जानकारी

प्रपत्र

जिलों से (85 आदिवासी विकासखण्डों) प्राप्त विभिन्न विकास मदों अंतर्गत जानकारी

क्र	योजना का नाम	वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26		कुल योग	
		स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृत कार्य संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकारण	3621.59	372	1728.06	170	5349.65	542
2	आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास अंतर्गत देवगुडी	731.00	378	541.00	179	1272	557
3	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	1434.83	24	189.00	2	1623.83	26
4	सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकारण	5019.99	608	4885.58	544	9905.57	1152
5	परब सम्मान निधि	190.30	1634	160.01	1633	350.31	3267
6	बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकारण	4405.29	809	2091.22	373	6496.51	1182
7	पीएम जनमन (आदिवासी क्षेत्र विकास कार्य)	389.50	7	0.00	0	389.5	7
8	धरती आबा योजना	0.00	0	675.68	77	675.68	77
9	शहीद वीर नारायण स्मृति कार्यक्रम	9.40	54	17.94	42	27.34	96
10	पण्डो विकास अभिकरण	75.00	14	75.00	10	150.00	24
11	जनजातीय गौरव दिवस	0.00	0	3.00	3	3.00	3
योग-		15876.90	3900	10366.49	3033	26243.39	6933


 अनुभाग अधिकारी
 आदिवासी विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशिष्ट - उन्नीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 386) की जानकारी

प्रपत्र

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित तहसीलों अभनपुर एवं गोबरा नवापारा में आर.बी.सी.6-4 के तहत खरीफ 2023, खरीफ 2024 एवं खरीफ 2025 में फसल क्षति का मुआवजा प्राप्त करने वाले एवं फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषकों की ग्राम पंचायतवार जानकारी

क्र.	मौसम	वर्ष	अभनपुर विधानसभा क्षेत्र				राजस्व पुस्तिका परिपत्र 6-4 अंतर्गत लाभान्वित कृषक की जानकारी		राजस्व पुस्तिका परिपत्र 6-4 में लाभान्वित कृषको में से संबंधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषक एवं दावा भुगतान की जानकारी	
			जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	राशि रु. में	कृषक संख्या	दावा भुगतान (राशि रु. में)
1	खरीफ	2023	रायपुर	गोबरा नवापारा	टोकरो	टोकरो	14	78769	5	निरंक
2					पारागांव	पारागांव	1	4725	0	
3					कोलियारी	कोलियारी	5	15230	0	
4					पिपरौद	पिपरौद	1	23220	0	
5					पटेवा	पटेवा	15	164420	1	
6					जौंदी	जौंदी	1	9315	1	
7					रामपुर उर्फ डंगनिया	रामपुर उर्फ डंगनिया	1	5400	0	
8					चेरिया	चेरिया	5	18803	5	
9					बंजारी	बंजारी	1	5200	0	
10					परसदा	परसदा	3	9600	1	
11					दुलना	दुलना	5	16000	2	
12					तर्री	तर्री	1	3200	0	
13					नवागांव	नवागांव	3	25170	0	
14					तामासिवनी	तामासिवनी	1	2970	0	
15					मानिकचौरी	मानिकचौरी	1	3468	0	
खरीफ 2023 योग							58	385490	15	
16	खरीफ	2024	रायपुर	अभनपुर	छछानपैरी	छछानपैरी	4	58300	0	निरंक
17					उपरवारा	उपरवारा	1	6000	0	
18				गोबरा नवापारा	नवागांव 35	नवागांव 35	8	49675	0	
19					दुलना	दुलना	1	4590	0	
खरीफ 2024 योग							14	118565	0	
20	खरीफ	2025	रायपुर	गोबरा नवापारा	नवागांव	नवागांव	8	38519	1	निरंक
21					घोंठ	घोंठ	66	320721	6	
22					गोबरा नवापारा	गोबरा नवापारा	16	30365	0	
23					छांटा	छांटा	164	650256	28	
24					सोनेसिल्ली	सोनेसिल्ली	49	103734	0	
25					सोंठ	सोंठ	24	128300	2	
26					पारागांव	पारागांव	10	21705	0	
27					कोलियारी	कोलियारी	29	88392	7	
खरीफ 2025 योग							366	1381992	44	
महायोग							438	1886047	59	

Digitally signed by
 Vikas Mishra
 Date: 20.02.2026
 13:41:40

(विकास मिश्रा)
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परीशेष्ट - बीस
पारेवातेत अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 405) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	बिल्डर/व्यक्ति/संस्था	ग्राम का नाम	खसरा क्रं.	रकबा (हे. में)	ई.डबल्यू.एस. हेतु आरक्षित भूमि (वर्ग मी. में)	वर्ष	निवेश क्षेत्र
1	मेसर्स साईनाथ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा भागीदार श्री संदीप सोनी, श्रीराम निवास, कंकालीपारा, कंकाली मंदिर के पास, जिला रायपुर	गोतियारडीह, सातपारा	ग्राम-गोतियारडीह 599, 600, 611, 615, 616/2, 618/1, 618/2, 619, 622, 624/2, 626, 627, 628/1, 628/2, 629, 630, 631, 634, 635, 636, 637, 638/1, 638/2, 639/1, 640, 642, 643/1, 643/2, 643/4, 644, 647/1, 647/2, 647/4, 705/4, ग्राम-सातपारा 324, 325, 331, 332, 333, 334, 1048, 1050, 1051, 1052, 1053	11.635	13402.0 (गोतियारडीह)	2014	अभनपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
2	मेसर्स जी.के. कालोनाईजर एंड बिल्डर लिमिटेड डायरेक्टर श्री विजय नागपुरे अशोका मिलियम, न्यू राजेन्द्र नगर जिला रायपुर	टेकारी	ग्राम-टेकारी 611, ग्राम-छछानपैरी 598/15, 598/16, 598/20,	3.658	682.00	2014	रायपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
3	भविष्य ट्रेड लिंक प्रा.लि., द्वारा डायरेक्टर श्री नरेश कुमार मतानिया, शॉप नं. 11 प्रथम तल पगरिया काम्पलेक्स, रायपुर	सिंगारभाठा	1461	3.720	771.00 sqm.	2014	रायपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
4	कार्यपालन अभियंता छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल संभाग 4 सेजबहार रायपुर छ0ग0	उरला	126/02	5.520	7710	2014	अभनपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
5	श्री सुनील रहेजा पिता श्री हीरानंद रहेजा, वरदान ग्रीन सिटी एल.एल.पी., जवाहर नगर रायपुर छ.ग.	खिलोरा	274, 275, 284, 287, 292, 293/3, 298	3.280	718.00	2015	रायपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
6	कार्यपालन अभियंता छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल संभाग 4 सेजबहार रायपुर छ0ग0	गोबरा नवापारा	111/2	26.245	24756.52	2016	गोबरा नवापारा निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
7	मदन लाल शर्मा पिता श्री दामोदर शर्मा जे/412 जनता कालोनी गुडियारी रायपुर	बेलभाठा	447/6, 447/1, 470, 469, 472, 473, 474, 475/1, 475/2, 486, 485, 484	2.930	4167.18	2016	अभनपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
8	मेसर्स मंगलम डेव्लपर्स द्वारा भागीदार मंगलचंद पंजवानी, पिता श्री घनश्याम दास, गोबरा नवापारा, रायपुर	गोबरा नवापारा	570/1, 570/2-8, 570/3, 570/4, 570/5, 570/6, 570/7, 559/4, 569/1, 557/1,	2.948	4389.94	2016	गोबरा नवापारा निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
9	मेसर्स श्री साई मंगलम, पार्टनर श्री किशोर नायक, मं. नं. 49, रीहि-सिहि रेसिडेंसी, अंबति विहार रायपुर	सिंगारभाठा	501/1, 501/2	5.250	7483.30	2017	रायपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
10		सातपारा				2017	अभनपुर

	मनोज अग्रवाल, पिता स्व. डी.बी. अग्रवाल, फ्लैट-04 बनियान टी खन्हारडीह शंकर नगर		1058/1, 1058/2, 1082/1, 1083, 1084, 1085/3, 1088/1, 1088/2, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1101, 1102/1, 1102/2	3.140	4419.75		निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
11	रायपुर सेंटर लैण्डमार्क प्रा.लि. डायरेक्टर श्री अजय कुमार शर्मा, पिता श्री स्वामीनाथ शर्मा, व्ही.आई.पी. चौक तेलीबांधा, रायपुर	अभनपुर	986/16, 987/1-2-4	3.719	4907.08	2017	अभनपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
12	श्री सोनल कुमार जैन, पिता श्री विनोद कुमार जैन, धमतरी रोड, उदय पेट्रोल पंप के सामने अभनपुर रायपुर	अभनपुर	1131/1(1131/18, 1131/19), 1131/2, 1132/3, 1131/4, 1131/5, 1131/6	1.848	2726.17	2017	अभनपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
13	मेसर्स रामपुरिया बिल्डर्स लि. डायरेक्टर श्री दिनेश रामपुरिया पिता श्री त्रिलोकचंद रामपुरिया श्रीमती शांति रामपुरिया, पति श्री जितेन्द्र रामपुरिया, श्रीमति कामिनी रामपुरिया, पति श्री दिनेश रामपुरिया, टावर तात्या पारा रायपुर	सिंगारभाठा	1514, 1516, 1517, 1518/1, 1518/2, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528/1, 1528/2, 1529, 1530, 1531, 1532/1, 1532/2, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541/1, 1541/2, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1558/1, 1559/1, 1559/2,	8.090	11115.00	2018	रायपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
14	मेसर्स क्राउन विला एवं डेवहलपर्स डायरेक्टर श्री अजय अग्रवाल पिता श्री शंभुलाल अग्रवाल रायपुर	छछानपैरी,	110/2, 112/3, 150/1, 150/6, 150/8, 151, 152/1, 152/2, 152/3, 153/3, 153/4, 153/5, 153/1, 153/6, 153/7, 153/9, 155/6, 156/1, 216/51, 216/55, 216/71, 252/6, 254/4, 255/1, 255/2, 257/1, 257/2, 258/1, 258/2, 258/5, 258/6, 258/7, 258/8, 258/9, 258/12, 259/2, 260/3, 260/4, 261/1, 261/2, 261/5, 261/6, 261/7, 261/8, 261/9, 261/1, 262/2, 262/3, 262/6, 265/3, 305/9, 305/10	16.685	25650.00	2019	अभनपुर विधानसभा क्षेत्र (निवेश क्षेत्र के बाहर)
15	महागणपति डेव्ह. भागी. श्री सौरभ केडिया पिता श्री अर्जुन लाल केडिया व अन्य जवाहर चौक	आमनेर	910(I), 911/1, 934/1, 934/2, 934/5, 935/1, 935/2, 936, 937, 938(P), 939, 941(P), 948/1, 948/2, 948/5, 948/6, 949 950, 951, 952, 953, 954/1(P), 954/2(P), 954/5(P),	4.559	6727.05	2019	अभनपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
16	मेसर्स दशमेश डेव्ह. भागीदार श्री हरमीत सिंग खनूजा पिता श्री जसपाल सिंह खनूजा वॉटर फंट शांप न 502 तेलीबांधा के सामने रायपुर	अभनपुर	15000, 1094/2, 1094/32, 1094/49, 1094/50	1.497	2678.13	2020	अभनपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
17	जी0के0 कन्स्ट्रक्शन कंपनी डाय श्री सुरेश अटलानी, अशोका मिलेनियम राजेन्द्र नगर, सिंग रोड नं. 01 रायपुर	उरला अभनपुर	144, 159/2, 159/6, 159/7, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 168/3, 169, 170, 171/1-2-3, 171/4, 171/5, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176, 177, 179, 180/4, 180/6, 181/10, 189/2, 189/3, 190, 191, 192, 193, 201/1, 204, 205/2, 206/2, 207, 208, 209/1, 226, 209/2, 209/3, 210, 209/4, 209/5, 212, 213, 214, 215, 218, 221, 222, 223, 224/1, 224/3, 224/4, 225, 227, 230, 231, 233, 234/1, 235/1, 234/3, 235/3, 234/4, 235/4, 234/7, 235/7, 279, 543/1, 543/3, 546/3, 547/1, 547/2, 547/3, 547/4, 548, 563/4, 224/2, 234/2(235/2), 234/5, (235/5), 234/6(235/6), 545, 563/1	32.499	48749.10	2022	अभनपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
18	मेसर्स अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर श्री	ठेलकाबांधा				2023	अभनपुर निवेश क्षेत्र

	स्वतंत्र प्रकाश अग्रवाल, पिता स्व. श्री नवरंग अग्रवाल, एच.आई.जी.-2 सेक्टर-01, शंकर नगर, जिला रायपुर		15000	14.180	21172.28		के अंतर्गत
19	मेसर्स गुलमोहर बाग, द्वारा भागीदार श्री रवि आहूजा, पिता श्री प्रभू आहूजा, मकान नं. 30 के सामने आनंद नगर रायपुर	खिलौरा	15001	6.170	8744.92	2025	रायपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत
20	मेसर्स आर.बी.एस. रियल्टीज द्वारा भागीदार श्री राघवेन्द्र चन्द्राकर पिता स्व. श्री नूपसिंह चन्द्राकर, रायपुर	टेकारी	618/1, 620/2, 732/1, 735/3, 735/6, 736, 747, 749/1, 749/2, 749/3, 749/4, 749/6, 749/7, 749/8, 749/9	6.360	9540.00	2025	अभनपुर विधानसभा क्षेत्र(निवेश क्षेत्र के बाहर)
21	शुभ ड्रीम होम्स प्रा.लि. द्वारा निर्देशक श्री संतोष लोहाना, पिता स्व. अशोक लोहाना, रायपुर	छछानपैरी, सलौनी	ग्राम-छछानपैरी 666/2(667/1, 667/2, 667/5, 667/6), 667/3(698/2), 667/4, 667/7, 667/8, 667/13, 669/8, 694/2, 694/4, 694/5, 694/7, 694/8, 694/9, 695/1, 697/3, 697/4, 700/5, 703/2, 697/1, 697/2, 692/4, 702/3, 702/4, 700/3, 669/7, 684/1, 700/2, 701/6, 704/1, 667/11, 697/5, 697/6, 697/7, 694/1 ग्राम- सलौनी 15005, 15006	12.513	17636.90	2025	अभनपुर विधानसभा क्षेत्र(निवेश क्षेत्र के बाहर)
22	ओम डेव्हलपर्स द्वारा पार्टनर श्री संतोष लोहाना पिता स्व. अशोक लोहाना, रायपुर	सलौनी	252/11, 252/14, 252/16, 252/17, 252/18, 252/19, 252/21, 252/26, 252/35, 253/1, 256/2, 257, 299/2, 299/6, 304, 305/1, 305/4, 252/8(Sh), 253/21, 253/22, 255/41, 255/42, 253/4, 253/5, 255/2, 255/14, 252/6, 252/9, 252/10, 252/15, 252/11, 252/5, 252/20, 252/27, 252/30, 252/31, 252/37, 305/3, 252/12, 256/1, 253/2, 255/15, 249/1(P), 252/36	10.909	16008.00	2025	अभनपुर विधानसभा क्षेत्र(निवेश क्षेत्र के बाहर)

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष - इक्कीस

परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 531) की जानकारी

प्रपत्र-अ

दिनांक 01/01/2024 से दिनांक 31/12/2025 तक की अवधि में मेसर्स करणीकृपा पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खैरझीटी एवं कौवाझर, जिला-महासमुंद के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	शिकायत का विवरण	शिकायत प्राप्ति दिनांक	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
वर्ष 2024					
1.	औद्योगिक प्रदूषण से मकान, बाड़ी, खेत और कुआ, तालाब प्रदूषण से प्रभावित।	11/07/2024	12/07/2024	निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित नहीं पाया गया।	उद्योग बंद होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
			30/07/2024	स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। उद्योग संचालित होना एवं स्थिति सामान्य पाई गई।	शिकायत प्राप्ति के पूर्व दिनांक 14/06/2024 को किये गये निरीक्षण में उद्योग के आईबिन प्रभाग से अत्यधिक मात्रा में फ्यूजिटिव उत्सर्जन अवलोकित किया गया तथा आई बिन प्रभाग तथा डेबिन प्रभाग में अत्यधिक मात्रा में डस्ट का जमाव पाया गया व हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। तत्संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 21/06/2024 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के धारा 31क के तहत नोटिस जारी किया गया था। दिनांक 30/07/2024 को किये गये निरीक्षण में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 01/08/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 5,52,000/- अधिरोपित की गई है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि उद्योग प्रबंधन द्वारा मंडल में जमा की गई है।
वर्ष 2025					
2.	उद्योग द्वारा संयंत्र स्थापना में किए गए नियमों की अवहेलना अमानक निर्माण, प्रदूषण संबंधी उल्लंघन के जांच विषयक	29/01/2025	29/01/2025	निरीक्षण के दौरान परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं स्टेक मॉनिटरिंग के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाये गये। एस.टी.पी. संचालित नहीं पाया गया। उद्योग के आंतरिक मार्गों में डस्ट का अधिक मात्रा में जमाव होना पाया गया व हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी।	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 30/01/2025 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के धारा 31क के तहत नोटिस जारी किया गया।
			22/02/2025	स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया है।	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 24/02/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 2,88,000/- अधिरोपित की गई है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि उद्योग प्रबंधन द्वारा मंडल में जमा की गई है।
3.	उत्पन्न औद्योगिक प्रदूषण के माध्यम से मानव जीवन, पशु जीवन, कृषि एवं सार्वजनिक संपत्ति को हो रहे नुकसान के संबंध में, प्लांट से निकलने वाले धुआं से रोकथाम एवं मृदा प्रदूषण तथा जल प्रदूषण पर रोक लगाने बाबत	सुशासन तिहार के माध्यम से दिनांक 17/01/2025 एवं 12/04/2025 को कुल 04 शिकायतें प्राप्त हुई।	25/04/2025	निरीक्षण के दौरान किलन क्रमांक-1 से लगे स्टेक से काले धुए का अधिक उत्सर्जन तथा सतत उत्सर्जन मॉनिटरिंग सिस्टम क्रियाशील नहीं पाया गया। आंतरिक मार्गों में डस्ट का अधिक मात्रा में जमाव पाया गया। रॉ-मटेरियल हैंडलिंग प्रभाग एवं कोल स्टाक क्षेत्र में भारी मात्रा में फ्यूजिटिव उत्सर्जन होना पाया गया साथ ही हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 28/04/2025 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के धारा 31क के तहत नोटिस जारी किया गया।

			नहीं पायी गयी।	
			30/04/2025 एवं 02/05/2025	स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया है।
				छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 05/05/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 1,68,000/- अधिरोपित की गई है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि उद्योग प्रबंधन द्वारा मंडल में जमा की गई है।
4.	औद्योगिक प्रदूषण से किसानों की धान खराब होने संबंधी	छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग से दिनांक 27.02.2025 को प्राप्त शिकायत	20/05/2025	निरीक्षण के दौरान किल्ले क्रमांक-2 के समीप आंतरिक मार्ग का पक्कीकरण नहीं किया जाना पाया गया। स्पंज आयरन के समीप स्थापित स्प्रिंकलर्स पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।
			18/07/2025	स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया है।
				सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।


 अनुभान अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

उद्योग का वर्ष 2024 एवं 2025 की अवधि में किये गये निरीक्षण, पाई गई स्थिति एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
मेसर्स करणीकृपा पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खैरझिटी एवं कौवाझर, तहसील व जिला-महासमुंद	14/06/2024	निरीक्षण के दौरान उद्योग के आईबिन प्रभाग से अत्यधिक मात्रा में फ्यूजिटिव उत्सर्जन अवलोकित किया गया तथा आई बिन प्रभाग तथा डेबिन प्रभाग में अत्यधिक मात्रा में डस्ट का जमाव पाया गया व हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।		छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 21/06/2024 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के धारा 31क के तहत नोटिस जारी किया गया।
	12/07/2024	उद्योग उत्पादनरत नहीं पाया गया।		बंद पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
	30/07/2024	स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। उद्योग संचालित होना एवं स्थिति सामान्य पाई गई।		छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 01/08/2024 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 5,52,000/- अधिरोपित की गई है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि उद्योग प्रबंधन द्वारा मंडल में जमा की गई है।
	03/10/2024	स्थिति सामान्य पाई गई।		सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
	26/10/2024	स्थिति सामान्य पाई गई।		सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
	14/12/2024	स्थिति सामान्य पाई गई।		सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
	29/01/2025	निरीक्षण के दौरान परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं स्टैक मानिटरिंग के परिणाम निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाये गये। एस.टी.पी. संचालित नहीं पाया गया। उद्योग के आंतरिक मार्गों में डस्ट का अधिक मात्रा में जमाव होना पाया गया व हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी।		छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 30/01/2025 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के धारा 33क एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के धारा 31क के तहत नोटिस जारी किया गया।
	22/02/2025	स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया है।		छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 24/02/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 2,88,000/- अधिरोपित की गई है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि उद्योग प्रबंधन द्वारा मंडल में जमा की गई है।
	25/04/2025	निरीक्षण के दौरान किल्ल क्रमांक-1 से लगे स्टैक से काले धुएँ का अधिक उत्सर्जन तथा सतत उत्सर्जन मानिटरिंग सिस्टम के परिणाम स्थिर पाये गये। आंतरिक मार्गों में डस्ट का अधिक मात्रा में जमाव पाया गया। रॉ-मटेरियल हैंडलिंग प्रभाग एवं कोल स्टैक क्षेत्र में भारी मात्रा में फ्यूजिटिव उत्सर्जन होना पाया गया साथ ही हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी।		तत्सम्बंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 28/04/2025 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के धारा 31क के तहत नोटिस जारी किया गया।
	30/04/2025 एवं 02/05/2025	स्थल का निरीक्षण किया गया। नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया है।		छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 05/05/2025 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 1,68,000/- अधिरोपित की गई है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि उद्योग प्रबंधन द्वारा मंडल में जमा की गई है।
	20/05/2025	निरीक्षण के दौरान किल्ल क्रमांक-2 के समीप आंतरिक मार्ग का पक्कीकरण नहीं किया जाना पाया गया। स्पंज आयरन के		छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 01/07/2025 के द्वारा वायु

	समीप स्थापित स्प्रिंकलर्स पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के धारा 31क के तहत नोटिस जारी किया गया।
26/06/2025	उद्योग उत्पादनरत नहीं पाया गया।	बंद पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
18/07/2025	स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया है।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
27/09/2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।
29/10/2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	सामान्य स्थिति पाए जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - बाईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 748) की जानकारी

प्रपत्र-अ

मुंगेली जिला अंतर्गत भवनयुक्त एवं भवनविहीन आश्रम/छात्रावासों की जानकारी।

भवनयुक्त आश्रम/छात्रावास			
क्र0	विकास खण्ड	संस्था का नाम	रिर्माक
1	2	3	4
1	मुंगेली	पो.मै.अनु.जा.क.छात्रावास मुंगेली	
2	मुंगेली	पो.मै.अनु.जा.बा.छात्रा0 फास्टरपुर	
3	मुंगेली	प्री.मै.अनु.जा.बा.छात्रा.फास्टरपुर	
4	मुंगेली	प्री.मै.अ.जा.बा.पुराना छात्रा.मुंगेली	
5	मुंगेली	प्री.मै.आदिवासी बा.छात्रा. मुंगेली	
6	मुंगेली	प्री.मै.अनु.जा.बा.छात्रा.जरहागांव	
7	मुंगेली	प्री.मै.अनु.जा.क.छात्रा.जरहागांव	
8	मुंगेली	प्री.मै.अनु.जा.क.छात्रावास मुंगेली	
9	मुंगेली	प्री.मै.आदिवासी क.छात्रा.मुंगेली	
10	मुंगेली	आदिवासी कन्या आश्रम मुंगेली	
11	मुंगेली	प्री.मै.अनु.जा.बा.नवीन छात्रा. मुंगेली	
12	लोरमी	पो.मै.अनु.जा.क.छात्रा. लोरमी	
13	लोरमी	प्री.मै.अनु.जा.बा.छात्रा. लोरमी	
14	लोरमी	प्री.मै.आदिवासी बा.छात्रा. लोरमी	
15	लोरमी	प्री.मै.आदिवासी बा.छात्रा. डिंडौरी	
16	लोरमी	प्री.मै.आदि.बा.छात्रा. निवासखार	
17	लोरमी	आदि. बालक आश्रम छपरवा	
18	लोरमी	प्री.मै.अनु.जा.बा.छात्रा. राम्हेपुर	
19	लोरमी	आदि.बा.आश्रम लमनी	
20	लोरमी	प्री.मै.अनु.जा.बा.छात्रा. बरमपुर	
21	लोरमी	प्री.मै.आदिवासी क.छात्रा. लोरमी	
22	लोरमी	अनु.जाति.क.आश्रम लोरमी	
23	लोरमी	आदि.क.आश्रम लोरमी	
24	लोरमी	प्री.मै.अनु.जा.क.छात्रा. लोरमी	
25	लोरमी	प्री.मै.अनु.जा.क.छात्रा. लालपुर	
26	पथरिया	पो.मै.अनु.जा.क.छात्रा. पथरिया	
27	पथरिया	प्री.मै.अनु.जाति क.छात्रा. पथरिया	
28	पथरिया	पो.मै.अनु.जन.जा.क.छात्रा. पथरिया	
29	पथरिया	प्री.मै.आदिवासी क.छात्रा.पथरिया	
30	पथरिया	प्री.मै.अनु.जा.बा.छात्रा. पथरिया	

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
पंजालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

31	पथरिया	आदिवासी बा.आश्रम कुकुसदा	
भवन विहीन आश्रम/छात्रावास			
क्र0	विकास खण्ड	संस्था का नाम	वर्तमान संचालन की स्थिति
1	2	3	4
32	मुंगेली	पो.मै.अनु.जा.बा.छात्रावास मुंगेली	किराये के भवन में।
33	लोरमी	प्री.मै.आदिवासी बा.छात्रा. खुड़िया	अन्य शासकीय भवन (समरसता भवन) में
34	लोरमी	पो.मै.आदिवासी बा.छात्रा. खुड़िया	
35	लोरमी	प्री.मै.आदिवासी क.छात्रा. खुड़िया	अन्य शासकीय भवन (जल संसाधन विभाग के)
36	लोरमी	पो.मै.आदिवासी क.छात्रा. खुड़िया	
37	लोरमी	पो.मै.अनु.जा.बा.छात्रा. लोरमी	किराये के भवन में।

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

प्रपत्र-ब

छात्रावासों में अनुक्षण/लघु निर्माण मद से कराये गये कार्यों की जानकारी।

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	भौतिक स्थिति			वित्तीय प्रगति		कार्य एजेंसी का नाम	टेकेदार का नाम
			पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	स्वीकृत राशि	व्यय राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2025-25	प्री.मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास पथरिया में मरम्मत कार्य	पूर्ण	-	-	200000.00	186507.00	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मुंगेली	श्री मोचन लाल राय बिलासपुर
2		प्री.मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास मुंगेली	पूर्ण	-	-	1011000.00	984885.00		
3		पो.मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास पथरिया में मरम्मत कार्य	पूर्ण	-	-	200000.00	149070.00		
4		प्री.मै. अनु. जाति बालक (नवीन) छात्रावास मुंगेली में मरम्मत कार्य	पूर्ण	-	-	605000.00	103198.00		
5		प्री.मै. अनु. जाति बालक छात्रावास रामहेपुर में मरम्मत कार्य	पूर्ण	-	-	179000.00	154151.00		
6		प्री.मै. अनु. जाति कन्या छात्रावास मुंगेली में मरम्मत कार्य	पूर्ण	-	-	1631000.00	62031.00		
7		प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास डिण्डौरी में शौचालय निर्माण	80% पूर्णता पर	-	-	500000.00	0.00000	विजय कुमार शर्मा पंडरिया	श्री रामविलास चंद्रवंशी कवर्धा
8		प्री.मै.अनुसूचित जाति बालक छात्रावास लोरमी में आवाता निर्माण	डोर लेवल	-	-	1000000.00	0.00000		
योग						5326000.00	1639842.00		

अनुभाष अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, मद्रास रोड, नया रायपुर

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य मद से जेम पोर्टल द्वारा कय सामग्री, राशि एवं आपूर्तिकर्ता की जानकारी।

क्र.	सामग्री का नाम	संख्या	दर	राशि	देयक क.व दिनांक	आपूर्तिकर्ता के नाम	प्रक्रिया
1	2	3	4	5	6	7	8
1	metal bed	100	4237.40	500000.00	211 / 20.01.26	ARVIND INDUSTRIES FY Raipur 22AFQPA3850H2Z0	जेम पार्टल
2	mattress	100	4203.40	496000.00	212 / 20.1.26		—
3	Tubelight	950	423.74	475000.00	210 / 20.1.26		—
4	Almirahsteel	25	12712	375000.00	213 / 20.1.26		—
5	Harpic	800	35.17	33200.00	214 / 20.1.26		—
योग—				1879200.00			
1	badminton net poke	5	2280	11400.00	28 / 16.1.26	मेसर्स साक्षी इंटरप्राइजेस पेन्द्रा जिला गौरेला,मरवाही 22BDWPR2911K1Z6	—
2	medicin ball	1	3490	3490.00	27 / 16.1.26		—
3	medicin ball	1	1999	1999.00	26 / 16.1.26		—
4	medicin ball	1	3260	3260.00	25 / 16.1.26		—
5	sport net	1	6483	6483.00	30 / 21.1.26		—
6	knee braces	4	2280	9120.00	23 / 21.1.26		—
7	kechar giove	4	4320	17280.00	22 / 16.1.26		—
8	medicin ball	5	1960	9800.00	21 / 16.1.26		—
9	Javelinsbhalla	3	3650	10950.00	24 / 16.1.26		—
10	Javelinsbhalla	3	4360	13080.00	29 / 16.1.26		—
11	Hammer throw	1	4020	4020.00	19 / 16.1.26		—
12	Hammer throw	1	4250	4250.00	20 / 16.1.26		—
13	criket bat	5	3440	17200.00	16 / 16.1.26		—
14	volley ball net	2	5279	10558.00	15 / 21.1.26		—
15	skipping rope	17	390	6630.00	42320 / 23.1.26		—
16	medicin ball	2	2600	5200.00	42420 / 16.1.26		—
17	medicin ball	2	2499	4998.00	42520 / 16.1.26		—
योग—				139718.00			
1	ARCHERY RECURCE BOW	2	14936.44	35250.00	41620 / 21.1.26	Sakshee sports stationery pendra 22AIZPR6060Q1Z9	—
2	ARCHERY RECURCE BOW	2	16855.93	39780.00	41820 / 21.1.26		—
3	ARCHERY RECURCE BOW	3	13093.22	46350.00	40320 / 21.1.26		—
4	ARCHERY RECURCE BOW	1	14050.84	16580.00	40220 / 21.1.26		—
5	ARCHERYARROWS	485	211.86	121250.00	41420 / 21.1.26		—
6	TOOL BAG	20	1516.10	35780.00	41720 / 21.1.26		—
7	ARCHERY TARGET FACE	100	8947	10000.00	41520 / 21.1.26		—
8	ARCHERY TARGET FACE	600	20.00	12000.00	40420 / 21.1.26		—
9	COATED PAPER AND BOARD	15	71.43	1125.00	40520 / 21.1.26		—
10	RUBBER DIAPHRAGMS	20	237.29	5600.00	40720 / 21.1.26		—
11	CRICKET HAND GUAD	10	300	3150.00	40620 / 21.1.26		—
12	ARCHERYARROWS	50	338.19	19950.00	40920 / 12.1.26		—
13	GLUE STICK	20	168.64	3980.00	40820 / 21.1.26		—
14	ARCHERY RECURCE BOW	5	1949.15	11500.00	41020 / 21.1.26		—
15	ARCHERY RECURCE BOW	3	4406.78	15600.00	41120 / 21.1.26		—
16	MOLYBENUM WIRE	5	3388.08	19995.00	41220 / 21.1.26		—
17	THREAD PLUG GAUGE	5	3002.54	17715.00	41320 / 21.1.26		—
योग—				415605.00			

क.	सामग्री का नाम	संख्या	दर	राशि	देयक क.व दिनांक	आपूर्तिकर्ता के नाम	प्रक्रिया
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Socks	200	190.48	10000.00	39420 / 21.1.26	Sakshee sports stationery pendra 22AIZPR6060Q1Z9	--
19	SHORTS	200	238.10	50000.00	43020 / 27.1.26		--
20	T-SHIRT	200	238.10	50000.00	39620 / 20.1.26		--
21	SHOES	50	803.57	45000.00	39520 / 20.1.26		--
22	SHOES	50	802.68	44950.00	42920 / 29.1.26		--
योग-				199950.00			
23	DESK AND BENNCH	58	5000	290000.00	38 / 31.1.26	साक्षी इंटरप्राइजेस पेण्ड्रा	--
24	DESK AND BENNCH	28	5000	140000.00	39 / 31.1.26		--
25	desktop computer	2	114500	229000.00	33 / 28.1.26		--
26	TRACK SUIT	100	892.86	100000.00	40020 / 21.1.26	Sakshee sports stationery pendra 22AIZPR6060Q1Z9	--
योग-				759000.00			
महायोग-				3393473.00			


 अनुभाग अधिकारी
 आदिप्र जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

पारिशेष - तेईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 784) की जानकारी

प्रपत्र-

ट्रायबल म्यूजियम निर्माण कार्य हेतु मदवार जानकारी

क्र	मद का नाम	प्राप्त राशि (रु.)
1	मांग संख्या 33/2225/02/001/0802/3728 आदिवासी संस्कृति का संवर्धन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास-24 अनुरक्षण कार्य-003	1,00,00,000
2	मांग संख्या 33/2225/02/001/3728 आदिवासी संस्कृति का संवर्धन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास-72 साज-सजा पर व्यय	3,00,00,000
3	मांग संख्या 33/2225/02/001/3728 आदिवासी संस्कृति का संवर्धन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास-72 साज-सजा पर व्यय	3,14,00,000
4	मांग संख्या 33/2225/02/001/3728 आदिवासी संस्कृति का संवर्धन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास-72 साज-सजा पर व्यय	1,40,00,000
योग:-		8,54,00,000


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति विकास विभाग
अनुसूचित जाति विकास विभाग
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक **12 4 MAR 2025**

कमांक एफ-16-65/2023/25-2 :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2024 द्वारा नवनिर्मित आदिवासी संग्रहालय, के आंतरिक एवं बाह्य साज-सज्जा हेतु राशि रुपये 714.14 लाख (रुपये सात करोड़ चौदह लाख चौदह हजार मात्र) के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रुपये 714.14 लाख (रुपये सात करोड़ चौदह लाख चौदह हजार मात्र) के स्थान पर नियमानुसार निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत निविदा स्वीकृति की शर्त पर नवनिर्मित आदिवासी संग्रहालय, के आंतरिक एवं बाह्य साज-सज्जा के कार्य की लागत राशि रुपये 909.58 लाख (रुपये नौ करोड़ नौ लाख अनठावन हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय (प्राक्कलन अनुसार) निम्नानुसार कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान करता है-

(Rs. in Lakhs)

Sr No	Item	AMOUNT
1.	नवनिर्मित आदिवासी संग्रहालय के आंतरिक एवं बाह्य साज-सज्जा हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि	714.14
2.	Consultancy Fee	13.27
3.	Construction of Male Toilet	15.00
4.	Construction of Female Toilet	15.00
5.	Providing and fixing of Digital equipment at the Museum	97.17
6.	External electrification work	20.00
7.	Construction of Water sump well Drain & Water supply work	15.00
8.	Levelling and filling of existing undulated area	20.00
	Total	909.58

(रुपये नौ करोड़ नौ लाख अनठावन हजार मात्र)

3/ उक्त प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रुपये 909.58 लाख (रुपये नौ करोड़ नौ लाख अनठावन हजार मात्र) का व्यय बजट की उपलब्धता अनुसार सामग्री पूर्ति/कार्य की आवश्यकता का आंकलन कर शासन हित सुनिश्चित करते हुए भण्डार कय नियम एवं वित्तीय निर्देशों का पालन करते हुये किया जावे।

4/ अनुबंध के समय कार्य आदेश से केवल 03 माह की समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5/ उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में प्रावधानित मांग संख्या-41, मुख्य शीर्ष-4225, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 102-आर्थिक विकास, 0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना-राज्यांश 7844-शहीद वीर नारायण स्मारक एवं संग्रहालय, # 97-निर्माण कार्य, 001-भवन मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

27/2/21

अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

6/ इस स्वीकृति पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के जावक क्रमांक 393/वित्त विभाग/ब-3/मंत्रालय, दिनांक 10-03-2025 द्वारा सहमति प्रदान किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी.क. राजपूत)
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

~~आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि., पि.वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.भाग~~

पृ. क्रमांक/एफ 16-65/2023/25-2,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक **24 MAR 2025**

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
2. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.)
5. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक-4डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)
6. संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुरखौती मुक्तांगन के समीप, सेक्टर -24, नवा रायपुर अटल नगर।
7. वित्तीय सलाहकार, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
8. मुख्य अभियंता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नोडल अधिकारी आदिवासी विकास छत्तीसगढ़ रायपुर
8. कार्यपालन अभियंता, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ। कृपया समय-समय पर निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण कर कार्य की प्रगति से इस विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर छ.ग.
11. आर्डर बुक हेतु

(बी.क. राजपूत)
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

~~आ.जा.वि.वि., अनु.जा.वि.वि., पि.वर्ग एवं अ.सं.वि.वि.भाग~~

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर (छ.ग.)

Phone No. And Fax No.-0771-2426831

E-Mail- actd.raipur@nic.in

क्रमांक/ 1535 /आदि.वि/निर्माण/2025

रायपुर, दिनांक :- 11/08/2025

प्रति,

संचालक,
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
सेक्टर 24 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।

विषय:- आदिवासी संग्रहालय में आंतरिक एवं बाह्य साज-सज्जा कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान सेक्टर 24 नवा रायपुर अटल नगर में आदिवासी संग्रहालय में आंतरिक एवं बाह्य साज-सज्जा कार्य कराया जा चुका है। इस संबंध में दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्राप्त आबंटन के विरुद्ध पृथक-पृथक उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न:- उपयोगिता प्रमाण पत्र

पृ.क्रमांक/ 1536 /आदि.वि/निर्माण/2025
प्रतिलिपि :-

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास रायपुर
रायपुर, दिनांक :- 11/08/2025

आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, रायपुर

FORM GFR 12C

GENERAL FINANCIAL RULES 2017
Ministry of Finance
2. Department of Expenditure

GFR 12-C
 ((See Rule 239))

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE (FOR STATE GOVERNMENT)
 (Where expenditure incurred by Govt. bodies only)

S no.	Latter no. and date	Amount	Amount Utilized
1	N0. 3993 TRI dated 15.02.2022	1,00,00,000=00	1,00,00,000=00

Certified that I have satisfied myself that the condition on which the grants-in-aid was sanctioned have been fulfilled are/ being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the propose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised


 ASSISTANT COMMISSIONER
 TRIBAL DEPARTMENT RAIPUR (C.G.)

PS: The UC Shall disclose separately the actual expenditure incurred and loans and advances given to suppliers of stares and assets, to construction agencies and like in accordance with scheme guidellnes and in furtherance to the scheme objectives, which do not constitute expenditure of the stage. These shall be treated as utillized grants but allowed to be carried forward.

FORM GFR 12C

GENERAL FINANCIAL RULES 2017
Ministry of Finance
2. Department of Expenditure

GFR 12-C
 [(See Rule 239)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE (FOR STATE GOVERNMENT)
(Where expenditure incurred by Govt. bodies only)

S no.	Latter no. and date	Amount	Amount Utilized
1	N0. 1623 TRI dated 13.09.2024	3,00,00,000=00	3,00,00,000=00

Certified that I have satisfied myself that the condition on which the grants-in-aid was sanctioned have been fulfilled are/ being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the propose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised


 ASSISTANT COMMISSIONER
 TRIBAL DEPARTMENT RAIPUR (C.G.)

PS: The UC Shall disclose separately the actual expenditure incurred and loans and advances given to suppliers of stares and assets, to construction agencies and like in accordance with scheme guidelines and in furtherance to the scheme objectives, which do not constitute expenditure of the stage. These shall be treated as utilized grants but allowed to be carried forward.

FORM GFR 12C

GENERAL FINANCIAL RULES 2017
Ministry of Finance
2. Department of Expenditure

GFR 12-C
 [(See Rule 239)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE (FOR STATE GOVERNMENT)
 (Where expenditure incurred by Govt. bodies only)

S no.	Latter no. and date	Amount	Amount Utilized
1	N0. 259 TRI dated 22.04.2025	3,14,00,000=00	3,14,00,000=00

Certified that I have satisfied myself that the condition on which the grants-in-aid was sanctioned have been fulfilled are/ being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the propose for which it was sanctioned.
 Kinds of checks exercised

ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEPARTMENT RAIPUR (C.G.)

PS: The UC Shall disclose separately the actual expenditure incurred and loans and advances given to suppliers of stores and assets, to construction agencies and like in accordance with scheme guidelines and in furtherance to the scheme objectives, which do not constitute expenditure of the stage. These shall be treated as utilized grants but allowed to be carried forward.

अनुभाग अधिकारी
आदिवासी जाति विकास विभाग
राज्यपाल भवन, नवा रायपुर

पारोशेष्ट - चौबीस

पारोशेष्ट अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 805) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 805 श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा									
मंडी बोर्ड के अंतर्गत जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के विकास कार्यों की जानकारी									
कार्य सरल क्र.	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	जनप्रतिनिधि का नाम	प्रस्ताव क्रमांक/ दिनांक	कार्य का नाम	पत्र अनुसार प्रस्तावित राशि रु. लाख में	स्वीकृत	लंबित	अस्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	खैरागढ़-छुई खदान-गंडई	2024-25	निरंक						
मान. विधायक श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा से प्राप्त विकास कार्यों की जानकारी									
1	खैरागढ़-छुई खदान-गंडई	2025-26	श्रीमति यशोदा निलाम्बर वर्मा विधायक खैरागढ़, विधायक क्षेत्र क्र. 73	130 / 11.07. 2025	ग्राम पाटा, ग्राम पंचायत गांतापारनाका वि.ख. छुईखदान में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.00	—	1	—
2					ग्राम कुकरीटोला ग्राम पंचायत चोरलाडीह वि.ख. छुईखदान में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.00	—	1	—
3					ग्राम पंचायत सण्डी, वि.ख. खैरागढ़ में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.00	—	1	—
4					ग्राम पंचायत मण्डला वि.ख. खैरागढ़ में नाली एवं सी.सी. रोड वार्ड क्र. 04 निर्माण कार्य	5.00	—	1	—
5					ग्राम पंचायत पवनतरा वि.ख. खैरागढ़ में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.00	—	1	—
6					ग्राम पंचायत धनगांव वि.ख. खैरागढ़ में सी.सी. रोड निर्माण कार्य अमरसिंग साहू के घर से राजेन्द्र वर्मा के घर तक।	5.00	—	1	—
7					ग्राम पंचायत देवरच्चा वि.ख. छुईखदान में किसान कुटीर निर्माण कार्य	15.00	—	1	—
8					ग्राम पंचायत लिमतरा वि.ख. खैरागढ़ में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.00	—	1	—
9					मग्राम पंचायत मडौदा वि.ख. खैरागढ़ में सी.सी. रोड निर्माण कार्य वार्ड क्र. 04	5.00	—	1	—
10	खैरागढ़-छुई खदान-गंडई	2025-26	श्रीमति यशोदा निलाम्बर वर्मा विधायक खैरागढ़, विधायक क्षेत्र क्र. 73	161 / 04.08. 2025	ग्राम कोरुवा पंचायत भौथली वि. ख. छुईखदान में किसान भवन निर्माण कार्य	10.00	—	1	—
11					ग्राम खमतलाई पंचायत दिलीपपुर वि.ख. खैरागढ़ में मंच के सामने सी.सी. रोड निर्माण कार्य	10.00	—	1	—

कार्य सरल क्र.	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	जनप्रतिनिधि का नाम	प्रस्ताव क्रमांक / दिनांक	कार्य का नाम	पत्र अनुसार प्रस्तावित राशि रु. लाख में	स्वीकृत	लंबित	अस्वीकृत
12	खैरागढ़-छुई खदान-गंडई	2025-26	श्रीमति यशोदा निलांम्बर वर्मा विधायक खैरागढ़, विधायक क्षेत्र क.	161 / 04.08. 2025	ग्राम भेंडरा, पंचायत उर्तुली वि.ख. छुईखदान में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.00	—	1	—
13					ग्राम नादिया पंचायत नादिया वि. ख. छुईखदान में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.00	—	1	—
14					ग्राम चुलगुड़ा पंचायत चुलगुड़ा वि.ख. छुईखदान में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	10.00	—	1	—
15					ग्राम नवागांव पंचायत मुतेड़ा वि. ख. खैरागढ़ में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	10.00	—	1	—
योग (15 कार्य)						105.00		15	
अन्य जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव की जानकारी									
16	खैरागढ़-छुई खदान-गंडई	2025-26	श्री डोंगरू राम साहू, सरपंच, ग्राम पंचायत, भुरभुसी	12 / 27. 07.2025	ग्राम पंचायत भुरभुसी में नाली निर्माण कार्य फालेन्द्र सतनामी के घर से बाबुराम के घर तक	7.00	—	—	1
17					ग्राम पंचायत भुरभुसी में सी.सी. रोड निर्माण वार्ड 05	5.00	—	—	1
18					ग्राम पंचायत भुरभुसी में शा.प्रा. शा. प्रांगण में कवर्ड शेड निर्माण	8.00	—	—	1
19					ग्राम पंचायत भुरभुसी में सांस्कृतिक मंच निर्माण वार्ड क्र. 10	2.00	—	—	1
योग (04 कार्य) :-						22.00			4
20	खैरागढ़-छुई खदान-गंडई	2025-26	श्रीमति पुष्पा प्रकाश वर्मा अध्यक्ष, जनपद पंचायत छुईखदान	09 / 28. 07.2025	ग्राम पंचायत भुरभुसी में सी.सी. रोड मन्तू घर से समे यादव के घर तक	14.00	—	—	1
21					ग्राम पंचायत भुरभुसी में कबीर कुटी में मंगल भवन निर्माण कार्य	5.00	—	—	1
22					ग्राम पंचायत भुरभुसी में जैतखाम मरम्मत वार्ड 01 एवं 11 में टाइल्स एवं ग्रील निर्माण	1.50	—	—	1
योग (03 कार्य) :-						20.50			3

कार्य सरल क.	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	जनप्रतिनिधि का नाम	प्रस्ताव क्रमांक/ दिनांक	कार्य का नाम	पत्र अनुसार प्रस्तावित राशि रु. लाख में	स्वीकृत	लंबित	अस्वीकृत
23	खैरागढ़-छुई खदान-गंडई	2025-26	श्रीमति तारा अश्वन धुर्वे, सरपंच, ग्राम पंचायत नचनिया, द्वारा विशेष सहायक उप मुख्यमंत्री छ.ग. शासन	24 / 11. 09.2025	ग्राम पंचायत नचनिया वि.खं. छुईखदान में नवीन खाद्यान्न भवन निर्माण कार्य	0.00	—	—	1
योग (01 कार्य) :-						0.00			1
24	खैरागढ़-छुई खदान-गंडई	2025-26	श्रीमति भुनेश्वरी जीवन देवांगन, सभापति जिला पंचायत जिला के. सी.जी. द्वारा विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा	00105 / 15.09. 2025,	ग्राम पंचायत परसाही ग्राम कोपेनवागांव में सी.सी. रोड निर्माण (विध्यवासिनी परिसर तक)	10.00	—	—	1
25					ग्राम पंचायत भंडारपुर ग्राम भंडारपुर में कृषक सहकारी सेवा केन्द्र तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	20.00	—	—	1
26					ग्राम पंचायत भंडारपुर ग्राम भंडारपुर में धान खरीदी केन्द्र सी.सी. रोड निर्माण।	30.00	—	—	1
27					ग्राम पंचायत टोलागांव ग्राम टोलागांव में धान खरीदी केन्द्र में शेड एवं चबूतरा निर्माण	20.00	—	—	1
28					ग्राम पंचायत टोलागांव ग्राम टोलागांव में धान खरीदी केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण।	10.00	—	—	1
29					ग्राम पंचायत गातापारकला ग्राम गातापारकला में धान खरीदी केन्द्र में शेड निर्माण।	20.00	—	—	1
30					ग्राम पंचायत गातापारकला मे ग्राम गातापारकला में दैनिक सब्जी बाजार मे शेड निर्माण।	10.00	—	—	1
31					ग्राम पंचायत भंडारपुर ग्राम बनबोड़ में सी.सी. रोड निर्माण।	5.00	—	—	1
32					ग्राम पंचायत चारभाठा ग्राम चारभाठा में चारभाठा से गोपालपुर पहुँच मार्ग में पुलिया निर्माण।	15.00	—	—	1

कार्य सरल क.	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	जनप्रतिनिधि का नाम	प्रस्ताव क्रमांक/ दिनांक	कार्य का नाम	पत्र अनुसार प्रस्तावित राशि रु. लाख में	स्वीकृत	लंबित	अस्वीकृत
33	खैरागढ़-छुई खदान-गंडई	2025-26	श्रीमति भुनेश्वरी जीवन देवांगन, सभापति जिला पंचायत जिला के. सी.जी. द्वारा विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा	00105 / 15.09. 2025,	ग्राम पंचायत करेला ग्राम जगन्नाथपुर में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	5.00	—	—	1
34					ग्राम पंचायत महरूमकला ग्राम महरूमकला में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	10.00	—	—	1
35					ग्राम पंचायत महरूमकला ग्राम महरूमकला में पक्का नाली निर्माण कार्य।	10.00	—	—	1
36					ग्राम पंचायत चारभांठा ग्राम चारभांठा में पक्का नाली निर्माण कार्य।	5.00	—	—	1
37					ग्राम पंचायत टोलागांव ग्राम टोलागांव में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	5.00	—	—	1
38					ग्राम पंचायत बड़ईटोला ग्राम बड़ईटोला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00	—	—	1
39					ग्राम पंचायत मरकामटोला ग्राम मरकामटोला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	20.00	—	—	1
40					ग्राम पंचायत तुलसीपुर ग्राम छेछानपहरी में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00	—	—	1
41					ग्राम पंचायत बल्देवपुर ग्राम बल्देवपुर में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	5.00	—	—	1
42					ग्राम पंचायत मदनपुर ग्राम गोपालपुर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	6.50	—	—	1
43					ग्राम पंचायत विचारपुर ग्राम तिलईभाठ में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00	—	—	1
44					ग्राम पंचायत मरकामटोला ग्राम मरकामटोला में महिलाघाट निर्माण कार्य।	5.00	—	—	1
45					ग्राम पंचायत उरईडबरी ग्राम उरईडबरी में महिलाघाट निर्माण कार्य।	5.00	—	—	1
46					ग्राम पंचायत महरूमकला ग्राम महरूमकला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	20.00	—	—	1

कार्य सरल क्र.	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	जनप्रतिनिधि का नाम	प्रस्ताव क्रमांक / दिनांक	कार्य का नाम	पत्र अनुसार प्रस्तावित राशि रु. लाख में	स्वीकृत	लंबित	अस्वीकृत
47					ग्राम पंचायत गातापारकला ग्राम शिकारीटोला में पक्का नाली निर्माण कार्य।	5.00	—	—	1
48	खैरागढ़-छुई खदान-गंडई	2025-26	श्रीमति भुनेश्वरी जीवन देवांगन, सभापति जिला पंचायत जिला के. सी.जी. द्वारा विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा	00105 / 15.09. 2025,	ग्राम पंचायत सिंगारपुर ग्राम सिंगारपुर में पक्का नाली निर्माण कार्य।	5.00	—	—	1
49					ग्राम पंचायत सिंगारपुर ग्राम सिंगारपुर में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	10.00	—	—	1
50					ग्राम पंचायत देहान ग्राम परसबोड़ में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	10.00	—	—	1
51					ग्राम पंचायत पचपेड़ी ग्राम पचपेड़ी में सामुदायिक रंगमंच निर्माण कार्य।	3.00	—	—	1
52					ग्राम पंचायत मदनपुर ग्राम गोपालपुर में मुक्तिधाम सह प्रशिक्षालय निर्माण कार्य।	5.50	—	—	1
53					ग्राम पंचायत मदनपुर ग्राम मदनपुर में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	5.00	—	—	1
54					ग्राम पंचायत करेला ग्राम नया करेला में पक्का नाली निर्माण कार्य।	5.00	—	—	1
55					ग्राम पंचायत चिचोला ग्राम चिचोला में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	5.00	—	—	1
56					ग्राम पंचायत घोंघेडबरी ग्राम सारंगपुर में सामुदायिक रंगमंच निर्माण कार्य।	3.00	—	—	1
57					ग्राम पंचायत पचपेड़ी ग्राम पचपेड़ी में सामुदायिक रंगमंच निर्माण कार्य (खैरझिटी)	3.00	—	—	1
58					ग्राम पंचायत पचपेड़ी ग्राम पचपेड़ी में डब्लू. बी.एम. सड़क निर्माण कार्य (खैरझिटी)	10.00	—	—	1
59					ग्राम पंचायत गातापारकला ग्राम गातापारकला में धान खरीदी केन्द्र तक डब्लू.बी.एम.सड़क निर्माण।	10.00	—	—	1
60					ग्राम पंचायत सिरसाही ग्राम सिरसाही में सामुदायिक भवन निर्माण (पुरानी बस्ती)	10.00	—	—	1

कार्य सरल क.	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष	जनप्रतिनिधि का नाम	प्रस्ताव क्रमांक/दिनांक	कार्य का नाम	पत्र अनुसार प्रस्तावित राशि रु. लाख में	स्वीकृत	लंबित	अस्वीकृत
61					ग्राम पंचायत पचपेड़ी ग्राम पचपेड़ी में मुक्तिधाम तक डब्लू.बी.एम.सड़क निर्माण।	10.00	—	—	1
योग (38 कार्य) :-						366.00			38
62	खैरागढ़-छुई खदान-गंडई	2025-26	शीतल पुनीत साहू, सरपंच ग्राम पंचायत सलिहा	22/01/2026	ग्राम कोड़िया ग्राम पंचायत सलिहा में लगभग 300 मीटर सी.सी. रोड (जनशिकायत पोर्टल से प्राप्त)	0.00	—	—	1
योग (01 कार्य) :-						0.00			1
कुल योग (कुल 47 कार्य)						513.50			47
अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव की जानकारी									
63	खैरागढ़-छुई खदान-गंडई	2025-26	आयुक्त संभाग दुर्ग के निर्देशानुसार	—	ग्राम पंचायत सालहेवारा वि.खं. छुईखदान हाट बाजार अंतर्गत प्लेटफार्म 06 नग, सी.सी. रोड, टय्वेले एवं यूरिनल (म./पु.)	59.55	—	—	1
अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव का योग (01 कार्य) :-						59.55			1
महायोग (कुल 63 कार्य) :-						573.05	—	15	48

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 19-02-2026

11:39:05

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोक्षिक - पञ्चोस
पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 810) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

क्रं.	वर्ष	कार्य का नाम	
		निर्माण हेतु आबंटन राशि	लघु मरम्मत/अनुरक्षण हेतु आबंटन राशि
01.	जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक	177.83	0.00
02.	01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक	0.00	102.17
03.	01 अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक	11.40	257.38
योग		189.23	359.55


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

कं.	सत्र/वर्ष	संस्था का नाम	कार्य का नाम	कार्य की स्थिति			कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण
				पूर्ण	अपूर्ण	अद्यतन स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मानपुर	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मानपुर भवन निर्माण कार्य	—	अपूर्ण	नींव कार्य प्रगति पर	विभाग में पदस्थ तकनीकी अमले द्वारा गुणवत्ता परीक्षण आधार पर देयक प्रस्तुत की जाती है।
2	सत्र 2024-25	आदिवासी कन्या आश्रम भरीटोला	पोताई पेंटिंग कार्य	पूर्ण	—	—	
3		प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चिल्हाटी	कवेलू निकालकर प्रोपाईल सीट लगाने एवं अन्य कार्य	पूर्ण	—	—	
4		पो. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास अं०चौकी	शौचालय बाथरूम का नवीनीकरण एवं अन्य लघु कार्य	पूर्ण	—	—	
5		प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास गोटाटोला	बाउण्ड्रीवाल पुर्ननिर्माण	पूर्ण	—	—	
6		प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास आमाटोला	छत कार्य, शौचालय का दरवाजा बदलाव, पोताई पेंटिंग एवं अन्य कार्य	पूर्ण	—	—	
7		आदिवासी बालक आश्रम पारडी	छत कार्य, पोताई पेंटिंग एवं अन्य लघु कार्य	पूर्ण	—	—	
8		कन्या कीड़ा परिसर, अं०चौकी	अध्ययन कक्ष का निर्माण	पूर्ण	—	—	
9		आदिवासी कन्या आश्रम कौड़ीकसा	भवन का छत कार्य, टाईल्स, शौचालय बाथरूम नवीनीकरण एवं अन्य लघु कार्य	पूर्ण	—	—	
10		आदिवासी कन्या आश्रम मारी	बोर खनन, मेन गेट, भवन का खिड़की, मच्छरजाली, पोताई पेंट एवं अन्य लघु कार्य	पूर्ण	—	—	
11		आदिवासी कन्या आश्रम मुकादाह	फ्लोर टाईल्स, छत कार्य, पाताई पेंट एवं अन्य लघु कार्य	पूर्ण	—	—	
12		कन्या शिक्षा परिसर, अं०चौकी	छात्रावास क्रमांक 02 में डायनिंग हॉल का नवीनीकरण, ओव्हर हेड टैंक, पाईपलाईन, शौचालय चेम्बर एवं अन्य लघु कार्य	पूर्ण	—	—	
13		अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, चिल्हाटी	छत कार्य एवं लघु कार्य	पूर्ण	—	—	
14		अनुसूचित जाति बालक आश्रम, हज्जूटोला	नम्बर 02 सेप्टिक टैंक निर्माण, सामने के भाग में छत कार्य एवं अन्य लघु कार्य	पूर्ण	—	—	
15	सत्र 2025-26	प्री०मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास उरवाही	बोरखनन सबमर्सिबल पम्प, पाईपलाईन का विस्तार	पूर्ण	—	—	
16		आदिवासी कन्या आश्रम केशरीटोला	प्लास्टर, खिड़कियों का बदलाव, बोरखनन पाईपलाईन, पुट्टी पेंटिंग कार्य	—	अपूर्ण	बोर खनन पूर्ण, पाईप लाईन विस्तार कार्य पूर्ण	

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

17		शासकीय कन्या कीड़ा परिसर अंचौकी	भूतल के शयन कक्ष में टाइल्स कार्य	पूर्ण	—	—	
18		प्री.मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सरखेड़ा	प्लास्टर आवश्यकतानुसार छत, पोताई पेंटिंग कार्य	—	अपूर्ण	पोताई पेंटिंग कार्य पूर्ण, छत वाटर प्रूफिंग कार्य प्रगति पर	
19		आदिवासी कन्या आश्रम औंधी	प्लास्टर, किचनशेड जी. आई.सीट, सैप्टिक टैंक एवं अन्य कार्य	—	अपूर्ण	प्लास्टर, किचनशेड जी. आई.सीट, सैप्टिक टैंक प्रगति पर	
20		सहायक आयुक्त कार्यालय मोहला	भवन के सामने भाग में सी. सी.कार्य	—	अपूर्ण	सी.सी कार्य प्रगति पर	
21		आदिवासी कन्या आश्रम हथरा	प्लास्टर, खिड़कियों का बदलाव, बोरखनन सबमर्सिबल पम्प, पाईपलाईन, पुट्टी पेंटिंग कार्य	—	अपूर्ण	बोरखनन सबमर्सिबल पम्प कार्य पूर्ण एवं अन्य कार्य प्रगति पर	
22		कन्या शिक्षा परिसर चौकी	छात्रावास क्रमांक-02 में बोरखनन सबमर्सिबल पम्प, पाईपलाईन विस्तार एवं अन्य कार्य	—	अपूर्ण	बोरखनन पूर्ण, पाईप लाइन विस्तार कार्य प्रगति पर	
23	सत्र 2025-26	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम चिल्हाटी	प्लास्टर, टाइल्स, पोताई पेंटिंग कार्य	—	अपूर्ण	प्लास्टर कार्य पूर्ण, पोताई पेंटिंग कार्य प्रगति पर	
24		अनुसूचित जाति बालक आश्रम हज्जूटोला	आंगन फिलिंग कार्य	—	अपूर्ण	समाग्री एकत्रीकरण	
25		पोष्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास गोटाटोला	बोरखनन सबमर्सिबल पम्प, पाईपलाईन का विस्तार	—	अपूर्ण	बोरखनन सबमर्सिबल पम्प, पाईपलाईन का विस्तार कार्य प्रगति पर	
26		पोष्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास जादूटोला	छत कार्य	—	अपूर्ण	समाग्री एकत्रीकरण	
27		प्री0मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पानाबरस	किचनशेड, भोजन कक्ष, रसोई कक्ष में फ्लोर टाइल्स, पोताई पेंटिंग व अन्य कार्य	—	अपूर्ण	किचन शेड कार्य पूर्ण, पोताई पेंटिंग कार्य प्रगति पर	
28		प्री0मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कुम्हारी	प्लास्टर, पेंटिंग एवं अन्य कार्य	पूर्ण	—	—	
29		प्री0मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास मानपुर	छात्रावास में विद्युतीकरण कार्य	पूर्ण	—	—	
30		प्री0मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कोरामटोला	खिड़कियों का बदलाव, एवं अन्य कार्य	—	अपूर्ण	खिड़कियों का बदलाव कार्य प्रगति पर	

विभाग में पदस्थ तकनीकी अमले द्वारा गुणवत्ता परीक्षण आधार पर देयक प्रस्तुत की जाती है।

31	प्री0मैट्रिक बालक छात्रावास गोटाटोला	आदिवासी छात्रावास	खिड़कियों का बदलाव, किचनशेड जी.आई.सीट, चेम्बर एवं अन्य कार्य	पूर्ण	—	—	
32	प्री0मैट्रिक बालक छात्रावास घोटिया	आदिवासी छात्रावास	शौचालय स्नानगार के दरवाजों में बदलाव, टाईल्स व अन्य कार्य	पूर्ण	—	—	
33	प्री0मैट्रिक कन्या छात्रावास गोटाटोला	आदिवासी छात्रावास	विद्युतीकरण, छत एवं अन्य कार्य	—	अपूर्ण	संबंधित दोनों कार्यों में 02 निविदाकारों का दर समान होने के कारण अनुबंध नहीं की गई पुनः निविदा आमंत्रण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
34	प्री0मैट्रिक बालक छात्रावास कोरमटोला	आदिवासी छात्रावास	शौचालय स्नानगार के दरवाजों में बदलाव, किचनशेड व अन्य कार्य	—	अपूर्ण		
35	आदिवासी कन्या आश्रम पेंदूर		खिड़कियों का बदलाव, पाईपलाईन, प्लास्टर, पोताई पेंटिंग व अन्य कार्य	—	अपूर्ण	संबंधित कार्यों हेतु निविदाकार द्वारा अनुबंध की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण जमा अमानत राशि को राजसात किया गया है तथा पुनः निविदा आमंत्रण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
36	पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास मोहला	आदिवासी छात्रावास	शौचालय स्नानगार के दरवाजों में बदलाव, किचनशेड जी.आई.सीट, पाईपलाईन, नाली निर्माण व अन्य कार्य	—	अपूर्ण		
37	प्री0मैट्रिक कन्या छात्रावास कुम्हली	आदिवासी छात्रावास	शौचालय स्नानगार के दरवाजों में बदलाव, छत कार्य (आवश्यकतानुसार) पोताई पेंटिंग कार्य	—	अपूर्ण		
38	प्री0मैट्रिक कन्या छात्रावास खड़गांव	आदिवासी छात्रावास	छात्रावास भवन के पिछले भाग में अहाता निर्माण	—	अपूर्ण		
39	कन्या क्रीड़ा परिसर छात्रावास अं.चौकी		प्रथम तल के कारीडोर में टाइल्स कार्य, नाली निर्माण एवं अन्य कार्य।	—	—		
40	कार्यालय, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला मोहला—मानपुर—अं. चौकी		शेड एवं अन्य कार्य	—	—		
41	आदिवासी बालक आश्रम वासड़ी।		शौचालय बाथरूम के दरवाजों का बदलाव, जी. आई. शीट, पोताई पेंटिंग, आवश्यकता अनुसार छत, दीवाल, छज्जा, बाल्कनी एवं अन्य कार्य।	—	—	21 कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदाकारों से प्राप्त दरों का अनुमोदन किया जा चुका है। अनुबंध एवं कार्यादेश शीघ्र ही जारी कर कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।	
42	आदिवासी बालक आश्रम घासीटोला।		भवन का प्लास्टर, पोताई पेंटिंग, जी.आई. शीट एवं अन्य कार्य।	—	—		
43	आदिवासी कन्या आश्रम मक्के।		शौचालय बाथरूम के दरवाजों का बदलाव, जी. आई. शीट, पोताई पेंटिंग, आवश्यकता अनुसार छत, दीवाल, छज्जा, बाल्कनी एवं अन्य कार्य।	—	—		
44	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास गोटाटोला	आदिवासी छात्रावास	सेप्टिक टैंक चेम्बर, सेनेटरी टाइल्स एवं अन्य लघु कार्य।	—	—		

विभाग में पदस्थ तकनीकी अमले द्वारा गुणवत्ता परीक्षण आधार पर देयक प्रस्तुत की जाती है।

45	सत्र 2025-26	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कोरचाटोला	मुख्य दरवाजो का बदलाव, पोताई पेन्टिंग एवं अन्य कार्य।	—	—	21 कार्यो हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदाकारों से प्राप्त दरों का अनुमोदन किया जा चुका है। अनुबंध एवं कार्यादेश शीघ्र ही जारी कर कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।	विभाग में पदस्थ तकनीकी अमले द्वारा गुणवत्ता परीक्षण आधार पर देयक प्रस्तुत की जाती है।
46		प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास छछानपहरी	शौचालय के दरवाजो का बदलाव, पोताई पेन्टिंग, पाइप लाइन टाइल्स एवं अन्य कार्य।	—	—		
47		प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास रेंगाकठेरा	शौचालय के दरवाजो का बदलाव, पोताई पेन्टिंग, पाइप लाइन, टाइल्स, इन्टरलाकिंग एवं अन्य कार्य।	—	—		
48		प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास परसाटोला	छत, दीवाल, छज्जा बाल्कनी पर जलरोधक ट्रीटमेंट एवं अन्य कार्य।	—	—		
49		प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास वासड़ी	शयन कक्ष के दरवाजो का बदलाव, जी.आई.सीट, चेम्बर, पोताई पेन्टिंग एवं अन्य कार्य।	—	—		
50		प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास सोमाटोला	शौचालय के दरवाजो का बदलाव, पोताई पेन्टिंग एवं अन्य कार्य।	—	—		
51		प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क्रमांक-01 मोहला	अध्ययन कक्ष निर्माण।	—	—		
52		प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क्रमांक-01 मोहला	अध्ययन कक्ष में विद्युतीकरण कार्य।	—	—		
53		पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी	शौचालय बाथरूम का नवीनीकरण, फ्लोर टाइल्स, पोताई पेन्टिंग, वायरिंग, पाइप लाइन एवं अन्य कार्य।	—	—		
54		कन्या शिक्षा परिसर केम्पस अं.चौकी	शौचालय का निर्माण एवं चारदीवारी उचीकरण कार्य।	—	—		
55		प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास खड़गांव	आवश्यकतानुसार छत, पाइप लाइन, पोताई पेन्टिंग, जलरोधक ट्रीटमेंट एवं अन्य कार्य।	—	—		
56		पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास मोहला	बोर खनन, सबमर्सिबल पम्प, पाइप लाइन एवं अन्य कार्य।	—	—		
57		कन्या शिक्षा परिसर केम्पस छात्रावास क्रमांक-01	गार्ड रूम निर्माण, पाइप लाइन एवं अन्य कार्य।	—	—		
58		अनुसूचित जाति बालक आश्रम हज्जुटोला	शौचालय बाथरूम के दरवाजा का बदलाव, प्लास्टर, जी.आई. सीट एवं अन्य कार्य।	—	—		
59		अनुसूचित जाति कन्या आश्रम चिल्हाटी	शौचालय बाथरूम निर्माण कार्य।	—	—		

60		आदिवासी बालक आश्रम शाला वासड़ी	आदिवासी बालक आश्रम शाला वासड़ी में क्लासरूम निर्माण कार्य	—	—	02 कार्यो हेतु ऑनलाईन प्रथम निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें कोई भी निविदाकार भाग नहीं लिया।	
61	सत्र 2025-26	प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कौड़ीकसा	प्री.मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास कौड़ीकसा में क्लासरूम निर्माण कार्य	—	—	द्वितीय निविदा दिनांक 26.02.2026 को आमंत्रित की गई है। दिनांक 26.02.2026 को ऑनलाईन निविदा खोली जावेगी।	विभाग में पदस्थ तकनीकी अमले द्वारा गुणवत्ता परीक्षण आधार पर देयक प्रस्तुत की जाती है।


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

पारोशेष्ट - छब्बीस

पारिवारिक अतारोकेत प्रश्न संख्या 25 (क्र. 811) की जानकारी

प्रपत्र - अ

अविभाजित राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-अं. चौकी जिले में जनवरी 2023 से 25-11-2025 तक केज कल्चर स्थापना की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	आबंटित वर्ष	योजना का नाम	जलाशय का नाम	हितग्राही का नाम	ग्राम	निर्मित केज का आकार	केजों की संख्या				कृषक अंश राशि (लाख में)	विभाग द्वारा प्रदान की गई अनुदान राशि (लाख में)	कुल लागत राशि (लाख में)
								सामान्य	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	प्रीती साहू	मुढीपार	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
2	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	ननकी साहू	मुढीपार	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
3	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	मोनिका साहू	मुढीपार	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
4	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	रोहनी धीवर	राजनांदगांव	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
5	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	सुष्मा साहू	राजनांदगांव	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
6	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	लीला बाई	मुढीपार	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
7	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	श्रीमति मेहरूण खान	गोलबाजार	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
8	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	प्रमीला साहू	लखौली	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
9	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	हसीना खान	गोलबाजार	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
10	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	सोनिया सोनी	स्टेशन पारा	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
11	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	जैना बाई	तुलसीपुर	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00

10

क्र.	जिला का नाम	आवर्तित वर्ष	योजना का नाम	जलाशय का नाम	हितग्राही का नाम	ग्राम	निर्मित केज का आकार	सामान्य	महिला	केजों की संख्या अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कृषक अंश राशि (लाख में)	विभाग द्वारा प्रदान की गई अनुदान राशि (लाख में)	कुल लागत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	राहुल भारती	स्टेशन पारा	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
13	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	पूर्णमा साहू	मुढीपार	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
14	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	पूजा	मुढीपार	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
15	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	नेमिन बाई	मुढीपार	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
16	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	रेणुका	मुढीपार	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
17	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	लक्ष्मी बाई	मुढीपार	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
18	राजनांदगांव	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	शासकीय खदान (विक्टर खदान, जोरातराई)	पुष्पा साहू	मुढीपार	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
19	राजनांदगांव	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	खातूटोला रामपुर बैराज	नजरू राम ठाकुर	रामपुर	7.5x5x4 क्यूबिक मी.	0	12	0	0	21.60	32.40	54.00
20	राजनांदगांव	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	खातूटोला रामपुर बैराज	खेमचंद नेताम	रानीतालाब	7.5x5x4 क्यूबिक मी.	0	12	0	0	21.60	32.40	54.00
21	राजनांदगांव	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	खातूटोला रामपुर बैराज	अमरत लाल गोटे	भालूकोन्हा	7.5x5x4 क्यूबिक मी.	0	12	0	0	21.60	32.40	54.00
								0	360	0	0	453.60	680.40	1134.00
1	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2022-23 (मार्च 2023)	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती पारिका महोबिया	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
2	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2022-23 (मार्च 2023)	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती रूबीना अल्वी	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00

क्र.	जिला का नाम	आवर्तित वर्ष	योजना का नाम	जलाशय का नाम	हितग्राही का नाम	ग्राम	निर्मित केज का आकार	केजों की संख्या			अनुसूचित जनजाति	कृषक अंश राशि (लाख में)	विभाग द्वारा प्रदान की गई अनुदान राशि (लाख में)	कुल लागत राशि (लाख में)
								सामान्य	महिला	अनुसूचित जाति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती परवीन बेगम	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
4	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती मुमताज बेगम	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
5	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती रबिया बेगम	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
6	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती माधुरी निषाद	छुईखदान	20x20x4.5 क्यूबिक मी.	0	1	0	0	21.60	32.40	54.00
7	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती भावना दीमार	खैरागढ़	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
8	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्री गिरिराज किशोर दास	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	18	0	0	0	32.40	21.60	54.00
9	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती नम्रता देवी	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
10	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती सुधा चंदेल	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
11	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती निहकत अंजुम	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
12	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती अनीषा सोनी	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
13	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	आशमा खान	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
14	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	मेहजबीन	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
15	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	अलीशा खान	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00
16	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती शहबाज बेगम	छुईखदान	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00

क्र.	जिला का नाम	आर्बिटेड वर्ष	योजना का नाम	जलाशय का नाम	हितग्राही का नाम	ग्राम	निर्मित केज का आकार	केजों की संख्या				अनुसूचित जनजाति	कृषक अंश राशि (लाख में)	विभाग द्वारा प्रदान की गई अनुदान राशि (लाख में)	कुल लागत राशि (लाख में)
								सामान्य	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती बबीता चंद्राकर	छुईखदान	20x20x4.5 क्यूबिक मी.	0	1	0	0	21.60	32.40	54.00	
18	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती मीना चंद्राकर	छुईखदान	20x20x4.5 क्यूबिक मी.	0	1	0	0	21.60	32.40	54.00	
19	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	राजलक्ष्मी पंसारी	छुईखदान	20x20x4.5 क्यूबिक मी.	0	1	0	0	21.60	32.40	54.00	
20	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती अंजली साहू	छुईखदान	20x20x4.5 क्यूबिक मी.	0	1	0	0	21.60	32.40	54.00	
21	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्री बलदेव कंवर	डुमरडीह	20x20x4.5 क्यूबिक मी.	0	0	0	1	21.60	32.40	54.00	
22	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पिपरिया जलाशय	श्रीमती उर्मिला देवी	छुईखदान	20x20x4.5 क्यूबिक मी.	0	1	0	0	21.60	32.40	54.00	
योग															
1	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मोंगरा बैराज	श्रीमती खेमलता निषाद	चिरचारीक ला	20x20x4.5 क्यूबिक मी.	0	1	0	0	21.60	32.40	54.00	
2	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मोंगरा बैराज	श्रीमती संतोषी सिंह	राजनांदागांव	6x4x4 क्यूबिक मी.	0	18	0	0	21.60	32.40	54.00	
3	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मोंगरा बैराज	श्रीमती राधिका सिंह	राजनांदागांव	20x20x4.5 क्यूबिक मी.	0	1	0	0	21.60	32.40	54.00	
4	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मोंगरा बैराज	श्रीमती प्रमिला कुंजाम	चिरचारीक ला	20x20x4.5 क्यूबिक मी.	0	1	0	0	21.60	32.40	54.00	
5	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	2025-26 (25.11.2025 तक)	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मोंगरा बैराज	श्रीमती देवकुमारी मरावी	अर्जुनी	20x20x4.5 क्यूबिक मी.	0	1	0	0	21.60	32.40	54.00	
योग															
								0	22	0	0	108.00	162.00	270.00	
महायोग								18	640	0	1	1047.60	1544.40	2592.00	

सही/- अस्पष्ट
सहायक संचालक
जिला-राजनांदागांव (छ.ग.)

सही/- अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)

सही/- अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-मोहला-मानपुर-अं. चौकी

संयोजक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

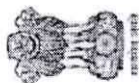
भारत सरकार
(<https://india.gov.in/hil>)
भारत सरकार (<https://india.gov.in/>)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य, पशु पति और मत्स्य मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग
(<http://doof.gov.in/hil>)
मत्स्य विभाग (<http://doof.gov.in/>)

मुख्य
विषयवस्तु
में जाएँ

(<https://nfdb.gov.in/welcome/search>) (<https://nfdb.gov.in/welcome/search>)



राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड ()



टोल फ्री नम्बर
1800-425-1660
कार्य दिवस- सोमवार - शुक्रवार (प्रातः
9.30 बजे से सायं 6.00 बजे)
अवकाश- शनिवार एवं रविवार

(<https://swachhbharat.mygov.in/>)

(<https://www.cooperation.gov.in/>)

निर्माता/आपूर्तिकर्ता

मुख्य पृष्ठ

मत्स्यपालन और जलीय कृषि क्षेत्र में उपकरण निर्माता/आपूर्तिकर्ता

(विस्तृत विवरण देखने के लिए फ़ॉर्म के नाम पर क्लिक करें)

1. 3 वर्ष या अधिक अनुभव के फ़ॉर्म

क्रम सं.	फ़ॉर्म का नाम	राज्य का नाम	पैनल की वैधता
1.	हार्दिक पॉली कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Hardik_Polycontainers_Pvt_Ltd.pdf)	महाराष्ट्र	30/09/2025
2.	आई. ए. आई. ए. सामान्य आपूर्तिकर्ता (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-I.A.I.A. General Supplier.pdf)	छत्तीसगढ़	30/09/2025
3.	जमशेदपुरसोर्सज प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Jamshedpur_Resources_Pvt.pdf)	पश्चिम बंगाल	30/09/2025
4.	काली प्रसाद कटारुका एंड संस (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Kali_Prasad_Kataruka_Sons.pdf)	झारखंड	30/09/2025
5.	महेश कुमार एंड कंपनी (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Mahesh_enterprises-.pdf)	महाराष्ट्र	30/09/2025
6.	समुद्र शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-S.No.45-Samudra_shipyard_pvt.ltd.pdf)	केरल	30/09/2025
7.	सांगिर प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Sangir_Enterprises.pdf)	महाराष्ट्र	30/09/2025
8.	एस. एम. इंजीनियरिंग वर्क्स (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-SM_Engineering_Works.pdf)	तमिलनाडु	30/09/2025
9.	एसआरआर एका आपूर्तिकर्ता एलाएलपी (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-SRR_Aqua_Suppliers_LLP.pdf)	तेलंगाना	30/09/2025
10.	कर्मशियल सिन बैस लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Commercial_Syn_Bags_Limited.pdf)	मध्य प्रदेश	30/09/2025
11.	कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Covestro.pdf)	महाराष्ट्र	30/09/2025
12.	ओशन नॉन वोवेन्स प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Ocean_Non_Vowens.pdf)	नई दिल्ली	30/09/2025
13.	सेंचुरी एकाकल्चर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Century_Aquaculture_Products_Pvt_Ltd.pdf)	गुजरात	30/09/2025
14.	एम/एस। दास और कुमार (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Century_Aquaculture_Products_Pvt_Ltd.pdf)	उत्तर प्रदेश (हि...)	30/09/2025
15.	एम/एस। कृष्णा एंटरप्राइजेज (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Century_Aquaculture_Products_Pvt_Ltd.pdf)	उत्तर प्रदेश	30/09/2025

14

क्रम सं.	फर्म का नाम	राज्य का नाम	पैनल की वैधता
16.	एम/एस। आर. वी. आर. एंड कंपनी (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Century_Aquaculture_Products_Pvt_Ltd.pdf)	बेंगलुरु	30/09/2025
17.	एम/एस। मातुल आहार (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Century_Aquaculture_Products_Pvt_Ltd.pdf)	बेंगलुरु	30/09/2025
18.	एम/एस। शिरोमणि इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Century_Aquaculture_Products_Pvt_Ltd.pdf)	उत्तर प्रदेश	30/09/2025
19.	एम/एस। सोमनाथ एंटरप्राइज (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Century_Aquaculture_Products_Pvt_Ltd.pdf)	गुजरात	30/09/2025
20.	मेसर्स श्री समर्थ एंटरप्राइजेज (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Century_Aquaculture_Products_Pvt_Ltd.pdf)	झारखंड	30/09/2025
21.	एम/एस। यूनाइटेड किरीटी मरीन लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Century_Aquaculture_Products_Pvt_Ltd.pdf)	आंध्र प्रदेश	30/09/2025

2. 3 वर्ष या कम 1 वर्ष अनुभव के फर्म:

क्रम सं.	फर्म का नाम	राज्य का नाम	पैनल की वैधता
1.	वी. वी. सेल्स एंड सप्लाइ प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-VV_Sales_and_Supply_Pvt_Ltd.pdf)	झारखंड	30/09/2025
2.	परफेक्ट एका कल्चर (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Perfect_Aqua.pdf)	छत्तीसगढ़	30/09/2025
3.	एसएस फ्रीड्स (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-SS_Feeds.pdf)	छत्तीसगढ़	30/09/2025
3.	एम/एस। तिरुपति ऑटो (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-SS_Feeds.pdf)	बिहार	30/09/2025

श्रेणीवार

क्रम सं.	श्रेणी नाम	फर्म का नाम	पैनल की वैधता
1.	जलीय कृषि	1. महेश कुमार एंड कंपनी (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template_Mahesh_enterprises-.pdf.pdf) 2. एस.आर.आर एका आपूर्तिकर्ता एलएलपी (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-SRR_Aqua_Suppliers_LLP.pdf) 3. सेंचुरी एकाक्चर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Century_Aquaculture_Products_Pvt_Ltd.pdf) 4. दास और कुमार 5. कृष्णा एंटरप्राइजेज 6. एम/एस। सोमनाथ एंटरप्राइज	30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025

4

क्रम सं.	श्रेणी नाम	फ़र्म का नाम	चैनल की वैधता
2.	बायोप्रॉक/आरएएस	1. महेश कुमार एंड कंपनी (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template_Mahesh_enterprises-.pdf.pdf) 2. समुद्र शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-S.No.45-Samudra_shipyard_pvt.ltd.pdf) 3. कमर्शियल सिन बैग्स लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Commercial_Syn_Bags_Limited.pdf) 4. कृष्णा एंटरप्राइजेज 5. मेसर्स श्री समर्थ एंटरप्राइजेज।	30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025
3.	जैव शौचालय	1. कमर्शियल सिन बैग्स लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Commercial_Syn_Bags_Limited.pdf) 2. सेंचुरी एकाकल्चर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Century_Aquaculture_Products_Pvt_Ltd.pdf) 3. जमशेदपुर सोर्सिज प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template_Jamshedpur_Resources_Pvt.pdf)	30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025
4.	एक्रेरियम		
5.	शीत श्रृंखला सुविधा (शीत भंडारण/बर्फ संयंत्र)	1. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Covestro.pdf)	30/09/2025
6.	प्रशीतित वाहन/इन्सुलेटेड वाहन	1. समुद्र शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-S.No.45-Samudra_shipyard_pvt.ltd.pdf)	30/09/2025
7.	समुद्री खरपतवार संवर्धन, कलम संवर्धन, जैवभाजक खेती के लिए निर्माण सामग्री		
8.	फिश फीड मिल/फीड प्लांट	1. दास और कुमार	30/09/2025
9.	हैबरी	1. सेंचुरी एकाकल्चर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Century_Aquaculture_Products_Pvt_Ltd.pdf) 2. दास और कुमार 3. कृष्णा एंटरप्राइजेज	30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025
10.	समुद्री मत्स्य पालन	1. समुद्र शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-S.No.45-Samudra_shipyard_pvt.ltd.pdf) 2. एस. एम. इंजीनियरिंग वर्क्स (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-SM_Engineering_Works.pdf) 3. एम/एस। सोमनाथ एंटरप्राइज 4. एम/एस। यूनाइटेड किरीटी मरीन लिमिटेड	30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025

क्रम सं.	श्रेणी नाम	फर्म का नाम	पैनल की वैधता
11.	बर्फ के डिब्बे के साथ मोटरसाइकिल/साइकिल/3-व्हीलर/ई-रिक्शा	1. महेश कुमार एंड कंपनी (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template_Mahesh_enterprises-.pdf) 2. एम/एस। सोमनाथ एंटरप्राइज	30/09/2025 30/09/2025
12.	घरेलू विपणन के लिए विक्रय इकाइयाँ: लाइव मछली विक्रय		
13.	घरेलू विपणन के लिए विक्रय इकाइयाँ: कियोस्क	1. महेश कुमार एंड कंपनी (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template_Mahesh_enterprises-.pdf) 2. एम/एस। मातुल आहार	30/09/2025 30/09/2025
14.	समुद्री पिजरा/जलाशय पिजरा/कलम	1. वी. वी. सेल्स एंड सप्लाय प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-VV_Sales_and_Supply_Pvt_Ltd.pdf) 2. कमर्शियल सिन बैस्स लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Commercial_Syn_Bags_Limited.pdf) 3. परिपूर्ण जलीय संस्कृति (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Perfect_Aqua.pdf) 4. सेंचुरी एकाक्ल्वर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Century_Aquaculture_Products_Pvt_Ltd.pdf) 5. ओशन नॉन वोवेन्स प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Ocean_Non_Vowens.pdf) 6. हार्डिक पॉली कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/Draft_Web_Template-Hardik_Polycontainers_Pvt_Lts.pdf) 7. आई. ए. आई. ए. सामान्य आपूर्तिकर्ता (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-I.A.I.A._General_Supplier.pdf) 8. काली प्रसाद कटारुका एंड संस (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Kali_Prasad_Kataruka_&_Sons.pdf) 9. एसएस फ्रीड्स (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-SS_Feeds.pdf) 10. जमशेदपुरिसेज प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template_Jamshedpur_Resources_Pvt.pdf) 11. संगीर प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Sangir_Enterprises.pdf) 12. एस. आर. आर. जल आपूर्तिकर्ता एल. एल. पी (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-SRR_Aqua_Suppliers_LLP.pdf) 13. दास और कुमार 14. एम/एस। आर. वी. आर. एंड कंपनी 15. एम/एस। शिरोमणि इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 16. मेसर्स श्री समर्थ एंटरप्राइजेज।	30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025
15.	के लिए निर्माण सामग्री		

क्रम सं.	श्रेणी नाम	फर्म का नाम	पैनल की वैधता
16.	एएचएल		30/09/2025
17.	कृत्रिम रीफ	1. एम/एस। मातुल आहार	30/09/2025
18.	डोन प्रदर्शन	1. एम/एस। मातुल आहार	30/09/2025
19.	रोटी और चूरा हुआ मूल्य वर्धित मछली उत्पाद	1. एम/एस। मातुल आहार	30/09/2025
20.	मत्स्य मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयाँ	1. एम/एस। तिरुपति ऑटो	30/09/2025
21.	मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के तहत लागू कोई अन्य श्रेणी	1. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Covestro.pdf) 2. महेश कुमार एंड कंपनी (सोतर फ्रीजर रेफ्रिजरेटर) (https://nfdb.gov.in/PDF/empanel/Draft_Web_Template-Mahesh-enterprises-.pdf) 3. एम/एस। सोमनाथ एंटरप्राइज	30/09/2025

अस्वीकरण

1. रा.मा.वि.बो. द्वारा उत्पादकों / आपूर्ति कर्ताओं को पैनलबंद करना, रा.मा.वि.बो. को सीधे तौर पर सेवा प्रदान करने / कार्य करने का प्रस्ताव नहीं माना जाना चाहिए किन्तु विभिन्न हितधारियों जैसे मत्स्यकारों / मत्स्य किसानों / सोसायटियों / संघों / उद्यमी फर्मों इत्यादि को मासिकी एवं जलकृषि क्षेत्र से संबंधी उपकरणों / मशीनरी के निर्माण और आपूर्ति की जानकारी उपलब्ध कराने की शुरुआत मात्र है।
2. रा.मा.वि.बो. को वेबसाइट एक पोर्टल है जिसमें पैनलबंद उत्पादकों / आपूर्ति कर्ताओं की जानकारी उपलब्ध होती है। विक्रेता के संबंध में प्रस्तुत डाटा की पूरी यथार्थता एवं प्रयोज्य कानून के अनुपालन सहित प्रस्तावित मात की पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी।
3. पैनलबंद उत्पादक / आपूर्ति कर्ता अपने संगठन, व्यापार, उत्पाद, सामग्री तथा मूल्यों के संबंध में पोर्टल पर उपलब्ध कगई जानकारी के पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
4. यह अनिवार्य नहीं है कि उपयोगकर्ता केवल सूचीबद्ध उत्पादकों / आपूर्ति कर्ताओं का ही लाभ उठाएगा।
5. रा.मा.वि.बो. मत्स्यकारों / मत्स्य किसानों या अन्य हितधारकों को पैनलबंद फर्मों द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरण / मशीनरी के गुणवत्ता की गारंटी नहीं देगा।
6. पैनलबंद उपकरण निर्माताओं / आपूर्ति कर्ताओं तथा क्रेता के संबंध में सभी विवाद का निपटारा, अन्य रूप से जहाँ अनुबंध प्रतिपादित हुआ है, उसी स्थान के अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में होगा। रा.मा.वि.बो. ऐसे किसी विवाद विषय के किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेगा।
7. रा.मा.वि.बो. हैदराबाद किसी उपकरण निर्माताओं / आपूर्ति कर्ताओं को बढ़ावा नहीं दे रहा है।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

परिशिष्ट - सत्ताईस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 814) की जानकारी

प्रपत्र

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जारी जल एवं वायु सम्मति के अनुपालन में उद्योगों द्वारा ई.एस.पी. (इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर) की स्थापना एवं चिमनी में ओ.सी.ई.एम.एस. स्थापना की जानकारी

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता	ईकाई	जारी जल एवं वायु सम्मति दिनांक	चिमनी उत्सर्जन मापन हेतु ओ.सी.ई.एम.एस. स्थापना दिनांक (ईकाईवार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, जिला-रायपुर	पावर प्लांट (40 मेगावाट) एफबीसी 1 एवं 2	30.08.1999	16.01.2016
		स्पंज आयरन (2×100 टीपीडी)	10.01.2003	16.01.2016
		स्पंज आयरन (2×500 टीपीडी)	31.10.2003	16.01.2016
		पावर प्लांट (20 मेगावाट) एफबीसी 3	05.08.2010	16.01.2016
2.	मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम मांढर, जिला-रायपुर	पैलेट	10.11.2006	16.01.2016
3.	मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (350 टीपीडी)	03.03.2000	अक्टूबर 2016
		पावर प्लांट बायोमास (40 मेगावाट)		
		स्पंज आयरन (500 टीपीडी)	26.12.2003	जुलाई 2016
		स्पंज आयरन (500 टीपीडी) (500 टीपीडी)	04.05.2006	अक्टूबर 2016
		पैलेट	22.05.2008	दिसम्बर 2016
		पावर प्लांट एफबीसी (40 मेगावाट)	15.01.2010	जुलाई 2016
		पैलेट	10.07.2012	जुलाई 2014
		पैलेट	24.07.2024	नवम्बर 2025
4.	मेसर्स वंदना ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (1×200 टीपीडी)	05.09.2000	01.07.2015
		स्पंज आयरन (1×500 टीपीडी)	04.08.2007	01.07.2015
		पावर प्लांट (24 मेगावाट)		02.03.2016
5.	मेसर्स एस.के.एस. इस्पात प्राईवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर	स्पंज आयरन (2×100 टीपीडी)	20.07.2004	15.03.2018
		स्पंज आयरन (2×350 टीपीडी)		10.07.2017
		पावर प्लांट एफबीसी (30)		20.03.2018

		मेगावाट)		17.09.2016
		पावर प्लांट एफबीसी (30 मेगावाट)		
6.	मेसर्स ए.पी.आई. इस्पात एंड पावरटेक सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (2×350 टीपीडी)	13.12.2004	10.10.2015
		पावर प्लांट एफबीसी (7 मेगावाट)		
7.	मेसर्स शिवालय इस्पात एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-कारा, गुमा उरला, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (3×100 टीपीडी)	21.07.2004	24.10.2015
8.	मेसर्स सुनील स्पंज प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, फेज़-2, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन किल 1 (1×100 टीपीडी)	29.07.2005	11.12.2015
		स्पंज आयरन किल 2 (1×100 टीपीडी)	06.07.2006	11.12.2015
		पावर प्लांट बायोमास (5 मेगावाट)	06.03.2014	07.09.2018
9.	मेसर्स ओम स्पंज, ग्राम-मुरेठी, सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन किल 1 (2×50 टीपीडी)	05.10.2004	01.10.2015
10.	मेसर्स इंदरमणी कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स रश्मि स्पंज ऑयरन प्राईवेट लिमिटेड), सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन किल 1 (1×100 टीपीडी)	05.05.2005	19.08.2015
		स्पंज आयरन किल 2 (1×100 टीपीडी)		
		पावर प्लांट (4 मेगावाट)	05.05.2006	19.08.2015
11.	मेसर्स आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन किल 1 (1×100 टीपीडी)	11.08.2004	08.02.2016
		स्पंज आयरन किल 2 (1×100 टीपीडी)		
		स्पंज आयरन किल 3 (1×100 टीपीडी)	29.07.2005	
12.	मेसर्स महामाया स्पंज ऑयरन प्राईवेट लिमिटेड फेज़-1, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन किल 1 (1×50 टीपीडी)	17.08.2005	06.05.2020
		स्पंज आयरन किल 2 (1×50 टीपीडी)	04.02.2006	06.05.2020
13.	मेसर्स पी.डी. इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन किल 1 (1×100 टीपीडी)	07.10.2005	12.12.2015
		स्पंज आयरन किल 2 (1×100 टीपीडी)		
14.	मेसर्स अग्रवाल स्पंज प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा ग्रोथ सेंटर, फेज़-2, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (2×50 टीपीडी)	15.07.2003	21.01.2016
		स्पंज आयरन (1×100 टीपीडी)	05.02.2007	21.01.2016
15.	मेसर्स श्री हरेकृष्णा स्पंज ऑयरन प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, फेज़-2, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (1×100 टीपीडी)	15.07.2003	14.03.2016
16.	मेसर्स जी.आर. स्पंज एंड पावर लिमिटेड सिलतरा, फेज़-2, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (2×100 टीपीडी)	15.07.2003	01.05.2015
		पावर प्लांट (4 मेगावाट)		
17.	मेसर्स एन.आर. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड ग्राम बहेसर, सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (3×100 टीपीडी)	14.10.2005	03.03.2021
		पावर प्लांट (4 मेगावाट)		
18.	मेसर्स रामा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड प्लाट क्रमंक 90, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2,	स्पंज आयरन (4×50 टीपीडी)	29.09.2005	12.05.2017

	जिला-रायपुर (छ.ग.)	पावर प्लांट (2 मेगावाट)		
19.	मेसर्स घनकुन स्टील प्राईवेट लिमिटेड ग्राम सोण्ड्रा, सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (1×50 टीपीडी)	09.08.2005	12.08.2015
		स्पंज आयरन (1×50 टीपीडी)		
		स्पंज आयरन (1×150 टीपीडी)	03.08.2005	12.08.2015
		पावर प्लांट एफबीसी (2 मेगावाट)		
20.	मेसर्स देवी ऑयरन एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम टाडा, सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन किल 1 (1×100 टीपीडी)	19.07.2004	02.01.2017
		स्पंज आयरन किल 2 (1×100 टीपीडी)		
		स्पंज आयरन किल 3 (1×100 टीपीडी)		
21.	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ग्राम गिरौद, सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (350 टीपीडी)	31.08.2005	21.08.2016
		पावर प्लांट (7.5 मेगावाट)		01.03.2016
		पावर प्लांट 30 टीपीएच	22.06.2004	01.03.2016
		सिंटर प्लांट		21.08.2016
		स्पंज आयरन (500 टीपीडी)	21.05.2006	21.08.2016
		पेलेट प्लांट	12.02.2013	01.03.2016
22.	मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सोण्ड्रा, सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (1×100 टीपीडी)	14.12.2004	07.07.2015
		स्पंज आयरन (1×100 टीपीडी)	30.05.2005	
		स्पंज आयरन (1×100 टीपीडी)	24.07.2010	07.07.2015
		पावर प्लांट एफबीसी (2.5 मेगावाट)	15.08.2007	07.07.2015
23.	मेसर्स यूरो प्रतीक इस्पात प्राईवेट लिमिटेड ग्राम टाडा, सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (1×100 टीपीडी)	28.05.2005	01.06.2015
24.	मेसर्स भगवती पॉवर एंड स्टील प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (2×100 टीपीडी)	29.12.2004	29.12.2015
		पावर प्लांट (4 मेगावाट)		
25.	मेसर्स त्रिमूला स्पंज ऑयरन प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (1×100 टीपीडी)	09.08.2005	01.07.2015
		पावर प्लांट एफबीसी (4 मेगावाट)		
26.	मेसर्स ड्रोलिया इलेक्ट्रोस्टील प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (2×100 टीपीडी)	10.10.2003	31.08.2016
		पावर प्लांट एफबीसी (4 मेगावाट)	26.09.2005	16.10.2017
27.	मेसर्स नूतन इस्पात एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम जरीदा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (1×100 टीपीडी)	13.02.2003	28.08.2016
		स्पंज आयरन (1×100 टीपीडी)	03.08.2005	28.08.2016
		पावर प्लांट (6 मेगावाट)		18.03.2021
28.	मेसर्स महेन्द्रा स्पंज एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (2×100 टीपीडी)	31.10.2003	08.09.2015
		पावर प्लांट (4 मेगावाट)	30.09.2005	

29.	मेसर्स विकास मेटालिक्स एण्ड एनर्जी, ग्राम - बरतोरी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (4×100 टीपीडी)	03.11.2018	18.06.2022
		पावर प्लांट (8 मेगावाट)		
30.	मेसर्स श्री नकोड़ा इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (1×200 एवं 1×300 टीपीडी)	05.04.2004	22.08.2015
		पावर प्लांट बायोमास (12 मेगावाट)		
31.	मेसर्स गोपाल स्पंज एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (2×100 टीपीडी)	07.12.2004	25.03.2016
32.	मेसर्स पुष्प स्टील एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम चरोदा, सिलतरा, रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (1×100 टीपीडी)	11.11.2004	10.01.2016
33.	मेसर्स ब्रज आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, (पूर्व नाम मेसर्स फिल इस्पात प्राईवेट लिमिटेड) प्लॉट नं.-38-41 एवं 48-52 फेस-2, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (2×100 टीपीडी)	22.12.2004	08.02.2016
34.	मेसर्स गौरी गणेश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड ग्राम- मढ़ी, खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (2×300 टीपीडी)	11.10.2023	13.01.2025
		पावर प्लांट एफबीसी (8 मेगावाट)		
35.	मेसर्स श्री बाबा बैदनाथ इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- गैतरा, खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	स्पंज आयरन (1×350 टीपीडी)	02.07.2024	15.04.2025
		स्पंज आयरन (1×350 टीपीडी)		
36.	मेसर्स जगदम्बा पॉवर एंड एलॉयज़ लिमिटेड मुरैठी, सिलतरा फेज़-2, जिला-रायपुर (छ0ग0)	पावर प्लांट (25 मेगावाट)	19.04.2006	अक्टूबर 2016
37.	मेसर्स माँ ऊषा ऊर्जा लिमिटेड ग्राम गिरौद, जिला रायपुर (छ0ग0)	पावर प्लांट बायोमास (7.5 मेगावाट)	22.07.2005	21.08.2016
38.	मेसर्स अडानी पॉवर लिमिटेड, (पूर्व नाम रायपुर एनर्जन लिमिटेड), ग्राम-रायखेड़ा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	पावर प्लांट (1370 मेगावाट) (2×685)	13.06.2011	यूनिट 1-01.05.2015 यूनिट 2-01.04.2016


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परोशेष्ट - अट्टाईस

परोवातेत अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 825) की जानकारी

iii=

क.	जिला	दिसम्बर 2023 से दिनांक 04.02.2026 तक नियुक्त विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या	पदनाम	कार्यालय/विभाग का नाम जिसमें नियुक्ति दी गई है।
1	गरियाबंद	10	भृत्य	स्कूल शिक्षा विभाग जिला गरियाबंद



अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशेष - उन्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 835) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला जशपुर अंतर्गत पर्यटन स्थलों के उत्थान के लिये निम्नलिखित निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं/किये गए हैं -

क्र.	पर्यटन स्थल का नाम	स्वीकृत निर्माण कार्य
1	जशपुर	रानीदाह जलप्रपात में शौचालय निर्माण किया गया है।
2		लोरोघाट में सामुदायिक शौचालय एवं नलकूप कार्य किया गया है।
3	पत्थलगांव	किलकिला में सांस्कृतिक भवन का उन्नयन एवं सामुदायिक शौचालय का कार्य किया गया है।
4		कोसलापाठ (तमता पहाड़) में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
5	बगीचा	दनगरी में ट्यूबवेल, रेलिंग एवं सिटींग प्लेटफार्म कार्य।
6		राजपुरी में ट्यूबवेल, महिला/पुरुष शौचालय, सेप्टिक टैंक, सिटींग प्लेटफार्म कार्य, बिजली एवं सोलर लाईट का कार्य किया गया है।
7		कैलाशगुफा में ट्यूबवेल, रेलिंग एवं सिटींग प्लेटफार्म कार्य किया गया है।
8		खुड़ियारानी में ट्यूबवेल, महिला/पुरुष शौचालय, सेप्टिक टैंक, सिटींग प्लेटफार्म कार्य बिजली एवं सोलर लाईट का कार्य किया गया है।
9		मयाली डेम के निकट निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है। जिसका भूमि पूजन दिनांक 05.02.2026 को किया गया है।
10	शारदा धाम मंदिर	शारदा धाम मंदिर ग्राम टेढ़ापहाड़ में सामुदायिक भवन, रंगमंच चबूतरा, सामुदायिक शौचालय एवं नलकूप निर्माण कार्य किया गया है।

प्रपत्र - ब

जिला जशपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य कराये जा रहें हैं/किये गए हैं:-

1. दनगरी में ट्यूबवेल, रेलिंग एवं सिटींग प्लेटफार्म कार्य किया गया है।
2. राजपुरी में सेप्टिक टैंक, ट्यूबवेल, महिला/पुरुष शौचालय एवं सिटींग प्लेटफार्म कार्य कैलाशगुफा में ट्यूबवेल, रेलिंग एवं सिटींग प्लेटफार्म कार्य किया गया है।
3. खुड़ियारानी में सेप्टिक टैंक, ट्यूबवेल, महिला/पुरुष शौचालय एवं सिटींग प्लेटफार्म कार्य किया गया है।
4. मयाली-बगीचा केन्द्रीय परियोजना के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य प्रारंभ किया जा रहा है जिसका भूमि पूजन दिनांक 05.02.2026 को किया गया है -
 - क. मयाली डेम के निकट - पर्यटक रिसॉर्ट एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर का विकास।
 - ख. मधेश्वर पहाड़ मंदिर में - प्रवेश द्वार, पाथवे, रेलिंग, सिक्युरिटी किआस्क, शौचालय।
 - ग. कैलाशगुफा (बगीचा) - प्रवेश द्वार, सिक्युरिटी किआस्क, पार्किंग, व्यूइंग किआस्क, रेनशेड, घाट, सिटिंग बेंच, ओपन एअर थिएटर, सोवनियर शॉप, लैंडस्केपिंग आदि।
5. जशपुर में पर्यटकों हेतु होमस्टे की सुविधा विकसित करने एवं उनका प्रचार करने के उद्देश्य से होमस्टे के रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त 9 आवेदनों के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की जा रही है।
6. नये पर्यटन स्थल चिन्हांकित करने एवं तदुपरान्त चिन्हांकन की श्रेणी के आधार पर विकास कार्य कराये जाने हेतु जिला प्रशासन से निर्धारित प्रारूपों में प्रस्ताव मांगे गये हैं।
7. चिन्हांकित पर्यटन स्थल एवं उसके आस-पास पर्यटन विकास, अधोसंरचना एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु भूमि बैंक की स्थापना हेतु जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगे गये हैं।
8. जिले के राजमार्गों एवं बाईपास मार्गों में वे साईड एमेनेटिस की स्थापना हेतु जिला प्रशासन से उपयुक्त भूमि की मांग की गई है।

पारिशेष्य - तीस

प्रपत्र

पारेवातेत अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 844) की जानकारी

क	स्वीकृत कार्य का नाम	विकास खण्ड	भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य
1	2	3	4
1	पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास रायगढ़ भवन निर्माण	रायगढ़	सितम्बर 2026
2	आदिवासी बालक आश्रम क्रीन्धा भवन निर्माण	धरमजयगढ़	जनवरी 2027
3	पो.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास धरमजयगढ़ भवन निर्माण	धरमजयगढ़	सितम्बर 2026
4	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धौराभांठा भवन निर्माण	तमनार	दिसम्बर 2026
5	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तमनार भवन निर्माण	तमनार	दिसम्बर 2026
6	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घरघोड़ा भवन निर्माण	घरघोड़ा	दिसम्बर 2026
7	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लैलूंगा भवन निर्माण	लैलूंगा	जनवरी 2027
8	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास घटगांव भवन निर्माण	लैलूंगा	फरवरी 2027
9	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बाकारूमा भवन निर्माण	धरमजयगढ़	जनवरी 2027
10	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास धरमजयगढ़ भवन निर्माण	धरमजयगढ़	फरवरी 2027
11	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास छाल भवन निर्माण	धरमजयगढ़	निविदा प्रक्रियाधीन



कार्यपालन अभियंता

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.

 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 नवा रायपुर, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारिशेष्ट - इकतीस

प्रपत्र

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 851) की जानकारी

क्रमांक	वर्ष 2024–25 में विभागीय योजना का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम का नाम	लाभान्वित पशुपालकों की संख्या
1	अनुदान पर बकरा वितरण योजना	बलौदा	जर्वे–च	1
		नवागढ़	जांजगीर	3
2	उन्नत मादा वत्सपालन योजना (विशेष पशुपालन कार्यक्रम)	नवागढ़	पचेड़ा	5
		नवागढ़	जगमहंत	1
		नवागढ़	पाली	1
		नवागढ़	जांजगीर	4
		नवागढ़	सुकली	1
3	बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना	बम्हनीडीह	चाम्पा	4
		बलौदा	पिसौद	4
		बलौदा	जर्वे च	2
		बलौदा	कुलीपोटा	2
		नवागढ़	नवागढ़	5
		नवागढ़	पचेडा	14
		नवागढ़	धाराशिव	8
		नवागढ़	मेंहदा	6
		नवागढ़	सेवई	1
4	राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना	नवागढ़	कन्हारिबंद	1
		नवागढ़	हरदी	1
		नवागढ़	पचेडा	1
		नवागढ़	पेण्डी	3
		नवागढ़	जांजगीर	2
		नवागढ़	नवापारा	1
योग				71


 (डॉ. मौसम मेहरा)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 पशुधन विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

परिशेष - बत्तीस

परिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 33 (क्र. 852) की जानकारी

प्रपत्र-अ
वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जांजगीर-चांपा जिले में नवीन मत्स्य तालाबों का निर्माण तथा तालाबों का जीर्णोद्धार की वर्षवार जानकारी

स.क्र.	वर्ष	योजना का नाम	निर्मित तालाब का जलक्षेत्र (हेक्टर में)	जीर्णोद्धार तालाब का जलक्षेत्र (हेक्टर में)	इकाई लागत (राशि रू. में)	कृषक अंशदान (राशि रू. में)	विभाग द्वारा प्रदाय अनुदान (राशि रू. में)
1	2024-25	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	1.00	-	1100000.00	4,40,000.00	6,60,000.00
	योग		1.00	-	1100000.00	4,40,000.00	6,60,000.00
2	2025-26 (10.02.2026 तक)						
	योग		-	-	-	-	-
	महायोग		1.00	-	1100000.00	4,40,000.00	6,60,000.00

निरंक

सही/-अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

प्रपत्र-ब

बजट वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जांजगीर-चांपा जिले में मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण तथा आबंटित राशि की वर्षवार जानकारी

स.क्र.	वर्ष	मत्स्य बीज उत्पादन			वितरित मत्स्य बीज की मात्रा (लाख में)
		आबंटित राशि (राशि रू. में)	व्यय राशि (राशि रू. में)	मत्स्य बीज उत्पादन की मात्रा (लाख में)	
1	2024-25	2551100.00	2535177.00	150.87	150.87
	योग	2551100.00	2535177.00	150.87	150.87
2	2025-26 (10.02.2026 तक)	1091000.00	794331.00	67.70	67.70
	योग	1091000.00	794331.00	67.70	67.70
	महायोग	3642100.00	3329508.00	218.57	218.57

सही/-अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

पारिशिष्ट - तैत्तीस

पारिवर्तित अतारोकेत प्रश्न संख्या 34 (क्र. 855) की जानकारी

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 855 (ग) ताराकित की जानकारी (मंडी में उपलब्ध निधियों की वर्षवार जानकारी)

प्रपत्र-अ

क्र.	मंडी समिति का नाम	वर्ष	स्थाई निधि		आरक्षित निधि		मंडी निधि		भविष्य निधि		अन्य निधि		योग											
			सावधि खाता	बचत खाता	योग	सावधि खाता	बचत खाता	योग	सावधि खाता	बचत खाता	योग	सावधि खाता	बचत खाता	योग										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	५६६	2024-25	9852170	10218145	20070315	8987576	2163019	11150595	41125417	19195185	60320602	0	0	0	0	0	3975825	3975825	35552174	95517337				
		2025-26 (02 फरवरी 26 तक)	12079395	8623204	20702599	9689441	1044744	10734185	44366039	18513462	62879501	0	0	0	0	0	0	0	66134875	28181410	94316285			
		2024-25	36328344	770310	37098654	1215938	2334321	3550259	130214563	24671969	154886532	0	0	0	0	0	0	0	167758845	27776600	195535445			
2	६६६	2025-26 (02 फरवरी 26 तक)	39117446	770310	39887756	1300754	1675029	2975783	136940460	6153340	143093800	0	0	0	0	0	0	0	177358660	8598679	185957339			
		2024-25	29900000	13832021	43732021	0	4308568	4308568	68978593	86399235	155377828	0	0	0	0	0	0	0	98878593	104539824	203418417			
		2025-26 (02 फरवरी 26 तक)	40000000	24001930	64001930	0	5336208	5336208	65470629	76367826	141838455	0	0	0	0	0	0	0	105470629	105705964	211176593			
			वर्ष 2024-25 का महायोग														328602801		167888598		494471199		491450217	
			वर्ष 2025-26 का महायोग (02 फरवरी 2026 तक)														348964164		142486053		491450217			

निधि

- 1 स्थायी निधि
- 2 आरक्षित निधि
- 3 मंडी निधि
- 4 भविष्य निधि
- 5 अन्य निधि

व्यय का प्रयोजन

- स्थायी प्रकृति के कार्य जैसे-भवन निर्माण, मंडी प्रांगण के लिए जमीन खरीदी या अर्जन हेतु।
- विभागीय पेंशनरों के पेंशन, मंहगाई राहत, ग्रेजुटी के भुगतान हेतु ।
- कर्मचारियों के वेतन भत्ते कार्यालयीन व्यय एवं मंडी प्रांगण अधोसंरचना निर्माण, रख-रखाव तथा मंडी क्षेत्र में सड़क, गोदाम तथा अन्य कृषि संबंधित विकास कार्यों के लिए किया जाता है।
- कर्मचारियों के भविष्य निधि अग्रिम, आंशिक विकर्षण एवं अंतिम विकर्षण के भुगतान हेतु किया जाता है।
- गोदाम, भवन अन्य किराया अनुबंधकर्ता एवं अन्य व्यक्ति/संस्थाओं से प्राप्त अमानत राशि जमा की जाती है। इस निधि में जमा राशि संबंधित को पूर्णतः वापसी योग्य होती है।

Digitally signed by
Vikas Mishra
Date: 19-02-2026
13:14:28
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

(मंडी में उपलब्ध निधियों का वर्षवार कार्यवार व्यय की जानकारी)

प्रपत्र-ब									
क्र.	मंडी समितियों का नाम	वर्ष	स्थापना व्यय	निर्माण कार्य पर व्यय	स्थायी निधि	आरक्षित निधि (मंडी बोर्ड को भुगतान)	राज्य विपणन विकास निधि (मंडी बोर्ड को भुगतान)	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पुणे	2024-25	9750996	19337501	0	1127253	21288348	825669	52329767
		2025-26 (02 फरवरी 26 तक)	7654898	2196011	1856956	1355708	6937589	5385838	25387000
2	पुणे	2024-25	5969857	73425375	0	2864461	31735851	744641	114740185
		2025-26 (02 फरवरी 26 तक)	4982557	27686038	0	1436604	15836456	395743	50337398
3	पुणे	2024-25	2693547	8273702	0	1654855	18387272	732640	31742016
		2025-26 (02 फरवरी 26 तक)	411028	4795136	0	902311	10025682	4168777	20302934
		वर्ष 2024-25 का महायोग							
		वर्ष 2025-26 का महायोग (02 फरवरी 2026 तक)							
		198811968							
		96027332							

Digitally signed by विकास मिश्रा
Vikas Mishra उप सचिव
Date: 19-02-2026
13:15:20 उत्तरीसंग्रह शासन एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परोशेष्ट - चोतीस
परोवातेत अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 865) की जानकारी

प्रपत्र - अ

छात्रवृत्ति योजना पात्रता / मापदंड/आवश्यक दस्तावेज, लागू नियम, प्रदान की जाने वाली राशि की जानकारी

क.	कक्षा	वर्ग / लिंग	छात्रवृत्ति राशि (रु. वार्षिक)	आय सीमा / पात्रता	आवश्यक दस्तावेज	
1	(अजजा) राज्य छात्रवृत्ति					
	3री से 5वीं	अजजा बालिका	500	कोई आय सीमा नहीं	सरपंच ग्राम पंचायत वार्ड पार्षद,नगर पंचायत,नगर पालिका नगर निगम द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (अधिसूचना संलग्न है।)	
	6वीं से 8वीं	अजजा बालिका	800	कोई आय सीमा नहीं		
		अजजा बालक	600			
	9वीं से 10वीं	अजजा बालिका	1000	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक होने पर		
		अजजा बालक	800			
2	(अजा) राज्य छात्रवृत्ति					
	3री से 5वीं	अजा बालिका	500	कोई आय सीमा नहीं	सरपंच ग्राम पंचायत वार्ड पार्षद,नगर पंचायत,नगर पालिका नगर निगम द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (अधिसूचना संलग्न है।)	
	6वीं से 8वीं	अजा बालिका	800	कोई आय सीमा नहीं		
		अजा बालक	600			
	9वीं से 10वीं	अजा बालिका	1000	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक होने पर		
		अजा बालक	800			
3	(अजजा) कन्या साक्षरता राज्य छात्रवृत्ति					
	कक्षा 6वीं	अजजा बालिका	500	कोई आय सीमा नहीं (कक्षा 6वीं में प्रवेशित छात्राओं हेतु)	-	
4	(अजा) कन्या साक्षरता राज्य छात्रवृत्ति					
	कक्षा 6वीं	अजा बालिका	500	कोई आय सीमा नहीं (कक्षा 6वीं में प्रवेशित छात्राओं हेतु)	-	
5	(अजजा/अजा) प्री मैट्रिक केन्द्र प्रवर्तित योजना					
	9वीं से 10वीं	अजा छात्रावासी	7000	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न होने पर	आनलाईन बना हुआ जाति व आय 2.50 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र	
		अजा गैर छात्रावासी	3500			
		अजजा छात्रावासी	6250			
		अजजा गैर छात्रावासी	3000			
6	(अजजा/अजा) पोस्ट मैट्रिक केन्द्र प्रवर्तित योजना					
	11वीं से 12वीं	अजा छात्रावासी	4000	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न होने पर	आनलाईन बना हुआ जाति व आय 2.50 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र	
		अजा गैर छात्रावासी	2500			
		अजजा छात्रावासी	3800			
		अजजा गैर छात्रावासी	2300			
7	छ.ग. महतारी दुलार योजना (1लीं से 12वीं)					
	कक्षा 1लीं से 8वीं	छात्रवृत्ति रु. 5000/- प्रतिवर्ष	अशासकीय शाला शुल्क 1.9 लाख रु की सीमा में प्रतिपूर्ति	माता/पिता/दोनों की कोविड-19 आपदा में मृत्यु एवं जिला स्तरीय समिति एवं जिला कलेक्टर से अनुमोदन	दिशा निर्देश संलग्न है।	
	कक्षा 9वीं से 12वीं	छात्रवृत्ति रु. 10000/- प्रतिवर्ष				
	कक्षा 1लीं से 12वीं	अशासकीय शाला शुल्क 1.9 लाख रु की सीमा में प्रतिपूर्ति				
8	मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना राज्य छात्रवृत्ति 10वीं व 12वीं बोर्ड मेरिट विद्यार्थी					
	छ.ग. बोर्ड के कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेरिट में अजा एवं अजजा के विद्यार्थी	15000	लक्ष्य 10वीं (अजा-144 एवं अजजा 336) 12वीं (अजा-144 एवं अजजा 336)	विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र		
9	राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य छात्रवृत्ति योजना					
	कक्षा 9वीं से 12वीं	-	12000	कक्षा 8वीं दौरान राज्य स्तरीय परीक्षा में ध्यान उपरांत राज्य के कुल लक्ष्य 2246 की सीमा में आने वाले 3.50लाख से कम आय के पात्र विद्यार्थियों को भारत सरकार से सीधे DBT	दिशा निर्देश संलग्न है।	
10	(अपिव) प्री मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति					
	6वीं से 8वीं	अपिव बालक	300	पालक/अभिभावक आयकार की सीमा में नहीं आते हो अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो।	सरपंच ग्राम पंचायत वार्ड पार्षद,नगर पंचायत,नगर पालिका नगर निगम द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (अधिसूचना संलग्न है।)	
		अपिव बालिका	450			
	9वीं से 10वीं	अपिव बालक	450			
		अपिव बालिका	600			
11	(अपिव) पोस्ट मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति (पात्रता- उपरोक्तानुसार जाति प्रमाण पत्र व आय सीमा 1 लाख से अधिक न हो)					
	कक्षा	(छात्रावासी)		(गैरछात्रावासी)		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	
		11वीं	1000	1100	500	600
		12वीं			550	700

अनुभवाधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, पञ्जाबी भवन, नया रायपुर

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 — ज्येष्ठ 1, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 22 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-6/2021/एक/6.— राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 (करोना) महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा/अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु “छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021” लागू किया जाता है।

1. योजना का नाम —

इस योजना का नाम “छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021” है।

2. उद्देश्य —

कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा/अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

3. विस्तार —

इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा।

4. पात्रता की शर्तें —

- छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
- ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो।
- ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयु संबंधी पात्रता रखता हो।
- जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण-पोषण की समस्या हो गई हो।

5. शैक्षणिक सुविधा —

- ऐसे पात्र बच्चों को प्रदेश के शासकीय शालाओं में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायी जावेगी।
- ऐसे पात्र बच्चों को राज्य शासन द्वारा संचालित “स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम” स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी।

अनुभाष अधिकारी
आदिभ जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

- iii. जिनके माता पिता दोनों की कोरोना से मृत्यु हो गयी है, उनके शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय शासन वहन करेगा। साथ ही छात्रवृत्ति दी जावेगी।
- iv. जिनके कमाने वाला माता अथवा पिता की मृत्यु हो गयी है उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जावेगा।
- v. पात्र छात्रों को स्कूल शिक्षा के पश्चात् उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन दिया जावेगा।
- vi. प्रतिभावान छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जावेगा।

6. छात्रवृत्ति -

ऐसे पात्र स्कूलों में प्रवेशित छात्रों को जिनका छात्रवृत्ति देय होगा :-

- i. कक्षा 1 से 8 तक - रुपये 500/- प्रतिमाह
- ii. कक्षा 9 से 12 तक - रुपये 1000/- प्रतिमाह

7. योजना का क्रियान्वयन -

इस योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा -

- i. किसी भी स्रोत से कलेक्टर को जानकारी प्राप्त होने पर, कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- ii. छात्र स्वयं या अभिभावक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सीधे आवेदन कर सकेगा।
- iii. प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग का एक-एक अधिकारी नामांकित होंगे।
- iv. समिति की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी जावेगी।
- v. अभिलेखों के रख-रखाव हेतु पंजी का संधारण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- vi. योजना की समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा समय-समय पर की जावेगी।
- vii. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश जारी कर सकेगी।

8. वित्तीय प्रबंधन -

सामान्य प्रशासन विभाग प्रति वर्ष छात्रों के मान से स्कूल शिक्षा विभाग को वांछित राशि उपलब्ध कराया जाएगा।

9. शिथिलिकरण -

सामान्य प्रशासन विभाग आवश्यकतानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु शर्तों में शिथिल कर सकेगा।

10. विवाद की स्थिति में -

इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहितभा यादव, उप-सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 जून 2021 — आषाढ़ 7, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जून 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-6/2021/एक/6.— राज्य शासन एतद्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2021 “छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021” की कंडिका 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त योजना की कंडिका 5 की उप कंडिका (vi) के पश्चात् निम्न कंडिका जोड़ा जाता है :-

- vii. योजनांतर्गत राज्य में संचालित शासकीय स्कूल अथवा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में अध्ययनरत हो, उन्हें छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
- viii. योजनांतर्गत शासकीय स्कूलों के अतिरिक्त निजी स्कूलों में पिछले एक साल से पढ़ रहे ऐसे बच्चे उसी निजी स्कूल में या स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अपनी इच्छानुसार पढ़ सकेंगे, राज्य सरकार द्वारा उनकी स्कूल फीस का वहन किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहितमा यादव, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.

अनुभाष अधिकारी
आदिन जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. मिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 502]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 सितम्बर 2021 — भाद्रपद 30, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-6/2021/एक/6— इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2021 द्वारा "छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021" लागू की गई है तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2021 द्वारा उक्त योजना की कंडिका 5 की उप कंडिका कंडिका (vi) के पश्चात् (vii) एवं (viii) जोड़ी गई हैं।

2. राज्य शासन एतद्वारा "छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021" की कंडिका 5 की उप कंडिका (viii) के पश्चात् निम्न कंडिका जोड़ा जाता है :-

ix. नवप्रवेशित विद्यार्थियों के निजी विद्यालयों में शासन द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय नवोदय या एकलव्य विद्यालय में शैक्षणिक व्यय के समतुल्य अथवा उक्त निजी विद्यालय की वास्तविक व्यय जो भी कम हो, होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रौक्मिणी यादव, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.

अनुमोदित अधिकारी
आदिभ जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

F. No.1-6/2020-SS
Government of India
Ministry of Education
Department of School Education & Literacy

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 16th March, 2022

To

The Principal Secretary/Secretary (Education)
All State/UT Governments;
(As per list attached)

Subject: Revised guidelines of Central Sector National Means-cum-Merit Scholarship (NMMSS) of the Department of School Education and Literacy regarding.

Sir,

This has reference to Central Sector Scheme "National Means-cum-Merit Scholarship Scheme of the Department of School Education & Literacy, Ministry of Education which is being implemented since 2008 with an objective to award scholarships to meritorious students of economically weaker sections to arrest their drop out at class VIII and encourage them to continue the study at secondary stage. Under this scheme, 100,000 fresh scholarships @ Rs. 12000/- per annum are awarded to the meritorious students every year at Class IX level, which can be continued upto Class XII. The State/UT-wise fixed quota is at given Annexure-I.

2. The scheme has been approved for continuation for another 5 years during the period of 15th Finance Commission cycle from 2021-22 to 2025-26. As per the latest provisions under the scheme, the following aspects of the guidelines have been revised:

(i) The parental income ceiling has been enhanced from the present ceiling of ₹ 1.50 lakh per annum to ₹ 3.50 lakh per annum.

(ii) The renewal criteria has been revised from the existing pattern of getting 55% marks in Class IX & XI and 60% in Class X to the new pattern of getting minimum of 60% marks in Class X only for continuation of scholarship (relaxable by 5% for SC/ST candidates) in next higher classes while getting clear promotion from class IX to class X and from class XI to class XII in the first attempt.

(iii) The reimbursement cost for conduct of NMMSS examination given to States and UTs has been revised from the present rate of ₹ 50 per student to ₹ 100 per student for the number of students appearing in the examination removing the cap of limiting reimbursement cost @ 1500 students per district.

iv) Total number of scholarships i.e. is 1,00,000 and amount @ Rs. 12000/- per year per student will be fixed for five years even when allotted quota of States and UTs will be revised on the basis of Census 2021

(v) The evaluation study of the scheme will be carried out on yearly basis.

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

(vi) Ministry will initiate a campaign for spreading awareness/advertisement of the scheme through print and electronic media including social media at national level from 2022-23 onwards so that benefits of the scheme may reach more eligible beneficiaries.

The revised guidelines of the scheme are attached at Annexure-II. They will come into effect from FY 2022-23.

3. It is therefore requested that wide publicity may be given to the revised guidelines so that participation in the NMMSS selection exam increases and maximum number of meritorious students get selected and fulfill full strength of the state/UT quota. It is also requested that selection exams and thereafter the process of application and verification on NSP are conducted in a timely manner so that all eligible students can avail the benefits of this scheme.

4. The issues with the approval of the Competent Authority.

Encls. as above.

Yours faithfully,

(Gaj Mohan Meena)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel. No. 011-23384897

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Nodal Officer of all States/UTs for NMMSS.
2. DGM, State Bank of India, Main Branch, Parliament Street, New Delhi-110001.
3. NIC Cell, MoE, Deptt of SE&L for updating the guidelines on MoE, Deptt of SE&L dashboard.
4. Shri Shashi Bhusan, DDG, NIC, CGO Complex, New Delhi, for updating guidelines on National Scholarship Portal (NSP).
5. Shri Ravi Ranjan, Under Secretary, DBT Mission, Cabinet Secretariat, Shivaji Stadium, New Delhi.
6. Mrs. Sanchita Shukla, Joint Controller General of Accounts (PFMS), O/o CGA, Shivaji Stadium, New Delhi.
7. Shri Shailendra Singh, DDG, UIDAI, Jeewan Deep Building, New Delhi.

(Gaj Mohan Meena)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel. No. 011-23384897

अनुभाग अधिकारी
आदिन जाति विकास विभाग
मालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

Annexure-I

Table-Indicating the number of scholarships to States/UTs on the basis of 2/3rd (66.67%) weightage on the enrolment in classes VII and VIII and 1/3rd (33.33%) weightage on child population of the relative age under National Means-cum-Merit Scholarship Scheme		
S.No.	States/UTs	Scholarships on the basis of 66.67% weightage to Enrolment & 33.33% weightage to Child Population
1	Andhra Pradesh	4087
2	Arunachal Pradesh	122
3	Assam	2411
4	Bihar	5433
5	Chhattisgarh	2246
6	Goa	144
7	Gujarat	5097
8	Haryana	2337
9	Himachal Pradesh	832
10	Jammu & Kashmir	1091
11	Jharkhand	1959
12	Karnataka	5534
13	Kerala	3473
14	Madhya Pradesh	6446
15	Maharashtra	11682
16	Manipur	255
17	Meghalaya	231
18	Mizoram	103
19	Nagaland	180
20	Orissa	3314
21	Punjab	2210
22	Rajasthan	5471
23	Sikkim	58
24	Tamil Nadu	6695
25	Telangana	2921
26	Tripura	351
27	Uttar Pradesh	15143
28	Uttarakhand	1048
29	West Bengal	7250
30	A&N Islands	42
31	Chandigarh	85
32	D&N Haveli	22
33	Daman & Diu	16
34	Delhi	1576
35	Lakshadweep	10
36	Pondicherry	125
Total		100000

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र - ब

पात्र विद्यार्थियों की जिलेवार संख्या

क्र	जिला	लक्ष्य	कुल पात्र छात्र/छात्राएं
1	2	3	4
1	नारायणपुर	7642	2356
2	बस्तर	44945	14946
3	सक्ति	86880	32604
4	सुकमा	37247	16858
5	महासमुंद	15126	6572
6	महासमुंद	54755	24174
7	बीजापुर	13269	5979
8	रायपुर	85501	40750
9	कोंडागांव	47292	23269
10	सांरगढ़-बिलाईगढ़	37701	20877
11	गौरेला-पेण्ड्रा	21285	10632
12	कबीरधाम	61475	32365
13	जांजगीर-चांपा	59412	32885
14	कोरबा	66796	37456
15	बलरामपुर	39962	22146
16	बलौदाबाजार	91303	56831
17	जशपुर	51411	29571
18	कांकेर	35839	20961
19	मुंगेली	59591	37153
20	धमतरी	33884	21686
21	दंतेवाड़ा	14755	9033
22	खैरागढ़-छुईखदान	29753	19022
23	दुर्ग	54378	33286
24	सूरजपुर	38947	23671
25	मनेन्द्रगढ़	20920	12704
26	राजनांदगांव	60573	40252
27	रायगढ़	57804	38599
28	कोरिया	12410	8744
29	बेमेतरा	64952	45703
30	गरियाबंद	42885	31012
31	बालोद	51417	37648
32	मोहला-मानपूर	21385	15552
33	सरगुजा	45250	33812
कुल -		1466745	839109

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, प्रधानमंत्री भवन, नया रायपुर

परिशेष - पेंतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 872) की जानकारी

प्रपत्र-अ

(राशि करोड़ में)

	01 जनवरी, 2024 से जनवरी, 2026 तक केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त राशि
सहायता अनुदान	31362
केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	95651
राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता	13764



प्रपत्र-ब

प्रश्नांकित अवधि में बैंकों से लिए गए ऋणों का विवरण

(राशि करोड़ में)

बैंक का नाम	जनवरी 2024 से जनवरी, 2026 तक प्राप्त राशि
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	2,185.98
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	82.30
राष्ट्रीय आवास बैंक	63.80
अंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (ADB / AIIB / IBRD / IFAD)	377.87



पारोशिए - छत्तीस
पारेवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 40 (क्र. 876) की जानकारी

प्रपत्र

क्रमांक	कॉलोनी का नाम	विकसित/अविकसित	रिमार्क
1.	टाटीबंध	विकसित	-
2.	हीरापुर	विकसित	-
3.	बीरगांव	विकसित	-
4.	कबीरनगर	विकसित	स्वीकृत अभिन्यास अनुसार कालोनियों के कुछ भूमि पर विवाद होने के कारण विभिन्न न्यायालयों में न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है।
5.	सड्डु	विकसित	-
6.	बोरियाकला	विकसित	-
7.	डुमरतराई	विकसित	-
8.	सेजबहार फेस-1	विकसित	-
9.	सेजबहार फेस-2	अविकसित	-
10.	खिलोरा	विकसित	-
11.	पुरैना	विकसित	-


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - सैंतीस

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 880) की जानकारी

प्रपत्र-अ

छत्तीसगढ़ शासन
पर्यटन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक 991/33/पर्य/2019
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 13.11.2019

- | | |
|---|--|
| 1 अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर | 2 प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर |
| 3 प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर | 4 सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर |
| 5 सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर | 6 विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार),
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर |
| 7 विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार),
छत्तीसगढ़ शासन
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर | 8 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(समिति के संयोजक)
वन विभाग, अरण्य भवन,
नवा रायपुर (छत्तीसगढ़) |
| 9 संचालक,
संस्कृति विभाग,
रायपुर (छत्तीसगढ़) | 10 प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़) |
| 11 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(विकास/योजना)
अरण्य भवन, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़) | 12 आयुक्त,
मनरेगा, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर (छत्तीसगढ़) |
| 13 प्रमुख अभियंता,
ग्रा0 यांत्रिकी सेवा विभाग,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर | |

विषय:- "राम वन गमन परिपथ" संबंधी राज्यस्तरीय समिति का गठन एवं बैठक की सूचना बाबत।

-00-

विषयांतर्गत राज्य में "राम वन गमन परिपथ" स्थलों के विकास हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में उपरोक्त सदस्यों की राज्यस्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें दो विषय विशेषज्ञों के नाम समिति द्वारा प्रस्तावित किये जायेंगे।

उक्त राज्यस्तरीय समिति की प्रथम बैठक दिनांक 14.11.2019, समय- अपराह्न 3:00 बजे, स्थान- न्यू सर्किट हाऊस, सिविल लाईन्स, रायपुर में रखी गई है। कृपया उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करेंगे।

(अन्वलगन पी.)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पर्यटन विभाग

राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत अनुबंधित कार्य एजेंसी का विवरण निम्नानुसार है:—

सं.क्र.	स्थान का नाम	टेंडर दिनांक	अनुबंधित एजेंसी का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी का नाम
01	चन्द्रखुरी	13.08.2020	टी.सी. आई. एल	टी.सी.आई.एल. भवन, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 परियोजना कार्यालय:- म.नं 512, VIP करिश्मा के पीछे, मोवा, VIP स्टेट रोड, आदर्श नगर रायपुर, छ.ग.
02	शिवरीनारायण	08.11.2021	टी.सी. आई. एल	
03	चम्पारण्य	11.11.2022	टी.सी. आई. एल	
04	मुकुन्दपुर	13.04.2022	टी.सी. आई. एल	
05	सीतामढ़ी-हरचौका	17.11.2021	वापकॉस	76 सी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर 18, गुडगांव , 122015 हरियाणा। परियोजना कार्यालय :- म. नं. 1-21, अनुपम नगर, रायपुर , छ.ग.
06	राजिम	23.02.2021	वापकॉस	
07	रामगढ़	06.02.2023	वापकॉस	

अनुबंधित एजेंसी के कार्य अनुभव की जानकारी निम्नानुसार है:—

निर्माण एजेंसी का चयन परियोजना के अनुसार तय किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों का निष्पादन किया जाना होता है। प्रतिमा की स्थापना उस परियोजना का एक घटक मात्र है जो कि अनुभवी शिल्पकारों से करवाया जाता है। प्रतिमा तैयार करने वाले अनुभवी शिल्पकार की सूची एवं कार्य अनुभव की जानकारी निम्नानुसार है:—

सं. क्र.	नाम	जगह का नाम जहां इनके द्वारा निर्मित मूर्ति स्थापित की गई दिनांक	कार्य अनुभव
01	दीपक विश्वकर्मा ग्वालियर	शिवरीनारायण	1. शार्गुल (जोड़ा) – मध्यप्रदेश नवीन विधानसभा भवन , भोपाल मुख्य द्वार 2. शार्गुल (जोड़ा) एवं अन्य मूर्तियां- नवीन राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय, मुरैना (नगर निगम, मुरैना) 3. स्वामी विवेकानंद मूर्ति, के एस ऑईल मिल चौक नगर निगम, मुरैना 4. मां बेटी मूर्ति, स्टेडियम चौक, मुरैना (नगर निगम, मुरैना) 5. अशोक स्तंभ, राधिका पैलेस चौक, मुरैना (कार्य अनुभव – 20 वर्ष से अधिक)
02	आकाश जानदार भोपाल	चम्पारण्य	1. सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुम्बई से स्नातक की उपाधि 2. महात्मा गांधी संग्रहालय वर्धा महाराष्ट्र में कार्यरत 3. पन्द्रहपुर तुलसी वृन्दावन रेलवे स्टेशन, जावल महाराष्ट्र 4. छत्रपति शिवाजी महाराज मूर्ति , अश्वरोड नासिक (कार्य अनुभव – लगभग 15 वर्ष)
03	दीपक विश्वकर्मा ग्वालियर	मुकुन्दपुर नगरी	1. शार्गुल (जोड़ा) – मध्यप्रदेश नवीन विधानसभा भवन , भोपाल मुख्य द्वार 2. शार्गुल (जोड़ा) एवं अन्य मूर्तियां- नवीन राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय, मुरैना (नगर निगम, मुरैना) 3. स्वामी विवेकानंद मूर्ति, के एस ऑईल मिल चौक नगर निगम, मुरैना 4. मां बेटी मूर्ति, स्टेडियम चौक, मुरैना (नगर निगम, मुरैना)

			5. अशोक स्तंभ, राधिका पैलेस चौक, मुरैना (कार्य अनुभव – 20 वर्ष से अधिक)
04	जगबंधु ओडिशा	चन्द्रखुरी	1. तारा तारिणी टेम्पल (ब्रम्हपुर उड़ीसा) 2. बिरजा टेम्पल (जाजपुर उड़ीसा) 3. भार्तेश्वर टेम्पल (भुवनेश्वर उड़ीसा) 4. पूरी लोकनाथ टेम्पल (जगन्नाथपुरी उड़ीसा) 5. दीघा जगन्नाथ टेम्पल (पश्चिम बंगाल) (कार्य अनुभव – 15 वर्ष से अधिक)
05	दीपक विश्वकर्मा ग्वालियर	सीतामढी- हरचौका	1. शार्गुल (जोड़ा) – मध्यप्रदेश नवीन विधानसभा भवन , भोपाल मुख्य द्वार 2. शार्गुल (जोड़ा) एवं अन्य मूर्तियां- नवीन राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय, मुरैना (नगर निगम, मुरैना) 3. स्वामी विवेकानंद मूर्ति, के एस ऑईल मिल चौक नगर निगम, मुरैना 4. मां बेटी मूर्ति, स्टेडियम चौक, मुरैना (नगर निगम, मुरैना) 5. अशोक स्तंभ, राधिका पैलेस चौक, मुरैना (कार्य अनुभव – 20 वर्ष से अधिक)
06	जगबंधु ओडिशा	राजिम	1. तारा तारिणी टेम्पल (ब्रम्हपुर उड़ीसा) 2. बिरजा टेम्पल (जाजपुर उड़ीसा) 3. भार्तेश्वर टेम्पल (भुवनेश्वर उड़ीसा) 4. पूरी लोकनाथ टेम्पल (जगन्नाथपुरी उड़ीसा) 5. दीघा जगन्नाथ टेम्पल (पश्चिम बंगाल) (कार्य अनुभव – 15 वर्ष से अधिक)
07	जगबंधु ओडिशा	रामगढ़	1. तारा तारिणी टेम्पल (ब्रम्हपुर उड़ीसा) 2. बिरजा टेम्पल (जाजपुर उड़ीसा) 3. भार्तेश्वर टेम्पल (भुवनेश्वर उड़ीसा) 4. पूरी लोकनाथ टेम्पल (जगन्नाथपुरी उड़ीसा) 5. दीघा जगन्नाथ टेम्पल (पश्चिम बंगाल) (कार्य अनुभव – 15 वर्ष से अधिक)

प्रपत्र 'स'

राम वनगमन परिपथ के अंतर्गत चिन्हांकित स्थलो की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति:-

स. क्र.	चिन्हांकित कार्य स्थल का नाम	कार्य का विवरण	वित्तीय स्थिति रु.	भौतिक स्थिति
1.	चंदखुशी (रायपुर) टी.सी.आई.एल.	प्रथमचरण-कार्यादेश दिनांक 11/08/2020 रिटेनिंग वॉल घाट डेवलपमेंट एवं 4 कियोस्क (पैगौड़ा), प्रशासनिक ऑफिस, पब्लिक टॉयलेट, ज्योत हॉल, ब्रिज, एप्रोच रोड एवं फैंसिलिटी, डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस वर्क, तालाब, लैंड स्केपिंग एंड फैंसिंग, इलेक्ट्रिकफिकेशन, इंटरनल प्लंबिंग, एक्सटरनल प्लंबिंग, बड़ा प्रवेश द्वार स्वीकृत	6,21,13,317.00	कार्य पूर्ण
		द्वितीय चरण- कार्यादेश दिनांक 15/01/2021 तालाब गहरीकरण, रिटेनिंग वॉल, पीचिंग एवं घाट डेवलपमेंट, छोटा प्रवेश द्वार, साइनेजेस, दीप स्तंभ, श्रीराम स्टेच्यू, स्लुइस गेट स्वीकृत।	7,32,86,928.00	कार्य पूर्ण
		तृतीय चरण - कार्यादेश (दिनांक 09/12/2021) एलईडी ब्राडिंग, कियोस्क, पर्यटक सूचना केन्द्र/कैफेटेरिया, स्टेज, पार्किंग डेवलपमेंट, एप्रोच रोड बाउंड्रीवॉल, रिटेनिंग वॉल, प्रिफैब माड्यूलर शॉप, डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस वर्क, लैंडस्केपिंग, इलेक्ट्रिकफिकेशन, टायलेट -2, एक्सटरनल प्लंबिंग, इंटरनल प्लंबिंग, यज्ञशाला, ओवरहेड टैंक, कॉटेज एंड डोरमेट्री, टेंपल क्लैडिंग, डिपनिंग एवं डी स्लाइटिंग पोण्ड-2 स्वीकृत	7,55,53,634.40	कार्य पूर्ण
	वाफ्कोस लिमिटेड	कार्यादेश- (दिनांक 05/06/2021) लाईट, वॉटर एण्ड साउंड शो से संबंधित कार्य	9,50,29,500.60	कार्य पूर्ण
2.	शिवरीनारायण (जांजगीर चांपा) वाफ्कोस लिमिटेड	प्रथम चरण-कार्यादेश दिनांक 15/01/2020 घाट सौंदर्यीकरण, रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर/ कैफेटेरिया, साइनेजेस कम्पोनेंट, इंटरनल प्लंबिंग, प्रशासनिक कार्यालय, व्यूइंग डेस्क कियोस्क, मंदिर परिसर जीर्णोद्धार, पार्किंग, पब्लिक शौचालय निर्माण स्वीकृत। कार्य पूर्ण	6,22,94,682.00	कार्य पूर्ण
	टी.सी.आई.एल.	द्वितीय चरण पार्ट-1 कार्यादेश दिनांक 23/10/2021 -मुख्य प्रवेश द्वार, छोटा प्रवेश द्वार, सीसीटीवी कैमरा, दीप स्तंभ, एलईडी ब्राडिंग, इलेक्ट्रिकफिकेशन, साइनेजेस कम्पोनेंट, लैंडस्केपिंग, लक्ष्मण मंदिर खरौद में विद्युतीकरण कार्य, मार्केट अपग्रेडेशन, एक्सटरनल प्लंबिंग, घाट वाकवे का विकास, पार्किंग, भगवान श्रीराम स्टेच्यू, व्यूइंग डेस्क कियोस्क, घाट विकास, साइनेजेस कम्पोनेंट, प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, बाउंड्रीवॉल आदि स्वीकृत।	4,16,76,829.99	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
		द्वितीय चरण पार्ट-2 कार्यादेश दिनांक 23/10/2021 स्मॉल गेट इन्ट्रेन्स, इलेक्ट्रिकफिकेशन, साइनेज कम्पोनेंट, लैंडस्केपिंग, इलेक्ट्रिकफिकेशन (आऊट साईड) एक्टेनरल प्लंबिंग, मेन गेट इन्ट्रेन्स, घाट वॉलकवे डेवलपमेंट, दीप स्तंभ, एलईडी ब्राडिंग, इलेक्ट्रिकफिकेशन, लैंडस्केपिंग, पार्किंग सीसीटीवी, लक्ष्मण टेम्पल, खरौद में विद्युतीकरण कार्य	4,24,13,958.44	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
3.	सिहावा (धमतरी) टी.सी.आई.एल.	कार्यादेश दिनांक 26/03/2022 1. मुकुंदपुर (नगरी) -प्रवेश द्वार, पर्यटक सूचना केन्द्र छोटा टायलेट ब्लॉक, पार्किंग, पहुंच मार्ग एवं ड्रेन, कलवर्ट ड्रवेलपमेंट, एलईडी ब्राडिंग, लॉन ड्रवेलपमेंट, सीसीटीवी,	2,77,30,267.77	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण

		यज्ञशाला, इलेक्ट्रीफिकेशन, एक्सटरनल प्लम्बिंग, इंटरनल प्लम्बिंग, ओवरहेड वॉटर टैंक, कॉटेज निर्माण, स्टेयर्स, स्टेज, मॉड्यूलर शॉप, श्रीराम जी स्टेच्यू एवं सप्तऋषि प्लेटफॉर्म, सप्तऋषि स्थल का विकास, साइनेजेस एवं दीप स्तंभ, श्रीराम जी स्टेच्यू, गजीबो, बाउण्ड्रीवॉल, साइट डवलपमेंट (गार्ड रूम, रेस्ट रूम, यूजी टैंक, सेप्टिक टैंक, पम्प रूम एवं स्टोर रूम)		
		कार्यादेश दिनांक 07/06/2022 2.श्रृंगी-ऋषि आश्रम (सिहावा)-करटेन वॉल (म्यूरल के साथ), प्रवेश द्वार रेलिंग एवं शेड निर्माण, गजिबो ब्यूटीफिकेशन, इलेक्ट्रीफिकेशन, यज्ञशाला (ऊपर), इंटरनल प्लम्बिंग, श्रृंगी-ऋषि आश्रम में स्थित हनुमान मंदिर का सौंदर्यीकरण, पाथवे का विकास,टॉयलेट का जीर्णोद्धार, वॉशरूम। कार्य प्रगति पर ।	78,32,556.60	कार्य पूर्ण
4.	तुरतुरिया (बलोदाबाजार) वनमंडलाधिकारी बलोदाबाजार	कार्यादेश दिनांक 13/12/2021 प्रवेश द्वार, गार्डन कियोस्क, डेवलपमेंट आफ टेंट वीथ सेंट्रल गजीबो, पब्लिक टायलेट स्माल, पर्यटक सूचना केन्द्र, पब्लिक एप्रोच रोड एवं फैंसिलिटी, प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, डिसमेंटलिंग एवं मेनटेनेंस वर्क, साइनेजेस, लैंड स्केपिंग, आश्रम कॉम्प्लेक्स अपग्रेडेशन वीथ अप स्टेयर्स, इलेक्ट्रीफिकेशन, दीप स्तंभ, इंटरनल प्लम्बिंग, एक्सटरनल प्लम्बिंग, चैन लिंक फैंसिंग, सम्प वेल(4) के कार्य स्वीकृत ।	2,50,00,000.00	कार्य पूर्ण
5.	सीतामढ़ी हरचौका वॉफ़ोस लिमिटेड	कार्यादेश दिनांक 11/10/2021 रिटेनिंग वाल, पीचींग एंड घाट डेवलपमेंट, प्रवेश द्वार, कियोस्क, पब्लिक टायलेट स्माल,टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर स्माल, एप्रोच रोड एंड फैंसिलिटी,प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस वर्क,एलईडी ब्राडिंग, प्रभु श्रीराम जी की मूर्ति, दीप स्तंभ, साइनेजेस, लैंडस्केपिंग एंड पिचिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, सीसीटीवी, इंटरनल प्लम्बिंग, एक्सटरनल प्लम्बिंग, 02 रूम, कॉमन टायलेट एवं आश्रम, चेंजिंग रूम, बाउंड्रीवाल के कार्य स्वीकृत ।	4,35,18,964.62	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
6.	राजिम (धमतरी/ गरियाबंद) वॉफ़ोस लिमिटेड	कार्यादेश दिनांक 01/02/2021 छोटा प्रवेश द्वार, विविंग डेस्क कियोस्क, प्रभु श्रीराम जी की मूर्ति, दीप स्तंभ, घाट वाकवे डेवलपमेंट, पब्लिक टॉयलेट, पर्यटन सूचना केन्द्र, साइनेजेस, प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, एलईडी ब्राडिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, सीसीटीवी, पार्किंग, सीटी फेसलिपिटिंग, लोमश -ऋषि आश्रम, लैंडस्केपिंग, डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस वर्क, बाउंड्रीवाल, इंटरनल प्लम्बिंग, एक्सटरनल प्लम्बिंग के कार्य स्वीकृति	17,40,45,122.45	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण
7.	रामगढ़ (सरगुजा) वनमण्डलाधिकारी सरगुजा	कार्यादेश दिनांक 13/12/2021 प्रवेश द्वार, व्यूइंग डेस्क कियोस्क, पब्लिक टायलेट, पर्यटक सूचना केन्द्र/ कैफेटेरिया, रामायणा इंटरप्रेटेशन सेंटर, दीप स्तंभ, प्रभु श्रीराम स्टेच्यू, पब्लिक एप्रोच रोड डेवलपमेंट वर्क, प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप, डिसमेंटलिंग एवं मेनटेनेंस, एलईडी ब्राडिंग, साइनेजेस काम्पोजेन्ट्स, इलेक्ट्रीफिकेशन, इंटरनल प्लम्बिंग, एक्सटरनल प्लम्बिंग, बाउंड्रीवाल एंड फैंसिंग, काटेज एवं डारमेट्री कार्य स्वीकृत ।	5,92,86,260.00	कार्य पूर्ण
8.	चम्पारण्य (रायपुर) टी.सी.आई.एल.	कार्यादेश दिनांक 18/10/2022 छोटा प्रवेश द्वार, पब्लिक टायलेट, पर्यटक सूचना केन्द्र/कैफेटेरिया, पैगोडा/गजीबो, लैंडस्केपिंग, बाउंड्रीवॉल/चैन लिंक फेन्सिंग, दीप स्तंभ, श्री रामजी स्टेच्यू, इलेक्ट्रीकल, प्लम्बिंग कार्य	3,27,84,796.36	कार्य पूर्ण

9.	जगदलपुर (बस्तर) कलेक्टर जिला बस्तर	कार्यालयीन पत्र दिनांक 14/02/2023 1. दलपत सागर – छोटा प्रवेश द्वार, कियोस्क, पब्लिक रोड एंड फैसिलिटी, टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर, डिसेमेंटलिंग एंड मैनेटेनेन्स, लैंडस्केपिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, माड्यूलर शॉप, साइनेजेस काम्पोनेंट, एलइडी ब्राडींग दीप स्तंभ, सेनिटरी फिक्चर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ट्यूब वेल एंड रेनवाटर हार्वेस्टिंग, टोवर हेड टैंक		कार्य अप्रारंभ
		2. चित्रकोट – छोटा प्रवेश द्वार, टूरिस्ट इनफॉर्मेशन, स्माल पब्लिक टायलेट, टैंक इन कैम्पींग साइट, कियोस्क, पब्लिक एप्रोच रोड डेवलपमेंट, साइनेजेस काम्पोनेंट, लैंडस्केपिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, सैनिटरी फिक्चर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ट्यूब वेल एंड रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ओवर हैड टैंक, बाउंड्री वाल		कार्य अप्रारंभ
		3. तीरथगढ़– प्रवेश द्वार, पब्लिक टॉयलेट, इंटरनल प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीफिकेशन, पब्लिक एप्रोच रोड का विकास, साइनेजेस, लैंडस्केपिंग फेन्सिंग के साथ, बोरवेल		कार्य अप्रारंभ
10.	रामाराम (सुकमा) कलेक्टर जिला सुकमा	कार्यालयीन पत्र दिनांक 03/12/2021 छोटा प्रवेश द्वार, पब्लिक टायलेट स्मॉल, प्रीफैब मॉड्यूलर शॉप, साइनेजेस काम्पोनेंटस, टूरिस्ट इन्फार्मेशन सेंटर, इलेक्ट्रीफिकेशन, प्लम्बिंग एवं सैनेटरी फिक्चर, ओवर हैड टैंक, दीप स्तंभ, लैंडस्केपिंग, पब्लिक एप्रोच रोड विकास, बाउंड्रीवॉल, कियोस्क		जिला निर्माण समिति द्वारा कार्य पूर्ण
		कुल राशि	82,25,66,818.23	

राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत चिन्हांकित स्थलों में लगायी गयी प्रतिमा (प्लेटफॉर्म एवं इन्स्टालेशन सहित) की वित्तीय व्यवस्था एवं व्यय राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	स्थान का नाम	प्रतिमा का विवरण	वित्तीय व्यवस्था राशि रु. (लाख में)	व्यय राशि रु. (लाख में)
1	चन्द्रखुरी, रायपुर	प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा	69.00	25.00
2	शिवरीनारायण	प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा	100.00	97.99
		प्रभु श्री राम जी, भ्रता लक्ष्मण एवं माता शबरी की प्रतिमा	9.00	Not paid
		प्रभु श्री राम जी, भ्रता लक्ष्मण एवं माता शबरी FRC से निर्मित प्रतिमा	4.50	Not paid
3	चम्पारण्य, रायपुर	प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा	77.57	74.05
4	मुकुन्दपुर, नगरी धमतरी	प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा	65.02	57.94
		सप्तऋषियों की प्रतिमा	34.09	34.09
5	सीतामढी-हरचौका, मनेन्द्रगढ़-चिरामिरी-भरतपुर	प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा	77.48	73.39
6	राजिम	प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा	107.75	81.82
7	रामगढ़	प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा	70.63	Not paid

टीप :- चिन्हांकित स्थलों के विभिन्न कम्पोनेन्ट्स की प्राक्कलित राशि में प्रभू श्री राम की मूर्ति एवं अन्य मूर्ति हेतु कुल प्राक्कलित राशि 615.04 जिसमें से राशि रु. 444.28 का भुगतान किया गया है।

प्रपत्र ३९

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ःः मंत्रालयःः
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 01/2025

क्रमांक **GENCOR-35/75/2024-GAD-5** : राज्य शासन एतद्वारा विधानसभा सत्र में माननीय मंत्री जी, पर्यटन विभाग द्वारा फरवरी, 2024 में आश्वासन क्रं.05 अन्तर्गत राम वन गमन पर्यटन परिपथ के निर्माण कार्यों में हुए अनियमितता के संबंध में सोशल ऑडिट समिति से जांच कराने हेतु आश्वासन दिया गया था। उक्त आश्वासन के परिपालन में सोशल ऑडिट समिति का निम्नानुसार गठन करता है :-

1	श्री अजय चन्द्राकर, पूर्व मंत्री एवं विधायक कुलुद	अध्यक्ष
2	श्री राधवेन्द्र कुमार सिंह, विधायक अकलतरा	सदस्य
3	प्रो.डॉ.एल.एस.निगम, वरिष्ठ इतिहासकार एवं पुरातत्वविद् पूर्व कुलपति श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल वि.वि. भिलाई	सदस्य
4	श्री पी.सी.पारख, उप संचालक, संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय, रायपुर	सदस्य
5	श्री प्रभात कुमार सिंह, पुरातत्ववेत्ता, संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय, रायपुर	सदस्य
6	श्री एस.के.टीकम, अधीक्षक अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर	सदस्य
7	श्री शशांक सिंह, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Signed by
Anshika Pandey
(अंशिका नंदि पाण्डेय)
Date: 10-01-2025 13:52:12
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशेष - अड़तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 888) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क	जिला का नाम	पंजीकृत गौशालाओं की संख्या	अपंजीकृत गौशालाओं की संख्या
1	2	3	5
1	सरगुजा	4	1
2	बलरामपुर	2	0
3	सूरजपुर	2	4
4	जशपुर	0	2
5	कोरिया	0	0
6	मने-चिर-भरतपुर	1	0
7	बिलासपुर	7	5
8	गौ-पे-मरवाही	5	1
9	रायगढ़	5	0
10	सारंगढ़-बिलाईगढ़	5	0
11	कोरबा	6	0
12	जांजगीर-चांपा	11	10
13	सक्ती	3	2
14	मुंगेली	3	1
15	रायपुर	8	9
16	बलौदाबाजार	8	1
17	महासमुंद	7	5
18	गरियाबंद	14	1
19	धमतरी	7	2
20	दुर्ग	4	1
21	राजनांदगांव	9	4
22	खैरा-छुई-गंडई	1	0
23	मोह-मान-अ.चौकी	—	0
24	बेमेतरा	6	0
25	कबीरधाम	4	2
26	बालोद	4	0
27	बस्तर	5	0
28	बीजापुर	—	0
29	दंतेवाड़ा	—	0
30	कांकेर	—	0
31	कोंडागांव	4	2
32	नारायणपुर	—	0
33	सुकमा	—	1
कुल		135	54

(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग

प्रपत्र-ब

पंजीकृत गौशालाओं को प्रदाय अनुदान की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	गौशाला के नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रदायित अनुदान राशि रु.
1	बलरामपुर	आदर्श गौसेवा एवं कल्याण संघ देवगई, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर छ.ग.	66/29.03.2012	20.00
2		श्याम श्यामा गौशाला समिति ग्राम देवीगंज, तह. रामानुजगंज, जिला बलरामपुर, छ.ग.	135/13.12.2024	12.33
3	सरगुजा	श्री अग्रसेन गौसेवा सदन अंबिकापुर, जिला-सरगुजा छ.ग.	4/09.09.2005	20.00
4		गायत्री परिवार ट्रस्ट बतौली, सरगुजा, जिला-सरगुजा छ.ग.	26/16.09.2008	—
5		श्री कृष्ण सेवा संस्थान सोनतराई, जिला-सरगुजा छ.ग.	76/16.05.2013	—
6		निखिल गौशाला सोनतराई, जिला-सरगुजा छ.ग.	77/16.05.2013	20.00
7	सूरजपुर	राधाकृष्ण गौशाला समिति मानी (डेडरी) जिला-सूरजपुर छ.ग.	40/09.05.2008	19.93
8		कान्हा गौशाला केन्द्र, जमदेई, जिला-सूरजपुर छ.ग.	80/02.07.2013	19.93
9	मने.चिर.भरतपुर	हरि गौशाला सेवा समिति ग्राम धनपुर, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छ.ग.	144/04.11.2025	—
10	रायगढ़	श्री चक्रधर गौशाला ट्रस्ट, रायगढ़, जिला-रायगढ़ छ.ग.	5/09.09.2005	20.00
11		श्री मदन मोहन गौशाला खरसिया, जिला-रायगढ़	6/14.09.2005	20.00
12		आचार्य श्री गौशाला जीवरक्षा संस्थान बैसपाली, जिला-रायगढ़ छ.ग.	49/06.08.2009	18.76
13		आर्य विद्या सभा सलखिया, जिला-रायगढ़ छ.ग.	72/15.10.2012	20.00
14		अनंत शांति गौसेवा समिति लैलूंगा, जिला-रायगढ़ छ.ग.	79/02.07.2013	20.00
15	सारंगढ़-बिलाईगढ़	श्री माधव गौसेवा समिति धनसीर बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग.	38/27.12.2007	20.00
16		स्वामी शिवानंद गौशाला भीखमपुरा, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग.	42/27.01.2009	19.99
17		श्री हरिदेव मदनमोहन गौशाला, कवलाझर, सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ.ग.	69/20.07.2012	20.00
18		सरस्वती लक्ष्मी गौशाला सेवा समिति, ग्राम-अमलडीहा, पो.-केड़ार, वि.ख.-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, छ.ग.	122/09.11.2020	20.00
19		श्री मोहन सेवा समिति, गोड़म, ग्राम ठाकुरपाली, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, छ.ग.	126/07.08.2021	20.00
20	बिलासपुर	श्री कृष्ण गौशाला ट्रस्ट, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर छ.ग.	24/27.02.2007	—

21		बैगा बाबा आश्रम सेवा संस्थान कंचनपुर, जिला-बिलासपुर छ.ग.	62 / 22.11. 2010	—
22		जय गुरुदेव गौसेवा संस्थान भाड़ी, जिला-बिलासपुर छ.ग.	73 / 30.03. 2013	16.07
23		मां भुवनेश्वरी देवी गौसेवा समिति, गतौरा, जिला-बिलासपुर छ.ग.	83 / 28.08. 2014	20.00
24		भृगुऋषि गौशाला, पोड़ी (स), तह.-बिल्हा, जिला-बिलासपुर, छ.ग.	111 / 03.08. 2017	19.68
25		कामधेनु गौशाला सेवा समिति, लाखासार, तह. तखतपुर, जिला-बिलासपुर छ.ग.	117 / 03.08. 2017	20.00
26		श्री वासुदेव गौशाला सेवा समिति, ग्राम ओखर, तह. पचपेड़ी, जिला बिलासपुर, छ.ग.	14202.05. 2025	—
27	गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	सर्वोदय पशु संरक्षण केन्द्र पेण्ड्रा, जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ.ग.	59 / 23.08. 2010	9.54
28		सजल श्रद्धा विकास गौशाला, तरईगांव, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ.ग.	64 / 30.03. 2011	20.00
29		राम प्रसाद सेवा सदन कोरजा, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ.ग.	74 / 30.03. 2013	15.80
30		गौसेवा संस्थान पेण्ड्रा रोड़, ग्राम नेवरी (नवापारा) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छ.ग.	124 / 01.03. 2021	18.69
31		हनुमंत गौशाला समिति ग्राम बेलगहना, वि.ख. पेण्ड्रारोड़, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छ.ग.	143 / 26.06. 2025	—
32	कोरबा	जय माँ भवानी गौशाला समिति कुदुरमाल, जिला-कोरबा छ.ग.	10 / 28.12. 2005	20.00
33		माँ भवानी गौसेवा आश्रम समिति कोहडिया, जिला-कोरबा छ.ग.	37 / 07.12. 2007	—
34		स्व. वैद्य नत्थूराम कौशिक गौशाला चिचोली, जिला-कोरबा छ.ग.	63 / 30.03. 2011	20.00
35		स्वामी भजनानंद आदर्श गौशाला केन्दई, जिला-कोरबा छ.ग.	75 / 30.03. 2013	20.00
36		श्री अग्रसेन गौसेवा समिति, कोरबा, जिला-कोरबा छ.ग.	84 / 28.08. 2014	20.00
37		कामधेनु गौशाला समिति मुरली, जिला-कोरबा छ.ग.	98 / 22.07. 2016	20.00
38	जांजगीर चांपा	भारतीय कुष्ठ निवारक संघ कात्रेनगर चांपा, जिला-जांजगीर चांपा छ.ग.	11 / 06.01. 2006	9.43
39		श्री कृष्ण गौशाला नैला, जिला-जांजगीर चांपा छ.ग.	12 / 10.08. 2006	15.45
40		श्री अग्रसेन गौशाला समिति अकलतरा जिला-जांजगीर छ.ग.	3 / 07.01. 2008	—
41		श्री कृष्ण गौशाला (सार्व0 न्यास) चांपा, जिला-जांजगीर चांपा छ.ग.	45 / 31.03. 2009	—
42		चांदी पहाड़ आश्रम गौसेवा समिति गोवाबंद, बलौदा, जिला-जांजगीर चांपा छ.ग.	54 / 26.02. 2010	20.00
43		श्री गोविन्द गौशाला समिति कुटराबोड़, जांजगीर चांपा छ.ग.	68 / 20.07. 2012	—
44		जय मां सिदारिन दाई गौशाला समिति नंदेली, जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग.	78 / 16.05. 2013	—

45		कामधेनु गौशाला सेवा समिति, पचेड़ा, वि.ख.— नवागढ़, जिला—जांजगीर चांपा छ.ग.	99 / 14.09. 2016	20.00
46		महानदी गौशाला सेवा समिति मेहंदा, जिला—जांजगीर चांपा छ.ग.	109 / 01.05. 2017	20.00
47		जय मां शबरी गौशाला समिति, ग्राम—दुरपा, वि. ख.—नवागढ़, जिला—जांजगीर चांपा	119 / 01.08. 2018	20.00
48		श्री कामधेनु गौशाला समिति, डोंगाकोहरौद, वि. ख.—पामगढ़, जिला—जांजगीर चांपा, छ.ग.	128 / 18.05. 2022	20.00
49	सक्ती	जय माँ चन्द्रहासिनी गौशाला समिति कांसा, तह.—डभरा, जिला—सक्ती छ.ग.	95 / 01.10. 2015	20.00
50		जय माँ चन्द्रहासिनी गौशाला समिति हरदीडीह, तह.—डभरा, जिला— सक्ती छ.ग.	97 / 22.07. 2016	20.00
51		शिवेन्दु गौशाला मुड़पार, जिला— सक्ती छ.ग.	104 / 06.02. 2017	20.00
52	मुंगेली	छ0ग0 जीवरक्षा एवं गौसेवा संस्थान मुंगेली छ.ग.	35 / 17.10. 2007	17.40
53		राम तुलसी राधे गौशाला, मलकछरी, पो. —डिन्डौरी, तह.—लोरमी, जिला—मुंगेली, छ.ग.	113 / 03.08. 2017	20.00
54		श्री कृष्ण गौशाला धनगांव, पो.—निरजाम, तह. —मुंगेली, जिला—मुंगेली, छ.ग.	114 / 03.08. 2017	20.00
55	रायपुर	उज्जवल गौरक्षण केन्द्र रायपुर, जिला—रायपुर छ.ग.	1 / 09.09. 2005	20.00
56		महावीर गौशाला रायपुर, जिला—रायपुर छ.ग.	7 / 14.09. 2005	15.07
57		श्री गोपाल गौशाला नवापारा (राजिम) जिला—रायपुर छ.ग.	17 / 14.08. 2006	20.00
58		अपंग विद्यार्थी कल्याण सेवा श्रम बेन्द्री, अभनपुर, जिला—रायपुर छ.ग.	29 / 24.04. 2007	—
59		रविशंकर गौवंश विकास एवं शोध संस्थान धनेली, रायपुर छ.ग.	44 / 27.01. 2009	—
60		परमेश्वर कबीर गौसेवा कल्याण समिति फरहदा, जिला—रायपुर छ.ग.	105 / 01.05. 2017	20.00
61		नवीन गौशाला एवं जैविक कृषि संसाधन ग्राम—झोंकी, पो.—अभनपुर, जिला—रायपुर, छ. ग.	118 / 01.08. 2018	20.00
62		सद्गुरु मानव सेवा असंग आश्रम ग्राम सोनपैरी, वि.ख. अभनपुर, जिला रायपुर छ.ग.	131 / 02.02. 2023	14.01
63	बलौदाबाजार— भाटापारा	श्री गोपाल गौशाला भाटापारा जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा छ.ग.	13 / 10.08. 2006	—
64		खुशी गौशाला पौंसरी, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा छ.ग.	58 / 23.08. 2010	20.00
65		दीनदयाल गौवंश सुरक्षा एवं संवर्धन केन्द्र जागड़ा, जिला— बलौदाबाजार—भाटापारा छ.ग.	87 / 28.08. 2014	20.00
66		सरस्वती गौशाला समिति, ग्राम— खैरवारी, पो. —सुहेला, तह. सिमगा, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा छ.ग.	89 / 28.08. 2014	20.00
67		शिवेदम समाज सेवी संस्थान टेकारी, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा छ.ग.	107 / 01.05. 2017	11.62
68		मां शाकुम्भरी देवी सेवा संस्थान, ग्राम—केशडबरी, वि.ख. बलौदाबाजार	121 / 04.11. 2020	20.00

		जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग.		
69		श्री इंदरमन गौशाला सेवा संस्थान, ग्राम-बनसांकरा (खैरघट), वि.ख.-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा छ.ग.	127 / 18.05. 2022	20.00
70		विद्या मंदिर गौशाला समिति ग्राम देवरी (राजादेवरी), वि.ख. कसडोल, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा, छ.ग.	137 / 13.12. 2024	11.38
71	महासमुंद	श्री वेदमाता गायत्री गौशाला भलेसर, जिला-महासमुंद	47 / 19.05. 2009	20.00
72		श्री गोविन्द गौशाला समिति, जोगीदादर, जिला-महासमुंद	91 / 12.03. 2015	20.00
73		विद्या देवी गौशाला समिति भीखापाली (तेन्दुकोना) तह. बागबहरा, जिला-महासमुंद	94 / 25.06. 2015	20.00
74		आर्ष ज्योति सेवा संस्थान, गुरुकुल आश्रम, कोसरंगी,पो. पचेड़ा, जिला-महासमुंद	103 / 06.02. 2017	20.00
75		गौलोकधाम गौशाला हाथीगढ़, जिला-महासमुंद	106 / 01.05. 2017	20.00
76		मां भगवती बहुउद्देशीय गौशाला सोनपुरी, ग्राम सोनपुरी, वि.ख. सराईपाली, जिला-महासमुंद छ.ग.	129 / 05.08. 2022	20.00
77		मां शारदा गौशाला समिति नवरंगपुर, वि.ख. सराईपाली, जिला महासमुंद, छ.ग.	139 / 02.05. 2025	—
78	गरियाबंद	श्री राम गौशाला किरवई राजिम, जिला-गरियाबंद	9 / 29.09. 2005	—
79		श्री गायत्री गौशाला धवलपुर, जिला-गरियाबंद	19 / 20.11. 2006	20.00
80		श्री जय महाकाल गौशाला कुचेंगा, जिला-गरियाबंद	27 / 24.04. 2007	18.46
81		श्री माता भगवती गौशाला बोइरगाँव जिला-गरियाबंद छ.ग.	28 / 24.04. 2007	—
82		गायत्री कामधेनु गौशाला समिति फुलकर्ण, जिला-गरियाबंद	33 / 13.06. 2007	20.00
83		गौ सेवा समिति राजिम, जिला जिला-गरियाबंद	34 / 06.08. 2007	19.39
84		श्री युग ऋषि गौशाला समिति दीवान मुडा, देवभोग, जिला-गरियाबंद	41 / 17.09. 2009	19.70
85		संत सिया भुवनेश्वरी शरण जी व्यास गौशाला, कुटेना, जिला-गरियाबंद	70 / 20.07. 2012	20.00
86		पंचकोषीय धाम आदर्श गौशाला सेवा एवं शोध संस्थान, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद	81 / 03.08. 2013	20.00
87		अनंत महिमा शक्ति सागर गौसेवा केन्द्र काण्डसर, जिला-गरियाबंद	82 / 03.08. 2013	20.00
88		कुंज बिहारी गौशाला खुसरूपाली, छुरा, जिला-गरियाबंद	90 / 28.08. 2014	20.00
89		किसान गौशाला एवं अनुसंधान केन्द्र, सोहागपुर, जिला-गरियाबंद	101 / 17.11. 2016	20.00
90		वासुदेव गौसेवा समिति माहूलकोट जिला-गरियाबंद	112 / 03.08. 2017	20.00

91		हमारे वनवासी श्री राम जी गौशाला एवं सेवा संस्थान हीराबतर, वि.ख.- छुरा, जिला-गरियाबंद	120 / 01.08. 2018	—
92	धमतरी	श्री राष्ट्रीय गौशाला ट्रस्ट धमतरी, जिला-धमतरी	3 / 09.09. 2005	—
93		श्री राम गौशाला सिलीडीह जिला-धमतरी	14 / 10.08. 2006	19.35
94		श्री श्रृंगी ऋषि गौशाला जीव रक्षा समिति पंडरीपानी नगरी, जिला-धमतरी	32 / 26.08. 2007	14.72
95		गोविन्दी देवी गौरक्षा केन्द्र, सांकरा जिला-धमतरी	46 / 31.03. 2009	—
96		मां अंगारमोती, गोधाम समिति, तुमाबुजुर्ग, जिला-धमतरी	100 / 17.11. 2016	20.00
97		आशा गौ सेवा समिति, धमतरी, जिला-धमतरी	102 / 06.02. 2017	20.00
98		मां मनकेशरी गौधाम ग्राम तुमराबहार, वि.ख. धमतरी, जिला धमतरी छ.ग.	130 / 05.08. 2022	20.00
99	दुर्ग	श्रीकृष्ण गौशाला जीव रक्षा केन्द्र, छातागढ़ मोहलाई, जिला-दुर्ग	2 / 09.09. 2005	20.00
100		सुरभि गौशाला एवं जीव रक्षा केन्द्र, तरकोरी, वि.ख.-धमधा, जिला-दुर्ग	96 / 22.07. 2016	20.00
101		कामधेनू विज्ञान अनुसंधान केन्द्र एवं गायत्री गौशाला पंढोर (पचपेड़ी), जिला-दुर्ग छ.ग.	108 / 01.05. 2017	—
102		श्री हरिओम बाबा गौरक्षण ट्रस्ट, ग्राम-जरवाय, भिलाई-3, वि.ख.-धमधा, जिला- दुर्ग, छ.ग.	125 / 01.03. 2021	20.00
103	राजनांदगांव	श्री गौशाला पिंजरापोल, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव छ.ग.	8 / 14.09. 2005	20.00
104		श्री गणेश गौशाला गनेरी, जिला-राजनांदगांव छ.ग.	30 / 24.04. 2007	20.00
105		श्री शिवशंकर गौरक्षा सेवा समिति चिचौला, जिला-राजनांदगांव छ.ग.	36 / 07.12. 2007	—
106		श्री बजरंग गौसेवा समिति चाबुक नाला, जिला-राजनांदगांव, छ.ग.	52 / 17.09. 2009	—
107		नंदिनी गौशाला समिति, भंडारपुर, जिला-राजनांदगांव छ.ग.	61 / 06.10. 2010	20.00
108		श्री कृष्ण गौशाला कमेटी वार्ड-9, तपस्वी मंदिर के सामने कालेज मार्ग, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव छ.ग.	85 / 28.08. 2014	18.29
109		मां बंजारी गौशाला पिंजरापोल, बरगाही, जिला-राजनांदगांव छ.ग.	116 / 03.08. 2017	20.00
110		यशोदा गौ एवं जनकल्याण सेवा समिति ग्राम सुकुलदैहान, जिला राजनांदगांव, छ.ग.	134 / 27.07. 2023	11.46
111		गौरीशंकर गौ एवं जनकल्याण समिति, ग्राम रानीपुर खड़खड़ी, तह. छुरिया, जिला राजनांदगांव, छ.ग.	138 / 17.01. 2025	3.86
112	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला अमलीडीह, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई छ.ग.	16 / 10.08. 2006	20.00
113	बेमेतरा	श्री राम गौशाला जीवरक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र आन्दू बेरला, जिला-बेमेतरा	15 / 10.08. 2006	20.00

114		मानव कल्याण आश्रम श्री करपात्री गौशाला पंडर भट्टा, जिला-बेमेतरा छ.ग.	22 / 15.12. 2006	16.67
115		श्री राम कृष्ण गौशाला थान खम्हरिया, जिला-बेमेतरा छ.ग.	25 / 07.03. 2007	—
116		श्री रामजानकी गौशाला समिति सेगोना, जिला-बेमेतरा छ.ग.	65 / 29.03. 2012	20.00
117		रुखमणी गौशाला समिति भोजेपारा, जिला-बेमेतरा छ.ग.	110 / 01.05. 2017	20.00
118		मां भगवती गौशाला समिति, पिपरिया, पो. चिल्फी, तह.-साजा, जिला-बेमेतरा छ.ग.	136 / 13.12. 2024	9.69
119	कबीरधाम	केशव गौशाला लोहरा पंडरिया कवर्धा, जिला-कबीरधाम छ.ग.	18 / 09.10. 2006	20.00
120		श्री राधा माधव गौसेवा समिति कवर्धा, जिला-कबीरधाम छ.ग.	21 / 11.12. 2006	20.00
121		श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, गौरकापा, पंडरिया, जिला-कबीरधाम छ.ग.	86 / 28.08. 2014	20.00
122		मां बम्हनदेई गोपाल गौशाला सेवा समिति रमतला, तह. पण्डरिया, जिला- कबीरधाम, छ. ग.	123 / 01.03. 2021	19.64
123	बालोद	महावीर गौशाला एवं अनुसंधान केन्द्र, बालोद, जिला-बालोद छ.ग.	20 / 20.11. 2006	16.90
124		श्री कृष्ण गोपाल गौशाला चूल्हापथरा गुरुर, जिला-बालोद छ.ग.	23 / 05.02. 2007	20.00
125		श्री गोपाल गौरक्षा सेवा सदन अवारी नाला, जिला-बालोद छ.ग.	53 / 17.09. 2009	20.00
126		महात्यागी गौशाला, पाटेश्वर धाम जामडी जिला-बालोद छ.ग.	57 / 20.09. 2010	—
127	कोण्डागांव	मां भगवती गौशाला जड़कोंगा जिला-कोंडागांव छ.ग.	48 / 08.06. 2009	—
128		संपदा गौसेवा सदन चिखलपुटी, जिला-कोंडागांव छ.ग.	51 / 17.09. 2009	—
129		मां दंतेश्वरी गौशाला नवकाबेड़ा, कोंडागांव छ. ग.	55 / 31.03. 2010	—
130		कामधेनु गौसेवा संस्थान बडेकनेरा, जिला-कोंडागांव छ.ग.	56 / 07.05. 2010	15.46
131	बस्तर	सहारा गौसेवा सदन परपा, जगदलपुर छ.ग.	50 / 17.09. 2009	—
132		तीर्था महादेव जन कल्याण समिति, ग्राम तीर्था, वि.ख. बस्तर, जिला बस्तर छ.ग.	132 / 20.07. 2023	13.54
133		हैप्पी फ्रैंड्स सोशल वेलफेयर सोसायटी, ग्राम कुरन्दी, तह. जगदलपुर, जिला बस्तर छ.ग.	133 / 20.07. 2023	19.79
134		श्री लब्धि निधान गौशाला बस्तर, जिला बस्तर, छ.ग.	141 / 02.05. 2025	—
135		बाबा बिहारी दास मेमोरियल फाऊंडेशन सोसायटी, ग्राम चपका, जिला बस्तर, छ.ग.	140 / 02.05. 2025	—
कुल				1922.00


 (डॉ. मौसम मेहरा)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 पशुधन विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 लया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र-स

गौ-संवर्धन हेतु संचालित योजना की वर्ष 2024-25 में आबंटित एवं व्यय राशि की जिलेवार जानकारी

1. पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

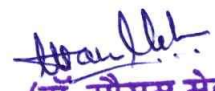
क्र०	जिला	वर्ष 2024-25	
		आबंटित राशि	व्यय राशि
1	कोरिया	50000	10361
2	सरगुजा	150000	90206
3	जशपुर	50000	49710
4	रायगढ़	200000	199757
5	कोरबा	250000	249946
6	जांजगीर-चांपा	50000	37811
7	बिलासपुर	100000	99950
8	कवर्धा	50000	49466
9	राजनांदगाँव	75000	49529
10	दुर्ग	21888250	21757006
11	रायपुर	9504250	9504149
12	महासमुंद	150000	147377
13	धमतरी	50000	46233
14	कांकेर	50000	0
15	बस्तर	75000	49868
16	दन्तेवाड़ा	50000	50000
17	नारायणपुर	75500	48300
18	बीजापुर	50000	50000
19	बलौदाबाजार	50000	49955
20	गरियाबंद	132000	130620
21	मुंगेली	100000	97600
22	बालोद	50000	47288
23	बेमेतरा	550000	547900
24	कोण्डागाँव	50000	49058
25	सुकमा	50000	25000
26	बलरामपुर	50000	49987
27	सूरजपुर	50000	49300
28	गौ.पे.मरवाही	50000	49566
29	खैरागढ़ छु.ग.	0	0
30	मनेन्द्रगढ़ चि.भ.	0	0
31	मोहलामान.अ.	0	0
32	सक्ती	0	0
33	सारंगढ़ बि.	0	0
योग:-		34000000	33585943

2. शतप्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण योजना

क्र.	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 (रु. लाख में)	
		आबंटित राशि	व्यय राशि
1	2	3	4
1	कोरिया	3.15	2.86
2	सरगुजा	2.45	2.45
3	जशपुर	2.80	2.80
4	रायगढ़	2.45	2.45
5	कोरबा	4.20	4.20
6	जॉजगीर	3.85	3.85
7	बिलासपुर	3.85	3.85
8	कबीरधाम	3.15	3.07
9	राजनादगाँव	3.50	3.46
10	दुर्ग	2.80	2.57
11	रायपुर	2.45	2.45
12	महासमुंद	0.70	0.57
13	धमतरी	2.80	2.80
14	काकर	3.15	3.15
15	बस्तर	3.15	3.15
16	दतेवाड़ा	2.10	2.10
17	नारायणपुर	1.05	0.96
18	बीजापुर	1.05	1.05
19	बलोदाबाजार	3.15	3.15
20	गरियाबंद	1.40	1.40
21	मुंगेली	1.75	1.75
22	बालोद	2.10	2.10
23	बेमेतरा	2.80	3.25
24	कोण्डागाँव	3.85	3.85
25	सुकमा	1.40	1.40
26	बलरामपुर	2.80	2.80
27	सूरजपुर	2.80	2.80
28	गौरेला पेन्डा मरवाही	2.45	2.45
29	मोहला मान.चौकी	1.75	1.60
30	खैरागढ़ गण्डई छुईखदान	2.45	2.20
31	सारंगगढ़-बिलाईगढ़	0.35	0.35
32	सक्ती	0.35	0.35
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी	2.45	2.18
योग		80.50	79.42

3. उन्नत मादा वत्सपालन योजना

क्र०	जिला	वित्तीय वर्ष 2024-25 (रु. लाख में)	
		आबंटित राशि	व्यय राशि
1	2	3	4
1	कोरिया	6.800	6.800
2	सरगुजा	6.800	6.780
3	जशपुर	8.500	8.490
4	रायगढ़	17.000	17.000
5	कोरबा	6.800	6.720
6	जॉजगीर चापा	6.800	6.130
7	बिलासपुर	17.000	16.910
8	कबीरधाम	5.950	5.940
9	राजनादगाँव	5.100	5.100
10	दुर्ग	6.800	6.690
11	रायपुर	17.000	16.980
12	महासमुंद	11.900	11.729
13	धमतरी	17.000	16.980
14	काकर	8.500	8.490
15	बस्तर	8.500	8.430
16	दत्तेवाड़ा	3.400	3.390
17	नारायणपुर	3.400	3.390
18	बीजापुर	3.400	1.290
19	बलोदाबाजार	6.800	6.750
20	गरियाबंद	5.100	5.100
21	मुंगेली	6.800	6.725
22	बालोद	8.500	8.181
23	बेमेतरा	4.250	4.145
24	कोण्डागाँव	6.800	6.725
25	सुकमा	6.800	6.800
26	बलरामपुर	5.100	5.100
27	सूरजपुर	5.950	5.723
28	गौरेला पेन्ड्रा मरवाही	6.800	6.730
29	मोहला मान.चौकी	3.400	2.820
30	खैरागढ़ गण्डई छुईखदान	3.400	3.390
31	सारंगगढ़-बिलाईगढ़	5.100	5.080
32	सक्ती	5.100	5.100
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी	9.350	9.300
योग		249.900	244.908


 (डॉ. मौसम मेहरा)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 पशुधन विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रदेश में संचालित अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कन्या छात्रावास/आश्रमों की संख्या एवं महिला होमगार्ड की जानकारी

क्रं.	जिले का नाम	संस्थाओं की संख्या जहाँ होमगार्ड नियुक्ति का प्रावधान है।	कुल संस्थाओं की संख्या जहाँ होमगार्ड कार्यरत है।	कुल संस्थाओं की संख्या जहाँ होमगार्ड कार्यरत नहीं है
1	2	3	4	5
1	बालोद	19	19	0
2	बलौदाबाजार	29	29	0
3	बलरामपुर	56	56	0
4	बस्तर	91	83	8
5	बेमेतरा	9	9	0
6	बीजापुर	62	62	0
7	बिलासपुर	27	27	0
8	दंतेवाड़ा	42	42	0
9	धमतरी	22	22	0
10	दुर्ग	14	14	0
11	गरियाबंद	26	21	5
12	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	37	37	0
13	जांजगीर-चांपा	31	22	9
14	जशपुर	85	69	16
15	कबीरधाम	38	35	3
16	कांकेर	73	66	7
17	खैरागढ़	10	5	5
18	कोण्डागांव	53	53	0
19	कोरबा	61	61	0
20	कोरिया	22	22	0
21	महासमुन्द	66	66	0
22	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	27	26	1
23	मोहला-मानपुर-अ.चौ.	42	19	23
24	मुंगेली	17	12	5
25	नारायणपुर	37	25	12
26	रायगढ़	57	57	0
27	रायपुर	27	27	0
28	राजनांदगांव	23	16	7
29	सक्ती	16	16	0
30	सारंगढ़-बिलाईगढ़	30	25	5
31	सुकमा	53	50	3
32	सुरजपुर	47	47	0
33	सरगुजा	57	53	4
योग		1306	1193	113

अनुभाग अधिकारी
आदिश जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारोशेष्ट - चालीस

पारेवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 46 (क्र. 896) की जानकारी

प्रपत्र

छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों की जानकारी

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	सचिव	1	1	0
2	सहायक अनुसंधान अधिकारी	1	1	0
3	विशेष सहायक	1	0	1
4	निज सहायक	3	1	2
5	लेखापाल/सहायक ग्रेड-02	2	2	0
6	शीघ्रलेखक-03	1	0	1
7	सहायक ग्रेड-03	2	1	1
8	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	0	1
9	दफ्तरी (क्लेक्टर दर)	1	1	0
10	भृत्य/चौकीदार (क्लेक्टर दर)	5	5	0
11	वाहन चालक (क्लेक्टर दर)	2	1	1
	योग	20	13	7


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशेष - इकतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 899) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

प्रश्नांश "क" के संदर्भ में (शासन द्वारा) विभागवार प्रस्तावित एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि की जानकारी

क्र.	विभाग का नाम	अभियान अंतर्गत विभागवार स्वीकृत गतिविधि/कार्य का नाम	भारत सरकार को प्रस्तावित राशि	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	पक्के घर - (प्रधानमंत्री आवास योजना) - ग्रामीण, संपर्क सड़क - (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना I)	0.00	0.00
2	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	जल आपूर्ति-जल जीवन मिशन- एफएजटीसी, सापेक्ष जल नल	0.00	0.00
3	CSPDCL (ऊर्जा विभाग)	घरों का विद्युतीकरण	250.26	218.67
4	छ.ग. राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)	नई सौर ऊर्जा योजना (ऑफ-ग्रिड सोलर)	3498.00	0.00
5	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मोबाइल चिकित्सा इकायाँ- (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन), आयुष्मान कार्ड - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	0.00	0.00
6	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	डिजिटल पहल	0.00	0.00
7	खाद्य विभाग	एलपीजी कनेक्शन- (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना)	0.00	0.00
8	महिला एवं बाल विकास विभाग	आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना-पोषण अभियान पोषण वाटिकाएँ-राष्ट्रीय आयुष मिशन यूएसओएफ/भारत नेट	0.00	0.00
9	समग्र शिक्षा	1000 हॉस्टल	2439.00	2439.00
10	छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण	स्किल इण्डिया मिशन (मौजूदा योजनाएँ)/प्रस्ताव	902.0505	0.00
11	कृषि विकास विभाग	सतत कृषि को बढ़ावा-कृषि और किसान कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाएँ	1932.30	0.00
12	मछली पालन विभाग	मछली पालन सहायता-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	2808.00	2808.00
13	पशुधन विकास विभाग	पशुधन पालन-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	8198.245	41.18
14	पंचायत विभाग	क्षमता निर्माण-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	0.00	0.00
15	पर्यटन विभाग	ट्राइबल होम स्टे-स्वदेश दर्शन	490.00	0.00
16	आदिम जाति विकास विभाग	घरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत विस्तारित कार्यक्रम (Multi sectoral Interventions)	74778.10	73324.58
योग :-			165621.97	129107.36

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, पटना-800 001

प्रपत्र-“ब”

घरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत प्रेषित प्रस्ताव तथा प्राप्त स्वीकृति एवं आबंटन की जानकारी
(बस्तर संभाग के जिले)

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग का नाम	जिले का नाम	गतिविधि का नाम	जिले से प्रेषित प्रस्ताव			संबंधित विभागों द्वारा भारत सरकार को गतिविधिवार प्रेषित प्रस्ताव एवं स्वीकृत राशि (बस्तर संभाग के जिलों हेतु)			संबंधित विभाग द्वारा भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार बस्तर संभाग के जिले को स्वीकृत राशि/स्वीकृत कार्य/आबंटित राशि			कार्यवाही अनुसार कार्य की प्रगति		व्यय राशि	
				प्रस्तावित कार्य संख्या	प्रस्तावित राशि		प्रस्तावित कार्य संख्या	प्रस्तावित राशि	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	आबंटित राशि	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सुकमा	पक्के घर (प्रधानमंत्री आवास योजना)	6	3416.32	6	3416.32	6	3416.32	3416.32	0	6	0.00			
		कांकेर		31	7268.41	31	7268.41	10	3180.64	3180.64	0	10	0.00			
		कोण्डागांव		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00			
		नारायणपुर		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00			
		बस्तर		115	30642.09	115	30642.09	87	24835.28	0.00	0	87	0.00			
		दन्तेवाड़ा		40	14294.29	40	14294.29	12	4138.79	0.00	0	12	0.00			
		बीजापुर		43	14704.90	43	14704.90	43	14704.90	0.00	0	43	0.00			
		योग :-		235	70326.01	235	70326.01	158	50275.93	6596.96	0	158	0.00			
		2		लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सुकमा	जल आपूर्ति-जल जीवन मिशन-एफएजटीसी, सामुदायिक जल नल	471	399.43	471	399.43	471	365.25	56.43	170	301	131.83
					कांकेर		5548	2556.84	5548	2556.84	5548	2124.28	328.20	1730	3818	742.17
कोण्डागांव	5224		4302.29		5224		4302.29	5224	3468.7	535.91	1201	4023	936.15			
नारायणपुर	6072		3181.64		6072		3181.64	6072	2798.83	432.41	384	5688	208.17			
बस्तर	290		364.72		290		364.72	290	343.73	53.11	115	175	136.31			
3	CSPDCL (ऊर्जा विभाग)	दन्तेवाड़ा	घरों का विद्युतीकरण	118	274.15	118	274.15	118	222.29	34.34	100	18	188.38			
		कोण्डागांव		318	264.16	318	264.16	318	244.33	37.75	137	181	105.26			
		नारायणपुर		18041	11343.23	18041	11343.23	18041	9567.41	1478.14	3837	14204	2448.26			
		कांकेर														
		योग :-														

अनुपम साहसिक
आदिम जाति विकास विभाग
नरसराय, महमंदी पन, राय एल्लूर

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	समग्र शिक्षा विभाग	बस्तर कोण्डागांव सुकमा	1000 हॉस्टल	6 1 2 9	1626.00 271.00 542.00 2439.00	6 1 2 9	1626.00 271.00 542.00 2439.00	6 1 2 9	1626.00 271.00 542.00 2439.00	650.40 108.40 216.80 975.60	0 0 0 0	0 0 0 0	650.40 108.40 216.80 975.60
टीप :- कार्य एजेंसी को राशि जारी किये जाने का आधार पर व्यय दर्शाया गया है।													
10	छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण	बस्तर बीजापुर दत्तेवाड़ा कांकेर कोण्डागांव नारायणपुर सुकमा	स्किल इण्डिया मिशन (सौजुदा योजनाएं)/प्रस्ताव	125 270 85 310 160 150 40 1140	23.306 56.529 16.710 64.416 30.330 38.265 8.538 238.09	125 270 85 310 160 150 40 1140	23.306 56.529 16.710 64.416 30.330 38.265 8.538 238.09	0 0 0 0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11	कृषि विकास विभाग	कांकेर बीजापुर दत्तेवाड़ा नारायणपुर बस्तर कोण्डागांव	सवत कृषि को बढ़ावा-कृषि और किसान कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाएं	5855 3744 100 805 4990 43868 59362	222.93 566.92 0.00 128.23 3431.72 5275.87 9625.67	0 0 0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0 0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
टीप :- राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार वर्ष 2025-26 हेतु योजनावार लक्ष्य आबंटित कर अभिसरण के माध्यम से लागू किया गया।													
12	मछली पालन विभाग	दत्तेवाड़ा बस्तर कोण्डागांव कांकेर नारायणपुर बीजापुर सुकमा	मछली पालन सहायता-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	17 39 8 171 3 5 0	214.20 294.25 41.55 559.00 42.00 70.00 0.00	120 100 0 291 0 0 0	1680.00 75.00 0.00 873.00 0.00 0.00 0.00	4 5 8 59 3 5 0	56.00 70.00 45.75 223.00 42.00 70 0	0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00	0 0 0 50 0 0 0	4 5 8 9 3 5 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
टीप :- विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य के लिये राशि प्रस्तावित (कॉलन नं. 8) की गई है। जिसमें बस्तर संभाग के जिलों का प्रस्ताव भी सम्मिलित है।													
13	पशुधन विकास विभाग	कांकेर कोण्डागांव दत्तेवाड़ा नारायणपुर सुकमा बस्तर बीजापुर	पशुधन पालन-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	243 470 537 72 118 143 81 251 1672	1221.00 360.60 315.80 43.65 79.75 100.95 68.95 216.40 1186.10	511 470 537 72 118 143 81 251 1672	2628.00 360.60 315.80 43.65 79.75 100.95 68.95 216.40 1186.10	84 0 23 0 0 0 0 0 23	506.75 0.00 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.75	150.00 0.00 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.75	50 0 23 0 0 0 0 0 23	34 0 23 0 0 0 0 0 23	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14	पंचायत विभाग	कांकेर कोण्डागांव दत्तेवाड़ा नारायणपुर सुकमा बस्तर बीजापुर	क्षमता निर्माण-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान										

निरंक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	पर्यटन विभाग	बस्तर	ट्राइबल होम स्टे-स्वदेश दर्शन	52	310.00	52	310.00	0	0	0.00	0	0	0.00
योग :-				52	310.00	52	310.00	0	0	0.00	0	0	0.00
16	आदिम जाति विकास विभाग	बस्तर	घरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत विस्तारित कार्यक्रम (Multi sectoral Interventions)	43	4185.80	43	4185.80	43	4185.80	74.40	3	40	0.00
		बीजापुर		184	3416.65	184	3416.65	184	3416.65	0.00	3	181	0.00
		दत्तेवाड़ा		62	1059.50	62	1059.50	62	1059.50	80.60	1	61	0.00
		कांकेर		72	6562.40	72	6562.40	72	6562.40	4340.00	3	69	0.00
		कौंडगांव		113	5988.15	113	5988.15	113	5988.15	55.80	3	110	0.00
		नारायणपुर		46	5436.00	46	5436.00	46	5436.00	50.50	0	46	0.00
		सुकमा		91	3737.46	91	3737.46	91	3737.46	45.60	2	89	0.00
योग				611	30385.96	611	30385.96	611	30385.96	4646.90	15	596	0.00
महायोग :-				87117	129951.06	28023	121732.39	18926	93183.80	13856.35	4334	15015	3423.86

अनुभाग निदेशी
आदिम जाति विकास विभाग
नारायण. महानदी भवन, नया छत्तपुर

बस्तर संभाग अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कितनी राशि विगत 03 वर्षों में स्वीकृति कार्यों की जिलेवार जानकारी

क्र	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई	कार्य एजेंसी का नाम	कार्य का नाम एवं विवरण	स्वीकृत राशि / लागत (राशि लाख में)
1	2	3	4	5	6
जिला-बस्तर					
1	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	पो.मै. कन्या छात्रावास तोकापाल का भवन निर्माण	191.51
2	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	अनुसूचित जनजाति कन्या कीड़ा परिसर भानपुरी का भवन निर्माण	258.47
3	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	100 सीटर प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास विशिष्ट जगदलपुर	187.96
4	राज्य प्रायोजित	2023-24	विभागीय	अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास जगदलपुर	288.59
5	राज्य प्रायोजित	2023-24	विभागीय	अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास जगदलपुर	288.59
6	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बास्तानार	191.51
7	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास अलनार	191.51
8	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास बस्तर	191.51
9	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तोकापाल	191.51
10	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लोहंडीगुड़ा	191.51
योग :-					2172.67

जिला - कांकेर

1	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	100 सीटर प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास दुर्गकोदल	187.96
2	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम गहरीबांधा वि०ख० नरहरपुर	162.76
3	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम कांकेर 1	162.76
4	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम कांकेर 2	162.76
5	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम भैंसाकन्हार	162.76
6	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी कन्या आश्रम कन्हारगांव	162.76
7	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम पुजारीपारा	162.76
8	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम सुरंगदोह	162.76
9	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास दुर्गकोदल	191.51
10	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास दुर्गकोदल	191.51
11	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोयलीबेड़ा	191.51

अनुभाग निदेशिका
आदिम जाति विकास विभाग
प्रशासन, बस्तर जिला, बस्तर

1	2	3	4	5	6
12	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास पछांजूर	191.51
13	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम किरगापाटी	162.76
14	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम नरहरपुर	162.76
15	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम चरभट्टी	162.76
16	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम मुसरापुट्टा	191.51
17	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास नरहरपुर	191.51
योग:-					2964.62

जिला - दन्तेवाड़ा

1	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	पो. मै. अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास दन्तेवाड़ा भवन निर्माण	191.51
2	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	50 सीटर आदिवासी बालक आश्रम मोफलनार	162.76
3	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	आदिवासी पो.मै. बालक छात्रावास कटेकल्याण भवन निर्माण	288.59
4	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी पो.मै. बालक छात्रावास कासोली	191.51
5	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी पो.मै. कन्या छात्रावास कासोली	191.51
6	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी पो.मै. बालक छात्रावास गीदम	191.51
7	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी नवीन पो.मै. बालक छात्रावास गीदम	191.51
8	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी पो.मै. बालक छात्रावास कुआकोण्डा	191.51
9	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी पो.मै. बालक छात्रावास दन्तेवाड़ा	191.51
10	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी पो.मै. कन्या छात्रावास दन्तेवाड़ा	191.51
योग :-					1983.43

जिला - बीजापुर

1	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	पो. मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास बीजापुर भवन निर्माण	191.51
2	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम पापनपाल	162.76
3	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम गंगालूर	162.76
4	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी कन्या आश्रम गंगालूर	162.76
5	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम फरेसगढ़	162.76
6	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम गुदमा	162.76
7	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी कन्या आश्रम गुदमा	162.76
8	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम मिरतुर	162.76
9	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम झांडीगुट्टा	162.76

1	2	3	4	5	6
10	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी कन्या आश्रम कोशलनार	162.76
11	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम पामगल	162.76
12	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम चेरामंगी	162.76
13	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम मूरदण्डा	162.76
14	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी पो.मै. कन्या छात्रावास भैरमगढ़	191.51
15	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम पदेड़ा	162.76
16	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम गोंगला	162.76
17	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम केतुलनार	162.76
18	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम मंगनार	162.76
19	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम दरभा	162.76
20	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम अंबेली	162.76
21	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम बैंगलूर	162.76
22	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी कन्या आश्रम केशकुतूल	162.76
23	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम बेदरे	162.76
24	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम वाड़ला	162.76
25	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम करकावाया	162.76
26	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम गुल्लापेन्टा	162.76
27	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी कन्या आश्रम ईलमिडी	162.76
28	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी कन्या आश्रम पूसगुड़ी	162.76
29	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी कन्या आश्रम भट्टीगुड़ा	162.76
30	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी पो.मै. बालक छात्रावास उसुर	191.51
31	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी पो.मै. बालक छात्रावास भैरमगढ़	191.51
योग :-					5160.56

जिला - नारायणपुर

1	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	पो.मै.अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास नारायणपुर भवन निर्माण	191.51
2	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	मलखंब अकादमी के लिये 100 सीटर आश्रम नारायणपुर	212.24
3	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	पो.मै. आदिवासी कन्या छात्रावास ओरछा	191.51
योग :-					595.26

1	2	3	4	5	6
जिला-कोण्डागांव					
1	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	पिछड़ा वर्ग पो.मै. कन्या छात्रावास कोण्डागांव भवन निर्माण	191.51
2	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	50 सीटर आदिवासी प्री.मै. बालक छात्रावास खालेमुरवेंड	152.97
3	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	50 सीटर आदिवासी पो. मै. कन्या छात्रावास फरसगांव	191.51
4	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	अ.जा.जा. पो.मै. कन्या छात्रावास केशकाल	191.51
5	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	अ.जा.जा. पो.मै. बालक छात्रावास माकड़ी	191.51
योग :-					919.01

जिला - सुकमा					
1	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास छिदगढ भवन निर्माण	191.51
2	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास सुकमा भवन निर्माण	191.51
3	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	आदिवासी कन्या आश्रम मिसमा भवन निर्माण	162.76
4	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	आदिवासी कन्या आश्रम भेज्जी भवन निर्माण	162.76
5	राज्य प्रायोजित	2022-23	विभागीय	आदिवासी कन्या आश्रम दरमागुड़ा भवन निर्माण	162.76
6	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी बालक आश्रम मिनपा वि०ख० कोण्टा	162.76
7	राज्य प्रायोजित	2023-24	विभागीय	50 सीटर प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास गोलापल्ली	152.97
8	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	आदिवासी पो.मै. बालक छात्रावास दोरनापाल	191.51
9	केन्द्र प्रायो. 275(1)	2023-24	विभागीय	नवीन आदिवासी पो.मै. बालक छात्रावास गोलापल्ली	191.51
योग :-					1570.05
महायोग :-					15365.60

टीप :- वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी निरंक है।

Dr.
अनुमान अग्रवाल
 आदिम जाति विकास विभाग
 नवा रायपुर

परिशेष - बयालीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 905) की जानकारी

प्रपत्र-अ

घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य

इकाई-रु./किं

क्र.	फसल	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26
1	2	3	4	5	6
1	अरहर	6600	7000	7550	8000
2	मूंग	7755	8558	8682	8768
3	उड़द	6600	6950	7400	7800
4	मूंगफली	5850	6377	6783	7263
5	सोयाबीन	4300	4600	4892	5328
6	चना	5335	5440	5650	5875
7	मसूर	6000	6425	6700	7000
8	सरसों	5450	5650	5950	6200

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)
Date: 19-02-2026
11:42:45

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

वर्षवार खरीदी का लक्ष्य एवं पूर्ति

इकाई-क्विंटल में

क्र.	फसल	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24*		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26 (अद्यतन)	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अरहर	63420	0.00	-	-	211700	-	213300	-
2	मूंग	3720	0.00	-	-	2500	-	2400	-
3	उड़द	61800	2.02	-	-	244700	-	255300	-
4	मूंगफली	-	-	-	-	68150	-	42100	-
5	सोयाबीन	-	-	-	-	46700	111.00	42100	280.50
6	चना	-	-	-	-	604030	20757.00	633250	-
7	मसूर	-	-	-	-	57200	-	53600	-
8	सरसों	-	-	-	-	36950	1067.50	30200	-

*प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत वर्ष 2023-24 में दलहनी फसलों का उपार्जन नहीं किया गया।

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 19-02-2026

11:43:42

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - तिराहोस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 909) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2025-26 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग

क्र.	जिला का नाम	पात्र छात्र/छात्राएँ			भुगतान राशि (रुपये में)		
		एस.टी.	एस.सी.	ओ.बी. सी.	एस.टी.	एस.सी.	ओ.बी.सी.
1	बालोद	3570	658	4556	27817940.00	1831090.40	19138423.00
2	बलौदाबाजार	1262	2893	5897	9435691.00	7561229.20	20048193.00
3	बलरामपुर	2239	190	1019	16030568.00	512305.60	4310455.00
4	बस्तर	4369	790	1999	43718702.00	5901842.80	26309733.00
5	बेमेतरा	570	1657	5477	6246511.00	4497895.20	20205358.00
6	बीजापुर	769	69	88	5367311.00	146036.00	260455.00
7	बिलासपुर	7151	12352	20961	42422168.00	59327968.00	88305135.00
8	दंतेवाड़ा	1663	81	256	14887320.00	234891.60	988247.00
9	धमतरी	1753	798	4789	15628511.00	2835868.40	26808057.00
10	दुर्ग	5723	5306	22833	76472071.00	35536348.40	337370890.00
11	गरियाबंद	2731	1235	5217	23564734.00	5593780.80	38657139.00
12	जीपीएम	2366	470	1573	19581832.00	1538669.60	8369136.00
13	जांजगीर-चांपा	2129	7287	13092	11697938.00	21345265.20	28208494.00
14	जशपुर	4831	510	1762	43413156.00	1950220.00	10484609.00
15	कबीरघाट	1528	2097	6854	14026694.00	6307471.60	29571494.00
16	कांकर	3988	371	1749	33710703.00	2141325.60	11300096.00
17	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	713	554	2996	6242931.00	1746572.00	14503474.00
18	कोण्डागांव	2452	112	549	17317631.00	250830.00	1970688.00
19	कोरबा	4105	1615	3534	20837323.00	6644483.20	599544.00
20	कोरिया	1424	222	1540	12591312.00	881865.20	8205066.00
21	महासमुंद	2058	1191	4027	11106520.00	3954112.80	10563365.00
22	मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरि	1620	227	644	11450318.00	735797.20	2976091.00
23	मोहला मानपुर अ. चौकी	1563	181	651	9864328.00	377848.00	1782022.00
24	मुंगेली	706	2885	4062	4238294.00	8275821.60	12097211.00
25	नारायणपुर	1331	52	192	9897097.00	239462.40	1433584.00
26	रायगढ़	4275	2249	6865	38585658.00	9150963.20	29551393.00
27	रायपुर	5782	8228	28297	81335449.00	52279020.00	193762359.00
28	राजनांदगांव	3456	1673	8177	33549612.00	7327851.60	52296107.00
29	सक्ति	999	2922	3920	6327546.00	6791510.00	12602609.00
30	सारंगढ़ बिलाईगढ़	573	1916	3197	3177065.00	4633631.60	5707538.00
31	सुकमा	684	31	110	5383183.00	89401.60	436023.00
32	सूरजपुर	3027	298	2226	24540796.00	1091668.80	12076374.00
33	सरगुजा	6738	548	3102	60246492.00	3698494.40	22985214.00
योग		88148	61668	172211	760713405.00	265431542.00	1053884576.00


अनुभाग अधिकारी
आदिन जाति विकास विभाग
राज्य, छत्तीसगढ़, रायपुर

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का मापदण्ड

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य का जाति प्रमाण पत्र।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पालक/अभिभावक की आय सीमा 2.50 लाख वार्षिक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक/ अभिभावक की आय सीमा 1.00 लाख वार्षिक होना चाहिए।
- विगत वर्ष का उत्तीर्ण परीक्षा परिणाम होना चाहिए।
- विद्यार्थियों के आधार नम्बर का बैंक खाते से सीडिंग होना अनिवार्य है।


अनुभाग अधिकारी
आदिम ज्ञाती विकास विभाग
नवलय, मधुबनी भवन, नया रायपुर

प्रपत्र "स"

अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

(राशि लाख में)						
वर्ष	केन्द्र से प्राप्त राशि	राज्यांश की राशि	कुल	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि	रिमार्क
2023-24	7125.00	2375.00	9500.00	7352.30	13.78	185 विद्यार्थियों का ऑनलाइन भुगतान असफल होने के कारण भुगतान शेष है।
2024-25	7000.00	2333.33	9333.33	8692.25	42.25	379 विद्यार्थियों का ऑनलाइन भुगतान असफल होने के कारण भुगतान शेष है।
2025-26	8178.89	2726.30	10905.19	7607.13	2219.63	भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

(राशि लाख में)						
वर्ष	केन्द्र से प्राप्त राशि	राज्यांश की राशि	कुल	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि	रिमार्क
2023-24	—	2400.00	2400.00	2540.06	0.90	वर्ष 2024-25 की राशि से वर्ष 2023-24 के राशि रुपये 140.06 लाख का भुगतान किया गया। 31 विद्यार्थियों का ऑनलाइन भुगतान असफल होने के कारण भुगतान शेष है।
2024-25	—	3200.00	3200.00	2556.81	3.55	95 विद्यार्थियों का ऑनलाइन भुगतान असफल होने के कारण भुगतान शेष है।
2025-26	—	3200.00	3200.00	2654.31	104.34	भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

टीप :- भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के गाईड लाइन अनुसार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केन्द्रांश का हिस्सा 60% एवं राज्यांश का हिस्सा 40% निर्धारित है। केन्द्रांश हिस्से 60% छात्रवृत्ति की राशि भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।


 अनुसूचित अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, नई दिल्ली, नया संयुक्त

अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

						(राशि लाख में)
वर्ष	केन्द्र से प्राप्त राशि	राज्यांश की राशि	कुल	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि	रिमार्क
2023-24	—	26490.00	26490.00	26334.79	79.72	वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 का भुगतान किया गया। वर्ष वर्ष 2022-23 के 973 एवं 2023-24 के 750 विद्यार्थियों का ऑनलाइन भुगतान असफल होने के कारण भुगतान शेष है।
2024-25	—	15000.00	15000.00	14327.06	62.77	545 विद्यार्थियों का ऑनलाइन भुगतान असफल होने के कारण भुगतान शेष है।
2025-26	—	15000.00	15000.00	10538.84	5394.21	भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
टीप :- अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 100% राज्य पोषित योजना है। विभाग द्वारा सीधे विद्यार्थियों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाता है।						

Digitally signed by
Mahesh Kumar Tiwari
Date: 20-02-2026
10:39:12

परिशेष - चवालीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 913) की जानकारी

प्रपत्र-अ

बालको संयंत्र कोरबा के द्वारा जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2026 तक जनित फ्लाई ऐश की माहवार जानकारी

क्र.	माह	बालको विद्युत संयंत्र (540 एवं 1200 मेगावाट) से जनित फ्लाई ऐश की मात्रा (मीट्रिक टन में)
1.	जनवरी 2024	271696.8
2.	फरवरी 2024	246739.2
3.	मार्च 2024	280638.9
4.	अप्रैल 2024	268944
5.	मई 2024	298186
6.	जून 2024	290764
7.	जुलाई 2024	304989.5
8.	अगस्त 2024	266344
9.	सितम्बर 2024	236042
10.	अक्टूबर 2024	306837
11.	नवम्बर 2024	334331
12.	दिसम्बर 2024	321443
13.	जनवरी 2025	301740
14.	फरवरी 2025	256539
15.	मार्च 2025	289350
16.	अप्रैल 2025	268904
17.	मई 2025	294005
18.	जून 2025	301940
19.	जुलाई 2025	329022.1
20.	अगस्त 2025	281584.5
21.	सितम्बर 2025	280598.8
22.	अक्टूबर 2025	278627.8
23.	नवम्बर 2025	223606.1
24.	दिसम्बर 2025	268580.7
25.	जनवरी 2026	290181.9
26.	फरवरी 2026 (दिनांक 10/02/2026 तक की स्थिति में)	88820.89


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा बालको संयंत्र कोरबा को फ्लाई ऐश के अपवहन हेतु दी गयी अनुमति
सम्बन्धी जानकारी (जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2026 तक)

क्र.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दी गयी अनुमति का पत्र क्रमांक व दिनांक	फ्लाई ऐश भराव हेतु जारी की गई अनुमति की मात्रा (मीट्रिक टन में)	स्थल का नाम	खसरा क्रं व रकबा	कार्य प्रयुक्त ट्रान्सपोर्टर फर्म का नाम	फर्म द्वारा जनवरी 2024 से जनवरी 2026 तक निष्पादित फ्लाई ऐश की मात्रा मीट्रिक टन में	बालको द्वारा किया गया भुगतान की राशि	जी.एस.टी. भुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पत्र क्रमांक 1360 दिनांक 03.01.2024	500000	ग्राम-नोनबिरा, पहन-29, तहसील-करतला, जिला-कोरबा	खसरा नम्बर 682 / 3 शामिल 683/5, 667/14, रकबा क्रमशः 3.2050 एवं 0.1630 हेक्टेयर	मेसर्स साई इंजीनियरिंग एण्ड सर्विसेस, कोरबा	228077.09 (भराव तथा समतलीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है)	उद्योग द्वारा क्रमांक से लेकर 12 तक उल्लेखित फर्मों को कुल राशि रुपये 14,39,64,094/- का भुगतान किया गया है	उद्योग द्वारा क्रमांक से लेकर 21 तक उल्लेखित फर्मों के सम्बन्ध में कुल जीएसटी राशि रुपये 2,10,33,541/- का भुगतान किया गया है
2	पत्र क्रमांक 928 दिनांक 25.06.2025	400000	ग्राम-घेंटाद्वारी, तहसील-बरपाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)	खसरा नम्बर 425 (पार्ट), कुल रकबा 7.284 हेक्टेयर	मेसर्स ओमेक्स मिनरल प्राईवेट लिमिटेड, कोरबा	210233.78 (भराव के उपरांत मिट्टी की परत बिछाने का कार्य का कार्य प्रगति पर है)		

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-स

जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2026 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा बालको संयंत्र, कोरबा के फ्लाई ऐश अपवहन की जांच एवं की गयी कार्यवाही बाबत जानकारी

क्र	उद्योग का नाम व पता	अवैध डम्पिंग /भू-भराव स्थल का नाम	निरीक्षणकर्ता अधिकारी	निरीक्षण दिनांक	जांच में पायी गयी स्थिति	की गयी कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
1	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	रिस्दी रिंग रोड सतनाम नगर, कोरबा	क्षेत्रीय अधिकारी व कनिष्ठ वैज्ञानिक	16.01.2024	आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से फ्लाई ऐश डम्पिंग किया जाना पाया गया	मंडल के पत्र क्रमांक 1415 दिनांक 17.01.2024 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 000,00,4/- अधिरोपित की गयी।	उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 000,00,4/- मंडल में जमा की गयी एवं मिट्टी की बिछाकर समतलीकरण किया गया है।
		ग्राम-रिसदी, जिला-कोरबा	क्षेत्रीय अधिकारी व कनिष्ठ वैज्ञानिक	15.02.2024	आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से फ्लाई ऐश डम्पिंग किया जाना पाया गया	मंडल के पत्र क्रमांक 1573 दिनांक 15.02.2024 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 000,50,7/- अधिरोपित की गयी।	उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 7,5000,0/- मंडल में जमा की गयी एवं मिट्टी की बिछाकर समतलीकरण किया गया है।
		परसाभांठा राखड़बांध मार्ग के किनारे	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, कोरबा	01.05.2024	संयुक्त टीम के द्वारा राखड़बांध का निरीक्षण दौरान राखड़बांध मार्ग के किनारे अवैध डम्पिंग किया जाना पाया गया।	मंडल के पत्र क्रमांक 283 व दिनांक 13.05.2024 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 75,000/- अधिरोपित की गयी है। की जा कर वसूली की गयी।	उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 75,000/- मंडल में जमा की गयी एवं डंप किये गए फ्लाई ऐश को हटा लिया गया है।
		ग्राम-बरबसपुर, जिला-कोरबा	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, कोरबा	02.05.2024	संयुक्त टीम के द्वारा फ्लाई ऐश भराव स्थल पर पर्याप्त जल छिड़काव व्यवस्था नहीं पाये जाने पर /फ्लाई ऐश नियमों का उल्लंघन होना पाया गया	मंडल के पत्र क्रमांक 285 दिनांक 13.05.2024 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 000,10,2/- अधिरोपित की गयी।	उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 2,1000,0/- मंडल में जमा की गयी एवं स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही की गई है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष - पैतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 918) की जानकारी

प्रपत्र-अ

स.क्र.	चिह्नांकित पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी
1	सिरपुर	ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक
2	कनेकेरा	धार्मिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक
3	बावनकेरा	धार्मिक,


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र- ब

सिरपुर विकास प्राधिकरण (साडा) के गठन से वर्तमान समय तक पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों की जानकारी

क्र.	नाम	पदनाम	कार्यकाल
1	श्री सतीश जग्गी	अध्यक्ष	09.11.2022 से 22.12.2023
2	श्री वाई. राजेन्द्र कुमार राव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	25.05.2023 से 05.06.2024
3	श्री शशि प्रताप सिंह	उपयंत्री	03.03.2023 से 29.07.2024
4	श्री जीवन लाल वर्मा	सहायक ग्रेड-02, संविदा	01.07.2023 से अब तक
5	श्री ओमप्रकाश चंद्राकर	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01.09.2023 से 12.06.2025
6	श्री रूपेश कुमार साहू	वाहन चालक, दैनिक श्रमिक	01.09.2023 से 19.04.2024
7	श्री दीपक साहू	वाहन चालक, दैनिक श्रमिक	29.04.2024 से जुलाई 2024
8	श्री खेमलाल बंजारे	वाहन चालक, दैनिक श्रमिक	03.09.2024 से अक्टूबर 2024
9	श्री कैलाश साहू	भृत्य, दैनिक श्रमिक	जनवरी 2024 से जुलाई 2024
10	श्री गणवीर धम्मशील	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	04-06-2025 से वर्तमान तक


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र- स

विगत 05 वर्षों में स्वीकृत कार्य एवं वर्षों कार्यों के पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ स्थिति की जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य पूर्ण/अपूर्ण /अप्रारंभ
1	2020-21	-	निरंक	-	-
2	2021-22	-	निरंक	-	-
3	2022-23	-	निरंक	-	-
4	2023-24	विश्व संगीति कार्यक्रम	30000000.00	12349522.00	पूर्ण
5		स्थापना व्यय		2840915.00	पूर्ण
6		कार्यालयीन व्यय		5208724.00	पूर्ण
7		यूनेस्को नामिनेशन हेतु साडा क्षेत्र अंतर्गत सर्वे कार्य		3629110.00	पूर्ण
8		ग्राम बांसकुड़ा में आजीविका संवर्धन कार्य		2758249.00	पूर्ण
9		साइनेजेस की स्थापना		1568657.00	पूर्ण
10		वेब साइट निर्माण, सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंट्री		901455.00	पूर्ण
11	2024-25	-	निरंक	-	-
योग:-			30000000.00 (शब्दों में- तीन करोड़)	29256632.00 (शब्दों में - दो करोड़ बियान्बे लाख छप्पन हजार छः सौ बत्तीस)	-


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र- द

वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ
1	2025-26	सिरपुर क्षेत्र में स्थित ग्रामों में आजीविका सुदृढीकरण कार्य	17000000.00	1082480.00	पूर्ण
2		कार्यालय संचालन, स्थापना व्यय, संधारण, वाहन		666137.00	पूर्ण
3		फर्नीचर, कम्प्यूटर, फोटोस्टैट मशीन, स्टेशनरी सामग्री क्रय एवं अन्य विविध व्यय		769166.00	पूर्ण
4		सिरपुर साडा का प्रचार-प्रसार कार्य		99000.00	पूर्ण
5		सिरपुर महोत्सव-2026		2189123.00	पूर्ण
6		Project Management Unit (PMU) से सलाहकार सेवाएं		-	प्रगतिरत्
योग:-			17000000.00 (शब्दों में-एक करोड़ सत्तर लाख)	4805906.00 (शब्दों में- अड़तालिस लाख पांच हजार नौ सौ छः)	-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित कार्यों की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम एवं विवरण	राशि (रु.करोड़ में)
1	वित्तीय वर्ष 2026-2027 में सिरपुर के विकास हेतु सिरपुर साडा द्वारा मुख्य रूप से वृहद निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, भवनों का निर्माण एवं सड़क तथा पुल निर्माण	213.00
2	सिरपुर के प्रचार-प्रसार, स्थापना व्यय व अन्य कार्य	14.40
योग:-		227.40


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र

क्र.	वर्ष	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	विकासखंड	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	जांच में पाये गए तथ्य	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2023-24	-	-	-	-	-	-
2.	2024-25	-	-	-	-	-	-
3	2025-26 (30 जनवरी 2026 तक)	श्री गिरिजा शंकर पटेल, ग्रा.कृ.वि.अधि. / बीज प्रबंधक, बीज प्रक्रिया केन्द्र बसना	महासमुंद	श्री प्रेमदत्त नायक एवं अन्य	बीज प्रबंध बीज प्रक्रिया केन्द्र बसना द्वारा ग्रीष्म कालीन धान बीज उत्पादन हेतु पंजीयन के लिए कृषकों से 300 रु. की मांग की गई के संबंध में शिकायत।	बीज प्रक्रिया केन्द्र बसना में पंजीकृत कृषकों में से 07 पंजीकृत शिकायतकर्ता कृषकों के बयान में ग्रीष्मकालीन धान बीज उत्पादन हेतु पंजीयन के लिए कृषकों से किसी भी प्रकार की रकम की मांग लेना प्रमाणित नहीं पाया गया।	आदेश दिनांक 24.06.2025 द्वारा समिति गठित कर जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में बीज प्रबंधक बसना के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पूर्णतः प्रमाणित नहीं पाये जाने के फलस्वरूप श्री गिरिजाशंकर पटेल, बीज प्रबंधक, बीज प्रक्रिया केन्द्र बसना को नियमानुसार कार्य करने में विवक्षित के लिए सचेत करने हेतु चेतावनी पत्र दिनांक 04.11.2025 जारी कर बीज प्रबंध बसना को अन्यत्र पदस्थ किया गया है।
				मुकेश, दास, रात्रिकालीन चौकीदार बीज निगम बसना	बीज प्रक्रिया केन्द्र की कार्यवाही में बीज प्रबंधक बसना द्वारा रिश्तेदारों के हस्तक्षेप संबंधी शिकायत।	बीज प्रक्रिया केन्द्र बसना में बीज प्रक्रिया केन्द्र में कार्यरत नहीं हैं एवं उनके किसी रिश्तेदारों का प्रक्रिया केन्द्र की कार्यवाही में हस्तक्षेप संबंधी आरोप सिद्ध नहीं हुआ।	
				कृषकगण	बीज प्रबंधक बीज प्रक्रिया केन्द्र बसना द्वारा बसना में की जा रही गड़बड़ी की जांच कर बीज प्रबंधक बसना को हटाने की कार्यवाही के संबंध में	बीज प्रक्रिया केन्द्र बसना के भौतिक निरीक्षण में गोदामों में धान बीज एवं अन्य सामग्रियों का रखरखाव अव्यवस्थित पाया गया।	
				समस्त कृषकगढ़ बीज निगम बसना	बीज प्रबंधक, बीज प्रक्रिया केन्द्र बसना द्वारा की जा रही मनमानी अनियमितता के संबंध में	बी प्रक्रिया केन्द्र बसना में बीज प्रबंधक के कोई रिश्तेदार बीज प्रक्रिया केन्द्र में कार्यरत नहीं है एवं उनके किसी रिश्तेदारों का प्रक्रिया केन्द्र की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं पाया गया।	

Digitally signed by
VAIBHAVA KUMAR KSHETRAGYA
Date: 19-02-2026 12:39:22

छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशेष्य - सैतालीस

प्रपत्र "अ"

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 922) की जानकारी

क्र.	छात्रा./आश्रम का नाम	छात्रा./आश्रम का प्रकार	विकास खण्ड	जर्जर/भवन विहीन संस्थाओं का विवरण	वर्तमान में किराये पर संचालित संस्थाओं का विवरण
1	अजा. कन्या प्राथ. आश्रम ओड़काकन	अनु. जाति	बिलाईगढ़	—	—
2	अजा. कन्या प्राथ. आश्रम कोट		बिलाईगढ़	—	—
3	अजजा. कन्या प्राथ. आश्रम पिरदा	अनुसूचित जनजाति	बिलाईगढ़	—	—
4	प्री. मै. अजजा. बालक छात्रावास बिलाईगढ़	अनुसूचित जनजाति	बिलाईगढ़	जर्जर	किराये
5	प्री. मै. अजजा. बालक छात्रावास पुरगांव		बिलाईगढ़	—	—
6	प्री. मै. अजजा. बालक छात्रावास धनसीर		बिलाईगढ़	—	—
7	प्री. मै. अजजा. बालक छात्रावास सलिहा		बिलाईगढ़	—	—
8	प्री. मै. अजजा. बालक छात्रावास पिरदा		बिलाईगढ़	—	—
9	प्री. मै. अजजा. बालक छात्रावास भटगांव		बिलाईगढ़	जर्जर	किराये
10	प्री. मै. अजजा. कन्या छात्रावास बिलाईगढ़		बिलाईगढ़	—	—
11	प्री. मै. अजजा. कन्या छात्रावास भटगांव		बिलाईगढ़	—	—
12	पो. मै. अजजा बालक छात्रावास भटगांव		बिलाईगढ़	भवन विहीन	किराये
13	प्री. मै. अजा. बालक छात्रावास बिलाईगढ़	अनुसूचित जाति	बिलाईगढ़	—	—
14	प्री. मै. अजा. बालक छात्रावास पवनी		बिलाईगढ़	—	—
15	प्री. मै. अजा. बालक छात्रावास गिरसा		बिलाईगढ़	—	—
16	प्री. मै. अजा. बालक छात्रावास धोबनी		बिलाईगढ़	—	—
17	प्री. मै. अजा. बालक छात्रावास गाताडीह		बिलाईगढ़	—	—
18	प्री. मै. अजा. बालक छात्रावास सरसीवां		बिलाईगढ़	—	—
19	प्री. मै. अजा. बालक छात्रावास मधाईभांठा		बिलाईगढ़	—	—
20	प्री. मै. अजा. बालक छात्रावास पेण्ड्रावन		बिलाईगढ़	—	—
21	प्री. मै. अजा. बालक छात्रावास पण्डीपाली		बिलाईगढ़	—	—
22	प्री. मै. अजा. कन्या छात्रावास बिलाईगढ़		बिलाईगढ़	—	—
23	प्री. मै. अजा. कन्या छात्रावास टुण्डी		बिलाईगढ़	—	—
24	प्री. मै. अजा. कन्या छात्रावास धोबनी		बिलाईगढ़	—	—
25	प्री. मै. अजा. कन्या छात्रावास सरसीवां		बिलाईगढ़	—	—
26	प्री. मै. अजा. कन्या छात्रावास पेण्ड्रावन		बिलाईगढ़	—	—
27	पो. मै. अजा बालक छात्रावास बिलाईगढ़		बिलाईगढ़	जर्जर	किराये
28	पो. मै. अजा बालक छात्रावास सरसीवां		बिलाईगढ़	—	—
29	पो. मै. अजा बालक छात्रावास भटगांव		बिलाईगढ़	—	—

अनुभाग अधिकारी
आदिभ जाति विकास विभाग
मंत्रालय, नया दिल्ली, नया सचक्र

क्र.	वर्ष	क्रय सामग्री	राशि
1	2024-25	गद्दा	1098150.00
2	2024-25	तखत	901600.00
3	2025-26	गद्दा	700000.00
4	2025-26	तखत	748000.00

अनुभाग अधिकारी
आदिप्र जाति विकास विभाग
पत्रालय, महानदी घाट, नया रायपुर

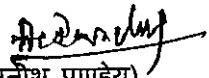
परिशेष - अड़तालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 924) की जानकारी

प्रपत्र- अ

वर्ष 2024-25

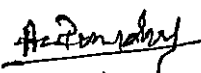
क्र.	विभाग का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	आवर्धन जल प्रदाय हेतु	741.67
2	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	-	4920.00
3	उच्च शिक्षा विभाग	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय बिलाईगढ़ के लिए बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु	20.00
4	लोक निर्माण विभाग	7 कार्य	1867.16
5	योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी	76 कार्य	396.00
6	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	-	3606.16
7	जल संसाधन विभाग	23 कार्य	250.00
8	मछली पालन विभाग	-	148.92
9	नगरीय प्रशासन विभाग	-	891.33
10	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	व्यवहार न्यायालय, बिलाईगढ़ के न्यायिक अधिकारी के लिये 01 नग एफ टाइप शासकीय आवासगृह निर्माण हेतु	39.91
11	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	03 कार्य	821.34
12	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	12 कार्य	110.81
13	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	13.52
14	ऊर्जा विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं.नि.	918.40
15	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	बिलाईगढ़ विधानसभा के अंतर्गत विकासख बिलाईखण्ड के लिए विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव हेतु विकासखण्ड महिला खेलकूद हेतु	0.70
योग			14745.92


 (अतीश पाण्डेय)

 अपर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 वित्त विभाग, मंत्रालय

वर्ष 2025-26

क्र.	विभाग का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	गृह विभाग	03 कार्य	111.23
2	तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग एवं रोजगार	जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में लाईवलीहुड कॉलेज भवन निर्माण हेतु।	66.00
3	लोक निर्माण विभाग	04 कार्य	794.75
4	योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी	69 कार्य	396.00
5	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	-	4930.00
6	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	-	2624.39
7	जल संसाधन विभाग	08 कार्य	1260.00
8	मछली पालन विभाग	-	143.38
9	नगरीय प्रशासन विभाग	-	416.86
10	स्कूल शिक्षा विभाग	वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26	25460.69
11	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	09 कार्य	73.40
12	महिला एवं बाल विकास विभाग	विभाग अंतर्गत बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए	12.00
13	ऊर्जा विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं.नि.	803.78
14	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	बिलाईगढ़ विधानसभा के अंतर्गत विकासखण्ड महिला खेलकूद हेतु	0.35
15	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	सरसीवां, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में नवीन तहसील भवन निर्माण हेतु	111.11
16	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	भवन निर्माण	120.00
योग			37323.94


(अतीश पाण्डेय)

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय

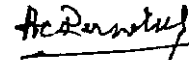
प्रपत्र- ब

वर्ष 2024.25

क्र.	विभाग का नाम	कार्य की संख्या	राशि (लाख में)
1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	3 कार्य	821.34
2	लोक निर्माण विभाग	7 कार्य	1867.16

वर्ष 2025.26

क्र.	विभाग का नाम	कार्य की संख्या	राशि (लाख में)
1	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	-	-
2	लोक निर्माण विभाग	4 कार्य	794.75



(अतीश पाण्डेय)

अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग, मंत्रालय

पारोशेष्ट - उन्चास

पारेवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 58 (क्र. 943) की जानकारी

प्रपत्र

स.क्रं.	वर्ष	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	की गई कार्यवाही
1	2018-19	निरंक	निरंक
2	2019-20	निरंक	निरंक
3	2020-21	निरंक	निरंक
4	2021-22	श्री विनोद कुमार वर्मा, तत्का. उप संचालक कृषि, बेमेतरा।	विभागीय पत्र दिनांक 21.06.2024 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी। श्री वर्मा द्वारा उक्त पत्र के संदर्भ में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अवधि (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18) के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्रियों के क्रय में भण्डार क्रय नियम 2002 का उल्लंघन संबंधित प्रकरण की जांच उपरांत विभागीय आदेश क्रमांक एफ-01/195/विस 1989/ 2018/14-2, दिनांक 03.08.2022 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने संबंधित शास्ति अधिरोपित की जा चुकी है एवं समान अवधि (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18) में समान प्रकरण (भण्डार क्रय नियम के उल्लंघन) पर विभिन्न योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ही शास्ति दी जा चुकी है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-01/27/विस-771 /2021, दिनांक 21.06.2024 द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र भी भण्डार क्रय नियम के उल्लंघन से संबंधित है, जो उसी अवधि का है। जिसमें पहले ही शास्ति दी जा चुकी है। अतः जारी कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 21.06.2024 को विलोपित करने हेतु अनुरोध किया गया है। श्री वर्मा के अभ्यावेदन दिनांक 29.01.2025 पर संचालक कृषि का पत्र दिनांक 26.11.2025 द्वारा उक्त दोनो प्रकरण भिन्न-भिन्न है, अभिमत प्राप्त हुआ है। श्री वर्मा का जारी कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 21.06.2024 पर प्रतिवाद उत्तर अप्राप्त है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
		श्री शंशांक शिंदे, तत्का. उप संचालक कृषि बेमेतरा।	विभागीय पत्र दिनांक 12.09.2025 द्वारा संशोधित कारण बताओं सूचना पत्र जारी। प्रतिवाद उत्तर अप्राप्त। कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
		श्री पी.एल. परौहा, तत्का. सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी बिलासपुर।	विभागीय पत्र दिनांक 21.06.2024 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी। श्री परौहा द्वारा प्राप्त प्रतिवाद उत्तर दिनांक 05.08.2024 पर संचालक कृषि के पत्र दिनांक 18.02.2025 द्वारा अमान्य किया गया है। चूंकि श्री परौहा का प्रकरण 04 वर्ष पूर्व का है एवं वे दिनांक 30.04.2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस स्थिति में इनके विरुद्ध पेंशन नियम के तहत कार्यवाही का प्रस्ताव विचाराधीन है।
		श्री आर.जी. अहिरवार, तत्का. उप संचालक कृषि बिलासपुर।	विभागीय पत्र दिनांक 21.06.2024 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी। श्री अहिरवार के प्रतिवाद उत्तर दिनांक 12.08.2025 पर संचालक कृषि के पत्र दिनांक 10.02.2026 द्वारा अमान्य किये जाने अभिमत प्राप्त हुआ है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
		श्री के.पी. मिश्रा तत्का.	विभागीय पत्र दिनांक 21.06.2024 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी। श्री मिश्रा के प्रतिवाद उत्तर दिनांक

		सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी मण्डी बिलासपुर।	29.07.2025 पर संचालक कृषि के पत्र दिनांक 10.02.2026 द्वारा अमान्य किये जाने अभिमत प्राप्त हुआ है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
		श्री राकेश शर्मा प्रभारी उप संचालक कृषि बिलासपुर।	विभागीय आदेश दिनांक 08.10.2025 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया।
		श्री जे. एस. काकोरिया, तत्का. उप संचालक कृषि बिलासपुर।	विभागीय आदेश दिनांक 06.11.2024 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया। (मृत्यु दिनांक 24.05.2021)
5	2022-23	निरंक	निरंक
6	2023-24	निरंक	निरंक
7	2024-25(01 अप्रैल से दिसम्बर 2025 तक)	निरंक	निरंक

Digitally signed by

VAIBHAVA KUMAR KSHETRAGYA

(वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ)

Date: 20-02-2026 11:16:32

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

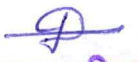
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारेिशष्ट - पचास
पारेिवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 59 (क्र. 945) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं विषयवार शिक्षकों की जानकारी

कं.	जिला	विद्यालय का नाम	संचालित स्थल का नाम	शिक्षक का नाम	पदनाम	विषय	नियुक्ति
1	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहला	250-250 सीटर पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक एवं कन्या छात्रावास अं.चौकी	अंकित शर्मा	पीजीटी (प्रभारी प्राचार्य)	रसायन विज्ञान	भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा EMRS Staff Selection Exam (ESSE-2023) के माध्यम से सीधी भर्ती की गई है।
2				अलका	पीजीटी	संस्कृत	
3				अनिल	पीजीटी	भौतिक विज्ञान	
4				पुखराज जानी	पीजीटी	हिंदी	
5				आशीष कुमार	पीजीटी	जीव विज्ञान	
6				ललित कुमार	पीजीटी	गणित	
7				बिन्दु	पीजीटी	कम्प्यूटर साइंस	
8				अरुण कुमार शुक्ला	टीजीटी	संस्कृत	
9				विनोद कुमार पाल	टीजीटी	गणित	
10				हबीबुर्रहमान	टीजीटी	अंग्रेजी	
11				खुशनुमा प्रवीण	टीजीटी	सामाजिक अध्ययन	
12				डिम्पल	टीजीटी	विज्ञान	
13				रक्षित भाटिया	टीजीटी	विज्ञान	
14				रुचि वर्मा	टीजीटी	सामाजिक अध्ययन	
15				परबत कुमार	टीजीटी	हिंदी	
16				वीरेन्द्र सिंह	टीजीटी	हिंदी	
17				गीता कुमारी	टीजीटी	पीईटी-फिमेल	
18				आकाश कुमार	टीजीटी	पीईटी-मेल	
19				दिव्या पांडे	टीजीटी	अंग्रेजी	
20				अमन सिंह	टीजीटी	संस्कृत	
21				प्रीति	टीजीटी	लायब्रेरियन	
22				सत्या गुप्ता	हॉस्टल वार्डन-फिमेल	-	
23	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खासफड़की मानपुर	250-250 सीटर पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक एवं कन्या छात्रावास अं.चौकी	श्री प्रमोद प्रकाश	प्रभारी प्राचार्य	प्राचार्य	भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा EMRS Staff Selection Exam (ESSE-2023) के माध्यम से सीधी भर्ती की गई है।
24				श्री शोभित सिंह	पीजीटी	कंप्यूटर साइंस	
25				श्री वीरेन्द्र कुमार यादव	पीजीटी	हिंदी	
26				श्री जितेंद्र कुमार	पीजीटी	जीव विज्ञान	
27				श्री रफीकुल आलम	पीजीटी	गणित	
28				श्री नरेश कुमार	पीजीटी	भौतिकी विज्ञान	
29				श्री अनूप कुमार गुप्ता	टीजीटी	हिंदी	
30				सुश्री साक्षी	टीजीटी	हिंदी	
31				श्री अरविन्द कुमार साहनी	टीजीटी	सामाजिक विज्ञान	
32				श्री भास्कर सिंह	टीजीटी	सामाजिक विज्ञान	
33				श्री अभिषेक श्रीवास्तव	टीजीटी	गणित	
34				श्री यश कुमार सिंघल	टीजीटी	गणित	
35				श्री नारायण सारन	टीजीटी	संस्कृत	
36				श्री उमा शंकर	टीजीटी	संस्कृत	
37				श्री राकेश कुमार मील	टीजीटी	साइंस	
38				श्री राजीव सिंह नैन	टीजीटी	लाइब्रेरियन	
39				श्री धनंजय कुमार द्विवेदी	टीजीटी	संगीत	
40				श्री राजीव दास	टीजीटी	अंग्रेजी	
41				श्री राजकुमार नंदी	टीजीटी	अंग्रेजी	
42				सुश्री पूजा	टीजीटी	पीईटी	
43				श्री दिलीप राय	टीजीटी	पीटीआई	
44				श्री सोनू	हॉस्टल वार्डन-मेल	-	
45				सुश्री विदुषी राजौरा	हॉस्टल वार्डन-फिमेल	-	


अनुभाग अधिकारी
आदिश्रुति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र-ब

कं.	जिला	विद्यालय का नाम	अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ				छात्र-छात्राओं को दी जा रही सुविधाएँ
1	मोहला-मानपुर-अं० चौकी	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोहला	कक्षा	छात्र	छात्राएँ	योग	अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क भोजन एवं आवास, शाला गणवेश, जूता-मोजा, टाई, बेल्ट, लेजर, टी-शर्ट, लोवर, साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, हेयर आईल, टूथ-पेस्ट, टूथ ब्रश, थाली, गिलास, चम्मच, सेनेटरी पेड, पाठ्यपुस्तक, कॉपी, पेन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
			6वीं	29	30	59	
			7वीं	30	30	60	
			8वीं	30	30	60	
			9वीं	30	30	60	
			10वीं	27	30	57	
			11वीं	21	30	51	
			योग	167	180	347	
2		एकलव्य आदर्श आवासीय ख्वासफड़की मानपुर	6वीं	30	30	60	
			7वीं	30	30	60	
			8वीं	30	30	60	
			9वीं	30	30	60	
			10वीं	23	30	53	
			11वीं	28	31	59	
			12वीं	27	28	55	
			योग	198	209	407	
			महायोग	365	389	754	


 अनुभाग अधिकारी
 आदिभ जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - इन्क्यावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 11) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के धारा 3(1) के अंतर्गत उल्लेखित विभिन्न प्रकार के वन अधिकार, वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वन भूमि पर, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक भूधृति या दोनों को सुरक्षित करते हैं, मान्य करने का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है—

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के धारा 3(1)(क) के अंतर्गत वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन भूमि पर व्यक्तिगत वन अधिकार एवं धारा 3 (1) (ख), (ग), (घ), (ङ), (ज), (झ), (ञ), (ट) और (ठ) के अंतर्गत विभिन्न सामुदायिक वन अधिकार मान्य किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 3(1)(च), (छ) एवं (ड) जो क्रमशः विवादित भूमि के अधिकार, पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार एवं यथावत पुनर्वास का अधिकार, वन अधिकारों की मान्यता में सम्मिलित हैं।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 4(3) अनुसार वनभूमि और उसके निवासियों के बाबत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों का, इस अधिनियम के अधीन वन अधिकारों की मान्यता देना और उनका निहित किया जाना इस शर्त के अध्वधीन होगा कि ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या अन्य परंपरागत वन निवासियों ने 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वनभूमि अधिभोग में ले ली थी। धारा 2(ग) में परिभाषित अनुसार "वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति" से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वनभूमि पर निर्भर है और इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी है। धारा 2 (ण) में परिभाषित अनुसार "अन्य परंपरागत वन निवासी" से ऐसा कोई सदस्य समुदाय अभिप्रेत है, जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों (स्पष्टीकरण—एक पीढ़ी—25 वर्ष) तक प्राथमिक रूप से वनभूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है। धारा 4(6) अनुसार धारा 3 (1)(क) में वर्णित व्यक्तिगत वन अधिकार के मामलों में अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि की पात्रता होगी। वनअधिकार नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 के नियम 13(3) अनुसार ग्रामसभा, उपखंड स्तर समिति और जिला स्तरीय समिति, वनाधिकारों का अवधारण करने में नियम 13 में उल्लेखित साक्ष्यों में से एक से अधिक साक्ष्यों पर विचार करेगी।

वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदाय किए जाने की समस्त प्रक्रिया त्रिस्तरीय समिति प्रणाली (ग्राम सभा स्तर की वन अधिकार समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति) के माध्यम से वन अधिकार नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 के नियम 11 एवं 12 में दिए गए प्रावधान/प्रक्रिया अनुसार किए जाने की व्यवस्था/नियम है। ग्रामसभा में प्राप्त व्यक्तिगत वन अधिकार तथा विभिन्न सामुदायिक वन अधिकार दावों पर नियमानुसार संकल्प, हितबद्ध व्यक्तियों एवं संबंधित प्राधिकारियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात पारित करेगी और उन्हें उपखंड स्तरीय समिति को भेज देगी एवं उपखंड स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण पश्चात प्रस्तावित वन अधिकार प्रारूप अभिलेखों के साथ जिला स्तरीय समिति को अंतिम विनिश्चय हेतु प्रेषित किया जाता है। जिला स्तरीय समिति द्वारा उपखंड स्तरीय समिति से प्राप्त दावों और अभिलेखों के परीक्षण उपरांत पात्र दावों का अंतिम रूप से अनुमोदन कर वन अधिकार पत्र वितरित किए जाते हैं।

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र "ब"

क्र.	जिला	अवधि	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	दावा अनुसार चिन्हांकित किए गए परिवारों की संख्या				परिवारों को विवरित वन अधिकार पत्रों की संख्या				वन अधिकार पत्र प्रदाय किए जाने हेतु शेष परिवारों की संख्या				दावा निरस्त किये गये परिवारों की संख्या				रिमाक	
					व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	वर्ष 2025 में 04 प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति में प्रक्रियाधीन है।				
1			गोरेला	ठाडपथरा	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2			गोरेला	बस्ती	14	0	1	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0				0	0
3			गोरेला	बेलपत	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
4			गोरेला	कोटमीखुर्द	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
5			गोरेला	कैवची	19	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
6			गोरेला	हराटोला	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
7			गोरेला	पकरिया	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0				0	0
8			गोरेला	पीपरखुटी	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
9			गोरेला	पूटा	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
10	गोरेला- पेण्ड्रा- मरवाही	वर्ष 2023-24 से (1 अप्रैल 2023 से) दिसम्बर 2025 तक	गोरेला	साल्हेघोरी	34	0	2	30	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11			गोरेला	डुगरा	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12			गोरेला	दौजरा	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13			गोरेला	देवरगांव	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14			गोरेला	चुक्तीपानी	17	0	0	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
15			गोरेला	तरईगांव	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16			गोरेला	नेवरीनवापारा	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17			गोरेला	अधियारखोह	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18			गोरेला	आमागांव	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19			गोरेला	गोरखेडा	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20			गोरेला	लमना	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21			गोरेला	ललाती	4	1	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग			181	1	5	177	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0			

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
पंचालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

क.	जिला	अवधि	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	दादा अनुभार चिह्नकित किए गए परिवारों की संख्या				परिवारों को वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या				वन अधिकार पत्र प्रदाय किए जाने हेतु शेष परिवारों की संख्या				दादा निरस्त किये गये परिवारों की संख्या				रिमाक
					व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र हेतु शेष 83 दावे पात्रता नहीं होने के कारण निरस्त किया गया है।			
1	दिलासपुर	वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल 2023 दिसम्बर 2025 तक)	कोटा	घनरास	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2			कोटा	खंडासगाडा	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3			कोटा	झेराखोला	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4			कोटा	बानाबेल	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5			कोटा	मछलीखुर्द	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6			कोटा	कंचनपुर	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7			कोटा	करपिहा	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8			कोटा	कैरायुवा	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9			कोटा	कटरा	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10			कोटा	बिचारपुर	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11			कोटा	रिंगार	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12			कोटा	सिलपहरी	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13			कोटा	बिचारपुर	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14			कोटा	पण्डरापथरा	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15			कोटा	परसापानी	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16			कोटा	पुडु	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17			कोटा	श्रीपारा	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
18			कोटा	सोडाखुर्द	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0				
19			कोटा	सेकर	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20			कोटा	उमरमरा	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21			कोटा	दवनपुर	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22			कोटा	छतौना	47	0	0	19	0	0	0	0	0	0	28	0	0				

क.	जिला	अवधि	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	दावा अनुसार चिन्हांकित किए गए परिवारों की संख्या				परिवारों को वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या				वन अधिकार पत्र प्रदाय किए जाने हेतु शेष परिवारों की संख्या				दावा निरस्त किये गये परिवारों की संख्या			रिमार्क
					व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
23	बिलासपुर	वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल 2023 दिसम्बर 2025 तक)	कोटा	छेरकाबाधा	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	कोटा		चुरेली	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	कोटा		नवापारा	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	कोटा		नगोई	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	कोटा		लूफा	18	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	कोटा		रतनपुर	187	0	0	186	0	186	0	0	0	0	0	1	0	0			
29	कोटा		भेलवाटिकरी	14	0	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	कोटा		डूमाडबरा	6	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	कोटा		मानकपुर	13	0	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	कोटा		आमगाव	18	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	कोटा		सेमरिया	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0			
34	कोटा		बारीडीह	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0			
35	कोटा		कोइलारीपारा	16	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	10	0	0			
36	कोटा		कुरदर	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0			
37	कोटा		छपरापारा	17	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	8	0	0			
38	कोटा		छुईहा	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
39	कोटा		भस्को	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
40	कोटा		मोहली	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
						0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
		योग			519	0	3	436	0	3	0	0	0	83	0	0				
		महायोग			700	1	8	613	1	8	4	0	0	83	0	0				


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परीशेष - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 29) की जानकारी

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर हुए व्यय की जानकारी

क्र प	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड	वर्ष	शिष्यवृत्ति हेतु व्यय राशि	भोजन सहाय हेतु व्यय राशि	सामग्री पूर्ति अंतर्गत व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राजिम	गरियाबंद	2023—24	5905801.00	2470000.00	7637649.00
2		छुरा		9618953.2	6797555.00	
3		फिंगेश्वर		2887477.00	0.00	
योग:—				18412231.20	9267555.00	7637649.00
1	राजिम	गरियाबंद	2024—25	5809603.56	2172000.00	8234530.00
2		छुरा		10617543.55	1297307.00	
3		फिंगेश्वर		2627282.34	0.00	
योग:—				19054429.45	3469307.00	8234530.00
1	राजिम	गरियाबंद	2025—26	3573000.00	1080000.00	4914104.00
2		छुरा	(जनवरी	6444000.00	720000.00	
3		फिंगेश्वर	2026 तक)	1341000.00	0.00	
योग:—				11358000.00	1800000.00	4914104.00


 अनुभाष अधिकारी
 आदिप जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, बहानवी सदन, नया रायपुर

पारोशेष्ट - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 258) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	जिला	अवधि	नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र हेतु प्राप्त आवेदन
1	2	3	4
1	कोरिया	वर्ष 2021 से जनवरी 2026 तक	7844
2	मनेन्द्रगढ़		2176
3	सरगुजा		536
4	जशपुर		13988
5	रायगढ़		10459
6	सारंगढ़		0
7	कोरबा		5825
8	जांजगीर-चांपा		85
9	सक्ती		0
10	बिलासपुर		3126
11	कबीरधाम		4998
12	राजनांदगांव		935
13	खैरागढ़		124
14	मोहला		401
15	महासमुंद		9257
16	धमतरी		162
17	कांकेर		1236
18	बस्तर		3462
19	नारायणपुर		166
20	दंतेवाड़ा		262
21	बीजापुर		3963
22	सुकमा		3947
23	कोण्डागांव		8289
24	गरियाबंद		3359
25	बलौदाबाजार		402
26	बलरामपुर		2440
27	सूरजपुर		283
28	बालोद		30
29	मुंगेली		102
30	गौरेला		793

योग:-

88,650

अनुभाग अधिकारी
आदिन जाति विकास विभाग
पंचालय, महानदी घाट, नवा रायपुर

क.	जिला	वर्ष	नागरिकों को वितरित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की संख्या
1	2	3	4
1	कोरिया	2021	455
		2022	2985
		2023	1298
		2024	602
		2025	2504
		योग	7844
2	मनेन्द्रगढ़	2021	-
		2022	-
		2023	1691
		2024	282
		2025	75
		योग	2048
3	सरगुजा	2021	319
		2022	63
		2023	139
		2024	15
		2025	0
		योग	536
4	जशपुर	2021	562
		2022	1254
		2023	156
		2024	72
		2025	0
		योग	2044
5	रायगढ़	2021	1200
		2022	2322
		2023	338
		2024	0
		2025	0
		योग	3860
6	सारंगढ़- बिलाईगढ़	2021	-
		2022	-
		2023	0
		2024	0
		2025	0
		योग	0
7	कोरबा	2021	0
		2022	161
		2023	5176
		2024	430
		2025	58
		योग	5825


 अनुपम अधिकारी
 आदिश्रम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

क्र.	जिला	वर्ष	नागरिकों को वितरित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की संख्या
1	2	3	4
8	जांजगीर- चांपा	2021	0
		2022	29
		2023	56
		2024	0
		2025	0
		योग	85
9	सक्ती	2021	-
		2022	-
		2023	0
		2024	0
		2025	0
		योग	0
10	बिलासपुर	2021	28
		2022	60
		2023	2296
		2024	123
		2025	0
		योग	2507
11	कबीरधाम	2021	0
		2022	0
		2023	104
		2024	0
		2025	0
		योग	104
12	राजनांदगांव	2021	103
		2022	496
		2023	287
		2024	0
		2025	0
		योग	886
13	खैरागढ़- छुईखदान - गंडई	2021	-
		2022	-
		2023	95
		2024	29
		2025	0
		योग	124
14	मोहला- मानपुर -अं. चौकी	2021	-
		2022	-
		2023	79
		2024	0
		2025	0
		योग	79

क्र.	जिला	वर्ष	नागरिकों को वितरित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की संख्या
1	2	3	4
15	महासमुंद	2021	971
		2022	86
		2023	116
		2024	79
		2025	0
		योग	1252
16	धमतरी	2021	75
		2022	19
		2023	30
		2024	8
		2025	30
		योग	162
17	कांकेर	2021	186
		2022	817
		2023	140
		2024	93
		2025	0
		योग	1236
18	बस्तर	2021	20
		2022	213
		2023	3018
		2024	141
		2025	41
		योग	3433
19	नारायणपुर	2021	20
		2022	110
		2023	8
		2024	28
		2025	0
		योग	166
20	दंतेवाड़ा	2021	119
		2022	43
		2023	44
		2024	55
		2025	0
		योग	261
21	बीजापुर	2021	1573
		2022	947
		2023	761
		2024	230
		2025	390
		योग	3901

क्र.	जिला	वर्ष	नागरिकों को वितरित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की संख्या
1	2	3	4
22	सुकमा	2021	388
		2022	1115
		2023	845
		2024	471
		2025	456
		योग	3275
23	कोण्डागांव	2021	45
		2022	0
		2023	1919
		2024	3712
		2025	1273
		योग	6949
24	गरियाबंद	2021	334
		2022	0
		2023	363
		2024	1035
		2025	0
		योग	1732
25	बलौदाबाजार	2021	55
		2022	0
		2023	67
		2024	130
		2025	0
		योग	252
26	बलरामपुर	2021	1706
		2022	441
		2023	282
		2024	10
		2025	0
		योग	2439
27	सूरजपुर	2021	129
		2022	124
		2023	0
		2024	30
		2025	0
		योग	283
28	बालोद	2021	0
		2022	19
		2023	3
		2024	8
		2025	0
		योग	30

क.	जिला	वर्ष	नागरिकों को वितरित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की संख्या
1	2	3	4
29	मुंगेली	2021	0
		2022	82
		2023	20
		2024	0
		2025	0
		योग	102
30	गौरला	2021	555
		2022	30
		2023	81
		2024	123
		2025	0
		योग	789

टीप- वर्ष 2021 एवं 2022 की जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई एवं मोहला-मानपुर-अ.चौकी की जानकारी अविभाजित (मातृ) जिले क्रमशः कोरिया, रायगढ़ एवं बलौदाबाजार-भाटापारा, जांजगीर-चांपा तथा राजनांदगांव में शामिल है।


 अनुमान अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 पत्रालय, महानदी बवन, रायगढ़

पारोशेष्ट - चौवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 280) की जानकारी

प्रपत्र

जिला- मोहला-मानपुर-अं.चौकी से संबंधित जानकारी

क्र.	अवधि	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	प्राप्त आवेदन की संख्या		स्वीकृत आवेदन की संख्या		वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या		लंबित आवेदनों की संख्या		वितरण हेतु लंबित वन अधिकार पत्रों की संख्या	
				CFR	CFRR	CFR	CFRR	CFR	CFRR	CFR	CFRR	CFR	CFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2023 से जनवरी, 2026 तक (01 जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक)	अं.चौकी	एड़मागोंदी	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
2			टाटेकसा	5	1	5	1	5	1	0	0	0	0
3			वर्चाकुटुम्ब	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
4			मुंगेशीटोला	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
5			तारमटोला	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
6			बुटाकसा	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
7			बेलरगोंदी	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
8			संसारगढ़	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
9			खैरी	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0
10			केशालडबरी	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0
11			सांगली	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
12			कौड़ीकसा	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
13	2023 से जनवरी, 2026 तक (01 जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक)	मोहला	बम्हनी	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
14			माधोपुर	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
15			कुल्हारदोह	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
16			कांडे	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
17			मरकाटोला	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
18			टेकामटोला	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
19			कोडेवडा	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
20			पेंदाकोडो	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
21			गल्लेटोला	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
22			मोचर	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
23			खडबत्तर	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
24			लमती	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
25			पाण्डरवानी	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
26			मजियापार	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
27			चिरचारी	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
28			माडिंगपिडिंग धेनू	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
29			डालाकसा	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
30			छुरिया	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
31			कनेरी	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

32	2023 से जनवरी, 2026 तक (01 जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक)	मानपुर	पदभर्री	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
33			दुलकी	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
34			बोदरा	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
35			एरकोड़	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
36			महका	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
37			दोरदे	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
38			हुरेली	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
39			खुर्सेकला	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
40			गुबियागढ़	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
41			हिलचुर	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
42			खेड़गांव	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
43			कोहका	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
44			सीतागांव	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0
45			चिखलाकसा	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0
46			कनेली	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0
		योग		24	37	24	37	24	17	0	0	0	20


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारोशिए - पंचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 331) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्षवार, मासमवार, तहसालवार फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषक तथा जिलेवार, फसलवार बीमित राशि की जानकारी

क्र	मौसम	वर्ष	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित राशि / हे.	
1	2	3	4	5	6	7	9	
1	खरीफ	2023	मोहला मानपुर अं.चौकी	अंबागढ़ चौकी	कोदो-कुटकी	9	15000	
2					धान - सिंचित	533	58000	
3					धान - अंसिंचित	14685	44000	
4					अरहर	1	35000	
5			राजनांदगांव	छुरिया	कोदो-कुटकी	5	15000	
6					धान - सिंचित	1594	58000	
7					धान - अंसिंचित	34301	44000	
8					अरहर	6	35000	
खरीफ 2023						51134		
1	रबी	2023-24	मोहला मानपुर अं.चौकी	अंबागढ़ चौकी	चना	31	38000	
2					अलसी	566	16000	
3					गेहूँ - सिंचित	37	42000	
4					राजनांदगांव	छुरिया	चना	5472
5			अलसी	19			16000	
6			सरसों	20			23000	
7			गेहूँ - सिंचित	239			42000	
8			गेहूँ - अंसिंचित	161			23000	
9			कुमरदा	चना			120	38000
10				गेहूँ - अंसिंचित	15	23000		
रबी 2023-24						6680		
योग वर्ष 2023-24						57814		
1	खरीफ	2024	मोहला मानपुर अं.चौकी	अंबागढ़ चौकी	कोदो-कुटकी	4	16000	
2					धान - सिंचित	644	60000	
3					धान - अंसिंचित	14994	45000	
4					राजनांदगांव	छुरिया	धान - सिंचित	1281
5			धान - अंसिंचित	19416			45000	
6			अरहर	1			38000	
7			कुमरदा	कोदो-कुटकी			1	16000
8				धान - सिंचित			526	60000
9				धान - अंसिंचित	13267	45000		
खरीफ 2024						50134		
1	रबी	2024-25	मोहला मानपुर अं.चौकी	अंबागढ़ चौकी	चना	74	40000	
2					अलसी	531	19000	
3					गेहूँ - सिंचित	83	42000	
4					राजनांदगांव	छुरिया	चना	3816
5			अलसी	4			19000	
6			सरसों	8			25000	
7			गेहूँ - सिंचित	136			42000	
8			गेहूँ - अंसिंचित	122			25000	
9			कुमरदा	चना			96	40000
10				गेहूँ - अंसिंचित	19	25000		
रबी 2024-25						4889		
योग वर्ष 2024-25						55023		
1	खरीफ	2025	मोहला मानपुर अं.चौकी	अंबागढ़ चौकी	रागी	10	25000	
2					कोदो-कुटकी	141	22000	
3					धान - सिंचित	801	60000	
4					धान - अंसिंचित	14785	45000	
5					अरहर	3	40000	
6			राजनांदगांव	छुरिया	कोदो-कुटकी	1	22000	
7					धान - सिंचित	1076	60000	
8					धान - अंसिंचित	19136	45000	
9					अरहर	11	40000	
10				कुमरदा	कोदो-कुटकी	3	22000	
11					धान - सिंचित	592	60000	
12					धान - अंसिंचित	13474	45000	
13					अरहर	1	40000	
खरीफ 2025						50034		

क्र	मौसम	वर्ष	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित राशि / हे.
1	2	3	4	5	6	7	9
1	रबी	2025-26	मोहला मानपुर अं.चौकी	अंबागढ़ चौकी	चना	39	43000
2					अलसी (अलसी)	305	21000
3					गेहूँ - सिंचित	115	46000
4			राजनांदगांव	छुरिया	चना	3651	43000
5					अलसी	5	21000
6					सरसों	66	25000
7					गेहूँ - सिंचित	288	46000
8					गेहूँ - अंसिंचित	107	27000
9				कुमरदा	चना	55	43000
10					अलसी	2	21000
11					गेहूँ - अंसिंचित	10	27000
रबी 2025-26						4643	
योग वर्ष 2025-26						54677	

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 19-02-2026

14:19:32

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार फसल बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषक तथा जिलेवार, फसलवार बीमित राशि की जानकारी

(राशि रु. में)

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित राशि प्रति हे.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2023	खरीफ	राजनांदगाँव	छुरिया	केला	5	85000
2					बैंगन	16	77000
3					मिर्च	11	68000
4					पपीता	8	87000
5					टमाटर	161	120000
6			मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	केला	1	85000
7					बैंगन	3	77000
8					मिर्च	2	68000
9					पपीता	18	87000
10					टमाटर	69	120000
योग खरीफ 2023						294	
1	2023—24	रबी	राजनांदगाँव	छुरिया	बैंगन	22	57000
2					पत्तागोभी	1	54000
3					फूलगोभी	9	54000
4					प्याज	7	55000
5					आलू	5	96000
6					टमाटर	389	88000
7				कुमरदा	बैंगन	6	57000
8					फूलगोभी	3	54000
9					प्याज	6	55000
10					आलू	1	96000
11					टमाटर	98	88000
12			मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	बैंगन	12	57000
13					पत्तागोभी	1	54000
14					फूलगोभी	15	54000
15					प्याज	6	55000
16					आलू	4	96000
17					टमाटर	187	88000
योग रबी 2023—24						772	
योग वर्ष 2023—24						1066	
1	2024	खरीफ	राजनांदगाँव	छुरिया	केला	3	85000
2					बैंगन	19	77000
3					मिर्च	2	68000
4					अदरक	0	150000
5					टमाटर	194	120000
6				कुमरदा	बैंगन	2	77000
7					टमाटर	40	120000
8			मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	केला	11	85000
9					बैंगन	4	77000
10					मिर्च	7	68000
11					पपीता	16	87000
12					टमाटर	58	120000

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	फसल का नाम	बीमित कृषक संख्या	बीमित राशि प्रति हे.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2024-25	रबी	राजनांदगाँव	छुरिया	बैंगन	20	57000
2					पत्तागोभी	3	54000
3					फूलगोभी	3	54000
4					प्याज	9	55000
5					आलू	2	96000
6					टमाटर	230	88000
7				कुमरदा	बैंगन	1	57000
8					फूलगोभी	2	54000
9					प्याज	3	55000
10					टमाटर	43	88000
11			मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	बैंगन	7	57000
12					प्याज	1	55000
13					टमाटर	42	88000
योग रबी 2024—25						366	
योग वर्ष 2024—25						722	
1	2025	खरीफ	राजनांदगाँव	छुरिया	बैंगन	15	77000
2					टमाटर	171	120000
3				कुमरदा	बैंगन	2	77000
4					पपीता	1	87000
5					टमाटर	65	120000
6			मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	केला	10	85000
7					बैंगन	8	77000
8					मिर्च	2	68000
9					पपीता	4	87000
10					टमाटर	62	120000
योग खरीफ 2025						340	
1	2025-26	रबी	राजनांदगाँव	छुरिया	बैंगन	41	57000
2					पत्तागोभी	7	54000
3					फूलगोभी	6	54000
4					प्याज	8	55000
5					आलू	1	96000
6					टमाटर	372	88000
7				कुमरदा	प्याज	7	55000
8					टमाटर	79	88000
9			मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	बैंगन	5	57000
10					टमाटर	81	88000
योग रबी 2025—26						607	
योग वर्ष 2025—26						947	
महायोग						2735	

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 19-02-2026 (विकास मिश्रा)

14:20:33

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा आवरण प्राप्त करने हेतु कृषको द्वारा कृषक अंश के रूप में जमा की गई प्रीमियम राशि एवं पात्रता अनुसार फसल बीमा दावा भुगतान का लाभ प्राप्त करने वाले कृषको की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार जानकारी

क्र	मौसम	वर्ष	जिला	तहसील	कृषक अंश (लाख रू. में)	दावा भुगतान	
						लाभांवित कृषक (संख्या)	राशि (लाख रू. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खरीफ	2023	मोहला मानपुर अ.चौकी	अंबागढ़ चौकी	212.53	336	47.35
2			राजनांदगांव	छुरिया	416.72	9260	1192.65
खरीफ 2023					629.25	9596	1240
1	रबी	2023-24	मोहला मानपुर अ.चौकी	अंबागढ़ चौकी	1.82	40	5.1
2			राजनांदगांव	छुरिया	33.22	3088	243.65
3			राजनांदगांव	कुमरदा	0.53	120	8.87
रबी 2023-24					35.57	3248	257.62
योग वर्ष 2023-24					664.82	12844	1497.62
1	खरीफ	2024	मोहला मानपुर अ.चौकी	अंबागढ़ चौकी	224.7	491	52.23
2			राजनांदगांव	छुरिया	257.78	1524	398.9
3			राजनांदगांव	कुमरदा	160.14	1287	257.03
खरीफ 2024					642.62	3302	708.16
1	रबी	2024-25	मोहला मानपुर अ.चौकी	अंबागढ़ चौकी	1.92	41	1.67
2			राजनांदगांव	छुरिया	28.55	2060	346.5
3			राजनांदगांव	कुमरदा	0.44	19	0.37
रबी 2024-25					30.91	2120	348.54
योग वर्ष 2024-25					673.53	5422	1056.7
1	खरीफ	2025	मोहला मानपुर अ.चौकी	अंबागढ़ चौकी	217.75	0	0
2			राजनांदगांव	छुरिया	250.01	211	8.11
3			राजनांदगांव	कुमरदा	157.42	48	1.43
खरीफ 2025					625.18	259	9.54
1	रबी	2025-26	मोहला मानपुर अ.चौकी	अंबागढ़ चौकी	2.31	फसल कटाई प्रयोग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
2			राजनांदगांव	छुरिया	29.24		
3			राजनांदगांव	कुमरदा	0.37		
रबी 2025-26					31.92		
योग वर्ष 2025-26					657.1	259	9.54

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 19-02-2026

14:21:28

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-द

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा आवरण प्राप्त करने हेतु कृषको द्वारा कृषक अंश के रूप में जमा की गई प्रीमियम राशि एवं पात्रता अनुसार फसल बीमा दावा भुगतान का लाभ प्राप्त करने वाले कृषको की वर्षवार, मौसमवार, तहसीलवार जानकारी

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	कृषक अंश (लाख में)	दावा भुगतान	
						कृषक संख्या	दावा राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	7	8	9
1	2023	खरीफ	राजनांदगाँव	छुरिया	9.55	181	5.58
3			मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	4.91	57	4.25
योग खरीफ 2023					14.46	238	9.83
4	2023-24	रबी	राजनांदगाँव	छुरिया	17.06	3	1.27
6				कुमरदा	5.13	1	0.20
7			मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	4.50	0	0.00
योग रबी 2023—24					26.68	4	1.47
योग वर्ष 2023—24					41.15	242	11.30
8	2024	खरीफ	राजनांदगाँव	छुरिया	8.16	214	28.40
10				कुमरदा	1.36	42	5.28
11			मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	4.23	85	16.09
योग खरीफ 2024					13.75	341	49.76
12	2024-25	रबी	राजनांदगाँव	छुरिया	6.15	161	3.35
14				कुमरदा	1.33	38	0.90
15			मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	1.25	15	0.19
योग रबी 2024—25					8.73	214	4.44
योग वर्ष 2024—25					22.48	555	54.21
16	2025	खरीफ	राजनांदगाँव	छुरिया	4.59	वर्तमान में खरीफ 2025 की जोखिम अवधि समाप्त नहीं हुई है।	
18				कुमरदा	0.84		
19			मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	2.55		
योग खरीफ 2025					7.98	रबी वर्ष 2025—26 का कार्य प्रक्रियाधीन है।	
20	2025-26	रबी	राजनांदगाँव	छुरिया	5.72		
22				कुमरदा	0.97		
23			मोहला—मानपुर—अंबागढ़ चौकी	अंबागढ़ चौकी	1.62		
योग रबी 2025—26					8.30		
योग वर्ष 2025—26					16.28		
महायोग					79.91	797	65.50

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)

Date: 19-02-2026 उप सचिव

14:22:27 छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोशिए - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 355) की जानकारी

प्रपत्र - अ

(राशि लाखों में)

क.	वर्ष	योजना का नाम	योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य/गतिविधि का नाम	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2024-25	पीएम-जनमन	आवास निर्माण	मगरलोड	4.00	0.80	स्वीकृत-2, प्रगतिरत-2 शेष-2
2				नगरी	18.0	7.40	स्वीकृत-9, प्रगतिरत-9 शेष-9
3			L145- मोहेरा से निरई कमारपारा सड़क निर्माण	मगरलोड	171.36	151.86	—
4			L143- मडेली से कमारपारा सड़क निर्माण	मगरलोड	65.27	55.02	—
5			L125- सिंगपुर से कमारपारा सड़क निर्माण	मगरलोड	60.69	52.47	—
6			L126- सोनझरी भण्डारवाड़ी से कमारपारा सड़क निर्माण	मगरलोड	109.25	67.80	—
7			L128- परसाबुड़ा रेंगाडीह कमारपारा से हतबंध जलकुंभी सड़क निर्माण	मगरलोड	323.89	297.03	—
8			L130- कुकरेल से कमारपारा बांसपारा सड़क निर्माण	नगरी	170.66	0.00	—
9			L150- नगरी सिहावा मेन रोड बस्ती से कमारपारा कुम्हड़ा सड़क निर्माण	नगरी	73.79	61.96	—
10			L138- केरेगांव से कमारपारा (बाजार चौक) सड़क निर्माण	नगरी	35.68	31.72	—
11			L137- डोकाल से कमारपारा सड़क निर्माण	नगरी	83.67	17.05	—
12			L152- झुंझराकसा से कमारपारा सड़क निर्माण	नगरी	70.27	63.68	—
13			L111- सियारीनाला से कमारटोला सड़क निर्माण	नगरी	39.64	22.14	—
14			L147- बागोडार मेन रोड से कमारपारा सड़क निर्माण	धमतरी	41.05	32.47	—
15			L113- बनबगौद से खुंटाडबरा सड़क निर्माण	नगरी	29.72	22.12	—
16			L135- बनबगौद से लटटीपारा सड़क निर्माण	नगरी	49.24	39.73	—
17			L133- पारधी से झुरातराई कमारपारा सड़क निर्माण	नगरी	106.87	0.00	वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रक्रियाधीन
18			L134- सलोनी से कमारडेर सड़क निर्माण	नगरी	29.01	21.25	—
19			L128- डोकाल से चंदनपुर सड़क निर्माण	नगरी	87.83	0.00	—
20			L148- काँआबाहरा कमारपारा पिपराभरी सड़क निर्माण	नगरी	95.95	85.05	—
21			L110- कल्लेमेटा मेन रोड से कमारपारा सड़क निर्माण	नगरी	52.90	44.08	—
22			L149- डोकाल से कोर्वा कमारपारा सड़क निर्माण	नगरी	98.78	86.68	—
23			L139- राजपुर से कमारपारा सड़क निर्माण	नगरी	93.78	80.37	—
24			L142- फरसियां से आदिवासी कमारपारा सड़क निर्माण	नगरी	39.57	13.73	—
25			L129- बोरई से कमारपारा सड़क निर्माण	नगरी	27.53	0.00	—

अनुमान अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य/गतिविधि का नाम	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
26			L131- पोड़ागांव से लखनपुरी बांधपारा सड़क निर्माण	नगरी	71.39	15.08	—
27			L141- भैंसामुड़ा से मटियाबाहरा छप्परपारा सड़क निर्माण	नगरी	145.41	0.00	—
28			L132- कसपुर रैयत से झुरानदी कमारपारा जामपानी रोड	नगरी	233.84	90.57	—
29			मोबाईल मेडिकल यूनिट	नगरी, मगरलोड, धमतरी	0.00	0.00	03 एमएमयू वाहन राज्य कार्यालय से प्राप्त जिनका उपयोग पीछीटीजी बसाहटों में किया जा रहा है।
30			बहु-उद्देशीय केन्द्र का निर्माण	मगरलोड	60.00	20.00	—
31			अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण (योजना के तहत 290 नग नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया है)	नगरी एवं मगरलोड	59.87	59.01	अंतिम देयक का भुगतान शेष
32			सोलर होम लाईट स्थापना	नगरी	29.40	29.40	—
33			मोबाईल टॉवर की स्थापना	नगरी	70.00	70.00	पालवाड़ी, पारधी और कुरमाझर में 03 टॉवरों का स्थापना कार्य प्रगतिरत है।
34		मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	युवाओं का कौशल प्रशिक्षण	नगरी	0.94	0.78	
35		प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण एवं परिपुरक आहार	नगरी	12.60	12.60	हितग्राही संख्या-04 तालाब जलक्षेत्र-1.91 हेक्ट.
36		सौर सुजला योजना	सोलर सिंचाई पंप	नगरी	7.68	7.68	—
37				मगरलोड	5.12	5.12	—
38		जल जीवन मिशन	नलकूप खनन कार्य	मगरलोड	35.20	0.00	—
39				नगरी	38.72	0.00	—
40		सामाजिक सहायता पेंशन योजना	पेंशन	मगरलोड	0.610	0.610	—
41				नगरी	4.97	4.97	—
42		अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण	नगरी	6.21	6.21	230 इकाई
43				मगरलोड	2.43	2.43	93 इकाई
44		अनुदान पर बकरा इकाई वितरण योजना	अनुदान पर बकरा इकाई वितरण योजना	मगरलोड	0.16	0.16	04 इकाई
45		अनुदान पर सूकरत्रयी इकाई वितरण योजना	अनुदान पर सूकरत्रयी इकाई वितरण योजना	नगरी	1.53	1.53	17 इकाई
46				मगरलोड	0.54	0.54	06 इकाई
			योग :-		2765.01	1581.09	
47	2025-26	पीएम-जनमन	आवास निर्माण	मगरलोड	0.00	0.00	—
48				नगरी	0.00	0.00	—
49			बाजारकुरीडीह से पथरपारा सड़क निर्माण	नगरी	193.99	0.00	—
50			50 सीटर बालिका छात्रावास निर्माण हायर सेकेण्डरी स्कूल डोंगरडुला	नगरी	186.53	0.0	—
51			50 सीटर बालिका छात्रावास निर्माण हायर सेकेण्डरी स्कूल बेलरबाहरा	नगरी	186.53	0.0	—
52			50 सीटर बालिका छात्रावास निर्माण हायर सेकेण्डरी स्कूल रिसगांव	नगरी	186.53	0.0	—
53			18 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण	नगरी, मगरलोड	210.42	60.65	—
54			बहु-उद्देशीय केन्द्र का निर्माण	—	0.0	0.0	—
55			मोबाईल टॉवर की स्थापना	—	0.0	0.0	—

क.	वर्ष	योजना का नाम	योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य/गतिविधि का नाम	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
56		सामाजिक सहायता	पेंशन	मगरलोड	0.665	0.665	—
57		पेंशन योजना	पेंशन	नगरी	7.17	7.17	—
58		अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण	मगरलोड	0.108	0.108	04 इकाई
59		अनुदान पर सुकरत्रयी इकाई वितरण	अनुदान पर सुकरत्रयी इकाई वितरण	मगरलोड	0.108	0.108	02 इकाई
योग :-					972.051	68.701	
महायोग :-					3737.066	1649.795	


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	पीव्हीटीजी लाभान्वित ग्रामों का नाम	रिमार्क
1	धमतरी	मगरलोड	मढेली	
2			कोरगाव	
3			परसाबुडा	
4			मोहेरा	
5			मोहेरा	
6			मडवापथरा	
7			सिंगपुर	
8			भंडारवाडी	
9			खडमा (माल)	
10			बोदलबाहरा	
11			बिरझुली	
12			मुरुमडीह	
13			हथबंद	
14			जलकुंभी	
15			बेलोरा	
16			बोईरगांव	
17			मारागांव	
18			जामली	
19			भालूचुवा	
20			पाहंदा	
21			मोहंदी	
22			बेन्द्राचुवा	
23			सरगी	
24			झाझरकेरा	
25			सोनझरी	
26	धमतरी	धमतरी	भोयना	
27			लीलर	
28			कोटाभरी	
29			बरारी	
30			शकरवारा	
31			कोदागहन	
32			उरपुटी	
33			बरबांधा	
34		नगरी	खरका	
35			जबरा	
36			कौहाबाहरा	
37			दुगली	
38			कल्लेमेटा	
39			कुम्हडा	
40			डोकाल	

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	पीव्हीटीजी लाभान्वित ग्रामों का नाम	रिमार्क
41			कोरा	
42			सियारीनाला	
43			अमलीपारा	
44			करैहा	
45			कांटाकुरीडीह	
46			कुरीडीह	
47			बाजारकुरीडीह	
48			सियादेही	
49			माकरदोना	
50			माकरदोना	
51			बरबांधा	
52			केरगांव	
53			कुकरेल	
54			बनबगौद	
55			पथरीडीह	
56			कुकरेल	
57			बगरूमनाला	
58			बगरूमनाला	
59			हितली	
60			बनबगौद	
61			बनबगौद	
62			सिरौदखुर्द	
63			केरगांव	
64			बांसीखाई	
65			सेमरा	
66			बिरनासिल्ली	
67			आमगांव	
68			बोराई	
69			सांकरा	
70			घोरागांव	
71			लिलांज	
72			संबलपुर	
73			फरासिया	
74			अमाली	
75			डोंगरडुला	
76			राजपुर	
77			डोंगरडुला	
78			बोईरगांव	
79			मेचका	
80			बरपदर	
81			बेलरबाहरा	
82			बोरबांधा	

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	पीव्हीटीजी लाभान्वित ग्रामों का नाम	रिमार्क
83			कसपुर (रै.)	
84			घुरावड़	
85			उमरगाव	
86			लखनपुरी	
87			हिन्छापुर	
88			कोरैमुडा	
89			झुझराकसा	
90			बिलभदर	
91			चुरियारा	चुरियारा नगर पंचायत नगरी का पीव्हीटीजी बसाहट है।
92			छिपली	
93			बाजारकुरीडीह (पिपरछेडी)	
94			भिरागांव	
95			झुरातराई	
96			दौड़पण्डरीपानी	
97			कोंगेरा	
98			खडपथरा	
99			गट्टासिल्ली रै.	
100			गेदरा	
101			चिंवरी रै.	
102			परसापानी	
103			पारधी	
104			बरबांधा	
105			कोटरवाही	
106			आमाबहार	
107			गाताबाहरा	
108			चंदनबाहरा	
109			लिखमा	
110			रतावा	
111			बहीगांव	
112			खुदुरपानी	
113			भैंसामुडा	
114			मटियाबाहरा	
115			गढडौंगरी माल	
116			भुरसाडागरा	
117			जैतपुरी	
118			कसपुर	
119			बरोली	
120			नवागांव	
121			ठोठाझरियां	
122			भिषमपुरी	

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	पीव्हीटीजी लाभान्वित ग्रामों का नाम	रिमार्क
123			पोड़ागांव	
124			सलोनी	
125			झिपाटोला	
126			घाटगांव	
127			पावद्वार	
128			सेलबाहरा	
129			गोंविंदपुर	
130			गीतकारमुड़ा	
131			भीतररास	
132			साल्हेभाट	
133			गिधावा	


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र

वर्ष 2023-24 से जनवरी 2026 तक कर की गई सामाग्री एवं राशि की
जानकारी

जिला :- राजनांदगाँव

स. क्रमांक	सामाग्री का नाम	कुल राशि	मात्रा
1	2	3	4
वर्ष 2023-24			
1	एंगल आयरन कौट	198887	36
2	विंडो रूम कूलर	979222	73
3	एंगल आयरन कौट	291061	53
4	एंगल आयरन कौट	778977	141
5	एंगल आयरन कौट	1650880	366
6	एंगल आयरन कौट	126310	23
7	एल.ई.डी.ट्यूब लाईट	294314	302
8	एल.ई.डी.ट्यूब लाईट	584755	600
9	फिनायल	83434	710
10	गद्दा	1894580	420
11	एंगल आयरन कौट	587614	107
12	एल.ई.डी.ट्यूब लाईट	300175	308
13	सीलिंग फेन	98801	41
14	एल.ई.डी.ट्यूब लाईट	68217	70
15	तकिया	474856	678
16	एल.ई.डी.ट्यूब लाईट	74064	76
17	फिनायल	74626	635
18	एल.ई.डी.ट्यूब लाईट	17541	18
19	मच्छरदानी	168604	550
20	प्लास्टिक बाल्टी	23860	67
21	मग	23978	404
22	मग	2077	35
23	तकिया	46925	67
24	गणवेश सामाग्री	292020	100
25	प्लास्टिक बाल्टी	99715	280
26	एंगल आयरन कौट	127059	23

अनुमान अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी नगर, नवा रायपुर

स. क्रमांक	सामाग्री का नाम	कुल राशि	मात्रा
27	खेल सामाग्री	168719	506
28	मच्छरदानी	133656	436
29	तकिया	149880	214
30	मग	3977	67
वर्ष 2024-25			
31	ट्यूबलाईट 20 वाट	300000	600
32	एलईडी बल्ब 15 वाट	220000	917
33	स्ट्रीट लाईट 50 वाट	80000	62
34	एंगल आयरन रैक	800000	182
35	वाटर कूलर आरओ सहित	960000	12
36	चम्मच	40000	4000
37	पर्दा	100000	202
38	दरी	650000	260
39	तकिया (कवर सहित)	450000	750
40	सिलिंग पंखा	400000	145
41	कुलर	600000	34
42	जग	50000	139
43	स्टील बाल्टी(16ली.)	50000	63
44	डस्टबीन बड़ा (ढक्कन सहित 70 ली)	100000	64
45	डायनिंग टेबल	600000	12
46	फिलार्डल	25000	11
47	तकिया कवर	300000	1204
48	डोरमेट छोटा	285000	724
49	डोरमेट बड़ा	115000	96
50	थाली	430000	1667
51	ग्लास	100000	1020
52	कढ़ाई (ढक्कन सहित)	370000	39
53	गैस भट्ठी	100000	19
54	स्टील ड्रम	400000	163
55	एंगल आयरन रैक	200000	45
56	नास्ता प्लेट	100000	892
57	विद्यार्थी कुर्सी + टेबल	800000	205
58	पर्दा	200000	404
59	सिलिंग पंखा	100000	36

स. क्रमांक	सामग्री का नाम	कुल राशि	मात्रा
60	सिलिंग पंखा	150000	55
61	फिनाइल	100000	42
62	मच्छरदानी	200000	755
63	कैरम बोर्ड	30000	8
64	फिनाइल	30000	13
65	कैरम बोर्ड	50000	14
66	तकिया कवर	30000	121
वर्ष 2025 से जनवरी 2026 तक			
67	पलंग	224000	40
68	डायनिंग टेबल	184596	4
69	डायनिंग टेबल	230745	5
70	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	82990	1
71	ऑफिस कुर्सी	70200	13
72	फिनाइल	47200	16
73	डोरमेट बड़ा	114696	81
74	पलंग	184800	33
75	कुकर 10 ली0	216800	40
76	थाली	35000	100
77	करछुल	16000	100
78	ग्लास	10800	100
79	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित	165980	2
80	स्टुडेंट चेयर	15520	4
81	डायनिंग टेबल	138447	3
82	परदा	282150	570
83	तकिया कवर	72875	265
84	एल्युमिनियम गंज	53994	6
85	सबमार्सिबल पंप	69880	1
86	तकिया	162400	406
87	गैस भट्ठी	16903.5	3
88	गैस भट्ठी	16903.5	3
89	तकिया कवर	16775	61
90	कम्प्युटर सेट	315000	7
91	बेड	33000	6
92	थाली	1806	7

स. क्रमांक	सामग्री का नाम	कुल राशि	मात्रा
93	बेड	16500	3
94	चम्मच	300	20
95	जग	2160	6
96	कम्प्युटर सेट	135000	3
97	चम्मच	495	33
98	बेड	16500	3
99	विसिटिंग चेयर	49500	15
100	नस्ता प्लेट	2000	40
101	बेड	49500	9
102	कम्प्युटर सेट	45000	1
103	चम्मच	450	30
104	बेड	5500	1


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र

वर्ष 2023-24 से जनवरी 2026 तक क्रय की गई सामग्री एवं राशि की जानकारी

जिला :- मोहला-मानपुर-अं.चौकी

वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला राजनांदगाँव में सामग्री क्रय की गई है।			
स. क्रमांक	सामग्री का नाम	कुल राशि	मात्रा
1	2	3	4
वित्तीय वर्ष 2024-25			
1	ग्लास	47500	500
2	ग्लास	47500	500
3	ग्लास	49970	526
4	ग्लास	49970	526
5	ग्लास	49970	526
6	थ्रोइंग हेमर	4144	1
7	अलमोरा	46020	2
8	बुक केस	73160	2
9	बड़े स्टेनलेस स्टील और लोहे के बर्तन	105000	15
10	बड़े स्टेनलेस स्टील और लोहे के बर्तन	90000	15
11	टेबल फैन्बदीवार पर लगाने वाला फैन्सीलिंग पर लगाने वाला फैन्	255936	64
12	ज्वालारोधी और मोसमरोधी एग्जॉस्ट फैन	267300	81
13	बिस्तर के कपड़े रबरयुक्त कॉयर गद्दे कुशन और तकिए	744300	150
14	तकिया कवर खादी	86000	430
15	एसएस कम्पार्टमेंटल ट्रे	147500	500
16	तकिए सिंथेटिक्स	438600	731
17	इलेक्ट्रिक सीलिंग प्रकार का पंखा	240024	73
18	बीएलडीसी मोटर वाला इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन	280000	80
19	फोम गद्दे	833000	170
20	क्रिकेट का बल्ला	21420	9
21	बेडमिंटन रैकेट	390000	260

अनुष्ठा अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

स. क्रमांक	सामग्री का नाम	कुल राशि	मात्रा
1	2	3	4
22	स्व.बेलस्टेड एलईडी लैंप	219000	1000
23	मच्छरदानी	675000	2700
24	परात और ढक्कन	598550	2025
25	कीटाणुनाशक तरल पदार्थ फेनोलिक प्रकार	26400	220
26	कीटाणुनाशक तरल पदार्थ फेनोलिक प्रकार	48000	400
27	कीटाणुनाशक तरल पदार्थ फेनोलिक प्रकार	48000	400
28	कीटाणुनाशक तरल पदार्थ फेनोलिक प्रकार	240000	2000
29	स्टेनलेस स्टील डाइनिंग टेबल फिक्स्ड कुर्सी के साथ	133998	3
30	कक्षा डेस्क और बैठने की व्यवस्था	324000	60
31	तखत	330960	60
32	फोम गद्दे	318000	60
33	एलपीएच से अधिक निस्पंदन क्षमता वाली आरओ जल उपचार प्रणाली	921995	5
34	सौर ऊर्जा आधारित एलईडी स्ट्रीट लाइट के साथ हाई मास्ट लाइटिंग अष्टकोणीय टॉवर	960000	12
35	स्टेनलेस स्टील की बाल्टी	213660	225
36	तखत	964730	227
37	टेलीविजन	253500	13
38	फोम गद्दे	299400	60
39	तखत	497133	91
40	फोम गद्दे	74300	100
41	इलेक्ट्रिक पंखा	63000	20
42	अनाज भंडारण कोठी	211750	55
43	फोम गद्दे	626750	115
44	फोम गद्दे	991900	182
45	ट्यूबलाइट	585750	1065
46	फर्श साफ़ करने वाला फीनाइल	520000	4000
47	सेनिटरी नेपकीन	196100	37000
48	बड़े स्टेनलेस स्टील और लोहे के बर्तन	40000	10
49	बड़े स्टेनलेस स्टील और लोहे के बर्तन	105000	15
50	कैरम बोर्ड	133500	89

स. क्रमांक	सामग्री का नाम	कुल राशि	मात्रा
1	2	3	4
51	वहालीबाल	89000	89
52	तोकिया	441000	735
53	पेर से संचालित पेटल बिन या बाल्टी	315200	788
54	सेनेटरी नेपकीन	196100	37000
55	अनाज कोठी	829600	244
56	तखत	590740	139
57	जग	81321	221
58	काडेगन, खुला सामने	216000	360
59	स्टील बर्तन	42732	1200
60	स्टील शल्फ	60000	5
61	एलईडी बल्ब	49498	225
62	सीलिंग फैन	227700	110
63	ट्यूब लाइट	142970	170
64	विद्यार्थी टेबल कुसी	76845	15
65	अलमोरा	250400	16
66	अनाज कोठी	51480	18
67	तखत	327780	60
68	तखत	579078	106

वित्तीय वर्ष 2025 से जनवरी 2026 तक

69	अनाज कोठी	85540	47
70	अलमोरा	450000	30
71	एंगल आयरन बेड	385000	77
72	एंगल आयरन रैक	102450	30
73	एंगल आयरन रैक, मीडियम	42500	17
74	एग्जोस्ट फैन	97500	30
75	एलईडी ट्यूब लाइट	89800	200
76	एलईडी बल्ब	178160	655
77	ऑफिस चेयर	168000	60
78	ऑफिस टेबल	170560	52
79	ऑफिस रिवोल्विंग चेयर	30000	5
80	करछुल	14500	100
81	झारा	12000	100
82	फिनाइल	180000	1500
83	फिनाइल	372000	3100
84	फोम मेट्रेस	248100	50
85	फोम मेट्रेस	496200	100
86	मच्छरदानी	358110	2070

स. क्रमांक	सामग्री का नाम	कुल राशि	मात्रा
1	2	3	4
87	वाल फैन	402000	120
88	सेनेटरी नेपकीन	213480	5930
89	स्टील ग्लास	50960	910
90	स्टील जग	32000	100
91	स्टील ड्रम	47000	20
92	स्टील थाली चोखाना	152220	516
93	स्टील बाल्टी	45440	80


 अनुमान अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परोपेष्ट - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 437) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	सांस्कृतिक उत्सव/महोत्सव के नाम
1	छ.ग.रामनामी रामराम भजन मेला चंदलीडीह
2	मकर संक्रांति मेला महोत्सव
3	राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव
4	तातापानी महोत्सव
5	जुनी सरोवर मेला
6	नर्मदा महोत्सव
7	गनियारी लोक कला महोत्सव
8	झुमका महोत्सव
9	बस्तर पंडुम
10	ताला महोत्सव
11	अरपा महोत्सव
12	रामाराम मेला
13	शिवरीनारायण मेला महोत्सव
14	दक्षिण बस्तर के आदिवासियों के प्रसिद्ध माघ पूर्णिमा घोटपाल (करसाड़ा)
15	राजिम कुंभ कल्प मेला
16	सांकरवाहरा में महाशिवरात्रि महोत्सव
17	श्री कणेश्वर महादेव मेला महोत्सव
18	माता मावली मेला महोत्सव
19	मैनपाट महोत्सव
20	लोक मंडई महोत्सव
21	मोहलई मेला
22	रतनपुर महोत्सव
23	चित्रकूट महोत्सव
24	सिरपुर महोत्सव
25	गौरैया धाम चौरेल मेला महोत्सव
26	पाली महोत्सव
27	देवबलीदा महोत्सव चरौदा भिलाई
28	कपिलेश्वर महोत्सव
29	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जयंती
30	संत समागम समारोह दामाखेड़ा
31	मडकुदीप महोत्सव
32	महेशपुर महोत्सव
33	सहसपुर मेला महोत्सव
34	जान्वलय देव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला
35	फाल्गुन मेला उत्सव
36	बिलासा महोत्सव
37	मल्हार महोत्सव
38	होली पंचमी के रंग खेलतरा सांपत
39	गिरीदपुरी मेला उत्सव

अनुभाग अधिकारी
संस्कृत विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

40	कुदरगढ़ महोत्सव
41	भोरमदेव महोत्सव
42	मंदराजी महोत्सव स्वेली
43	खल्लारी महोत्सव
44	माता केशल्या महोत्सव
45	नगपुरा महोत्सव
46	रामगढ़ महोत्सव
47	रामगढ़ महोत्सव
48	गोचा पर्व उत्सव
49	विश्व आदिवासी दिवस
50	विश्व आदिवासी दिवस महोत्सव
51	पोला महोत्सव महिषासार
52	कृष्ण जन्माष्टमी पर्व
53	चक्रधर समारोह
54	लक्ष्मणेश्वरी महोत्सव नगर पंचायत खरौद
55	करिया धुरवा मेला महोत्सव
56	नवरात्रि पर्व
57	नगर दशहरा उत्सव
58	दुर्गा पूजा एवं दशहरा महोत्सव
59	जिला स्तरीय दशहरा महोत्सव
60	सार्वजनिक दशहरा उत्सव
61	सार्वजनिक दुर्गा दशहरा महोत्सव
62	बस्तर दशहरा
63	गढ़िया महोत्सव
64	जल जगार महोत्सव
65	स्व.ठाकुर रामप्रसाद पोटाई स्मृति देव दशहरा
66	छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव
67	लाला जगदलपुरी साहित्य महोत्सव
68	परमपूज्य बाबा गुरु धासीदास जयंती महोत्सव
69	ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक महोत्सव


 अनुभाग अधिकारी
 संस्कृत विभाग, मंत्रालय,
 महानदी भवन, अटल नगर,
 जिला-रायपुर (छ.ग.)

जिला कलेक्टर को सांस्कृतिक आयोजनों एवं महोत्सवों हेतु आवंटित राशि की सूची
(01.01.2024 से 04.02.2026)

क्र.	जिले का नाम	आयोजन का उद्देश्य	आवंटन राशि
1	फतेकटर, बालोद	मकर संक्रांति मेला महोत्सव 12 से 14 जनवरी 2024 हेतु	200000
2	फतेकटर, दुर्ग	गुनिवारी लोक कला महोत्सव 2024 के आयोजन हेतु	500000
3	फतेकटर, गरियाबंद	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	375000
4	फतेकटर, कोरबा	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	375000
5	फतेकटर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	225000
6	फतेकटर, मोहला-मानपुर-अंजागढ़ चौकी	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	275000
7	फतेकटर, सुकमा	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	275000
8	फतेकटर, मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	275000
9	फतेकटर, बस्तर (जगदलपुर)	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	475000
10	फतेकटर, जशपुर	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	525000
11	फतेकटर, बीजापुर	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	325000
12	फतेकटर, दतेवाड़ा	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	325000
13	फतेकटर, कांकोर	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	475000
14	फतेकटर, दिलासपुर	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	325000
15	फतेकटर, रायगढ़	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	475000
16	फतेकटर, सूरजपुर	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	425000
17	फतेकटर, नारायणपुर	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	225000
18	फतेकटर, कबीरधाम	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	325000

८६

अनुभाग अधिकारी
सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.प.)

जिले का नाम	आयोजन का उद्देश्य	आवंटन राशि
कलेक्टर, दुर्ग	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	275000
20 कलेक्टर, बेमैतरा	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	325000
21 कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	275000
22 कलेक्टर, मुगेली	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	275000
23 कलेक्टर, बलीदाबाजार	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	375000
24 कलेक्टर, कोरिया	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	225000
25 कलेक्टर, बालोद	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	375000
26 कलेक्टर, जाजगीर-चापा	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	375000
27 कलेक्टर, धमतरी	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	325000
28 कलेक्टर, कोण्डागांव	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	375000
29 कलेक्टर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरदाही	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	275000
30 कलेक्टर, बलरामपुर	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	425000
31 कलेक्टर, सरगुजा	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	475000
32 कलेक्टर, सक्ति	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	325000
33 कलेक्टर, रायपुर	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	325000
34 कलेक्टर, महासमुद्र	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	375000
35 कलेक्टर, राजनांदगांव	अयोध्या में आयोजित श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर में आयोजन हेतु बजट आवंटन	325000
36 कलेक्टर, गरियाबंद	घोषणा के परिपालन में चिन्तारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बजट आवंटन	1950000
37 कलेक्टर, कोरवा	घोषणा के परिपालन में चिन्तारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बजट आवंटन	1420000
38 कलेक्टर, खैरागढ़-धुईखदान-गडई	घोषणा के परिपालन में चिन्तारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बजट आवंटन	580000
39 कलेक्टर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	घोषणा के परिपालन में चिन्तारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बजट आवंटन	365000


अनुभाग अधिकारी
 संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
 महानदी भवन, अटल नगर,
 जिला-रायपुर (छ.प्र.)

[illegible]

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

जिले का नाम	आयोजन का उद्देश्य	आवंटन राशि
कलेक्टर, धमतारी	घोषणा के परिपालन में विन्तारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बजट आवंटन	1545000
61 कलेक्टर, कोण्डागांव	घोषणा के परिपालन में विन्तारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बजट आवंटन	225000
62 कलेक्टर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	घोषणा के परिपालन में विन्तारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बजट आवंटन	505000
63 कलेक्टर, बलरामपुर	घोषणा के परिपालन में विन्तारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बजट आवंटन	370000
64 कलेक्टर, सरगुजा	घोषणा के परिपालन में विन्तारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बजट आवंटन	2030000
65 कलेक्टर, सक्ति	घोषणा के परिपालन में विन्तारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बजट आवंटन	2675000
66 कलेक्टर, रायपुर	घोषणा के परिपालन में विन्तारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बजट आवंटन	1285000
67 कलेक्टर, महासमुंद	घोषणा के परिपालन में विन्तारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बजट आवंटन	700000
68 कलेक्टर, राजनांदगांव	घोषणा के परिपालन में विन्तारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु बजट आवंटन	1895000
69 कलेक्टर, जिला बेमेतरा	दिनांक 25 जनवरी 2024 को ग्राम डनदनी, ग्राम पंचायत धनौरा में जुनी सरोवर मेला 2024 के आयोजन हेतु बजट आवंटन	600000
70 कलेक्टर, जिला रायगढ़	दिनांक 01 से 03.06.2023, जिला मुख्यालय रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 के अवसर पर आमंत्रित कलाकारों के आवागमन के लिए बाहनों में डीजल/पेट्रोल ईंधन कार्य व्यवस्था के देय भुगतान	350303
71 कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	दिनांक 10.02.2024 को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में अरपा महोत्सव के आयोजन हेतु बजट आवंटन	1000000
72 कलेक्टर, बलौदाबाजार	संत समागम समारोह दामाखेडा 2024	200000
73 कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़	छ.ग.रामनामी रामराम भजन मेला 2024, ग्राम चंदतीडीह में आयोजन हेतु आवंटन	200000
74 कलेक्टर, सरगुजा	मैनपाट महोत्सव 2024 दिनांक 2 से 04 फरवरी, 2024 के आयोजन हेतु आवंटन	1000000
75 कलेक्टर, सरगुजा	मैनपाट महोत्सव 2024 दिनांक 2 से 04 फरवरी, 2024 के आयोजन हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन	500000
76 कलेक्टर, बिलासपुर	होली पंचमी के रंग खेलतरा सीपत बिलासपुर में दिनांक 30 मार्च 2024 के आयोजन हेतु आवंटन	100000
77 कलेक्टर, गरियाबंद	राजिम कुंभ कल्प मेला 2024 के आयोजन हेतु प्रथम किस्त आवंटन	1500000
78 कलेक्टर, गरियाबंद	राजिम कुंभ कल्प मेला 2024 के आयोजन हेतु द्वितीय किस्त आवंटन	2500000
79 कलेक्टर, गरियाबंद	राजिम कुंभ कल्प मेला 2024 के आयोजन हेतु तृतीय किस्त आवंटन	500000
80 कलेक्टर, राजनांदगांव	सांकरवाहरा में महाशिवरात्रि महोत्सव के आयोजन हेतु आवंटन	500000
81 कलेक्टर, राजनांदगांव	लोक मंडई महोत्सव 2024 के आयोजन हेतु आवंटन	1500000

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

जिले का नाम	आयोजन का उद्देश्य	आवंटन राशि
कलेक्टर, धमतरी	श्री कर्णेश्वर महादेव मेला महोत्सव 2024 के आयोजन हेतु आवंटन	500000
3 कलेक्टर, धमतरी	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जयंती दिनांक 28 फरवरी 2024 को आयोजन हेतु आवंटन	100000
84 कलेक्टर, जिला बालोद	सद्गुरु श्री कबीर पाट घमानुरागी समिति मोहलई में दिनांक 22 से 24 फरवरी 2024 तक मेला आयोजन हेतु बजट आवंटन	100000
85 कलेक्टर, जिला जांजगीर-चापा	लक्ष्मणेश्वरी महोत्सव नगर पंचायत खरीद में आयोजन हेतु आवंटन	500000
86 कलेक्टर, जिला जांजगीर-चापा	शिवतीनारायण मेला महोत्सव के आयोजन हेतु आवंटन	1000000
87 कलेक्टर, जिला बालोद	संत गुरु घासीदास मंदिर प्रबंध समिति गीरिया धाम घोरैत में मेला महोत्सव दिनांक 24 फरवरी 2024 को आयोजन हेतु आवंटन	200000
88 कलेक्टर, जिला बिलासपुर	बिलास महोत्सव 2024 के आयोजन हेतु आवंटन	300000
89 कलेक्टर, जिला महासमुंद	सिरपुर महोत्सव दिनांक 24 से 26 फरवरी 2024 तक आयोजन हेतु बजट आवंटन	1500000
90 कलेक्टर, जिला दंतवाड़ा	दक्षिण बस्तर के आदिवासियों के प्रसिद्ध माघ पूर्णिमा घोटपाल (करसाड़ा) दिनांक 13 से 29 फरवरी 2024 तक आयोजन हेतु बजट आवंटन	200000
91 कलेक्टर, जिला जांजगीर-चापा	जाम्बल देव लोक महोत्सव एवं एग्रीकल्चर मेला वर्ष 2023-24 के आयोजन हेतु	500000
92 कलेक्टर, जिला बिलासपुर	हाला महोत्सव 2023-24 हेतु अध्यक्ष श्री रिद्धनाथ सेवा आश्रम समिति तालागाव को बजट आवंटन	200000
93 कबीरधाम	भोरमदेव लोक महोत्सव-2024	1000000
94 सरगुजा	रामगढ़ महोत्सव-2024	800000
95 सक्ती	विश्व आदिवासी दिवस महोत्सव	500000
96 बीजापुर	विश्व आदिवासी दिवस महोत्सव	900000
97 रायगढ़	"39वें चक्रधर समारोह 2024" के आयोजन	4000000
98 जशपुर	कृष्ण जन्माष्टमी पर्व	50000
99 धमतरी	जल-जगार महा उत्सव आयोजन	2000000
100 बस्तर	बस्तर दशहरा वर्ष 2024	4000000
101 जशपुर	दुर्गा पूजा एवं दशहरा महोत्सव	500000
102 सूरजपुर	जिला स्तरीय दशहरा उत्सव आयोजन	200000
103 धमतरी	नगर दशहरा उत्सव समिति 2024 कुरुद आयोजन	800000
104 सक्ती	नवरात्रि	1000000
105 रायपुर	सार्वजनिक दशहरा उत्सव डब्ल्यू.आर.एस. कालोनी	1000000
106 उत्तर बस्तर कांगेर	स्व. ठाकुर रामप्रसाद पोटाई स्मृति देव दशहरा	200000
107 बेमेतरा	सार्वजनिक दुर्गा-दशहरा महोत्सव 2024	500000
108 समस्त जिला (32 जिला रायपुर को छोड़कर) प्रत्येक जिला को राशि रु. 2.00 लाख	राज्योत्सव, 2024	6400000
109 बिलासपुर	तीन दिवसीय परमपूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती महोत्सव	200000
110 रायपुर	"राजा मोरघ्वज आरंग महोत्सव-2025"	500000

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

जिले का नाम	आयोजन का उद्देश्य	आवंटन राशि
1 जशपुर	जनजातीय गौरव सांस्कृतिक एकता कार्यक्रम दिनांक 30.11.2024 के आयोजन	100000
112 समस्त जिला (32 जिला रायपुर को छोड़कर) प्रत्येक जिला को राशि रु. 2.00 लाख	सरकार गठन के 01 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु बजट आवंटन प्रदाय करने बाबत।	6400000
113 बेमेतरा	ओपन पंथी नृत्य कार्यक्रम आयोजन	1500000
114 सारंगढ़-बिलाईगढ़	संत शिरोमणी बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम	1000000
115 बालोद	मकर संक्रांति मेला महोत्सव	200000
116 दुर्ग	गनियारी लोककला महोत्सव	500000
117 जशपुर	सुशासन दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक आयोजन	200000
118 सारंगढ़-बिलाईगढ़	रामनामी बड़े भजन मेला एवं संत समागम आयोजन	200000
119 मुंगेली	33वें अहीर नृत्य कला महोत्सव	100000
120 बिलासपुर	मल्हार महोत्सव	2000000
121 बिलासपुर	ताला महोत्सव	500000
122 बालोद	मांघी पूर्णिमा मेला महोत्सव वर्ष 2025 घौरेल	200000
123 बालोद	मांघी पूर्णिमा मेला महोत्सव वर्ष 2025 मोहलई	100000
124 बलौदाबाजार	संत समागम सनारोह दामाखेड़ा 2024	200000
125 राजनांदगांव	32वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन	200000
126 धमतरी	श्री कर्णेश्वर महादेव मेला महोत्सव	500000
127 बस्तर जगदलपुर	चित्रकोट महोत्सव एवं मेला	1000000
128 बिलासपुर	"होली पंचमी के रंग, बेलतरा-सीपत के संग"	100000
129 राजनांदगांव	महाशिवरात्रि पर्व	500000
130 जांजगीर-चांपा	शिवरीनारायण मेला महोत्सव वर्ष 2025	1000000
131 गरियाबंद	राजिन कुम कल्प मेला 2025	5919000
132 कबीरधाम	भोरमदेव लोक महोत्सव-2025	3000000
133 बिलासपुर	बिलासा महोत्सव 2024-25	300000
134 कबीरधाम	हिन्दू संगम मेला 2025	500000
135 मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	गरबा एवं चिरमिरी महोत्सव	1000000
136 दलैवाड़ा	बस्तर पंडुम 2025	125000
137 बस्तर	बस्तर पंडुम 2025	9860000
138 दलैवाड़ा	बस्तर पंडुम 2025	5325000
139 सुकमा	बस्तर पंडुम 2025	4630000
140 कांकेर	बस्तर पंडुम 2025	10065000
141 कोण्डागांव	बस्तर पंडुम 2025	8105000
142 बीजापुर	बस्तर पंडुम 2025	5360000

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

	जिले का नाम	आयोजन का उद्देश्य	आवंटन राशि
	नारायणपुर	बस्तर पंडुम 2025	3520000
144	सूरजपुर	फुदरगढ महोत्सव के आयोजन हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।	1000000
145	जशपुर	'जशरंग' राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव, जशपुर के लिए आर्थिक सहायता के संबंध में।	300000
146	जगदलपुर (बस्तर)	दिनांक 25 जून, 2025 से 06 जुलाई, 2025 तक गौचा पर्व के आयोजन	500000
		गौचा पर्व 2025 के आयोजन हेतु अतिरिक्त आवंटन	300000
147	सरगुजा (अम्बिकापुर)	दिनांक 11 एवं 12.06.2025 को दो दिवसीय "रामगढ़ महोत्सव 2025" का आयोजन	800000
148	रायगढ़	40वां चक्रधर समारोह-2025 हेतु आवंटन उपलब्ध कराने बाबत।	4000000
149	जशपुर	श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के आयोजन हेतु अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	50000
150	राजनांदगांव	राजनांदगांव में सालाना उर्स हजरत सैय्यद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह जलालबाग दरगाह, पारीनाला के आयोजन हेतु सांस्कृतिक मद से 12 लाख रुपये राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में।	400000
151	समस्त जिला (कुल 32 जिला)	संविधान हत्या दिवस आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजन हेतु वजट आवंटन बाबत।	1600000
152	दुर्ग	पौला महोत्सव 2025 के आयोजन	500000
153	समस्त जिला (कुल 33 जिला)	छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025-26	7300000
154	बलारामपुर	दशहरा उत्सव एवं रावण दहन कार्यक्रम	100000
155	रायपुर	भण्डारपुरी मेला आयोजन	2000000
156	बस्तर, जगदलपुर	बस्तर दशहरा पर्व वर्ष 2025	4000000
157	जशपुर	दशहरा उत्सव 2025	1200000
158	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	दशहरा उत्सव 2025	500000
159	धमतरी	दशहरा उत्सव 2025	800000
160	सरगुजा (लखनपुर)	दशहरा उत्सव 2025	100000
161	सूरजपुर	दशहरा उत्सव 2025	200000
162	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	गरबा एवं चिरमिरी महोत्सव	1000000
163	रायपुर	दशहरा उत्सव 2025	1000000
164	सरगुजा	दशहरा उत्सव 2025	1000000
165	विलासपुर	वेलतरा महोत्सव 2025	500000
166	समस्त जिला (कुल 32 जिला-प्रत्येक जिले को 22.00 लाख) रायपुर को छोड़कर	राज्योत्सव 2025	3200000

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.प.)

जिले का नाम			आयोजन का उद्देश्य	आवदन राशि
रामस्त	गिला	(कुल 33	"संवेगातरम् 150वीं वर्षगांठ का आयोजन	8250000
गिला-प्रत्येक	जिले	को		
25,000/-)				
168	बालोद		मकर संक्रांति मेला महोत्सव 2026	2000000
169	बिलासपुर		गुरु घासीदास जयंती महोत्सव एवं विशाल मेला कार्यक्रम	2000000
170	बेमेतरा		ओपन पंथी नृत्य कार्यक्रम	15000000
171	बलीयाबाजार-गाटापारा		संत समागम समारोह गाथा मेला वर्ष 2026	2000000
172	मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर		अमृतधारा महोत्सव	5000000
173	जाजगीर-चांफा		जाजगीर लोक महोत्सव एवं एथीटिक धृति मेला वर्ष 2025-26	3000000
174	दुर्ग		मनियारी लोककला महोत्सव 2026	3000000
175	मुंगेली		34वीं अर्द्ध गुरु कला एवं छेरछेरा महोत्सव	1000000
176	बिलासपुर		ताला महोत्सव वर्ष 2025-26	5000000
177	बिलासपुर		बिलासा महोत्सव	3000000
178	जशपुर		एकरंग राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव	1000000
179	रामपुर		कुंवरगढ़ महोत्सव	5000000
180	महासमुंद		सिरपुर महोत्सव	15000000
181	रायपुर		राजा गोरध्वज आरंभ महोत्सव	5000000
182	धमतरी		कर्णेश्वर मेला महोत्सव 2026	5000000
183	बिलासपुर		छोली पंचमी के रंग खेलतरा रीफत बिलासपुर के संग	1000000
184	राजनांदगांव		अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट पीस कांफ्रेंस के आयोजन	2000000
185	बालोद		माघी पूर्णिमा मेला महोत्सव 2026-चौरैल	2000000
186	बालोद		माघी पूर्णिमा मेला महोत्सव 2026-गोहलई	2000000
187	जाजगीर-चांफा		शिवरीनारायण मेला महोत्सव 2026	10000000
188	जाजगीर-चांफा		गुरु घासीदास मेला महोत्सव एवं संत समागम 2026	500000
189	गरियाबंद		राजिम कुंभ (वर्ष) मेला, 2026	45000000
190	सारंगढ़-बिलाईगढ़		संत शिरोमणी बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम	10000000
191	सरगुजा		मैगपाट महोत्सव 2026	45000000
			कुल राशि	209599303

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.प्र.)

पारिशेष्य - उन्सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 640) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्ष 2022 से 30 जनवरी 2026 तक आत्मा योजनांतर्गत कोरबा जिले को आबंटित राशि की वर्षवार जानकारी

क्र.	वर्ष	आबंटित राशि (रु. मे)
1	1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक	6416512
2	2022-23 (1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023)	10997000
3	2023-24 (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024)	4860927
4	2024-25 (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025)	9067826
5	2025-26 (1 अप्रैल 2025 से 30 जनवरी 2026)	11682118
योग		43024383

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)

Date: 19-02-2026 सचिव

13:20:11 छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

आत्मा योजनान्तर्गत जिला कोरबा में वर्ष 2021-22 (01 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022) में घटकवार भौतिक पूर्ति एवं व्यय राशि की विकासखंडवार, घटकवार की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड का नाम	घटक	भौतिक पूर्ति (संख्या)	व्यय राशि (रु.)
1	जिला स्तरीय गतिविधियाँ	बी-14 (ए) संविदा वेतन	1	32000
2		बी-14(सी) हार्डिंग ऑफ व्हॉकल एण्ड पी.आ.एल	7	64801
3		बी-14(बी) ऑफरेशनल एक्सपेंसेश	10	415261
		योग-	18	512062
4	कोरबा	बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	1	2000
5		बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	450	112500
6		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	125	90160
7		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	2	8000
8		बी-15 फार्म स्कूल	3	3600
9		डी-3 कृषक मित्र	78	1144000
		योग-	659	1360260
10	करतला	बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	1	2000
11		बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	450	112500
12		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	125	88960
13		बी-7 जिला स्तरीय कृषक पुरस्कार	1	25000
14		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	2	8000
15		बी-15 फार्म स्कूल	3	4500
16		डी-3 कृषक मित्र	62	918000
		योग-	644	1158960
17	कटघोरा	बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	1	2000
18		बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	450	112500
19		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	125	89760
20		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	2	8000
21		बी-15 फार्म स्कूल	3	3600
22		डी-3 कृषक मित्र	79	537000
		योग-	660	752860
23	पाली	बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	1	2000
24		बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	450	112500
25		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	125	90160
26		बी-3 (बी) प्रदर्शन संवर्गीय विभाग	10	40000
27		बी-5 (ए) केपासिटी बिल्डिंग एवं रिकल डेवलपमेंट	2	10000
28		बी-5 (सी) फूड स्केयोरिटी ग्रुप	2	20000
29		बी-7 जिला स्तरीय कृषक पुरस्कार	3	75000
30		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	2	8000
31		बी-12 किसान गोष्ठी	2	30000
32		बी-15 फार्म स्कूल	3	53370
33		डी-3 कृषक मित्र	71	420000
		योग-	671	861030
34	पोड़ीउपरोड़ा	बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	1	2000
35		बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	450	112500
36		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	125	90160
37		बी-4 (बी) कृषक भ्रमण राज्य के अंदर	20	64000
38		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	2	8000
39		बी-15 फार्म स्कूल	3	4500
40		डी-3 कृषक मित्र	106	742000
		योग-	707	1023160
		महायोग-	3359	5668332

Digitally signed by
 (विकास मिश्रा)
 Vikas Mishra उप सचिव
 Date: 19-02-2026
 13:21:34 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

आत्मा योजनान्तर्गत जिला कोरबा में वर्ष 2022-23 (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023) में घटकवार भौतिक पूर्ति एवं व्यय राशि की विकासखंडवार, घटकवार की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड का नाम	घटक	भौतिक पूर्ति (संख्या)	व्यय राशि (रु.)
1	जिला स्तरीय गतिविधियाँ	बी-14 (ए) संविदा वेतन	1	190557
2		बी-14(सी) हाईरिंग ऑफ व्हॉकल एण्ड पी.आ.एल	8	128005
3		बी-14(बी) ऑफरेशनल एक्सपेंसेस	0	699969
4		बी-9 (ए) इन्फार्मेशन थ्रो प्रिन्टेड लिपलेट	0	399996
			9	1418527
5	कोरबा	बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	40	40000
6		बी-4 (बी) कृषक भ्रमण राज्य के अंदर	160	80000
7		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	125	217219
8		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	10	8000
9		बी-12 किसान गोष्ठी	1	15000
10		बी-14 (iv) ऑफरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	5	30000
11		बी-15 फार्म स्कूल	3	32691
12		डी-3 कृषक मित्र	78	1828000
			422	2250910
13	करतला	ए-7 (ए) जिला स्तरीय कृषक पुरस्कार	1	25000
14		बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	202	202000
15		बी-4 (बी) कृषक भ्रमण राज्य के अंदर	160	80000
16		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	125	202619
17		बी-14 (iv) ऑफरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	5	30000
18		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	10	8000
19		बी-15 फार्म स्कूल	3	32446
20		डी-3 कृषक मित्र	62	550000
			568	1130065
21	कटघोरा	बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	109	109000
22		बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	100	300000
23		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	125	177253
24		बी-4 (बी) कृषक भ्रमण राज्य के अंदर	160	80000
25		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	10	8000
26		बी-12 किसान गोष्ठी	2	30000
27		बी-14 (iv) ऑफरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	5	30000
28		बी-14 (f) बी.एफ.एस.ई. मिटिंग	3	7500
29		बी-15 फार्म स्कूल	3	83146
30		डी-3 कृषक मित्र	79	1547000
			596	2371899

क्र.	विकास खण्ड का नाम	घटक	भौतिक पूर्ति (संख्या)	व्यय राशि (रु.)
31	पाली	ए-7 (ए) जिला स्तरीय कृषक पुरस्कार	3	75000
32		बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	79	79000
33		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	125	235069
34		बी-4 (बी) कृषक भ्रमण राज्य के अंदर	160	80000
35		बी-5 (ए) केपासिटी बिल्डिंग एवं स्किल डेवलपमेंट	2	10000
36		बी-5 (सी) फूड स्केयोरिटी ग्रुप	2	20000
37		बी-10 डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलोजी पैकेज	1	20000
38		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	10	8000
39		बी-14 (iv) ऑफरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	5	30000
40		बी-12 किसान गोष्ठी	2	30000
41		बी-15 फार्म स्कूल	3	82421
42		डी-3 कृषक मित्र	71	1685000
			463	2354490
43	पोड़ीउपरोड़ा	बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	70	70000
44		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	125	276663
45		बी-4 (बी) कृषक भ्रमण राज्य के अंदर	960	80000
46		बी-10 डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलोजी पैकेज	1	20000
47		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	10	8000
48		बी-14 (iv) ऑफरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	5	30000
49		बी-15 फार्म स्कूल	3	32446
50		डी-3 कृषक मित्र	106	954000
		योग-	1280	1471109
		महायोग-	3329	10997000

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 19-02-2026

13:22:42

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

उत्पादन शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

आत्मा योजनान्तर्गत जिला कोरबा में वर्ष 2023-24 (01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) में घटकवार भौतिक पूर्ति एवं व्यय राशि की विकासखंडवार, घटकवार की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड का नाम	घटक	भौतिक पूर्ति (संख्या)	व्यय राशि (रु.)
1	जिला स्तरीय गतिविधियाँ	बी-14 संविदा वेतन	1	224407
2		बी-14 ऑफरेशनल एक्सपेंसेस	5	120000
		योग-	6	344407
3	कोरबा	बी-2 (सी) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	20	5000
4		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	4	1104
5		डी-3 कृषक मित्र	78	322000
		योग-	102	328104
6	करतला	बी-2 (सी) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	20	5000
7		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	4	1104
8		डी-3 कृषक मित्र	62	1178000
		योग-	86	1184104
9	कटघोरा	बी-2 (सी) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	20	5000
10		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	4	1104
11		डी-3 कृषक मित्र	79	427000
		योग-	103	433104
12	पाली	बी-2 (सी) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	20	5000
13		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	4	1104
14		बी-3 (बी) प्रदर्शन उद्यानिकी	18	72000
15		बी-3 (बी) प्रदर्शन पशुपालन	20	80000
16		डी-3 कृषक मित्र	71	363000
		योग-	133	521104
17	पोड़ीउपरोड़ा	बी-2 (सी) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	20	5000
18		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	4	1104
19		डी-3 कृषक मित्र	106	2044000
		योग-	130	2050104
		महायोग-	560	4860927

Digitally signed by (वि.स. मिश्रा)

Vikas Mishra

Date: 19-02-2026

13:23:39

उप सचिव

जलीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ई

आत्मा योजनान्तर्गत जिला कोरबा में वर्ष 2024-25 (01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) में घटकवार भौतिक पूर्ति एवं व्यय राशि की विकासखंडवार, घटकवार की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड का नाम	घटक	भौतिक पूर्ति (संख्या)	व्यय राशि (रु.)
1	जिला स्तरीय गतिविधियाँ	बी-8 जिला स्तरीय किसान मेला	1	200000
2		बी-9 (ए) इन्फार्मेशन थ्रो प्रिन्टेड लिपलेट	0	50000
3		बी-14 संविदा वेतन	1	388360
4		बी-14 ऑपरेशनल एक्सपेंसेस	0	319747
		योग-	2	958107
5	कोरबा	बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	10	10000
6		बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	192	48000
7		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	32	40480
8		बी-4 (बी) कृषक भ्रमण राज्य के अंदर	15	7500
9		बी-4 (सी) कृषक भ्रमण जिले के अंदर	50	15000
10		बी-5 (ए) केपासिटी बिल्डिंग एवं स्किल डेवलपमेंट	1	5000
11		बी-5 (सी) फूड स्केयोरिटी ग्रुप	2	10000
12		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	5	4000
13		बी-12 किसान गोष्ठी	1	15000
14		बी-14 (4) ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	1	10000
15		बी-15 फार्म स्कूल	1	6659
16		डी-3 कृषक मित्र	76	1288000
		योग-	386	1459639
17	करतला	बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	25	25000
18		बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	192	48000
19		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	32	39470
20		बी-4 (बी) कृषक भ्रमण राज्य के अंदर	25	12500
21		बी-4 (सी) कृषक भ्रमण जिले के अंदर	50	15000
22		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	5	4000
23		बी-12 किसान गोष्ठी	1	15000
24		बी-14 (6) बी.एफ.ए.सी. मिटिंग्स	2	5000
25		बी-14 (4) ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	1	10000
26		बी-15 फार्म स्कूल	1	20885
27		डी-3 कृषक मित्र	62	1121000
		योग-	396	1315855
28	कटघोरा	बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	20	20000
29		बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	192	48000
30		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	32	40480
31		बी-4 (बी) कृषक भ्रमण राज्य के अंदर	25	12500
32		बी-5 (सी) फूड स्केयोरिटी ग्रुप	2	10000
33		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	5	4000
34		बी-12 किसान गोष्ठी	1	15000
35		बी-14 (4) ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	1	10000
36		बी-14 (6) बी.एफ.ए.सी. मिटिंग्स	2	5000
37		बी-15 फार्म स्कूल	1	7019
38		डी-3 कृषक मित्र	70	1204000

क्र.	विकास खण्ड का नाम	घटक	भौतिक पूर्ति (संख्या)	व्यय राशि (रु.)
		योग—	351	1375999
39	पाली	बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	192	48000
40		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	32	39560
41		बी-3 (बी) प्रदर्शन पशुपालन	4	16000
42		बी-3 (बी) प्रदर्शन मत्स्य पालन	3	12000
43		बी-4 (बी) कृषक भ्रमण राज्य के अंदर	57	36050
44		बी-4 (सी) कृषक भ्रमण जिले के अंदर	50	15000
45		बी-5 (ए) केपासिटी बिल्डिंग एवं स्किल डेवलपमेंट	1	5000
46		बी-5 (सी) फूड स्केयोरिटी ग्रुप	2	10000
47		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्या	5	4000
48		बी-12 किसान गोष्ठी	1	15000
49		बी-14 (4) ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	1	9738
50		बी-15 फार्म स्कूल	1	22139
51		डी-3 कृषक मित्र	71	1164000
		योग—	420	1396487
52	पोड़ीउपरोड़ा	बी-2 (बी) कृषक प्रशिक्षण राज्य के अंदर	25	25000
53		बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	192	48000
54		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	32	21920
55		बी-3 (बी) प्रदर्शन उद्यानिकी	3	12000
56		बी-3 (बी) प्रदर्शन मत्स्य पालन	3	12000
57		बी-3 (बी) प्रदर्शन पशुपालन	4	16000
58		बी-4 (बी) कृषक भ्रमण राज्य के अंदर	25	12500
59		बी-4 (सी) कृषक भ्रमण जिले के अंदर	50	15000
60		बी-5 (ए) केपासिटी बिल्डिंग एवं स्किल डेवलपमेंट	1	5000
61		बी-5 (सी) फूड स्केयोरिटी ग्रुप	2	10000
62		बी-11 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्या	5	4000
63		बी-12 किसान गोष्ठी	1	15000
64		बी-14 (4) ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	1	10000
65		बी-15 फार्म स्कूल	1	19449
66		डी-3 कृषक मित्र	106	1728000
		योग—	451	1953869
		महायोग—	2006	8459956

Digitally signed by (विकास मिश्रा)
 Vikas Mishra उप सचिव
 Date: 19-02-2026 मुख्यमंत्री शासन
 13:24:37 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-फ

आत्मा योजनान्तर्गत जिला कोरबा में वर्ष 2025-26 (01 अप्रैल 2025 से 30 जनवरी 2026 तक) में घटकवार भौतिक पूर्ति एवं व्यय राशि की विकासखंडवार, घटकवार की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	घटक	भौतिक पूर्ति (संख्या)	व्यय राशि (रु.)
1	जिला स्तरीय गतिविधियाँ	बी-7 जिला स्तरीय किसान मेला	1	600000
2		बी-8 (ए) इन्फार्मेशन थ्रो प्रिन्टेड लिपलेट	0	66080
3		बी-13 (ए) ऑपरेशनल एक्सपेंसेस	0	661359
4		बी-13 (सी) हाईरिंग ऑफ व्हीकल एण्ड पी.आ.एल	0	79949
5		डी 10 कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा वेतन)	1	277400
		योग-	2	1684788
6	कोरबा	बी-2 (ए) कृषक प्रशिक्षण राज्य के बाहर	1	30000
7		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	38	101416
8		बी-3 (बी) प्रदर्शन मत्स्य पालन	6	36000
9		बी-3 (बी) प्रदर्शन पशुपालन	8	48000
10		बी-3 (बी) प्रदर्शन उद्यानिकी	6	36000
11		बी-4 (ए) कृषक भ्रमण राज्य के बाहर	1	21000
12		बी-5 (सी) फूड स्केयोरिटी ग्रुप	1	25000
13		बी-10 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	2	12000
14		बी-11 किसान गोष्ठी	1	25000
15		बी-13 (सी) ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	1	60000
16		बी-14 फार्म स्कूल	2	58922
17		बी-15 कृषक मित्र	78	1137900
		योग-	145	1591238
18	करतला	बी-2 (ए) कृषक प्रशिक्षण राज्य के बाहर	1	30000
19		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	38	101416
20		बी-3 (बी) प्रदर्शन उद्यानिकी	6	36000
21		बी-3 (बी) प्रदर्शन मत्स्य पालन	6	36000
22		बी-4 (ए) कृषक भ्रमण राज्य के बाहर	1	21000
23		बी-10 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	2	12000
24		बी-11 किसान गोष्ठी	1	25000
25		बी-14 (सी) ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	1	60000
26		बी-14 फार्म स्कूल	2	20122
27		बी-15 कृषक मित्र	62	806000
		योग-	120	1147538
28	कटघोरा	बी-2 (ए) कृषक प्रशिक्षण राज्य के बाहर	1	30000
29		बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	3	74000
30		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	38	101416
31		बी-3 (बी) प्रदर्शन मत्स्य पालन	6	36000
32		बी-3 (बी) प्रदर्शन उद्यानिकी	8	48000
33		बी-4 (ए) कृषक भ्रमण राज्य के बाहर	1	21000
34		बी-10 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	2	12000
35		बी-11 किसान गोष्ठी	2	50000
36		बी-14 (सी) ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	1	60000
37		बी-14 फार्म स्कूल	2	20122
38		बी-15 कृषक मित्र	70	965000
		योग-	134	1417538

क्र.	विकास खण्ड	घटक	भौतिक पूर्ति (संख्या)	व्यय राशि (रु.)
39	पाली	बी-2 (ए) कृषक प्रशिक्षण राज्य के बाहर	1	30000
40		बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	3	74000
41		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	38	136756
42		बी-3 (बी) प्रदर्शन उद्यानिकी	6	36000
43		बी-3 (बी) प्रदर्शन मत्स्य पालन	6	36000
44		बी-3 (बी) प्रदर्शन पशुपालन	8	48000
45		बी-4 (ए) कृषक भ्रमण राज्य के बाहर	1	21000
46		बी-4 (सी) कृषक भ्रमण जिले के अंदर	1	30000
47		बी-5 (ए) केपासिटी बिल्डिंग एवं स्किल डेवलपमेंट	1	10000
48		बी-5 (सी) फूड स्केयोरिटी ग्रुप	1	25000
49		बी-10 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	2	12000
50		बी-11 किसान गोष्ठी	2	50000
51		बी-14 (सी) ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	1	60000
52		बी-14 फार्म स्कूल	2	59802
53		बी-15 कृषक मित्र	71	1008000
		योग-	144	1636558
54	पोड़ीउपरोड़ा	बी-2 (ए) कृषक प्रशिक्षण राज्य के बाहर	1	30000
55		बी-2 (सी2) कृषक प्रशिक्षण जिले के अंदर	3	74000
56		बी-3 (ए) प्रदर्शन कृषि	38	101416
57		बी-3 (बी) प्रदर्शन उद्यानिकी	6	36000
58		बी-3 (बी) प्रदर्शन मत्स्य पालन	6	36000
59		बी-3 (बी) प्रदर्शन पशुपालन	8	48000
60		बी-4 (ए) कृषक भ्रमण राज्य के बाहर	1	21000
61		बी-5 (ए) केपासिटी बिल्डिंग एवं स्किल डेवलपमेंट	1	10000
62		बी-5 (सी) फूड स्केयोरिटी ग्रुप	1	25000
63		बी-10 (ए) कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा	2	12000
64		बी-11 किसान गोष्ठी	2	50000
65		बी-14 (सी) ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ब्लॉक लेवल	1	60000
66		बी-14 फार्म स्कूल	2	20122
67		बी-15 कृषक मित्र	106	1558000
		योग-	178	2081538
		महायोग-	723	9559198

Digitally signed by
 Vikas Mishra (विकास मिश्रा)
 Date: 19-02-2026
 13:25:43
 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशेष - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क. 703) की जानकारी

प्रपत्र अ

छ.ग. दूरिज्म बोर्ड द्वारा निविदा आमंत्रण की जानकारी

निविदा का नाम	जेम के अतिरिक्त निविदा का माध्यम	निविदा प्रकाशन दिनांक	चयनित एजेंसी	दर	स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्वीकृत दिनांक	अनुमोदन/नियम का आधार
1		3	4	5	6	7	8
Empanelment of Architectural Agencies for providing consultancy services related to architectural and structural design.	e-Proc. Portal Chips	05.05.2025	Category A. 1- Navin Sharma and Associates 2- Rohit Mudilkar Architects Category B 1- G T Design Studio 2- Pilliwar & Associates Category C 1- DDF Consultants Pvt. Ltd. 2- INI Design Studio Pvt. Ltd. 3- IPE Global Limited 4- Kapoor & Associates 5- Rajhans Consultants & Technocrats Pvt. Ltd.	Stage - 1 - L1 - 1.00 % Stage - 2 - L1 - 2.00 % Stage - 3 - L1 - 2.50 % Stage - 1 - L1 - 0.40 % Stage - 2 - L1 - 1.25 % Stage - 3 - L1 - 1.00 % Stage - 1 - L1 - 0.30 % Stage - 2 - L1 - 0.90 % Stage - 3 - L1 - 1.80 %	श्री विवेक आचार्य प्रबंध संचालक, छ. ग. दूरिज्म बोर्ड	छत्तीसगढ़ दूरिज्म बोर्ड का आदेश क्रमांक 382 दिनांक 02.05.2025	छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002(यथा संशोधित)
Selection of Agency for providing human resources	e-Proc. Portal Chips	समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु कार्यदिश दिनांक 12.12.2025 एवं निविदा प्रकाशन दिनांक 16.12.2025	कार्यवाही प्रक्रियाधीन	कार्यवाही प्रक्रियाधीन	श्री विवेक आचार्य प्रबंध संचालक, छ. ग. दूरिज्म बोर्ड	12.12.2025	संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 07.08.2025 में लिए गए निर्णय एवं छत्तीसगढ़ शासन की इकाई चिप्स (Chips) द्वारा संचालित ई-पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रण की कार्यवाही।
Selection of Agency for providing security Guard to Chhattisgarh tourism board	e-Proc. Portal Chips	समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु कार्यदिश दिनांक 12.12.2025 एवं निविदा प्रकाशन दिनांक 16.12.2025	कार्यवाही प्रक्रियाधीन	कार्यवाही प्रक्रियाधीन	श्री विवेक आचार्य प्रबंध संचालक, छ. ग. दूरिज्म बोर्ड	12.12.2025	संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 07.08.2025 में लिए गए निर्णय एवं छत्तीसगढ़ शासन की इकाई चिप्स (Chips) द्वारा संचालित ई-पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रण की कार्यवाही।

प्रपत्र ब

छ.ग. स्टेट इस्टीमेट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट द्वारा निविदा आमंत्रण की जानकारी
1. छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से जारी खुली निविदा -

क्रं.	निविदा का नाम	जारी निविदा दिनांक	एजेंसी का नाम	दर	स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	स्वीकृति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	छात्रावास के विद्यार्थियों हेतु मेस व्यवस्था	30.06.2025	तंदुरी क्लब, वी.आई.पी. रोड, रायपुर	राशि रु. 3501/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह	श्री अन्बलगन पी. अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट, रायपुर	22/04/2025
2.	मानव संसाधन, सुरक्षा सर्विस एवं रखरखाव सेवा प्रदाय करने के संबंध में		मेसर्स कॉल मी सर्विस, रायपुर	01 प्रतिशत सेवा शुल्क		
3.	हाऊस कीपिंग एवं गार्डन रखरखाव व्यवस्था		वाय.ए. एम. इंटरप्राइजेस, रायपुर	राशि रु. 68000/- प्रतिमाह		
4.	छात्रों के आवागमन हेतु परिवहन व्यवस्था		महामाया ट्रेवल्स, नवा रायपुर	राशि रु. 62000/- प्रतिमाह (05 कि.मी./प्रति लीटर)		
5.	विभिन्न प्रकार के किराना सामग्री		कृष्णा के मार्ट, रायपुर	राशि रु. 9,63,330/-		
6.	सब्जियां व फल		खमतराई, रायपुर	राशि रु. 3,60,849/-		
7.	वार्षिक रखरखाव (किचन लैब एवं अन्य)		खमतराई, रायपुर	प्रति विजिट (इलेक्ट्रीकल्स रु. 350, इलेक्ट्रॉनिक्स रु. 400, प्लंबिंग रु. 500, मशीन रु. 350, रेफ्रिजेशन रु. 400, ओवन रु. 350, कम्प्यूटर रु. 300, प्रिंटर रु. 150, फोटोकॉपी मशीन रु. 450, कैमरा रु. 250)		

2. सीमित निविदा के माध्यम से जारी निविदा -

क्रं.	निविदा का नाम	जारी कोटेशन दिनांक	एजेंसी का नाम	दर	स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	स्वीकृति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	चिकन/मटन/मछली/अण्डा (नॉनवेज) प्रदाय करने के संबंध में	30.09.2025	तंदुरी क्लब, वी.आई.पी. रोड, रायपुर	राशि रु. 2,99,845/-	श्री विवेक आचार्य प्राचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट, रायपुर	26.09.2025
2.	डेयरी प्रोडक्ट प्रदाय करने के संबंध में		कृष्णा के मार्ट, खमतराई, रायपुर	राशि रु. 2,82,242/-	ऑफ़ होटल मैनेजमेंट, रायपुर	

पारिशेष्ट - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 737) की जानकारी

प्रपत्र

जिला सक्ती द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रय की गई सामाग्री का विवरण।

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	क्रय का आधार
1	3	4	5	8
1	टेबल एवं कुर्सी	100	6,000.00	विभागीय संस्थाओं से प्राप्त मांग पत्र एवं Gem Portal में L1 के आधार पर छ.ग.भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए सामाग्री क्रय किया गया है।
2	ट्यूब लाइट	550	560.00	
3	पंखा	125	2,350.00	
4	लोवर टी-शर्ट सेट	500	1,980.00	
5	तखत	30	7,950.00	
6	गद्दा	102	4,500.00	
7	स्टील थाली	1165	434.00	
8	मिक्सर गार्डर	10	10,400.00	
9	तकिया	100	455.00	
10	तकिया कवर	100	150.00	
11	आफिस टेबल	17	14,500.00	
12	आफिस चेयर	51	4,500.00	
13	रिवालविंग चेयर	17	9,500.00	
14	अलमारी	17	17,500.00	
15	स्टुडेंट चेयर	220	2,500.00	
16	स्टुडेंट टेबल	220	3,500.00	
17	फर्स्ट फिल्ट्रिड ड्रेसिंग	1800	73.99	
18	Ethylene Propylene Rubber Self - Amalgamating Tape	330	150.00	
19	स्कीन केयर & क्लीनिंग क्रीम	630	150.00	
20	एफ.एफ.डी.	1120	120.00	
21	मेडिकल किट बेग	720	994.00	
22	गद्दा	58	4,500.00	
23	गद्दा	222	4,500.00	
24	पंखा	200	2,750.00	
25	एल.ई.डी. बल्ब	600	550.00	
26	बेंच टेबल	315	3,000.00	
27	चादर	750	450.00	
28	डिनर सेट स्टैंड (किचन रैक) (मेटल में)	56	6,500.00	
29	गैस चुल्हा	25	8,000.00	
30	डिनर सेट	154	4,000.00	

अनुभाष अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

जिला सक्ती द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रय की गई सामाग्री का विवरण।

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	क्रय का आधार
1	3	4	5	8
1	गद्दा	100	6,500.00	विभागीय संस्थाओं से प्राप्त मांग पत्र एवं Gem Portal में L1 के आधार पर छ.ग.भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए सामाग्री क्रय किया गया है।
2	चादर	1002	400.00	
3	LED बल्ब	569	980.00	
4	परदा पाईप	1500	150.00	
5	MS पाईप	500	900.00	
6	फर्स्ट फिल्ट्रिंग ड्रेसिंग	700	119.99	
7	Ethylene Propylene Rubber Self - Amalgamating Tape	300	150.00	
8	स्कीन केयर - क्लीनिंग क्रीम	300	150.00	
9	एफ.एफ.डी.	640	73.99	
10	तकिया	700	400.00	
11	तकिया कव्हर	700	250.00	
12	ऑफिस चेयर	214	4,350.00	


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महामन्दी भवन, नया रायपुर

पारिशेष - बैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 750) की जानकारी

प्रपत्र — अ

विधान सभा क्षेत्र मुँगेली के अन्तर्गत मंडी बोर्ड निधि से वर्ष 2023-24 से दिनांक 04.02.2026 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी							
कार्य सरल क्रमांक	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति पत्र क्र./दिनांक	तकनीकी स्वीकृति पत्र क्र./दिनांक	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
	मुँगेली	2023-24	निरंक				
	मुँगेली	2024-25	निरंक				
1	मुँगेली	2025-26	चकरभाठा रोड से जंगलपुर 02 कि. मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य ।	98.67	4311 / 22.08.2025	4159 / 18.08.2025	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
2	मुँगेली	2025-26	निरजाम से बुंदेली 03 कि.मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य	98.67	4311 / 22.08.2025	4159 / 18.08.2025	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
3	लोरमी	2025-26	ग्राम बटहा में झझपुरी मार्ग 01 कि. मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य	49.34	4311 / 22.08.2025	1908 / 08.08.2025	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
4	मुँगेली	2025-26	ग्राम चीनू से चीतापुर 02 कि.मी. सी. सी. रोड निर्माण कार्य	98.67	4311 / 22.08.2025	4159 / 18.08.2025	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
5	लोरमी	2025-26	ग्राम औराबांधा से जेवरा सरहद मार्ग तक 1.50 कि.मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य ।	74.00	4311 / 22.08.2025	4159 / 18.08.2025	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
6	पथरिया	2025-26	ग्राम बगबुड़वा में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	22.20	4311 / 22.08.2025	1908 / 08.08.2025	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
			योग	441.55			
7	लोरमी	2025-26	कुम्हरौली से बठली खुर्द के बीच पुलिया निर्माण कार्य ।	37.51	4311 / 22.08.2025	1908 / 08.08.2025	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
8	लोरमी	2025-26	लोकईपुर में मुक्तिधाम के पास नाला में पुलिया एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य ।	34.73	4311 / 22.08.2025	1908 / 08.08.2025	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
			योग	72.24			
			महायोग	513.79			

Digitally signed by (विकास मिश्रा)
 Vikas Mishra उप सचिव
 Date: 20-02-2026 छत्तीसगढ़ शासन
 15:17:04 विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र — ब

विधान सभा क्षेत्र मुंगेली के अन्तर्गत मंडी समिति निधि से वर्ष 2023-24 से 04.02.2026 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी

कार्य सरल क्रमांक	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	कार्यादेश क्रमांक/ दिनांक	एजेन्सी (ठेकेदार) का नाम	अद्यतन व्यय (रु. लाख में)	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मुंगेली	2023-24	निरंक					
1	मुंगेली	2024-25	ग्राम टेढ़ाघौरा (नक्टापारा) में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	15.52	पत्र कं. 718-719/1 0.11.2024	डी कुमार कंस्ट्रक्शन पंडरिया	13.67	पूर्ण
2	मुंगेली	2024-25	ग्राम टेढ़ाघौरा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
3	मुंगेली	2024-25	ग्राम सेतगंगा (मेला स्थल) में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	15.52	पत्र कं. 713-714/1 0.11.2024	लखन ट्रेडर्स पण्डरिया	13.34	पूर्ण
4	मुंगेली	2024-25	ग्राम खैरा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य					पूर्ण
5	मुंगेली	2024-25	ग्राम डोमनपुर में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	15.52	पत्र कं. 785-786/2 9.10.2024	अर्पित देवांगन अकलतरा	13.93	पूर्ण
6	मुंगेली	2024-25	ग्राम फरहदा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य					पूर्ण
7	मुंगेली	2024-25	ग्राम चकरभाठा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	15.52	पत्र कं. 1021-1022 /26.11.24	अर्नव कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	10.90	पूर्ण
8	मुंगेली	2024-25	ग्राम संगबांधा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य					पूर्ण
9	मुंगेली	2024-25	ग्राम चारभाठा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	15.52	पत्र कं. 1023-1024 /26.11.24	अर्नव कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	13.22	पूर्ण
10	मुंगेली	2024-25	ग्राम कोदवाबानी में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य					पूर्ण
11	मुंगेली	2024-25	ग्राम अमलीडीह में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	15.52	पत्र कं. 711-712/1 0.10.2024	अमर कुमार यादव लोरमी	13.66	पूर्ण
12	मुंगेली	2024-25	ग्राम धनगांव में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य					पूर्ण
13	मुंगेली	2024-25	ग्राम भीमपुरी में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	13.58	पत्र कं. 858-859/1 4.11.2024	पी कुमार कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	11.92	पूर्ण
14	मुंगेली	2024-25	ग्राम किदरियापारा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य					पूर्ण
15	मुंगेली	2024-25	ग्राम औराबांधा (कोहड़िया पंचायत) में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	13.58	पत्र कं. 662-663/0 3.10.2024	7 हिल्स दुर्ग	12.00	पूर्ण
16	मुंगेली	2024-25	ग्राम पुरान में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य					पूर्ण
17	मुंगेली	2024-25	ग्राम दशरंगपुर में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	15.52	पत्र कं. 860-861/1 4.11.2024	पी कुमार कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	12.98	पूर्ण
18	मुंगेली	2024-25	ग्राम बरदुली में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य					पूर्ण
19	मुंगेली	2024-25	ग्राम कंतेली में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	15.52	पत्र कं. 862-863/1 4.11.2024	पी कुमार कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	12.81	पूर्ण
20	मुंगेली	2024-25	ग्राम सोनपुरी अमरटापू में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य					पूर्ण

कार्य सरल क्रमांक	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	कार्यादेश क्रमांक / दिनांक	एजेन्सी (ठेकेदार) का नाम	अद्यतन व्यय (रु. लाख में)	अद्यतन स्थिति
21	मुंगेली	2024-25	ग्राम पंडरभट्टा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	13.58	पत्र क्र. 793-794 / 0 4.11.2024	पटेल ट्रेडर्स बेमेतरा	13.79	पूर्ण
22	मुंगेली	2024-25	ग्राम भरदा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य					पूर्ण
23	मुंगेली	2024-25	ग्राम दुल्लापुर में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	7.76	पत्र क्र. 722-723 / 1 0.10.2024	कृष्णा इंटरप्राइजेस बिलासपुर	17.86	पूर्ण
24	मुंगेली	2024-25	ग्राम अचानकपुर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	11.70				पूर्ण
25	मुंगेली	2024-25	ग्राम कारेसरा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 791-792 / 0 4.11.2024	जय भोले कंस्ट्रक्शन बेमेतरा	13.78	पूर्ण
26	मुंगेली	2024-25	ग्राम बांकी में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
27	मुंगेली	2024-25	ग्राम ठाकुरीकापा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	15.52	पत्र क्र. 1017-1018 / 26.11.24	अर्नव कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	13.58	पूर्ण
28	मुंगेली	2024-25	ग्राम घुण्डुकापा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
29	मुंगेली	2024-25	ग्राम पौनी में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 726-727 / 1 0.10.2024	कृष्णा इंटरप्राइजेस बिलासपुर	11.63	पूर्ण
30	मुंगेली	2024-25	ग्राम विचारपुर (डोड़ाग्राम) में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
31	मुंगेली	2024-25	ग्राम भालापुर में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 720-721 / 1 0.10.2024	डी कुमार कंस्ट्रक्शन पंडरिया	11.55	पूर्ण
32	मुंगेली	2024-25	ग्राम मानपुर में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
33	मुंगेली	2024-25	ग्राम खुर्सी में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 856-857 / 1 4.11.2024	पी कुमार कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	12.14	पूर्ण
34	मुंगेली	2024-25	ग्राम मुढ़िया में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
35	मुंगेली	2024-25	ग्राम कुआगांव में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 1019-1020 / 26.11.24	अर्नव कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	13.31	पूर्ण
36	मुंगेली	2024-25	ग्राम निपनिया में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
37	मुंगेली	2024-25	ग्राम पदमपुर में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 1013-1014 / 26.11.24	प्रदीप अग्रवाल बिलासपुर	11.37	पूर्ण
38	मुंगेली	2024-25	ग्राम पदमपुर में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
39	मुंगेली	2024-25	ग्राम शीतलदाह / गस्तीकांपा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	15.52	पत्र क्र. 833-834 / 1 2.11.2024	रूप केसरी कंस्ट्रक्शन मुंगेली	13.49	पूर्ण
40	मुंगेली	2024-25	ग्राम चातरखार में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
41	मुंगेली	2024-25	ग्राम बरेला आवास धुरीपारा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	15.52	पत्र क्र. 1147-1148 / 17.12.24	प्रदीप अग्रवाल बिलासपुर	6.51	पूर्ण
42	मुंगेली	2024-25	ग्राम जरहागांव में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
43	मुंगेली	2024-25	ग्राम छटन सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 664-665 / 0 3.10.2024	पंकज कुमार तिवारी भिलाई	12.55	पूर्ण
44	मुंगेली	2024-25	ग्राम सिंगारपुर सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण

कार्य सरल क्रमांक	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	कार्यादेश क्रमांक / दिनांक	एजेन्सी (टेकदार) का नाम	अद्यतन व्यय (रु. लाख में)	अद्यतन स्थिति
45	मुंगेली	2024-25	ग्राम धरमपुरा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	11.64	पत्र क्र. 919-920 / 1 8.11.2024	प्रदीप अग्रवाल बिलासपुर	11.43	पूर्ण
46	मुंगेली	2024-25	ग्राम धरमपुरा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
47	मुंगेली	2024-25	महुवा (मडुवा) में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	11.64	पत्र क्र. 734-735 / 1 4.10.2024	कांति कंस्ट्रक्शन मुंगेली	11.80	पूर्ण
48	पथरिया	2024-25	ग्राम चीनू में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
49	पथरिया	2024-25	ग्राम भटगांव में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	15.52	पत्र क्र. 678-679 / 0 3.10.2024	जैना इंटरप्राइजेस बिलासपुर	15.39	पूर्ण
50	पथरिया	2024-25	ग्राम भटगांव में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
51	पथरिया	2024-25	ग्राम मझरेटा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	15.52	पत्र क्र. 668-669 / 0 3.10.2024	अवस्थी कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	14.58	पूर्ण
52	पथरिया	2024-25	ग्राम मझरेटा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
53	पथरिया	2024-25	ग्राम लौंदा में सी0सी0 रोड़ निर्माण	7.76	पत्र क्र. 680-681 / 0 3.10.2024	जैना इंटरप्राइजेस बिलासपुर	6.86	पूर्ण
54	पथरिया	2024-25	लौंदा खपरी में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	11.70				प्रगतिरत
55	पथरिया	2024-25	ग्राम ठाकुरदेवा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	15.52	पत्र क्र. 670-671 / 0 3.10.2024	अवस्थी कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	12.94	पूर्ण
56	पथरिया	2024-25	ग्राम घुठेली में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
57	पथरिया	2024-25	ग्राम बछेरा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 724-725 / 1 0.10.2024	कृष्णा इंटरप्राइजेस बिलासपुर	11.55	पूर्ण
58	पथरिया	2024-25	ग्राम जगताकापा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
59	पथरिया	2024-25	ग्राम मोतीमपुर (अमोरा) में 01 स्थानों पर सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 672-673 / 0 3.10.2024	अवस्थी कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	12.01	पूर्ण
60	पथरिया	2024-25	ग्राम मोतीमपुर (अमोरा) में 01 स्थानों पर सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
61	पथरिया	2024-25	ग्राम गोईन्दी में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 674-675 / 0 3.10.2024	अवस्थी कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	13.29	पूर्ण
62	पथरिया	2024-25	ग्राम कंचनपुर में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
63	पथरिया	2024-25	ग्राम रौनाकापा में 1 स्थानों पर सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	11.64	पत्र क्र. 676-677 / 0 3.10.2024	अवस्थी कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	10.00	पूर्ण
64	पथरिया	2024-25	ग्राम रौनाकापा में 01 स्थानों पर सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
65	पथरिया	2024-25	ग्राम कोकड़ी में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	11.64	पत्र क्र. 666-667 / 0 3.10.2024	अवस्थी कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	11.66	पूर्ण
66	पथरिया	2024-25	ग्राम बगडुड़ा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
67	पथरिया	2024-25	ग्राम भटगांव में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	5.82	पत्र क्र. 682-683 / 0 3.10.2024	जैना इंटरप्राइजेस बिलासपुर	5.17	पूर्ण
68	पथरिया	2024-25	ग्राम भटगांव में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	11.70				प्रगतिरत

कार्य सरल क्रमांक	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	कार्यादेश क्रमांक / दिनांक	एजेंसी (ठेकेदार) का नाम	अद्यतन व्यय (रु. लाख में)	अद्यतन स्थिति
69	मुंगेली	2024-25	ग्राम उसलापुर में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 854-855 / 1 4.11.24	पी कुमार कंस्ट्रक्शन बिलासपुर	11.64	पूर्ण
70	मुंगेली	2024-25	ग्राम सिल्ली में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।					पूर्ण
71	मुंगेली	2024-25	ग्राम सिपाही में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 660-661 / 0 3.10.2024	आनंद कंस्ट्रक्शन कबीरधाम	12.65	पूर्ण
72	मुंगेली	2024-25	ग्राम बरईडहरा में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।					पूर्ण
73	मुंगेली	2024-25	ग्राम चलान में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 1015-1016 / 26.11.24	प्रदीप अग्रवाल बिलासपुर	11.85	पूर्ण
74	मुंगेली	2024-25	ग्राम निरजाम में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।					पूर्ण
75	मुंगेली	2024-25	ग्राम देवगांव में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 831-832 / 1 2.11.2024	रूप केसरी कंस्ट्रक्शन मुंगेली	12.68	पूर्ण
76	मुंगेली	2024-25	ग्राम नवागांव (छु) में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।					पूर्ण
77	मुंगेली	2024-25	ग्राम संगवा में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 1149-1150 / 17.12.24	प्रदीप अग्रवाल बिलासपुर	11.94	पूर्ण
78	मुंगेली	2024-25	ग्राम देवरी (संगवा) में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।					पूर्ण
79	मुंगेली	2024-25	ग्राम रामगढ़ में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 658-659 / 0 3.10.2024	प्रशांत कंस्ट्रक्शन मुंगेली	12.48	पूर्ण
80	मुंगेली	2024-25	ग्राम बैहाकापा में सी.सी. रोड निर्माण कार्य।					पूर्ण
81	मुंगेली	2024-25	ग्राम धनगांव गोसाईं साहूपारा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	7.76	पत्र क्र. 1267 / 20. 01.2025	कांति कंस्ट्रक्शन, मुंगेली	8.14	पूर्ण
82	मुंगेली	2024-25	ग्राम पंचायत करही में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	11.70				प्रगतिरत
83	मुंगेली	2024-25	ग्राम बिरगांव (बगीचापार) में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 1269 / 20. 01.2025	रूप केसरी कंस्ट्रक्शन, मुंगेली	13.98	पूर्ण
84	पथरिया	2024-25	ग्राम डाडगांव में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
85	मुंगेली	2024-25	ग्राम सोनपुरी (विचारपुर) में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	11.64	पत्र क्र. 1271 / 20. 01.2025	आनंद मिश्रा, मुंगेली	12.03	पूर्ण
86	मुंगेली	2024-25	ग्राम केसारीकला में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
87	मुंगेली	2024-25	ग्राम भरुवागुड़ा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	11.64	पत्र क्र. 1273 / 20. 01.2025	एम.पी. कंस्ट्रक्शन, पथरिया	13.27	पूर्ण
88	मुंगेली	2024-25	ग्राम हरियरपुर में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
89	मुंगेली	2024-25	देवरी (संगवा) पटेल मोहल्ला सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	11.7	पत्र क्र. 1275 / 20. 01.2025	उमेश कुमार सोनी, सरगांव	0.00	प्रगतिरत
90	पथरिया	2024-25	ग्राम छुटेली में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	13.58	पत्र क्र. 1277 / 20. 01.2025	एम.पी. कंस्ट्रक्शन, पथरिया	15.06	पूर्ण
91	मुंगेली	2024-25	लोकईपुर में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण

कार्य सरल क्रमांक	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	कार्यादेश क्रमांक / दिनांक	एजेन्सी (ठेकेदार) का नाम	अद्यतन व्यय (रु. लाख में)	अद्यतन स्थिति
92	मुंगेली	2024-25	ग्राम मोतिमपुर में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	7.76	पत्र कं. 1279 / 20. 01.2025	प्रशांत कंस्ट्रक्शन, मुंगेली	7.98	पूर्ण
93	पथरिया	2024-25	ग्राम कुकुसदा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	13.58	पत्र कं. 1281 / 20. 01.2025	मनोज कुमार पाण्डेय, पथरिया	14.02	पूर्ण
94	पथरिया	2024-25	ग्राम पुंछेली अमलीकापा में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।					पूर्ण
95	पथरिया	2024-25	ग्राम बैजना में सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	5.82	पत्र कं. 1283 / 20. 01.2025	अरिहंत ट्रेडर्स, मुंगेली	6.41	पूर्ण
96	पथरिया	2024-25	ग्राम पुंछेली में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	11.70				प्रगतिरत
योग -				698.76			580.80	
97	मुंगेली	2025-26	वि.ख. मुंगेली क्षेत्रांतर्गत ग्राम भथरी में सी.सी. रोड़ निर्माण।	10.15	पत्र कं. 545-546 / 1 4.05.2025	अशोक कुमार शर्मा, सारंगढ़-बिलाईगढ़	7.56	पूर्ण
98	मुंगेली	2025-26	वि.ख. मुंगेली क्षेत्रांतर्गत ग्राम अमोरा में सी.सी. रोड़ निर्माण।	10.15	पत्र कं. 545-546 / 1 4.05.2025	अशोक कुमार शर्मा, सारंगढ़-बिलाईगढ़	7.44	पूर्ण
99	मुंगेली	2025-26	वि.ख. मुंगेली क्षेत्रांतर्गत ग्राम हथनीकला में सी.सी.रोड़ निर्माण।	10.15	पत्र कं. 545-546 / 1 4.05.2025	अशोक कुमार शर्मा, सारंगढ़-बिलाईगढ़	7.42	पूर्ण
100	मुंगेली	2025-26	वि.ख. मुंगेली क्षेत्रांतर्गत ग्राम जंगलपुर में सी. सी. रोड़ निर्माण।	6.10	पत्र कं. 545-546 / 1 4.05.2025	आशुतोष झा, बेमेतरा	0.00	पूर्ण
101	मुंगेली	2025-26	वि.ख. मुंगेली क्षेत्रांतर्गत ग्राम निरजाम में सी. सी. रोड़ निर्माण।	10.15	पत्र कं. 545-546 / 1 4.05.2025	अशोक कुमार शर्मा, सारंगढ़-बिलाईगढ़	8.10	पूर्ण
102	मुंगेली	2025-26	वि.ख. मुंगेली क्षेत्रांतर्गत ग्राम सोनपुरी में सी. सी. रोड़ निर्माण।	10.15	पत्र कं. 545-546 / 1 4.05.2025	अशोक कुमार शर्मा, सारंगढ़-बिलाईगढ़	7.87	पूर्ण
योग -				56.85			38.39	
महायोग -				755.61			619.19	

Digitally signed by विकस मिश्रा)
 Vikas Mishra उप सचिव
 Date: 20-02-2026
 15:18:02
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोशेष्ट - तिरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 759) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्ष 2020 से वर्ष 2025 के मध्य दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में
कालोनी निर्माण की वर्षवार ग्रामवार जानकारी

क्रमांक	वर्ष	कॉलोनाइजर का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा
1	2020	निरंक			
2	2021	1. मेसर्स नवेदय डेव्हलपर्स, पार्टनर श्री अमित चन्द्रकार आ. श्री रत्नेश चन्द्राकर निवासी स्टील कॉलोनी वार्ड नं. 56 दुर्ग	अंजोरा	15000	2.04 हे.
		2. मेसर्स लक्ष्मी बिल्डर्स, प्रोप्राईटर श्री आर.जी. बाजपेयी, रिसाली	रिसाली	1109	0.52 हे.
		3. मेसर्स नवकार ड्रीम्स पार्टनर श्री ऋषभ जैन आ० श्री मनीत जैन पत्ता नहेरु नगर, भिलाई	कोलिहापुरी	15000	11.660 हे.
		4 श्री आर.जी. बाजपेयी आ० स्व० श्री के.पी. बाजपेयी शॉप रिसाली नं. 84, बी.एस.पी. मार्केट रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)	रिसाली	15000	2800.00 वर्ग मी.
		5. मेसर्स अपना बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, पार्टनर श्री आर.जी. बाजपेयी, रिसाली भिलाई (छ.ग.)	रिसाली	15001	2.610 हे.
		6. मेसर्स लक्ष्मी बिल्डर्स, प्रोप्राईटर श्री आर.जी. बाजपेयी, रिसाली	रिसाली	283/11	0.100 हे.
3	2022	लक्ष्मी बिल्डर्स पार्टनर श्री आर जी बाजपेयी एवं अन्य रिसाली भिलाई	रिसाली	1122	0.62 हे.
4	2023	1- श्री आर.जी. बाजपेयी आ० स्व० श्री के.पी. बाजपेयी, शॉप रिसाली नं. 84, बी.एस.पी. मार्केट रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)	रिसाली	15003	0.560 हे.
		2- मेसर्स सुयश बिल्डकॉन पार्टनर श्री सजल जैन आ० श्री देवेन्द्र कुमार जैन, निवासी जय आनंद परिसर, जैन गली दुर्ग तह) व जिला दुर्ग (छ.ग.)	रिसाली	15002	5.800 हे.
5	2024	मेसर्स नवोदय डेव्लपर्स पार्टनर श्री अमित चंद्राकर आ० रत्नेश चंद्राकर पता- प्लॉट नं.-153/3, सड़क नं. 5, स्टील कॉलोनी नेहरु नगर दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)	अंजोरा	15002	2.5259 हे.
6	2025	निरंक			


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

भूमि स्वामियों के विरुद्ध वर्षवार/ग्रामवार की गई कार्यवाही की
जानकारी

क्रमांक	वर्ष	ग्राम का नाम	कुल खसरा नं. की संख्या	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2020	निरंक		आवेदित भूमि के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर दुर्ग को प्रेषित किया गया है।
2	2021	निरंक		
3	2022	निरंक		
4	2023	उमरपोटी	315	
		उतई	123	
		हनोदा	21	
		पिसेगांव	2	
5	2024	डूमरडीह	4	
6	2025	अंजोरा (ख)	3	
कुल खसरों की संख्या			468	


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष - चौंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 762) की जानकारी

प्रपत्र

बलरामपुर अंतर्गत संचालित छात्रावास की संख्या स्वीकृत सीट तथा वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 03 वर्षों में प्राप्त आवेदनो की जानकारी :-

क्र.	छात्रावास/आश्रम का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत सीट संख्या	शैक्षणिक सत्र में प्राप्त आवेदनों का विवरण				
				वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26
				प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्री.मै. बालक छात्रावास कमारी	शंकरगढ़	50	50	0	50	0	50
2	प्री.मै.बालक छात्रावास शंकरगढ़ (मा.शा.)	शंकरगढ़	40	40	0	40	0	40
3	प्री.मै.बालक छात्रावास शंकरगढ़ (हाई स्कूल)	शंकरगढ़	40	40	0	40	0	40
4	प्री.मै.बालक छात्रावास रेहड़ा	शंकरगढ़	50	50	0	50	0	50
5	प्री.मै.बालक छात्रावास डीपाडीहकला	शंकरगढ़	50	50	0	50	0	50
6	प्री.मै.कन्या छात्रावास शंकरगढ़ (मा.शा.)	शंकरगढ़	30	49	9	58	28	71
7	प्री.मै.कन्या छात्रा.शंकरगढ़ (हाई स्कूल)	शंकरगढ़	50	60	10	87	17	87
8	प्री.मै.बालक छात्रावास दुर्गापुर	शंकरगढ़	40	42	2	43	0	40
9	पो.मै.बालक छात्रावास शंकरगढ़	शंकरगढ़	50	50	0	50	0	60
10	पो.मै.कन्या छात्रावास शंकरगढ़	शंकरगढ़	50	58	8	105	35	90
योग:-				489	29	573	80	578
11	पोस्ट मै0 कन्या छात्रावास कुसमी	कुसमी	50	50	0	50	0	50
12	पोस्ट मै0 बालक छात्रावास कुसमी	कुसमी	50	50	0	50	0	50
13	प्री0मै0 बालक छात्रावास कुसमी (50सीटर)	कुसमी	50	50	0	50	0	50
14	प्री0मै0 बालक छात्रावास भुलसीकला (50सीटर)	कुसमी	50	50	0	50	0	50

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, प्रधानदी भवन, नया रायपुर

शैक्षणिक सत्र में प्राप्त आवेदनों का विवरण									
क्र.	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत सीट संख्या	वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
				प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	प्री0मै0 बालक छात्रावास सामरी (40 सीटर एस0टी0)	कुसमी	40	40	0	40	0	40	0
16	प्री0मै0 बालक छात्रावास भुलसीकला (40सीटर)	कुसमी	40	40	0	40	0	40	0
17	प्री0मै0 बालक छात्रावास मदगुरी	कुसमी	50	50	0	50	0	50	0
18	प्री0मै0 बालक छात्रावास रामनगर	कुसमी	50	50	0	50	0	50	0
19	प्री0मै0 कन्या छात्रावास कुसमी	कुसमी	50	55	5	55	5	66	16
20	प्री0मै0 बालक छात्रावास नीलकंठपुर	कुसमी	50	50	0	50	0	50	0
21	प्री0मै0 बालक छात्रावास जवाहरनगर	कुसमी	40	40	0	40	0	40	0
22	प्री0मै0 बालक छात्रावास लरिमा	कुसमी	20	30	10	30	10	30	10
23	प्री0मै0 कन्या छात्रावास जवाहरनगर	कुसमी	20	40	20	40	20	50	30
24	प्री0मै0 बालक छात्रावास जमीरापाठ	कुसमी	20	30	10	30	10	30	10
25	प्री0मै0 बालक छात्रावास कोरन्धा	कुसमी	20	30	10	30	10	30	10
26	प्री0मै0 बालक छात्रावास चान्दो	कुसमी	30	30	0	30	0	30	0
27	प्री0मै0बालक छात्रावास कुसमी (30सीटर)	कुसमी	30	30	0	30	0	30	0
योग:-			660	715	55	715	55	736	76
28	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास सिधमा	राजपुर	50	50	5	55	5	55	5
29	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास बघिमा	राजपुर	30	45	15	35	5	50	20
30	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास गोपालपुर	राजपुर	50	50	0	50	0	50	0
31	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास गोपालपुर	राजपुर	50	50	0	50	0	50	0
32	प्री मैट्रिक बालक छात्रावास राजपुर	राजपुर	65	75	10	75	10	85	20
33	प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास राजपुर	राजपुर	50	50	0	50	0	50	0

क्र.	छात्रावास/आश्रम का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत सीट संख्या	शैक्षणिक सत्र में प्राप्त आवेदनों का विवरण					
				वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
				प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	नवीन प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास राजपुर	राजपुर	50	50	0	50	0	50	0
35	पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास राजपुर	राजपुर	50	50	0	50	0	50	0
36	पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास राजपुर	राजपुर	50	50	0	50	0	50	0
योग:-			445	470	30	465	20	490	45
37	प्री0मै0 बालक छात्रावास सनावल	रामचन्द्रपुर	100	100	0	100	0	100	0
38	प्री0मै0 बालक छात्रावास डिण्डो	रामचन्द्रपुर	50	50	0	50	0	50	0
39	प्री0मै0 बालक छात्रावास रामानुजगंज	रामचन्द्रपुर	50	80	0	80	0	80	0
40	प्री0मै0 बालक छात्रावास विजयनगर	रामचन्द्रपुर	100	100	0	100	0	100	0
41	प्री मै बालक छात्रावास कृष्णनगर	रामचन्द्रपुर	50	50	0	50	0	50	0
42	प्री0मै0 बालक छात्रावास सलवाही	रामचन्द्रपुर	50	50	0	50	0	50	0
43	प्री0मै0 बालक छात्रावास गाजर	रामचन्द्रपुर	50	50	0	50	0	50	0
44	प्री0मै0 बालक छात्रावास चन्द्रनगर	रामचन्द्रपुर	50	50	0	50	0	50	0
45	प्री0मै0 बालक छात्रावास रामचन्द्रपुर	रामचन्द्रपुर	50	80	0	80	0	50	0
46	प्री0मै0 कन्या छात्रावास रामानुजगंज	रामचन्द्रपुर	100	100	0	100	0	100	0
47	प्री0मै0 कन्या छात्रावास रामचन्द्रपुर	रामचन्द्रपुर	100	100	0	100	0	100	0
48	प्री0मै0 कन्या छात्रावास सनावल	रामचन्द्रपुर	100	100	0	100	0	100	0
49	प्री0मै0 कन्या छात्रावास डिण्डो	रामचन्द्रपुर	50	50	0	50	0	50	0
50	प्री0मै0 कन्या छात्रावास भंवरमाल	रामचन्द्रपुर	100	100	0	100	0	100	0
51	पोस्ट मै0 बालक छात्रावास डिण्डो	रामचन्द्रपुर	50	50	0	50	0	50	0
52	पोस्ट मै0 बालक छात्रावास रामानुजगंज	रामचन्द्रपुर	50	80	0	80	0	80	0
53	पोस्ट मै0 कन्या छात्रावास रामानुजगंज	रामचन्द्रपुर	50	90	0	50	0	75	0
54	पोस्ट मै0 कन्या छात्रावास सनावल	रामचन्द्रपुर	50	50	0	71	0	70	0

क्र.	छात्रावास/आश्रम का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत सीट संख्या	शैक्षणिक सत्र में प्राप्त आवेदनों का विवरण					
				वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
				प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1200	1330	0	1311	0	1305	0
55	प्री.मै.कन्या छात्रावास बलरामपुर	बलरामपुर	60	70	0	70	0	70	0
56	प्री.मै.कन्या छात्रावास रनहत	बलरामपुर	50	50	0	50	0	50	0
57	प्री.मै.बालक छात्रावास बलरामपुर	बलरामपुर	40	40	0	40	0	50	0
58	प्री.मै.बालक छात्रावास महाराजगंज	बलरामपुर	50	50	0	50	0	50	0
59	प्री.मै.बालक छात्रावास कपिलदेवपुर	बलरामपुर	50	50	0	50	0	50	0
60	प्री.मै.बालक छात्रावास डौरा	बलरामपुर	50	50	0	50	0	50	0
61	प्री.मै.बालक छात्रावास रनहत	बलरामपुर	60	63	3	62	2	65	5
62	पो.मै. बालक छात्रावास बलरामपुर	बलरामपुर	50	50	0	50	0	50	0
63	पो.मै. बालक छात्रावास महाराजगंज	बलरामपुर	50	50	0	50	0	50	0
64	पो.मै. कन्या छात्रावास बलरामपुर	बलरामपुर	50	55	0	55	0	55	0
	योग:-			528	3	527	2	540	5
65	प्री.मै.बालक छा.चलगली	वाङ्गफनगर	50	80	30	75	25	70	20
66	प्री.मै.बालक छा.इंजानी	वाङ्गफनगर	50	57	7	80	30	66	16
67	प्री.मै.बालक छा.बस्तीकलां	वाङ्गफनगर	30	40	10	55	25	55	25
68	प्री.मै.बालक छा.वाङ्गफनगर	वाङ्गफनगर	60	67	7	75	15	85	25
69	प्री.मै.बालक छा.बसंतपुर	वाङ्गफनगर	20	30	10	60	40	55	35
70	प्री.मै.बालक छा.सुलसुली	वाङ्गफनगर	20	32	12	40	20	50	30
71	प्री.मै.बालक छा.पण्डरी	वाङ्गफनगर	40	40	0	50	10	40	0
72	प्री.मै.बालक छा.रघुनाथनगर	वाङ्गफनगर	25	25	0	35	10	25	0
73	प्री.मै.बालक छा.जनकपुर	वाङ्गफनगर	20	20	0	35	15	20	0
74	प्री.मै.बालक छा.बलंगी	वाङ्गफनगर	20	35	15	40	20	40	20

क्र.	छात्रावास / आश्रम का नाम	विकासखण्ड	स्वीकृत सीट संख्या	शैक्षणिक सत्र में प्राप्त आवेदनों का विवरण					
				वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
				प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत सीट से अधिक सीटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	प्री.मै.कन्या छा.वाइफनगर	वाइफनगर	60	90	30	70	10	70	10
76	प्री.मै.कन्या छा.सुलसुली	वाइफनगर	50	50	0	60	10	60	10
77	प्री.मै.कन्या छा.पण्डरी	वाइफनगर	50	60	10	65	15	50	0
78	प्री.मै.कन्या छा.जनकपुर	वाइफनगर	50	50	0	50	0	50	0
79	प्री.मै.कन्या छा.बलंगी	वाइफनगर	50	50	0	50	0	50	0
80	प्री.मै.कन्या छा.कोगवार	वाइफनगर	50	0	0	50	0	60	0
81	पोस्ट मै.बालक छा.वाइफनगर	वाइफनगर	50	50	0	50	0	60	10
82	पोस्ट मै.कन्या छा.वाइफनगर	वाइफनगर	100	100	50	100	0	100	0
योग:-			795	876	181	1040	245	1006	201
महायोग :-			4060	4408	298	4631	402	4655	395

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, प्रधानमंत्री भवन, नया दिल्ली

पारोशेष्ट - पेंसठ

प्रपत्र-अ

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 764) की जानकारी

विगत तीन वर्षों में (जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2026 तक) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा को ठोस अपशिष्ट (फ्लाई ऐश) का भूभराव करने हेतु जारी अनुमति का विवरण:-

क्र.	अनापत्ति जारी दिनांक	मात्रा (मी.टन)	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	निष्पादन की अवधि	निष्पादन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	06/02/2023	5,000	ग्राम-उच्चभिद्री, ब्लॉक-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	1/7	0.911 हेक्टेयर	फरवरी 2023 से दिसंबर 2024	पूर्ण
	18/07/2023	5,000					
2.	22/05/2023	6,000	ग्राम-भंवरमाल, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा	5/4, 5/12	3.238 हेक्टेयर	मई 2023 से जुलाई 2023	पूर्ण
	20/07/2023	10,000					
3.	31/05/2023	10,000	ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	469/1	1.692 हेक्टेयर	जुलाई 2023	पूर्ण
4.	17/04/2023	3,000	ग्राम-अफरीद, वि.खं.-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा	856, 857, 878	1.42 हेक्टेयर	अप्रैल 2023	पूर्ण
5.	25/05/2023	6,000	ग्राम-बम्हनीडीह, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा	1919/18	0.093 हेक्टेयर	सितंबर 2023	पूर्ण
6.	24/03/2023	3,000	ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चांपा, जिला- जांजगीर-चांपा	429/1, 607	0.437 हेक्टेयर	अप्रैल 2023	पूर्ण
7.	17/04/2023	60,000	ग्राम-बनारी, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	1955/11	1.41 हेक्टेयर	जुलाई 2023	पूर्ण
8.	20/04/2023	1,500	ग्राम-चांपा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	1618/1, 1620/3, 1620/4	0.069 हेक्टेयर	अप्रैल 2024	पूर्ण
9.	21/07/2023	6,000	ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	407/3	0.224 हेक्टेयर	सितंबर 2023	पूर्ण
10.	20/09/2024	2,00,000	ग्राम-दर्भाठा, ग्राम पंचायत कुलीपोटा, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	406, 425, 426, 430, 431, 432	0.643 हेक्टेयर	सितंबर 2024	पूर्ण
11.	12/10/2023	40,000	ग्राम-उच्चभिद्री, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	1/3	2.024 हेक्टेयर	जून 2024 से अगस्त 2024	पूर्ण
	11/07/2024	15,000					
क्र.	अनापत्ति जारी दिनांक	मात्रा (मी.टन)	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	निष्पादन की अवधि	निष्पादन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8

12.	29/05/2024	5,000	ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	859/9, 859/10	0.304 हेक्टेयर	जुलाई 2024 से अगस्त 2024	पूर्ण
13.	16/02/2023	3,000	ग्राम-कोसमंदा, ब्लॉक-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	2861/4, 2861/5	0.288 हेक्टेयर	जुलाई 2024	पूर्ण
	11/07/2024	3,000					
14.	21/03/2023	5,000	ग्राम-बिरगहनी, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	1137/1, 1137/3, 1138, 1139	0.057 हेक्टेयर	जुलाई 2024	पूर्ण
15.	29/05/2024	5,000	ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	397/16	0.259 हेक्टेयर	जुलाई 2024 से अगस्त 2024	पूर्ण
16.	25/06/2024	13,000	ग्राम-सारागांव, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा	315/3, 315/7	0.271 हेक्टेयर	जुलाई 2024 से अगस्त 2024	पूर्ण
17.	15/12/2023	5,000	ग्राम-सारागांव, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा	25/2, 26/2, 27/4, 27/9, 30/2, 30/4	0.693 हेक्टेयर	जनवरी 2024 से अप्रैल 2024	पूर्ण
	26/04/2024	5,000					
18.	22/01/2024	5,000	ग्राम-सारागांव, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा	375/5	0.304 हेक्टेयर	फरवरी 2024 से अप्रैल 2024	पूर्ण
	26/04/2024	5,000					
19.	15/05/2024	6,000	ग्राम-सिवनी, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	443/2	0.158 हेक्टेयर	जुलाई 2024	पूर्ण
20.	29/05/2024	10,000	ग्राम-सारागांव, तहसील-सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा	1703/5, 1704/2, 1705, 1715/4	0.320 हेक्टेयर	जुलाई 2024 से अगस्त 2024	पूर्ण
21.	13/09/2024	2,00,000	ग्राम-देवरहा, ग्राम पंचायत उदेबंद, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2	0.866 हेक्टेयर	सितंबर 2024 से जनवरी 2026	पूर्ण
22.	12/03/2025	35,000	ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	1474, 1479/2, 1481/1	0.655 हेक्टेयर	मार्च 2025 से अप्रैल 2025	पूर्ण
23.	03/03/2025	12,000	ग्राम-लछनपुर, तहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा	716, 718	0.312 हेक्टेयर	मार्च 2025 से अप्रैल 2025	पूर्ण
24.	19/05/2025	11,000	ग्राम-अफरीद, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा	550/4, 551/2, 552/1	1.011 हेक्टेयर	जून 2025	पूर्ण
25.	19/05/2025	10,000	ग्राम-अफरीद, तहसील-बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा	1199	0.186 हेक्टेयर	जुलाई 2025	पूर्ण

प्रपत्र-ब

जनवरी, 2023 से 31 जनवरी 2026 तक की अवधि में ठोस अपशिष्ट डंपिंग एवं निष्पादन में गड़बड़ी को लेकर प्राप्त शिकायतें एवं उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी :-

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत प्राप्ति दिनांक	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण के दौरान पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1	2	3	5	6	7
1.	संवाद (24x7) संपर्क-संवाद-समाधान समाचार पत्र	19/12/2024	03/02/2025	निरीक्षण के दौरान स्थल पर फ्लाई ऐश का नियमानुसार भराव किया जाना पाया गया, डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव भी किया जाना पाया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।
2.	श्री व्यास कश्यप, माननीय विधायक, चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	02/06/2025	28/07/2025	उद्योग द्वारा नियमानुसार फ्लाई ऐश का निष्पादन किया जाना पाया गया। शिकायत निराधार पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।
3.	तहसीलदार बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर-चांपा द्वारा व्हाट्सअप के माध्यम से प्राप्त पंचनामा	24/11/2025	-	तहसीलदार बम्हनीडीह एवं ग्राम पोडीशंकर के ग्रामीणों का पंचनामा व्हाट्सअप के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-हथनेवरा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा द्वारा वाहन क्रमांक CG12AR6986 एवं CG04JD5058 के माध्यम से फ्लाई ऐश के अवैध परिवहन/डंपिंग किया जाना पाया गया।	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पत्र दिनांक 26/11/2025 के माध्यम से फ्लाई ऐश के अवैध परिवहन किये जाने पर उद्योग पर राशि 70,500/- रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि जमा कर दी गई है।
4.	श्रीमती कमलेश जांगड़े, माननीया सांसद, जांजगीर-चांपा	02/12/2025	11/12/2025	उद्योग द्वारा नियमानुसार फ्लाई ऐश का निष्पादन किया जाना पाया गया। शिकायत निराधार पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।
5.	श्री सुभाष चन्द्रा, छ.ग. क्रांति सेना अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	12/01/2026	13/02/2026	शिकायत स्थल पर फ्लाई ऐश से भूभराव का कार्य नियमानुसार पूर्ण कर लिया जाना पाया गया। शिकायत निराधार पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परोशेष्ट - छैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 766) की जानकारी

प्रपत्र

(14)

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 10/04/2008

क्रमांक 740/एफ 7-15/32/2008 छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम नियंत्रण अधिनियम, 1973, (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 65 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा सीपत विशेष क्षेत्र के लिये सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करती है।

कलेक्टर, बिलासपुर को सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस.एस.बजाज)

विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

रायपुर दिनांक 10/04/08

पृ.क्र.-741/एफ 7-15/32/2008

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय, रायपुर।
5. आयुक्त, छ.ग.गृह निर्माण मंडल, रायपुर।
6. कलेक्टर, बिलासपुर।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर।
8. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर।
10. महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, बिलासपुर।
11. उप नियंत्रक, शास क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ।

विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन,
आचार्य एवं पर्यावरण विभाग
अंत्राहारः
महानदी भवन - नया रायपुर
Email Id: hpnsr.pd@npsa.com

कमांक एम. 7- 15 / 2008 / 32

प्रति

आयुक्त राह संचालन
नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़,
रायपुर।

विभाग: सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विलासपुर का. प्रचार विभाग

गणतन्त्रोपनिवेशीय प्रजासत्ताक
राष्ट्रिय सरकार
११ अप्रैल २०१७

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं

राज्य शासन एतद् द्वारा सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, गिलासपुर हेतु निम्नानुसार 08 पर्दों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :-

स. सं.	पद का नाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	कुल पद संख्या	रिमाफ
01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	15600-39100	6600	1	संवैदा/प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु
02	अनुसंधक	5200-20200	1900	1	संवैदा/प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु
03.	राजस्व निरीक्षक	5200-20200	2400	1	संवैदा/प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु
04	पटवारी	5200-20200	2200	1	संवैदा/प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु
05	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	1	संवैदा/प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु
06	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	1	संवैदा/प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु
07	वाहन चालक	5200-20200	1900	1	संवैदा/प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु
08	भृत्य	4750-7440	1300	1	संवैदा/प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु
योग				08	

2/ उक्त पद के सृजन पर होने वाला व्यय मांग संख्या-21- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, योजना क्रमांक (7411) विकास प्राधिकरणों को अनुदान शीर्ष अंतर्गत #14-सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान मद के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में विकलनीय होगा ।

3/ उपरोक्तानुसार स्वीकृति हेतु वित्त विभाग ने जावक कर्गांक 855/ब-2 कम्प्युटर कर्गांक 32-00699 दिनांक 05.08.2017 द्वारा सहमति प्रदान की है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.एल. सांकला)
अवर साचिव

2

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: भंडारण ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
Email id-henv.ep@nic.in

//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15/02/2023

एफ 7-15/2008/32 :: राज्य सरकार, एतद्वारा, विभागीय आदेश क्रमंक एफ 1-19/2013/32 दिनांक 06.03.2016 को अधिकृत करते हुए छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन 1973) की धारा 65-ख की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिलासपुर को 'मुख्य कार्यालय अधिकारी एवं सदस्य सचिव' सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सीपत, जिलासपुर व अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.टी.की) 15/2/2023
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ क्रमांक एफ 07-15/2008/32
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15/02/2023

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 3. महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर,
 4. आरक्षक, जिलासपुर संभाग,
 5. अद्वैत, सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं कलेक्टर, जिला जिलासपुर,
 6. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
 7. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आवास एवं पर्यावरण विभाग, (छ.ग.)
 8. निरीक्षक, विशेष सचिव (समस्त प्रभार) आवास एवं पर्यावरण विभाग, (छ.ग.)
- वै. और सुनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

(सी.टी.की) 15/2/2023
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

अपक्रमांक 166
दिनांक 2-0-FEB-2023

छत्तीसगढ़ नगर उपायय विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
दिनांक 2-0-FEB-2023

पारोशेष्ट - सड़सठ

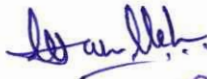
अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 775) की जानकारी

प्रपत्र

पिछले दो वर्षों में मछली एवं मछली बीज अन्य राज्यों को निर्यात करने की जानकारी

स.क्र.	विवरण	वर्ष	
		2023-24	2024-25
1	मछली निर्यात (लाख मेट्रिक टन में)	4.78	5.35
2	मछली बीज निर्यात (करोड़ स्टैण्डर्ड फ्राई में)	263.35	398.84

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

पारोशेष्ट - अड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 786) की जानकारी

प्रपत्र- अ

कृषि विभाग के हितग्राहीमूलक योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 04.02.2026 तक पंजीकृत एवं लाभान्वित कृषकों की वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	वि.ख.	वर्ष	विभाग द्वारा संचालित योजना का नाम	पंजीकृत कृषक / हितग्राहियों की संख्या	लाभान्वित कृषक / हितग्राहियों की संख्या
1	बिल्हा	2023—24	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राईस	110	110
			परम्परागत कृषि विकास योजना	1058	1058
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन	152	152
			राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	157	157
			बीज ग्राम योजना	2245	2245
			प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	281	281
			जैविक खेती मिशन	450	450
			द्विफसली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	70	70
			ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल उत्पादन कार्यक्रम	210	210
			किसान समृद्धि योजना	2	2
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.—3)	181	33
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – (ऑयल सीड)	3	3
			शाकम्भरी योजना	89	85
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	17	3
वि.ख. बिल्हा – योग			5025	4859	
2	कोटा	2023—24	परम्परागत कृषि विकास योजना	1058	1058
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन	140	140
			उथला नलकूप योजना	0	0
			राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	22	22
			बीज ग्राम योजना	2304	2304
			प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	288	288
			जैविक खेती मिशन	450	450
			द्विफसली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	65	65
			ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल उत्पादन कार्यक्रम	191	191
			किसान समृद्धि योजना	2	2
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.—3)	58	15
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – (ऑयल सीड)	2	2
			शाकम्भरी योजना	160	157
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	4	2
वि.खं. कोटा – योग			4744	4696	
वर्ष 2023—24 कुल योग			9769	9555	
3	बिल्हा	2024—25	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राईस	120	120
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन	214	214
			उथला नलकूप योजना	1	1
			राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	26	26

क्र.	वि.ख.	वर्ष	विभाग द्वारा संचालित योजना का नाम	पंजीकृत कृषक /हितग्राहियों की संख्या	लाभान्वित कृषक /हितग्राहियों की संख्या
3	बिल्हा	2024-25	बीज ग्राम योजना	2325	2325
			प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	1131	1131
			किसान समृद्धि योजना	2	2
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	142	34
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	14	7
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	121	107
			शाकम्भरी योजना	57	57
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	11	8
वि.खं. बिल्हा – योग				4164	4032
4	कोटा	2024-25	परम्परागत कृषि विकास योजना	1058	1058
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन	374	374
			उथला नलकूप योजना	19	19
			राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	66	66
			बीज ग्राम योजना	1988	1988
			प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	223	223
			प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	0	0
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	112	23
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	13	11
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	32	20
			शाकम्भरी योजना	270	268
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	1	1
			जैविक खेती मिशन	450	450
			द्विफसली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	51	51
			ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल उत्पादन कार्यक्रम	66	66
वि.खं. कोटा – योग				4723	4618
वर्ष 2024-25 कुल योग				8887	8650
5	बिल्हा	2025-26 (दि.04.02. 2026 तक)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राईस	110	110
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन	632	632
			बीज ग्राम योजना	488	488
			नेशनल मिशन ऑन इडिबल ऑयल-ऑयलसीड्स	237	237
			प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	155	155
			प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	16370	16370
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-1)	129	9
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	28	25
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	46	40
			शाकम्भरी योजना	34	24
			ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल उत्पादन कार्यक्रम	120	120
वि.खं. बिल्हा – योग				18349	18210

क्र.	वि.ख.	वर्ष	विभाग द्वारा संचालित योजना का नाम	पंजीकृत कृषक / हितग्राहियों की संख्या	लाभान्वित कृषक / हितग्राहियों की संख्या
6	कोटा	वर्ष 2025—26 (दि. 04.02. 2026 तक)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राईस	55	55
			परम्परागत कृषि विकास योजना	1058	1058
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन	55	55
			राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	267	267
			बीज ग्राम योजना	451	451
			नेशनल मिशन ऑन इडिबल ऑयल—ऑयलसीड्स	142	142
			टारगेटिंग राईस फलो एरिया	96	96
			प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	74	74
			प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	11244	11244
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.—1)	73	7
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना — ड्रिप	20	20
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना — स्प्रिंकलर	30	23
			शाकम्भरी योजना	134	64
			जैविक खेती मिशन	450	450
			द्विफसली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	50	50
			ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल उत्पादन कार्यक्रम	63	63
वि.खं. कोटा — योग				14262	14119
वर्ष 2025—26 (04.02.2026 तक की स्थिति में) कुल योग				32611	32329

Digitally signed by

Vikas Mishra (विकास मिश्रा)

Date: 20-02-2026 उप सचिव

15:04:48

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग के हितग्राहीमूलक योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 04.02.2026 तक पंजीकृत एवं लाभान्वित कृषकों की वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी

क्रं.	वर्ष	वि.ख.का नाम	संचालित योजना	घटक का नाम	पंजीकृत कृषकों की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	2023-24	बिल्हा	राज्यपोषित योजना	विभा. फलो. नवीन रोपण	21	21
2		कोटा		नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की	13	13
3		बिल्हा		उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की	28	28
4		बिल्हा		पोषण बाड़ी विकास योजना	250	250
5		बिल्हा	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	सब्जी क्षेत्र विस्तार बैंगन	12	12
6		बिल्हा		सब्जी क्षेत्र विस्तार करेला	9	9
7		बिल्हा		सब्जी क्षेत्र विस्तार लौकी खीरा	22	22
8		कोटा		सब्जी क्षेत्र विस्तार कद्दूवर्गीय	1	1
9		बिल्हा		सब्जी क्षेत्र विस्तार भिण्डी	30	30
10		कोटा		फल क्षेत्र विस्तार अमरुद	1	1
11		बिल्हा		मसाला क्षेत्र विस्तार मिर्च	17	17
12		बिल्हा		मसाला क्षेत्र विस्तार धनिया	6	6
13		कोटा			2	2
14		बिल्हा		संरक्षित खेती मल्लिंग शीट	15	15
15		कोटा			1	1
16		बिल्हा		फल क्षेत्र विस्तार नींबू	14	14
17		बिल्हा		फूल क्षेत्र विस्तार गेंदा	12	12
18		कोटा		संरक्षित खेती शेडनेट	1	1
19		बिल्हा		यंत्रीकरण पावर वीडर	6	6
				योग:-	461	461
1	2024-25	बिल्हा	राज्यपोषित योजना	विभा. फलो. नवीन रोपण	9	9
2		कोटा		नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की	26	26
3		बिल्हा		उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की	50	50
4		बिल्हा		पोषण बाड़ी विकास योजना	210	210
5		बिल्हा	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	सब्जी क्षेत्र विस्तार बैंगन	11	11
6		बिल्हा		सब्जी क्षेत्र विस्तार लौकी	32	32
7		बिल्हा		सब्जी क्षेत्र विस्तार भिण्डी	89	89
8		बिल्हा		सब्जी क्षेत्र विस्तार फूलगोभी	3	3
9		कोटा		सब्जी क्षेत्र विस्तार कद्दूवर्गीय	1	1
10		बिल्हा		मसाला क्षेत्र विस्तार धनिया	7	7
11		बिल्हा		संरक्षित खेती मल्लिंग	13	13
12		बिल्हा		फल क्षेत्र विस्तार नींबू	23	23
13		बिल्हा		फल क्षेत्र विस्तार अमरुद	14	14
14		कोटा		फल क्षेत्र विस्तार केला	1	1
15		बिल्हा		पुष्प क्षेत्र विस्तार गेंदा	14	14
				योग:-	503	503
1	2025-26 04-02-2026 तक की स्थिति में।	बिल्हा	राज्यपोषित योजना	समेकित उद्यानिकी विकास योजना	11	11
2		बिल्हा	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	सब्जी क्षेत्र विस्तार बैंगन	14	14
3		बिल्हा		संरक्षित खेती मल्लिंग	12	12
4		बिल्हा		फल क्षेत्र विस्तार केला	38	38
5		बिल्हा		पुष्प क्षेत्र विस्तार गेंदा	14	14
6		बिल्हा	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	पुष्प क्षेत्र विस्तार ग्लेडियोलस	5	5
7		बिल्हा		बैंगन/टमाटर ग्राफटेड	29	29
8		बिल्हा	नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल पाम	ऑयल पाम	7	7
				योग:-	130	130
			महायोग:-		1094	1094

Digitally signed by विक्रम मिश्रा)
 Vikas Mishra उप सचिव
 Date: 20-02-2026 राष्ट्रीय गंदू शासन
 15:05:42 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोक्षिक - उनहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 793) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला	विकास खण्ड का नाम	संस्था का नाम
1	2	4	3
1	बलरामपुर-रामानुजगंज	वाङ्गफनगर	प्री.मै. बालक छात्रावास चलगली
2		वाङ्गफनगर	प्री.मै. बालक छात्रावास इंजानी
3		वाङ्गफनगर	प्री.मै. बालक छात्रावास बरतीकला
4		वाङ्गफनगर	प्री.मै. बालक छात्रावास वाङ्गफनगर
5		वाङ्गफनगर	प्री.मै. बालक छात्रावास बंसतपुर
6		वाङ्गफनगर	प्री.मै. बालक छात्रावास सुलसुली
7		वाङ्गफनगर	प्री.मै. बालक छात्रावास पण्डरी
8		वाङ्गफनगर	प्री.मै. बालक छात्रावास रघुनाथनगर
9		वाङ्गफनगर	प्री.मै. बालक छात्रावास जनकपुर
10		वाङ्गफनगर	प्री.मै. बालक छात्रावास बंलगी
11		वाङ्गफनगर	प्री.मै. कन्या छात्रावास वाङ्गफनगर
12		वाङ्गफनगर	प्री.मै. कन्या छात्रावास सुलसुली
13		वाङ्गफनगर	प्री.मै. कन्या छात्रावास पण्डरी
14		वाङ्गफनगर	प्री.मै. कन्या छात्रावास जनकपुर
15		वाङ्गफनगर	प्री.मै. कन्या छात्रावास बंलगी
16		वाङ्गफनगर	प्री.मै. कन्या छात्रावास कोगवार
17		वाङ्गफनगर	प्री.मै. बालक छात्रावास वाङ्गफनगर
18		वाङ्गफनगर	प्री.मै. कन्या छात्रावास वाङ्गफनगर
19	सूरजपुर	प्रतापपुर	प्री.मै. कन्या छात्रा. प्रतापपुर
20		प्रतापपुर	प्री.मै. बा.छात्रा. प्रतापपुर
21		प्रतापपुर	प्री.मै. बा.छात्रा. प्रतापपुर
22		प्रतापपुर	प्री.मै. बा.छात्रा. खोरमा
23		प्रतापपुर	प्री.मै. बा.छात्रा. चंदौरा
24		प्रतापपुर	प्री.मै. बा.छात्रा. गोविन्दपुर
25		प्रतापपुर	प्री.मै. बा.छात्रा. रमकोला
26		प्रतापपुर	प्री.मै. बा.छात्रा. धरमपुर
27		प्रतापपुर	प्री.मै. बा.छात्रा. जजावल
28		प्रतापपुर	प्री.मै. बा.छात्रा. कैवरा
29		प्रतापपुर	प्री.मै. बा.छात्रा. पंछीडांड
30		प्रतापपुर	प्री.मै. कन्या छात्रा. हरिहरपुर
31		प्रतापपुर	प्री.मै. कन्या छात्रा. प्रतापपुर

अनुभाष अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
पत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परीशेष - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 800) की जानकारी

प्रपत्र

राशि लाखों में

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2022-23	जिले के 172 आश्रमों/ छात्रावास इलेक्ट्रिकल इन्वर्टर लाईट की स्थापना कार्य	583.36	583.36	583.36
2			जिले के 38 आश्रमों/ छात्रावास में बारबेड वायर फेसिंग कार्य	66.12	66.12	66.12
योग :-				649.48	649.48	649.48
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2023-24	50 सीटर पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास का भवन निर्माण इकाई संख्या 03, इकाई लागत 191.51	574.53	249.99	40.20
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2023-24	50 सीटर अनुसूचित जनजाति आश्रम का भवन निर्माण, इकाई संख्या 52, इकाई लागत 162.76	8463.52	1856.92	333.00
3	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2023-24	EMRS के अहाते में कंसरटिना वायर फिक्सिंग इकाई संख्या 1 इकाई लागत 2.00	2.00	2.00	2.00
4	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2023-24	छात्रावास /आश्रम भवनों के अनुरक्षण एवं वार्षिक मरम्मत कार्य इकाई संख्या 10 इकाई लागत 5.90	59.00	59.00	59.00
5	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2023-24	छात्रावास /आश्रमों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य इकाई संख्या 04 इकाई लागत 12.00	48.00	48.00	27.60
6	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2023-24	अधीक्षक आवास गृह का निर्माण इकाई संख्या 10 इकाई लागत 8.00	80.00	80.00	48.74


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7
7	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2023-24	आदिवासी हॉट बाजारों में प्लेटफार्म का निर्माण इकाई संख्या 1 इकाई लागत 6.57	6.57	6.57	3.94
8	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2023-24	छात्रावास / आश्रमों में स्पोर्ट ड्रिंकिंग वाटर की स्थापना इकाई संख्या 08 इकाई लागत 3.02	24.16	24.16	24.00
9	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2023-24	EMRS में बोर खनन एवं सम्पवेल निर्माण कार्य इकाई संख्या 01 इकाई लागत 1.92	1.92	1.92	1.92
10	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2023-24	छात्रावास / आश्रमों हेतु फूड ग्रेन स्टोरेज कंटेनर का प्रदाय, इकाई संख्या 230 इकाई लागत 0.034	7.82	7.82	7.82
11	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2023-24	वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	18.50	18.50	18.50
योग :-				9286.02	2354.88	566.72
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2024-25	नवीन कार्य वर्ष 2024-25 में स्वीकृत नहीं है। वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कार्य पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास का भवन निर्माण की राशि वर्ष 2024-25 में प्रदाय की गई है।	0.00	1674.00	0.00
योग :-				0.00	1674.00	0.00
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	2025-26	आबंटन अप्राप्त			
कुल योग :-				9935.50	4678.36	1216.20

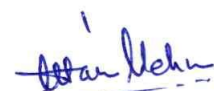

 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारोक्ष - इकहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 812) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	गौशाला का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	वित्तीय वर्ष	पशुधन संख्या	प्रदाय अनुदान (राशि रु. लाख में)
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	श्री गौशाला पिंजरापोल राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव छ.ग.	8/14-09-2005	2023-24	586	25.00
					2024-25	602	20.00
					2025-26	874	25.00
2		डोंगरगांव	श्री गणेश गौशाला गनेरी, जिला-राजनांदगांव छ.ग.	30/24-04-2007	2023-24	579	25.00
					2024-25	594	20.00
					2025-26	557	25.00
3		छुरिया	श्री शिव शंकर गौसेवा एवं जीवरक्षा केन्द्र चिचोला, जिला-राजनांदगांव छ.ग.	36/07-12-2007	2023-24	असंचालित	-
					2024-25		
					2025-26		
4		छुरिया	श्री बजरंग गौसेवा समिति चाबुक नाला, जिला-राजनांदगांव, छ.ग.	52/17-09-2009	2023-24	असंचालित	-
					2024-25		
					2025-26		
5		छुरिया	नंदिनी गौशाला समिति, भंडारपुर, जिला-राजनांदगांव छ.ग.	61/06-10-2010	2023-24	507	25.00
					2024-25	525	20.00
					2025-26	337	25.00
6		डोंगरगढ़	श्री कृष्ण गौशाला कमेटी वार्ड-9, तपस्वी मंदिर के सामने कालेज मार्ग, डोंगरगढ़, राजनांदगांव छ.ग.	85/28-08-2014	2023-24	230	18.14
					2024-25	345	18.29
					2025-26	245	12.89
7		राजनांदगांव	मां बंजारी गौशाला पिंजरापोल, ग्राम-बरगाही, धुमका रोड, जिला-राजनांदगांव छ.ग.	116/03-08-2017	2023-24	970	25.00
					2024-25	992	20.00
					2025-26	940	25.00
8		राजनांदगांव	यशोदा गौ एवं जनकल्याण सेवा समिति ग्राम सुकुलदैहान, जिला राजनांदगांव, छ.ग.	134/27-07-2023	2023-24	78	3.02
					2024-25	165	11.46
					2025-26	203	11.69
9		छुरिया	गौरीशंकर गौ एवं जनकल्याण समिति, ग्राम रानीपुर खड़खड़ी, तह. छुरिया, जिला राजनांदगांव, छ.ग.	138/17-01-2025	2023-24	-	-
					2024-25	304	3.86
					2025-26	221	22.24
10	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई,	खैरागढ़	श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला अमलीडीह, (कला), जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, छ.ग.	16/10-08-2006	2023-24	500	25.00
					2024-25	514	20.00
					2025-26	543	25.00



(डॉ. मौसम मेहरा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पशुधन विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - बहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 818) की जानकारी

प्रपत्र

1 जनवरी, 2024 से 04 फरवरी, 2026 तक प्राप्त उपकर शुल्क की माहवार जानकारी

राशि रुपये में

माह	उपकर शुल्क की कुल राशि
जनवरी-2024	8,57,10,757
फरवरी-2024	9,78,67,325
मार्च -2024	17,76,75,787
अप्रैल-2024	8,92,63,139
मई-2024	11,53,65,689
जून-2024	11,04,16,420
जुलाई -2024	12,60,69,162
अगस्त-2024	10,15,15,335
सितम्बर-2024	9,40,38,285
अक्टूबर-2024	12,19,62,438
नवम्बर-2024	9,48,50,241
दिसंबर-2024	10,54,11,352
जनवरी-2025	11,02,28,446
फरवरी-2025	18,42,25,308
मार्च -2025	22,99,48,612
अप्रैल-2025	11,72,73,993
मई-2025	13,59,11,477
जून-2025	12,58,42,221
जुलाई -2025	13,14,88,486
अगस्त-2025	7,69,69,198
सितम्बर-2025	10,45,44,898
अक्टूबर-2025	10,15,92,106
नवम्बर-2025	9,21,90,343
दिसंबर-2025	7,71,29,325
जनवरी-2026	19,23,02,008
फरवरी-2026	1,50,56,485

पारिशेष - तिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 819) की जानकारी

प्रपत्र-अ

(राशि करोड़ में)

(राशि करोड़ में)									
माह	वर्ष 2024-25				वर्ष 2025-26				
	कर राजस्व		करेत्तर राजस्व		कर राजस्व		करेत्तर राजस्व		
	पुनरीक्षित अनुमान	माहवार प्राप्ति	पुनरीक्षित अनुमान	माहवार प्राप्ति	पुनरीक्षित अनुमान	माहवार प्राप्ति	पुनरीक्षित अनुमान	माहवार प्राप्ति	
अप्रैल	49700	3220	18700	731	45500	2855	21000	738.34	
मई		3306		1370		3519.4		1225.65	
जून		3571		1448		3654.1		1483.34	
जुलाई		3686		1446		3878.08		1170.07	
अगस्त		3605		1160		3213.44		830.67	
सितम्बर		2621		1110		3138.82		992.37	
अक्टूबर		3640		1324		3255.97		542.2	
नवंबर		3980		1728		4174.46		3901.75	
दिसंबर		3885		1571		3161.96		511.21	
जनवरी		3854		1188		3993		3294	
फरवरी		4880		1677					
मार्च		4516		2669					
माह	वर्ष 2024-25				वर्ष 2025-26				
	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा		सहायता अनुदान		केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा		सहायता अनुदान		
	पुनरीक्षित अनुमान	माहवार प्राप्ति	पुनरीक्षित अनुमान	माहवार प्राप्ति	पुनरीक्षित अनुमान	माहवार प्राप्ति	पुनरीक्षित अनुमान	माहवार प्राप्ति	
अप्रैल	44000	2381	13500	97	48000	2785	15000	97	
मई		2381		179		2785		335	
जून		4761		148		5569		432	
जुलाई		2968		477		3462		44	
अगस्त		3035		214		3462		426	
सितम्बर		3035		3516		3462		1530	
अक्टूबर		6070		776		6923		737	
नवंबर		3035		267		3462		416	
दिसंबर		3035		2223		3462		3820	
जनवरी		5895		1076		3462		3870	
फरवरी		3623		2751					
मार्च		3623		2538					

प्रपत्र-ब

(राशि करोड़ में)

माह	वर्ष 2024-25		वर्ष 2025-26	
	राजस्व प्राप्तियां		राजस्व प्राप्तियां	
	पुनरीक्षित बजट अनुमान	प्राप्ति	पुनरीक्षित बजट अनुमान	प्राप्ति (जनवरी 2026 की स्थिति में)
योग	1,21,200	1,20,290	1,29,500	1,00,073



पारोशेष्ट - चौहत्तर

अतारोकेत प्रश्न संख्या 41 (क्र. 822) की जानकारी

प्रपत्र

जशपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण की योजनावार जानकारी

स.क्र.	वर्ष	योजना का नाम	लाभान्वित हितग्राही का नाम	लाभान्वित हितग्राही के पिता/पति का नाम	लाभान्वित हितग्राही का पता	निर्मित तालाब का रकबा (हेक्टर में)	इकाई लागत (राशि रू. लाख में)	प्रदाय अनुदान राशि (राशि रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2023-24	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	श्री पदु राम	श्री टोरो	भितघरा/बगीचा	0.50	3.50	1.40
2	2023-24		श्री मनबोध यादव	श्री फुचू यादव	कुदमुरा/बगीचा	0.50	3.50	1.40
3	2023-24		श्रीमती जानकी यादव	श्री जनक यादव	भितघरा/बगीचा	0.40	2.80	1.12
4	2023-24		श्री सतेश्वर भगत	श्री फागुवा	भितघरा/बगीचा	0.40	2.80	1.68
5	2023-24		श्री स्टीर तिकी	श्री लिखन	कुटमा/बगीचा	0.40	2.80	1.68
6	2023-24		क. स्मृति तिकी	श्री अनिल तिकी	रायकेरा/बगीचा	0.50	3.50	2.10
7	2023-24		श्री शोभनाथ राम	श्री सिंगल राम	जुरगुम/बगीचा	0.50	3.50	2.10
8	2023-24		श्री रामकुमार खलखो	श्री पुल्टी खलखो	भुरसाकोना/बगीचा	0.50	3.50	2.10
9	2023-24		श्री संतोष लकड़ा	श्री पियूष लकड़ा	भितघरा/बगीचा	0.40	2.80	1.68
10	2023-24		श्री शिवनाथ राम	श्री भगत	जुजग/बगीचा	0.80	5.60	3.36
11	2023-24		श्री अम्बिकेश्वर साय	श्री शिवप्रसाद साय	पतरापारा/बगीचा	0.40	2.80	1.68
12	2023-24		श्री दिलीप मिंज	श्री मिखेल मिंज	जबला/बगीचा	1.00	7.00	4.20
13	2023-24		श्री अजय तिकी	स्वश्री फुलजैस	कण्डोरा/मनोरा	1.00	7.00	4.20
14	2023-24		श्री ईश्वर राम	स्वश्री रामसाय	सोगडा/मनोरा	0.40	2.80	1.68
15	2023-24		श्री विजय कुमार टोप्पो	स्वश्री निकोलस	करादरी/मनोरा	0.50	3.50	2.10
16	2023-24		श्री सरोज कुमार	श्री बितना राम	खरसोता/मनोरा	0.40	2.80	1.68
17	2023-24		श्री अर्गुस्तिन टोप्पो	श्री मूसा	आगडौह/जशपुर	1.00	7.00	4.20
योग								
1	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	श्रीमती डोलो बाई	श्री व्याधर राम	एकम्बा/बगीचा	9.60	67.20	38.36
2	2024-25		श्रीमती धर्मीपति	श्री राजनाथ साय	मैनी/बगीचा	0.40	2.80	1.68
3	2024-25		श्रीमती विशाखा यादव	श्री शिवो यादव	झगरपुर/बगीचा	0.60	4.20	2.52
4	2024-25		श्री घसिया	श्री बारी	मैनी/बगीचा	1.50	10.50	6.30
5	2024-25		श्री जयनाथ	श्री रामसिंह	कुरडेग/बगीचा	0.70	4.90	2.94
6	2024-25		श्री गंगाराम पैकरा	श्री हीरासाय पैकरा	कुरडेग/बगीचा	0.80	5.60	3.36
7	2024-25		श्री अथना राम	श्री जोहना	भितघरा/बगीचा	0.80	5.60	3.36
8	2024-25		श्री माटिन	श्री दुखू	भितघरा/बगीचा	0.90	6.30	3.78
						0.50	3.50	2.10

45

स.क्र.	वर्ष	योजना का नाम	लाभान्वित हितग्राही का नाम	लाभान्वित हितग्राही के पिता/पति का नाम	लाभान्वित हितग्राही का पता	निर्मित तालाब का रकबा (हेक्टर में)	इकाई लागत (राशि रू. लाख में)	प्रदाय अनुदान राशि (राशि रू. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	2024-25	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	श्री गणेश	श्री पुना राम	कुडुमकेला/बगीचा	0.50	3.50	1.40	
10	2024-25		श्रीमती कुमुदनी	श्री प्रदीप किस्पोडा	भितघरा/बगीचा	0.40	2.80	1.68	
11	2024-25		श्री रोहना	श्री सरदार	पतरापारा/बगीचा	0.60	4.20	2.52	
12	2024-25		श्री मनीराम यादव	श्री सोमारू राम	टटकेला/बगीचा	0.60	4.20	1.68	
13	2024-25		श्री शिवप्रसाद साय	श्री धमना	पतरापारा/बगीचा	0.40	2.80	1.68	
14	2024-25		श्री मनेश्वर	श्री बुढी	कुरडेग/बगीचा	0.40	2.80	1.68	
15	2024-25		श्रीमती कलिस्ता कुजूर	श्री अलेक्सियुस कुजूर	बादूपारा/बगीचा	0.40	2.80	1.68	
16	2024-25		श्री पोलिकापे टोप्पो	श्री गेदे टोप्पो	मझगांव/बगीचा	0.40	2.80	1.68	
17	2024-25		श्री देवनाथ साय	श्री माना साय	कुरडेग/बगीचा	0.80	5.60	3.36	
18	2024-25		श्री रामसुंदर	श्री टेडगू	कुरडेग/बगीचा	0.40	2.80	1.68	
19	2024-25		श्रीमती मटिना एक्का	श्री जेरोम	भितघरा/बगीचा	0.40	2.80	1.68	
20	2024-25		श्रीमती सुशीला मिंज	श्री गुलाब मिंज	भितघरा/बगीचा	0.70	4.90	2.94	
21	2024-25		श्री हेमन्त कुमार यादव	श्री दिलेश्वर यादव	झिकी/बगीचा	0.60	4.20	1.68	
22	2024-25		श्री कुंवर राम	श्री दिना राम	बम्बा/बगीचा	0.60	4.20	2.52	
23	2024-25		श्री महजु टोप्पो	श्री चेतू टोप्पो	करडीह/मनोरा	0.40	2.80	1.68	
24	2024-25		श्री अजय तिकी	श्री फुलजैस तिकी	कण्डोरा/मनोरा	0.40	2.80	1.68	
25	2024-25		श्री अजेदान टोप्पो	श्री निकोलस टोप्पो	आमगांव/मनोरा	0.40	2.80	1.68	
योग						14.60	102.20	58.94	
महायोग						24.20	169.40	97.30	

सही/-अस्पष्ट
सहायक संचालक मछलीपालन
जिला-जशपुर (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

पारिशेष्य - पचहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 823) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जशपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कृषि विभाग द्वारा कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये गये कृषि उपकरण/यंत्र की विकासखण्डवार/योजनावार जानकारी

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	लाभांवित कृषक संख्या
1	2	3	4	5
1	2023—24	बागीचा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कंपोनेंट—3 कृषि यंत्रों पर अनुदान	3
			शाकम्भरी योजना	41
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना — ड्रिप	2
		जशपुर	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कंपोनेंट—3 कृषि यंत्रों पर अनुदान	5
		मनोरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कंपोनेंट—3 कृषि यंत्रों पर अनुदान	1
			शाकम्भरी योजना	8
		योग		
2	2024—25	बागीचा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कंपोनेंट—3 कृषि यंत्रों पर अनुदान	6
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना — ड्रिप	68
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना — स्प्रिंकलर	2
			शाकम्भरी योजना	85
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना — ड्रिप	2
		जशपुर	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कंपोनेंट—3 कृषि यंत्रों पर अनुदान	12
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना — ड्रिप	3
			शाकम्भरी योजना	2
		मनोरा	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कंपोनेंट—3 कृषि यंत्रों पर अनुदान	5
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत कंपोनेंट—4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना	1
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना — ड्रिप	10
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना — स्प्रिंकलर	3
			शाकम्भरी योजना	23
		योग		
महायोग			282	

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 20-02-2026

13:45:03

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

कृषि विभाग

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र—ब

जशपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कृषि विभाग द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराये गये कृषि उपकरण/यंत्र की विकासखण्डवार/योजनावार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	वर्ष	वि.खं. का नाम	योजना का नाम	कृषि यंत्र का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	
1	जशपुर	2023-24	जशपुर	एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना	पॉवर वीडर	25	
			मनोरा			23	
			योग				48
			मनोरा	जिला खनिज न्यास निधि मद	रोटरी टिलर	20	
			बगीचा			40	
			योग				60
		2024-25	-	-	-	-	
					महायोग		

Digitally signed by

Vikas Mishra(विकास मिश्रा)

Date: 20-02-2024 छवि

13:45:55 छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारोशेष्ट - छिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 840) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक कराये गए तालाब गहरीकरण कार्य की जानकारी

वर्ष	अंबिकापुर	बतौली	सीतापुर	मैनपाट
2020-21	00	04	12	05
2021-22	02	01	05	03
2022-23	01	02	18	02
2023-24	01	01	11	01
2024-25	02	01	00	00
2025-26	00	00	00	00


 अनुभाग अधिकारी
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारोक्ष - सततर

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 841) की जानकारी

प्रपत्र-अ

सीतापुर विधानसभा में पीएम जनमन योजना अंतर्गत निम्नांकित 11 गतिविधियों की जानकारी

क्र	विकास खण्ड	ग्राम की संख्या	बसाहट संख्या	गतिविधि का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सीतापुर	9	19	पक्के घर का प्रावधान	1075	523	—
2				संपर्क सड़के	46 (186.40 km)	10 (28.09km)	36 सड़क का कार्य प्रगतिरत है।
3				मोबाईल मेडिकल युनिट	1	1	—
4				छात्रावासों का निर्माण	1	0	01 भवन निर्माणाधीन है।
5				पाईप से जलापूर्ति	0	0	जनमन योजना अंतर्गत कार्य स्वीकृत नहीं है।
6				आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण	9	—	वर्तमान में 09 भवन निर्माणाधीन है।
7				वनधन विकास केन्द्रों की स्थापना	—	—	—
8				बहु-उद्देशीय केन्द्रों का निर्माण	6	1	05 भवन निर्माणाधीन
9				अविद्युतीकरण घरों का विद्युतीकरण एवं	196	196	—
				सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण	307	90	—
10				मोबाईल टॉवर की स्थापना	निरंक		
11				व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	निरंक		


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

क्र	विकासखण्ड	आश्रम का नाम
1	सीतापुर	पहाड़ी कोरवा आश्रम जामझरिया
2	सीतापुर	पहाड़ी कोरवा आश्रम बगडोली
3	मैनपाट	पहाड़ी कोरवा आश्रम बिजलहवा
4	मैनपाट	पहाड़ी कोरवा आश्रम उडमकेला
5	मैनपाट	पहाड़ी कोरवा आश्रम रजखेता
6	मैनपाट	पहाड़ी कोरवा आश्रम मालतीपुर
7	मैनपाट	पहाड़ी कोरवा आश्रम बरिमा
8	अम्बिकापुर	पहाड़ी कोरवा आश्रम नानदमाली
9	अम्बिकापुर	पहाड़ी कोरवा आश्रम गाजरभावना
10	बतौली	पहाड़ी कोरवा आश्रम टिरंग
11	बतौली	पहाड़ी कोरवा आश्रम भटको
12	बतौली	पहाड़ी कोरवा आश्रम गोविंदपुर
13	बतौली	पहाड़ी कोरवा आश्रम बैजनाथपुर


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

वर्ष 2021 से 2025 तक पीव्हीटीजी युवाओं के लिये कौशल विकास हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	जिला	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	पीव्हीटीजी युवाओं के लिये कौशल विकास हेतु संचालित योजनाओं का नाम	प्रशिक्षित पीव्हीटीजी युवाओं की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021 से 2025 तक	सरगुजा	सीतापुर	—	पीएम जनमन योजना	निरंक	


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

वर्ष 2021 से 2025 तक आदिम जाति महिलाओं के लिये संचालित विशेष योजनाओं की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	जिला	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	आदिम जाति महिलाओं के लिये संचालित विशेष योजनाओं का नाम	प्रशिक्षित आदिम जाति महिलाओं की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021 से 2025 तक	सरगुजा	सीतापुर	बगडोली	छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विहान द्वारा संचालित-केश क्रेडिट लिंकेज योजना	0	
2	2021 से 2025 तक	सरगुजा	सीतापुर	रजपुरी	छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विहान द्वारा संचालित-केश क्रेडिट लिंकेज योजना	0	
3	2021 से 2025 तक	सरगुजा	सीतापुर	ढोढागांव	छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विहान द्वारा संचालित-केश क्रेडिट लिंकेज योजना	0	
4	2021 से 2025 तक	सरगुजा	सीतापुर	देवगढ़	छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विहान द्वारा संचालित-केश क्रेडिट लिंकेज योजना	10	
5	2021 से 2025 तक	सरगुजा	सीतापुर	जामझरिया	छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विहान द्वारा संचालित-केश क्रेडिट लिंकेज योजना	3	
6	2021 से 2025 तक	सरगुजा	सीतापुर	बंशपुर	छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विहान द्वारा संचालित-केश क्रेडिट लिंकेज योजना	0	
7	2021 से 2025 तक	सरगुजा	सीतापुर	गेरसा	छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विहान द्वारा संचालित-केश क्रेडिट लिंकेज योजना	0	
8	2021 से 2025 तक	सरगुजा	सीतापुर	पेटला	छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विहान द्वारा संचालित-केश क्रेडिट लिंकेज योजना	0	
9	2021 से 2025 तक	सरगुजा	सीतापुर	सूर	छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विहान द्वारा संचालित-केश क्रेडिट लिंकेज योजना	7	
कुल योग						20	


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारोक्ष - अठहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 845) की जानकारी

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26
जिला रायगढ़ अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम

क्र	दिनांक	स्थान	कलाकार दल प्रमुख	मानदेय राशि
1	18.08.2024	धरमजयगढ़	श्री बृजकिशोर गुप्ता	79000
2	27.08.2024	सरिया	श्री दुकालु यादव	79000
3	11.09.2024	घरघोड़ा	श्री ताराचंद साहू	35000
4	12.09.2024	छर्राटांगर	श्री ताराचंद साहू	35000
5	12.09.2024	धरमजयगढ़	श्री राजेश अवस्थी	79000
6	21.09.2024	झिंकीपाली	श्री राजेश अवस्थी	79000
7	05.10.2024	कटेली	श्री तिलकराजा साहू	57000
8	06.10.2024	कापू	श्री राकेश शर्मा	79000
9	07.10.2024	गिधकालो	श्री विजय सिंह	79000
10	07.10.2024	धरमजयगढ़	श्री पीलुराम वर्मा	57000
11	08.10.2024	विजयनगर	श्री विजय सिंह	79000
12	08.10.2024	कापू	श्री बृजकिशोर गुप्ता	79000
13	09.10.2024	गोडीहारी	श्री रोशनकुमार साहू	57000
14	09.10.2024	रायगढ़	श्री विजय सिंह	79000
15	09.10.2024	धरमजयगढ़	श्रीमती सीमा कौशिक	79000
16	10.10.2024	बुनगा	श्री विजय सिंह	79000
17	11.10.2024	नीचेपारा	श्री पीलुराम वर्मा	57000
18	12.10.2024	कापू	श्री नीतिन दुबे	79000
19	12.10.2024	नोसाई पोड़ी	सुश्री मोना सेन	79000
20	12.10.2024	सरिया	सुश्री छाया प्रकाश	57000
21	12.10.2024	रायगढ़	श्री राकेश शर्मा	79000
22	13.10.2024	घरघोड़ा	श्री बृजकिशोर गुप्ता	79000
23	13.10.2024	रायगढ़	श्री विजय सिंह	79000
24	15.10.2024	गोसाईपोड़ी	श्री नीतिन दुबे	79000
25	17.10.2024	केडार	श्री छोटेलाल साहू	57000
26	18.10.2024	सुपकालो	श्री नीतिन दुबे	79000
27	03.11.2024	रायगढ़	श्री विजय सिंह	79000
28	12.12.2024	कोडातराई	श्री नीतिन दुबे	79000
29	17.12.2024	कापू	श्रीमती किरण भारती	57000
30	23.12.2024	कापू	श्री विजय सिंह	79000
31	24.12.2024	बंधनपुर	श्री यशवंत सतनामी	57000
32	19.01.2025	सारंगढ़	पद्मश्री ममता चंद्राकर	147000

अनुमति अधिकारी
 संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
 महानदी भवन, अटल नगर
 जिला-रायपुर (छ.ग.)

33	17.03.2025	सालहे	श्रीमती संतोषी साहू	35000
34	14.04.2025	टपरदा	श्री हृदयप्रकाश अनंत	83000
35	27.05.2025	सारंगढ	श्रीमती संतोषी साहू	35000
36	01.10.2025	कटेली	श्री तिलकराजा साहू	79000
37	05.09.2025	मिरीगुडा	श्री मनहरण साहू	35000
38	06.09.2025	कापु	श्री मनहरण साहू	35000
39	06.10.2025	बायंग	श्री राकेश शर्मा	79000
40	25.09.2025	गिधकालो	श्री विजय सिंह	35000
41	26.09.2025	गोसाई	श्री विजय सिंह	35000
42	28.09.2025	कापू	श्री विजय सिंह	35000
43	30.09.2025	धरमजयगढ	श्री नीतिन दुबे	79000
44	30.09.2025	भीखमपुरा	सुश्री रानी चौहान	35000
45	14.08.2025	धरमजयगढ	श्री सुनील तिवारी	113000
46	01.10.2025	धरमजयगढ	श्री संतोष यादव	35000
47	02.10.2025	रायगढ	श्री विजय सिंह	35000
48	02.10.2025	पुसौर	श्री राकेश शर्मा	79000
49	02.10.2025	देवगांव	श्री ताराचंद मेहर	35000
50	03.10.2025	घरघोडा	श्री बृजकिशोर गुप्ता	35000
51	03.10.2025	बरमकेला	श्री ताराचंद मेहर	35000
52	04.10.2025	भिखमपुरा	श्री ताराचंद मेहर	35000
53	05.10.2025	रायगढ	श्री विजय सिंह	35000
54	07.10.2025	सलका	श्री विजय सिंह	35000
55	07.10.2025	सरिया	श्री राकेश शर्मा	79000
56	23.10.2025	धरमजयगढ	श्री सतवीर भाटिया	35000
57	27.10.2025	रायगढ	श्री विजय सिंह	35000
58	28.10.2025	रायगढ	श्री विजय सिंह	35000
59	29.10.2025	बोजिया	सुश्री कंचन जोशी	35000
60	27.11.2025	कोडातराई	श्री विवेक शर्मा	35000
61	03.12.2025	बटाउपाली	श्री दिनेश जांगडे	77000
62	19.12.2025	मिटटुमुडा	श्री चेतन चंदेल	35000
कुल राशि रु. सैंतीस लाख सत्तर हजार मात्र				37,70,000

अनुभाष अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल
बिला-रायपुर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - उन्यासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 850) की जानकारी

प्रपत्र

01 जनवरी, 2024 से 31 दिसम्बर, 2025 तक अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित उद्योगों के विरूद्ध पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन संबंधी प्राप्त शिकायतों के संबंध में वर्षवार एवं संयंत्रवार जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्राप्त शिकायत दिनांक	प्राप्त शिकायत का विवरण	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण के दौरान पायी गयी स्थिति	की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024							
1.	मेसर्स ओम गंगा पेड्डी प्रोसेसर, ग्राम-शिवरीनारायण रोड, अकलतरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	29/02/2024	उसना राईस मिल से निकलने वाली गंदगी पर रोक लगाने के संबंध में।	15/04/2024	निरीक्षण दौरान कमियाँ / अनिमितताएं पाई गई।	पत्र क्रमांक 158 दिनांक 24/04/2024 के द्वारा उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।	
				01/05/2024	सुधारात्मक कार्य किया जाना पाया गया।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	
2.	मेसर्स केमिकल एंटरप्राइजेस, प्लांट नं. 58 एवं 40, औद्योगिक क्षेत्र कापन, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	31/07/2024	केमिकल एंटरप्राइजेस की शिकायत बाबत।	27/08/2024	स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	
3.	मेसर्स गिरिराज पेड्डी प्रोसेसर, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	01/08/2024	नगर पंचायत नरियरा में स्थित ओंकार राईस मिल, कान्हा राईस मिल, गिरिराज राईस मिल से होने वाले प्रदूषण एवं अवैध राखड़ डंपिंग के शिकायत के संबंध में।	22/08/2024	स्थिति सामान्य पायी गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	
4.	मेसर्स कान्हा पेड्डी प्रोसेसिंग, पता-झलमला रोड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	01/08/2024	नगर पंचायत नरियरा में स्थित ओंकार राईस मिल, कान्हा राईस मिल, गिरिराज राईस मिल से होने वाले प्रदूषण एवं अवैध राखड़ डंपिंग के शिकायत के संबंध में।	22/08/2024	स्थिति सामान्य पायी गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	

5.	मेसर्स ओमकार एग्रोटेक, पता-ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	01/08/2024	नगर पंचायत नरियरा में स्थित ओंकार राईस मिल, कान्हा राईस मिल, गिरिराज राईस मिल से होने वाले प्रदूषण एवं अवैध राखड़ डंपिंग के शिकायत के संबंध में।	22/08/2024	स्थिति सामान्य पायी गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	
6.	मेसर्स एम.व्ही.के. इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-अमरताल, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	16/08/2024	पॉवर प्लांट पर कार्यवाही करने के संबंध में।	16/08/2024	स्थिति सामान्य पायी गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	
		24/09/2024	मेसर्स एम. व्ही. के. इंडस्ट्रीज प्राईवेट के पावर प्लांट के कारण हो रहे प्रदूषण पर कार्यवाही करने के संबंध में।	30/09/2024	स्थिति सामान्य पायी गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	
		25/10/2024	मेसर्स एम. व्ही. के. इंडस्ट्रीज प्राईवेट के पावर प्लांट के कारण हो रहे प्रदूषण पर कार्यवाही करने के संबंध में।	14/11/2024	उद्योग में वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्य किया गया, जांच के परिणाम मानक सीमा के भीतर पाये गये।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	
जनवरी, 2025 से दिसम्बर 2025							
क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्राप्त शिकायत दिनांक	प्राप्त शिकायत का विवरण	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण के दौरान पायी गयी स्थिति	की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मेसर्स स्वास्तिक स्टोन मिनरल्स, ग्राम-किरारी, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	02/01/2025	ग्राम-किरारी स्वास्तिक स्टोन मिनरल्स को बंद करने के संबंध में।	20/02/2025	स्थिति सामान्य पाई गई।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	
2.	मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	03/02/2025	आम जनता से जुड़ी हुई मांग, समस्या शिकायत के संबंध में।	20/02/2025	निरीक्षण के दौरान शिकायत निराधार पाया गया।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	
		04/08/2025	फ्लाई ऐश पाटे जाने के संबंध में।	05/08/2025	निरीक्षण के दौरान शिकायत निराधार पाया गया।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	
3.	मेसर्स राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, ग्राम-बैजलपुर, तहसील-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	16/04/2025	केशर द्वारा आवासीय क्षेत्र में धूल धक्कड़ उड़ाने के संबंध में।	26/06/2025	उद्योग पूर्णतः बंद पाया गया।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	
4.	मेसर्स गिरिराज पेड्डु प्रोसेसर्स, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	17/06/2025	नरियरा नगर में स्थित ओमकार राईस मिल, गिरिराज राईस मिल में पर्यावरण के नियम के	18/06/2025	निरीक्षण दौरान कमियाँ / अनिमित्यताएं पाई गई।	उद्योग को दिनांक 19/06/2025 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा	

			उल्लंखन संबंध में।			नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। उद्योग द्वारा दिनांक 22/06/2025 को उद्योग में नोटिस के परिपेक्ष्य में उत्पादन बंद किये जाने की सूचना दी गई।	
				07/07/2025	उद्योग को जारी नोटिस के परिपेक्ष्य में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दिवस को उद्योग उत्पादनरत नहीं पाया गया।	पत्र दिनांक 23/07/2025 के माध्यम से उद्योग पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत रुपये राशि 6,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा दिनांक 16/02/2026 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि मंडल में जमा की गई है।	
				16/12/2025	उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गयी।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	उद्योग द्वारा दिनांक 09/12/2025 को सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त उत्पादन पुनः आरंभ करने की की सूचना दी गई।
5.	मेसर्स ओमकार एग्रोटेक, पता- ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	17/06/2025	नरियरा नगर में स्थित ओमकार राईस मिल, गिरीराज राईस मिल में पर्यावरण के नियम के उल्लंखन के संबंध में।	18/06/2025	बिना वैध जल एवं वायु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण के उद्योग का संचालन किया जाना पाया गया।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन के संबंध में दिनांक 19/06/2025 को निर्देश पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा उत्पादन बंद कर दिनांक 25/11/2025 द्वारा जल एवं वायु सम्मति बाबत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 09/12/2025 को जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया।	
6.	मेसर्स कान्हा पेड्डी प्रोसेसिंग, पता- झलमला रोड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	17/06/2025	नरियरा नगर में स्थित ओमकार राईस मिल, गिरीराज राईस मिल में पर्यावरण के नियम के उल्लंखन के संबंध में।	18/06/2025	निरीक्षण दौरान कमियाँ/ अनियमितताएं पाई गई।	उद्योग को दिनांक 19/06/2025 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा दिनांक 23/06/2025 को उद्योग शट डाउन कर सुधारात्मक कार्य किये जाने की जानकारी इस कार्यालय को दी गई।	

				07/07/2025	उद्योग को जारी नोटिस के परिपेक्ष्य में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दिवस को उद्योग उत्पादनरत नहीं पाया गया।	इस कार्यालय द्वारा दिनांक 23/07/2025 के माध्यम से उद्योग पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत रूपये राशि 6,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। इस कार्यालय के दिनांक 12/02/2026 को उद्योग को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने के संबंध में स्मरण पत्र प्रेषित किया गया। उद्योग द्वारा दिनांक 16/02/2026 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि मंडल में जमा की गई है।	
				16/12/2025	उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गयी।	अतः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। की गई कार्यवाही निरंक है।	उद्योग द्वारा दिनांक 09/12/2025 को सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त उत्पादन पुनः आरंभ करने की की सूचना दी गई।
7.	मनु इलेक्ट्रॉनिक एण्ड केमिकल अर्थिंग, इंडस्ट्रीयल एरिया ग्राम-कापन, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	03/06/2025	प्रदूषित जल बगल के प्लांट में गट्टा करके डाले जाने एवं जल प्रदूषण से 03 मवेशियों के बेहोश हो जाने बाबत।	03/06/2025	शिकायत स्थल के निरीक्षण दौरान उद्योग में ई.टी.पी. संचालित नहीं पाया गया। तथा दूषित जल का निस्सारण उद्योग परिसर के बाहर होना पाया गया।	उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत सुधारात्मक कार्यवाही हेतु दिनांक 06/06/2025 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया। उद्योग द्वारा दिनांक 30/06/2025 को सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया।	
				10/07/2025	उद्योग को पूर्व में जारी नोटिस के परिपेक्ष्य में उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्य किया जाना पाया गया।	पत्र दिनांक 21/07/2025 के माध्यम से उद्योग पर दिनांक 03/06/2025 से दिनांक 30/06/2025 तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 2,70,000/- रूपये अधिरोपित की गई। इस कार्यालय द्वारा उद्योग को क्षतिपूर्ति जमा किये जाने बाबत दिनांक 08/12/2025 तथा 11/02/2026 को स्मरण पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा उनके पत्र दिनांक 11/02/2026 के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने हेतु 15 दिन का समय चाहा गया है, उक्त राशि जमा कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	


अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - अस्सी

अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 854) की जानकारी

प्रपत्र

क	योजना शीर्ष	मूल बजट रु.लाखोंमें
1	2	3
1	मुख्य शीर्ष 2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ-लघुशीर्ष-101 पूर्ण प्रायोजनों के लिए दान- योजना क्र. -2003-सिन्धुदर्शन/कैलाश मानसरोवर यात्रा- 14 -सहायक अनुदान- 012 अन्य अनुदान	200.00
2	मुख्य शीर्ष 2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ-लघुशीर्ष 103 तीर्थस्थानों, मंदिरों आदि की देखभाल, 3379 -मंदिरों आदि को परिपोषण अनुदान- 14-सहायक अनुदान- 012 अन्य अनुदान मद	50.00
3	मुख्य शीर्ष 2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ-लघुशीर्ष 103-तीर्थ स्थानों की देखभाल योजना क्रमांक-4388 समाधियों, मंदिरों का रख-रखाव और अन्य विविध भत्ते- 14-सहायक अनुदान- 003 अनुरक्षण अनुदान मद	50.00
4	मुख्य शीर्ष 2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ-लघुशीर्ष 103-अन्य व्यय-0101 राज्य आयोजना सामान्य (5805) -मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण- 14-सहायक अनुदान- 002 विकास कार्य हेतु अनुदान	200.00
5	मुख्य शीर्ष 2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ-लघुशीर्ष 103-अन्य व्यय-0101- योजनाक्रमांक- 6292- शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार- 14-सहायक अनुदान- 003 अनुरक्षण अनुदान मद	100.00
6	मुख्य शीर्ष 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पंजी परियोजना-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय 0101-राज्य आयोजना सामान्य योजना क्रमांक-5805-मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण-97 निर्माण कार्य-001 भवनमद	2300.00
	योग	2900.00

पारिशेष - इक्यासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 857) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	विकास खण्ड	संस्था का नाम	पशु चिकि. सहा. शल्यज्ञ		सहा. प.चि.क्षेत्र. अधिकारी		पट्टीबंधक		पशु परिचारक		स्वच्छकर्ता परिचारक सह-चौकीदार	
			स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
1	डमरा	पशु चिकित्सालय डमरा	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0
2		पशु चिकित्सालय चन्द्रपुर	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0
3		पशु चिकित्सालय कोटमी	1	1	2	1	1	0	1	1	1	0
4		पशु औषधालय सपोस	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
5		पशु औषधालय देवरघटा	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
6		पशु औषधालय टुण्डी	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
7		पशु औषधालय धुरकोट	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
8		पशु औषधालय कलमा	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
9	मालखरौदा	पशु चिकित्सालय मालखरौदा	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0
10		पशु चिकित्सालय अडभार	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0
11		पशु औषधालय सिंधरा	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
12		पशु औषधालय फगुरम	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
13		पशु औषधालय आडिल	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
		कुल योग	7	7	18	13	5	4	13	12	13	3



(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा राधपुर अटल नगर (छ.प्र.)

पारोशेष्ट - बयासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 858) की जानकारी

प्रपत्र - "अ"

जिला सक्ती अंतर्गत शासन के अधीन 17 आश्रम एवं 38 छात्रावास संचालित है।
विधानसभावार बच्चों की दर्ज संख्या सहित विवरण

क्र.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	संस्था का नाम	विकासखण्ड	स्वी.सीट	प्रवेशित सीट
1	सक्ती	सक्ती वि.स.क्र.-35	प्री.मै.अ.ज.जा. बालक छात्रावास सक्ती	सक्ती	50	43
2			पो.मै.अ.ज.जा. बालक छात्रावास सक्ती	सक्ती	50	50
3			अ.ज.जा. बालक आश्रम अमलडीहा	सक्ती	100	97
4			प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रावास लवसरा	सक्ती	50	48
5			अ.ज.जा. बालक आश्रम मसनिया खुर्द	सक्ती	50	33
6			अ.ज.जा. बालक आश्रम आमापाली	सक्ती	50	11
7			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास बाराद्वार	सक्ती	20	20
8			प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रावास बाराद्वार	सक्ती	50	50
9			प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रावास जर्वे	सक्ती	50	34
10			प्री.मै.अ.ज.जा. बालक छात्रावास खैरा	सक्ती	50	41
11			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास सक्ती	सक्ती	20	17
12			अ.ज.जा. बालक आश्रम केरीबंधा	सक्ती	50	50
13			प्री.मै.अ.ज.जा. कन्या छात्रावास सक्ती	सक्ती	50	51
14		चन्द्रपुर वि.स.क्र.-36	अ.ज.जा. बालक आश्रम धौराभांठा	डभरा	160	107
15			अ.जा. बालक आश्रम धौराभांठा	डभरा	100	68
16			प्री.मै.अ.ज.जा. बालक छात्रावास चन्द्रपुर	डभरा	50	50
17			प्री.मै.अ.ज.जा. बालक छात्रावास डभरा	डभरा	50	49
18			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास डभरा	डभरा	50	23
19			पो.मै.अ.जा. बालक छात्रावास डभरा	डभरा	50	52
20			प्री.मै.अ.ज.जा. बालक छात्रावास कोटमी	डभरा	50	40
21			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास धुरकोट	डभरा	50	37
22			प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रावास डभरा	डभरा	50	39
23			प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रावास कोटमी	डभरा	50	50
24			प्री.मै.अ.ज.जा. बालक आश्रम कवंलाझर	डभरा	100	74
25			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास पिरदा	मालखरौदा	50	50
26			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास छपोरा	मालखरौदा	50	50
27			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास मालखरौदा	मालखरौदा	50	50
28			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास सिंघरा	मालखरौदा	20	20
29			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास अडभार	मालखरौदा	50	27
30			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास फगुरम	मालखरौदा	50	35
31			प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रावास छपोरा	मालखरौदा	50	50
32			प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रावास मालखरौदा	मालखरौदा	50	35
33			अ.जा. कन्या आश्रम मालखरौदा	मालखरौदा	50	60

अनुभाग अधिकारी

क्र.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	संस्था का नाम	विकासखण्ड	स्वी.सीट	प्रवेशित सीट
34			अ.जा. बालक आश्रम अडभार	मालखरौदा	50	48
35			पो.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास मालखरौदा	मालखरौदा	50	48
36			अ.ज.जा. बालक आश्रम गुचकुलिया	जैजैपुर	50	50
37			अ.जा. बालक आश्रम हरेठीकलौ	जैजैपुर	50	50
38			अ.ज.जा. कन्या आश्रम अकलसरा	जैजैपुर	50	48
39			अ.जा. बालक आश्रम नगारीडीह	जैजैपुर	50	50
40			अ.जा. बालक आश्रम परसाडीह	जैजैपुर	50	50
41			प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रावास सलनी	जैजैपुर	50	40
42			प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रावास जैजैपुर	जैजैपुर	50	50
43			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास कचंदा	जैजैपुर	50	50
44			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास ओडेकेरा	जैजैपुर	50	50
45			पो.मै.अ.जा. बालक छात्रावास हसौद	जैजैपुर	50	50
46	सक्ती	जैजैपुर वि.स.क्र.-37	प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास ठठारी	जैजैपुर	20	30
47			अ.जा. बालक आश्रम कुटराबोड़	जैजैपुर	100	33
48			प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रावास हसौद	जैजैपुर	50	26
49			अ.जा. बालक आश्रम तुषार	जैजैपुर	50	40
50			अ.ज.जा. कन्या आश्रम चिस्दा	जैजैपुर	50	44
51			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास जैजैपुर	जैजैपुर	50	45
52			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास पेन्डी	जैजैपुर	50	50
53			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास हसौद	जैजैपुर	50	50
54			प्री.मै.अ.जा. बालक छात्रावास दतौद	जैजैपुर	20	20
55			प्री.मै.अ.जा. कन्या छात्रावास सक्ती	सक्ती	20	23
योग -						2456


अनुराग अधिकारी
 आदिश्रम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र - "ब"

अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्राप्त आबंटन एवं व्यय का विवरण

क्र.	योजना का नाम	मद शीर्ष विवरण	प्राप्त आबंटन	व्यय
1	अनुसूचित जनजाति आश्रम	सामाग्री आपूर्ति	7,75,000.00	7,75,000.00
2		गैर कार्यालयीन फर्निचर	5,00,000.00	5,00,000.00
3		अन्य व्यय	2,64,000.00	65,000.00
4		दवाईयां	70,000.00	70,000.00
5		कपडे एवं बिस्तर	11,20,000.00	11,20,000.00
योग -			27,29,000.00	25,30,000.00
1	अनुसूचित जनजाति छात्रावास	सामाग्री आपूर्ति	5,40,000.00	5,40,000.00
2		गैर कार्यालयीन फर्निचर	2,40,000.00	2,40,000.00
3		अन्य व्यय	3,26,000.00	50,000.00
4		दवाईयां	1,15,000.00	1,15,000.00
5		कपडे एवं बिस्तर	4,30,000.00	4,30,000.00
योग -			16,51,000.00	13,75,000.00
1	अनुसूचित जाति आश्रम	सामाग्री आपूर्ति	3,70,000.00	3,70,000.00
2		गैर कार्यालयीन फर्निचर	4,30,000.00	3,30,000.00
3		अन्य व्यय	5,67,000.00	1,50,000.00
4		दवाईयां	1,50,000.00	1,50,000.00
5		कपडे एवं बिस्तर	5,00,000.00	5,00,000.00
योग -			20,17,000.00	15,00,000.00
1	अनुसूचित जाति छात्रावास	सामाग्री आपूर्ति	22,70,000.00	22,70,000.00
2		गैर कार्यालयीन फर्निचर	15,05,000.00	15,05,000.00
3		अन्य व्यय	11,43,000.00	2,05,591.00
4		दवाईयां	7,95,000.00	7,95,000.00
5		कपडे एवं बिस्तर	10,30,000.00	10,30,000.00
योग -			67,43,000.00	58,05,591.00
महायोग -			1,31,40,000.00	1,12,10,591.00

अप्रैल 2025 से 02 फरवरी 2026 तक प्राप्त आबंटन एवं व्यय का विवरण

क्र.	योजना का नाम	मद शीर्ष विवरण	प्राप्त आबंटन	व्यय
1	अनुसूचित जनजाति आश्रम	सामाग्री आपूर्ति	5,52,000.00	1,04,860.00
2		गैर कार्यालयीन फर्निचर	3,64,000.00	1,43,550.00
3		अन्य व्यय	1,82,000.00	82,000.00
4		दवाईयां	80,000.00	31,584.00
5		कपडे एवं बिस्तर	5,03,000.00	3,52,800.00
योग –			16,81,000.00	7,14,794.00
1	अनुसूचित जनजाति छात्रावास	सामाग्री आपूर्ति	1,78,000.00	70,560.00
2		गैर कार्यालयीन फर्निचर	1,58,000.00	63,000.00
3		अन्य व्यय	2,31,000.00	1,30,400.00
4		दवाईयां	50,000.00	31,584.00
5		कपडे एवं बिस्तर	1,86,000.00	1,11,000.00
योग –			8,03,000.00	4,06,544.00
1	अनुसूचित जाति आश्रम	सामाग्री आपूर्ति	4,03,000.00	88,200.00
2		गैर कार्यालयीन फर्निचर	4,84,000.00	1,93,650.00
3		अन्य व्यय	3,06,000.00	1,65,600.00
4		दवाईयां	1,20,000.00	33,140.00
5		कपडे एवं बिस्तर	11,30,000.00	4,52,000.00
योग –			24,43,000.00	9,32,590.00
1	अनुसूचित जाति छात्रावास	सामाग्री आपूर्ति	19,47,000.00	2,94,000.00
2		गैर कार्यालयीन फर्निचर	13,30,000.00	5,30,700.00
3		अन्य व्यय	3,45,000.00	3,45,000.00
4		दवाईयां	2,20,000.00	1,25,049.00
5		कपडे एवं बिस्तर	14,85,000.00	5,90,000.00
योग –			53,27,000.00	18,84,749.00
महायोग –			1,02,54,000.00	39,38,677.00


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
 न्याय, महानदी भवन, नवा रायपुर


अपर संचालक
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र - "स"

वित्तीय वर्ष अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक विभागीय मद में क्रय की गई सामग्री का वितरण संस्थावार

क्र.	एफ.डी.एफ.डी.	एल.ई.डी.बल्ल	बैच नंबर	मोडिक ल फिट डेग	मिक्सर ग्राइंडर	रिवाली टैग	डिनर सेट	डिनर सेट (किचन रैक)	पंखा	स्कीन केबल & वलीनिंग क्रीम	थाली कुर्सी	स्टुडेंट कुर्सी	स्टुडेंट कुर्सी	चादर	फर्स्ट फिल्टर ड्रेसिंग	तखत	तकिया कवर	टयूब लाइट	ऑफिस टेबल	ऑफिस कुर्सी	टेप	अलमार	गद्दा	गैस चुल्हा	लैंगर सेट
1	पोमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, सक्ती	20	10	5	15	-	3	1	5	11	25	3	3	13	32	5	-	10	1	1	5	-	-	1	-
2	प्रीमैअ.ज.बालक छात्रावास, बाराहाद	20	10	5	12	-	3	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	-	-	5	-	-	1	-
3	प्रीमैअ.ज.बालक छात्रावास, सक्ती	20	10	5	12	-	3	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	1	5	-	-	1	-
4	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, खोरा	20	10	5	12	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	1	5	-	-	1	-
5	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, सक्ती	20	10	5	15	-	3	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	1	5	-	-	1	-
6	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, सक्ती	20	10	5	12	-	3	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	1	5	-	-	1	-
7	शा.अ.ज.ज.बालक आश्रम शाला, करीकंगा	20	10	5	12	-	1	2	1	5	11	20	3	3	13	32	5	-	10	-	1	5	1	20	1
8	शा.अ.ज.ज.बालक आश्रम शाला, मरसिनिया खुर्द	20	10	5	12	-	1	2	1	5	11	20	3	3	13	32	5	-	10	1	1	5	-	20	1
9	शा.अ.ज.ज.बालक आश्रम शाला, अमलडीहा	20	16	10	18	-	1	6	1	12	11	25	6	6	16	34	8	-	10	1	1	15	-	26	1
10	शा.अ.ज.ज.बालक आश्रम शाला, आमपाही	20	10	5	12	1	1	2	1	5	11	20	3	3	13	32	5	-	10	1	1	5	1	20	1
11	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, बाराहाद	20	10	5	12	-	-	3	1	5	11	20	5	5	13	32	-	10	10	1	-	5	-	-	1
12	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, सक्ती	20	10	5	12	-	-	3	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	-	-	1
13	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, जर्ब	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	10	10	1	-	5	-	-	1
14	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, लक्सरा	20	10	5	12	-	-	3	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	-	-	1
15	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, मालखरीदा	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	-	-	1
16	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, सिधरा	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	1	-	1
17	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, छपेरा	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	-	-	1
18	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, कनूज	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	-	-	1
19	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, अहमर	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	-	-	1
20	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, पिरवा	20	10	5	12	1	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	1	-	1
21	शा.अ.ज.ज.बालक आश्रम शाला, अहमर	20	10	5	12	-	1	2	1	5	11	20	3	3	13	32	5	-	10	1	1	5	-	20	1
22	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, मालखरीदा	20	10	5	12	-	-	3	1	5	11	20	5	5	13	32	-	10	10	1	-	5	-	-	1
23	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, मालखरीदा	20	10	5	12	-	-	3	1	5	11	20	3	3	13	32	-	10	10	1	-	5	1	-	1
24	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, छपेरा	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	10	10	1	-	5	-	-	1
25	शा.अ.ज.ज.बालक आश्रम शाला, मालखरीदा	20	10	5	12	-	1	3	1	5	11	20	3	3	13	32	5	-	10	1	-	5	-	20	1
26	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, उमरा	20	10	5	12	-	-	3	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	1	-	-
27	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, धुकोट	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	-	-	-
28	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, उमरा	20	10	5	12	-	-	3	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	-	-	-
29	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, कोटमी	20	10	5	12	1	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	1	-	-
30	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, उमरा	20	10	5	12	-	-	3	1	5	11	20	6	6	13	32	-	-	10	1	-	5	-	-	-
31	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, वन्दपुर	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	-	-	-
32	शा.अ.ज.ज.बालक आश्रम शाला, धौरगढा	20	16	10	18	-	1	6	1	12	11	25	6	6	16	34	8	-	10	1	1	15	-	26	-
33	शा.अ.ज.ज.बालक आश्रम शाला, धौरगढा	20	10	15	20	-	1	8	1	17	25	25	8	8	20	34	8	-	10	1	1	15	1	35	-
34	शा.अ.ज.ज.बालक आश्रम शाला, कंवलकर	20	16	10	18	1	1	6	1	12	11	25	6	6	16	34	5	-	10	1	1	15	-	26	-
35	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, कोटमी	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	10	10	1	-	5	1	-	-
36	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, उमरा	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	10	10	1	-	5	-	-	-
37	प्रीमैअ.ज.ज.बालक छात्रावास, हसीद	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	10	1	-	5	-	-	-

क्र.	छात्रावास / आश्रम का नाम	सामग्री का नाम																										
		एफ.डी.	एल.ई. डी. बल्ब	बैच टेबल	मैडिक ल किट बैग	मिक्सर गार्डर	रिवाली बैग	डिनर सेट	डिनर स्टैण्ड (फिक्स्ड रेक)	पंखा	स्क्रीन केयर & क्लीनिंग प्रोडक्ट्स	थाली	स्टुडेंट कुर्सी	स्टुडेंट डेयर	चादर	फर्स्ट फिल्ड ड्रेसिंग	तखत	तकिया कवर	टयूब लाइट	ऑफिस डेयर	ऑफिस टेबल	टेबल एवं कुर्सी	टैप	अलमार	गद्दा	गैस चुल्हा	लोवर टी-शर्ट सेट	
		20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	-	10	1	-	1	5	-	-	-	-
37	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, हसींद	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	-	10	1	-	1	5	-	-	-	-
38	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, ठठारी	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	-	10	1	-	1	5	-	-	-	-
39	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, कवल्या	20	10	5	12	1	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	-	10	1	-	1	5	1	-	-	-
40	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, हसींद	20	10	5	12	1	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	-	10	1	-	1	5	-	-	-	-
41	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, पेठरी	20	10	5	12	1	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	-	10	1	-	1	5	-	-	-	-
42	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, दत्तौद	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	-	10	1	-	1	5	-	-	-	-
43	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, जैजैपुर	20	10	5	13	-	-	3	1	5	11	25	6	6	13	32	-	-	-	10	-	-	1	5	1	-	-	-
44	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, ओडेकरा	20	10	5	12	-	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	-	10	1	-	1	5	-	-	-	-
45	शा.अ.जा.बालक आश्रम, शाला, कुटरावोड	20	16	10	18	-	1	6	1	12	11	25	6	6	16	32	7	-	-	10	1	1	1	15	-	26	-	-
46	शा.अ.जा.बालक आश्रम, शाला, हरदीकला	20	10	5	12	-	1	2	1	5	11	20	3	3	13	32	5	-	-	10	1	1	1	5	1	20	-	-
47	शा.अ.जा.बालक आश्रम, शाला, परसाडीह	20	10	5	12	-	1	2	1	5	11	20	3	3	13	32	5	-	-	10	1	1	1	5	-	20	-	-
48	शा.अ.जा.बालक आश्रम, शाला, तुषार	20	10	5	12	1	1	2	1	5	11	20	3	3	13	32	5	-	-	10	1	1	1	5	-	20	-	-
49	शा.अ.जा.बालक आश्रम, शाला, नगरीडीह	20	10	5	12	-	1	2	1	5	11	20	3	3	13	32	5	-	-	10	1	1	1	5	-	20	-	-
50	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास, हसींद	20	10	5	12	1	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	5	-	-	10	1	1	1	5	-	20	-	-
51	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास, सलनी	20	10	5	12	1	-	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	-	10	1	-	1	5	-	-	-	-
52	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास, जैजैपुर	20	10	5	15	-	-	3	1	5	11	20	6	6	13	32	-	-	-	10	1	-	1	5	-	-	-	-
53	शा.अ.जा.कन्या आश्रम, शाला, विस्दा	20	10	5	12	1	1	2	1	5	11	20	3	3	13	32	5	-	-	10	1	-	1	5	-	20	-	-
54	शा.अ.जा.बालक आश्रम, शाला, मुचकुलिया	20	10	5	12	-	1	2	1	5	11	20	3	3	13	32	5	-	-	10	1	-	1	5	-	20	-	-
55	शा.अ.जा.कन्या आश्रम, शाला, अकलसरा	20	10	5	12	1	1	2	1	5	11	20	3	3	13	32	-	-	-	10	1	-	1	5	-	20	-	-
1100	योग -	584	305	702	12	17	148	55	315	619	1135	195	195	734	1768	96	100	100	550	51	13	55	325	13	379	25	300	

अनुपम अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

अनुपम अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

वित्तीय वर्ष अप्रैल 2025 से 02 फरवरी 2026 तक विभागीय मद में क्रय की गई सामाग्री का वितरण संस्थावार

क्र.	छात्रावास/आश्रम का नाम	सामाग्री का नाम							
		एल.ई.डी. बल्ब	इन्वर्टर बल्ब	परदा पाईप	ऑफिस चेयर	परदा हूक	गद्दा	चादर	तकिया कच्हर
1	पो.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, सक्ती	26	10	9	4	26	2	18	12
2	प्री.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, बाराद्वार	20	8	6	3	20	1	10	8
3	प्री.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, सक्ती	20	8	6	3	20	1	10	8
4	प्री.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, खैरा	26	10	9	4	26	2	18	12
5	प्री.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, सक्ती	26	10	9	4	26	2	18	12
6	प्री.मै.अ.ज.जा.कन्या छात्रावास, सक्ती	26	10	9	4	26	2	18	12
7	शा.अ.ज.जा.बालक आश्रम शाला, केरीबंघा	26	10	9	4	26	2	18	12
8	शा.अ.ज.जा.बालक आश्रम शाला, मसनिया खुर्द	26	10	9	4	26	2	18	12
9	शा.अ.ज.जा.बालक आश्रम शाला, अमलडीहा	26	10	9	4	26	2	18	12
10	शा.अ.ज.जा.बालक आश्रम शाला, आमापाली	26	10	9	4	26	2	18	12
11	प्री.मै.अ.ज.जा.कन्या छात्रावास, बाराद्वार	26	10	9	4	26	2	18	12
12	प्री.मै.अ.ज.जा.कन्या छात्रावास, सक्ती	20	8	6	3	20	1	10	8
13	प्री.मै.अ.ज.जा.कन्या छात्रावास, जर्वे	26	10	9	4	26	2	18	12
14	प्री.मै.अ.ज.जा.कन्या छात्रावास, लवसरा	26	10	9	4	26	2	18	12
15	प्री.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, मालखरौदा	26	10	9	4	26	2	18	12
16	प्री.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, सिंघरा	20	8	6	3	20	1	10	8
17	प्री.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, छपोरा	26	10	9	4	26	2	18	12
18	प्री.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, फगुरम	26	10	9	4	26	2	18	12
19	प्री.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, अड़भार	20	8	6	3	20	1	10	8
20	प्री.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, पिरदा	26	10	9	4	26	2	18	12
21	शा.अ.ज.जा.बालक आश्रम शाला, अड़भार	26	10	9	4	26	2	18	12
22	पो.मै.अ.ज.जा.कन्या छात्रावास, मालखरौदा	26	10	9	3	26	2	18	12

अनुभाग अधिकारी
आदिश्रुति विकास विभाग
आदिश्रुति विकास विभाग

क्र.	छात्रावास / आश्रम का नाम	सामग्री का नाम								
		एल.ई.डी. बल्ब	इन्वर्टर बल्ब	परदा पाईप	ऑफिस चेयर	परदा हूक	गद्दा	चादर	तकिया	तकिया कवर
23	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास, मालखरौदा	26	10	9	4	26	2	18	12	12
24	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास, छपोरा	26	10	9	4	26	2	18	12	12
25	शा.अ.जा.कन्या आश्रम शाला, मालखरौदा	26	10	9	4	26	2	18	12	12
26	पो.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, डभरा	26	10	9	3	26	2	18	12	12
27	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, धुरकोट	26	10	9	4	26	2	18	12	12
28	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, डभरा	20	8	6	3	20	1	10	8	8
29	प्री.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, कोटमी	26	10	9	4	26	2	18	12	12
30	प्री.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, डभरा	26	10	9	4	26	2	18	12	12
31	प्री.मै.अ.ज.जा.बालक छात्रावास, चन्द्रपुर	26	10	9	4	26	2	18	12	12
32	शा.अ.जा.बालक आश्रम शाला, धौराभौठा	35	14	12	4	38	1	26	20	20
33	शा.अ.ज.जा.बालक आश्रम शाला, धौराभौठा	35	15	14	4	58	3	36	32	32
34	शा.अ.ज.जा.बालक आश्रम शाला, कंवलझर	35	14	12	4	38	1	26	20	20
35	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास कोटमी	26	10	9	4	26	2	18	12	12
36	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास, डभरा	26	10	9	4	26	2	18	12	12
37	पो.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, हसौद	26	10	9	4	26	2	18	12	12
38	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, ठठारी	20	8	6	3	20	1	10	8	8
39	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, कचन्दा	26	10	9	4	26	2	18	12	12
40	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, हसौद	26	10	9	4	26	2	18	12	12
41	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, पेन्डी	26	10	9	4	26	2	18	12	12
42	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, दतौद	20	8	6	3	20	1	10	8	8
43	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, जैजैपुर	26	10	9	4	26	2	18	12	12
44	प्री.मै.अ.जा.बालक छात्रावास, ओडेकरा	26	10	9	4	26	2	18	12	12
45	शा.अ.जा.बालक आश्रम शाला, कुटुराबोड़	26	10	9	4	26	2	18	12	12
46	शा.अ.जा.बालक आश्रम शाला, हरेठीकला	26	10	9	4	26	2	18	12	12
47	शा.अ.जा.बालक आश्रम शाला, परसाडीह	26	10	9	4	26	2	18	12	12
48	शा.अ.जा.बालक आश्रम शाला, तुषार	26	10	9	4	26	2	18	12	12

क्र.	छात्रावास/आश्रम का नाम	सामग्री का नाम								
		एल.ई.डी. बल्ब	इन्वर्टर बल्ब	परदा पाईप	ऑफिस चेयर	परदा हूक	गद्दा	चादर	तकिया	तकिया कवर
49	शा.अ.जा.बालक आश्रम शाला, नगारीडीह	26	10	9	4	26	2	18	12	12
50	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास, हसौद	26	10	9	4	26	2	18	12	12
51	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास, सलनी	26	10	9	4	26	2	18	12	12
52	प्री.मै.अ.जा.कन्या छात्रावास, जैजैपुर	26	10	9	4	26	2	18	12	12
53	शा.अ.जा.कन्या आश्रम शाला, चिस्ता	26	10	9	4	26	2	18	12	12
54	शा.अ.ज.जा.बालक आश्रम शाला, गुचकुलिया	26	10	9	4	26	2	18	12	12
55	शा.अ.ज.जा.कन्या आश्रम शाला, अकलसरा	26	10	9	4	26	2	18	12	12
योग -		1409	547	482	210	1438	101	960	664	664

अनुपम अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
मंत्रालय, प्रधानमंत्री भवन, नया दिल्ली

अमर सचालक

अनुपम अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, प्रधानमंत्री भवन, नया दिल्ली

प्रपत्र

महासमुंद जिले में कृषि विभाग की योजनाओं के अंतर्गत आबंटन एवं व्यय

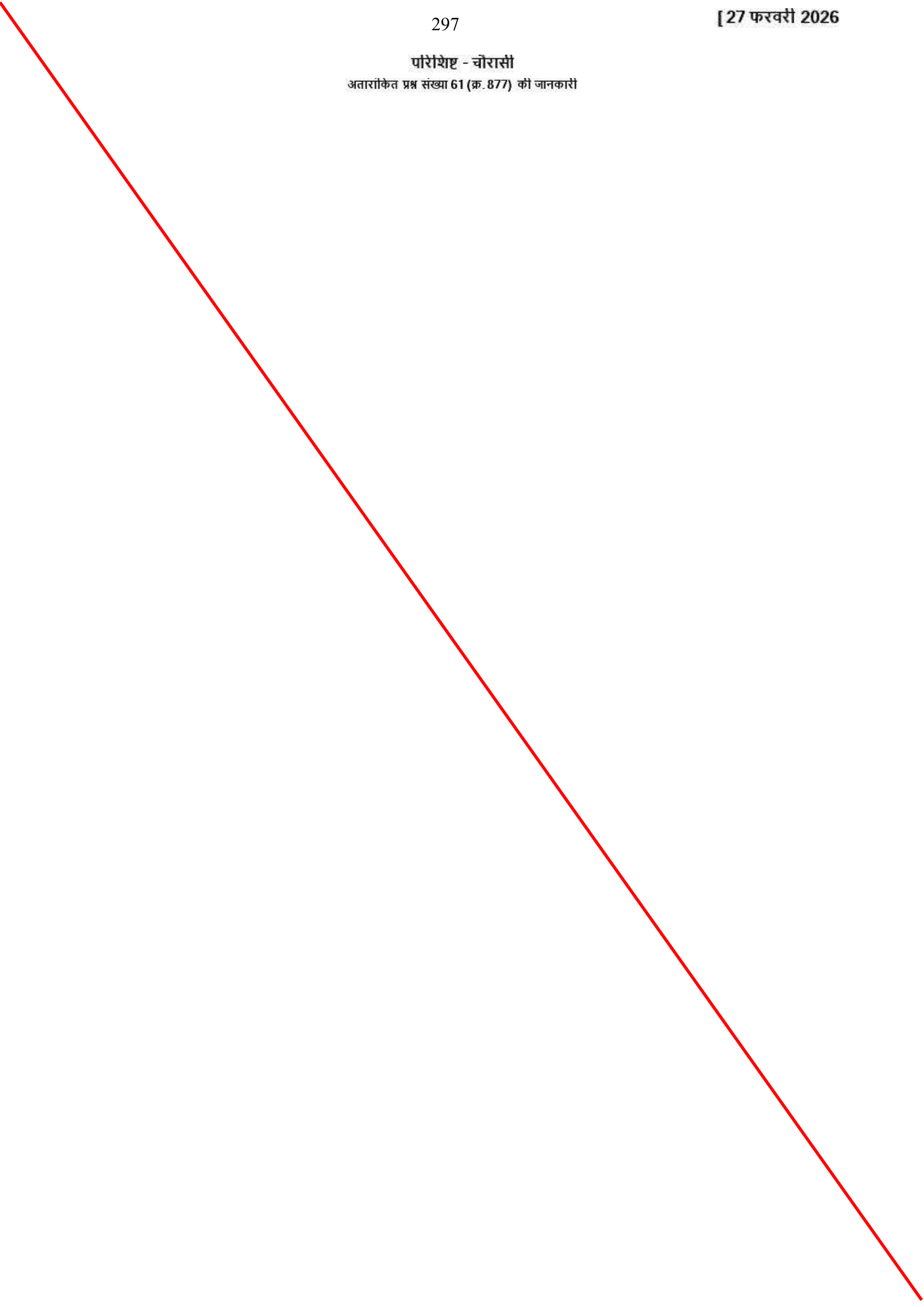
इकाई-वित्तीय लाख रु. में

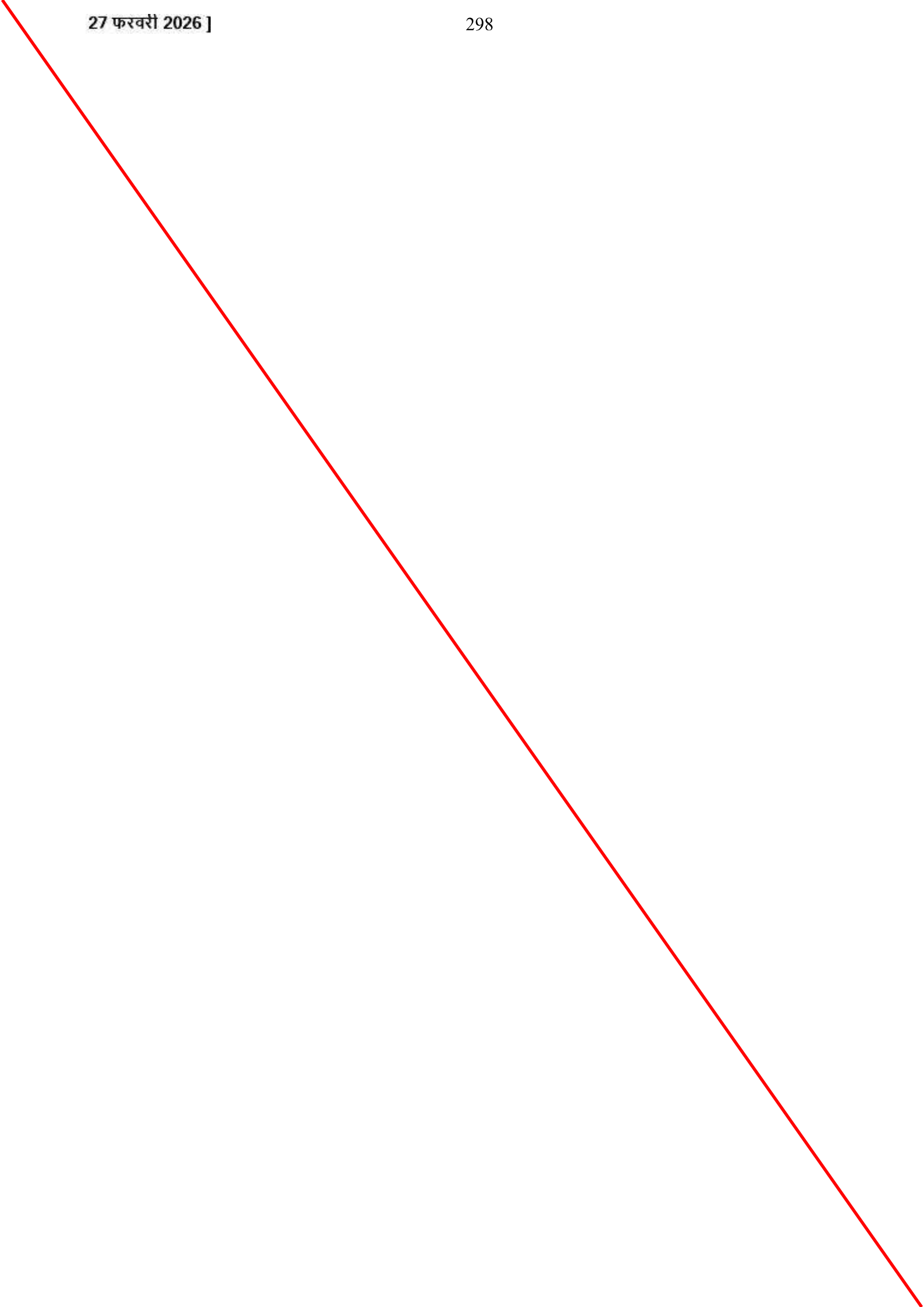
क्र.	योजना का नाम	वर्ष	प्राप्त आबंटन				व्यय पूर्ति			
			सामान्य	अ.ज.जा	अ.जा.	योग	सामान्य	अ.ज.जा	अ.जा.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जैविक खेती मिशन	2022-23	26.57	13.76	14.49	54.82	23.825	13.739	14.341	51.905
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00
3	परम्परागत कृषि विकास योजना		0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	2.62	0.00	2.62
4	स्वायल हेल्थ एण्ड फटिलिटी योजना		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग		41.57	16.49	14.49	72.55	38.825	16.36	14.341	69.526
1	जैविक खेती मिशन	2023-24	26.45	16.03	11.41	53.89	26.44	15.94	9.036	51.416
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		146.40	5.00	30.00	181.40	146.38	5.00	29.79	181.17
3	परम्परागत कृषि विकास योजना		55.57	4.58	14.11	74.27	40.50	4.00	6.86	51.36
4	स्वायल हेल्थ एण्ड फटिलिटी योजना		4.14	2.15	1.11	7.40	4.14	2.15	1.11	7.40
	योग		232.562	27.764	56.634	316.96	217.4589	27.08849	46.7964	291.3438
1	जैविक खेती मिशन	2024-25	34.37	14.57	7.92	56.86	34.124	14.51	6.817	55.451
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		256.13	0.00	7.03	263.16	205.12	0.00	7.03	212.15
3	परम्परागत कृषि विकास योजना		45.35	11.20	18.95	75.50	39.58	9.13	11.91	60.61
4	स्वायल हेल्थ एण्ड फटिलिटी योजना		19.71	9.02	6.05	34.78	19.25	6.53	2.40	28.17
	योग		355.56	34.79	39.95	430.30	298.07	30.16	28.15	356.39
1	जैविक खेती मिशन	2025-26 (दि. 15.02.2026 तक)	32.21	12.4	5.5	50.11	12.233	10.59	3.901	26.724
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		358.10	0.00	0.00	358.10	60.60	0.00	0.00	60.60
3	परम्परागत कृषि विकास योजना		2.75	4.00	8.00	14.75	1.37	0.57	7.48	9.42
4	स्वायल हेल्थ एण्ड फटिलिटी योजना		25.51	10.57	4.78	40.86	15.04	5.51	1.77	22.32
	योग		418.57	26.97	18.28	463.82	89.25	16.67	13.15	119.07
महासमुंद जिले में उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के अंतर्गत आबंटन एवं व्यय										
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	2023-24	83.11	78.23	28.56	189.90	82.61	78.23	28.56	189.40
2		2024-25	163.30	13.13	12.77	189.20	102.39	14.21	12.47	129.06
3		2025-26	48.60	23.39	10.50	82.49	28.20	18.00	4.20	50.40
	योग		295.01	114.75	51.83	461.60	213.20	110.44	45.23	368.86

Digitally signed by
Amit Kumar Singh
Date: 20-02-2026
14:56:29
अमित कुमार सिंह
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परोशेष्ट - चौरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 877) की जानकारी





पारोशेष्ट - पंचासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 (क्र. 878) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित एवं संचालित फेरो एलॉयज प्लांट्स का नाम एवं पता की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता
1	मेसर्स जैनम फेरो एलॉयज (इंडिया) लिमिटेड, प्लॉट नं. - 130-137, सेक्टर-सी, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर
2	मेसर्स सेटर्न फेरो एलॉयज लिमिटेड (यूनिट-1), प्लॉट नं. - 276-277, सेक्टर-सी, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर
3	मेसर्स सेटर्न फेरो एलॉयज लिमिटेड (यूनिट-2), प्लॉट नं. - 278-279, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर
4	मेसर्स हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड (यूनिट-1), प्लॉट नं. - 567/बी, 568, 553/बी, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला-रायपुर
5	मेसर्स हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड, यूनिट-2, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर
6	मेसर्स दीपक फेरो एलॉयज लिमिटेड, प्लॉट नं. - 201, 202, एवं 224-डी, सेक्टर-सी, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर
7	मेसर्स हीरा पॉवर एंड स्टील लिमिटेड (यूनिट-1), खसरा नं. - 557, 559, 563, 564, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर
8	मेसर्स हीरा पॉवर एंड स्टील लिमिटेड (यूनिट-2), प्लॉट नं. - 491/1, 492 एवं अन्य, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर
9	मेसर्स 3-डी इनोवेशन, प.ह.नं. - 101, खसरा नं. - 298/1, 299/2, ग्राम-उरला, जिला-रायपुर
10	मेसर्स आई.एम.आई. एब्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 'सी', औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर
11	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड, ग्राम-बोरझरा, उरला-गुमा रोड, जिला-रायपुर
12	मेसर्स एफआर इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. - 216, 217 एवं 218 (पार्ट) औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर
13	मेसर्स आस्था फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. - 114 से 122, सेक्टर-सी, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला - रायपुर
14	मेसर्स आलोक फेरो एलॉयज लिमिटेड, प्लॉट नं. - 458/1, 459, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला-रायपुर
15	मेसर्स रेफ्राक्टोस्ट मेटालर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 23, इण्डस्ट्रियल एरिया भनपुरी, पोस्ट ऑफिस-बीरगांव, जिला-रायपुर
16	मेसर्स रेफ्राक्टोस्ट मेटालर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2), इण्डस्ट्रियल एरिया भनपुरी, रायपुर, जिला-रायपुर

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारोक्ष - छियासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 882) की जानकारी

प्रपत्र

दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर, के शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों की जानकारी।

क	पद का नाम	संख्या	आर्हता	दिनांक		भर्ती प्रक्रिया
				भरे पद	रिक्त	
शैक्षणिक पद						
1.	अधिष्ठाता	1	संबंधित विषय में पीएच.डी. (Ph.D.) की उपाधि। संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों सहित स्नातकोत्तर (Master's Degree) उपाधि। संबंधित विषय में स्नातक (Bachelor's Degree) उपाधि। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में संबंधित विषय/क्षेत्र में प्रोफेसर के पद पर अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार कार्य का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव।	—	17.01.2020	विश्वविद्यालय के नियमानुसार तथा शासन से अनुमति उपरांत सिद्धी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, तत्पश्चात् आवेदकों के शैक्षणिक योग्यता तथा साक्षात्कार के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है।
2.	प्राध्यापक		संबंधित विषय में पीएच.डी. (Ph.D.) की उपाधि।			
	दुग्ध रसायन विभाग	1	(Ph.D.) की उपाधि।	—	31.12.2022	
	दुग्ध सूक्ष्म जीवाणु विभाग	1	संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों सहित स्नातकोत्तर (Master's Degree) उपाधि।	28.05.2005	—	
	दुग्ध प्रौद्योगिकी विभाग	1	संबंधित विषय में स्नातक (Bachelor's Degree) उपाधि।	03.08.2004	—	
	दुग्ध अभियांत्रिकी विभाग	1	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में संबंधित विषय/क्षेत्र में अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार कार्य का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 02 वर्ष का अनुभव एसोसिएट प्रोफेसर (Associate Professor) अथवा समकक्ष पद से निम्न न होने वाले पद पर कार्यरत रहते हुए प्राप्त किया गया हो।	—	31.03.2024	
	खाद्य विज्ञान	1		—	16.08.2013	
	दुग्ध व्यवसाय प्रबंधन विभाग	1		—	16.08.2013	

क	पद का नाम	संख्या	आर्हता	दिनांक		भर्ती प्रक्रिया
				भरे पद	रिक्त पद	
3.	सह प्राध्यापक		संबंधित विषय में पीएच.डी. (Ph.D.) की उपाधि। संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों सहित संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (Master's Degree) उपाधि। संबंधित विषय में स्नातक (Bachelor's Degree) उपाधि। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) के पद पर न्यूनतम 08 वर्ष का कार्यभार।			विश्वविद्यालय के नियमानुसार तथा शासन से अनुमति उपरांत सिद्धी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, तत्पश्चात् आवेदकों के शैक्षणिक योग्यता तथा साक्षात्कार के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है।
	दुग्ध प्रौद्योगिकी	1		09.06.2008	—	
		1		—	14.07.2006	
	दुग्ध रसायन विभाग	1		13.02.2000	—	
	दुग्ध सुक्ष्म जीवाणु विभाग	1		27.05.2003	—	
	दुग्ध अभियांत्रिकी विभाग	1		—	21.01.2013	
	दुग्ध व्यवसाय प्रबंधन विभाग	1		—	16.08.2013	
	खाद्य विज्ञान	1		—	16.08.2013	
4.	सहायक प्राध्यापक		संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों सहित स्नातकोत्तर (Master's Degree) उपाधि। संबंधित विषय में स्नातक (Bachelor's Degree) उपाधि। संबंधित विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण, साथ ही न्यूनतम एक शोध प्रकाशन (Publication) अनिवार्य। यदि आप चाहें तो इसे विज्ञापन / भर्ती नियम की भाषा में और अधिक विधिवत रूप में भी तैयार किया जा सकता है।			
	दुग्ध रसायन विभाग	1		25.07.2012	—	
		1		—	13.02.2000	
	दुग्ध अभियांत्रिकी	1		25.10.2007	—	
		1		29.01.2008	—	
		1		—	03.08.2004	
	दुग्ध सुक्ष्म जीवाणु विभाग	1		01.10.2012	—	
		1		—	27.05.2003	
	खाद्य विज्ञान	1		10.02.2015	—	
		1		02.11.2022	—	
	दुग्ध व्यवसाय प्रबंधन विभाग	1		—	14.08.2015	
		1		—	14.04.2017	
	दुग्ध प्रौद्योगिकी विभाग	1		27.05.1994	—	
		1		—	03.08.2004	
		1		—	19.03.2021	
5.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	संबंधित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर (Master's Degree) उपाधि।	—	14.07.2006	

गैर शैक्षणिक पद

क.	पद का नाम	संख्या	आर्हता	दिनांक		भर्ती प्रक्रिया
				भरे पद	रिक्त पद	
6.	प्रबंधक	1	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से बी.टेक. (डेयरी टेक्नोलॉजी) अथवा बी.एस.सी. (डेयरी टेक्नोलॉजी) की उपाधि। वांछनीय - दुग्ध संयंत्र में दो वर्षों का कार्य अनुभव।	30.10.2014	—	वि.वि. के नियमानुसार तथा शासन से अनुमति उपरांत सिधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, तत्पश्चात् आवेदको के शैक्षणिक योग्यता तथा कौशल परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है।
7.	मैकेनिक-1	1	1. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था अथवा आई.टी.आई. से इलेक्ट्रिकल अथवा तार मिस्त्री का प्रमाण पत्र। 2. किसी शासकीय/अर्धशासकीय वि.वि. अथवा स्वायत्ताशासी संस्था से 2 वर्षों का विद्युत संबंध कार्यानुभव।	—	02.06.1987	
8.	सहायक ग्रेड -1	1	1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त वि.वि. से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। 2. डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षिय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा 3. कम्प्युटर में हिन्दी टाईपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)	14.07.2022	—	
9.	स्टोनो ग्राफर ग्रेड-3	1	1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त वि.वि. से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। 2. हिन्दी शिघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। 3. डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षिय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एंट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	—	14.07.2006	

क्र.	पद का नाम	संख्या	आर्हता	दिनांक		भर्ती प्रक्रिया
				भरे पद	रिक्त पद	
10.	स्टोर क्लर्क/सहायक ग्रेड-2	1	1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा	30.06.2021	—	वि.वि. के नियमानुसार तथा शासन से अनुमति उपरांत सिधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, तत्पश्चात् आवेदकों के शैक्षणिक योग्यता तथा कौशल परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है।
		1	पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त वि.वि से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण। 2. डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)	—	21.03.2023	
11.	सहायक ग्रेड-3	1	1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा	26.06.2023	—	
		1	पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त वि.वि से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण।	—	30.06.2021	
		1	2. डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा	—	31.03.2023	
		1	3 कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)	—	14.07.2006	
12.	डेयरी केमिस्ट	1	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से बी.टेक. अथवा बी.एस. सी. (डेयरी टेक्नॉलाजी) की उपाधि।	30.10.2014	—	
13.	बायलर तकनीशियन सह चालक/रेफ्रिजरेशन तकनीकी सह चालक/प्लांट ऑपरेटर	1	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा बारहवी परीक्षा उत्तीर्ण या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा गणित, विज्ञान विषय में उत्तीर्ण।	30.10.2014	—	
		1	2. संबंधित विषय में शासकिय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से आई.टी.आई उत्तीर्ण। 3. संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का कार्यानुभव।	—	13.08.2013	

क्र.	पद का नाम	संख्या	आर्हता	दिनांक		भर्ती प्रक्रिया
				भरे पद	रिक्त पद	
14.	वाहन चालक	1	1.माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण। 2.हल्के/भारी वाहन चलाने का लाईसेंस।	04.03.2014	—	वि.वि. के नियमानुसार तथा शासन से अनुमति उपरांत सिधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, तत्पश्चात् आवेदकों के शैक्षणिक योग्यता तथा कौशल परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है।
		1	3.किसी शासकिय/अर्धशासकिय/ वि. वि. अथवा स्वायत्तशासी संस्था में जीप, कार आदि वाहन चलाने का 02 वर्ष का अनुभव।	—	31.10.2019	
15.	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	1.किसी मान्यता प्राप्त वि.वि से एम.एस. सी. अथवा बी.एस.सी.	15.06.2015	—	वि.वि. के नियमानुसार।
		1	माइक्रोबायोलॉजी/ बायोटेक्नोलॉजी अथवा शासकिय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स, अथवा बी.टेक (डेयरी टेक्नोलॉजी) अथवा क्लिनिकल पैथालॉजी/ क्लिनिकल बायोकैमिस्ट्री में तकनीकी डिप्लोमा /एक्वाकल्बर में डिप्लोमा /पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु चिकित्सा में डिप्लोमा उत्तीर्ण।	15.06.2015	—	
		1		—	30.06.2025	
		1		—	14.11.2016	
		1		—	14.11.2016	
		1		—	14.11.2016	
		1		—	14.11.2016	
		1		23.01.2006	—	
16.	प्रयोगशाला परिचारक	1	1.किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी विज्ञान समूह में उत्तीर्ण।	—	30.06.2025	वि.वि. के नियमानुसार।
		1		—	30.06.2024	
		1		—	31.05.2024	
		1		—	30.04.2021	
		1		—	31.07.2017	
		1		—	31.08.2017	
		1		—	07.04.2021	

क.	पद का नाम	संख्या	आर्हता	दिनांक		भर्ती प्रक्रिया
				भरे पद	रिक्त पद	
17.	छात्रावास परिचारक	1	1.मान्यता प्राप्त मंडल से पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण।	—	31.05.2020	वि.वि. के नियमानुसार।
18.	भृत्य	1	2.किसी शासकिय/अर्धशासकिय/वि.वि. अथवा स्वयत्तशासी संस्था/पशु प्रक्षेत्रों में अथवा वि.वि. के विभाग में 5 वर्षों का कार्य अनुभव।	05.06.2014	—	
		1		05.02.2016	—	
		1		06.09.2021	—	
		1		—	30.11.2017	
19.	फर्रारी	1		06.10.2008	—	
		1		06.10.2008	—	
		1		08.09.2008	—	
		1		05.09.2008	—	
		1		15.03.2022	—	
		1		27.09.2021	—	
		1		12.06.2019	—	
		1		21.12.2020	—	
		1		—	31.05.2025	
		1		—	31.12.2023	


 (डॉ. मौसम मेहरा)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 पशुधन विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र-अ

प्रबंधकीय अनुबंध पर दी गई इकाईयों के अनुबंध अनुसार प्रमुख शर्तें

01. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की इकाईयों को 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंधकीय अनुबंध धारक को संचालन हेतु सौंपा गया है साथ ही परफामेन्स के आधार पर अगले 10 वर्षों हेतु अवधि में वृद्धि की जावेगी।
02. प्रबंधकीय अनुबंध धारक से सुरक्षा निधि के रूप में 5 प्रतिशत राशि डी.डी डिमान्ड ड्राफ्ट एवं 95 प्रतिशत राशि एफडीआर के रूप में जमा किया गया है।
03. प्रबंधकीय अनुबंध धारक को अनुबंध होने के पश्चात 30 दिवस के भीतर इकाई का हस्तांतरण प्राप्त करना होगा।
04. प्रबंधकीय अनुबंध धारक को टूरिज्म बोर्ड के द्वारा संचालित इकाई का हस्तांतरण प्राप्त करने के पश्चात 02 माह में संचालन प्रारंभ एवं असंचालित इकाई को 06 माह की अवधि में संचालन प्रारंभ करना होगा।
05. अनुबंध धारक को वार्षिक अनुबंध राशि का भुगतान 02 छिमाही में अग्रिम के रूप में करना होगा।
06. वार्षिक अनुबंध राशि में प्रति 02 वर्षों में 05 प्रतिशत की दर से राशि (Compounded) की वृद्धि होगी।
07. प्रबंधकीय अनुबंध धारक को देय राशि में 30 दिवस से अधिक विलम्ब भुगतान करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
08. किसी भी प्रकार से इकाई के स्थायी निर्माण में Modification किये जाने के पूर्व छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी।
09. प्रबंधकीय अनुबंध धारक को समस्त कर (पंचायत/नगरपालिका एवं अन्य) एवं दायित्वों (विद्युत/पानी/अन्य देयक) का भुगतान करना होगा।
10. प्रबंधकीय अनुबंध धारक को उक्त इकाई का संचालन स्वयं करना होगा किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
11. प्रबंधकीय अनुबंध धारक को जिस स्थिति में इकाई सौंपी गयी है उसी स्थिति में पुनः छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को वापिस सौंपना होगा।
12. उक्त अनुबंध को निरस्त करने हेतु दोनों पक्षों को कम से कम 90 दिनों की पूर्व सूचना देनी होगी।

प्रपत्र-ब

विगत तीन वर्षों में किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि लेकर निजी या अन्य को प्रदान किया गया है, जिसके अनुसार वर्षवार, राशिवार, कार्यवार जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष 2023		वर्ष 2024		वर्ष 2025		
राशि	कार्य का विवरण	राशि	कार्य का विवरण	राशि	कार्य का विवरण	
113006	CORPORATE EVENT	182087	MARRIAGE	166827	MARRIAGE	
206080	CORPORATE EVENT	227480	MARRIAGE	576000	MARRIAGE	
425000	MARRIAGE	136500	MARRIAGE	535000	MARRIAGE	
423500	MARRIAGE	525000	MARRIAGE	546000	MARRIAGE	
441000	MARRIAGE	523095	MARRIAGE	319826	MARRIAGE	
335000	MARRIAGE	161926	CORPORATE EVENT	269315	MARRIAGE	
203000	MARRIAGE	583500	MARRIAGE	269039	MARRIAGE	
147000	MARRIAGE	125690	CORPORATE EVENT	601567	MARRIAGE	
258000	MARRIAGE	350000	MARRIAGE	566000	MARRIAGE	
279200	CORPORATE EVENT	222379	CORPORATE EVENT	570000	MARRIAGE	
107500	MARRIAGE	220000	CORPORATE EVENT	325000	CORPORATE EVENT	
338573	CORPORATE EVENT	345800	CORPORATE EVENT	210560	CORPORATE EVENT	
613698	MARRIAGE	200000	CORPORATE EVENT	249291	CORPORATE EVENT	
328000	CORPORATE EVENT	200000	MARRIAGE	378000	MARRIAGE	
261000	MARRIAGE	618561	MARRIAGE	689319	CORPORATE EVENT	
201000	MARRIAGE	233415	CORPORATE EVENT	470822	CORPORATE EVENT	
471100	MARRIAGE	283500	MARRIAGE	330523	CORPORATE EVENT	
487600	CORPORATE EVENT	256455	CORPORATE EVENT	223030	CORPORATE EVENT	
200000	MARRIAGE	445100	JAL JAGAR EVENT	323742	CORPORATE EVENT	
		398900	JAL JAGAR EVENT	232000	CORPORATE EVENT	
		545000	MARRIAGE	178500	CORPORATE EVENT	
		521000	MARRIAGE	168000	CORPORATE EVENT	
		515000	MARRIAGE	179500	CORPORATE EVENT	
		260000	MARRIAGE	323555	CORPORATE EVENT	
		515000	MARRIAGE	268000	CORPORATE EVENT	
		551000	MARRIAGE	208000	CORPORATE EVENT	
		201000	MARRIAGE	342300	CORPORATE EVENT	
		575000	MARRIAGE	781210	CORPORATE EVENT	
				164500	CORPORATE EVENT	
				247198	MARRIAGE	
				190716	MARRIAGE	
				202284	MARRIAGE	
58,39,257		99,22,388		1,11,05,624		

प्रपत्र

प्रबंधकीय अनुबंध पर दी गई इकाईयों के अनुबंध अनुसार प्रमुख शर्तें

01. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की इकाईयों को 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंधकीय अनुबंध धारक को संचालन हेतु सौंपा गया है साथ ही परफामेन्स के आधार पर अगले 10 वर्षों हेतु अवधि में वृद्धि की जावेगी।
02. प्रबंधकीय अनुबंध धारक से सुरक्षा निधि के रूप में 5 प्रतिशत राशि डी.डी डिमान्ड ड्राफ्ट एवं 95 प्रतिशत राशि एफडीआर के रूप में जमा किया गया है।
03. प्रबंधकीय अनुबंध धारक को अनुबंध होने के पश्चात 30 दिवस के भीतर इकाई का हस्तांतरण प्राप्त करना होगा।
04. प्रबंधकीय अनुबंध धारक को टूरिज्म बोर्ड के द्वारा संचालित इकाई का हस्तांतरण प्राप्त करने के पश्चात 02 माह में संचालन प्रारंभ एवं असंचालित इकाई को 06 माह की अवधि में संचालन प्रारंभ करना होगा।
05. अनुबंध धारक को वार्षिक अनुबंध राशि का भुगतान 02 छिमाही में अग्रिम के रूप में करना होगा।
06. वार्षिक अनुबंध राशि में प्रति 02 वर्षों में 05 प्रतिशत की दर से राशि (Compounded) की वृद्धि होगी।
07. प्रबंधकीय अनुबंध धारक को देय राशि में 30 दिवस से अधिक विलम्ब भुगतान करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
08. किसी भी प्रकार से इकाई के स्थायी निर्माण में Modification किये जाने के पूर्व छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी।
09. प्रबंधकीय अनुबंध धारक को समस्त कर (पंचायत/नगरपालिका एवं अन्य) एवं दायित्वों (विद्युत/पानी/अन्य देयक) का भुगतान करना होगा।
10. प्रबंधकीय अनुबंध धारक को उक्त इकाई का संचालन स्वयं करना होगा किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
11. प्रबंधकीय अनुबंध धारक को जिस स्थिति में इकाई सौंपी गयी है उसी स्थिति में पुनः छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को वापिस सौंपना होगा।
12. उक्त अनुबंध को निरस्त करने हेतु दोनों पक्षों को कम से कम 90 दिनों की पूर्व सूचना देनी होगी।

पारोशेष्ट - नवासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्र. 897) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

जिला- उत्तर बस्तर कांकर

क्र.	छात्रावास/आश्रम का नाम	विकासखण्ड
1	2	3
1	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास भेजा	भानुप्रतापपुर
2	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोदापाखा	दुर्गकोन्दल
3	नवीन प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास दुर्गकोन्दल	दुर्गकोन्दल
4	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लोहतर	दुर्गकोन्दल
5	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास चारामा	चारामा
6	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुरुटोला	चारामा
7	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास साल्हे	भानुप्रतापपुर
8	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तुड़गे	भानुप्रतापपुर
9	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास हिंगनपुरी	दुर्गकोन्दल
10	आदिवासी बालक आश्रम धनेली	भानुप्रतापपुर
11	आदिवासी बालक आश्रम घोटा	भानुप्रतापपुर

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र-“ब”

जिला- उत्तर बस्तर कांकेर

क्र.	छात्रावास/आश्रम का नाम	विकासखण्ड	कार्य योजना
1	2	3	4
1	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास भेजा	भानुप्रतापपुर	धरती आवा योजना अंतर्गत स्वीकृत
2	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कोदापाखा	दुर्गकोन्दल	धरती आवा योजना अंतर्गत स्वीकृत
3	नवीन प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास दुर्गकोन्दल	दुर्गकोन्दल	धरती आवा योजना अंतर्गत स्वीकृत
4	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास लोहत्तर	दुर्गकोन्दल	धरती आवा योजना अंतर्गत स्वीकृत
5	पो.मै. आदिवासी बालक छात्रावास चारामा	चारामा	वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में शामिल करने हेतु प्रेषित किया गया है।
6	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास कुरुटोला	चारामा	वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में शामिल करने हेतु प्रेषित किया गया है।
7	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास साल्हे	भानुप्रतापपुर	वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में शामिल करने हेतु प्रेषित किया गया है।
8	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास तुड़गे	भानुप्रतापपुर	वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में शामिल करने हेतु प्रेषित किया गया है।
9	प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास हिंगनपुरी	दुर्गकोन्दल	वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में शामिल करने हेतु प्रेषित किया गया है।
10	आदिवासी बालक आश्रम धनेली	भानुप्रतापपुर	वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में शामिल करने हेतु प्रेषित किया गया है।
11	आदिवासी बालक आश्रम घोटा	भानुप्रतापपुर	वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में शामिल करने हेतु प्रेषित किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महात्मा जवाहर लाल नेहरू
नया रायपुर

परोपेष्ट - नब्बे

अतारांकित प्रश्न संख्या 71 (क्र. 901) की जानकारी

प्रपत्र अ**विभाग द्वारा संचालित योजनाएं**

संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय में संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

स.क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	योजनान्तर्गत कार्य का विवरण
1.	2685	प्रकाशन खंड	स्मारिका तथा पाण्डुलिपि प्रकाशन
2.	3481	मॉडलिंग खंड	प्राचीन शिल्प-स्थापत्य की प्रतिकृति निर्माण, प्रशिक्षण
3.	0758	कन्सर्वेशन सेल	सांस्कृतिक मूर्त धरोहरों का अनुरक्षण एवं विकास
4.	2832	फोटोग्राफी सेल	प्राचीन स्मारकों, पुरास्थलों, विभागीय आयोजनों का छायांकन एवं संधारण
5.	4267	शोध-संगोष्ठी	कार्यशाला, संगोष्ठी, व्याख्या, चित्र-प्रदर्शनी का आयोजन
6.	0598	उत्खनन तथा सर्वेक्षण	प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का सर्वेक्षण एवं उत्खनन
7.	3675	राज्य पुरालेख संचालनालय	ऐतिहासिक महत्त्व के अभिलेखों/दस्तावेजों का संरक्षण, डिजिटलीकरण, संग्रहण, संधारण
8.	4513	सार्वजनिक पुस्तकालय	महंत सर्वेश्वर दास ग्रंथालय रायपुर का सञ्चालन
10.	7760	सिरपुर का सांस्कृतिक विकास	सिरपुर का सांस्कृतिक विकास कार्य
11.	5377	मुक्ताकाश संग्रहालय	पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय उपरवारा (नवा रायपुर) में प्रदर्श निर्माण, संधारण एवं परिसर उन्नयन कार्य
12.	7981	संग्रहालय भवन निर्माण	पूँजीगत परिव्यय हेतु संग्रहालय भवन निर्माण
14.	6662	मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना	राज्य के विद्यालयों, महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के शैक्षणिक भ्रमण हेतु अनुदान एवं धरोहर मित्रों का नियोजन
15.	6663	मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना	राज्य के स्कूलों, महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों और सरकारी कार्यालयों में आने वाली जनता को सांस्कृतिक विरासत के संबंध में जागरूक करने 'विरासत-झरोखा' (Heritage Window) का संस्थापन
16.	6361	रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान की स्थापना	रायपुर बूढापारा में स्वामी विवेकानंद के प्रवासकाल को चिरस्थायी करने उनकी स्मृति में संस्थान की स्थापना

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.प.)

संचालनालय, संस्कृति एवं राजभाषा में संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

1. अर्थाभावग्रस्त साहित्यकार/कलाकार मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) : छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो। ऐसा व्यक्ति, जिसका कला एवं साहित्य के प्रति योगदान उल्लेखनीय हो अथवा ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उनकी विधवा पत्नी, नाबालिग बच्चे तथा विशेष परिस्थितियों में आश्रित वृद्ध माता-पिता, नाबालिग भाई-बहन वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। प्रत्येक पात्र पेंशनग्रहिताओं को प्रतिमाह राशि रु. 5000/- मात्र दिये जाने का प्रावधान है।
2. कलाकार कल्याण कोष (चिकित्सा अनुदान) : साहित्यकारों/कलाकारों अथवा उनके परिवार के सदस्यों की लंबी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु अथवा दैवीय विपत्ति की स्थिति में आर्थिक सहायता चिकित्सा लाभ के लिए अधिकतम राशि रु. 50,000/- एवं निधन होने पर 1.00 लाख दिये जाने का प्रावधान है।
3. मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना : विविध लोक कलाओं नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी भाषा में लेखन तथा अन्य शिल्पकला के लिए कार्यशील कलाकारों और लेखकों के संरक्षण, संवर्धन एवं समिति के सतत विकास हेतु प्रोत्साहन प्रकार के अनुरूप वार्षिक राशि रु. 12000/- से राशि रु. 24000/- मात्र दिये जाने का प्रावधान है।
4. अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों/छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना : प्रशिक्षण संस्था/गुरुशिष्य परंपरा हेतु 5000/-, स्कूल शिक्षा हेतु 8000/- एवं उच्च शिक्षा हेतु 10000/- मात्र मासिक छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।
5. कला विधिका हेतु आर्थिक अनुदान : कला संस्कृति पर आधारित विविध प्रदर्शनी एवं कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हेतु प्रस्ताव अनुसार निजी संस्थाओं को आर्थिक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
6. संगीत की दुर्लभ शैलियों व वाद्यों हेतु आर्थिक सहायता : छ.ग. लोक कला संगीत अकादमी एवं लोकगीतों व लोक नृत्यों का संरक्षण एवं संगीत की दुर्लभ शैलियों व वाद्यों हेतु अशासकीय संस्थाओं/लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र के लिए प्राप्त बजट के अनुरूप आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
7. अशासकीय संस्थाओं हेतु वैयक्तिक अनुदान : आदिवासी एवं लोक कला अकादमी, कला अकादमी के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यशाला, प्रदर्शनी, कला संस्कृति के प्रचार-प्रसार, कलाकारों को कार्यक्रम में समान अवसर एवं मंच प्रदान करने तथा आयोजन हेतु वैयक्तिक आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
8. विभिन्न अशासकीय निजी संस्थाओं हेतु आर्थिक अनुदान : राज्य के कलाकार दलों/कलाकारों को प्रोत्साहित करना, प्रदर्शन हेतु समान अवसर एवं मंच प्रदान करना हेतु राज्य की ऐसी समस्त कला एवं सांस्कृतिक अशासकीय संस्थाएं जो सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) के अधीन पंजीकृत हैं तथा कम से कम तीन वर्षों से कला एवं संस्कृति के विकास, संवर्धन में सक्रिय हैं तथा अपंजीकृत कला दल जो कम से कम तीन वर्षों से गांवों/कस्बों/ग्रामीण इलाकों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शनों से लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। ऐसे अशासकीय निजी संस्थाओं को सांस्कृतिक आयोजन हेतु आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
9. जिला प्रशासन को बजट आबंटन : सांस्कृतिक आयोजनों/उत्सव/महोत्सव, मेला-मंडई, आजादी की 75वीं वर्षगांठ "अमृत महोत्सव" तथा राज्य की कला एवं सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल के रामायण मंडलियों, कार्यशील कलाकारों के कला संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत विकास हेतु सांस्कृतिक पंचांग तथा प्रस्ताव के अनुरूप सांस्कृतिक आयोजन के लिए बजट आबंटन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।


अनुभाग अधिकारी
 संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
 महानदी भवन, अटल नगर,
 जिला-रायपुर (छ.ग.)

10. विवेकानन्द प्रबुद्ध विश्व संस्थान : विभिन्न जिला मुख्यालयों में संगोष्ठी, निबंध प्रतियोगिता, नाट्य मंचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विवेकानंद जी के जीवन-दर्शन पर आधारित चलचित्र प्रदर्शनी, व्याख्यान-माला, नृत्य-नाटिका के आयोजन हेतु अशासकीय संस्थाओं को आर्थिक अनुदान एवं जिला प्रशासन को बजट आबंटन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
11. चिन्हारी पोर्टल : विधावार लोक कलाकारों की सूची तैयार करने एवं चिन्हारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन की सुविधा हेतु विभागीय वेबसाइट [www.cgculture.in/ chinhari portal](http://www.cgculture.in/chinhariportal) उपलब्ध कराया गया है।
12. छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम – छत्तीसगढ़ राज्य के कलाकारों का पंजीयन एवं कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु श्रेणी निर्धारण, प्रोत्साहन एवं समान अवसर प्रदान करने, प्रक्रिया को मानक तथा पारदर्शी बनाये जाने एवं सांस्कृतिक पंचांग के अनुरूप सांस्कृतिक आयोजन में अवसर प्रदान करने हेतु “छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम” दिनांक 17 सितम्बर 2021 को राजपत्र में प्रकाशन उपरांत छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों की ग्रेडेशन मापदण्ड के अनुसार मंचीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अवसर प्रदान किये जाने का प्रावधान रखा गया है।
13. राज्य अलंकरण : राज्योत्सव के अवसर पर राज्य अलंकरण सम्मान/पुरस्कार से निम्नांकित कार्य क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना हेतु चयनित सम्मानग्रहिताओं को राज्य अलंकरण से विभूषित किये जाने का प्रावधान है।
 - (1) पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान-हिन्दी साहित्य।
 - (2) दाऊ मंदराजी सम्मान-लोक नाट्य एवं लोक शिल्प।
 - (3) चक्रधर सम्मान-शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य।
 - (4) छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान-देश के बाहर अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण, साहित्य, मानव संसाधन, निकाय अथवा आर्थिक।
 - (5) किशोर साहू सम्मान-हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा लेखन।
 - (6) किशोर साहू राष्ट्रीय सम्मान-हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन।
 - (7) देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार/सम्मान-लोक नृत्य।
 - (8) देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार/सम्मान-पंथी नृत्य।
 - (9) लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार/सम्मान-आंचलिक साहित्य/लोक कविता।
 - (10) लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान-छत्तीसगढ़ी लोकगीत।
 - (11) खुमान साव सम्मान-छत्तीसगढ़ी लोक संगीत।
 - (12) हबीब तनवीर सम्मान-समकालीन रंगकर्म (छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/अन्य भाषा नाटक)।


 अनुभाग अधिकारी
 संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
 महानदी भवन, अटल नगर,
 जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय ग्राम पंचायत गढ़धनोरा

प्रपत्र ब

सरपंच
रूपसिंह कचलाम
ग्राम पंचायत गढ़धनोरा
जनपद पंचायत केशकाल
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)



नियाम
ग्राम - गढ़ धनोरा
तहसील - केशकाल
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)
मो. 9755249568



महोदय जी,

दिनांक 08/10/2025

(संस्कृत अधिकारी)

निदेशक,
संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय,
एम.जी.एम. संग्रहालय, सिविल लाईन्स,
रायपुर (छ.ग.), - 492001

विषय :-

ग्राम गोबराहीन पुरातात्विक शिवलिंग परिसर के पास रोड निर्माण कार्य बनाये जाने हेतु अनुमति प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :-

- (1) सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 3-4/वजट/सात-3/2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.12.2024।
- (2) कार्यालय कलेक्टर, जिला कोण्डागांव का आदेश क्रमांक 1193/राजस्व/53/2024 कोण्डागांव दिनांक 07.05.2025।
- (3) कार्यालय ग्राम पंचायत गढ़धनोरा का पत्र दिनांक 11.09.2025।
- (4) Office of senior Conservation Assistant Archaeological Survey of India Jagdalpur Sub Circle का पत्र दिनांक 29.09.2025।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दार्शनिक रथल शिवलिंग प्रांगण में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु ग्राम पंचायत गढ़ धनोरा, जनपद पंचायत केशकाल, जिला कोण्डागांव में ग्राम गोबराहीन पुरातात्विक शिवलिंग परिसर के पास रोड निर्माण कार्य हेतु सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि से रोड निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है जिसका निर्माण कार्य किया जाना है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि रोड निर्माण कार्य हेतु अनुमति प्रदाय करने की कृपा करेंगे।

सादर!

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला कोण्डागांव (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जगदलपुर उपमण्डल, जिला जगदलपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

ग्राम पंचायत गढ़धनोरा
जनपद पंचायत केशकाल

ग्राम पंचायत गढ़धनोरा
जनपद पंचायत केशकाल

अनुष्ठाप अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय
महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, घड़ी चौक के पास, सिविल लाइन,
रायपुर-492001, छत्तीसगढ़

E-mail: deptt.culture@gmail.com, deptt.culture@yahoo.co.in Website: www.cgculture.in
Phone No. : 0771 - 2537404, Tele-Fax : 0771- 2234731

क्रमांक 2152/पु.अभि.संग्र./संर./2026

रायपुर दिनांक 11/2/2026

प्रति,

सरपंच,
श्री रूपसिंह कचलग
ग्राम पंचायत गढ़घनोरा
जनपद पंचायत केशकल,
जिला कौण्डागांव (छत्तीसगढ़)।

विषय: केन्द्र संरक्षित स्मारक Brick Mound (गोबरहीन पुरातात्विक शिवलिंग) परिसर के पास शेड निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अनुमति के संबंध में।

उपरोक्त विषयगत केन्द्रीय संरक्षित स्मारक गोबरहीन पुरातात्विक शिवलिंग परिसर जिला गढ़घनोरा, छत्तीसगढ़ के विनियमित क्षेत्र में शेड निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र के तारतम्य में प्रस्तुत आवेदन ज्ञायमान स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष (दिरासत उपविधियों और राक्षस प्रक्रियाओं के अन्य कृत्यों की विरचित करना) नियमा 2011 के उपनियम 5 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण है। (उक्त नियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेब साईट asi.nic.in पर उपलब्ध है)

अतएव उल्लेखित नियमानुसार आवश्यक अभिप्रमाणित दस्तावेज सहित प्रारूप-1 में आवेदन पांच प्रतियों में एवं प्रस्तावित निर्माण स्थल संबंधी कोई कानूनी विवाद नहीं होने का शपथ-पत्र (प्रारूप संलग्न) के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। पूर्ण जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में आगामी कार्य वाही किया जाना संभव नहीं है।

संचालक

पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय

रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर दिनांक

2026

क्रमांक /पु.अ.सं./संर./2026

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, कौण्डागांव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनाएं भेजित।
2. अधीक्षक पुरातत्ववेत्ता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर मण्डल, पूरबी, गोविंद सारंग व्यवसायिक परिसर (जयल जने) न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर की ओर सूचनाएं भेजित।

संचालक

पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय

रायपुर (छत्तीसगढ़)

अनुष्म अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

परीशेष - इनकपानवे
अतारांकित प्रश्न संख्या 72 (क्र. 902) की जानकारी

प्रपत्र-‘अ’

प्रश्नांक ‘क’ की जानकारी- स्तर संभागान्तर्गत संचालित शासकीय पशुधन विकास सम्बंधित केंद्रों की जानकारी-

क.	जिला	बस्तर	कांकर	दंतेवाड़ा	बीजापुर	सुकमा	नारायणपुर	कोंडागांव	योग
1	कुवकुट पालन प्रक्षेत्र	1	0	0	0	0	0	0	1
2	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र	1	0	0	0	0	0	0	1
3	पशु चिकित्सालय	12	16	8	7	6	5	7	61
4	पशु औषधालय	36	43	10	9	9	5	28	140
5	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	1	1	1	0	0	0	1	4
6	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	10	10	5	0	5	0	10	40
7	रोग अन्वेषण प्रयोगशाला	1	1	1	1	1	1	1	7
8	केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय	1	0	0	0	0	0	0	1
9	चल चिकित्सा इकाई	1	1	1	1	1	1	1	7
10	चल विरुजालय	1	0	0	0	0	0	0	1
11	मुख्य ग्राम खण्ड	0	1	0	0	0	0	0	1
12	मुख्य ग्राम इकाई	0	10	0	0	0	0	0	10
13	मोटर साइकिल यूनिट	0	7	0	0	0	0	0	7
	योग	65	90	26	18	22	12	48	281



(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र - ब

वर्तमान में बस्तर संभाग में संचालित योजनाओं की जानकारी-

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम
(अ) राज्य पोषित योजनाएँ	
1	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना।
2	अनुदान पर सूकरत्रयी इकाई वितरण योजना।
3	अनुदान पर नर बकरा वितरण योजना।
4	शतप्रतिशत अनुदान पर सांड़ वितरण योजना।
5	उन्नत मादा वत्स पालन योजना।
6	राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना।
7	छ.ग.राज्य कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना ।
8	राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना।
9	कृषक कौशल विकास योजना
10	दुधारू पशु प्रदाय- पायलेट प्रोजेक्ट
(ब) केन्द्रिय योजनाएँ	
1	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
2	लाईवस्टॉक हेल्थ एण्ड डिजीस कंट्रोल प्रोग्राम
3	नेशनल लाईवस्टॉक मिशन
4	नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट


 (डॉ. मौसम मेहरा)
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 पशुधन विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

प्रपत्र-‘स’

जिला कौडागांव में विगत 03 वर्षों में विभाग द्वारा संचालित व्यक्तिमूलक योजना एवं लाभार्थी की जानकारी

स. क	योजना का नाम	लाभार्थी विवरण						रिमार्क
		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		
		भौतिक लक्ष्य	लाभार्थी संख्या	भौतिक लक्ष्य	लाभार्थी संख्या	भौतिक लक्ष्य	लाभार्थी संख्या	
1	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना	517	517	517	517	825	825	वर्ष 2024-25 का वितरण शेष है।
2	उन्नत मादा वत्स पालन योजना	53	53	54	54	40	40	
3	शत प्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण योजना	8	8	8	8	11	11	
4	अनुदान पर सूकरत्रयी वितरण	48	48	51	51	50	50	
5	अनुदान पर नर बकरा वितरण	70	70	74	74	30	30	
6	राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना	72	72	46	46	42	42	
7	राज्य पोषित बकरी उद्यमिता विकास योजना	15	0	0	0	2	2	
8	छ.ग.राज्य कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना	0	0	3	0	0	0	
9	कृषक कौशल विकास योजना	75	75	75	75	75	75	
	योग	858	843	828	825	1075	1075	



(डॉ. मौसम मेहरा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पारोशेष्ट - बयानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 (क्र. 904) की जानकारी

प्रपत्र

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की जिलेवार/विधानसभा/विकाखण्डवार जानकारी

क्र०	स्वीकृत वर्ष	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत कार्य संख्या	आबंटित राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति					
								पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	अप्रारंभ कार्य	अपूर्ण स्थिति में बंद कार्य	विवाद/शिकायत के कारण अवरोध के जानकारी	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

जिला - कोण्डागांव

1	2022-23	कोण्डागांव	कोण्डागांव	कोण्डागांव	22	86.05	86.05	21	0	0	0	1	1 कार्य की राशि रुपये 10.00 लाख का बजट प्रा.प्र. जगदलपुर, बस्तर संभाग से अप्राप्त होने पर मंत्रालय, प्रा.प्र.नवा रायपुर से कार्य निरस्त।
			माकड़ी		17	73.15	73.15	17	0	0	0	0	
			कोण्डागांव	नारायणपुर	14	31.35	31.35	14	0	0	0	0	
			केशकाल	केशकाल	28	130.00	130.00	28	0	0	0	0	
			फरसगांव		30	135.75	135.75	30	0	0	0	0	
			बड़ेराजपुर		38	201.80	201.80	38	0	0	0	0	
योग :-					149	658.10	658.10	148	0	0	0	1	
2	2023-24	कोण्डागांव	कोण्डागांव	कोण्डागांव	15	68.90	46.80	10	5	0	0	0	
			माकड़ी		20	98.00	63.50	10	10	0	0	0	
			कोण्डागांव	नारायणपुर	10	44.00	32.00	6	4	0	0	0	
			केशकाल	केशकाल	50	248.50	248.50	50	0	0	0	0	
			फरसगांव		29	170.00	143.00	25	4	0	0	0	
			बड़ेराजपुर		23	154.00	144.58	22	1	0	0	0	
योग :-					147	783.40	678.38	123	24	0	0	0	
3	2024-25	कोण्डागांव	कोण्डागांव	कोण्डागांव	186	807.10	374.43	95	41	50	0	0	
			माकड़ी		155	546.40	246.42	75	79	1	0	0	
			कोण्डागांव	नारायणपुर	40	214.91	111.86	12	20	8	0	0	
			केशकाल	केशकाल	47	432.50	141.03	20	26	1	0	0	
			फरसगांव		44	227.00	112.27	16	28	0	0	0	
			बड़ेराजपुर		30	122.50	50.09	12	18	0	0	0	
योग :-					502	2350.41	1036.10	230	212	60	0	0	
4	2025-26 (दिनांक 31.01.2026 की स्थिति में)	कोण्डागांव	कोण्डागांव	कोण्डागांव	42	242.00	0.00	0	0	42	0	0	
			माकड़ी		50	306.10	0.00	0	0	50	0	0	
			कोण्डागांव	नारायणपुर	15	127.85	0.00	0	0	15	0	0	
			केशकाल	केशकाल	43	156.00	0.00	0	0	43	0	0	
			फरसगांव		30	112.50	0.00	0	0	30	0	0	
			बड़ेराजपुर		49	149.00	0.00	0	0	49	0	0	
योग :-					229	1093.45	0.00	0	0	229	0	0	

जिला - दन्तेवाड़ा

जिला दस्तावेज़													
1	2022-23	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	217	485.30	391.72	216	1	0	0	0	
			गीदम		367	824.30	733.27	367	0	0	0	0	
			कुआकोण्डा		224	486.00	384.3	176	48	0	0	0	
			कटेकल्याण		182	381.00	287.79	133	49	0	0	0	
योग :-					990	2176.6	1797.08	892	98	0	0	0	

योगाधिकारी
कविश्रुति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

क्र०	स्वीकृत वर्ष	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत कार्य संख्या	आबंटित राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति					
								पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	अप्रारंभ कार्य	अपूर्ण स्थिति में बंद कार्य	विवाद/शिकायत के कारण अवरुद्ध के जानकारी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2023-24	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	488	750.80	705.37	256	232	0	0	0	
			गीदम		229	577.17	577.17	189	20	20	0	0	
			कुआकोण्डा		181	450.90	450.90	164	17	0	0	0	
			कटेकल्याण		277	534.73	514.80	257	20	0	0	0	
योग:-					1175	2313.60	2248.24	866	289	20	0	0	
3	2024-25	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	31	257.34	61.06	22	9	0	0	0	
			गीदम		20	186.66	60.274	11	9	0	0	0	
			कुआकोण्डा		7	97.20	40.00	4	3	0	0	0	
			कटेकल्याण		0	0	0	0	0	0	0	0	
योग:-					58	541.20	161.33	37	21	0	0	0	
4	2025-26 (दिनांक 31.01.2026 की स्थिति में)	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	15	155.15	0	0	0	15	0	0	
			गीदम		11	144.98	0	0	0	11	0	0	
			कुआकोण्डा		2	39.98	0	0	0	2	0	0	
			कटेकल्याण		1	5.00	0	0	0	1	0	0	
योग:-					29	345.11	0	0	0	29	0	0	

जिला - सुकमा

1	2022-23	सुकमा	सुकमा	कोण्टा	40	118.15	116.2396	39	1	0	0	0	
			कोण्टा		27	89.20	89.20	27	0	0	0	0	
			छिंदगढ़		84	165.85	163.2904	84	0	0	0	0	
			छिंदगढ़	चित्रकोट	9	50.20	48.2372	9	0	0	0	0	
			छिंदगढ़	जगदलपुर	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
योग :-					160	423.40	416.9672	159	1	0	0	0	
2	2023-24	सुकमा	सुकमा	कोण्टा	12	75.50	74.6013	12	0	0	0	0	
			कोण्टा		7	41.00	33.34	5	2	0	0	0	
			छिंदगढ़		18	100.25	74.7410	14	4	0	0	0	
			छिंदगढ़	चित्रकोट	5	27.20	13.4160	2	3	0	0	0	
			छिंदगढ़	जगदलपुर	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
योग :-					42	243.95	196.0983	33	9	0	0	0	
3	2024-25	सुकमा	सुकमा	कोण्टा	13	117.50	72.23	8	5	0	0	0	
			कोण्टा		15	85.00	65.10	8	7	0	0	0	
			छिंदगढ़		3	18.00	17.762	3	0	0	0	0	
			छिंदगढ़	चित्रकोट	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
			छिंदगढ़	जगदलपुर	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
योग :-					31	220.50	155.092	19	12	0	0	0	
4	2025-26 (दिनांक 31.01.2026 की स्थिति में)	सुकमा	-	-	0	0.00	0	0	0	0	0	0	

जिला - कांकेर

1	2022-23	उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	कांकेर	12	56.90	45.67	12	0	0	0	0	
			नरहरपुर		18	91.15	90.70	18	0	0	0	0	
			भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	26	138.50	97.83	25	1	0	0	0	
			दुर्गूकोंदल		7	31.50	25.47	4	3	0	0	0	
			चारामा		24	136.90	136.39	24	0	0	0	0	
			कोयलीबेड़ा	अंतागढ़	14	68.95	61.88	14	0	0	0	0	
			अंतागढ़		12	52.00	30.89	8	4	0	0	0	
योग :-					113	575.90	488.83	105	8	0	0	0	

क्र०	स्वीकृत वर्ष	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत कार्य संख्या	आबंटित राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति					
								पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	अप्रारंभ कार्य	अपूर्ण स्थिति में बंद कार्य	विवाद/शिकायत के कारण अवरुद्ध के जानकारी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2023-24	उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	कांकेर	31	128.35	85.76	28	3	0	0	0	
			नरहरपुर		18	83.25	77.52	17	1	0	0	0	
			भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	14	62.75	51.63	12	2	0	0	0	
			दुर्गूकोदल		8	37.00	24.14	6	2	0	0	0	
			चारामा		20	92.26	73.26	19	1	0	0	0	
			अंतागढ़	अंतागढ़	27	135.75	84.50	16	9	2	0	0	
			कोयलीबेड़ा		6	30.00	32.47	3	3	0	0	0	
योग :-					124	569.36	429.28	101	21	2	0	0	
3	2024-25	उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	कांकेर	58	317.82	156.81	38	16	4	0	0	
			नरहरपुर		38	319.10	90.64	14	24	0	0	0	
			भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	7	64.96	16.66	3	4	0	0	0	
			दुर्गूकोदल		57	163.00	48.99	41	16	0	0	0	
			चारामा		21	172.00	101.55	7	14	0	0	0	
			अंतागढ़	अंतागढ़	37	204.25	41.50	1	35	1	0	0	
			कोयलीबेड़ा		52	229.75	76.50	34	16	2	0	0	
योग :-					270	1470.88	532.65	138	125	7	0	0	
4	2025-26 (दिनांक 31.01.2026 की स्थिति में)	उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	कांकेर	24	177.50	0.00	0	14	10	0	0	
			नरहरपुर		24	147.00	0.00	0	10	14	0	0	
			भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	5	17.00	0.00	0	0	5	0	0	
			दुर्गूकोदल		4	20.50	0.00	0	0	4	0	0	
			चारामा		11	72.00	0.00	0	0	11	0	0	
			अंतागढ़	अंतागढ़	9	43.00	0.00	0	0	9	0	0	
			कोयलीबेड़ा		24	172.00	83.50	0	19	5	0	0	
योग :-					101	649.00	83.50	0	43	58	0	0	

जिला – नारायणपुर

1	2022-23	नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर	21	108.65	105.69	21	0	0	0	0	
			ओरछा		18	35.90	34.90	18	0	0	0	0	
योग :-					39	144.55	140.59	39	0	0	0	0	
2	2023-24	नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर	18	90.50	58.75	16	2	0	0	0	
			ओरछा		0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
योग :-					18	90.50	58.75	16	2	0	0	0	
3	2024-25	नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर	22	194.66	54.50	3	15	4	0	0	
			ओरछा		4	39.50	3.80	0	2	2	0	0	
योग :-					26	234.16	58.30	3	17	6	0	0	
4	2025-26 (दिनांक 31.01. 2026 की स्थिति में)	नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर	12	73.47	0.00	0	0	12	0	0	
			ओरछा		0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
योग :-					12	73.47	0	0	0	12	0	0	

जिला – बीजापुर

1	2022-23	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	40	154.28	154.28	40	0	0	0	0	
			उसूर		1	10.00	10.00	1	0	0	0	0	
			भैरमगढ़		15	117.60	117.60	15	0	0	0	0	
			भोपालपटनम		4	29.60	29.60	4	0	0	0	0	
योग :-					60	311.48	311.48	60	0	0	0	0	
2	2023-24	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	24	112.49	108.12	22	2	0	0	0	
			उसूर		1	10.00	5.00	0	1	0	0	0	
			भैरमगढ़		15	99.62	94.80	13	2	0	0	0	
			भोपालपटनम		12	56.02	51.60	10	2	0	0	0	
योग :-					52	278.13	259.52	45	7	0	0	0	

क्र0	स्वीकृत वर्ष	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत कार्य संख्या	आबंटित राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति					विवाद / शिकायत के कारण अवरुद्ध के जानकारी	रिमार्क
								पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	अप्रारंभ कार्य	अपूर्ण स्थिति में बंद कार्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	2024-25	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	1	7.00	7.00	1	0	0	0	0		
			उसूर		2	30.00	12.00	2	0	0	0	0		
			भैरमगढ़		5	47.00	36.75	5	0	0	0	0		
			भोपालपटनम		9	60.00	22.56	0	9	0	0	0		
योग :-					17	144.00	78.31	8	9	0	0	0		
4	2025-26 (दिनांक 31.01.2026 की स्थिति में)	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	1	14.00	0.00	0	1	0	0	0		
			उसूर		2	18.00	0.00	0	2	0	0	0	0	
			भैरमगढ़		0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
			भोपालपटनम		0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	
योग :-					3	32.00	0.00	0	3	0	0	0		

जिला - बस्तर

1	2022-23	जिला बस्तर	जगदलपुर	जगदलपुर	46	233.29	210.98	36	10	0	0	0	
			दरमा		7	26.16	18.29	7	0	0	0	0	
			लोहण्डीगुडा	चित्रकोट	37	157.00	130.58	36	1	0	0	0	
			बास्तानार		9	9.85	9.19	9	0	0	0	0	
			तोकापाल		25	85.97	85.98	25	0	0	0	0	
			दरमा		16	20.80	18.89	16	0	0	0	0	
			बस्तर	बस्तर	117	304.32	252.39	115	2	0	0	0	
			बकावण्ड		134	396.14	362.49	134	0	0	0	0	
			बस्तर	नारायणपुर	19	41.50	37.89	19	0	0	0	0	
योग :-					410	1275.03	1126.68	397	13	0	0	0	
2	2023-24	जिला बस्तर	जगदलपुर	जगदलपुर	39	211.78	175.74	34	5	0	0	0	
			दरमा		5	23.52	5.25	5	0	0	0	0	
			लोहण्डीगुडा	चित्रकोट	24	113.40	89.24	23	1	0	0	0	
			बास्तानार		10	31.68	29.04	9	1	0	0	0	
			तोकापाल		33	104.46	95.81	31	2	0	0	0	
			दरमा		5	21.40	21.40	5	0	0	0	0	
			बस्तर	बस्तर	143	403.10	284.18	128	15	0	0	0	
			बकावण्ड		170	462.84	335.23	158	12	0	0	0	
			बस्तर	नारायणपुर	4	7.88	7.66	4	0	0	0	0	
योग :-					433	1380.06	1043.55	397	36	0	0	0	
3	2024-25	जिला बस्तर	जगदलपुर	जगदलपुर	116	844.66	280.62	20	96	0	0	0	
			दरमा		13	84.95	34.52	6	7	0	0	0	
			लोहण्डीगुडा	चित्रकोट	17	65.55	28.36	8	9	0	0	0	
			बास्तानार		13	50.34	35.80	12	1	0	0	0	
			तोकापाल		36	105.74	59.66	22	14	0	0	0	
			दरमा		7	45.09	27.14	3	4	0	0	0	
			बस्तर	बस्तर	12	96.78	8.40	0	12	0	0	0	
			बकावण्ड		20	178.34	76.64	9	11	0	0	0	
			बस्तर	नारायणपुर	47	349.27	138.19	18	29	0	0	0	
योग :-					281	1820.72	689.33	98	183	0	0	0	

क्र०	स्वीकृत वर्ष	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	स्वीकृत कार्य संख्या	आबंटित राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति					रिमांक
								पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	अप्रारंभ कार्य	अपूर्ण स्थिति में बंद कार्य	विवाद/शिकायत के कारण अवरुद्ध के जानकारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2025-26 (दिनांक 31.01. 2026 की स्थिति में)	जिला बस्तर	जगदलपुर	जगदलपुर	52	421.00	0.00	0	0	52	0	0	
			दरभा		0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
			लोहण्डीगुडा	चित्रकोट	13	95.49	0.00	0	0	13	0	0	
			बास्तानार		8	66.78	0.00	0	0	8	0	0	
			तोकापाल		17	123.69	0.00	0	0	17	0	0	
			दरभा		7	54.46	0.00	0	0	7	0	0	
			बस्तर	बस्तर	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
			बकावण्ड		1	2.50	0.00	0	0	1	0	0	
			बस्तर	नारायणपुर	34	160.38	0.00	0	0	34	0	0	
योग :-					132	924.30	0.00	0	0	132	0	0	


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

पारिशेष - तिरानवे

अतारांकित प्रश्न संख्या 74 (क्र. 906) की जानकारी

प्रपत्र - अ

बस्तर संभाग

क.	जिला	विकासखण्ड का नाम	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या				लंबित व विचारणीय प्रकरणों की संख्या				लंबित प्रकरणों के निराकरणार्थ की जा रही कार्यवाही			
			व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बस्तर	जगदलपुर	5702	760	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		लोहण्डीगुडा	964	381	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		दरमा	5226	759	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बास्तानार	642	405	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		लोकापाल	2600	980	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बस्तर	11570	1145	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकावण्ड	8476	1779	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	कांकेर	योग	35180	6209	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कांकेर	2211	993	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		नरहरपुर	3524	710	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		घारामा	1496	554	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		भानुप्रतापपुर	5983	755	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		दुर्गकोदल	3293	796	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अतागढ़	7053	1634	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कोण्डागांव	कोयलीबेडा	5507	1222	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	29067	6664	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कोण्डागांव	15024	952	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		माकड़ी	11807	830	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		फरसगांव	12538	935	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		केशकाल	9020	934	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बड़ेराजपुर	11298	896	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	59687	4547	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
नित्य, महानदी भवन, नवा रायपुर

क्र.	जिला	विकासखण्ड का नाम	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या			लंबित व विचारणीय प्रकरणों की संख्या				लंबित प्रकरणों के निराकरण की जा रही कार्यवाही				
			व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4	दत्तेवाड़ा	दत्तेवाड़ा	3571	291	14	0	0	0	0	0	0	0		
		गीदम	1130	199	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कुआकोण्डा	934	142	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कटेकल्याण	4577	554	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सुकमा	योग	10212	1186	91	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सुकमा	2952	25	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कोटा	9227	326	170	701	0	54	0	196 प्रकरण डीएलसी में निराकरणार्थ कार्यवाही की जा रही है एवं 505 ग्राम स्तर पर नक़्सा हेतु अस्वीकृत होने के कारण प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र निराकरण कराने हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति को निर्देशित किया गया है।	-	54 प्रकरण ग्राम स्तर पर सर्वे कार्य नहीं हो पाने के कारण प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र निराकरण कराने हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति को निर्देशित किया गया है।	0	
		छिंदगढ़	3686	133	87	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	बीजापुर	योग	15865	484	298	701	0	54	0	0	0	0		
		बीजापुर	2618	714	68	0	0	0	0	0	0	0	0	
		भैरमगढ़	5650	880	84	0	0	0	0	0	0	0	0	
		भोपालपटनम	1941	621	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
		उसूर	2225	616	95	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	12434	2831	297	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	नारायणपुर	नारायणपुर	5059	829	14	5	0	0	10 व्यक्तिगत दावा प्रकरणों को पुनर्विचार में लिया जाकर 5 दावा प्रकरणों को निपटृत किया गया है एवं 05 प्रकरण सहाय के अभाव में ग्राम समी स्तर पर प्रक्रियाधीन है।	0	0	0		
		ओरछा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	5059	829	14	5	0	0	0	0	0	0	0	
		महायोग	167504	22750	1655	706	0	54	0	0	0	0	0	


अनूपम संधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र - ब

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 906 के प्रश्नांश "घ" की जानकारी
बस्तर संभाग

क.	अवधि	जिला	वन अधिकार पत्र मिलने के बावजूद भूमि से बेदखल किये जाने की शिकायतों की संख्या				बेदखल किए जाने की प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही		
			व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	व्यक्तिगत वन अधिकार	सामुदायिक वन अधिकार	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	वर्ष 2023 से 2025 तक (01 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक)	बस्तर	1	0	0	प्राप्त शिकायत का परीक्षण कराया गया। परीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि काबिज भूमि चरनोई की भूमि है अतः तत्संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।	0	0	
2		कांकर	0	0	0		0	0	
3		कोण्डगांव	0	0	0		0	0	
4		दत्तेवाड़ा	0	0	0		0	0	
5		सुकमा	0	0	0		0	0	
6		बीजापुर	0	0	0		0	0	
7		नारायणपुर	0	0	0		0	0	
	योग		1	0	0				

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारोशेष्ट - चोरानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 76 (क्र. 908) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022 से जनवरी 2026 तक मौसम खरीफ में धान फसल हेतु बीमा आवरण प्राप्त करने वाले कृषकों की वर्षवार, जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	क्रियान्वयक बीमा कंपनी का नाम	कृषक संख्या		बीमित रकबा (हेक्टेयर)		
			धान सिंचित	धान असिंचित	धान सिंचित	धान असिंचित	
1	2	3	6	7	8	9	
खरीफ वर्ष 2022							
1	बलरामपुर	बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	32	18985	34.48	34139.89	
2	बस्तर		127	26465	268.37	47482.80	
3	बीजापुर		2201	5991	4433.50	15266.79	
4	बिलासपुर		26976	16793	33914.87	21674.21	
5	गोरेला पैड़ा मरवाही		2129	7239	3625.67	12480.67	
6	जशपुर		55	14470	63.10	22810.76	
7	कबीरधाम		43878	30653	50100.48	33923.93	
8	रायपुर		30715	13569	37073.14	12721.47	
9	बालोद	भारतीय कृषि बीमा कंपनी	56781	48875	64118.80	64128.68	
10	बलोदा बाजार		60520	56683	64981.69	59771.15	
11	बेमेतरा		56347	63487	84478.79	70083.88	
12	दंतेवाड़ा		0	7869	0.00	17792.58	
13	धमतरी		57575	15637	59944.33	16557.32	
14	दुर्ग		64984	16953	79640.94	18239.87	
15	गरियाबंद		9862	24966	12105.23	34938.37	
16	जांजगीर-चांपा		34310	3718	35265.59	4882.90	
17	कांकेर		6936	63268	7617.05	111122.30	
18	कोडागांव		335	28572	311.10	45612.32	
19	कोरबा		1764	23181	2206.96	34893.32	
20	कोरिया		1085	19749	1137.43	29579.28	
21	महासमुंद		48753	72200	64180.44	103019.54	
22	मुंगेली		25410	12951	30887.78	19565.78	
23	नारायणपुर		0	3989	0.00	8589.15	
24	रायगढ़		10592	25636	10984.68	34199.40	
25	राजनांदगांव		43868	159332	57285.43	210309.86	
26	सुकमा		0	7384	0.00	23102.35	
27	सूरजपुर		168	32581	147.96	46342.58	
28	सरगुजा		1356	33357	1259.36	34359.34	
खरीफ 2022			586759	854553	706067.17	1187590.49	
खरीफ वर्ष 2023							
1	बस्तर	बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	208	30270	453.81	53372.19	
2	बेमेतरा		57331	66583	89929.55	71061.82	
3	बीजापुर		1691	8294	2976.36	21960.92	
4	गरियाबंद		9289	32911	12377.71	46775.23	
5	जांजगीर-चांपा		11981	3791	14040.64	5164.30	
6	कबीरधाम		51542	31480	53897.20	37098.27	
7	कांकेर		4958	68147	7993.87	127811.63	
8	कोरिया		181	13234	239.95	20763.67	
9	मोहला मानपुर अंबागढ़		971	36903	1576.44	61622.59	
10	सक्ती		18210	2803	23766.16	2276.56	
11	सारंगढ़ बिलाईगढ़		4718	28341	5757.52	34916.14	

क्र.	जिला का नाम	क्रियान्वयक बीमा कंपनी का नाम	कृषक संख्या		बीमित रकबा (हेक्टेयर)	
			धान सिंचित	धान असिंचित	धान सिंचित	धान असिंचित
1	2	3	6	7	8	9
12	बालोद	एचडीएफसी एगो	56379	51457	64039.45	65074.30
13	बलोदा बाजार भाटापारा		56447	38143	62602.78	36598.55
14	बलरामपुर रामानुजगंज		3	21366	7.26	37251.96
15	बिलासपुर		26964	18304	29817.47	20760.60
16	देतेवाड़ा		22	9296	105.48	23949.58
17	दुर्ग		67560	17488	83012.36	16476.86
18	गोरेला पेंडा मरवाही		2261	8149	3709.67	13273.59
19	मनेंद्रगढ़-चिरामेरी-भरतपुर		0	8977	0.00	14270.94
20	मुंगेली		20663	12436	28762.00	18125.72
21	रायपुर		30924	12875	35541.60	11690.50
22	सुकमा		2	7799	3.07	25722.81
23	सरगुजा		61	34510	47.23	39545.89
24	धमतरी	भारतीय कृषि बीमा कंपनी	60217	17806	60406.38	18983.33
25	जशपुर		0	17392	0.00	28120.07
26	खैरागढ़ छुईखदान गंडई		21080	32333	28678.55	42561.51
27	कोडगांव		1019	33283	943.84	53127.77
28	कोरबा		726	26929	928.15	38483.42
29	महासमुंद		53938	71694	68498.85	98447.01
30	नारायणपुर		0	4845	0.00	11388.81
31	रायगढ़		1578	16102	1650.73	20801.76
32	राजनांदगांव		23032	98280	28871.52	117636.99
33	सूरजपुर		60	35347	59.85	50467.62
खरीफ 2023			584016	917568	710695.45	1285582.91
खरीफ वर्ष 2024						
1	बस्तर	बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	308	31347	639.86	55058.17
2	बेमतरा		65409	59962	99036.94	63256.03
3	बीजापुर		1766	8900	3393.84	23134.03
4	गरियाबंद		8884	27125	11362.27	39390.35
5	जांजगीर-चांपा		11130	3411	12579.88	4613.97
6	कबीरधाम		59365	26371	62761.59	31341.27
7	कांकर		5415	67481	8383.66	126332.78
8	कोरिया		501	13695	692.25	21603.83
9	मोहला मानपुर अंबागढ़		1326	35265	2321.60	59071.37
10	सक्ती		18736	3126	21802.53	2370.52
11	सारंगढ़ बिलाईगढ़		4488	29657	5879.68	36126.18

क्र.	जिला का नाम	क्रियान्वयक बीमा कंपनी का नाम	कृषक संख्या		बीमित रकबा (हेक्टेयर)	
			धान सिंचित	धान असिंचित	धान सिंचित	धान असिंचित
1	2	3	6	7	8	9
12	बालोद	एचडीएफसी एगो	56786	53599	63007.80	67345.35
13	बलोदा बाजार भाटापारा		60474	39999	65251.42	36393.62
14	बलरामपुर रामानुजगंज		0	18468	0.00	27046.27
15	बिलासपुर		28458	18281	33544.62	20843.81
16	देतेवाड़ा		0	9816	0.00	23810.25
17	दुर्ग		69630	16250	85280.55	15255.27
18	गोरेला पेंडा मरवाही		2328	8575	3966.55	13561.97
19	मनेंद्रगढ़-चिरामेरी-भरतपुर		0	8761	0.00	13715.73
20	मुंगेली		17205	11776	24455.55	16234.00
21	रायपुर		31006	12963	37624.39	13374.21
22	सुकमा		0	9190	0.00	28492.67
23	सरगुजा		72	32294	62.81	34125.40
24	धमतरी	भारतीय कृषि बीमा कंपनी	58430	17457	58894.41	18448.82
25	जशपुर		16	19066	7.00	26924.33
26	खैरागढ़ छुईखदान गंडई		21878	30630	29318.75	39855.90
27	कोडगांव		1391	32669	1310.26	54093.60
28	कोरबा		1065	25920	1102.08	36917.07
29	महासमुंद		57204	70689	65862.48	98654.11
30	नारायणपुर		0	6477	0.00	11605.99
31	रायगढ़		2494	23398	1977.20	21849.60
32	राजनांदगांव		24936	92425	30653.70	112243.87
33	सूरजपुर		76	34221	66.98	45026.72
खरीफ 2024			610777	899264	731240.65	1238117.06
खरीफ वर्ष 2025						
1	बस्तर	बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	551	31464	1081.44	55318.63
2	बेमेतरा		69831	58450	102078.50	61124.21
3	बीजापुर		1998	10080	3740.35	24994.39
4	गरियाबंद		19707	29951	16397.81	41617.35
5	जांजगीर-चांपा		22771	3092	15853.05	3769.01
6	कबीरधाम		59657	29682	61910.11	36245.15
7	कांकेर		6773	66004	9044.21	122128.18
8	कोरिया		76	14416	92.14	20700.19
9	मोहला मानपुर अंबागढ़		1541	35028	2565.79	57821.22
10	सक्ती		27775	3545	21643.47	2438.35
11	सारंगढ़ बिलाईगढ़		5142	30472	5743.51	34261.49

क्र.	जिला का नाम	क्रियान्वयक बीमा कंपनी का नाम	कृषक संख्या		बीमित रकबा (हेक्टेयर)	
			धान सिंचित	धान असिंचित	धान सिंचित	धान असिंचित
1	2	3	6	7	8	9
12	बालोद	एचडीएफसी एगो	65463	51353	66672.18	63148.89
13	बलोदा बाजार भाटापारा		70502	51119	73908.15	45972.62
14	बलरामपुर रामानुजगंज		0	18205	0.00	26564.70
15	बिलासपुर		29598	16734	34567.76	20229.83
16	देतेवाड़ा		0	9427	0.00	25916.91
17	दुर्ग		72864	15449	84955.41	14537.06
18	गोरेला पेंडा मरवाही		2084	8685	3499.30	14085.52
19	मनेंद्रगढ़-चिरामेरी-भरतपुर		0	8562	0.00	13707.95
20	मुंगेली		20197	12113	27073.51	16860.14
21	रायपुर		52274	14787	54027.85	12120.92
22	सुकमा		23	10185	53.63	29362.74
23	सरगुजा		44	33272	43.24	33190.00
24	धमतरी	भारतीय कृषि बीमा कंपनी	58494	16491	58732.42	17111.29
25	जशपुर		19	20488	12.05	28022.33
26	खैरागढ़ छुईखदान गंडई		26698	30652	32889.76	38670.35
27	कोडगांव		785	31666	796.49	53263.88
28	कोरबा		1444	23949	1538.84	37424.63
29	महासमुंद		55392	69719	67422.65	93814.37
30	नारायणपुर		0	5596	0.00	11642.57
31	रायगढ़		3812	32437	2365.91	25344.03
32	राजनादगांव		23408	92265	28304.91	109708.49
33	सूरजपुर		90	33221	79.35	37039.71
खरीफ 2025			699013	918559	777093.79	1228157.10

Digitally signed by

Vikas Mishra (विकास मिश्रा)

Date: 19-02-2026

11:31:26

रूप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क्र.	जिला का नाम	वर्ष	मौसम	बीमा कंपनी को प्रीमियम राशि का भुगतान (लाख रू. में)								दावा भुगतान			
				कृषक अंश		केन्द्रांश		राज्यांश		योग		लाभांवित कृषक संख्या		राशि (लाख रू. में)	
				धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बलरामपुर	2022		0.29	225.32	0.72	337.98	0.72	337.98	1.74	901.29	0	1860	0.00	210.94
2	बस्तर			2.68	398.86	7.38	1296.28	7.38	1296.28	17.44	2991.42	6	2734	0.67	1215.02
3	बीजापुर			37.06	107.48	148.26	591.13	148.26	591.13	333.58	1289.74	1067	1369	103.70	335.28
4	बिलासपुर			366.28	169.06	1373.55	591.71	1373.55	591.71	3113.38	1352.47	473	473	48.44	34.75
5	गौरैला पेंड़ा मरवाही			39.16	97.35	107.68	292.05	107.68	292.05	254.52	681.44	109	147	19.15	41.42
6	जशपुर			0.54	150.55	0.81	338.74	0.81	338.74	2.17	828.03	0	238	0.00	4.12
7	कबीरधाम			551.11	284.96	1928.87	997.36	1928.87	997.36	4408.84	2279.69	0	17	0.00	24.65
8	रायपुर			407.80	106.86	1325.36	320.58	1325.36	320.58	3058.53	748.02	1736	11	60.87	0.09
9	बालोद			705.31	538.68	2133.55	1077.36	2133.55	1077.36	4972.40	2693.40	2080	5085	184.60	959.00
10	बलौदा बाजार			714.80	502.08	2687.63	1717.09	2687.63	1717.09	6090.06	3936.26	1987	1650	95.40	80.55
11	बेमेतरा			929.27	588.70	3020.12	1913.29	3020.12	1913.29	6969.50	4415.28	292	409	99.74	40.46
12	दंतेवाड़ा			0.00	125.26	0.00	495.71	0.00	495.71	0.00	1116.69	0	2877	0.00	736.59
13	धमतरी			659.39	139.08	1917.16	395.34	1917.16	395.34	4493.71	929.75	19474	3123	1385.30	253.05
14	दुर्ग			876.05	153.21	3162.54	648.48	3162.54	648.48	7201.13	1450.17	5313	52	363.39	6.04
15	गरियाबंद			133.16	293.48	707.07	981.70	707.07	981.70	1547.29	2256.87	975	2346	88.46	201.27
16	जांजगीर-चांपा			380.87	38.09	521.78	30.56	521.78	30.56	1424.43	99.21	3631	4	175.26	0.92
17	कांकेर			72.06	933.43	327.32	4251.75	327.32	4251.75	726.70	9436.93	3259	21526	493.70	3445.07
18	कोंडागांव			2.74	361.25	10.29	1704.19	10.29	1704.19	23.32	3769.63	238	3918	12.59	455.49
19	कोरबा			23.84	272.17	111.61	933.53	111.61	933.53	247.05	2139.23	326	3349	58.30	622.16
20	कोरिया			9.55	195.22	23.96	956.59	23.96	956.59	57.47	2108.41	5	2554	0.42	166.33
21	महासमुंद			705.98	865.36	1470.21	2178.54	1470.21	2178.54	3646.40	5222.44	13892	15563	2427.32	2716.46
22	मुंगेली			333.59	152.61	1066.64	305.23	1066.64	305.23	2466.87	763.07	2110	59	62.98	2.62
23	नारायणपुर			0.00	68.03	0.00	282.82	0.00	282.82	0.00	633.66	0	629	0.00	61.92
24	रायगढ़			96.67	232.56	235.14	444.17	235.14	444.17	566.94	1120.91	833	991	103.83	169.87
25	राजनांदगांव			630.14	1766.60	2180.28	7176.80	2180.28	7176.80	4990.69	16120.20	2463	20791	292.84	3467.40
26	सुकमा			0.00	162.64	0.00	787.59	0.00	787.59	0.00	1737.81	0	4974	0.00	1947.34
27	सूरजपुर			1.24	305.86	1.59	648.42	1.59	648.42	4.42	1602.70	1	1314	0.00	39.31
28	सरगुजा			10.58	226.77	29.46	453.54	29.46	453.54	69.50	1133.86	211	1455	16.92	64.90
योग वर्ष 2022				7690.16	9461.52	24498.98	32148.53	24498.98	32148.53	56688.08	73758.58	60481	99518	6093.88	17303.02
1	बस्तर	2023		4.72	469.68	8.26	1291.61	8.26	1291.61	21.24	3052.89	16	2872	3.45	764.89
2	बेमेतरा			1043.18	625.34	4172.73	3126.72	4172.73	3126.72	9388.64	6878.78	113	108	13.14	11.39
3	बीजापुर			26.19	162.51	26.19	406.28	26.19	406.28	78.58	975.06	265	1897	13.98	514.49
4	गरियाबंद			143.58	411.62	143.58	823.24	143.58	823.24	430.74	2058.11	579	10753	27.12	1650.59
5	चांपा			162.87	42.35	40.72	42.35	40.72	42.35	244.31	127.04	117	11	1.31	0.23
6	कबीरधाम			625.21	326.46	2469.57	1713.94	2469.57	1713.94	5564.35	3754.34	661	328	185.61	60.79
7	कांकेर			83.14	1124.74	124.70	1968.30	124.70	1968.30	332.55	5061.34	1892	22894	259.31	5119.33
8	कोरिया			2.11	145.35	5.28	181.68	5.28	181.68	12.67	508.71	0	67	0.00	15.73
9	मोहला मानपुर अंबागढ़			18.29	542.28	128.01	3795.95	201.15	6507.34	347.45	10845.57	102	3438	27.04	423.86
10	सक्ती			275.69	18.67	206.77	23.33	206.77	23.33	689.22	65.34	644	7	26.87	0.07
11	बिलाईगढ़			54.12	251.40	230.01	879.89	230.01	879.89	514.15	2011.17	129	939	21.95	92.99
12	बालोद			742.86	572.65	1485.71	1431.62	1485.71	1431.62	3714.28	3435.89	915	2910	36.54	543.83
13	भाटापारा			726.19	322.07	1633.93	724.65	1633.93	724.65	3994.06	1771.37	497	18	66.53	6.23
14	बलरामपुर रामानुजगंज			0.06	260.76	0.13	456.33	0.13	456.33	0.32	1173.42	0	8	0.00	2.38
15	बिलासपुर			345.88	170.24	778.24	510.71	778.24	510.71	1902.35	1191.66	1094	206	43.66	26.78
16	दंतेवाड़ा			0.93	177.20	3.02	443.01	3.02	443.01	6.96	1063.22	0	5491	0.00	1830.59
17	दुर्ग			962.90	144.94	2647.97	471.04	2647.97	471.04	6258.83	1087.02	2661	463	356.78	37.07
18	गौरैला पेंड़ा मरवाही			43.03	108.84	96.82	272.11	96.82	272.11	236.68	653.06	0	4	0.00	2.40
19	मनैंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर			0.00	99.90	0.00	324.66	0.00	324.66	0.00	749.22	0	443	0.00	15.75
20	मुंगेली			333.64	148.63	500.46	371.58	500.46	371.58	1334.56	891.79	398	2	11.98	0.02

27 फरवरी 2026]				बीमा कंपनी को प्रीमियम राशि का भुगतान (लाख रू. में)								दावा भुगतान			
क्र.	जिला का नाम	वर्ष	मौसम	कृषक अंश		केन्द्रांश		राज्यांश		योग		लाभांशित कृषक संख्या		राशि (लाख रू. में)	
				धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	रायपुर			412.28	102.88	515.35	334.35	515.35	334.35	1442.99	771.57	763	76	62.07	4.52
22	सुकमा			0.03	190.35	0.05	380.70	0.05	380.70	0.13	951.74	2	2607	0.10	541.36
23	सरगुजा			0.42	276.82	0.31	553.64	0.31	553.64	1.04	1384.11	6	1587	0.28	73.29
24	धमतरी			700.71	167.05	2452.50	375.87	2452.50	375.87	5605.71	918.79	1170	798	64.24	82.20
25	जशपुर			0.00	196.84	0.00	492.10	0.00	492.10	0.00	1181.04	0	809	0.00	110.71
26	खैरागढ़ छुईखदान गंडई			332.67	374.54	1829.69	2153.61	1829.69	2153.61	3992.05	4681.77	8	119	0.53	44.95
27	कोंडागांव			9.82	467.52	19.63	1168.81	19.63	1168.81	49.08	2805.15	219	6360	28.61	761.44
28	कोरबा			10.77	315.56	56.52	946.69	56.52	946.69	123.82	2208.95	117	2434	34.07	382.65
29	महासमुंद			794.59	866.33	1787.82	3465.33	1787.82	3465.33	4370.23	7797.00	4254	5670	897.67	1176.94
30	नारायणपुर			0.00	93.39	0.00	373.55	0.00	373.55	0.00	840.49	0	2964	0.00	762.98
31	रायगढ़			15.52	149.77	69.83	411.87	69.83	411.87	155.17	973.52	105	457	12.41	40.12
32	राजनांदगांव			334.91	1035.21	753.55	3364.42	753.55	3364.42	1842.00	7764.04	249	9955	35.95	1238.17
33	सूरजपुर			0.53	353.27	1.05	529.91	1.05	529.91	2.63	1413.09	0	3082	0.00	217.98
योग वर्ष 2023				8206.84	10715.16	22188.40	33809.85	22261.54	36521.24	52656.79	81046.26	16976	89777	2231.20	16556.72
1	बस्तर	2024	खरीफ	7.04	484.51	12.32	1332.41	12.32	1332.41	31.67	3149.33	42	1419	2.93	329.25
2	बेमेतरा			1188.44	569.30	4753.77	2846.52	4753.77	2846.52	10695.99	6262.35	0	0	0.00	0.00
3	बीजापुर			32.58	194.33	32.58	485.81	32.58	485.81	97.74	1165.96	39	515	1.19	301.37
4	गरियाबंद			136.35	354.51	136.35	709.03	136.35	709.03	409.04	1772.57	0	4	0.00	0.76
5	जांजगीर-चांपा			150.96	39.68	37.74	39.68	37.74	39.68	226.44	119.04	137	208	20.58	21.63
6	कबीरधाम			753.14	282.07	2974.90	1480.88	2974.90	1480.88	6702.94	3243.83	7	23	1.59	6.27
7	कांकेर			92.22	1111.73	138.33	1945.52	138.33	1945.52	368.88	5002.78	649	4260	91.74	746.58
8	कोरिया			6.92	172.83	17.31	216.04	17.31	216.04	41.54	604.91	0	0	0.00	0.00
9	मोहला मानपुर अंबागढ़			27.86	531.64	195.01	3721.50	306.45	6379.71	529.32	10632.85	145	986	46.02	107.23
10	सक्ती			261.63	20.39	196.22	25.48	196.22	25.48	654.08	71.35	302	0	21.21	0.00
11	सारंगढ़ बिलाईगढ़			64.68	310.69	274.88	1087.40	274.88	1087.40	614.43	2485.48	0	0	0.00	0.00
12	बालोद			756.09	606.11	1512.19	1515.27	1512.19	1515.27	3780.47	3636.65	522	2122	60.38	459.11
13	बलोदा बाजार भाटापारा			783.02	327.54	1761.79	736.98	1761.79	736.98	4306.59	1801.49	96	75	1.37	1.61
14	बलरामपुर रामानुजगंज			0.00	216.24	0.00	378.41	0.00	378.41	0.00	973.07	0	3	0.00	0.50
15	बिलासपुर			402.54	179.26	905.70	537.77	905.70	537.77	2213.95	1254.80	1712	566	270.09	48.44
16	दंतेवाड़ा			0.00	200.01	0.00	500.02	0.00	500.02	0.00	1200.04	0	3223	0.00	906.39
17	दुर्ग			1023.33	137.30	2814.17	446.22	2814.17	446.22	6651.67	1029.73	557	87	30.90	20.31
18	गौरेला पेंड्रा मरवाही			47.60	116.63	107.10	291.58	107.10	291.58	261.79	699.80	3	29	0.25	3.53
19	मनैंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर			0.00	109.71	0.00	356.57	0.00	356.57	0.00	822.86	0	349	0.00	35.29
20	मुंगेली			293.47	139.61	440.20	349.03	440.20	349.03	1173.87	837.67	112	8	10.99	0.08
21	रायपुर			451.49	120.37	564.37	391.20	564.37	391.20	1580.22	902.76	1378	346	76.42	49.94
22	सुकमा			0.00	239.34	0.00	478.68	0.00	478.68	0.00	1196.69	0	707	0.00	270.29
23	सरगुजा			0.63	273.00	0.47	546.00	0.47	546.00	1.57	1365.01	0	282	0.00	28.28
24	धमतरी			706.73	166.04	2473.57	373.59	2473.57	373.59	5653.86	913.22	3424	206	207.22	12.60
25	जशपुर			0.08	231.55	0.44	578.87	0.44	578.87	0.96	1389.30	0	1021	0.00	169.20
26	खैरागढ़ छुईखदान गंडई			351.82	358.70	1935.04	2062.55	1935.04	2062.55	4221.90	4483.80	205	301	91.08	63.11
27	कोंडागांव			14.41	476.02	28.83	1190.06	28.83	1190.06	72.06	2856.14	321	2134	16.88	197.45
28	कोरबा			13.23	317.49	69.43	952.46	69.43	952.46	152.09	2222.41	95	1773	18.45	410.23
29	महासमुंद			790.35	887.89	1778.29	3551.55	1778.29	3551.55	4346.92	7990.98	6223	11032	1977.66	3121.91
30	नारायणपुर			0.00	97.49	0.00	389.96	0.00	389.96	0.00	877.41	0	2028	0.00	318.73
31	रायगढ़			21.75	187.91	97.87	516.75	97.87	516.75	217.49	1221.40	2	480	0.18	55.50
32	राजनांदगांव			367.84	1010.19	827.65	3283.14	827.65	3283.14	2023.14	7576.48	151	2785	22.06	651.43
33	सूरजपुर			0.67	360.21	1.34	540.32	1.34	540.32	3.35	1440.86	1	1796	0.09	202.05
योग वर्ष 2024				8746.87	10830.29	24087.86	33857.25	24199.30	36515.46	57033.97	81203.02	16123	38768	2969.28	8539.07

क्र.	जिला का नाम	वर्ष	मौसम	बीमा कंपनी को प्रीमियम राशि का भुगतान (लाख रू. में)								[27 फरवरी 2026			
				कृषक अंश		केन्द्रांश		राज्यांश		योग		लाभावित कृषक संख्या		राशि (लाख रू. में)	
				धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित	धान सिंचित	धान अंसिंचित
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बस्तर	2025		11.90	486.80	20.82	1338.71	20.82	1338.71	53.53	3164.23	0	0	0.00	0.00
2	बेमेतरा			1224.94	550.12	4899.77	2750.59	4899.77	2750.59	11024.48	6051.30	0	0	0.00	0.00
3	बीजापुर			35.91	209.95	35.91	524.88	35.91	524.88	107.72	1259.72	0	0	0.00	0.00
4	गरियाबंद			196.77	374.56	196.77	749.11	196.77	749.11	590.32	1872.78	0	0	0.00	0.00
5	जांजगीर-चांपा			190.24	32.41	47.56	32.41	47.56	32.41	285.35	97.24	0	0	0.00	0.00
6	कबीरधाम			742.92	326.21	2934.54	1712.58	2934.54	1712.58	6612.00	3751.37	0	0	0.00	0.00
7	कांकेर			99.49	1074.73	149.23	1880.77	149.23	1880.77	397.95	4836.28	0	0	0.00	0.00
8	कोरिया			0.92	165.60	2.30	207.00	2.30	207.00	5.53	579.61	0	0	0.00	0.00
9	मोहला मानपुर अंबागढ़			30.79	520.39	215.53	3642.74	338.68	6244.69	585.00	10407.82	0	0	0.00	0.00
10	सक्ती			259.72	20.97	194.79	26.21	194.79	26.21	649.30	73.39	0	0	0.00	0.00
11	सारंगढ़ बिलाईगढ़			63.18	294.65	268.51	1031.27	268.51	1031.27	600.19	2357.19	0	0	0.00	0.00
12	बालोद			798.64	568.33	1597.28	1420.82	1597.28	1420.82	3993.21	3409.98	0	0	0.00	0.00
13	बलोदा बाजार भाटापारा			883.50	413.75	1987.87	930.94	1987.87	930.94	4859.24	2275.63	2	0	0.35	0.00
14	बलरामपुर रामानुजगंज			0.00	212.47	0.00	371.83	0.00	371.83	0.00	956.14	0	0	0.00	0.00
15	बिलासपुर			411.77	173.96	926.48	521.88	926.48	521.88	2264.73	1217.73	0	0	0.00	0.00
16	दंतेवाड़ा			0.00	217.70	0.00	544.26	0.00	544.26	0.00	1306.21	0	44	0.00	16.08
17	दुर्ग			1018.19	130.83	2800.02	425.21	2800.02	425.21	6618.23	981.25	0	0	0.00	0.00
18	गौरेला पेंड्रा मरवाही			41.20	121.12	92.70	302.80	92.70	302.80	226.60	726.73	0	0	0.00	0.00
19	मनैंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर			0.00	109.66	0.00	356.39	0.00	356.39	0.00	822.43	0	3	0.00	0.94
20	मुंगेली			320.43	144.98	480.65	362.46	480.65	362.46	1281.73	869.90	0	0	0.00	0.00
21	रायपुर			647.20	109.09	809.00	354.54	809.00	354.54	2265.19	818.16	0	0	0.00	0.00
22	सुकमा			0.51	246.65	1.03	493.29	1.03	493.29	2.57	1233.24	0	0	0.00	0.00
23	सरगुजा			0.36	265.49	0.27	530.97	0.27	530.97	0.90	1327.43	0	0	0.00	0.00
24	धमतरी			704.79	154.00	2466.76	346.50	2466.76	346.50	5638.31	847.01	549	40	31.21	2.52
25	जशपुर			0.13	240.99	0.76	602.48	0.76	602.48	1.66	1445.95	0	313	0.00	70.09
26	खैरागढ़ छुईखदान गंडई			394.68	348.03	2170.72	2001.19	2170.72	2001.19	4736.12	4350.40	560	209	22.45	11.88
27	कोंडागांव			8.76	468.72	17.52	1171.81	17.52	1171.81	43.81	2812.33	0	8	0.00	0.70
28	कोरबा			18.47	321.85	96.95	965.56	96.95	965.56	212.36	2252.96	2	59	0.02	1.80
29	महासमुंद			809.07	844.33	1820.41	3377.32	1820.41	3377.32	4449.89	7598.96	1	0	0.03	0.00
30	नारायणपुर			0.00	97.80	0.00	391.19	0.00	391.19	0.00	880.18	0	231	0.00	28.07
31	रायगढ़			26.02	217.96	117.11	599.38	117.11	599.38	260.25	1416.73	0	6	0.00	0.30
32	राजनांदगांव			339.66	987.38	764.23	3208.96	764.23	3208.96	1868.12	7405.30	168	648	12.95	18.37
33	सूरजपुर			0.79	296.32	1.59	444.48	1.59	444.48	3.97	1185.27	0	868	0.00	52.04
योग वर्ष 2025				9280.95	10747.80	25117.08	33620.53	25240.23	36222.48	59638.26	80590.85	1282	2429	67.01	202.79
महायोग				33924.82	41754.77	95892.32	133436.16	96200.05	141407.71	226017.10	316598.71	94862	230492	11361.37	42601.60

Digitally signed by
Vikas Mishra

Date: 19-02-2026

11:32:33

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचित क्रियान्वयक बीमा कंपनियों की वर्षवार, जिलावार जानकारी

क्र.	वर्ष	क्रियान्वयक बीमा कंपनी का नाम	संबंधित जिला का नाम	जिलों की संख्या
1	2	4	3	5
1	2022	बजाज जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जशपुर, कबीरधाम, रायपुर	8
2		भारतीय कृषि बीमा कंपनी	बालोद, बलौदा बाजार, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा	20
3	2023	बजाज जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, कांकेर, कोरिया, मोहला मानपुर अंबागढ़, सक्ती, सारंगढ़ बिलाईगढ़	11
4		एचडीएफसी एर्गो	बालोद, बलोदा बाजार भाटापारा, बलरामपुर रामानुजगंज, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, रायपुर, सुकमा, सरगुजा	12
5		भारतीय कृषि बीमा कंपनी	धमतरी, जशपुर, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, सूरजपुर	10
6	2024	बजाज जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, कांकेर, कोरिया, मोहला मानपुर अंबागढ़, सक्ती, सारंगढ़ बिलाईगढ़	11
8		एचडीएफसी एर्गो	बालोद, बलोदा बाजार भाटापारा, बलरामपुर रामानुजगंज, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, रायपुर, सुकमा, सरगुजा	12
9		भारतीय कृषि बीमा कंपनी	धमतरी, जशपुर, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, सूरजपुर	10
10	2025	बजाज जनरल इश्योरेंस लिमिटेड	बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, कांकेर, कोरिया, मोहला मानपुर अंबागढ़, सक्ती, सारंगढ़ बिलाईगढ़	11
11		एचडीएफसी एर्गो	बालोद, बलोदा बाजार भाटापारा, बलरामपुर रामानुजगंज, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, रायपुर, सुकमा, सरगुजा	12
12		भारतीय कृषि बीमा कंपनी	धमतरी, जशपुर, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, सूरजपुर	10

Digitally signed by

Vikas Mishra

Date: 19-02-2026

11:33:33

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशेष्य - पंचानव

अतारांकित प्रश्न संख्या 77 (क्र. 911) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला	विकासखंड का नाम	वर्ष	विभाग का नाम	अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की संख्या जिन्हें आजीविका/रोजगार उपलब्ध कराया गया है
1	2	3	4	5	6
1	सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़	2024-25	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	10223
2		बरमकेला			520
		योग-			10743
1		सारंगढ़	2025-26	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1121
2		बरमकेला			229
		योग-			1350
कुल योग-					12093

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारोक्ष - छियानवे

अतारांकित प्रश्न संख्या 79 (क्र. 916) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

कृषि विभाग में संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 से 31.01.2026 तक कृषकों को प्रशिक्षण की विकासखण्डवार जानकारी

क.	वर्ष	वि.ख.	योजना का नाम	प्रशिक्षण संख्या	कृषक संख्या	व्यय राशि (रु.में)
1	2023—24	महासमुंद	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	3	150	15000.00
2	2024—25		मृदा स्वास्थ्य कार्ड	6	300	30000.00
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1	30	14000.00
			बीज ग्राम	1	150	15000.00
			आत्मा योजना	3	150	31750.00
			राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन / रेनफेड एरिया डब्लेपमेंट	1	50	10000.00
3	2025—26 (31 जनवरी 2026 तक)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1	30	7000.00	

Digitally signed by

Amit Kumar Singh

Date: 20/02/2026

13:03:34

अतिरिक्त सचिव
उत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

कृषि विभाग में संचालित योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों एवं अनुदान राशि की वर्ष 2023-24 से 31.01.2026 तक की वर्षवार, विकासखण्डवार, संस्थावार एवं योजनावार जानकारी

स.क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	सामग्री का नाम	संस्था का नाम	मात्रा (संख्या में)	अनुदान राशि (रु. लाख में)
1	2023-24	महासमुंद	—	—	—	—	—
2	2024-25	महासमुंद	—	—	—	—	—
3	2025-26 (दिनांक 31.01. 2026 तक)	महासमुंद	जिला खनिज न्यास	बैटरी कम हेण्ड आपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर	मातादी इलेक्ट्रिकल्स, राजिम	695	33.36
योग						695	33.36

Digitally signed by
Amit Kumar Singh
(अमित कुमार सिंह)
Date: 20-02-2026
13:02:44
अवर सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पारिशेष्य - सन्तानवे

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 (क्र. 926) की जानकारी

प्रपत्र-अ
संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र के लिये खरीफ एवं रबी फसल हेतु वर्षवार, विकासखण्डवार उर्वरक मांग, आपूर्ति, कृषकों द्वारा उठाव एवं शेष की जानकारी

(इकाई मे.टन. में)

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	मौसम (खरीफ/रबी)	उर्वरक की आंकलित मांग						उपलब्ध कराये गये उर्वरक की मात्रा					
				यूरिया	डी.ए.पी.	एन.पी.के.	एम.ओ.पी.	एस.एस.पी.	योग	यूरिया	डी.ए.पी.	एन.पी.के.	एम.ओ.पी.	एस.एस.पी.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	बालोद	2023-24	खरीफ	4500	2450	700	630	2700	10980	3783	2501	736	418	919	8357
			रबी	1850	510	1150	300	850	4660	2161	949	708	173	731	4722
			योग	6350	2960	1850	930	3550	15640	5944	3450	1444	591	1650	13079
	गुरुर		खरीफ	6500	3000	750	650	3600	14500	4467	3505	797	356	1091	10216
			रबी	2200	520	1220	340	1000	5280	2134	1355	598	267	792	5146
			योग	8700	3520	1970	990	4600	19780	6601	4860	1395	623	1883	15362
2	बालोद	महायोग	15050	6480	3820	1920	8150	35420	12545	8310	2839	1214	3533	28441	
		खरीफ	4850	3600	1240	850	1680	12220	4461	1404	2289	453	965	9572	
		रबी	1700	840	630	150	600	3920	3099	712	1161	365	843	6180	
	गुरुर	योग	6550	4440	1870	1000	2280	16140	7560	2116	3450	818	1808	15752	
		खरीफ	6900	3860	1290	880	1780	14710	5014	2022	2512	501	1370	11419	
		रबी	2100	940	750	180	700	4670	2827	614	1074	394	1044	5953	
3	बालोद	योग	9000	4800	2040	1060	2480	19380	7841	2636	3586	895	2414	17372	
		महायोग	15550	9240	3910	2060	4760	35520	15401	4752	7036	1713	4222	33124	
		खरीफ	6100	2480	2800	850	2100	14330	4012	1589	1595	465	1374	9035	
	गुरुर	रबी	1850	770	695	450	510	4275	1107	807	865	67	282	3128	
		योग	7950	3250	3495	1300	2610	18605	5119	2396	2460	532	1656	12163	
		खरीफ	6100	2480	2800	880	2170	14430	4244	1658	2145	510	1902	10459	
	गुरुर	रबी	2100	850	745	480	550	4725	1027	661	569	99	301	2657	
		योग	8200	3330	3545	1360	2720	19155	5271	2319	2714	609	2203	13116	
		महायोग	16150	6580	7040	2660	5330	37760	10390	4715	5174	1141	3859	25279	

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	मौसम (खरीफ/रबी)	कृषकों द्वारा उठाव						शेष						
				यूरिया	डी.ए.पी.	एन.पी.के.	एम.ओ.पी.	एस.एस.पी.	योग	यूरिया	डी.ए.पी.	एन.पी.के.	एम.ओ.पी.	एस.एस.पी.	योग	
1	2	3	4	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1.	बालोद	2023-24	खरीफ	3347	2256	562	337	726	7228	436	245	174	81	193	1129	
			रबी	1085	649	552	81	348	2715	1076	300	156	92	383	2007	
			योग	4432	2905	1114	418	1074	9943	1512	545	330	173	576	3136	
	गुरुर		खरीफ	4208	3329	720	302	924	9483	259	176	77	54	167	733	
			रबी	1079	613	534	62	310	2598	1055	742	64	205	482	2548	
2	बालोद	2024-25	योग	5287	3942	1254	364	1234	12081	1314	918	141	259	649	3281	
			महायोग	9719	6847	2368	782	2308	22024	2826	1463	471	432	1225	6417	
			खरीफ	4142	1327	2109	351	839	8768	319	77	180	102	126	804	
	गुरुर		रबी	2760	645	1085	147	523	5160	339	67	76	218	320	1020	
			योग	6902	1972	3194	498	1362	13928	658	144	256	320	446	1824	
3	बालोद	2025-26 (03.02.2026 तक)	खरीफ	4724	1976	2402	413	1245	10760	457	46	110	88	125	826	
			रबी	2243	497	1022	138	512	4412	584	117	52	256	532	1541	
			योग	6967	2473	3424	551	1757	15172	1041	163	162	344	657	2367	
	गुरुर		महायोग	13869	4445	6618	1049	3119	29100	1699	307	418	664	1103	4191	
			खरीफ	3851	1554	1593	423	1222	8643	161	35	2	42	152	392	
	बालोद		रबी	469	228	149	21	150	1017	638	579	716	46	132	2111	
			योग	4320	1782	1742	444	1372	9660	799	614	718	88	284	2503	
			खरीफ	4060	1580	2115	467	1719	9941	184	78	30	43	183	518	
	गुरुर		रबी	504	325	386	54	154	1423	523	336	183	45	147	1234	
			योग	4564	1905	2501	521	1873	11364	707	414	213	88	330	1752	
			महायोग	8884	3687	4243	965	3245	21024	1506	1028	931	176	614	4255	

Digitally signed by
 (विकास मिश्रा)
 Vikas Mishra
 उप सचिव
 Date: 19-02-2026
 12:11:31
 कृषि विकास एवं किसान कल्याण
 तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र में बीज की आकलित मांग/लक्ष्य
के विरुद्ध आपूर्ति एवं उठाव की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	मौसम (खरीफ/रबी)	फसल का नाम	आंकलित बीज मांग (क्वि)	भण्डारित मात्रा (क्वि)	कृषकों को द्वारा उठाव मात्रा (क्वि)
1	4	2	3	5	6	7	8
1	बालोद	2023-24	खरीफ	धान	1,926.70	1,824.00	1,674.90
				कोदो	9.20	9.20	9.20
				अरहर	5.20	5.20	5.20
				उड़द	4.00	4.00	4.00
				मूंग	4.00	4.00	4.00
				योग	1,949.10	1,846.40	1,697.30
			रबी	गेहूँ	222.00	206.00	206.00
				चना	178.60	223.30	156.00
				तिवड़ा	-	4.00	4.00
				मटर	5.00	5.00	5.00
				उड़द	0.50	-	-
				मूंग		-	-
				सरसों	5.25	7.00	7.00
				कुसुम	2.00	-	-
				योग	413.35	445.30	378.00
			योग बालोद		2,362.45	2,291.70	2,075.30
	गुरुर		खरीफ	धान	691.40	574.80	291.60
				कोदो	12.00	12.00	12.00
				अरहर	5.70	4.00	4.00
				उड़द	4.90	4.00	4.00
				मूंग	5.00	5.00	5.00
				योग	719.00	599.80	316.60
			रबी	गेहूँ	172.20	221.20	221.20
				चना	310.70	637.00	602.08
				तिवड़ा	25.00	33.60	33.60
				मटर	5.00	5.00	5.00
				उड़द		-	-
				मूंग		-	-
				सरसों	16.20	14.12	14.12
				कुसुम		-	-
				योग	529.10	910.92	876.00
			योग गुरुर		1,248.10	1,510.72	1,192.60
कुल योग (2023–24)				3,610.55	3,802.42	3,267.90	

संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र में बीज की आकलित मांग/लक्ष्य
के विरुद्ध आपूर्ति एवं उठाव की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	मौसम (खरीफ/रबी)	फसल का नाम	आंकलित बीज मांग (क्वि)	भण्डारित मात्रा (क्वि)	कृषकों को द्वारा उठाव मात्रा (क्वि)
2	बालोद	2024-25	खरीफ	धान	1,683.30	1,662.60	1,641.00
				कोदो	10.28	10.28	10.28
				अरहर	4.00	4.00	4.00
				उड़द	5.00	5.00	5.00
				मूंग	4.00	4.00	4.00
				योग	1,706.58	1,685.88	1,664.28
			रबी	गेहूँ	223.00	332.80	314.80
				चना	354.10	433.80	433.80
				तिवड़ा	2.50	10.00	9.00
				मटर	9.00	9.20	9.20
				उड़द	1.60	-	-
				मूंग	2.00	4.32	4.32
				सरसों	5.00	17.00	14.70
				कुसुम	1.00	1.36	1.36
			योग	598.20	808.48	787.18	
			योग बालोद		2,304.78	2,494.36	2,451.46
	गुरुर		खरीफ	धान	610.90	479.10	444.60
				कोदो	10.88	10.88	10.88
		अरहर		4.00	4.00	4.00	
		उड़द		5.00	5.00	5.00	
		मूंग		5.00	5.00	5.00	
		योग		635.78	503.98	469.48	
		रबी	गेहूँ	350.10	545.20	527.60	
			चना	665.96	1,442.40	1,434.60	
			तिवड़ा	10.00	10.00	10.00	
			मटर	17.60	17.60	17.60	
			उड़द	1.60	1.60	1.60	
मूंग	6.00		6.00	6.00			
सरसों	29.10		29.10	25.00			
कुसुम	1.00	1.00	1.00				
योग	1,081.36	2,052.90	2,023.40				
योग गुरुर		1,717.14	2,556.88	2,492.88			
कुल योग (2024-25)				4,021.92	5,051.24	4,944.34	

संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र में बीज की आकलित मांग/लक्ष्य
के विरुद्ध आपूर्ति एवं उठाव की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष	मौसम (खरीफ / रबी)	फसल का नाम	आंकलित बीज मांग (क्विं)	भण्डारित मात्रा (क्विं)	कृषकों को द्वारा उठाव मात्रा (क्विं)
3	बालोद	2025-26 (03.02.26 तक)	खरीफ	धान	1,869.30	1,874.10	1,816.80
				कोदो	-	7.52	7.52
				अरहर	1.00	2.00	2.00
				उड़द	1.00	2.24	2.24
				मूंग	1.00	-	-
				योग	1,872.30	1,885.86	1,828.56
			रबी	गेहूँ	234.60	231.20	231.20
				चना	356.25	387.30	357.00
				तिवड़ा	10.00	5.00	5.00
				मटर	7.00	5.40	5.40
				उड़द	7.04	6.40	6.40
				मूंग	3.00	1.20	1.20
				सरसों	15.00	4.26	4.26
				कुसुम	1.00	1.00	1.00
			योग	633.89	641.76	611.46	
			योग बालोद		2,506.19	2,527.62	2,440.02
	गुरुर		खरीफ	धान	513.30	568.80	456.60
				कोदो	-	7.52	7.52
		अरहर		2.00	20.00	10.00	
		उड़द		2.00	2.24	2.24	
		मूंग		2.00	-	-	
		योग		519.30	598.56	476.36	
		रबी	गेहूँ	256.80	100.00	100.00	
			चना	897.70	884.60	743.70	
			तिवड़ा	2.50	2.50	2.50	
			मटर	7.00	6.90	6.90	
			उड़द	7.84	46.40	46.40	
			मूंग	-	12.00	12.00	
			सरसों	6.00	8.56	8.56	
			कुसुम	-	6.00	6.00	
		योग	1,177.84	1,066.96	926.06		
		योग गुरुर		1,697.14	1,665.52	1,402.42	
कुल योग (2025-26)				4,203.33	4,193.14	3,842.44	

Digitally signed by

Vikas Mishra (विकास मिश्रा)

Date: 19-02-2026

12:13:03

उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परीशेष - अनुदानवे
अतारोकेत प्रश्न संख्या 82 (क्र. 927) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2023-24 :-

क्र.	मांग संख्या/योजना क्रमांक व नाम	मद/उपमद	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	41/4202/1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	97-निर्माण कार्य-001-भवन	60.00
2	41/4202/1400 -विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	97-निर्माण कार्य-001	65.00
		योग रु.-	125.00
1	275(1) अंतर्गत पो.मै.आदि.बालक छात्रा.गुरुर	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास गुरुर में छात्रावास भवन निर्माण	191.51
		योग रु.-	191.51
1	41/2202/1395 - छात्रावास	24-अनुरक्षण कार्य-011 -शैक्षणिक संस्थायें छात्रावास/आश्रम	25.87
2	64/2202/1395 - छात्रावास	24-अनुरक्षण कार्य-011 -शैक्षणिक संस्थायें छात्रावास/आश्रम	1.75
3	64/4202/1395 - छात्रावास	27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	1.75
4	66/2202/1395 - छात्रावास	24-अनुरक्षण कार्य-011 -शैक्षणिक संस्थायें छात्रावास/आश्रम	3.23
5		27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	3.74
		योग रु.-	36.34
1	41/2202/1395 -आदि.छात्रावास	24-अनुरक्षण कार्य-011	77.79
2	41/4202/1395 -आदि.छात्रावास	27-लघु निर्माण कार्य-002	29.90
3	64/2202/1395 -अनु.जाति छात्रावास	24-अनुरक्षण कार्य-011	5.25
4	66/4202/1400 -विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	27-लघु निर्माण कार्य-006	16.73
		योग रु.-	129.67
1	64/4202/1400-विवेकानंद गुरुकुल योजना	27-लघु निर्माण कार्य-006	13.64
2	64/2202/1395-छात्रावास	24-अनुरक्षण कार्य-011	4.90
		योग (अक्षरी-तीस लाख तेरह हजार रु.)	18.54
1	41/4202/1400 विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	97-निर्माण-001-भवन	1.90
		योग रु.-	1.90
		महायोग	502.96

वर्ष 2024-25 :-

क्र.	मांग संख्या/योजना क्रमांक व नाम	मद/उपमद	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	41/4202/1395-छात्रावास	27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	29.90
2	64/2202/1395-छात्रावास	24-अनु.कार्य-011-शैक्ष.संस्.छात्रा./आश्रम	7.00
3	64/4202/1395-छात्रावास	27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	7.00
4	66/4202/1395-छात्रावास	27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	3.74
5	66/4202/1400-विवेकानंद	27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	2.33
		योग -	49.97
1	41/2202/1395-छात्रावास	24-अनु.कार्य-011-शैक्षणिक संस्थायें एवं छात्रा./आश्रम	100.00
		योग	100.00
		महायोग	149.97

वर्ष 2025-26 :-

(राशि लाख में)

क्र.	मांग संख्या/योजना क्रमांक व नाम	मद/उपमद	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	41/4202/1395-छात्रावास	27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	74.68
2	41/2202/1395-छात्रावास	24-अनुरक्षण-011-शैक्षणिक संस्थायें छात्रावास/आश्रम	55.77
3	41/4202/1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	27-लघु निर्माण कार्य-006-अन्य लघु निर्माण कार्य	15.19
4	64/2202/1395-छात्रावास	24-अनुरक्षण-011-शैक्षणिक संस्थायें छात्रावास/आश्रम	7.01
5	64/4202/1395-छात्रावास	27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	7.07
6	64/4202/1395-छात्रावास	27-लघु निर्माण कार्य-006-अन्य लघु निर्माण कार्य	4.91
7	66/2202/1395-छात्रावास	24-अनुरक्षण-011-शैक्षणिक संस्थायें छात्रावास/आश्रम	0.94
8	66/4202/1395-छात्रावास	27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	2.96
9	66/4202/1400- विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	27-लघु निर्माण कार्य-002-भवन निर्माण	2.29
		महायोग	170.82


 अनुभाग अधिकारी
 आदिप्र जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्य / मरम्मत कार्य की जानकारी

वर्ष 2023-24 :-

(राशि लाख में)

क्रं.	छात्रावास/आश्रम का नाम	विकास खण्ड का नाम	किये गये कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	पूर्ण / प्रगतिरत / अप्रारंभ कार्य
1	2	3		4	5	7
1	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास बालोद	बालोद	छत जीर्णोद्धार कार्य	20.00	19.22	पूर्ण
2	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास बड़भूम	गुरुर	रंगाई पोताई	2.00	1.80	पूर्ण
3	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रा.बालोद	बालोद	रंगाई पोताई	2.00	1.52	पूर्ण
4	प्री.मै. अनु.जाति. बालक छात्रा.बालोद	बालोद	रंगाई पोताई	2.00	1.70	पूर्ण
5	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा. गुरुर	गुरुर	अहाता ऊँचीकरण कार्य	6.24	4.86	पूर्ण
6	प्री.मै.अनु.जाति. बालक छात्रा. गुरुर	गुरुर	अधीक्षक आवास गृह जीर्णोद्धार कार्य	3.55	3.28	पूर्ण
योग				35.79	32.36	
वर्ष 2024-25						
1	प्री.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास	बालोद	अहाता निर्माण कार्य	6.07	5.99	पूर्ण
योग				6.07	5.99	
वर्ष 2025-26						
1	प्री.मै. आदि.कन्या छात्रा छात्रावास बालोद	बालोद	जीर्णोद्धार कार्य	4.98	4.97	पूर्ण
2	प्री.मै.आदि.0.0कन्या छात्रा.बड़भूम	गुरुर	जीर्णोद्धार कार्य	4.98	4.92	पूर्ण
3	प्री.मै. अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास	बालोद	कलर वासिंग कार्य	2.05	2.03	पूर्ण
4	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास	बालोद	आर.सी.सी.ड्रेन कार्य सिवरेज लाईन	3.72	3.71	पूर्ण
5	प्री.मै.आदि.0.0कन्या छात्रा.बड़भूम	गुरुर	टाईल्स जीर्णोद्धार कार्य	9.76	9.75	पूर्ण
6	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रा.बालोद	बालोद	वासिंग एवं वाटर प्रूफिंग टाईल्स कार्य	7.59	-	प्रगतिरत
7	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.सोरर	गुरुर	जीर्णोद्धार कार्य	2.00	2.00	पूर्ण
8	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.कोचवाही	गुरुर	बोर खनन कार्य	1.94	-	अप्रारंभ
योग				37.02	27.38	
छात्रावास भवन निर्माण कार्य						
1	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रा.गुरुर	गुरुर	भवन निर्माण कार्य	191.51	87.22	प्रगतिरत
योग				191.51	87.22	


श्री. बी. एस. सिंह
आदिवासी विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारोशेष्ट - निन्यानबे

अतारांकित प्रश्न संख्या 83 (क्र. 931) की जानकारी

प्रपत्र

जिला - गरियाबंद

क.	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत/ग्राम	जिला स्तरीय समिति द्वारा मान्य/स्वीकृत करने के बाद निरस्त वन अधिकार पत्रों की संख्या		जिला स्तरीय समिति द्वारा मान्य/स्वीकृत करने के बाद निरस्त वन अधिकार पत्रों की नामवार जानकारी	
			व्यक्तिगत	सामुदायिक वन संसाधन	व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों के नाम	सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्रधारकों (ग्रामसभा) के नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	गरियाबंद	हरदी	1	0	रामगुलाल साहू पिता- श्री केजूराम साहू	-
		फुलकर्ना	1		उमर सिंह कंवर पिता- श्री पीलादाउ कंवर	-
2	मैनपुर	जिडार	1	0	महेन्द्र नेताम पिता-श्री तोरन सिंह नेताम	-
3	छुरा	मड़ेली	3	0	यादराम निषाद पिता श्री भगोली राम निषाद	-
					सीमा निषाद पति श्री यादराम निषाद	-
					भारत राम निषाद पिता श्री भगोली राम निषाद	-
4	फिंगेश्वर	-	0	0	-	-
5	देवभोग	-	0	0	-	-
	योग		6	0	-	-

अनुमान अधिकारी
आदिन जाति विकास विभाग
मंत्रालय, प्रधानी भवन, नया रायपुर

परिशेष - सी

अतारांकित प्रश्न संख्या 84 (क्र. 932) की जानकारी

प्रपत्र

क.	अवधि	विकासखण्ड	अन्य परंपरागत वन निवासियों को वितरित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों की संख्या	कॉलम नं. 4 के अनुसार वन अधिकार पत्र धारक अन्य परंपरागत वन निवासियों में से कितने तीन पीढ़ी से वन या वन भूमि में निवासरत हैं	तीन पीढ़ी से वन या वनभूमि पर निवासरत होने के क्या प्रमाण लगाए गए हैं
1	2	3	4	5	6
1	वर्ष 2021 से 2025 तक (01 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक)	गरियाबंद	288	288	तीन पीढ़ी से वन या वन भूमि में निवासरत होने हेतु मिश्रित, वंशावली, जनगणना, राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, अर्धन्यायिक एवं न्यायिक अभिलेख, लेखबद्ध किये गये दावेदार से भिन्न बुजुर्गों का कथन इत्यादि जैसे दस्तावेज प्रमाण के रूप में लगाये गये हैं।
2		मैनपुर	116	116	
3		छुरा	397	397	
4		फिंगेश्वर	187	187	
5		देवभोग	0	0	
	योग		988	988	

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर

परींशष्ट - एक सौ एक
अतारांकित प्रश्न संख्या 87 (क्र. 937) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

ग्रेडेशनवार एवं पारिश्रमिकवार कलाकारों का विवरण

स.क्र.	ग्रेड	लोक कलाकार का नाम	मानदेय	
			दल प्रमुख	सहायक कलाकार
1	ए+++	पद्मविभूषण श्रीमती तीजनबाई	71000	5000
2	ए++	पद्मश्री स्वामी जी.सी.डी.भारती	51000	4000
3	ए++	पद्मश्री श्री अनुज शर्मा		
4	ए++	पद्मश्री श्रीमती नमता चंद्राकर		
5	ए++	पद्मश्री श्री मदन चौहान		
6	ए++	पद्मश्री श्री अनूप रजन पाण्डेय		
7	ए++	पद्मश्री डॉ. राधेश्याम बारले		
8	ए++	पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे		
9	ए++	पद्मश्री उषा बारले		
10	ए+	सुश्री रजनी रजक	41000	3000
11	ए+	श्रीमती रेखा जलक्षत्रीय		
12	ए+	श्री दीपक चन्द्राकर		
13	ए+	श्री रिखी क्षत्रीय		
14	ए+	श्री प्रमजय चतुर्वेदी		
15	ए+	डॉ. पीसी लाल यादव		
16	ए+	श्री मिलाप दास बजारे		
17	ए+	श्री गौकरण दास बघेल		
18	ए+	श्री दिनेश कुमार जागडे		
19	ए+	श्री कुलेश्वर ताम्रकार		
20	ए+	श्री अनिल कुमार गढेवाल, तिफरा-बिलासपुर		
21	ए+	श्री सुनील तिवारी, महावीर नगर, रायपुर		
22	ए+	श्रीमती पूनम विराट तिवारी, राजनादगांव		
23	ए+	श्री राकेश तिवारी		
24	ए+	श्रीमती शांति बाई चेलक		
25	ए+	श्रीमती रेखा देवार		
26	ए+	श्रीमती वसन्ती वैष्णव		
27	ए1	श्रीमती जयती यादव	35000	2000
28	ए1	श्री रूपसाय सलाम		
29	ए1	श्री अमोलदास टंडन		
30	ए1	श्री गौकरण दास बघेल		
31	ए1	श्री हृदयप्रकाश अनंत		
32	ए1	श्रीमती कविता वासनिक, राजनादगांव		
33	ए1	श्री पंडितराम रजवाडे		
34	ए1	श्री द्वारिका बर्मन		
35	ए1	श्री शिवकुमार तिवारी		
36	ए1	श्री मनमोहन सिंह ठाकुर		

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रामपुर (छ.प.)

37	ए1	श्री भगत गुलेरी	35000	2000
38	ए1	श्री प्रकाश अवस्थी		
39	ए1	श्री साधेलाल रात्रे		
40	ए1	श्रीमती निर्मला ठाकुर (बेलचदन)		
41	ए1	श्री दुधंत कुमार हरमुख		
42	ए1	श्री सुनील सोनी	31000	2000
43	ए1	श्री रोहित कुमार कोसरिया		
44	ए	श्री कृष्ण कुमार पाटिल		
45	ए	श्री दुधंत कुमार दिवेदी		
46	ए	श्री वेदप्रकाश माहेश्वरी		
47	ए	सुश्री मोना सेन		
48	ए	श्रीमती छाया चन्द्राकर		
49	ए	श्री विष्णु कश्यप		
50	ए	श्री नितिन दुबे		
51	ए	सुश्री ममता अहार		
52	ए	श्री सुनील बंसोड		
53	ए	श्रीमती प्रभा यादव		
54	ए	श्री चन्द्रभूषण वर्मा		
55	ए	श्री खेमदास साहू		
56	ए	श्री शरद अग्रवाल		
57	ए	श्री महेश कुमार वर्मा		
58	ए	श्री घनश्याम महानंद		
59	ए	सुश्री पलक तिवारी		
60	ए	श्री ननकी ठाकुर		
61	ए	श्रीमती सीमा कौशिक		
62	ए	कु. गरिमा दिवाकर		
63	ए	श्री तिलक राजा साहू		
64	ए	श्री चन्द्रकुमार बघवारे (चदन बाघे)		
65	ए	श्री जैनु राम सलाम, नयानार, नारायणपुर		
66	ए	श्री राकेश शर्मा		
67	ए	सुश्री आर्या नंदे		
68	ए	श्रीमती ज्योतिश्री बोहिदार वैष्णव		
69	बी+	श्री रामाधार लहरी	21000	1500
70	बी+	श्रीमती पुष्पा साहू		
71	बी+	श्री राजकुमार साहू		
72	बी+	श्री लालजी श्रीवास		
73	बी+	श्री मनोज आडिल		
74	बी+	सुश्री किरन भारती		
75	बी+	श्री मनोज कुमार साहू		
76	बी+	श्री पुरानिक साहू		
77	बी+	श्री धन्नु लाल साहू		
78	बी+	श्री भगवती प्रसाद साहू		
79	बी+	श्री आनंद निषाद		
80	बी+	श्री विरेन्द्र कुमार टंडन		
81	बी+	श्री लीलाधर साहू		

अनुभाग अधिकारी
संस्कृत विभाग, मंत्रालय,
महानदी घवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.प.)

82	बी+	श्री रूपराय नेताम	21000	1500
83	बी+	श्री तुषान्त बारले		
84	बी+	कु. दीपशिखा श्रीवास		
85	बी+	श्री जितेन्द्र कुमार साहू		
86	बी+	श्री राजेन्द्र साहू		
87	बी+	श्री सुरेश कुमार ठाकुर		
88	बी+	श्री स्वर्ण कुमार साहू		
89	बी+	श्री अमर श्रीवास		
90	बी+	श्री पुनउ राम साहू		
91	बी+	श्रीमती इंदिरा बाई जागडे		
92	बी+	श्री भूपेन दास साहू		
93	बी+	श्री आरती बारले		
94	बी+	श्री परमेश्वर		
95	बी+	श्री भूपेन्द्र कुमार चाणक्य		
96	बी+	डॉ. पुरुषोत्तम चन्द्राकर		
97	बी+	कु. स्वर्णा दिवाकर		
98	बी+	श्रीमती प्रतिमा बारले		
99	बी+	श्री उत्तम देवहरे		
100	बी+	श्री ललित सिंह ठाकुर		
101	बी+	श्री निजाम कन्हारपुरिया		
102	बी+	श्री महादेव हिरवानी		
103	बी+	श्री गौतम चौबे		
104	बी+	श्री देवेन्द्र कुमार देशमुख		
105	बी+	श्रीमती सावित्री कहार		
106	बी+	श्री राजेन्द्र रंगीला		
107	बी+	श्री सतोष कुमार घोरक्षे		
108	बी+	सुश्री अमृता बारले		
109	बी+	श्री हिलेन्द्र ठाकुर		
110	बी+	श्री गोविन्द कुमार सोनवानी		
111	बी+	श्री राजेश राजपूत, मुरमदा धमधा, जिला दुर्ग		
112	बी+	श्री पुनाराम यादव, मोहरेगा, धमधा, जिला		
113	बी+	श्रीमती मीना साहू, जामगांव आर, रनचिरई,		
114	बी+	श्री कैलान बर्रे, लहंगा, जिला दुर्ग		
115	बी+	श्री सतोष राम दिवाकर, कोटा, जिला रायपुर		
116	बी+	श्री भारत भूषण परमानिहा, भिलाई, जिला दुर्ग		
117	बी+	कु. दुर्गा साहू, निनवा किरना, जिला रायपुर		
118	बी+	सुश्री किरण शर्मा, प्रोफेसर कालेनी, रायपुर		
119	बी+	श्री तेजराम साहू		
120	बी+	श्रीमती ममता शिन्दे		
121	बी+	श्री नारिसर खान		
122	बी+	श्री गोरेलाल बर्मन		
123	बी+	श्री पुनाराम साहू		
124	बी+	श्री तरुण निषाद		
125	बी+	श्री मनमोहन सिंह ठाकुर		
126	बी+	कु. आरू साहू		

127	बी	श्री रतन लाल सोनवानी	11000	1000
128	बी	श्री तुलसी राम निषाद		
129	बी	श्री विजय चन्द्राकर, धमतरी		
130	बी	श्री जगदीश प्रसाद उडके	11000	1000
131	बी	श्री हरिशचन्द्र यादव		
132	बी	श्री नरेश कोशले		
133	बी	श्री देवेन्द्र निर्मलकर		
134	बी	श्री अभिषेक सोनकर		
135	बी	सुश्री दीपिका महानंद (पिकी साहू)		
136	बी	श्री दानेश्वर गजपाल (दानू गजपाल)		
137	बी	सुश्री बबीता विश्वास		
138	बी	श्री राकेश साहू		
139	बी	श्री महेश्वर प्रसाद साहू		
140	बी	श्री संतोष ठाकुर		
141	बी	श्री पुसतराम बजारे		
142	बी	श्री राम लल्लू पाण्डेय		
143	बी	श्री रामअवतार चंद्राकर		
144	बी	सुश्री उर्वशी साहू		
145	बी	श्री ऋषि कुमार		
146	बी	श्री सोहन लाल सिन्हा		
147	बी	श्री टीकम सिंह पटेल		
148	बी	श्री राजू यादव		
149	बी	श्री संतोष कुमार यादव		
150	बी	श्री युगल किशोर साहू		
151	बी	श्री शिवा जांगडे		
152	बी	श्री धनवार निषाद 'सचिन'		
153	बी	श्री नरेन्द्र कुमार साहू		
154	बी	श्री संतोष कुमार सारथी		
155	बी	श्रीमती अमृता साहू		
156	बी	सुश्री अजली वर्मा		
157	बी	श्री सतारुंद बजारे		
158	बी	श्री अर्जुन यादव		
159	बी	श्री विष्णु प्रसाद साहू		
160	बी	श्री संतोष राम धनवार		
161	बी	श्री मनोज सेन		
162	बी	श्री छोटे लाल साहू		
163	बी	सुश्री मनीषा गधर्व		
164	बी	श्रीमती उपासना वैष्णव		
165	बी	श्री भिनेश देवागन		
166	बी	श्री राजकुमार यादव		
167	बी	श्री किस्मत भारतदाज		
168	बी	श्री राकेश सेन		
169	बी	श्री हेमसिंग साहू		
170	बी	श्री गजेन्द्र नारायण साहू		
171	बी	श्री महेश्वर कुर्रे		

172	बी	श्री दीपक महोबिया	11000	1000
173	बी	सुश्री जिया रानी		
174	बी	श्री जयनारायण किशोर		
175	बी	श्री अश्वनी चौहान		
176	बी	श्री नरेन्द्र जलक्षत्रिय		
177	बी	डॉ. छाया प्रकाश जैन		
178	बी	श्री राकेश साहू		
179	बी	श्री दिलीप नवरत्न		
180	बी	सुश्री बैजती यादव		
181	बी	श्री सजय कुमार नारंग		
182	बी	श्री केशव राम यादव		
183	बी	श्री पणू चन्द्राकर (लेवेन्द्र चन्द्राकर)		
184	बी	श्री रूपेश कुमार बारले, भिलाई-कोहका, दुर्ग		
185	बी	श्री तोष दास साहू, मचानपारा, राजनादगांव		
186	बी	श्री रविन्दर सिंह, खुरसूल गब्दी, जिला बालोद		
187	बी	श्री शिव नारायण (शिवजी घृतलहरे), माढर(ब), बलौदाबाजार		
188	बी	श्रीमती त्रिवेणी साहू, शक्तिपारा उरकुरा, रायपुर		
189	बी	श्रीमती खेमबाई निषाद, राजपुर छुरा, गरियाबंद		
190	बी	श्री बैसाखू राम साहू, धौशभाडा, पाटन, जिला दुर्ग		
191	बी	श्री सदाराम साहू, लोरमी, जिला मुंगली		
192	बी	श्री अश्वन कुमार, पिठौरा, नदिनी खुदनी, जिला दुर्ग		
193	बी	श्री सिद्धार्थ महाजन, रोजगारीपारा, कोण्डागांव		
194	बी	श्री हरि प्रेमी, बडे रबेली, खरौदा, जांजगीरचांपा		
195	बी	श्री शिवाकांत तिवारी, कसारीडीह, दुर्ग		
196	बी	श्री नारायण वघेल, खल्लारी, जिला महासमुंद		
197	बी	श्री राजेश साहू, बगदेहीपारा, गोबरा, जिला रायपुर		
198	बी	श्री तेजशम पटेल, खेमडा-बसना, जिला महासमुंद		
199	बी	सुश्री संगीता निषाद, सजय नगर टिकरापारा, रायपुर		
200	बी	श्री हरबचन लाल श्रीवास, भण्डारपुर, राजनादगांव		
201	बी	श्री सुकृत साहू, अहिंवारा नगर जिला दुर्ग		
202	बी	श्री कृष्ण कुमार सत्रे, पामगढ़, जांजगीर-चांपा		
203	बी	श्री प्रदीप कौशिक		
204	बी	श्री शिव प्रसाद मन्नाडे		
205	बी	श्री भागवत कश्यप		
206	बी	श्री अजित कुमार सनम		
207	बी	श्री जीवन दास मानिकपुरी		
208	बी	श्री गुरुदास मानिकपुरी		
209	बी	श्री चन्द्रशेखर चकोर		
210	बी	श्री रेवाराम साहू		
211	बी	श्रीमती निशा शर्मा		
212	बी	श्री हेमन्त शुक्ला		
213	बी	श्री अचल शर्मा		
214	बी	श्री जसमीत कौर		
215	बी	श्री गौतम साहू		

216	बी	श्रीमती रेणु साहू		
217	बी	श्री शशी सतनामी		
218	बी	श्री सेवक राम यादव		
219	बी	श्रीमती अनुसुईया मानिकपुरी	11000	1000
220	बी	श्री दुर्गेश साहू		
221	बी	श्री चैतुराम तारक		
222	बी	श्री गौकरुण मानिकपुरी		
223	बी	श्रीमती गंगाबाई मानिकपुरी		
224	बी	श्री भूपेन्द्र कुमार जायसवाल		
225	बी	श्री रोशन लाल		
226	बी	सुश्री तारा कुलकर्णी (भारती)		
227	बी	श्री सलीम कुमार जांगड़े		
228	बी	श्री पुलेश्वर कुमार ढीढी		
229	बी	श्री ताम्ररघु बांधे		
230	बी	श्रीमती पूर्णिमा टंडन		
231	बी	सुश्री आरती सिंह महरवार		
232	बी	श्री राजेश बजारे		
233	बी	श्री दिनेश गायकवाड़		
234	बी	श्रीमती शकुन साहू		
235	बी	श्री जनक राम निषाद		
236	बी	श्री ऋषि कुमार कुर्रे		
237	बी	श्री अजोरदास ओगरे		
238	बी	सुश्री सीमा कुर्रे		
239	बी	सुश्री बिन्दा बाई		
240	बी	श्री घनीराम चांदने		
241	बी	श्री अश्वनी गंधर्व		
242	बी	श्री अमित कमल कौसले		
243	बी	श्री अमिताभ बांधे		
244	बी	सुश्री संगीता चांदने		
245	बी	श्री घासीराम रात्रे		
246	बी	श्रीमती अन्नपूर्णा क्षत्रीय		
247	बी	सुश्री चादनी पारख		
248	बी	श्री मनोहर धूतलहरे		
249	बी	श्री विशाल कुमार साहू		
250	बी	सुश्री सरला गंधर्व		
251	बी	श्री माधो राम साहू		
252	बी	सुश्री हेमलता बजारे		
253	बी	श्री हेमलाल कौशल		
254	बी	श्री रामदास कुर्रे		
255	बी	श्री प्रेम यादव		
256	बी	सुश्री राधिका शर्मा		
257	बी	सुश्री संगीता कापसे		
258	बी	सुश्री शुचिरिमिता दत्ता		
259	बी	सुश्री तारा साहू		
260	बी	श्री गोफेलाल गंदले		

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
बिलासपुर (छ.प्र.)

261	बी	श्री अशोक श्रीवास		
262	बी	श्री पूनम चंद बारले		
263	बी	श्री रोशन कुमार साहू		
264	बी	श्री दिनेश कुमार जांगडे	11000	1000
265	बी	सुश्री मुनेश्वरी निर्मलकर (भानु निर्मलकर)		
266	बी	श्री आगर आनंद		
267	बी	श्री अजय कुमार सोनवानी (अजय अटपट्ट)		
268	बी	श्री पन्नालाल जांगडे		
269	बी	श्री काशीराम गजेन्द्र		
270	बी	श्री दसरू राम डहरिया		
271	बी	सुश्री लक्ष्मी दुबे		
272	बी	श्री जयश्री भगवानानी		
273	बी	श्री विजय सिंह		
274	बी	श्री धनीदास मानिकपुरी		
275	बी	सुश्री सरिता सेन		
276	बी	श्री लेखराम नाविक		
277	बी	सुश्री मुस्कान साहू		
278	बी	श्री संगीत रजक		
279	बी	कु. संयुक्ता बोस		
280	बी	श्री सचिन तिवारी		
281	बी	सुश्री मधुरानी		
282	बी	श्री मिलन रगीला		
283	बी	श्री राकेश कुमार घृतलहरे		
284	बी	श्री नरेन्द्र साहू, अशोगा, रानीतरई, पाटन, जिला दुर्ग		
285	बी	श्रीमती चंदारानी विश्वकर्मा, लोरमी, जिला मुंगेली		
286	बी	श्री समारु देशलहरा, नवागांव बोरी, जिला दुर्ग		
287	बी	सुश्री विमला बघेल, पेण्ड्रावन, बिलाईगढ़,		
288	बी	श्री जितेन्द्र सोनवानी, कोसरगी, जिला रायपुर		
289	बी	श्री अनुज राम यादव, बोरिया बेरला, जिला बेमेतरा		
290	बी	श्री प्रमित चेलक, रिको-पलोद, जिला रायपुर		
291	बी	श्री राधेश्याम साहू, रनचिरई जिला बालोद		
292	बी	श्री अमित यादव, सोनपुरी, बलौदाबाजार		
293	बी	श्री सूर्यकांत कुरे, मुंगेली		
294	बी	श्री ओम तिवारी, कसारीडीह दुर्ग		
295	बी	श्री दीपेश साव, ठेकवा-सोमनी, जिला राजनादगांव		
296	बी	श्री लीलाधर विश्वकर्मा, सेलुद, जिला दुर्ग		
297	बी	श्री रवि कुमार साहू, जामगांव जिला बालोद		
298	बी	श्री महेन्द्र कुमार निर्मलकर, भरर रनचिरई, जिला		
299	बी	श्री बलराम साहू, बहतराई रोड, बिलासपुर		
300	बी	श्री अमर दास बारले, भिलाई, जिला दुर्ग		
301	बी	श्री रज्जू चन्द्रवशी (मनचला)		
302	बी	श्री सौखी लाल		
303	बी	श्री उदय राम		
304	बी	श्री धनाराम साहू		
305	बी	श्री राजकुमार मिरी		

306	बी	श्री लखन लाल धिवडोन्डे	11000	1000
307	बी	श्री रामनारायण सतनामी		
308	बी	श्री कार्तिक राम साहू		
309	बी	श्री जनक राम चतुर्वेदी		
310	बी	श्री मनहरण साहू		
311	बी	श्री विरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी		
312	बी	श्री श्याम बंजारे		
313	बी	कु. दामिनी गायकवाड		
314	बी	सुश्री माहुरी शर्मा		
315	बी	कु. आनदीता तिवारी		
316	बी	श्री धुकेल राम विश्वकर्मा		
317	बी	श्री रवि श्रीवास		
318	बी	श्री शिवदयाल साहू		
319	बी	श्री परसुराम यादव		
320	बी	श्री मुकेश जधेल		
321	बी	श्रीमती महिआ मजुमदार		
322	बी	श्री गैदलाल देशलहरा		
323	बी	श्री राजेश अवस्थी		
324	बी	श्री चंदूराम कंवर		
325	बी	श्री बुधारू राम यादव		
326	बी	श्री भरत घुरा		
327	बी	श्रीमती हीराबाई चक्रधारी		

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.प.)

प्रपत्र : ब

छत्तीसगढ़ शासन
संस्कृति विभाग (प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर-492002

— आदेश —

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक: 05-02-2026

File No.:GENS-2101/1076/2025-CULTURE :: राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम-2021 की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-4/2021/30/सं. दि. 29-07-2021 एवं यथा संशोधित अधिसूचना दि. 04-10-2024 की कंडिका-6 में निहित प्रावधान के तहत कला दलों/कलाकारों के पंजीयन हेतु पोर्टल के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज के परीक्षण/पुष्टि एवं चयन हेतु आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार विभागीय चयन समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय | - अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त संचालक/उप संचालक,
(संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय) | - सदस्य |
| 3. पदेन अध्यक्ष/सदस्य
(कला अकादमी/आदिवासी एवं लोक कला अकादमी) | - सदस्य |
| 4. डॉ. लिकेश्वर वर्मा,
(महायुक्त प्राध्यापक, उदिरा कला संगीत वि.वि. खैरागढ़, छ.ग.) | - सदस्य |
| 5. श्री अरूण कुमार सोनी,
(कमलादेवी संगीत महाविद्यालय रायपुर, छ.ग.) | - सदस्य |
| 6. डॉ. राजश्री नामदेव,
(अध्यापक, श्रीराम संगीत महाविद्यालय रायपुर, छ.ग.) | - सदस्य |
| 7. श्री प्रदीप कुमार पाठक,
(कार्यक्रम अधिकारी, दूरदर्शन केन्द्र रायपुर, छ.ग.) | - सदस्य |
| 8. श्रीमती मुमिता राय बर्मन,
(आकाशवाणी केन्द्र रायपुर, छ.ग.) | - सदस्य |
| 9. (1) श्री आर.एस.बारले | - सदस्य |
| (2) श्री डोमार मिह कंबर | - सदस्य |
| (3) श्री स्वामी जी.सी.डी. भारती बंधु
(प्रतिष्ठित कला विशेषज्ञ/कला पथक दल विधा अनुसार) | - सदस्य |
| 10. श्री पंडित राम,
(राज्य स्तरीय सम्मान से पुरस्कृत)
ग्राम सोनपुर सरगुजा, छ.ग. | - विशेष आमंत्रित
सदस्य |

निरंतर...

अनुमति अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

// 2 //

2/ उक्त समिति छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021 एवं यथा संशोधित प्रावधान अनुसार कार्य संपादित करेगी। समिति के सदस्य को नियमानुसार निर्धारित मानदेय की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by

RUCHI SHARMA

Date: 05-02-2026

11:03:43

(रुचि शर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग (प्रकोष्ठ)

File No.: GENS-2101/1076/2025-CULTURE, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक: 05-02-2026

प्रतिलिपि:-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर।
2. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, संस्कृति/पर्यटन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर।
3. संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर की ओर आपके प्रस्ताव क्र.5796 दिनांक 09.04.2025 एवं दिनांक 14.05.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सर्व संबंधित _____

द्वारा: संचालक - संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.।

5. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by

AJIT KUMAR MINJ

Date: 05-02-2026

14:29:48

अनुभाग अधिकारी, संस्कृति विभाग (प्रकोष्ठ)

अनुभाग अधिकारी
संस्कृति विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर,
नवा रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष्य - एक सौ दो

अतारांकित प्रश्न संख्या 90 (क्र. 940) की जानकारी

प्रपत्र-अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 940 द्वारा श्री किरण देव, माननीय सदस्य छ.ग. विधानसभा कृषि विभाग के हितग्राहीमूलक योजनाओं अन्तर्गत वर्ष 2023 से 31.01.2026 तक पंजीकृत एवं लाभान्वित कृषकों की वर्षवार,

क्र	वर्ष	वि.ख. का नाम	विभाग द्वारा संचालित योजना का नाम	पंजीकृत कृषक/ हितग्राहियों की संख्या	लाभान्वित कृषक/ हितग्राहियों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	2022-23 (01.01. 2023 से 31.03.2023 तक)	जगदलपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	180	180	-
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	118	118	-
			किसान समृद्धि योजना	8	5	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	3	1	-
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	11	10	-
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	57	8	-
			शाकम्भरी योजना	14	14	-
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	2	0	-
			योग	393	336	
2	2023-24	जगदलपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	348	348	-
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	150	150	-
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (मोटा अनाज)	65	65	-
			नेशनल मिशन ऑन इडिबल आर्गैलसीडस् (ऑयलसीड)	68	68	-
			बीज ग्राम योजना (एनएमएईटी. एसएसएसपी)	121	121	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजनान्तर्गत कम्पौन्ट -4	1	1	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजनान्तर्गत कम्पौन्ट -6	1	1	-
			प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	5273	1089	-
			किसान समृद्धि योजना	12	1	-
			द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	138	138	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	29	3	-
			शाकम्भरी योजना	107	86	-
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	9	4	-
			योग	6322	2075	-
3	2024-25	जगदलपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	355	355	-
			टारगेटिंग राईस फेलों एरिया	359	359	-
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	150	150	-
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (मोटा अनाज)	60	60	-
			राज्य के कृषि सुधार हेतु विस्तार (आत्मा)	44	44	-
			बीज ग्राम योजना (एनएमएईटी. एसएसएसपी)	645	645	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजनान्तर्गत कम्पौन्ट -4	3	3	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजनान्तर्गत कम्पौन्ट -6	10	10	-
			प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	5361	419	-
			किसान समृद्धि योजना	18	4	-
			ग्रीष्मकालीन धान के बदले मक्का फसल उत्पादन कार्यक्रम	21	21	-
			द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	129	129	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	65	22	-
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	27	16	-
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	213	143	-
			शाकम्भरी योजना	86	86	-
			योग	7546	2466	

4	2025-26	जगदलपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	350	350	-
			टारगेटिंग राईस फेलों एरिया	99	99	-
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	200	200	-
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (न्युट्रि सिरल्स)	50	50	-
			नेशनल मिशन ऑन इडिबल आर्गैलसीडस् (ऑयलसीड)	110	110	-
			राज्य के कृषि सुधार हेतु विस्तार (आत्मा)	50	50	-
			बीज ग्राम योजना (एनएमआईटी. एसएसएसपी)	198	198	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजनान्तर्गत कम्पोंन्ट -2	2	2	-
			प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	5601	-	खरीफ वर्ष 2025-26 दावा भुगतान राशि अप्राप्त
			किसान समृद्धि योजना	25	0	-
			ग्रीष्मकालीन धान के बदले मक्का फसल उत्पादन कार्यक्रम	14	14	-
			द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	67	67	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-1)	80	5	-
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	30	18	-
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	47	23	-
			शाकम्भरी योजना	35	19	-
			योग	6958	1205	
5	2022-23 (01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक)	दरभा	किसान समृद्धि योजना	10	0	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	2	0	-
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	10	2	-
			योग	22	2	
6	2023-24	दरभा	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	583	583	-
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (न्युट्रि सिरल्स)	300	300	-
			परंपरागत कृषि विकास योजना	650	650	-
			प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	1786	271	-
			किसान समृद्धि योजना	9	0	-
			जैविक खेती मिशन	450	450	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	2	1	-
			शाकम्भरी योजना	5	3	-
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	2	1	-
			योग	3787	2259	
7	2024-25	दरभा	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	180	180	-
			राज्य के कृषि सुधार हेतु विस्तार (आत्मा)	30	30	-
			परंपरागत कृषि विकास योजना	1249	1249	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजनान्तर्गत कम्पोंन्ट -4	1	1	-
			प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	2058	122	-
			किसान समृद्धि योजना	2	0	-
			जैविक खेती मिशन	450	450	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-3)	10	2	-
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - ड्रिप	5	3	-
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - स्प्रिंकलर	2	2	-
			शाकम्भरी योजना	13	13	-
			राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना - ड्रिप	1	1	-

			योग	4001	2053	
8	2025-26 (दिनांक 31. 01.2026 तक)	दरभा	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	180	180	-
			नेशनल मिशन ऑन इडिबल आयलसीडस् (ऑयलसीड)	205	205	-
			राज्य के कृषि सुधार हेतु विस्तार (आत्मा)	33	33	-
			परंपरागत कृषि विकास योजना	1249	1249	-
			आर.ए.डी. (नम्सा)	150	150	-
			प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	1964	2	खरीफ वर्ष 2025-26 दावा भुगतान राशि अप्राप्त
			जैविक खेती मिशन	450	450	-
			रामतिल बीज उत्पादन एवं प्रोत्साहन योजना	500	500	-
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.-1)	11	1	
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना — ड्रिप	6	4	
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना — स्प्रिंकलर	5	2	
			शाकम्परी योजना	1	1	
			योग	4754	2777	

Digitally signed by
Vikas Mishra (विकास मिश्रा)

Date: 20-02-2026 उप सचिव

16:10:01

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र — ब

उद्यानिकी विभाग के हितग्राहीमूलक योजनाओं अन्तर्गत वर्ष 2023 से 31.01.2026 तक पंजीकृत एवं लाभान्वित कृषकों की वर्षवार,

क्रं.	वर्ष	विकास खण्ड का नाम	संचालित योजना का नाम	घटक का नाम	पंजीकृत कृषकों की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक	जगदलपुर	राज्योषित योजना	पोषण बाड़ी	1300	1300
		दरभा			430	430
		जगदलपुर		नदीकछार तटो पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन	49	49
		दरभा		सामुदायिक फेसिंग	3	3
	योग —				1782	1782
1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक	जगदलपुर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	बीज उत्पादन	2	2	
			पपीता क्षेत्रविस्तार	2	2	
			अमरुद क्षेत्रविस्तार	53	53	
			ड्रेगनफ्रुट क्षेत्रविस्तार	3	3	
			प्याज क्षेत्रविस्तार	26	26	
			भिण्डी क्षेत्रविस्तार	24	24	
			कददूर्वागीय फसल	31	31	
			शकरकंद क्षेत्रविस्तार	18	18	
			गेंदा क्षेत्रविस्तार	48	48	
			मिर्च क्षेत्रविस्तार	13	13	
			शेडनेट हाउस	7	7	
			मल्विंग	92	92	
			मधुमक्खी पालन	3	3	
			पावर स्प्रेयर	3	3	
			माली प्रशिक्षण	20	20	
पैक हाउस	1	1				
	योग —				346	346
1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक	दरभा	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	प्याज क्षेत्रविस्तार	4	4	
			भिण्डी क्षेत्रविस्तार	4	4	
			कददूर्वागीय फसल	12	12	
			शकरकंद क्षेत्रविस्तार	9	9	
			मिर्च क्षेत्रविस्तार	4	4	
			शेडनेट हाउस	1	1	
			मल्विंग	14	14	
			मधुमक्खी पालन	1	1	
			पावर स्प्रेयर	4	4	
पैक हाउस	1	1				
	योग —				54	54
	कुल योग वर्ष 2022–23				2182	2182
2	2023–24	जगदलपुर	राज्योषित योजना	फल विकास योजना आम नवीन रोपण	57	57
		दरभा			18	18
		जगदलपुर		नदीकछार तटो पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन	40	40
		दरभा			4	4
		जगदलपुर		पोषण बाड़ी	1200	1200
		दरभा			307	307
		जगदलपुर		सामुदायिक फेसिंग	9	9
		दरभा			4	4
	योग —				1639	1639
2023–24	जगदलपुर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	अमरुद क्षेत्रविस्तार	6	6	
			ड्रेगनफ्रुट क्षेत्रविस्तार	4	4	
			पपीता द्वितीय वर्ष	2	2	
			ड्रेगनफ्रुट क्षेत्रविस्तार द्वितीय वर्ष	3	3	
			भिण्डी क्षेत्रविस्तार	9	9	
			कददूर्वागीय फसल	5	5	

	2023—24	जगदलपुर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	मिर्च क्षेत्रविस्तार	17	17	
				गेंदा क्षेत्रविस्तार	4	4	
				शेडनेट	7	7	
				मल्लिचंग	14	14	
				पावर स्प्रेयर	6	6	
				पावर वीडर	25	25	
				पैक हाउस	3	3	
					105	105	
	2023—24	दरभा	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	कददूवर्गीय फसल	2	2	
				मिर्च क्षेत्रविस्तार	4	4	
				गेंदा क्षेत्रविस्तार	1	1	
				काली मिर्च क्षेत्रविस्तार	1	1	
				काजू क्षेत्रविस्तार	13	13	
शेडनेट				2	2		
मल्लिचंग				7	7		
पावर स्प्रेयर				4	4		
पावर वीडर				5	5		
पैक हाउस				2	2		
			कृषक भ्रमण राज्य के बाहर	8	8		
	योग —			49	49		
2023—24	दरभा	नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल —	रोपण सामग्री (आयतित)	14	14		
			रखरखाव (प्रथम वर्ष)	14	14		
			नलकूप खनन	3	3		
		योग —		31	31		
	जगदलपुर	सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री	खम्हार पौध उत्पादन कार्य	26	26		
दरभा	खम्हार पौध उत्पादन कार्य		22	22			
	योग —			48	48		
	कुलयोग वर्ष 2023—24			1872	1872		
3	2024—25	जगदलपुर	राज्योषित योजना	फल विकास योजना आम नवीन रोपण	34	34	
		दरभा			7	7	
2024—25	जगदलपुर	नदीकछार तटो पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन		40	40		
	जगदलपुर	पोषण बाड़ी		320	320		
				दरभा	106	106	
	जगदलपुर	सामुदायिक फेसिंग		2	2		
				दरभा	5	5	
	योग —			514	514		
	2024—25	जगदलपुर		राष्ट्रीय बागवानी मिशन	बीज उत्पादन	6	6
ड्रेगनफ़ुट क्षेत्रविस्तार					4	4	
ड्रेगनफ़ुट क्षेत्रविस्तार द्वितीय वर्ष			4		4		
ड्रेगनफ़ुट क्षेत्रविस्तार तृतीय वर्ष			3		3		
भिण्डी क्षेत्रविस्तार			76		76		
कददूवर्गीय फसल			9		9		
बैंगन क्षेत्रविस्तार			2		2		
मिर्च क्षेत्रविस्तार			6		6		
गेंदा क्षेत्रविस्तार			14		14		
धनिया क्षेत्रविस्तार			5		5		
काजू क्षेत्रविस्तार			4		4		
मल्लिचंग			15		15		
पावर वीडर			29		29		
			कृषक भ्रमण जिले के अन्दर		15	15	
			जगदलपुर		राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पैक हाउस	1
करेला क्षेत्रविस्तार	12	12					
लोकी क्षेत्रविस्तार	26	26					
				231	231		
				भिण्डी क्षेत्रविस्तार	40	40	
				कददूवर्गीय फसल	3	3	

	2024-25	दरभा	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	बैंगन क्षेत्रविस्तार	7	7
				गेंदा क्षेत्रविस्तार	4	4
				धनिया क्षेत्रविस्तार	8	8
				मल्लिंग	3	3
				पैक हाउस	1	1
				पावर वीडर	6	6
				लौकी क्षेत्रविस्तार	20	20
			योग -		92	92
	2024-25	जगदलपुर	नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल - ऑयलपॉम	रोपण सामग्री (आयतित)	7	7
		दरभा		रोपण सामग्री (स्वदेशी)	3	3
		जगदलपुर		रोपण सामग्री (आयतित)	4	4
		दरभा		रखरखाव (प्रथम वर्ष)	7	7
		दरभा		रखरखाव (प्रथम वर्ष)	4	4
		जगदलपुर		अंतरवर्तीय फसल रोपण (द्वितीय वर्ष)	6	6
				कृषक प्रशिक्षण (दो दिवसीय, प्रति प्रशिक्षण 30 कृषक)	60	60
			योग -		91	91
	2024-25	जगदलपुर	सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री	मुनगा पौध उत्पादन कार्य	14	14
		दरभा			7	7
			योग -		21	21
			कुल योग वर्ष 2024-25		949	949
4	2025-26 (31.01.2026 की स्थिति)	जगदलपुर	राज्यपोषित समेंकित उद्यानिकी विकास योजना	फल विकास योजना आम नवीन रोपण	12	12
		दरभा			8	8
		जगदलपुर		व्यक्तिगत / सामुदायिक फेसिंग	0	0
		दरभा			0	0
		जगदलपुर	मसालाक्षेत्र विस्तार	हल्दी	13	13
		दरभा			0	0
		जगदलपुर		अदरक	17	17
		दरभा			0	0
			योग -		50	50
	2025-26 (31.01.2026 की स्थिति)	जगदलपुर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	बीज उत्पादन	4	4
				केला क्षेत्रविस्तार	7	7
				भिण्डी क्षेत्रविस्तार	5	0
				वर्मी कम्पोस्ट पक्का टाका	1	1
				ड्रेगनफुट क्षेत्रविस्तार द्वितीय वर्ष	4	4
				ड्रेगनफुट क्षेत्रविस्तार तृतीय वर्ष	4	4
				गेंदा क्षेत्रविस्तार	22	22
				काजू क्षेत्रविस्तार द्वितीय वर्ष	5	5
				पैक हाउस	4	0
					56	47
	2025-26 (31.01.2026 की स्थिति)	दरभा	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	काजू क्षेत्रविस्तार	4	4
				करेला क्षेत्रविस्तार	10	5
				भिण्डी क्षेत्रविस्तार	3	3
				प्याज क्षेत्रविस्तार	1	1
				वर्मी टाका (पक्का)	5	0
			योग -		23	13
		जगदलपुर	नेशनल मिशन ऑन एडीबल	रोपण सामग्री (स्वदेशी)	14	14
				रोपण सामग्री (आयतित)	3	3
		दरभा	नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल - ऑयलपॉम	रोपण सामग्री (आयतित)	3	3
		जगदलपुर		कृषक प्रशिक्षण (दो दिवसीय, प्रति प्रशिक्षण 30 कृषक)	30	30

2025—26 (31.01.2026 की स्थिति में)	जगदलपुर	नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल — ऑयलपॉम	रखरखाव (प्रथम वर्ष)	17	17
	जगदलपुर	नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल — ऑयलपॉम	अंतरवर्तीय फसल रोपण (द्वितीय वर्ष)	7	7
	दरभा	नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल — ऑयलपॉम	अंतरवर्तीय फसल रोपण (प्रथम वर्ष)	3	3
	योग :-			77	77
	जगदलपुर	राष्ट्रीय बांस मिशन योजना	बाउण्ड्री प्लांटेशन	20	20
	योग :-			20	20
	जगदलपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	ग्राफ्टेड बैंगन/टमाटर प्रदर्शन	26	26
	दरभा			14	14
	योग —				40
कुलयोग वर्ष 2025—26				266	247
महायोग				5269	5250

Digitally signed by
Vikas Mishra

Date: 20-02-2026
15:08:15

(विकास मिश्रा)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परींशष्ट - ँक सी तीन

अतारांकित प्रश्न संख्या 91 (क्र. 941) की जानकारी

प्रपत्र—अ

विभाग में आदिवासी संस्कृति परम्पराओं धार्मिक रीति रिवाजों लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संचालित योजनाएं

क्र.	योजना का नाम
1.	आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास देवगुडी निर्माण एवं मरम्मत
2.	आदिवासी सांस्कृतिक दलो को सहायता योजना
3.	आदिवासी लोक कला महोत्सव योजना
4.	अनु.जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह जयंती कार्यक्रम
5.	जनजातीय गौरव दिवस योजना
6.	मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना
7.	बैगा पुजारी सम्मान निधि योजना
8.	मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम अखड़ा विकास योजना


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

बस्तर संभाग अंतर्गत वर्षवार योजनावार/कार्यक्रम जानकारी

क्र.	योजना/कार्यक्रम का विवरण	वर्षवार व्यय राशि (लाखों में)	
		2024-25	2025-26 (31.01.2026 की स्थिति में)
1	आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास देवगुडी निर्माण एवं मरम्मत	141.50	110.00
2	आदिवासी सांस्कृतिक दलो को सहायता योजना	8.50	9.20
3	आदिवासी लोक कला महोत्सव योजना	10.00	14.50
4	अनु.जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में शहीद वीर नारायण सिंह जयंती कार्यक्रम	9.48	11.16
5	जनजातीय गौरव दिवस योजना	0.00	7.00
6	मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना	156.60	91.41
7	बैगा पुजारी सम्मान निधि योजना	0.00	0.00
8	मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम अखड़ा विकास योजना	0.00	0.00


 अनुभाग अधिकारी
 आदिम जाति विकास विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

परिशेष - एक सौ चार
अतारोकेत प्रश्न संख्या 92 (क्र. 944) की जानकारी

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 में दिनांक 31.01.2026 तक योजना अंतर्गत वर्षवार बजट प्रावधान, आबंटन एवं वास्तविक व्यय की जानकारी

क्र.	वर्ष	बजट प्रावधान (लाख में)	जारी आबंटन (लाख में)	वास्तविक व्यय (लाख में)
1	2022-23	59.00	59.00	51.90
2	2023-24	59.00	59.00	49.30
3	2024-25	59.00	59.00	43.70
4	2025-26 (31.01.2026 तक)	59.00	59.00	17.50


अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर